# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के षष्टम् सत्र का चौतीसवां दिवस [संख्या 23

मंगलवार

दिनांक 22 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामकंवार बैरवा।

ढूंढ नदी पर पुल निर्माण की मांग

675. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के चाकसू, कोट खावदा मार्ग पर ढूंढ नदी पर पुल बनवाने के लिए ग्राम नागरिकों व जन प्रतिनिधियों द्वारा पिछले लम्बे समय से मांग की जा रही है? यदि हां, तो उक्त मार्ग के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार को जानकारी है कि उपरोक्त ढूंढ नदी पर पुल नहीं होने की वजह से बरसात के दिनों में उक्त मार्ग पर चार महीने आवागमन बन्द रहता है? यदि हां, तो ढूंढ नदी पर पुल बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? और नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में ऐसी कोई मांग विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्षा ऋतु में कुछ असुविधा होती है। धनाभाव के कारण क्या पुल बनाया जाना अभी सम्भव नहीं है।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है मंत्री साहब ने उसका जवाब दूसरे तरीके से देकर टाल दिया है। मैंने प्रश्न पूछा है, "क्या यह सही है कि जिला जयपुर के चाकसू, कोट खावदा मार्ग पर ढूंढ नदी पर पुल बनाने के लिए ग्राम नागरिकों जन प्रतिनिधियों द्वारा पिछले लम्बे समय से मांग की जाती रही है? यदि हां, तो उक्त मामले पर क्या कार्यवाही की गई? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधियों और नागरिकों की तरफ से आपके पास कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं?

श्री चेतराम मीणा : सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस समय ऐसी कोई मांग

(श्री चेतराम मीणा)
विचाराधीन नहीं है जिससे इस पर कार्यवाही की जाये।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन न हो, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी, सैंकड़ों लोग इस नदी में डूब गये थे और मौतें हुई थीं। बरसात आने से इस नदी का पाट लम्बा होता गया और बसें उसमें फस गई। अब नदी का विस्तार हो चुका है। जयपुर का पानी सीधा इसमें आता है जिससे ढूंढ नदी पर गड़बड़ होने की सम्भावनायें बढ़ गई हैं। मंत्री महोदय, आगे कोई दुर्घटना न हो इस दृष्टि से जो खतरा बढ़ गया है उसको रोका जायेगा, इसका कोई आश्वासन देंगे।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह ढूंढ नदी चाकसू कोट खावदा मार्ग पर आठ किलोमीटर पर पड़ती है। इसकी चौड़ाई 400 मीटर के लगभग है। सड़क बी. टी. रोड बनी है। मानते हैं कि इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग धनाभाव के कारण नहीं बना सकता। आज यदि 200 मीटर या अधिक मीटर के पुल बनायें तो मेजर हाइवे पर 25 पुल बनाने पड़ेंगे, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट रोड पर और कई दूसरे पुल बनाने पड़ेंगे जो लगभग 104 हैं। जिनकी अनुमानित लागत 126.42 करोड़ रुपये होगी। यह जो रोड है यह ग्रामीण नम्बर 31 पर है इस पर पुल बनाने के लिए 40 करोड़ की आवश्यकता होगी। हमारे वित्तीय साधनों को देखते हुए अभी यह काम मुश्किल है।

श्री रामकंवार बैरवा : दूसरा, आपसे मैंने यह निवेदन किया है, मंत्री महोदय को, मैंने प्रश्न पूछा है, नदी पर पुल न होने की वजह से बरसात के दिनों पर उक्त मार्ग पर चार महीने आवागमन बन्द रहता है? यदि हां, तो उन नागरिकों का क्या होगा जो इधर के इधर और उधर के उधर रह जाते हैं, उसका क्या आश्वासन देंगे?

श्री चेतराम मीणा : मैंने उत्तर में निवेदन किया है कि वर्षा ऋतु में ऐसा होता है, लेकिन धनाभाव के कारण हम इसको बना नहीं पा रहे हैं।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि धनाभाव का नाम लेकर गांव के विकास को कब तक टालेंगे? आप तिथि बता दीजिए, पांच साल, दस साल, बीस साल कब तक पूरा करेंगे?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 676

श्री महाराम चौधरी।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह भूख हड़ताल पर हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन को अधिकृत किया जाता है। आसन ने अनुमति दी है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरसाना (अलवर)

677. श्री जीतमल जैन (अलवर) [श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) की अनुपस्थिति में] : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम हरसाना, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के आदेश कौन-सी तिथि को दिये ?

(2) क्या उस आदेश की अनुपालना में हरसाना में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति कर दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री भी हरसाना ग्राम प्रवास काल में स्कूल को क्रमोन्नत करने की घोषणा कर आये थे ?

(4) राज्य सरकार ने क्रमोन्नत करने के आदेश कब वापिस लिये और क्यों ?

(5) क्या किसी न्यायालय ने हरसाना में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रखने के आदेश किये हैं ? ये आदेश कब हुए ? कृपया इनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) ग्राम हरसाना, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर में राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के आदेश दिनांक 1 अक्टूबर, 1982 को दिये।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के पास ऐसी घोषणा की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(4) राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 29-10-1982 के द्वारा दिनांक 1-10-1982 के आदेश में संशोधन कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरसाना के स्थान पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कठूमर को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के आदेश प्रदान किये गये।

(5) जी हां। राजकीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 6-11-1982 को दिये गये स्थगन आदेश की फोटो प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(फोटो प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : पूर्व में इस पर चर्चा की जा चुकी है। मैं दोबारा चर्चा हो, इजाजत नहीं दूंगा। यह हमारी परम्परा और नियम रहे हैं। उसको समर्थलाल जी ने पूछा था। इस पर स्थगन प्रस्ताव है। इस पर चर्चा नहीं हो सकती। यह आ चुका है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : वह सवाई माधोपुर का था।

श्री अध्यक्ष : किसी भी माध्यम से आ जाये, एक दो पूरक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री जीतमल जैन : क्या यह सही है कि विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया है। कितनों को प्रवेश मिला है ?

(५)



श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो उच्च माध्यमिक कक्षायें हैं उसमें 165 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं।

श्री जीतमल जैन : क्या इस स्कूल को रिवर्ट करने के कारण उन विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में नहीं पड़ गया है जो आज वहां पढ़ रहे हैं?

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या यह सही है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी वहां गये थे तो घोषणा करके आये थे कि यदि राजस्थान में स्कूल खुलेंगे तो सबसे पहले हरसाना में खुलेगा?

श्री अध्यक्ष : वह घोषणा तो सही हो चुकी है।

श्री समर्थलाल : अगर इस घोषणा के आधार पर स्कूल खुला तो उस स्कूल को रद्द करने का क्या कारण था?

श्रीमती कमला : इस उच्च माध्यमिक विद्यालय के नजदीक में ही एक दूसरा माध्यमिक विद्यालय था। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने यह आवेदन किया था, चूंकि इसके पास दूसरा विद्यालय है और कठूमर, जो कि पंचायत समिति है, में बच्चों की संख्या ज्यादा है इसलिए इसके बजाय इसको क्रमोन्नत किया जाय। इस दृष्टि से उसको बदला गया···

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

आर्डर प्लीज। इस पर चर्चा हो चुकी है पूर्व में।

श्री जीतमल जैन : आखिर विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है और अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है इसमें कौन दोषी होगा?··

श्रीमती कमला : अध्यापक भिजवाने के बाबत व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भगवान दास शास्त्री!

**अकाल राहत कार्यों हेतु केन्द्रीय अध्ययन दल के समक्ष रखी गई धनराशि की मांग**

678. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष केन्द्रीय अध्ययन दल राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा अध्ययन दल के समक्ष अकाल राहत कार्यों के लिए कितनी धनराशि मांगी गई?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में किशनगढ़ आदि क्षेत्रों का दौरा करने के बाद राज्य में किन-किन जिलों की सूखे की चपेट में आने की अधिक आवश्यकता दर्शाई? रिपोर्ट के आधार पर कौन सा जिला अधिक प्रभावित माना गया है?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रभावित राज्य की सूखे की स्थिति के पहले केन्द्र को सूचित करने में असफलता एवं प्रशासन की अकर्मण्यता रही है? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कौनसी कार्यवाही की गयी है?

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री चेतराम मीणा : (1) जी हां, संवत् 2039 की अभाव स्थिति का अध्ययन करने के लिए

(श्री चैतराम मीणा)

एक केन्द्रीय दल दिनांक 29-11-82 से 2-12-82 को राजस्थान में आया था। संवत् 2039 की अभाव स्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार को जो ज्ञापन प्रेषित किया गया था उसमें सहायता की विभिन्न मदों के लिए वर्ष 1982-83 की मार्च, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 86.46 करोड़ रुपये की आवश्यकता बतलाई गई थी। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) केन्द्रीय अध्ययन दल अपनी सिफारिशों में यह नहीं दर्शाता कि प्रभावित जिलों में से किस-किस जिले को अधिक प्रभावित माना जावे। सारे राज्य की अभाव स्थिति का अपनी तौर पर जायजा लेकर वह विभिन्न मदों में खर्चे की सीमायें दर्शाते हुए केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश करता है। कुल ग्रामों एवं अभाव ग्रस्त ग्रामों की जिलेवार तालिका सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) यह सही नहीं है। ऐसी दशा में किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(विवरण व तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भगवानदास शास्त्री : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संवत 2040 में भरतपुर को छोड़कर 22572 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे। क्या यह सही है कि काफी लोग उससे प्रभावित हुए थे और 2 करोड़ 59 लाख पशुधन भी प्रभावित हुआ था? अब तक 3126 कार्यों की स्वीकृति दी है, वह पर्याप्त है? क्या इतने बड़े प्रदेश में यह पर्याप्त है?

अकाल राहत मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न में नहीं पूछा गया है। जो संख्या आपने दी है तीन हजार एक सौ छब्बीस वाली, वह भी जब अकाल पर बहस हुई थी उस समय जो सूचना दी थी उस सूचना के आधार पर गलत है। अब तक हम 4500 कार्य स्वीकार कर चुके हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि पिछले तीन सालों में जितने काम स्वीकृत किये गये थे, उन कामों की संख्या के मुकाबले में इस वर्ष अधिकतम अकाल कार्यों की स्वीकृति दी गयी है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री और माननीय राज्य पाल महोदय ने अपने भाषणों में 29 करोड़ 86 लाख 70 हजार राशि बताई। 86 करोड़ यह बताये। पहले भी मंत्री जी ने कहा था कि 59 करोड़ केन्द्र से मिले। उसमें 24 करोड़ तो उन श्रमिकों पर लगा दिया जायेगा जो कि श्रमिक काम पर लगाये जायगे, तो पूर्ति हो जायेगी क्या?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : क्या मतलब है? समझ में नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को ज्ञापन देते हैं उसमें अधिकतम राशि का विवरण देते हैं। जो अध्ययन दल आया उसने जो राशि स्वीकार की उसका विस्तृत विवरण भी सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं यह नहीं समझ सका कि क्या मूल बिन्दु है। मार्च 83 में जो कामों की स्वीकृति दी गयी वह पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत हुए कामों की तुलना में अधिकतम संख्या है। मार्च, 83 में जो श्रमिक

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

काम पर लग रहे हैं वह गत वर्षों की तुलना में अधिक है। यह जानकारी मैं देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सारी दृष्टि से जो कुछ काम किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा वह पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री : एक प्रश्न पूछ लूं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न से सम्बन्धित ही पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : . . . .अजमेर जिले में 976 कुल गांवों की संख्या है उनमें से 950 आपने अभाव ग्रस्त घोषित किये हैं..

## भारत-पाक युद्ध के दौरान आये विस्थापितों को भू-आवंटन

679. श्री भगवान दास डोसी (चौहटन): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1971 के हिन्द पाक युद्ध के दौरान आये अनुसूचित जाति के विस्थापितों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र पर स्थायी तौर पर बसाने हेतु राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इन्हें प्राथमिकता के आधार पर सर्वोत्तम चकों पर स्वतन्त्र रूप से अन्य वर्ग से पृथक पूर्ण सिंचित भूमि आवंटित की जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ग हेतु प्रस्तावित व आरक्षित भूमि बाद में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रख कर इन्हे उन्हीं चकों में असिंचित बारानी भूमि आवंटित कर दी गयी है जिनको पानी लगना कतई सम्भव नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि आवंटन समिति द्वारा आवंटन भूमि को बदलकर कब्जा देते समय उन्हें अन्य पट्टे देकर खराब भूमि के कब्जे दिये गये ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन्हें दी गयी भूमि सरकारी रेकार्ड में सिंचित भूमि बताई गयी है जब कि मौके पर असिंचित है ?

(5) क्या इन अनुसूचित जाति के विस्थापितों ने आवेदन किया था व जिसके फलस्वरूप उन्हें अन्य सिंचित भूमि प्रस्तावित की गई है लेकिन अब तक पुनः संशोधित आवंटन नहीं हुआ है ?

(6) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर उपनिवेशन तहसील पूगल के गांव भागसर राना 2 ए. डी. पर केवल इसी वर्ग के परिवार जा बसे हैं लेकिन अब तक उनके लिये शिक्षा, चिकित्सा, उपभोक्ता वस्तुओं की सुविधा, सड़क, परिवहन तथा सिंचाई के लिए जल एवं नाले खाले नहीं बनाये गए हैं ? यदि उपरोक्त विवरण सही है, तो सरकार उन्हें कब तक राहत प्रदान करेगी ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) राज्य सरकार ने राजस्थान उपनिवेशन राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन व विक्रय नियम, 1975 के नियम 24 के अन्तर्गत छत्रसलपुर, दातोर एवं पूगल वितरिकाओं के कमाण्ड क्षेत्र में इन परिवारों को भू-आवंटन का निर्णय लिया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(श्री चन्दनमल वैद)

(4) राजकीय रिकार्ड के आधार पर सिंचित भूमि ही आवंटित की गई है। मौके पर सिंचित न होने की व्यक्तिगत शिकायतों की जांच कर ली जाती है।

(5) शिकायतों की जांच चल रही है। सही पाये जाने पर अन्यत्र उपयुक्त भूमि आवंटित की कार्यवाही की जायेगी।

(6) जी हां। जहां तक उपनिवेशन तहसील पूगल के गांव राना 2 ए.डी. में बसे परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा, उपभोक्ता वस्तुओं की सुविधा, सड़क परिवहन की सुविधायें देने का प्रश्न है वह संबंधित विभागों द्वारा ही दी जाती है। जहां तक सिंचाई के लिए जल पूर्ति एवं नाले खाले बनाने का प्रश्न है इस संबंध में राजस्थान नहर क्षेत्र के द्वितीय चरण में सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। कच्चे खाले बनाने का कार्य स्वयं काश्तकारों का है। इस क्षेत्र में नहर पूर्ण बनी हुई है और चक 2 ए. डी. के मोघे में पानी चल रहा है।

श्री भगवानदास डोसी : अध्यक्ष महोदय, चक ए. डी. 1-2-4-6-7-8 पर आवंटन समिति द्वारा अधूरी डिस्ट्रिब्युटरी के किनारे अनुसूचित जाति विस्थापितों को आवंटन हेतु भूमि दिखाई गई थी तथा उसमें से अन्य किसी भी वर्ग को आवंटन करना नहीं बताया गया था। स्थानीय निवासियों के लिए चक सं. 3-5 ए. डी. सुरक्षित थे लेकिन उसके विपरीत डिस्ट्रिब्युटरी के किनारे दिखाये गये मुरब्बे अनुसूचित जाति विस्थापितों हेतु आरक्षित थे। उनको शेष रख कर टेल पर धोरों व टीलों टीबों वाले मुरब्बे विस्थापितों को आवंटित कर दिये हैं तथा राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना कर इस वर्ग के सुरक्षित मुरब्बों में भूमि का आवंटन हो रहा है। श्री सुरा पुत्र बना श्री जेता वल्द आसा को चक सं. 1 ए. डी. में तथा कीजा वल्द रमू को चक सं. 2ए. डी. में आवंटन कमेटी ने आवंटन मुरब्बे जो किये थे वे भी मुरब्बे सहायक उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर ने बदलकर स्थानीय लोगों को आवंटित कर दिये हैं तथा उन्हें टेल पर बारानी असिंचित भूमि आवंटित कर दी है।

(3) शरणार्थियों को दिये गये पट्टों में भूमि सिंचित बताई गई है जब कि वास्तविकता यह है कि मौके पर भूमि असिंचित है।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि कई माननीय सदस्य अपना निजी सचिवालय रखते हैं। अच्छा है पत्रावलियों को रखकर पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछे हैं उनमें से जो मैं समझ पाया हूं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस क्लास के 2,292 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है। 167 व्यक्तियों के भूमि आवंटन इस वास्ते कैंसिल करने पड़े क्योंकि जो भूमि आवंटित की गई थी वह या तो आबादी में आ गई या नर्सरी में आ गई या कोर्ट स्टे में आ गई। 167 आदमियों को भूमि बदल दी। 232 आदमियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं उनकी भूमि कमाण्ड एरिया में नहीं है, अनकमाण्ड एरिया में है, इसकी

(श्री चन्दनमल वैद)
जांच की जा रही है। यदि वह सही पाई गई तो भूमि बदल देंगे।

श्री देवव्रत तिवाड़ी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों को जो भूमि आवंटित की गई है उन्हें पहले भेजा गया था। जो भूमि उनको दिखाई गई थी वह सिंचित थी वह न अलाट कर दूसरी भूमि अलाट की गई ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। यह सही है कि हमारे रिकार्ड में सिंचित भूमि है। जिनको अलॉट की गई है वे समझते हैं कि पूरा पानी लगता है। वे चाहें तो जांच करके उनकी जमीन बदलने को तैयार हैं। सरकार का रुख है कि जो विस्थापित आये हैं उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। उनको कोई किसी तरह की परेशानी हो तो जो भी उचित जमीन हम दे सकेंगे वह जमीन दिलाई जायेगी।

श्री देवव्रत तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है, मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि कुछ लोगों की यदि असिंचित भूमि है तो वह बदल के दे देंगे। पहले भी कुछ लोगों को सिंचित भूमि अलाट की किन्तु छीन कर दूसरों को दे दी। उन लोगों को वापस सिंचित भूमि दे देंगे क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, छीन कर दूसरों को देने का मेरे पास कोई उदाहरण नहीं आया है। जिन लोगों को भूमि दी गई है वह विस्थापित थे। 2992 व्यक्तियों को भूमि दी गई। 167 व्यक्तियों की भूमि ऐसी थी जो या तो नर्सरी में आ गई या आबादी में आ गई, वह बदल दी है। 232 व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र पेश किये हैं कि जो जमीन उनको दी गई है वह कमाण्ड नहीं है, अनकमाण्ड है। उनकी हम जांच कर रहे हैं अगर जांच में यह बात सही पाई जायेगी तो हम बदल देंगे।

श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, यह आम शिकायत है, कोई विस्थापितों की ही केवल मांग नहीं है। गंगानगर जिले के जो किसान है वह वहां पर जाते हैं उनको मुरब्बा का ज्ञान नहीं होता। वह जमीनें ऐसी हैं तो उसको पटवारी या अधिकारी द्वारा दिखाकर अलाट करनी चाहिये वह न करके केवल नम्बर बता देते हैं, नम्बर के आधार पर अलाट कर देते हैं। केवल 25 पर्सेंट जमीनों के पानी लगता है बाकी 75 पर्सेंट लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। विश्वास दिलाते रहते है कि दो, तीन साल बाद पानी लग जायेगा। यदि पहले से आदमियों को मौके पर दिखाकर जमीन अलाट करने की व्यवस्था करते तो यह जो परेशानी होती है उससे बचा जा सकता है। क्या आप भविष्य में चाहे विस्थापित हो, या दूसरे जिले चूरू नागौर के जो भी जायें उनको मौके पर दिखाकर जमीन अलाट करेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न। अगला प्रश्न श्री भैरोंसिंह गुर्जर।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न कैसे है।

श्री अध्यक्ष : विस्थापितों के बारे में है।

श्री राम सिंह विश्नोई : अलग कैसे हुआ।

श्री अध्यक्ष : आपने स्वयं ने कहा, जो विस्थापित है उनका ऐसा है, जो विस्थापित नहीं हैं चूरू और नागौर से जाते हैं...

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप किन आदमियों को जमीन देते हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : गम्भीर मामला है तो आप उठाइये। तक्लीफ तो करते नहीं हैं। विषय आ गया प्रश्न के माध्यम से...

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या दो सौ आदमी एक साथ उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक माननीय सदस्य ने उठा लिया तो कौनसी बुरी बात हो गई ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है। अलग प्रश्न है यह व्यवस्था मैंने दे दी। कोई अपील होती नहीं...

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : अपील हो जायेगी...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भैरूसिंह गुर्जर।

केरोसीन डीलर की नियुक्ति

680. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इण्डियन आयल प्राइवेट लिमिटेड के नियमों के अनुसार एवं भारत सरकार के नियमानुसार जिले के व्यक्ति को ही केरोसीन का डीलर नियुक्त किया जा सकता है ?

(2) यदि हां, तो क्या एक व्यक्ति को एक ही जिले का डीलर बनाया जाता है या एक से अधिक जिले का ?

(3) जिला भरतपुर में एवं धौलपुर में डीलर कौन-कौन हैं एवं उन्हें कितना-कितना अलए-अलग जिले में केरोसीन दिया जाता है ?

राज्य मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में एक व्यक्ति को एक ही स्थान के लिए डीलर बनाया जाता है।

(3) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)
चाहता हूं, मंत्री जी ने प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में बताया कि वर्तमान में एक व्यक्ति को एक ही जिले में डीलर बनाया जाता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या भरतपुर और धौलपुर जिलों में अलग-अलग डीलर हैं केरोसीन वितरण के ?

श्री घासीराम यादव : सूची सदन की मेज पर रख दी है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मेसर्स राम प्रसाद एण्ड सन्स, भरतपुर में डीलर है और धौलपुर में भी यही डीलर है। इसका क्या कारण है ?

श्री घासीराम यादव : यह सन् 69 से पहले का है। यह कानून 80 में बना है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : वर्तमान में यह नियम हैं। उन नियमों का आपने पालन किया है क्या ? अध्यक्ष महोदय, सन् 83 चल रहा है। सन् 80 और 83 में फर्क ही नहीं महसूस कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : यह आदमी लाखों, करोड़ों रुपया लूट रहा हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसके पास एजेन्सी है वहां भी डीलर है। जून-जुलाई, 82 में इसको कितना केरोसिन अलाट किया, उसमें से कितना बेचा ?

श्री अध्यक्ष : यह इस प्रश्न में शामिल नहीं है। डीलर्स के बारे में आपने पूछा है। मंत्री महोदय ने बता दिया। उस डीलर ने क्या किया है, आप अलग से प्रश्न पूछते तो उसका उत्तर आ जाता।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : जिला भरतपुर और धौलपुर के डीलर्स को कितना-कितना केरोसिन दिया जा रहा है, इन्होंने जो सूची मुझे दी है उसके अनुसार पूछ रहा हूं। जून; जुलाई, 82 में कितना-कितना केरोसिन दिया गया, कितना जनता में वितरित किया और शेष जो बचा उसका क्या किया ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, जून, जुलाई का तो नहीं बता सकता। जनवरी, फरवरी, मार्च का इस प्रकार है। भरतपुर जिले में जनवरी में 109 किलो लीटर, फरवरी में 89 किलो लीटर, मार्च में 87 किलो लीटर। धौलपुर जिले में जनवरी में 168 किलो लीटर, फरवरी में 138 किलो लीटर और मार्च में 144 किलो लीटर। भरतपुर में इसका लाईसेंस सस्पेंड कर दिया है।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आम बाजार में केरोसिन का क्या भाव है····

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

(व्यवधान)

यह अलग से प्रश्न उठायें।

श्री जगनसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि भरतपुर और धौलपुर में अलग-अलग डीलर बनाने का विचार है ? जो वर्तमान में डीलर है क्या इसके बारे में वहां के जन प्रतिनिधियों

(श्री जगन सिंह)
ने और पब्लिक ने आपको शिकायतें भेजी हैं? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की ? अगर कार्यवाही नहीं की तो कब तक कार्यवाही कर देंगे ?

श्री घासीराम यादव : डीलर बनाने का, नहीं बनाने का काम इण्डियन आयल कारपोरेशन करता है। यह राजस्थान सरकार से ताल्लुक नहीं रखता। वही डीलर बना सकता है। वही हटा सकता है। हम तो उनका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। धौलपुर का लाइसेंस सस्पेण्ड हो गया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री जगनसिंह : लाइसेंस तो सस्पेण्ड आपने कर दिया, वह अभी भी कैरोसीन वितरण कर रहा है और, अध्यक्ष महोदय, फी लीटर पर 10 पैसा, 5 पैसा ज्यादा वसूल करता है। पब्लिक से 20 पैसे तक ज्यादा वसूल करता है।

अगर उसको सस्पेण्ड कर दिया तो फिर आप दूसरा बनायेंगे या नहीं बनायेंगे ? सस्पेण्ड किया है, तो कोर्ट से कार्यवाही हुई है या डिपार्टमेंट से हुई है।

श्री घासीराम यादव : काम कर रहा है तो कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री घासीराम यादव : उसका लाइसेंस सस्पेण्ड कर दिया गया है, उसको काम बन्द कर देना चाहिए।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मैं निवेदन कर दूं, भरतपुर के लिए इसको 1 लाख 80 हजार और धौलपुर के लिए 15 लाख 60 हजार लीटर कैरोसीन दिया गया था। मैं निवेदन करूं उसमें से धौलपुर में इसने एक हजार आठ लीटर कैरोसीन वितरित किया है और भरतपुर में 96 हजार लीटर कैरोसीन वितरित किया है। इस प्रकार इसने 1 लाख 32 हजार लीटर कैरोसीन बचाकर ब्लैक में बेचा है। क्या आप जांच करवा कर कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सूचना अगर चाहिए थी तो वैसे प्रश्न पूछ लेते। यह अलग प्रश्न है।

अगला प्रश्न।

श्री अनंग कुमार जैन। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

उदयपुर विश्वविद्यालय में प्रश्न बैंक प्रणाली

681. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में प्रश्न बैंक प्रणाली प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो कब से प्रारम्भ की गई ? राजस्थान के किस-किस विश्वविद्यालय में यह प्रणाली चल रही है तथा कब से चल रही है ?

(2) क्या पूर्व में कुछ विश्वविद्यालयों ने इस प्रणाली को अपनाया तथा बाद में त्याग दिया ? त्यागने वाले विश्वविद्यालय

(श्री अनंग कुमार जैन)

ने कितने वर्ष चलाने के बाद इस प्रणाली को त्यागा व क्यों ?

(3) क्या इस प्रणाली से श्री सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में अध्ययनरत बालकों पर लाखों रुपयों का अधिभार नहीं पड़ेगा ?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री सुरेन्द्र व्यास) : (1) जी हां। यह प्रणाली मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में 1982–83 से प्रारम्भ की गई है और अन्य किसी विश्वविद्यालय में नहीं चल रही है।

(2) जी हां। राजस्थान विश्वविद्यालय में 1976 से 1978 तक रही। यह प्रणाली उस विश्वविद्यालय की परिस्थितियों में सन्तोषजनक नहीं पाई गई अतः इसको त्याग दिया गया।

(3) जी नहीं। प्रति छात्र पर औसत सात रुपये मात्र खर्च करना पड़ा।

श्री अनंग कुमार जैन : क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में यह प्रणाली बन्द कर दी गई है यदि बन्द कर दी गई है तो इसके क्या कारण हैं ? यह प्रणाली कब से बन्द की गई ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रश्न आपने पूछा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 12-1-77 को राजस्थान विश्वविद्यालय ने डिसाइड किया कि इस प्रणाली को बन्द कर दिया जाय। नवम्बर, 77 को सिन्डीकेट ने निर्णय लिया। अब क्यों समाप्त की, यह तो उल्लेख किया नहीं, क्या डेलीब्रेशन्स हुए, यह पता नहीं है। सम्भवतः परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही होंगी, इसलिये समाप्त कर दी।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, कारण यह था कि छात्रों को सुविधा मिल जाती थी या यूनिवर्सिटी वालों ने यह सोचा कि स्टूडेन्ट्स बाकी सब्जेक्ट्स का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। क्या उदयपुर में भी इसे बन्द करने का विचार रखते हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में क्वेश्चन बैंक क्यों प्रारम्भ किया ? उसके क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि क्वेश्चन बैंक के कारण अगर सोल्व पैपर्स निकाल कर बेच दिये जाते है तो फिर विश्वविद्यालय चलाने का कोई औचित्य नहीं है ? प्रश्न भी मिल जाय और उत्तर भी मिल जाय तो फिर सरकार को इस खर्च को बर्दाश्त करने का क्या औचित्य है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, प्योग्रली माननीय सदस्य, मैं समझता हूं, भली प्रकार क्वेश्चन को नहीं समझ सके हैं। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी कि लिमिटेड कोर्स कवर-अप करते हो। उसके क्वेश्चन पहले बन जाते हैं और उत्तर भी उसके बाहर से नहीं आते हैं। इसको असफल नहीं माना है। उन्होंने अपनी परिस्थिति के अनुसार बन्द कर दिया। उदयपुर विश्वविद्यालय ने इसको प्रारम्भ किया है। वहां वे समझते हैं कामयाब रहेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने यह कहा है कि क्वेश्चन पेपर बना लिये आपने…

श्री सुरेन्द्र व्यास : एकेडेमिक प्रश्न है इसलिये विस्तृत राय व्यक्त करने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष : एकेडेमिक प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मान लें, 500 क्वेश्चन बनाये और उनका जवाब बनाकर किताब छाप ली जाय और डिस्ट्रिब्यूट की जाय तो फिर क्या सरकार यह चाहेगी कि विश्वविद्यालय बन्द करके केवल क्वेश्चन पेपर और सोल्वड पेपर बाजार में निकालने की व्यवस्था की जाय ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह प्रश्न नहीं है। जो माननीय सदस्य ने शंका प्रकट की है वह निर्मूल है। पूरा सिलेबस कवर-अप करते है, पूरा कोर्स कवर-अप करते है। रेगुलर रूप से यह विश्वविद्यालय में होता है। यह आज की बात नहीं है, पहले भी बाजार में मिलते थे। यों तो आज गेस पेपर भी मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, दस दस सवाल में से पांच पांच सवाल आ जाते हैं, तो यह तो कोई मतलब नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब से विश्वविद्यालयों ने इसको प्रारम्भ किया तब से जो टेलेन्टेड छात्र हैं वे इससे पढ़ते हैं। वे एक कमरे में बन्द हो जाते हैं। कम्पलीट एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो फेल हो जाते हैं। हमारे यहां सनक सी हो गई इसलिये इस सिस्टम को प्रारम्भ किया। मैं आपसे पूछता हूं एम.एस.सी. गणित और बी.एस. सी. विषय के सवाल और जवाब लिख कर दे दिये उसके आधार पर क्या परीक्षा दे सकेंगे ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एकेडेमिक डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है। ऐकेडेमिक कौन्सिल बहुत बड़ी बाड़ी होती है। उन्होंने देख लिया है और उन्होने ही प्रारम्भ किया था। आज का डिसीजन नहीं है। गवर्नमेंट ऐकेडेमिक मैटर्स में किसी प्रकार का दखल नहीं करती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अन्य माननीय सदस्य को इजाजत देता हूँ। श्री जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐकेडेमिक उतना ही है जितना एडमिनिस्ट्रेटिव है। विश्वविद्यालयों में वाक आउट करते हैं इसलिये यह प्रणाली लागू की गई थी। अगर यह लागू करते हैं तो फिर तीनों विश्वविद्यालयों में लागू करें अन्यथा कालेज एज्यूकेशन में उदयपुर विश्वविद्यालयों का छात्र क्वेश्चन बैंक प्रणाली में लेक्चररशिप नहीं कर पायेगा और राजस्थान का छात्र लेक्चरर बन जायेगा। तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जब राजस्थान के अन्दर ऐकेडेमिक कौन्सिल ने निर्णय करके रिवर्स कर दिया तो क्या यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हैं ? यह ऐकेडेमिक इश्यू इतना नहीं है जितना एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है। वाक आउट करते हैं इसलिये लागू कर दिया। मंत्री महोदय, स्पष्ट करें कि यह किस प्रकार क्यों बन्द किया गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विश्वविद्यालयों की स्थिति तो आप जानते हैं...

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान यूनीवर्सिटी में लागू नहीं है और उदयपुर में लागू की गई है...

श्री अध्यक्ष : पाठ्यक्रम तो थोपा नहीं जा सकता है। ऐकेडेमिक कौन्सिल विचार करती है।

(15)



**श्री सी. पी. जोशी :** अध्यक्ष महोदय, यह होता तो मैं कुछ नहीं कहता। दोनों जगह ऐकेडेमिक कौन्सिल है, आप कहते हैं उसको तो मैं समझता हूं कि ऐकेडेमिक कौंसिल का निर्णय है लेकिन एक विश्वविद्यालय में लागू कर दें और दूसरे विश्वविद्यालय में लागू नहीं हों, यह छात्रों के साथ खिलवाड़ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि करना है तो सब जगह एक साथ लागू करें।

**श्री राजबहादुर (भरतपुर) :** क्या पालिसी डिसीजन गवर्नमेंट ने किया है...

(व्यवधान)

यह अध्यक्ष महोदय, फेल हो चुका है और यह क्वेश्चनेबल पालिसी डिसीजन से कन्सर्न रखता है। जब यह फेल हो चुका है तो क्या आप पालिसी के बारे में बात करेंगे या नहीं करेंगे ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया कि सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ लागू या बन्द किया जाय, उसे राज्य सरकार स्वीकार करती है कि तीनों युनिवर्सिटी की जो कोर्डिनेशन कमेटी है जिस में तीनों वाइस चान्सलर्स बैठते हैं, उसमें हम रखेंगे और इस पर कोई निर्णय करायेंगे।

**श्री अध्यक्ष :** अगला प्रश्न। श्री हंसराज शर्मा।

**तहसील बोंली में बाढ़ सहायता अन्तर्गत भूमि सुधार हेतु काश्तकारों को अनुदान**

682 **श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) :** क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बोंली में बाढ़ सहायता के अन्तर्गत भूमि सुधार हेतु काश्तकारों को कोई अनुदान की राशि सन् 1982 व 1983 में बांटी गई थी ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि यंत्र खरीदने हेतु भी अनुदान राशि काश्तकारों को देने का कोई आदेश दिया गया था यदि हां, तो यह राशि कितने ग्रामों में कितनी-कितनी बांटी गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिये गये थे ? यदि हां, तो कितने और क्यों ?

**राज्य मंत्री, अकाल एवं बाढ़ राहत (श्री चेतराम मीणा) :** (1) तहसील बोंली में वर्ष 1981 में आई बाढ़ से प्रभावित कृषकों के परिवार को....

**श्री अध्यक्ष :** बातें नहीं करें, माननीय सदस्य दोबारा पढ़िये, माननीय सदस्य।

**श्री चेतराम मीणा** (1) तहसील बोंली में वर्ष 1981 में आई बाढ़ से प्रभावित कृषकों के परिवारों को वर्ष 1982-83 में भूमि सुधार के लिए 2,06,694 रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई।

(2) जी हां, ग्रामवार जो राशि बांटी गई, जिसका विवरण अंकित कर तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) 190 प्रार्थना-पत्र खारिज किये गये इसका कारण मुख्य यह था कि ये

(श्री चेतराम मीणा)

प्रभावित परिवार कृषकों की उन श्रेणियों में नहीं आते थे जिन्हें अनुदान को पाने का पात्र माना गया था।

तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री हंसराज शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सहायता नियमों के अनुसार बाढ़ के अन्तर्गत जो पैसा काश्तकारों को दिया गया है तो वह 19 गांवों में ही क्यों दिया गया 21 गांवों के बाकी गांवों के काश्तकारों को क्यों उससे वंचित रखा गया ? जो टोटल 489 काश्तकारों को 250 रुपये प्रति काश्तकार के हिसाब से दिया गया है, उसमें से 50 प्रतिशत राशि केवल दो गांवों में दी गयी है और बाकी गांवों, जिन में नुकसान हुआ था, 2–3 परिवारों को किन आधारों पर दिया गया है ? क्या यह सही है कि रिजेक्ट कर दिया गया था 190 प्रार्थना पत्रों को उनमें यह लिखा कि इनकी जमीन खातेदारी में नहीं है, उसके बावजूद भी कई लोगों को सही करके पैसा दे दिया गया है और जहां अधिकारी ने नहीं लिखा उनको विधिवत् कैन्सिल कर दिया गया, क्या इस की जानकारी आपको है ? यदि हां तो इसके क्या कारण थे ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है सहायता देने के कुछ नियम निर्धारित किये गये हैं, उन नियमों के अन्तर्गत ही यह सहायता दी गयी थी। उसके साथ में जो 400 की संख्या दी गयी तो उसमें साफ लिखा हुआ है, सब्सिडी के प्रावधान में। मान लीजिए कुछ ऐसी एप्लीकेशन्स आयी जो मार्जिनल और लघु कृषकों की नहीं हों तो वह तो रिजेक्ट होंगी ही। जो एप्लीकेशन्स प्राप्त हुई हैं, वह कितनी एप्लीकेशन प्राप्त हुई, इतने विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। जो राशि आवंटित की गयी थी वह अलग अलग मदों की थी। फिर भी जिलाधीश ने कृषि यंत्रों के हिसाब से राशि कम थी तो दूसरे हैड से उसके लिए राशि बढा दी गयी। जितने आवेदन हमारे पास आये थे, उनको राशि दे दी गयी। अगर आपके पास कोई ऐसे केसेज हों, जो मैंने बतायी उस परिभाषा में आते हों और लोगों ने समय पर आवेदन किया हो तो आप उसकी जानकारी मुझे दें, मैं कार्यवाही करने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजाराम। 683–विधि मन्त्री जी।

### नोखा में एस. डी. एम. कोर्ट की मांग

683. श्री सूरजाराम टांक (नोखा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नोखा जिला बीकानेर में एस. डी. एम. कोर्ट (प्रथम श्रेणी न्यायालय) की स्थापना हेतु पिछले तीन वर्षों से मांग की जाती रही है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो सरकार का अब कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

(2) क्या उप खण्ड अधिकारी, न्यायालय (दक्षिण), बीकानेर को नोखा नगर में शिफ्ट करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

विधि मंत्री (श्री अहमद बख्श सिन्धी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध मेरे डिपार्टमेण्ट से नहीं है। यह प्रश्न राजस्व डिपार्टमेण्ट से सम्बन्ध रखता है। कृपया...

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री हेमा राम।

स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 684

श्री हेमाराम चौधरी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री चाव खां।

राजस्थान को-आपरेटिव हाऊसिंग फाइनेन्स सोसायटी, जयपुर द्वारा पर्यवेक्षकों के पद हेतु विज्ञापन

685. श्री चाव खां (कामां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान को-आपरेटिव हाऊसिंग फाइनेन्स सोसायटी, जयपुर में 15 माह पूर्व ऋण पर्यवेक्षकों के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला था ? यदि हां, तो कितने पद रिक्त हैं, और क्या उनकी पूर्ति कर ली गई है ?

(2) यदि हां, तो क्या वह पूर्ति लिखित परीक्षा या मौखिक साक्षात्कार लेकर की गई है ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन आदमियों को लिया गया है, वे चेयरमैन के क्षेत्र अजमेर जिले के ही रहने वाले हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): (1) जी हां, दि राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाऊसिंग फाइनेन्स सोसायटी ने अगस्त, 1981 में ऋण पर्यवेक्षकों के पदों पर नियमित भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला था ? उस समय 8 पद रिक्त थे। इन पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं।

(2) जी नहीं, तत्कालीन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं।

(3) जी नहीं, अजमेर जिले के केवल 5 ही व्यक्ति हैं।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो यह पद रिक्त थे तो क्या जो भी व्यक्ति वहां पर लगाये गये, उन व्यक्तियों ने अपनी दरख्वास्तें दीं, परीक्षायें दी ? क्या उन्हें नियमानुसार लिया गया ? दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति वहां पर लगाये गये, उनकी परीक्षा नहीं ली है। वह व्यक्ति उसी जिले के हैं जहां हमारे सोसायटी के अध्यक्ष हैं। यह बिल्कुल सत्य है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि यह एडहाक एपाइंटमैन्ट्स हैं। इसमें तो परीक्षाओं का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी में सन् 1979 से कुछ रिक्त पद बराबर चले आ रहे हैं और 1979 से एडहाक एपाइंटमैन्ट्स नियमित रूप से होते रहे हैं।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
उसके बाद एक विज्ञापन निकाला गया और परीक्षायें हुई। उसके बाद कुछ जगह तदर्थ हुई हैं और इस बारे में मेरे पास जानकारी अलग अलग तरीके से आयी। अब राज्य सरकार ने चयन समिति की प्रक्रिया की दृष्टि से, एक नयी समिति का गठन करने की दृष्टि से और चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार करने की दृष्टि से, उन्हें स्थगित किया। इसी दृष्टि से मैं उदाहरण दे दूं कि स्टेट कोआपरेटिव बैंक में कुछ लिखित परीक्षा अब राज्य सरकार ने कमेटी बना दी है और जो परीक्षायें हुई हैं, उनके परिणामों के अनुसार उसके बाद जो इन्टरव्यू हैं, वह चयन कमेटी करेगी, जो पहले गठन नहीं हुआ था और हम उसमें परिवर्तन करना चाहते थे इसलिए लिखित परीक्षा के बाद भी उनका परिणाम या आभास नहीं किया गया, इन्टरव्यू नहीं किये गये। दूसरी बात कही गयी कि आवेदन पत्र दिये गये या नहीं तो मेरे ख्याल से तो आवेदन-पत्र दिये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है कि उन्होंने आवेदन किया था या नहीं लेकिन मेरे खयाल से तो बिना आवेदन के एडहाक एपाइंटमेंट होते नहीं है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** माननीय अध्यक्ष महोदय····

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्नकर्ता।

**श्री चाव खां :** जैसा मन्त्री महोदय ने बताया, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि जब आप लोगों ने तारीखें नियुक्त कीं और उसमें लोगों ने फार्म भरे और फार्म भरने के बावजूद कई महीनों तक तारीख नहीं दी गयी, बाद में तारीख नियुक्त की तो परीक्षायें ली गई हैं और उसके बाद आज तक कोई रिजल्ट क्यों नहीं आये और वह बच्चे 28 साल से गुजर गये तो क्या उस बच्चे को लिया जायेगा।

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर :** जो परीक्षा हुई, उनको रद् नहीं किया गया है, चूंकि चयन कमेटी का गठन नहीं हुआ था और अब जो परीक्षायें हुई हैं उन्हीं के आधार पर इन्टरव्यू करेगी जो परीक्षाएं हुई हैं, वह बेकार नहीं हुई हैं, उनका परिणाम घोषित होगा।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, बैठ जायें। अगला प्रश्न पूछ लीजिए।

**श्री चाव खां :** जिन बच्चों ने परीक्षायें दीं, उन बच्चों का क्या हाल होगा, सरकार क्या करेगी ? जब कि कोई बच्चा 28 वर्ष से गुजर गया हो ? क्या सरकार इस प्रकार के बच्चों को नियुक्ति प्रदान करेगी ?

**श्री अध्यक्ष :** अगला प्रश्न। श्री अमरा-राम।

### लूणी नदी पर पुल का निर्माण

686. **श्री अमरा राम चौधरी** (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा एक औद्योगिक नगरी है तथा बालोतरा शहर और श्री बलदेव राम मिर्धा नगर के बीच लूणी नदी में पानी बहने से कई दिनों तक आवागमन बन्द हो जाता है ?

(2) क्या सरकार जनहित में बालोतरा के समीप लूणी नदी पर पुल का

(श्री अमराराम चौधरी)

निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) जी हां।

(2) वित्तीय साधनों के अभाव में अभी इस पुल को बनाये जाने की योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि महीनों पहले जो बाढ़ आयी थी....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूर्व में आ चुका है।

श्री अमराराम चौधरी : पूर्व में आ चुका है लेकिन सर्वे डिपार्टमेंट ने...

श्री अध्यक्ष : इधर देखिये। हमारे नियम है कि जो प्रश्न किसी भी रूप में एक दफा सदन में चर्चित हो जाय...

श्री अमराराम चौधरी : इसी सदन में नहीं...

श्री अध्यक्ष : वह भी नियमों में है। खैर, आप पूछ लीजिए एक दो प्रश्न।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या एक लाख रुपये इस पुल के सर्वे के लिए स्वीकृत किए हैं?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पिछले सत्र में भी निवेदन किया था कि इस पुल का सर्वे बालोतरा के पास नहीं होकर समदड़ी-बाड़मेर रोड पर हो रहा है, बाड़मेर के पास सर्वे नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि दो करोड़ की इन्कम बालोतरा से सरकार को होती है? बलदेवराम मिर्धा नगर और बाड़मेर के बीच में पुल नहीं होने की वजह से बरसात में आवागमन बन्द हो जाता है। क्या सरकार भविष्य में इसके लिए विचार करेगी? यदि करेगी, तो कब करेगी? हम दो करोड़ की इन्कम दे रहे हैं।

श्री चेतराम मीणा : कितनी इन्कम होती है यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इस अवसर पर मैं इतना निश्चित रूप से निवेदन कर सकता हूं कि लूणी नदी पर पक्की रपट बनी हुई है। इसलिए पहले इसका सर्वे नहीं करा कर समदड़ी-बालोतरा का सर्वे कराया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में अध्यक्षीय व्यवस्था पूर्व में हो चुकी है कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्थगित प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। 193, श्री महावीर प्रसाद।

स्थगित प्रश्न

( दिनांक 28 फरवरी, 1983 )

निगम व मण्डलों में नियुक्त अध्यक्षों व उनको प्राप्त सुविधायें

193. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) एवं श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में विभिन्न कम्पनियों, कारपोरेशन व बोर्ड्स में अध्यक्षों की नियुक्ति कब-कब किस-किस व्यक्ति की की गई है ? कृपया नियुक्ति की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कम्पनीज, कारपोरेशन एवं बोर्ड् स में अध्यक्षों को क्या क्या सुविधाएं दी हुई हैं और उन पर कितना कितना खर्चा किया जा रहा है ? कृपया वर्ष 1980-81, 1981-82 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन अध्यक्षों को राज्यमंत्री अथवा केबीनेट स्तर के मंत्री की सुविधा कब से दे रखी है ?

(4) क्या सरकार को इनमें से किन्हीं के द्वारा सुविधाओं के दुरुपयोग की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री राजकीय उपक्रम, (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) राजस्थान में विभिन्न कम्पनियों, कारपोरेशनों व बोर्ड् स में अध्यक्षों की नियुक्ति जब-जब, जिस-जिस व्यक्ति की की गई उसकी सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। नियुक्ति के आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त कम्पनीज, कारपोरेशन एवं बोर्डों के अध्यक्षों को देय सुविधाओं की सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। विभिन्न कम्पनीज, निगम, मण्डलों से प्राप्त वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में जो खर्चा किया गया उसका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान आवासन मण्डल में दिनांक 2-8-82 से श्री रामनारायण चौधरी को केबीनेट मंत्री स्तर की सुविधायें एवं राजस्थान खादी ग्रामोद्योग मण्डल में श्री गोकुलभाई भट्ट को दिनांक 27-8-77 से मंत्री स्तर की सुविधायें दी गई हैं।

(4) विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर सुविधाओं के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(आदेशों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जो निगम और बोर्डों के अध्यक्ष हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हैं, चाहे गैर सरकारी व्यक्ति हैं या जो विधायक हैं और अध्यक्ष हैं वे अपने मूल पद पर रहते हुए वहां भी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं और जिस डिपार्टमेंट के वे चेयरमैन हैं वहां पर भी वाहनों का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है ? इस प्रकार से वह वाहनों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि कम्पनीज एक्ट के प्रावधानों के होते हुए उनको अलग अलग प्रकार की सुविधायें दी हैं ? किसी को केबीनेट मंत्री स्तर, किसी को राज्य मंत्री स्तर और किसी को पार्

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

टाइम सुविधा दे रखी है ? सरकार की क्या नीति है अलग-अलग सुविधायें देने के संबन्ध में ? क्या उनके खर्चों पर राज्य सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपके नेता महोदय को भी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उस के भाग नम्बर एक में जो जानकारी चाही है वह यह है कि राजस्थान में विभिन्न कंपनियों, कारपोरेशन व बोर्ड्स में अध्यक्षों की नियुक्ति कब-कब, किस-किस व्यक्ति की की गई है ? कृपया नियुक्ति की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

अध्यक्ष महोदय, जब से इनकी नियुक्ति हुई है इस की मैंने पूरी सूचना दे दी है। निगमों में दो तरह के चेयरमैन हैं, किसी में सरकारी अधिकारी चेयरमैन हैं। तो किसी में गैर सरकारी व्यक्ति चेयरमैन हैं। जहां पर सरकारी अधिकारी चेयरमैन हैं उनको जो मूल वेतन आदि प्राप्त होता है वह विभाग से भी प्राप्त होता है और निगम से भी मूल वेतन प्राप्त होता है लेकिन एक जगह से ही प्राप्त होता है। जहां तक उनको सुविधायें देने का प्रश्न है, वह वहां के वाहनों का उपयोग करते है। माननीय सदस्य का वाहनों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में क्या प्रश्न है, मैं समझ नहीं पाया हूं। जो जिस प्रकार की सुविधा वाहनों की दी हुई है सरकारी अध्यक्ष की हैसियत से उनका उपयोग करते हैं और जो गैर सरकारी अध्यक्ष है गैर सरकारी अध्यक्ष का हैसियत से उपयोग कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है वह मैंने दे दी है। अब किसी स्पेसिफिक केस के बारे में माननीय सदस्य जानकारी चाहें तो मैं उसको पढ़ कर सुना दूं। मैंने पूरी सूचना दे दी है कि किसने कितना खर्चा किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने जो बोर्ड बनाए हैं उनमें जो अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, किसी को कैबीनेट मंत्री और किसी को राज्य मंत्री स्तर की सुविधा दी है तो यह फर्क किस आधार पर है ? इसका एडमिनिस्ट्रेटिव आधार क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वे अच्छी तरह से कार्य चला सके इसलिए उनकी योग्यता को देख कर नियुक्त करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कहीं पर राजनैतिक आधार पर नियुक्त किए हैं या क्या बात है ? मेरा निवेदन है कि वाहनों के उपयोग में जिस प्रकार का खर्चा आया है, आपने कई बोर्डों में अध्यक्ष बना रखे हैं उनके द्वारा एक लाख रुपया सालाना वाहनों पर खर्चा किया जा रहा है। इस प्रकार से एक-एक लाख रुपया खर्चा करने के बाद बोर्ड को क्या लाभ मिला है ? वाहनों का जिस प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है क्या उनके इस प्रकार के खर्चे पर कोई नियन्त्रण राज्य सरकार का है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक लाख का खर्चा किसने किया है, माननीय सदस्य जरा बतायें ? मेरी जानकारी के अनुसार किसी चैयरमैन ने एक लाख का खर्चा नहीं किया है मैंने आपको सब की सूची दे दी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : टोटल खर्चा एक करोड़ का है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम में 1,07,844.71 रुपये सन 1980-81 में सरकारी अध्यक्ष पर खर्च हुए हैं और 1981-82 में 37,714.40 रुपये खर्च हुए हैं और गैर सरकारी अध्यक्ष ने वर्ष 1981-82 के छः महीनों में ही 37,519.99 रुपये खर्च किए हैं इसका मतलब है कि एक वर्ष का खर्चा लगभग 75 हजार रुपया होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह भी सही नहीं है। वर्ष 1980-81 में सरकारी अध्यक्ष का वाहन का खर्चा है 30799.97 रुपये और गैर सरकारी अध्यक्ष का खर्चा है 27,578.99 रुपये इसी प्रकार से वर्ष 1981-82 का जोड़ लगाकर देखें सभी सुविधाओं का तो सरकारी अध्यक्ष का खर्चा है 37,714.40 रुपये और गैर सरकारी अध्यक्ष का है 37,519.99 रुपये ! तो यह कहां सही है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री महावीर प्रसाद जैन: जो वर्ष 1981-82 में गैर सरकारी अध्यक्ष रहे हैं वे मात्र छः महीने रहे हैं और इन छः महीनों में ही उन्होंने वाहनों पर 27,578.99 रुपये खर्च कर दिए हैं जब कि सरकारी अध्यक्ष ने 1981 में वर्ष भर में 30799 रुपये खर्च किए हैं। इस प्रकार से वाहनों का जो दुरुपयोग हुआ है वह केवल इसलिए हुआ है कि सरकारी वाहनों को चुनाव में काम में लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दीजिए पहले।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से खर्च हुए हैं उनका पूरा विवरण मैंने आपको दे दिया है। राज्य कृषि उद्योग निगम में वाहन के ऊपर 30,799 रुपये सरकारी अध्यक्ष महोदय ने खर्च किए हैं जनता पार्टी के समय में जो गैर सरकारी अध्यक्ष अपाइन्ट हुए थे उन्होंने तीन महीने में 8761.78 रुपये खर्च किए थे और वर्तमान गैर सरकारी अध्यक्ष ने नौ महिने में 27578.99 रुपये खर्च किए हैं। यह कहां ज्यादा खर्चा हुआ हैं मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : पेट्रोल वगैरह, मोटर की मरम्मत और पार्ट्स सभी शामिल होंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : गाड़ी की मरम्मत भी इसमें शामिल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : टोटल खर्चा किस-किस हैड में कितना-कितना हुआ है..

श्री अध्यक्ष : मैंने नाथूसिंह जी का नाम पुकारा है। आप बहुत दिनों से उपस्थित हुए हैं सदन में।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक जो गैर सरकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं यह बिल्कुल पालीटिकल करप्शन हैं जो यह पालिटिकल करप्शन होने की राय एडवोकेट जनरल ने आपको दी है। क्या यह सही है कि इस तरह की राय एडवो

(श्री नाथूसिंह)
ने दी थी और उस राय के मुताबिक आपने इलेक्शन कमीशन से राय मांगी थी ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है । यह कानूनी प्रश्न है जिस पर विधान सभा में विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जो पालिटिकल करप्शन की बात कह रहे हैं मैं इसको कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं । जनता पार्टी के राज में भी पूर्व में यह परम्परा रही है कि जो योग्य व्यक्ति पब्लिक लाइफ में हैं उनके अनुभवों का लाभ उठाया जावे ।

श्री अध्यक्ष : यह परम्परा रही है कि योग्य व्यक्तियों के अनुभव का लाभ उठाया जाय ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कानूनी मुद्दा उठाया है । यह मेटर रेफर हुआ था इलेक्शन कमीशन को । इलेक्शन कमीशन ने उसके अन्दर कोई गलती नहीं पाई है और बिलकुल वैध पाया है ।

श्री नाथू सिंह: इस प्रकार अध्यक्षों की नियुक्ति करने के पश्चात् कई बोर्ड और कम्पनीज घाटे में गये या फायदे में गये ?

श्री अध्यक्ष: अलग प्रश्न, माननीय सदस्य, घाटे में गये यह इस मूल प्रश्न में पूछ लेते तो उत्तर दे देते । अब ये नहीं, कह सकते हैं । कारण बता देते, घाटा नफा कई कारणों से होता है ।

श्री नाथू सिंह: मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं बोर्ड के डायरेक्टर किस अधिकार से व्यर्थ खर्चा कर रहे हैं, बिना अधिकार के यात्रा भत्ता ले रहे है, गाड़ियों का खर्चा कर रहे हैं । दूसरे आफिसर्स उसमें लगे हुए हैं · ·

श्री अध्यक्ष: यह कानूनी प्रश्न है इसको अन्य किसी तरीके से उठा सकते हैं प्रश्नकर्ता ।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैं प्रश्नकर्ता हूं मुझे अवसर नहीं दे रहे हैं । मुझे अवसर दीजिये । ये अध्यक्ष जब नियुक्त किये गये उनके बाद सीधा बांध दी पेट्रोल के खर्च की, टेलीफोन के खर्च की आप कहते है, इनके बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई सभी गैर सरकारी अध्यक्षों ने अधिक खर्चा किया है, क्या मंत्री महोदय रिकवरी करेंगे ? यदि नहीं करेंगे तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष: श्री हरि सिंह । आर्डर । माननीय सदस्य, समय अधिक हो गया । समय समाप्त हो रहा है । दो स्थगित प्रश्न और हैं ।

डा. श्री हरि सिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण पालिसी का प्रश्न मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष: इसीलिये मैंने आपको इजाजत दी है ।

डा. श्री हरि सिंह: इस सदन में कभी तो यह चर्चा चलती है कि सरकारी नौकर हावी हो रहे हैं आज प्रश्न यह है कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन में पीपुल्स पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट करती है तो सदस्य इसको क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को अपनी साफ

(डा. हरिसिंह)
पालिसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जितने भी निगम और संस्थाएं हैं उनके बारे में पीपुल्स पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन में महत्वपूर्ण आदमियों को, योग्य आदमियों को लेना पड़ेगा। सरकारी नौकरों से काम नहीं करवा कर अन्य किसी को लेना पड़ेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा: उनमें तकनीकी ज्ञान वाला और जोड़ दीजिये।

डॉ. श्री हरि सिंह: खास बात यह है एक तरफ माननीय सदस्य हर बात पर इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि जितने सरकारी नौकर काम कर रहे हैं वह भ्रष्ट हैं दूसरी तरफ पब्लिक का पार्टिशिपेशन होता है तो उसकी भी माननीय सदस्य खिलाफत करते हैं। सदन को, गवर्नमेंट को पालिसी साफ करनी पड़ेगी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या पालिसी है?

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में क्या पालिसी है?

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक पालिसी तो साफ हो गई प्रश्नकर्ता का काम पूरा हो गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण नीति संबंधी प्रश्न माननीय सदस्य, डाक्टर हरिसिंहजी ने पूछा है। जहां तक सरकारी नीति का सवाल है सरकार एक समन्वित नीति के आधार पर चलना चाहती है। जहां हम को गैर सरकारी योग्य अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध हैं, हम उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। जहां पर तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से योग्य अधिकारी हमको उपलब्ध हैं वहां हम दोनों की सेवाओं का लाभ उठाकर राज्य सरकार के काम को चलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया। स्थगित प्रश्न दो और हैं। माननीय सदस्य; कृपया, मैंने बहुत समय दे दिया। 15 मिनट का समय लग गया। कृपया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर दें। आप हरिसिंह जी को चैलेंज कर रहे हैं, योग्य समझ ना समझ। मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। कृपया बैठ जायं आसन पैरों पर है। अगला प्रश्न।

श्री महेन्द्र कुमार (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया है। उसको स्थगित करने की कृपा करें। 707 को....

श्री अध्यक्ष - कौनसा प्रश्न है?

श्री महेन्द्र कुमार : 707।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मेरे लिये सम्भव नहीं होगा, वर्तमान में। आप अलग से मुझसे मिलें, मैं उसमें व्यवस्था कुछ कर दूंगा।

श्री महेन्द्र कुमार : यह बड़ा भारी घोटाले का प्रश्न है, आप इसको स्थगित करा दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप अलग से मुझसे मिलें मुझे समझाने की कोशिश करें, मैं सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगा। अगला प्रश्न। श्री भैंरूसिंह गुर्जर।

स्थगित प्रश्न संख्या-512

(दिनांक 15 मार्च, 1983)

श्री भैंरू सिंह गुर्जर। (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरिसिंह, विभाजन संख्या 193.

( दिनांक 15 मार्च, 1983 )

**मिलावट रोकने सम्बन्धी कानून की खिलाफवर्जी के मुकदमें**

524. श्री हरिसिंह ( कुम्हेर ) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में मिलावट रोकने संबंधी कानून की खिलाफवर्जी के कितने मुकदमें एक वर्ष से अधिक अवधि से न्यायालयों में लम्बित हैं ? इन मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, मुझे अनुमति दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : निर्वाचन क्षेत्र का प्रश्न था, आप स्वयं प्रश्न पूछतीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने पूछा लेकिन मुझे आपने अवसर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इस सड़क को बनाने में। इस पर डामर वैसे ही डाल कर बना दी गई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या, कृपया, भाषण नहीं होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसलिये भैंरूसिंह गुर्जर को यहां से हटाया गया, उनको चेयरमैन बनाने के लिये अवसर देने के लिये रिश्वत देने की बात की गई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विधि मंत्री जी।

विधी एवं न्याय मंत्री (श्री अहमद बख्श सिंधी) : राजस्थान में मिलावट रोकने संबंधी कानून की खिलाफवर्जी के कुल 2453 मुकदमें एक वर्ष की अवधि के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। लम्बित मुकदमों के निपटारे के लिये राजस्थान उच्च न्यायालयों द्वारा समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिये गये हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 2453 मुकदमें आपने बताये हैं, मिलावट के इनमें से खाद्य पदार्थों में मिलावट के मुकदमें कितने हैं तथा अखाद्य पदार्थों में मिलावट के मुकदमें कितने हैं ? नम्बर एक–1 नम्बर–2, जो आपने बताया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर दी हैं राजस्थान हाईकोर्ट ने, वह पावर्स तो एक साल पहले से ही दी हुई हैं। आपके यहां एक साल से अधिक की अवधि के 2453

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)
मुकदमे पैंडिग हैं मिलावट जैसे कानून में, उनके शीघ्र निपटारे के लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न किया है कि मिलावट रोकने सम्बन्धी कानून की खिलाफवर्जी के मुकदमों की तादाद पूछी है, वह मैंने बता दी । आपने यह नहीं पूछा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के कितने मुकदमे हैं और दूसरे कितने मुकदमें हैं । वह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, इस वक्त ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह तो रेलेवेन्ट सप्लीमेण्टरी है, आप अगर यह जानकारी भी नहीं लाये, खाद्य पदार्थों में मिलावट के कितने मुकदमे हैं और अखाद्य पदार्थों में मिलावट के कितने मुकदमे हैं और अखाद्य पदार्थों में मिलावट के कितने हैं तो क्या जानकारी दे रहे हैं सदन को, एक बात ।

दूसरा, मैंने पूछा था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक साल पहले से पावर दे रखी है उसके बावजूद इतने मुकदमे पैंडिग हैं इसके लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत कोशिश की, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो प्रद्युम्न सिंहजी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की राय हमारे पास आ गई है उसकी कापी यहां रखवा दी जाये । इतना मैं चाहता हू ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह अडल्ट्रेशन अधिनियम सम्पूर्ण राजस्थान में लागू है या कुछ जिलों में लागू है ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : दुबारा कहिये ।

श्री नन्दलाल मीणा : खाद्य पदार्थों में मिलावट का कानून सम्पूर्ण राजस्थान में लागू है या कुछ जिलों में लागू हैं ?

श्री अध्यक्ष : अडल्ट्रेशन आफ फूड एक्ट सभी जगह लागू है या कुछ क्षेत्रों में लागू है, यह पूछ रहे हैं ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : पूरे राजस्थान में लागू है ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सरासर असत्य है ।

श्री अध्यक्ष : सारे राजस्थान में तो लागू है लेकिन...

श्री नन्दलाल मीणा : नहीं, राजस्थान में लागू नहीं है, अध्यक्ष महोदय, केवल पांच जिलों में लागू है । गये विधान सभा सत्र में मेरा सवाल था, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं । कुछ म्यूनिसिपल कस्बों को छोड़ कर सारे राजस्थान में लागू है । कुछ ऐसी जगहों पर लागू नहीं है, यह पहले आ चुका है प्रश्न यहां पर...

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय गलत बयानी कर रहे हैं सदन में...

श्री अध्यक्ष : यह पूरक प्रश्न है.

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 709, इसको स्थगित करायें। डेढ़ करोड़ का सरकार का खर्चा हो गया, किसानों से संबंधित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा यह निवेदन है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में माननीय सदस्यों को यदि बात करनी हो तो कृपया मुझे चेम्बर में मिलें। तत्काल तब प्रश्नों का अध्ययन करूं, दुबारा व्यवस्था दूं इतना समय यहां रहता नहीं है, इसलिये कृपया यदि आपको तकलीफ हो किसी प्रश्न के बारे में, किसी उत्तर के बारे में तो अलग से मिलें। नियमों के अन्दर ऐसा प्रावधान है कि इस तरह के प्रश्नों को अन्य तरीके से उठाया जा सकता है।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### श्री गंगानगर जिले में देशी व विदेशी मदिरा की दुकान

676. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वित्तीय वर्ष 1982-83 में श्री गंगानगर जिले में देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें गंगानगर शुगर मिल चला रही है?

(2) यदि हां, तो कृपया दुकानों की संख्या, मय नाम दुकान, सदन की मेज पर रखें।

(3) गंगानगर शुगर मिल्स एवं देशी/विदेशी मदिरा यूनिट श्री गंगानगर में वित्तीय वर्ष 1982-83 में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल्स की दुकानों पर मदिरा विक्रय हेतु सेल्समैन/हैल्पर रखे गये हैं?

(5) क्या यह शिकायत आई है कि ये सेल्समैन/हैल्पर श्री गंगानगर शुगर मिल्स व देशी/विदेशी मदिरा यूनिट श्री गंगानगर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र भाई, भतीजे या सम्बन्धी हैं। कृपया सेल्समैन/हैल्पर के नाम, पिता का नाम मय पद के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार इस मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा गंगानगर जिले में देशी मदिरा की 155 दुकानें एवं विदेशी मदिरा की 23 दुकानें चलाई गईं जिनमें से 36 देशी मदिरा की दुकानें बन्द कर दी गई हैं। दुकानों की सूची तालिका "अ" व "ब" पर दी गई हैं।

(3) वांछित सूचना तालिका "स" पर संलग्न है।

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। विभिन्न दुकानों पर कार्यरत सेल्समैन/हैल्पर की सूची तालिका "द" पर दी गई है।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(तालिकाओं के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

प्राथमिक विद्यालय, सिणधरी

664. श्री हेमाराम चौधरी : (गुढामालानी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के शिक्षा ग्रुप–1 विभाग की स्वीकृति दिनांक 25-8-1981 द्वारा बाड़मेर जिले के क्रम संख्या 6 पर डांगरीया, पंचायत समिति सिणधरी में सत्र 1981-82 में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति सिणधरी ने डांगरिया के स्थान पर डांगेवा की संशोधित स्वीकृति के लिये राज्य सरकार को लिखा एवं यह भी लिखा कि पंचायत समिति सिणधरी में डांगेवा ग्राम प्राथमिक विद्यालय रहित है ? यदि हां, तो संशोधित आदेश जारी नही होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम डांगेवा में प्राथमिक पाठशाला शुरू कर दी गई एवं पाठशाला के लिये भवन भी एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत बनाया जा चुका है तथा 60-70 विद्यार्थी आने लग गये थे ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक एफ. 13 (6) शिक्षा 1/81 जयपुर दिनांक 26 जुलाई, 1982 के द्वारा उक्त विद्यालय की स्वीकृति निरस्त कर दी एवं उक्त निरस्ती आदेश की पालना में उक्त विद्यालय के बन्द किये जाने पर वहां की स्थानीय जनता ने जन आन्दोलन की चेतावनी दी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिस्थितियों को देखते हुए जनहित में उक्त निरस्ती आदेश को वापिस लेने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार को पंचायत समिति का ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(3) जी हां। ग्राम डांगेवा, पंचायत समिति सिणधरी में विकास अधिकारी ने बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के अनियमित विद्यालय प्रारम्भ किया है।

(4) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 13 (6) शिक्षा 1/81 प्रव जयपुर, दिनांक 26 जुलाई, 1982 द्वारा डांगरिया, पंचायत समिति सिणधरी में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने की जो स्वीकृति पूर्व में दी गई वह निरस्त कर दी गई क्योंकि पंचायत समिति सिणधरी में डांगरिया नाम का कोई गांव नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19 मार्च, 1983)

एशियाई खेलों के संदर्भ में

जमुव रामगढ़ सड़क का निर्माण

512. भंवर सिंह गुर्जर (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) नवम्बर 1982 में एशियाई खेलों के आयोजन के संदर्भ में जयपुर से जमुवा-रामगढ़ तक सड़क निर्माण हेतु कितनी वित्तीय स्वीकृति दी गई एवं कब दी गई ?

(2) जयपुर-जमुवारामगढ़ सड़क का कितना-2 कार्य ठेकेदार व विभागीय तौर पर करवाया गया ?

(3) ठेकेदार व विभाग द्वारा पृथक्-पृथक् सड़क निर्माण पर कितना-कितना खर्च हुआ ? कृपया पृथक्-पृथक् आंकड़े सदन की मेज पर रखें ?

(4) इस सड़क पर किस-किस कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता एवं वृत अभियन्ता की देखरेख रही ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। ये अभियन्ता सड़क निर्माण काल में कितने अर्से तक जयपुर में रहे ?

(5) इस सड़क की निर्माण अवधि में मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया ?

(6) क्या यह सही है कि सड़क निर्माण में गबन, अनियमितताओं एवं घोटालों की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जयपुर से जमुवारामगढ़ सड़क सुधार हेतु 40.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 21-7-82 को प्रदान की गई।

(2) इस सड़क पर 13 कि. मी. लम्बाई ठेकेदार द्वारा तथा 11 कि. मी. लम्बाई का कार्य विभागीय तौर पर कराया गया।

(3) अभी तक इस सड़क के निर्माण पर ठेकेदार द्वारा 30.99 लाख रुपये तथा विभाग द्वारा 21.20 लाख रुपये का व्यय किये गये हैं।

(4) इस सड़क पर निम्नलिखित अभियन्ताओं की देखरेख रही:–

1–श्री एस. के मुकर्जी–अधीक्षण अभियन्ता।

2–श्री ए. एच. अब्बासी–अधिशाषी अभियन्ता।

3–श्री ओ. पी. जौहरी–सहायक अभियन्ता।

4–श्री वी. एस. जैन–कनिष्ठ अभियंता।

5–श्री ताराचन्द अग्रवाल–कनिष्ठ अभियन्ता।

6–श्री सीताराम शर्मा–कनिष्ठ अभियंता

7–श्री आर.एन. माथुर–उप अभियन्ता

सड़क निर्माण काल में ये अभियन्ता

(राज्य मंत्री, सार्वजनिक नि. वि.)
दौरों के दिनों के अलावा अपने पद स्थापित स्थानों पर रहे।

(5) मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा किये गये निरीक्षण की तिथियों का विवरण (प्रपत्र "क") सदन के पटल रख दिया गया है।

(6) प्राप्त शिकायतों पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जांच करवाई जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर निर्माण में प्रदत्त ठके

840. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) –क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स ओम मेटल्स (ओम मेटल्स एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. ओम ट्रेडिंग कार्पोरेशन, श्याम कोटेज इण्डस्ट्रीज, ओम कोठारी उद्योग एवं एग्रो इण्डस्ट्रीज) कोटा ने राजस्थान नहर निर्माण में ठेके लिये थे ? यदि हां, तो कब-कब क्या क्या कार्य लिया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस फर्म ने ठेके पर लिये कार्यों को अधूरा ही छोड़ दिया और अब उससे विवाद चल रहे हैं ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मैसर्स श्याम कोटेज इण्डस्ट्रीज कोटा ने वर्ष 1959 में निम्न कार्यों के ठेके लिये थे:—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) आर. डी. | 1378 | अनूपगढ़ शाखा पर | 8 नं. एम. एस. गेट का | निर्माण एवं प्रदाय |
| (2) आर. डी. | 195 | ,, | 6 नं. | ,, |
| (3) आर. डी. | 237050 | ,, | 5 नं. | ,, |
| (4) आर. डी. | 281 | ,, | 5 नं. | ,, |
| (5) आर. डी. | 321 | ,, | 5 नं. | ,, |
| (6) आर. डी. | 365 | ,, | 4 नं. | ,, |

(2) मैसर्स श्याम कोटेज इण्डस्ट्रीज कोटा द्वारा उपरोक्त गेट्स से संबंधित जो कार्य किया गया था वे निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं थे व गेट्स में कुछ सामान कम प्राप्त हुआ था। मैसर्स श्याम कोटेज इण्डस्ट्रीज कोटा की तरफ से श्री आर. के. लखनपाल अभिभाषक ने दिनांक 5-12-76 को 80 सी. पी. सी. नोटिस दिया था जिसे अनुबन्ध में पंच फैसला किए जाने की कोई शर्त नहीं होने तथा नोटिस देहिन्दा का क्लेम भी टाइमबार्ड हो जाने के कारण उपेक्षित कर दिया गया था।

राजस्थान नहर क्षेत्र में चूरू जिले के व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

841. श्री जयदेव प्रशाद इंदोरिया (रतनगढ़)--क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि भूमि हेतु चूरू जिले के कितने लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये ?

(2) क्या आवेदन-कर्ताओं को भू आवंटन कर दिया गया ? यदि हां, तो कितनों को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष लोगों को भी भूमि देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या जिन लोगों को भूमि दी जानी अंकित है उनकी निशान देही व कब्जा करवा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र से कृषि भूमि आवंटन करवाने के लिए चूरू जिले के कुल 17445 व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं।

(2) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में चूरू जिले के कुल 7723 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है। सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

तहसीलवार सूची

| क.सं. | नाम उपनिवेशन तहसील | आवंटितियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | छत्तरगढ़ नं. 1 | 2003 |
| 2. | छत्तरगढ़ नं. 2 | 2884 |
| 3. | पूगल | 2570 |
| 4. | लूणकरणसर | 266 |
| | योग | 7723 |

(3) जी हां। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में द्वितीय चरण में शेष रहे पात्र घोषित व्यक्तियों को प्राथमिकता के अनुसार भूमि का आवंटन किया जा सकेगा।

(4) जी हां। चूरू जिले में 5937 व्यक्तियों को भूमि का कब्जा एवं निशान-देही दी जा चुकी है।

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा

843. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या कालेज शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1981 में आयोजित की गई द्वितीय वर्ष कला की अंकतालिका अभी तक कई परीक्षार्थियों को नहीं भेजी गई है ? यदि हां, तो कितने परीक्षार्थियों को नहीं भेजी गई ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अंकतालिका के अभाव में द्वितीय वर्ष 1981 में सम्मिलित परीक्षार्थियों में से श्रीमती बबली देवी सनाढ्य आत्मजा श्री रामलाल सनाढ्य एनरोलमेन्ट संख्या 74/25337 को तृतीय वर्ष कला परीक्षा 1982 में रोल नम्बर 78132 के तहत सम्मिलित किये जाने की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा दी गई और परीक्षार्थी उक्त परीक्षा में शामिल हुई ? यदि हां, तो परीक्षार्थी की द्वितीय वर्ष कला की अंक तालिका व केन्द्र पर उपस्थिति पंजिका एवं परमीशन लेटर की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री मेघराज तावड़)

(3) विश्वविद्यालय द्वारा किन कारणों से दिनांक 29-6-82 के पत्र द्वारा उनका फार्म रद्द किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय द्वारा माह मई 1982 में आयोजित अन्तिम वर्ष कला की परीक्षा की अंकतालिका सुभाष भार्गव के नाम से जारी की गई थी जिसके एनरोलमेन्ट नं. 74/25337 एवं रोल नम्बर 78132 है जो श्रीमती बबली देवी सनाढ्य के हैं ? यदि हां, तो अंकतालिका की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। 80 विद्यार्थियों की अंकतालिकायें विश्वविद्यालय द्वारा रोकी गई जिनमें परीक्षा आवेदन-पत्र में कमियां पाई गई जैसे वांछित शुल्क जमा न कराना, योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका प्रस्तुत न करना तथा नामांकन सम्बन्धी कार्यवाही पूरी न करना आदि।

(2) यह छात्रा अस्थाई तौर पर 1982 की तृतीय वर्ष की परीक्षा में बैठी क्योंकि उस वर्ष विश्वविद्यालय में हड़ताल होने के कारण आवेदन-पत्रों की जांच के बिना ही रोल लिस्ट बनानी पड़ी। द्वितीय वर्ष की अंकतालिका की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। उपस्थिति पंजिका सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र पर हैं।

(3) परीक्षा समाप्त होने के बाद तृतीय वर्ष कला परीक्षा 82 के आवेदन-पत्र जारी हुये एवं श्रीमती बबली को द्वितीय वर्ष कला परीक्षा 1981 की अंकतालिका में अनुक्रमांक 48886 पर अनुत्तीर्ण पाया गया। अतः उनका परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा पत्र दिनांक 26-6-82 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

(4) जी हां। कम्प्यूटर की गलती के कारण सुभाष भार्गव के नाम से रोल नम्बर 78132 के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष की अंकतालिका जारी की गई। वस्तुस्थिति यह है कि विश्वविद्यालय कार्यालय कम्प्यूटर को यह सूचित किया गया था कि रोल नम्बर 78132 को अन-अलाटेड रोल नम्बर कर दिया जावे क्योंकि इनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है किन्तु कम्प्यूटर ने ऐसा न करके इस रोल नम्बर पर सुभाष भार्गव अंकित कर दिया अतः अंकतालिका सुभाष भार्गव के नाम बन गई।

(अंकतालिका की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

**रामगंज मंडी से जुल्मी तक की सड़क में खाली नालों पर पुलियायें**

844. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में रामगंज मण्डी से जुल्मी तक की सड़क में खाली नालों पर पुलियाएं नहीं बनाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या अन्य पुलियाओं के अभाव में वर्षा में यह मार्ग रुक जाता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क पर पुलियाओं का निर्माण कब तक करा देगी ?

उत्तर

(1) एवं (2) जी हां। धनाभाव के कारण अभी पुलियायें बनाये जाने

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। वर्षा ऋतु में इस मार्ग पर कुछ असुविधा होती है।

**सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण**

845. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र के डाकू समस्या ग्रस्त अनु. जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के सरमथुरा वाया चन्देली, पुरा वाया मडरायल वाया रोधई वाया टोडा-सिमला, कसेर वाया करनपुर, महाराज पुरा, कागरदा-वाया वारेल सड़क लम्बाई 150 कि. मी. तथा मडरायल से वाया भोड 20 कि. मी. सडकों का विकास व आवागमन हेतु निर्माण कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों को शीघ्र बनाने हेतु इनकी सर्वे 2½ साल पूर्व डकैत एरिया के नाम से कराई गई थी और केन्द्र से इसकी स्वीकृति भी आ गई बताई ? यदि हां, तो कृपया वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य के वित्तीय साधनों के अभाव में अभी इस सड़क को बनाये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं।

(2) जी नहीं।

**गनेशगंज से मांगरोल सड़क पर मालबमोरी गांव में सड़क के दोनों ओर नालियों का निर्माण**

846. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गणेशगंज से मांगरोल सड़क पर मालबमोरी नामक ग्राम में सड़क के दोनों ओर पक्की नालियां बनाने का प्रावधान था ? यदि हां, तो उक्त नालियों को अधूरा छोड देने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि गांव वालों के बार-बार निवेदन करने तथा सरकार के बार-बार आश्वासन देने के बावजूद भी उक्त नालियों को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए अब उक्त नालियों को शीघ्र बनाने की व्यवस्था करेगी ?

**उत्तर**

(1) (2) एवं (3)

जी नहीं। कोई प्रावधान नहीं था परन्तु जनहित एवं सड़क सुरक्षा हेतु सड़क के दोनों ओर 225 मीटर लम्बाई में पक्की नाली तथा एक ओर 150 मीटर लम्बाई में कच्ची नाली का निर्माण किया जा चुका है।

**बीकानेर शहर व ग्रामीण अंचलों में सड़कों की मरम्मत**

847. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)— क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार द्वारा बीकानेर शहर व ग्रामीण अंचल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की

(श्री विरेन्द्र प्रतापसिंह)
सड़कों की मरम्मत व जीर्णोद्धार हेतु आवन्टित 45 लाख रुपये किन सड़कों पर व्यय किये गये हैं ? कृपया ऐसे सड़क मार्गों के नाम व कितनी-कितनी राशि व्यय की गई, सड़कवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फरवरी, 1983 तक 42.58 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

सूची (प्रपत्र "क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

( सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें )

हस्तेड़ा से बधाल सड़क का निर्माण

848. श्री तेजपाल यादव (चौमू)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1980-81 में हस्तेड़ा ग्राम तहसील-आमेर से बधाल वाया आण्टी अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कच्ची सड़क बनाई गई थी ?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क को पक्का बनाने का विचार रखती है ? यदि हां तो इस सड़क को कब तक पक्का करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत केवल 3.75 कि.मी. लम्बाई में मिट्टी का कार्य किया गया था तथा एक किलो मीटर ग्रेवल सड़क बनाई गई थी।

(2) जी नहीं।

पंचायत समिति पीपलखूंट में सड़क निर्माण

849. श्री बहादुरसिंह (दानपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले के सबसे पिछड़े सीमावर्ती क्षेत्र दानपुर, पंचायत समिति पीपलखूंट में क्या कोई सड़क निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्या कार्य प्रस्तावित है ?

(2) राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों में पंचायत हैड-क्वार्टर्स को पंचायत समिति हैडक्वार्टर से जोड़ने की योजना के तहत कितने निर्माण कार्य उक्त पंचायत समिति में चल रहे हैं अथवा प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। एक सुधार कार्य बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ रोड पर चल रहा है तथा एक सड़क कार्य पीपल खूंट से डूंगलवानी स्वीकृत किया जा चुका है।

(2) राज्य सरकार की ऐसी कोई अलग से योजना नहीं है अतः वांछित सूचना का प्रश्न नहीं उठता है।

तहसील कुम्हेर के अमोरी मार्ग का निर्माण

850. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) —क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सब-तहसील कुम्हेर भरतपुर जिले में अमोरी मार्ग निर्माणाधीन

(३५)



( श्री हरिसिंह कुम्हेर )

है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब प्रारम्भ हुआ तथा निर्माण कब पूरा होना था ? समयावधि में इस मार्ग का निर्माण पूरा नहीं होने का क्या कारण है ? अब कब तक निर्माण पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । निर्माण कार्य जनवरी, 1980 में प्रारम्भ हुआ तथा इसे अप्रेल, 1981 तक पूरा किया जाना था । समयावधि में ठेकेदार की ढिलाई के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका तथा अब इस कार्य को अप्रेल, 83 तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ।

सुनेल से पाटन सड़क निर्माण

851. श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)– क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सुनेल से पाटन सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कब से ? अब यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । अक्टूबर, 1977 के बाद से कोई कार्य नहीं हुआ है । इस सड़क को पूरी लम्बाई में बनाए जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

हिण्डौन के विभिन्न ग्रामों का विद्युतीकरण

852. श्री भरोसी ( हिण्डौन ) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) अधिशासी अभियन्ता हिन्डौन के तहत में कुल कितने ग्राम विद्युतीकरण की योजना में लिये गये हैं ? सूची मय गांव के नाम सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त ग्रामों में से अब तक किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा बचे हुए गांवों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) अधिशासी अभियन्ता, हिण्डौन के अधीनस्थ इस समय 5 विभिन्न श्रेणी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत 138 ग्राम आते हैं । ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में लिये गये ग्रामों में से माह फरवरी, 1983 तक 28 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और 7 ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है जो इस माह के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में मण्डल के संसाधनों एवं विद्युत की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना सम्भव होगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

तहसील सांगोद के ग्रामों का विद्युतीकरण

853. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सांगोद तहसील में इस वर्ष कितने गांवों को विद्युतीकृत करने की योजना थी ? उनमें से 31 जनवरी सन् 1983 तक कितने गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया ? इस

(श्री दाऊदयाल जोशी)
वर्ष इस क्षेत्र के गांवों को विद्युतीकृत करने पर कितनी राशि स्वीकृत हुई थी व 31 जनवरी सन 1983 तक कितना व्यय हो चुका ?

उत्तर

सांगोद तहसील में इस वर्ष 17 गांवों के विद्युतीकरण करने की योजना थी, उनमें से 31 जनवरी, 1983 तक 5 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष इस क्षेत्र के गांवों के विद्युतीकरण हेतु अनुमानित राशि 9.80 लाख थी, जिसमें से संकलित लेखों के अनुसार 31 जनवरी, 1983 तक 3,27,086.17 रुपये का व्यय हो चुका है।

बढ़िया शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित स्कूल

854. श्री माला राम (खेतड़ी) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में राज्य में बढ़िया शिक्षा संकल्प के अन्तर्गत कुछ स्कूलों का चयन किया गया था ? यदि हां, तो ये स्कूलें कितनी थीं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संकल्प में किस किस मद पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? कृपया मदवार खर्च राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1981-82 में बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत चयनित स्कूलों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। सन् 1982-83 में यह योजना लागू नहीं की गई।

(2) बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत मदवार निम्न प्रकार से राशि व्यय की गई है :—

| मद | राशि (लाखों में) |
|---|---|
| 1 फर्नीचर/टाट पट्टी | 52–74 |
| 2 शिक्षण सामग्री | 26–09 |
| 3 पुस्तकालय | 52–70 |
| 4 भवन सुधार | 133–63 |
| 5 कक्षा कक्ष निर्माण | 49–51 |
| 6 छात्रावास निर्माण | 219–40 |
| योग :– | 534–07 |

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

पावर प्लांट लगाने की कार्यवाही

855. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किस-किस जिले में किस प्रकार के और किस-किस क्षमता के पावर प्लांट लगाने की 1 अप्रेल सन् 1981 से अब तक घोषणायें की गई हैं ?

(2) इस योजना के अनुरूप अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? कृपया इसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 6 जिलों में साठ-साठ मेगावाट के छोटे ताप बिजली घर लगाने की घोषणा मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा की गई है।

(2) इस घोषणा के अनुरूप विद्युत मण्डल ने 7 जिलों-जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर; उदयपुर, अलवर, भरतपुर और श्री गंगानगर में उपयुक्त स्थानों पर छोटे ताप बिजली घर लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया। जोधपुर, अजमेर एवं भीलवाड़ा जिलों में किये गये प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर जोधपुर एवं अजमेर जिले वहां समुचित पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण साठ मेगावाट क्षमता के ताप बिजलीघर लगाने की दृष्टि से अनुपयुक्त पाये गये। भीलवाड़ा जिले में चार स्थानों पर किये गये अध्ययन के आधार पर बेरच नदी का पानी उपयोग कर सारना गांव उपयुक्त पाया गया जिस पर आगे सर्वेक्षण किया जा रहा है। शेष चार जिलों उदयपुर, अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर में छोटे ताप बिजलीघर लगाये जाने की सम्भावनाओं का पता लगाना बाकी है। सम्भावित पांच स्थानों धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा में ताप बिजली लगाने के लिये तुलनात्मक अध्ययन, उपयुक्त स्थान का चयन तथा सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त स्थान के लिये परियोजना प्रतिवेदन बनाने का कार्य मैसर्स टाटा कन्सल्टिंग इन्जीनियर्स, बम्बई को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त कोटा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सिरोही एवं बांसवाड़ा जिलों में छोटे पन बिजलीघर बनाने एवं जैसलमेर जिले में गैस पर आधारित एक छोटा बिजलीघर लगाने के लिये भी परियोजना प्रतिवेदन बनाये गये हैं।

राज्य में शिक्षक संघ

856. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कितने शिक्षक संघ कार्यरत हैं ? उनकी प्रत्येक की सदस्य संख्या कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार सभी संघों के कार्यक्रमों में जाने के लिये शिक्षकों को शैक्षणिक अवकाश प्रदान करती है ? क्या इससे बालकों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होता।

(3) जुलाई, 1982 से 31 जनवरी, 83 तक किस-किस शिक्षक संघ ने तहसील, जिला एवं प्रान्तीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किये ? इनमें जाने वालों के लिए स्वीकृत अवकाश के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राजस्थान के मंत्री जब-जब दौरे पर जाते हैं तो इन शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को भी कार्यक्रम की सूचना भेजते हैं ? यदि हां, तो क्या श्री गोविन्द आमलिया के 2-8-82 से 5-8-82 के दौरे की प्रति प्रगतिशील शिक्षक संघ के महामंत्री को दी है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक

(शिक्षा मंत्री)

शिक्षा विभाग से संबंधित 22 शिक्षक संघ क्रियाशील है जिनकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। प्रत्येक संघ के सदस्यों की संख्या संबंधी सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। बालकों की पढ़ाई का नुकसान भी होता है।

(3) जुलाई, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक कितने शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किए गए, उनकी सूचना तो राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिन शिक्षक संघों को शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए अवकाश स्वीकृत किए गए, उनकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं। श्री गोविन्द आमलिया को प्रगतिशील शिक्षक संघ ने उनके सम्मेलन में दिनांक 2–8–82 को आमंत्रित किया गया था, इसलिए उनके कार्यक्रम की सूचना उनके वहां से उक्त संघ को दी गई थी।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

### राज्य में ऊर्जा उत्पादन के साधन

857. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)—क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ऊर्जा उत्पादन के किन-किन साधनों से ऊर्जा शक्ति का उत्पादन होता है और कुल उत्पादन क्षमता क्या है? इन साधनों से अधिकतम एवं सामान्यतः हमको कितनी मेगावाट बिजली मिल सकती है? 1 जनवरी, 1982 से लेकर 31 जनवरी, 1983 तक कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ है? प्रतिमाह औसत विद्युत उत्पादन क्या रहा है? वास्तविक उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता का क्या प्रतिशत रहा?

(2) राज्य के बाहर के ऊर्जा उत्पादन साधनों पर राज्य की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है एवं उन साधनों से हमको कितनी मेगावाट बिजली मिलनी चाहिये? कृपया 1 जनवरी, 1982 से लेकर 31 जनवरी, 1983 तक कितनी मेगावाट बिजली है? कृपया साधनशः माहवार प्राप्त हुई बिजली का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार की राज्य में विद्युत कमी तथा संभावित आवश्यकता की पूर्ति की क्या योजना है? कृपया योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में ऊर्जा शक्ति का उत्पादन वर्तमान में जल, ताप व अणुशक्ति आदि ऊर्जा उत्पादनों के साधनों से होता है। वर्तमान में राजस्थान में स्थापित विद्युत उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता उन विद्युत गृहों सहित जिनमें अन्य राज्यों की साझेदारी है अथवा जो केन्द्र सरकार के अधीनस्थ हैं, कुल 748.67 मेगावाट है इसमें से राज्य को उप-

(ऊर्जा मंत्री)

लब्ध क्षमता 573.17 मेगावाट है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| राज्य में स्थित विद्युत परियोजना | कुल प्रतिस्थापित क्षमता | राजस्थान का हिस्सा |
|---|---|---|
| 1. राणा प्रताप सागर | 172 मेगावाट | 86.00 मेगावाट |
| 2. जवाहर सागर | 99 मेगावाट | 49.50 मेगावाट |
| 3. राजस्थान परमाणु विद्युत गृह | 440 मेगावाट | 400.00 मेगावाट× |
| 4. स्थानीय छोटे ताप व डीजल विद्युत गृह | 37.67 मे.वा. | 37.67 मेगावाट |
| | 748.67 मेगावाट | 573.17 मेगावाट |

×(40 मेगावाट भारी पानी संयंत्र हेतु आरक्षित है)

राजस्थान को हिस्से की प्रतिष्ठापित क्षमता तथा अणु विद्युत गृह की आवंटित क्षमता से लगभग 390 मेगावाट विद्युत मिल सकती है, जो कि राज्य को उपलब्ध कुल प्रतिस्थापित क्षमता का लगभग 70% है। बिजली की इस मात्रा को निकालते समय स्थानीय लघु क्षमता के ताप डीजल विद्युत गृहों की प्रतिस्थापित क्षमता 37.67 मेगावाट के स्थान पर केवल 20 मेगावाट ही ली गई है क्योंकि ये स्थानीय ताप डीजल उपकरण या तो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है या बन्द पड़े हैं। प्रतिष्ठापित क्षमता से मिलने वाली (उत्पादित) बिजली की मात्रा सामान्यतः घटती बढ़ती रहती है क्योंकि यह मुख्यतः जलाशयों के भराव तथा अणुशक्ति विद्युत गृह के संचालन व रख रखाव आदि पर निर्भर करती है। 1 जनवरी, 82 से 31 जनवरी 83 तक इन स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन प्रति माह औसत उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता का प्रतिशत बताते हुये तालिका "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य के बाहर स्थित ऊर्जा उत्पादन साधनों में राज्य की हिस्सेदारी निम्न प्रकार से है :—

| राज्य के बाहर की विद्युत परियोजना | | राज्य का हिस्सा प्रतिशत में | राज्य का हिस्सा मेगावाट में |
|---|---|---|---|
| (1) भाखड़ा नांगल | | 15.22 | 195.27 |
| (2) ब्यास यूनिट (देहर) | | 20.00 | 132.00 |
| (3) ब्यास यूनिट II (पोंग) | | 58.50 | 210.60 |
| (4) गांधी सागर | | 50.00 | 57.50 |
| (5) सतपुड़ा | | 40.00 | 125.00 |
| (6) सिंगरोली (केन्द्रीय परियोजना) | वर्तमान में 8.8% बाद में कुल 2000 मेगावाट में हिस्सा 3?0 मेगावाट | 35.00 मेगावाट (वर्तमान में) | |
| | | योग | 753.37 मेगावाट |

(ऊर्जा मंत्री)

सिगरोली सुपर ताप विद्युत परियोजना की कुल 2000 मेगावाट की सात इकाइयों से उत्पादित बिजली में राज्य को 300 मेगावाट बिजली मिलने का प्रावधान है। इस परियोजना की 200 मेगावाट की दो इकाइयां चालू हैं, जिसमें राजस्थान का वर्तमान में आवंटित भाग 35 मेगावाट है। इस प्रकार राज्य से बाहर स्थित विद्युत परियोजनाओं की कुल प्रतिस्थापित क्षमता 755.37 मेगावाट है। इन साधनों से 518 मेगावाट बिजली मिल सकती है। इसके अलावा नाथपा भाकड़ी, थीन डेम, आनन्दपुर साहिब, मुकेरियन, शाहपुरा काण्डी एवं यू. बी. डी. सी. जल विद्युत परियोजनाओं, जिनकी प्रस्तावित प्रतिष्ठापित क्षमता क्रमश: 1020, 480, 134, 207, 94 एवं 45 मेगावाट है में राजस्थान अपना हिस्सा क्लेम कर रहा है। कोल परियोजना में राज्य की हिमाचल प्रदेश से सहमति हो गई है जिसके अनुसार इस परियोजना की 600 मेगावाट क्षमता मे राजस्थान का 51% हिस्सा होगा। सहमति के अनुसार पार्वती जल-विद्युत परियोजना, जिसकी प्रतिस्थापित क्षमता 1900 मेगावाट है में भी राज्य को हिस्सा मिलेगा। दिनांक 1 जनवरी 1982 से 31 जनवरी 1983 तक राज्य के बाहर स्थित उत्पादन साधनों से प्राप्त माहवार बिजली का विवरण देते हुए तालिका "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राज्य में विद्युत की कमी तथा संभावित आवश्यकता की पूर्ति के लिये कई जल-विद्युत/ताप विद्युत परियोजनाओं का काम हाथ में लिया हुआ है, जो कि तालिका "स" में दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्युत परियोजनाएं जो योजना आयोग की स्वीकृति के लिये विचाराधीन है का विवरण भी तालिका "स" में दर्शाया गया है। कुछ अन्य परियोजनाएं जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/योजना आयोग के विचाराधीन हैं अथवा जिनका सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है, तालिका "द" पर दर्शायी गयी है।

(तालिकाओं के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

### किंग जोर्ज मेमोरियल एज्यूकेशनल ट्रस्ट सोसाइटी, अजमेर

858. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)–क्या विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) किंग जोर्ज मेमोरियल एज्यूकेशनल ट्रस्ट सोसाइटी, अजमेर द्वारा संचालित सावित्री कन्या महाविद्यालय अजमेर को राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष कितनी ग्रान्ट-इन-एड स्वीकार की जाती है और इस ग्रांट इन एड के अलावा खर्च की पूर्ति किन स्रोतों से की जाती है ?

(2) इस महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन लेकर प्रशासक नियुक्त करने के बाद किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी आय ग्रान्ट-इन-एड से हुई और कितनी-कितनी आय अन्य स्रोतों से हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस महाविद्यालय के आय-व्यय का अंकेक्षण कब तक का हो चुका है ? कृपया एक अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(40)



उत्तर

(1) सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर को राज्य सरकार द्वारा निम्न दरों से अनुदान स्वीकार किया जाता है :—

I. स्नातक स्तर—90 प्रतिशत वर्ष 1964-65 से

II. स्नातकोत्तर—50 प्रतिशत वर्ष 1976-77 से

नोट:— राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1981-82 से स्नातकोत्तर स्तर को भी 90 प्र.श. अनुदान दिया जा रहा है (तदर्थ रूप से) नियमित अनुदान सूची पर लेने हेतु बजट की स्थिति को देखते हुए कार्यवाही की जा रही है।

(1) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त खर्च की पूर्ति शिक्षण शुल्क, दान, संस्था की सुरक्षित राशि पर ब्याज, मकान किराया आदि से की जाती है।

(2) संस्था की प्रबन्धकारिणी में गंभीर विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण राज्य सरकार ने अनुदान नियम 1963 के नियम 3 (7) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 25-4-74 को प्रशासक की नियुक्ति की। संस्था की आय एवं व्यय के संबंध में निम्न सूचना-तालिका से विवरण स्पष्ट है :—

| वित्तीयवर्ष | कुल व्यय | राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान | अन्य स्रोतों से आय |
|---|---|---|---|
| 1974-75 | 564740-00 | 471228-00 | 93512-00 |
| 1975-76 | 613992-00 | 511987-00 | 102005-00 |
| 1976-77 | 713882-00 | 569517-00 | 144365-00 |
| 1977-78 | 813434-00 | 645977-00 | 167457-00 |
| 1978-79 | 936537-00 | 797330-00 | 139207-00 |
| 1979-80 | 971383-00 | 809494-00 | 161889-00 |
| 1980-81 | 1118551-00 | 933142-00 | 185409-00 |
| 1981-82 | 1220431-00 | 1025314-00 | 195117-00 |

(3) संस्था का वर्ष 81-82 तक अंकेक्षण किया जा चुका है। वर्ष 81-82 की अंकेक्षण व अन्तिमीकरण रिपोर्ट संलग्न है।

(रिपोर्ट के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

राज्य में छात्र एवं छात्रा शिक्षा पर व्यय

859. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) —क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 5 वर्षों में राजस्थान सरकार द्वारा छात्र एवं छात्राओं की शिक्षा पर अलग-अलग कितना बजट रखा गया और कितना व्यय किया गया? कृपया वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अजमेर में छात्रों एवं छात्राओं के लिये अलग-अलग कितनी

(श्रीमती भगवती देवी)
राजकीय मिडिल, सैकन्डरी एवं हायर सैकन्डरी स्कूलें हैं तथा कितनी अराजकीय (प्राईवेट) हैं ?

उत्तर

(1) छात्रों एवं छात्राओं की शिक्षा पर किये गये व्यय के अलग-अलग आंकड़ों की सांख्यिकी सूचना शिक्षा विभाग द्वारा एकत्रित नहीं की जाती है।

(2) अजमेर जिले में विभिन्न विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है:–

| स्तर | छात्र संस्थायें | | छात्रा संस्थायें | |
|---|---|---|---|---|
| | राजकीय | अराजकीय | राजकीय | अराजकीय |
| मिडिल | 185 | 25 | 34 | 8 |
| सैकण्डरी | 57 | 13 | 12 | 6 |
| हायर सैकण्डरी | 35 | 13 | 6 | 10 |
| योग | 277 | 51 | 52 | 24 |

### भीलवाड़ा में पॉलीटेक्निक कालेज खोलना

860. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

भीलवाड़ा नगर में कब तक पॉलिटेक्निक कॉलेज, किन विषयों को लेकर खोला जायेगा ?

उत्तर

(1) जन सहयोग से भवन निर्माण कराये जाने पर भीलवाड़ा में पॉलीटेकनिक खोला जा सकेगा।

### जैसलमेर में विद्युत की कमी

861. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर)-क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर शहर में आये दिन घंटों तक बिजली खराब रहती है ?

(2) क्या यह सही है कि (वोल्टेज फ्लक्चुयेशन) अनियंत्रित विद्युत धारा के कारण बिजली के बल्ब व अन्य उपकरण अक्सर जल जाते से जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) जैसलमेर नगर में बिजली की अव्यवस्था का समाधान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही नहीं है। जैसलमेर विद्युत स्रोतों से काफी दूरी पर स्थित है इसलिए तकनीकी कारणों से यदि मध्य-क्षेत्र की लाइनों में कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो उसका प्रभाव जैसलमेर क्षेत्र पर भी पड़ता है, जिससे वहां विद्युत् सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है। जैसलमेर क्षेत्र में विद्युत वाल्टेज नियंत्रित है। कभी-कभी "वोल्टेज फ्लक्चुयेशन" का मुख्य

(ऊर्जा मंत्री)

कारण इस क्षेत्र का विद्युत स्रोतों से काफी दूरी पर स्थित होना है, परन्तु इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता कि यह बल्ब व अन्य उपकरणों को खराब कर दें। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जैसलमेर क्षेत्र में विद्युत वितरण सामान्य रूप से जारी है। तथापि जोधपुर में 220 के.वी. की निर्माणाधीन योजना के पूरा होने पर वर्तमान स्थिति में और सुधार अपेक्षित है।

अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थायें

862. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक कितनी शिक्षण संस्थाएं राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं? 1981-82 एवं 1982-83 में इन शिक्षण संस्थाओं को कितनी अनुदान राशि दी गई?

(2) अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के संचालन और कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

(3) क्या इन शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को पूरा वेतन भुगतान कराने के लिये किसी प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) राज्य में 463 प्रा. वि. एवं 30 माध्यमिक विद्यालय अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। 1981-82 तथा 82-83 में उक्त संस्थाओं को दी गई अनुदान राशि निम्न प्रकार है :–

| | 81-82 | 82-83 (लाखों में) |
|---|---|---|
| प्रा. वि. | 97.59 | 101.04 |
| मा. वि. | 324.68 | 314.61 |

(2) अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के संचालन और कार्य प्रणाली का नियंत्रण अनुदान नियम 1963 के प्रावधानानुसार होता है।

(3) शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जावे इस हेतु व्यवस्था है कि संस्थाएं अधीनस्थ कर्मचारियों को वेतन का चुकारा बैंक द्वारा ही करें किन्तु अपवादस्वरूप ऐसे स्थानों पर जहां पर बैंकों की सुविधा नहीं है अथवा कर्मचारी स्वयं बैंकिंग कठिनाइयों से बचना चाहते हैं इनको कैश पेमेन्ट (नकद भुगतान) वेतन के रूप में चुकाया जाता है। कर्मचारियों को पूरा वेतन मिले इस हेतु समय समय पर अधिकारी संस्थाओं के लेखों का निरीक्षण करते हैं तथा वर्ष में एक बार संस्थाओं के लेखों का परीक्षण अनिवार्य होता है।

सांगानेर व चाकसू की अनुदानित शिक्षण संस्थायें

863. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)– क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सांगानेर व चाकसू तहसील क्षेत्र में कितनी अनुदानित व प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं और ये किस-किस के द्वारा चलाई जा रही हैं और कब कब से?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) उक्त शिक्षण संस्थाओं में से प्रत्येक को किस किस मद में कितना कितना अनुदान सरकार से मिल रहा है ?

उत्तर

(1) सांगानेर तहसील में अनुदानित व प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं निम्न प्रकार हैं। चाकसू तहसील में कोई भी शिक्षण संस्था नहीं है :–

संस्कृत शिक्षा

| संस्था का नाम | अनु-दानित/प्राइवेट (मान्यता प्राप्त) | संचालक संस्था का नाम | कब से चल रही है। |
|---|---|---|---|
| 1. हनुमत उ प्रा. वि. (संस्कृत) सारंगपुरा | अनु-दानित | श्री हनुमंत संस्कृत पाठशाला सारंगपुरा | 1985 |
| 2. मानवभारती प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, सांगानेर | अनु-दानित | मानव-भारती विद्यालय, सांगानेर | 1968 |
| 3. जनहित उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय वाटिका | मान्यता प्राप्त | जनहित बाल विद्यालय समिति वाटिका | 1970 |

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. विकास बाल निकेतन सांगानेर | मान्यता प्राप्त | श्री ओम-प्रकाश शर्मा | 1980 |
| 2. शंकरबाल विद्या मन्दिर, सांगानेर | मान्यता प्राप्त | श्री शंकर लाल कलावत | 1978 |

(2) संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत श्री हनुमंत संस्कृत विद्यालय सारंगपुरा को 60 प्र. श. तथा मानवभारती (प्रवेशिका) विद्यालय सांगानेर को 50 प्र. श. अनुदान प्राप्त संस्था है। अनुदान विवरण संलग्न है। प्रा एवं मा. शिक्षा के अन्तर्गत किसी संस्था को अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

**जिला चित्तौडगढ में नये विद्यालय खोलना**

864. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चित्तौडगढ़ जिले में वर्ष 1975 से 1982 तक कितनी शिक्षण संस्थाएं नयी खोली गई और कितनी क्रमोन्नत की गई ? कृपया वर्षवार एवं तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिले में किस किस तहसील में कितनी कितनी शिक्षण संस्थाएं वर्ष 1975 से पूर्व चल रही थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 1975 से 1982 तक नये खोले गये और क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों का वर्षवार एवं तहसील-वार ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) चित्तौडगढ जिले में कार्यरत वर्ष 1975 से पूर्व के विद्यालयों का तहसीलवार ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

**सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के विभिन्न मामले**

865. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के वर्तमान कुलपति के आने के बाद कितने केस विभिन्न कोर्टों में पेश हुए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कि वर्तमान कुलपति के आने के बाद विश्व विद्यालय कोष से कितना धन मुकदमों की पैरवी हेतु वकीलों को उदयपुर जोधपुर एवं जयपुर में देना पड़ा है ?

(3) कि कितने केसों में विश्वविद्यालय अपने पक्ष में अब तक निर्णय करा पाई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कि कितने केसों में विश्वविद्यालय के विरुद्ध में निर्णय हुए और उनमें जो धन की हानि हुई, उसका जिम्मेदार कोई है ? यदि है, तो अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) निम्नलिखित राशि मुकदमों की पैरवी हेतु वकीलों को दी गई :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जोधपुर में | 35200/– |
| 2. | जयपुर में | 3500/– |
| 3. | उदयपुर में–विश्वविद्यालय में स्थाई विधि सलाहकार हैं अतः मुकदमें हेतु अलग से भुगतान नहीं करना पड़ता। | |

(3) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) अभी तक एक भी केस विश्वविद्यालय के विरुद्ध तय नहीं हुआ है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

**संस्कृत निदेशालय द्वारा फर्नीचर की खरीद**

866. श्री सैय्यद मोहम्मद अय्याज महाराज (मसूदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मार्च, 1980 में राजकीय संस्कृत कालेज, चिराना, मनोहरपुर, दौसा, सीकर, कालाडेरा और जयपुर के लिये इन कालेजों ने या इनके लिये संस्कृत निदेशालय ने कोई फर्नीचर खरीदा ? यदि हां, तो क्या क्या कितनी संख्या में कितने मूल्य का किस दर से फ़र्नीचर खरीदा गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त फर्नीचर नाहरगढ़ रोड जयपुर स्थित रामा फर्नीचर वर्क्स से खरीदा गया ?

(3) क्या उक्त फर्नीचर खरीद के लिये कोई टेण्डर आमंत्रित किये गये ? यदि हां, तो वे किसी अखबार में किस तारीख को प्रकाशित हुए ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभिन्न स्थानों का फर्नीचर ऊंची दरों पर खरीदा गया और कार्टेज व्यय अतिरिक्त लगा ?

(श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज)

(5) क्या सरकार इस पूरे मामले की सविस्तार जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ?

उत्तर

(1) मार्च, 1980 में राजकीय संस्कृत कालेज, मनोहर पुर दौसा, सीकर, कालाडेरा और जयपुर ने फर्नीचर खरीदा था। खरीदे गये फर्नीचर की सूची संलग्न है।

(2) राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, चिराणा, मनोहरपुर, जयपुर, दौसा ने नाहरगढ रोड रामा फर्नीचर वर्क्स, जयपुर से सामान नहीं खरीदा है। केवल सीकर, कालाडेरा एवं जयपुर द्वारा ही नाहरगढ़ रोड रामा फर्नीचर वर्क्स से फर्नीचर खरीदा गया है।

(3) जी नहीं, समयाभाव के कारण सीमित निविदा प्रणाली अपनाकर न्यूनतम दर पर खरीद की गयी।

(4) जी नहीं। कार्टेज व्यय पर कुल 393/– की राशि व्यय की गयी।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

शिक्षा विभाग में अधिकारियों के रिक्त पद

868. श्री महावीर प्रसाद (टोंक)– क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक एवं इनके समकक्ष पद कितने और कब-कब से रिक्त हैं ? इन पदों के नहीं भरे जाने के क्या-क्या कारण है ? यह रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष श्रेणी के 3 पद एवं उप निदेशक एवं समकक्ष श्रेणी के 5 पद रिक्त हैं। पदों के रिक्त होने की तिथि निम्नानुसार है :–

| क.सं. | रिक्त पद का नाम | तिथि |
|---|---|---|
| | **संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष** | |
| 1. | प्रधानाचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर। | 1-12-82 |
| 2. | संयुक्त निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर। | 1-2-82 |
| 3. | संयुक्त निदेशक, अनौपचारिक शिक्षा | 16-2-83 |
| | **उपनिदेशक एवं समकक्ष** | |
| 1. | उप निदेशक (प्राथमिक) निदेशालय, बीकानेर। | 1-10-82 |
| 2. | उप निदेशक (माध्यमिक) निदेशालय, बीकानेर। | 1-3-83 |
| 3. | प्रधानाचार्य शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, अजमेर। | 1-10-82 |
| 4. | उप प्रधानाचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर। | 1-9-82 |

46



(प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री)

5. उप निदेशक (पत्राचार) 1-9-82
राजस्थान राज्य शैक्षिक
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद्, उदयपुर।

पदोन्नति के लिये वांछित सेवा अनुभव वाले अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण, पद नहीं भरे जा सके हैं। इन पदों को यथा संभव भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**रींगस नीमकाथाना रोड दूरी को कम करने की योजना**

839. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) रींगस नीमकाथाना मार्ग पर सड़क की कुल दूरी कितनी है? उक्त दूरी को कम करने के लिये क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

(2) रींगस नीमकाथाना वाया श्री माधोपुर सड़क पर श्रीमाधोपुर से कांवट के लिये वाया जसरोवर नगर सड़क के निर्माण से उक्त मार्ग की दूरी कितनी कम हो जाती है?

(3) उक्त मार्ग पर दूरी कम करने की दृष्टि से कुल कितना खर्चा होना अनुमानित है? उसके लिये किस योजना मद में सरकार प्राथमिकतानुसार कब क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) रींगस नीमकाथाना सड़क की लम्बाई लगभग 68 कि.मी. है। इसे कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) इस मार्ग पर नक्शे के अनुसार सरोवर नगर नाम का कोई ग्राम नहीं है। यदि श्रीमाधोपुर से कांवट वाया सिगरोला मार्ग निर्माण कराया जाय तब रींगस नीमकाथाना में करीब 10 कि.मी. की दूरी कम हो जाती है।

(3) दूरी कम करने की दृष्टि से लगभग 50 लाख रुपये खर्च करना होगा। अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

**मेड़ता एग्रो सेल्स एवं मेन्यूफेक्चरिंग सहकारी समिति लि. द्वारा नियंत्रित मूल्य सामग्री के वितरण में अनियमिततायें**

871. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)–क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मेड़ता एग्रो सेल्स एवं मैन्यू-फेक्चरिंग सहकारी समिति लि. मेड़ता, को दि. 1-1-82 से 31-12-82 तक कितनी कितनी लेवी चीनी, फ्री सेल चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, तेल आदि किन-किन क्षेत्रों के निवासियों के विक्रय द्वारा वितरण हेतु कब-कब दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि इस सामग्री के वितरण में धांधली की शिकायतें हुई थी? यदि हां, तो कालखण्ड में कब-कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) मेड़ता एग्रो एवं मैन्यूफैक्चरिंग सहकारी समिति लि., मेड़ता को दिनांक 1–1–82 से 18–3–83 तक की अवधि में मेड़ता एवं डेगाना तहसील क्षेत्र के निवासियों को विक्रय द्वारा वितरण हेतु समय-समय पर दी गई लेवी चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, गेहूं व सीमेन्ट की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

ग्राम बिजोरा (अन्ता) के स्वास्थ्य उप-केन्द्र का निर्माण

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि ग्राम बिजोरा, पं.सं. अन्ता, जिला कोटा का स्वास्थ्य उप केन्द्र निर्माणाधीन है? यदि हां, तो इसका निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था और इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

उत्तर

जी हां।

निर्माण कार्य दिनांक 5-11-80 को प्रारम्भ हुआ था तथा इसे 30-6-83 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है।

झालावाड़ जिले में सड़कों का निर्माण

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन):

श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

झालावाड़ जिले में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में नई सड़कें बनाने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया तथा कहां-कहां नई सड़कों का निर्माण किया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 और 1982-83 में नई सड़कें बनाने हेतु कुल 29.28 लाख रुपये आवंटित किये गये तथा निम्नलिखित 10 सड़कों पर निर्माण कार्य कराया गया:–

1. डग आगरा रोड।
2. भवानी मंडी-डग आगरा रोड कि. मी. 48 से 91 बी.टी. कार्य।
3. सुकेत पीपलियां सड़क।
4. बड़ौदिया एप्रोच सड़क।
5. इम्प्रूवमेन्ट अकलेरा मनोहरथाना सड़क।
6. गंगधार उन्हेल रोड।
7. खानपुर तारज सड़क।
8. सुनेल कड़ोदिया बी.टी. कार्य।
9. आसलपुर मालता बी.टी. कार्य।
10. पचपहाड़ से गुराड़ियामाना सड़क।

पंचायत समिति सांगानेर, कस्बा सांगानेर व बगरू में चीनी वितरण में धांधली

874. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) –क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1982-83 में पंचायत समिति सांगानेर, कस्बा सांगानेर व बगरू के लिए कितनी-कितनी राशन की चीनी किस-किस डीलर के द्वारा उठाई गई ?

(2) इनमें से कौन सी पंचायत व कस्बे में किस-किस डीलर के द्वारा कब-कब राशन की चीनी वितरित की गयी ?

(3) कौन-कौन से ऐसे कस्बे व पंचायतें हैं जिनके डीलर्स उस क्षेत्र के न होकर अन्यत्र के हैं ?

(4) पंचायत लाखना व कस्बा सांगानेर में वर्ष 1982-83 में चीनी वितरण कब कब हुआ ?

(5) क्या उक्त स्थानों में चीनी भीगी, तोल में कम, समय पर उपलब्ध न होने और राशन की चीनी अन्य दूकानदारों को दे देने व खुले बाजार में बेच दिये जाने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) ग्राम पंचायत माँगयावास एवं अजयराजपुरा के डीलर अन्य ग्राम पंचायतों के निवासी हैं।

(4) ग्राम पंचायत लाखना में कोई डीलर चीनी वितरण हेतु तैयार न होने से चीनी नहीं उठाई गई। सांगानेर कस्बे में वितरण की गई चीनी की सूचना प्रश्न के भाग–2 की सूची में अंकित करदी गई है।

(5) जी नहीं।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

राज्य सरकार द्वारा कानूनी सहायता हेतु राशि निर्धारण

876. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान सरकार द्वारा कानूनी सहायता (लीगल एड) हेतु गत 5 वर्षों में वर्षवार कितना मद बजट में रखा और वर्षवार कितना व्यय किया गया ?

उत्तर

1. वित्तीय वर्ष 1976–77 में राज्य सरकार द्वारा कुल आवंटित 5,00,000/– रुपये में से कुल 48,228.26 रुपये खर्च किये गये। इस खर्चे में गरीबों को दी गई मुफ्त कानूनी सहायता एवं प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय शामिल है।

2. वर्ष 1977–78 में इस कार्य के लिये कोई आवंटन नहीं किया गया था।

3. वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिये भी इस कार्य के लिये कोई आवंटन नही किया गया था।

4. वित्तीय वर्ष 1979–80 में कुल 5,00,000/– रुपये का आवंटन किया गया था उसमें से गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायतार्थ व प्रशासनिक कार्यों पर कुल 13167.70 रुपये का व्यय किया गया।

5. वित्तीय वर्ष 1980–81 में कुल 66,000/– रुपये का आवंटन किया गया था उसमें से गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायतार्थ व प्रशासनिक कार्यों पर कुल 4953.79 रुपये व्यय किये गये।

6. वित्तीय वर्ष 1981–82 में कुल 1,00,000/– रुपये का आवंटन किया गया था उसमें से गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायतार्थ व प्रशासनिक कार्यों पर कुल 2005.30 रुपये का खर्चा किया गया।

7. वित्तीय वर्ष 1982–83 में कुल 2,00,000/– रुपये का आवंटन किया गया था उसमें से अब तक कुल 15,000/–रुपये का खर्चा, प्रशासनिक कार्यों एवं गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायतार्थ किया गया।

**राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एवं रूरल डवलपमेंट से ऋण**

877. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)–क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एवं रूरल डवलपमेंट से राज्य विद्युत् मण्डल ने गत तीन वर्ष की अवधि में कब-कब कितना-कितना ऋण प्राप्त किया है ?

(2) यदि ऋण में कमी रही है तो उसके क्या कारण है ?

(3) ऐसे ऋण प्राप्त करने हेतु क्या-क्या योजनाएं बनाई और बैंक को कब-कब प्रस्तुत की हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एवं रूरल डवलपमेंट से तीन वर्षों में सीधे ही कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

**विद्युत् मण्डल द्वारा मिनीमम चार्जेज लेना**

878. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)–क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि पश्चिम राजस्थान के काफी बड़े इलाके में कुओं में पानी की कमी के कारण वर्ष में एक ही फसल ली जाती है तथा चालू वर्ष में रबी फसल में तीन से पांच घंटा तक ही विद्युत् प्रवाह उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा गरीब किसानों से मिनीमम चार्जेज लेना कहां तक उचित है तथा इस बाबत सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

कुओं में पानी के स्तर व फसल के बारे में सूचना विद्युत् मण्डल द्वारा संकलित नहीं की जाती। यह सही नहीं है कि चालू वर्ष 1982–83 में रबी फसल के लिए कृषकों को तीन से पांच घन्टे तक ही विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। चालू वर्ष 1982-83 में रबी फसल के लिए माह नवम्बर, 82 से फरवरी, 83 तक कृषि उपभोक्ताओं को पांच से चौदह घन्टे प्रतिदिन तक विद्युत् प्रवाह उपलब्ध कराया गया था। मीटर्ड सप्लाई वाले कृषि उपभोक्ताओं को यदि प्रतिदिन 1.57 घन्टे से लेकर 3.06 घन्टे तक तथा

(ऊर्जा मंत्री)

फ्लेट् रेट वाले कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 135 घन्टे तक विद्युत् उपलब्ध करादी जाती है तो भी बिजली के मिनिमम चार्जेज पूरे हो जाते हैं जबकि कृषि उपभोक्ताओं को इससे अधिक ही विद्युत उपलब्ध कराई गई है।

**अधिशासी अभियन्ता नागौर द्वारा विद्युत् सामान की खरीद**

879. **श्री महाराम चौधरी (नागौर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अधिशासी अभियन्ता जिला विद्युत् मंडल कार्यालय नागौर द्वारा वर्ष 1981-82 व 1982-83 में बिजली का कितना क्या क्या सामान कितने मूल्य का किस किस दुकान से किस किस तारीख को खरीदा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालय द्वारा 1-1-82 से 31-12-82 तक कितनी बिजली की मोटरें रिपेयर कराई गई और इस कार्य के लिये किस किस तारीख को कितनी राशि का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्युत् मण्डल नागौर ने 1 जनवरी 1982 से 31 दिसम्बर 1982 तक किस किस डीजल डीलर से कितना कितना डीजल खरीदा और किस किस कार्य में उपयोग में लिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिशासी अभियन्ता, राराविम, नागौर द्वारा उपरोक्त वर्षों में सीधे कोई सामान नहीं खरीदा गया परन्तु सक्षम अधिकारी होने के कारण उनके अधीन सहायक अभियन्ताओं द्वारा खरीदे गये सामान के विपत्रों (Vouchers) पर प्रतिहस्ताक्षर किये हैं। इन सहायक अभियन्ताओं द्वारा खरीदे गये सामान का वांछित विवरण देते हुए सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अधिशासी अभियन्ता नागौर द्वारा मोटरें रिपेयर का कोई कार्य 1-1-82 से 31-12-82 तक नहीं कराया गया है। अतः किसी तरह की राशि के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) सूचना एकत्र की जा रही है। डीजल का उपयोग मण्डल की गाड़ियों में किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

**जयपुर जिले में विद्युत् चोरी के मामले**

880. **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले में वर्ष 1980–81, 1981-82 तथा 28 फरवरी 1983 तक विद्युत् चोरी के जो मामले पकड़े गये हैं उनमें कितनों के चालान किये गये हैं तथा शेष मामलों में क्या कार्यवाही विचाराधीन है ?

(2) उक्त मामलों में कितनी-कितनी राशि की चोरी हुई ? कृपया उद्योग संस्थान या निवास स्थान के मालिक का नाम मय राशि के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1980–81, 1981–82 व 1982–83 (28 फरवरी 83 तक) में

(ऊर्जा मंत्री)

जयपुर जिले में 617 मोटर टेम्परिंग व विद्युत चोरी के मामले पकड़े गये। इनमें से 22 की एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई, जिनमें से 19 के चालान पेश किए गए हैं एवं दो मामलों में पुलिस द्वारा एफ. आर. दे दी गई है। शेष 596 मामलों में चार्जिंग केस के अनुसार वसूली की कार्यवाही जारी है।

(2) उक्त 617 मामलों में से 601 मामलों में वसूली हेतु 11,15,693.41 रु. की राशि (22 मामले जिनके विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज हुई है में अनुमानित 55999.84 रु. की राशि सहित) अनुमानित की गई है। शेष 16 मामलों में राशि का मूल्यांकन विचाराधीन है। उक्त 617 मामलों की सूची "अ" मय नाम व अनुमानित राशि के सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

विद्युतमण्डल के अधीक्षक अभियन्ताओं की पदावनति

881. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) :–क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सन् 1983 में तीन अधीक्षक अभियन्ताओं को पदावनत किया गया है ? यदि हां, तो पदावनत करने के क्या कारण थे ? प्रत्येक का अलग-अलग ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सन् 1983 में किसी भी अधीक्षण अभियन्ता को पदावनत नहीं किया गया है। तथापि पूर्व तदर्थ आधार पर अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नियुक्त अधिकारियों जिनका अलग अलग ब्योरा नीचे दिया गया है, को मण्डल के निर्णय द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर चयनित नहीं किये जाने के कारण, आदेश दिनांक 25-12-1982 द्वारा पदावन्नत कर दिया था।

| नाम | तदर्थ नियुक्ति की तिथि | पदावन्नति आदेश की तिथि |
|---|---|---|
| 1. श्री आर. डी. गुप्ता | 21–12–1981 | 25–12–1982 |
| 2. श्री एस.पी. कपूर | 23–1–82 | 25 –12– 1982 |
| 3. श्री पी. एस. सोंधी | 31– 1– 82 | 25 –12–1982 |

राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स की स्थानीय संघ अलवर की विभिन्न प्रवृतियां

882. श्री जीतमल जैन (अलवर):- क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइडस् एवं इसके नाम से संचालित विभिन्न कथित प्रवृत्तियों के संचालन में शिक्षा विभाग राजस्थान का संरक्षण रहता है ?

(2) क्या विभिन्न जिलों में ऐसी प्रवृत्तियों के लिये किया जाने वाला धन संग्रह सम्बन्धित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी की सहमति से किया जाता है ?

(श्री जीतमल जैन)

(3) अलवर जिले में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइडस् स्थानीय संघ अलवर द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न प्रवृत्तियों के संयोजन हेतु क्या कोई समिति गठित की गई है ? यदि हां, तो उक्त समिति में अलवर जिले से शिक्षा विभाग के कौन-कौन अधिकारी सदस्य या पदाधिकारी हैं ? समिति, समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या इन प्रवृत्तियों के संचालन के लिये धन संग्रह हेतु सन् 1980-81 से 1982-83 में कोई कूपन जारी किये गये ? यदि हां, तो क्या इन कूपनों को जारी एवं स्थानीय विद्यालयों को वितरित करने हेतु उक्त समिति की सहमति ली गई ?

(5) अलवर नगर के विभिन्न विद्यालयों को वितरित किये गये ऐसे कूपन विद्यालयवार एवं उनसे प्राप्त धन का विवरण तथा एकत्रित धन किन-किन मदों पर खर्च किया गया ? इसका सत्र एव विद्यालय वार विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला मूल्यांकन एवं सेवा योजना समिति सारे कार्य करती हैं।

(3) जी हां। सूची सदन के पटल पर रखा दी गई हैं।

(4) सत्र 1980-81 एवं 1982-83 में कूपन जारी किये गये। सत्र 1981-82 में कोई नये कूपन जारी नहीं किये गये। ये कूपन स्थानीय कार्यकारिणी समिति जिला मूल्यांकन समिति के निर्णय से जारी किये गये।

(5) विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है। कूपन से प्राप्त राशि स्थानीय संघ की कुल आय में सम्मिलित कर संघ की गतिविधियों पर खर्च की गई हैं। अतः कूपन से प्राप्त राशि के व्यय का अलग से विवरण देना संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

**पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा के गांवों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र**

883. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या प्रौढ़ शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत मूडवा जिला नागौर के किन किन गांवों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है ग्राम का नाम, मास्टर का नाम, तारीख जब से चल रहा है लड़कों (प्रौढ़ों की संख्या) प्रत्येक प्रौढ़ शाला का अलग अलग सन् 1980-81, 1981-82, 1982-83 में जो व्यय हुआ है मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. (क) पंचायत समिति नागौर में कोई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं चलाये गये हैं।

(ख) पंचायत समिति मूंडवा के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का 1980-81, 1981-82 व 1982-83 का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–23 देखे)

**समान शिक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य**

884. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में नगर एवं आस-पास के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत दिनांक 13-12-82 से घोषित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ होनी थी ?

(2) क्या यह सही है कि सभी केन्द्रों पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने से परीक्षायें स्थगित करनी पड़ीं ?

(3) क्या यह सही है कि समान शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्रश्न पत्रों की छपाई जिले के बाहर के प्रेस से कराना आवश्यक है ? क्या यह भी सही है कि इन प्रश्न पत्रों की छपाई का काम नाम के लिये तो सिरोही के एक प्रेस को दिया गया लेकिन छपाई अजमेर के ही प्रेस में कराई गई ?

(4) इन परीक्षाओं का प्रथम घोषित कार्यक्रम क्या था और बाद में यह परीक्षाएं किस कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराई गई ?

(5) इस अव्यवस्था के लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं और राज्य सरकार उनके विरुद्ध क्या कदम उठा रही है ?

**उत्तर**

(1) जी हां

(2) जी नहीं। कक्षा 9 से 11 तक की सभी परीक्षायें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न हुईं। केवल कक्षा 3 से 8 तक की दिनांक 13-12-1982 की परीक्षायें प्रश्न पत्र विलम्ब से प्राप्त होने के कारण स्थगित की गईं।

(3) सामान्यतया समान परीक्षा योजना के प्रश्न पत्र जिले के बाहर छपाये जाने चाहिये। इस परीक्षा के प्रश्नपत्र छापने का कार्य शिवगंज की एक प्रेस को दिया गया था। शिवगंज की प्रेस ने ही ये प्रश्न पत्र दिये और उन्हीं को बिल का भुगतान किया गया।

(4) प्रथम घोषित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षायें दिनांक 13-12-1982 को प्रारम्भ हो कर दिनांक 23-12-1982 को समाप्त होनी थी। सभी कक्षाओं की परीक्षायें प्रथम घोषित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न हुईं। केवल कक्षा 3 से 8 तक की दिनांक 13-12-1982 को होने वाली परीक्षायें दिनांक 20-12-1982 और दिनांक 23-12-1982 को समायोजित कर सम्पन्न कराई गईं। इन कक्षाओं की शेष परीक्षाएं पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न हुईं।

(5) कक्षा 3 से 8 तक के प्रश्न-पत्र विलम्ब से पहुंचाने का उत्तरदायित्व शिवगंज के संबंधित प्रेस का है। शिक्षा विभाग ने प्रेस को प्रश्न-पत्र की छपाई का पूरा भुगतान नहीं किया है तथा शेष भुगतान विलम्ब आदि का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के पश्चात् किया जावेगा जिसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**जैसलमेर जिले के गांवों की विद्युत् योजना**

885. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला जैसलमेर के कुल कितने गांव विद्युतीकृत हैं तथा कितने गांवों के विद्युतीकरण का कार्य चालू है ? कितने गांवों का सर्वेक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेज दिया गया है ?

(2) जैसलमेर जिले के विद्युतीकरण की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

**उत्तर**

(1) जिला जैसलमेर में कुल 27 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस जिले में वर्तमान में किसी भी ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य चालू नहीं है। जिला जैसलमेर की पं. स. सांकडा के 30 ग्राम तथा जैसलमेर के 22 ग्रामों का सर्वे किया जाकर संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दो ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें बनाई गई हैं जो ग्रा. वि. नि. के वर्तमान मानदण्डों पर असाध्य है, फिर भी ग्रा. वि. नि. को सुझाव देने हेतु या स्वीकृति के मानदण्डों में छूट देकर स्वीकृति के लिये विचार करने हेतु भेजी गई है।

(2) प्रश्न के भाग (1) में वर्णित योजनाओं के स्वीकृत होने पर ही जैसलमेर जिले के इन योजनाओं के सम्मिलित ग्रामों के विद्युतीकरण पर आगामी वर्षों में धन व विद्युत उपलब्धि के अनुसार विचार किया जा सकेगा।

**ग्राम सेवा सहकारी समिति धनसोटी (भरतपुर) द्वारा कीटनाशक दवाओं का क्रय**

886. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति धनसोटी (भरतपुर) द्वारा 1 अप्रेल, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक कीटनाशक दवा (डायमेक्रोन) किस-किस तिथि को कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस संस्थान से खरीद की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त प्राप्त डायमेक्रोन (कीटनाशक दवा) को किन-किन विभागों एवं कृषकों को कितनी-कितनी मात्रा में किस किस तिथि को, किस किस दर से बिक्री की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या कीटनाशक दवाओं के व्यापार हेतु लाइसेन्स लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो उक्त सेवा सहकारी समिति को लाइसेन्स किस तिथि को जारी किया गया ? पूर्ण विवरण लाइसेन्स नम्बर सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

**उत्तर**

(1) समिति द्वारा कीटनाशक दवा (डायमेक्रोन) की खरीदी नहीं की गई।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी हां। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा रेकार्ड में हेराफेरी**

887. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्री डाबरिया

(श्री रामकिशोर भील)

के विरुद्ध हुई जांच में निरीक्षण आडिट ने दिनांक 16-6-82 को विशेष लेखा परीक्षक की जांच में उल्लिखित मामलों से संबंधित रिकार्ड को नष्ट करने अथवा हेराफेरी किए जाने की संभावना से आगाह करते हुए इसे अविलम्ब कार्यालय में जमा कराने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 28-9-82 को संयुक्त रजिस्ट्रार, जयपुर खण्ड जयपुर, उप मुख्य अंकेक्षक, प्रधान कार्यालय जयपुर, क्षेत्रीय अंकेक्षक, जयपुर एवं विशेष लेखा परीक्षक, जयपुर ने दौसा जाकर समिति के रेकार्ड का अवलोकन कर पत्र में उठाये गये मुद्दों पर निरीक्षक (आडिट) व व्यवस्थापक से एक-एक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और पत्र में पाई असंगतियों को दूर करने तथा रेकार्ड व सूचनायें निरीक्षक (आडिट) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। दिनांक 28-9-82 के बजट के दौरान अधिकारियों ने समिति के रेकार्ड को जब्त करने का कोई औचित्य नहीं समझ और रेकार्ड जब्त नहीं किया गया।

## जयसमंद झील की सहकारी समितियां

888. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): क्या सहकारिता मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे:–

(1) जयसमन्द झील में मच्छी पकड़ने वालों की कितनी सहकारी समितियां हैं तथा प्रत्येक में कितने-कितने सदस्य हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सन् 1975 से 1982 तक सहकारी समितियों को कितना लाभ हुआ और प्रत्येक सदस्य को कितना लाभ हुआ ?

(3) क्या सदस्यों को लाभ की राशि वितरित कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब। नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयसमंद झील में मछली पकड़ने वालों की 7 सहकारी समितियां हैं। जिनमें से एक समिति ने पंजीयन दिनांक से ही कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। इनकी कुल सदस्य संख्या 698 है। समितिवार सदस्यों की सूची निम्न प्रकार है :–

| क्र.सं. 1 | नाम समिति 2 | पंजीयन दि. 3 | सदस्य संख्या 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | बीरपुरा मत्स्य उत्पा. स. स. | 23.5.77 | 70 |
| 2. | भाटी मत्स्य उत्पा. स. | 18.7.77 | 136 |
| 3. | सराड़ी मत्स्य उत्पा. स. स. | 18.7.77 | 134 |
| 4. | मिथूड़ी मत्स्य उत्पा. स. स. | 25.7.77 | 119 |
| 5. | गामड़ी मत्स्य उत्पा. स. स. | 8.9.77 | 110 |
| 6. | अम्बिका मत्स्य उत्पा. स. स. | 7.7.77 | 109 |
| 7. | राजपुरी मछली उत्पा. स. स. लि. | 30.9.79 | 20 |
| | | योग | 698 |

(सहकारिता मंत्री)

(2) समितियों को हुए हानि लाभ की सूची संलग्न है। लाभ वितरण न होने के कारण प्रत्येक सदस्यों को हुए लाभ की जानकारी नहीं हो सकती।

(3) जी नहीं। वार्षिक साधारण सभा से स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

**भूमि विकास बैंक प्रतापगढ़ द्वारा ऋण व अनुदान वितरण**

889. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भूमि विकास बैंक, प्रतापगढ़ ने जनवरी 1983 में किस किस व्यक्ति को ऋण व अनुदान राशि एक साथ भुगतान की? कृपया वितरित ऋणों व अनुदान की व्यक्तिशः सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भूमि विकास बैंक प्रतापगढ़ ने माह जनवरी 1983 में 15 सदस्यों को 37725.00 ऋण व 32775.00 अनुदान एक साथ दिया था, जिसकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

**राज्य में अकाल राहत कार्य**

890. श्री राम सिंह विश्नोई (लूनी): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 15 फरवरी, 1983 तक अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जिलेवार कितने-कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा अकाल से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से कितनी राशि की मांग की गई व अब तक कितनी प्राप्त हुई है व उस राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) राज्य में फरवरी, 83 के मध्य एवं मार्च, 83 के मध्य में श्रमिकों की जिलेवार जो संख्या थी वह संलग्न तालिका में दी गई है।

(2) राज्य सरकार ने अभाव वर्ष संवत् 2039 की 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 86.46 करोड़ रुपये की राशि की मांग की थी। केन्द्रीय सरकार ने खर्चे की अधिकतम सीमा 2986.70 लाख रुपये तय की है। धनराशि का आवंटन जिलेवार नहीं किया जाता। खर्चे की बड़ी बड़ी मदों में धनराशि उन कार्यों को सम्पादित करने वाले अभिकरणों को किया जाता है। इस कारण जिलेवार विवरण वर्तमान में नहीं दिया जा सकता।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

**राज्य के जिलों में अकाल राहत कार्यों हेतु धनराशि**

891. श्री बालचन्द आर्य (डग): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के कितने जिले अकाल से वर्तमान में प्रभावित हैं? कितने ग्रामों में अकाल घोषित किये गये हैं? ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बालचन्द्र आर्य)

(2) राज्य में कुल कितने मनुष्य तथा मवेशी अकाल की चपेट में हैं ? सरकार ने मवेशी के खाने हेतु चारे के डिपो कहां-कहां खोले हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार ने अकाल राहत हेतु केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि मांगी थी ? केन्द्र ने कितनी धनराशि मन्जूर की ?

(4) वर्तमान में राज्य के किन-किन जिलों में कितनी धनराशि के कार्य कितने स्थानों पर प्रारम्भ हो चुके हैं ? अकाल राहत कार्यों पर मजदूर को कितने रुपये दैनिक मजदूरी तय की है ?

उत्तर

(1) जिलेवार प्रभाव से प्रभावित ग्रामों की संख्या तालिका "1" में दी गई है। ग्रामवार सूची देना संभव नहीं है।

(2) प्रभावित क्षेत्रों की जनसंख्या एवं पशुसंख्या भी तालिका "1" में दे दी गई है। जहां तक चारा बिक्री व्यवस्था का संबंध है, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, जोधपुर एवं बीकानेर जिलों में पंचायत समितियों अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चारे की खरीद पर बिना लाभ हानि के बिक्री करने की व्यवस्था करने के लिए जिलाधीशगण को धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। जो राशि इन संस्थाओं को बिना ब्याज के ऋण के रूप में देने हेतु जिलाधीशों को 10 लाख रु. की राशि आवंटित कर दी गई है।

इस चारा परिवहन हेतु अनुदान 10 रु. प्रति क्वि. की दर से देने के लिए भी इन जिलों के जिलाधीशों को 5 लाख रु. की धनराशि का आवंटन कर दिया गया है।

(3) राज्य सरकार ने संवत् 2039 में 31 मार्च, 1983 के मध्य में होने वाली अवधि के लिए कुल 8646.30 लाख रुपये की धनराशि की मांग की थी। केन्द्रीय सरकार ने खर्चे की अधिकतम सीमा 2986.70 लाख तय की है।

(4) जिलेवार जो कार्य स्वीकृत किये गये हैं उनकी संख्या एवं उनके लिए स्वीकृत राशि का विवरण तालिका "2" में अंकित है।

(तालिकाओं के लिये कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

उदयपुर सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न मदों में खर्च

892. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर कार्यरत श्री किशन त्रिवेदी की नियुक्ति किस दिनांक को हुई ?

(2) श्री त्रिवेदी ने अपनी नियुक्ति की दिनांक से 31 जनवरी, 1983 तक कितनी राशि यात्रा व्यय के रूप में उठाई ?

(3) श्री त्रिवेदी द्वारा नियुक्ति की दिनांक से 31 जनवरी, 1983 तक कितनी राशि उनके घर पर लगे टेलीफोन पर खर्च हुई ?

(58)



(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(4) उक्त अवधि के श्री त्रिवेदी द्वारा काम में ली गई गाड़ी पर पैट्रोल एवं मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया गया ? कृपया पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री किशन त्रिवेदी की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8-6-81 से हुई।

(2) श्री किशन त्रिवेदी को दिनांक 23-7-82 तक 2541.00 यात्रा व्यय भुगतान किया गया है, उसके बाद कोई यात्रा बिल बैंक में प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) श्री किशन त्रिवेदी के घर पर टेलीफोन पर नियुक्ति की दिनांक से 31-12-82 तक 5947.00 रुपये खर्च हुआ है। जिसमें टेलीफोन किराया, ट्रंक काल्स व स्थानीय काल्स सम्मिलित हैं।

(4) श्री त्रिवेदी द्वारा बैंक गाड़ी का उपयोग किया गया उस पर दिनांक 1-7-81 से 31-1-83 तक फ्यूअल का व्यय 14112.00 रुपये व्यय हुआ है। गाड़ी का अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों ने भी समय समय पर उपयोग किया है।

छोटा बगरू गृह निर्माण सहकारी समिति अजमेर में अनियमितता

893. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)–क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि छोटा बगरू गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर के पिछले चुनाव की कालावधि समाप्त हो जाने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। यदि हां, तो इसके पिछले चुनाव कब हुए थे और उसमें कौन-कौन पदाधिकारी चुने गये और क्या वे ही पदाधिकारी अभी तक कार्यरत हैं या उनमें कोई परिवर्तन हुए हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस समिति के वर्ष 1978-79 के ऑडिट होने पर 35,000.00 रुपये लगभग का अनियमित तथा अवैध खर्च एवं गबन होना पाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि पूरे कागजात व पत्रावली भी ऑडिट के लिए पेश नहीं की गई ? यदि हां, तो इस बाबत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, छोटा बगरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि., अजमेर के पिछले चुनाव दिनांक 13–2–79 को हुए थे और उसमें निम्न पदाधिकारी अभी तक विभागीय रेकार्ड के अनुसार कार्यरत हैं:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री नाथूलाल/श्री मंगला | अध्यक्ष |
| 2. | श्री नाथू/सुवा | मंत्री |
| 3. | श्री छीतर | कोषाध्यक्ष |
| 4. | श्री गुलाबचन्द | संचालक |
| 5. | श्री नारायण | संचालक |
| 6. | श्री गोपाल | संचालक |
| 7. | श्री अर्जुन | संचालक |

उक्त में कोई परिवर्तन हुए हैं अथवा नहीं समिति का रेकार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण जानकारी देना असम्भव है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं अभी ऑडिट नहीं हुआ है।

(3) जी हां, इस संबंध में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 37 (2) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के माध्यम से रेकार्ड प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

**भीलवाड़ा जिले के गांवों का विद्युतीकरण**

894. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)–क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

भीलवाड़ा जिले में सन् 1981–82 व 1982–83 में किन-किन गांवों में विद्युतीकरण किया गया और कितने खम्बे व कितनी कितनी किस-किस पावर की लाइनें किन-किन गांवों में कितनी-कितनी कीमत की बिछाई गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1981-82 में 86 व 82-83 में (19-3-83 तक) 31 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है, जिनका विवरण सूची "अ" व "ब" में अंकित कर सदन के पटल पर रख दिया है। इन गांवों में लगाये गये खम्बें, बिछाई गई लाइनों की लम्बाई व अनुमानित कीमत का विवरण निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | विद्युतिकृत ग्रामों की संख्या | लगाये गये पोलों की संख्या | बिछाई गई पावर (एल. टी.) लाईन की लम्बाई (कि. मी. में) | बिछाई गई लाईन की अनुमानित कीमत |
|---|---|---|---|---|
| 1981–82 | 86 | 937 | 58.592 | 8,78,880 रु. |
| 1982–83 | 31 | 26 | 1.668 | 25,000 रु. |

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

**राज्य में बिजली की उपलब्धता एवं खपत**

895. श्री महावीर प्रसाद (टोंक)–क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वर्तमान में कितनी बिजली की आवश्यकता है एवं विभिन्न स्रोतों से कितनी-कितनी बिजली उपलब्ध हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उपलब्धि एवं खपत (मांग) में भारी अन्तर है ?

(3) यदि हां, तो राजस्थान सरकार इस मात्रा को पूरा करने के लिए क्या-क्या प्रयत्न कर रही है एवं आवश्यकता के अनुसार पूरी उपलब्धता कब तक हो जावेगी एवं प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी कमी की पूर्ति किस रूप में होगी ? अलग-अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

60



उत्तर

1. वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की अनुमानित अप्रतिबन्धित मांग लगभग 221.00 लाख यूनिटस् प्रतिदिन है जबकि दिनांक 20-3-1983 को विभिन्न स्रोतों से राज्य को 139.04 लाख यूनिट्स बिजली निम्न प्रकार से प्राप्त हो रही है :–

| क. सं. | स्रोत | विद्युत प्राप्ति (लाख यूनिट में) |
|---|---|---|
| 1. | भाखड़ा व्यास प्रबन्धक मण्डल | 62.04 |
| 2. | चम्बल | 25.00 |
| 3. | मध्य प्रदेश | 12.00 |
| 4. | बदरपुर तापीय विद्युत गृह | 20.00 |
| 5. | कोटा तापीय विद्युत् गृह | 5.00 |
| 6. | उत्तर प्रदेश (सिंगरोली) | 14.00 |
| 7. | स्थानीय तापीय विद्युत गृह | 1.00 |
| | कुल | 139.04 |

राजस्थान अणु विद्युत गृह की पहली इकाई गत एक वर्ष से बन्द है। दूसरी इकाई जब कार्यरत रहती है तो इससे औसतन 35 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध होती है। दूसरी इकाई भी कुछ दिनों से (12-3-83) बन्द है।

(2) जी हां।

(3) राज्य में विद्युत् की उपलब्धि बढाने के लिये कोटा तापीय विद्युत् गृह तथा बांसवाडा के निकट माही जल विद्युत् परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा कई लघु-पन विद्युत योजनाएं प्रस्तावित हैं। केन्द्र की सिंगरोली तापीय विद्युत् परियोजना का अतिरिक्त इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने पर राज्य को अतिरिक्त विद्युत् उपलब्ध होगी। इस परियोजना से राजस्थान को 300 मेगावाट क्षमता का आवंटन है। राज्य को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्ष 1983-84 व 1984-85 में विभिन्न स्रोतों से क्रमशः 575.70 व 1094.12 मिलियन यूनिटस् बिजली अतिरिक्त उपलब्ध होने की सम्भावना है, जिसका विवरण सूची 'अ' में सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 29 देखें)

### संस्कृत निदेशालय द्वारा खरीद में अनियमितता

898. श्री सैय्यद मोहम्मद अय्याज महाराज (मसूदा)–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या संस्कृत शिक्षा, निदेशालय द्वारा मार्च, 1980 में की गई अनियमित

(श्री सं. मो. अध्याज महाराज).
खरीददारियों और अन्य आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी श्री रामेश्वरलाल वर्मा ने कोई शिकायत राज्य सरकार को की थी ?

(2) क्या यह सही हैं कि राज्य सरकार ने उक्त शिकायत के आधार पर मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान से कोई स्पेशल ऑडिट संस्कृत शिक्षा विभाग का कराया था ? यदि हां, तो कृपया उक्त ऑडिट की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? विस्तृत विवरण सदन की पटल पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) जी, हां।

(3) जी हां। ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

दो गंभीर मुद्दों की बाबत श्री रामनारायण चतुर्वेदी निदेशक, संस्कृत शिक्षा को आरोप पत्र दिनांक 9-3-83 को दे दिया गया है तथा विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गई है। शेष मुद्दों का भी आरोप पत्र जारी किया जा रहा है।

(ऑडिट रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुशलगढ़ बांसवाड़ा रोड पर मोर नदी पर पुल का निर्माण

897. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या कुशलगढ़, उप जिला मुख्यालय सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्षा ऋतु में यह पिछड़ा क्षेत्र सड़क मार्ग से अलग-थलग हो जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा-कुशलगढ़ मार्ग पर मोर नदी का पुल नहीं बनने के कारण वर्षा ऋतु में मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो इस पुल के निर्माण हेतु राज्य सरकार की क्या मंशा है ?

(4) क्या राज्य सरकार कुशलगढ़, बांसवाड़ा रोड पर मोर नदी के पुल का निर्माण बनाने के लिये कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या, व इस पुल का निर्माण कब तक पूरा होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3 एवं 4) वर्षा ऋतु में आवागमन में असुविधा होती है। राज्य के वित्तीय साधनों के अभाव में इस पुल को बनाए जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1983)

दरगाह शरीफ, अजमेर की सम्पत्ति

474. श्री सैय्यद मोहम्मद अय्याज महाराज (मसूदा)-क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दरगाह शरीफ, अजमेर की कितनी चल व अचल सम्पत्ति है, और इसका नियंत्रण कौन व किस कानून के तहत करता है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि दरगाह शरीफ की भूमि पर भी अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो कहां कहां?

(3) क्या सरकार इस संबन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर का प्रशासन, नियंत्रण, तथा व्यवस्था दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट, 1955 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत दरगाह कमेटी, अजमेर के क्षेत्राधिकार में है। उक्त कमेटी, दरगाह शरीफ के प्रशासन, नियंत्रण तथा व्यवस्था के अधिकार, नाजिम के मार्फत इस्तेमाल करती है। दरगाह कमेटी से प्राप्त चल व अचल सम्पत्ति की सूची सदन की पटल पर रखदी गई है।

(2) दरगाह शरीफ प्रशासन के अनुसार अतिक्रमण की जानकारी सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) दरगाह का प्रशासन दरगाह कमेटी, अजमेर में निहित है, अतः राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी अतिक्रमण के मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाये जावेंगे।

(सूची व जानकारी के लिये कृपया परिशिष्ट 30 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री समर्थलाल, ग्राम पंचायत मड़ा, पंचायत समिति (रेणी) जिला अलवर के पंचों उप सरपंच सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने पर पुलिस द्वारा उक्त पंचों के विरुद्ध कुछ मुकदमें लगाने के विषय में।

(2) श्री मालाराम – खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में हो रहे सैटिलमेंट के कार्यों में अनियमितताओं के विषय में।

(3) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया – एस. डी. एम., सवाई माधोपुर की कथित लापरवाही के कारण गत 25 फरवरी को राजाराम मीणा की हत्या के विषय में।

(4) सर्व श्री बालचन्द आर्यवीर, अनंग कुमार जैन – आगामी 23 मार्च को शहीद भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरु के शहीद दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्रीमती विद्या पाठक – सांगानेर तहसील के ग्राम महापुरा की चरागाह की भूमि को स्टेडियम के लिए आवंटित करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(6) श्री यदुनाथसिंह – 7 जनवरी, 1982 को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में अनियमितताओं के विषय में।

(7) श्री गुलाबचन्द कटारिया – वीरपुरा खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. जयसमन्द को समाज कल्याण विभाग द्वारा आवंटित अनुदान की राशि में गबन के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(8) श्री हरिश शर्मा व श्री गोपाल-पचेरवाल–झालावाड़ जिले में गंगधार के डाक्टर द्वारा भ्रष्टाचार व रिश्वत लेने की शिकायतों के विषय में। यह प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जा रहा है।

(9) श्री वंशीलाल पटवा – भीलवाड़ा तहसील के विभिन्न जल स्रोतों से फसलों के लिए कृषकों को पानी देने में भेदभाव। यह प्रस्ताव अस्पष्ट है।

(10) सर्व श्री कैलाश मेघवाल, पुष्पा जैन, भंवरलाल शर्मा व राम किशोर मीणा-पीपाड़ सिटी नगरपालिका के अध्यक्ष को हथकड़ी डालने की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के उप नेता श्री ललित किशोर चतुर्वेदी की भूख-हड़ताल के विषय में। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

(11) डा. उजला अरोड़ा–राजस्थान बैंक की एम. आई. रोड स्थित शाखा पर एक बैंक कर्मचारी से 4 हजार रुपये की राशि किसी व्यक्ति द्वारा छीन कर ले जाने के विषय में। यह भी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और इस प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है। अतः इस पर चर्चा होने से अनुसंधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री यदुनाथसिंह ने थानानगर, जिला भरतपुर में गत एक मार्च को श्रीमती कुसुमलता की हत्या के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस संबंध में सरकार से प्राप्त तथ्यों से प्रकट होता है कि मृतक का पोस्टमार्टम हुआ है और इस मामले में धारा 306 ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

इसके अलावा कई माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी और उन पर आसन ने यह व्यवस्था दी थी कि उन पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाया जायेगा अथवा यह व्यवस्था दी गई थी कि उनका अध्ययन किया जा रहा है। उनका अध्ययन किया गया; सूची काफी लम्बी है। उनके साथ कई ध्यानाकर्षण

64



(श्री अध्यक्ष)
प्रस्ताव जुड़े हुए हैं। तो उन स्थगन प्रस्तावों के बारे में वक्तव्य जितने भी दिलाये जाने हैं उनका दिन निश्चित किया जा रहा है, यह माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए मैंने निवेदन किया।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार कर दिया वह दो-दो मिनट में अपनी बात कहने की कृपा करेंगे।

श्री हरीश शर्मा और श्री गोपाल पचेरवाल झालावाड़ जिले में गंगधार के डाक्टर द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वत के बारे में।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) पाईन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, आगरा टू पाकिस्तान जो नेशनल हाई वे है उसके लिए किसानों की लाखों एकड़ जमीन को सरकार ने ले लिया और अभी तक एक पैसा मुआवजा नहीं दिया गया। उसके बारे में लिखित में जो बेतुका जवाब दिया गया है उससे मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ है। इन्होंने कहा यह सड़क राजाओं के जमाने में बनी होगी। मैं सरकार से आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं, आपने कहा राजाओं के जमाने में बनी होगी तो उन राजाओं के राज की मालिक तो सरकार बन गई लेकिन उन्होंने किसानों की जो जमीन हड़प ली उसका एक पैसा देना नहीं चाहती दूसरा, यह जवाब दिया गया कि जो सड़क के साईड में जमीन ली गई है करीब 100 फिट, उसका तालुक हमारे से नहीं वन विभाग से है। मेरी समझ में नहीं आया, मैंने सरकार से मांग की थी एक स्थगन प्रस्ताव के जरिये कि किसानों की जमीन का मुआवजा दीजिये। मैंने किसी विभाग से मांग नहीं की थी। मैं पूछना चाहता हूं कि यह वन विभाग क्या पाकिस्तान का है, जो उसके प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखते। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह किसी एक किसान का नहीं लाखों किसानों का मामला है लाखों किसानों की करोड़ों रुपये की जमीन जबरदस्ती ली गई है। जो किसान देश के लिए कुरबानी देते हैं उनका मुआवजा है। यह बेतुका जवाब देना बन्द किया जाय। मुझे समझ में नहीं आता।

इसके साथ ही एक और बहुत ही ताज्जुब की बात है। मेरे प्रस्ताव के बारे में कहा गया है कि हम समझे नहीं कि यह रोड कौन सी है। अध्यक्ष महोदय, यह पाकिस्तान में नहीं हिन्दुस्तान की सरजमीन में है। आगरा से लेकर पाकिस्तान तक नेशनल हाई वे है। मैंने लिखा है जयपुर वाया सीकर, फतेहपुर, रतनगढ़ और बीकानेर होकर यह रोड गई है फिर भी इनके समझ में नहीं आयी ऐसी भाषा और ऐसे शब्द जो बिल्कुल साफ हैं। वे समझ में नहीं आये तो ऐसे अधिकारियों को रख कर सरकार क्या करेगी? ये क्या काम देंगे जो ऐसी साफ बात तो समझ नहीं सके। मैं चाहूंगा कि सरकार बिलकुल साफ जवाब दे कि किसानों को मुआवजा देना चाहती है या नहीं ताकि हम और कार्यवाही करें। हम इन सड़कों को तोड़ देंगे, भले ही सरकार कुछ भी करे। यह हमारे खेतों में से, हमारी जमीन में से अनधिकृत रूप से निकाली गई है। यह जुर्म है, अपराध है। हमारी करोड़ों रुपयों की जमीन बरबाद हो गई।

मैं मांग करता हूं कि मेरे प्रस्ताव का माकूल जवाब दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपने पाइन्ट आफ आर्डर के नाम से यह चर्चा शुरू की थी। यह पाइन्ट आफ आर्डर की परिभाषा में नहीं आता। माननीय सदस्य को नाराजगी इस बात पर हो गई कि सरकार का उत्तर आया उसमें उन्होंने यह पूछा था कि यहां सड़क के कई टुकड़े हैं और कई बार बनी है इसका कुछ हिस्सा बहुत पुराने टाइम में मिला हुआ है उसका मुआवजा मिला या नहीं, तो कई जगह मुआवजा मिल जाता है कई जगह नहीं मिलता। पाकिस्तान तक का आपने कहां, बीकानेर से आगे पाकिस्तान को 3–4 सड़कें जाती हैं, तो किस टुकडे का जवाब देंगे। इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप थोड़ा स्पष्टीकरण दे दें तो सरकार से महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी मांग लेंगे लेकिन आपने अपनी बात फरमा दी।

श्री त्रिलोक सिंह : यह नेशनल हाई-वे है आगरा टू पाकिस्तान वाया जयपुर, वाया सीकर, वाया बीकानेर।

श्री अध्यक्ष : कौनसा नेशनल हाइ-वे कहां से कहां तक चलता है। आप नेशनल हाई-वे की बात करेंगे तो नेशनल हाई-वे तो कहीं जाकर खतम हो जाती है और आगे दूसरी सड़क चलती है हाई-वे का नम्बर दूसरा लगा रहता है इसलिए यह निवेदन किया था कि इस सड़क के बारे में कुछ अन्य सूचना चाहते हैं। प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से देने के लिए आप इस बात पर नाराज हो गये। आपने यह फर्मा दिया। इस पर चर्चा समाप्त हुई। आर्डर प्लीज।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : आगरा से बीकानेर नेशनल हाई-वे 11 नम्बर है, आप आइडेंटिफाई कर सकते थे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुआवजे का सवाल है तो किस व्यक्ति का, कौन से गांव का...

श्री त्रिलोक सिंह : यह बहुत ही अफसोस की बात है एक परिवार की हजारों माइल..

श्री अध्यक्ष : एक परिवार के पास हजारों माइल जमीन नहीं होती, कृपया बैठ जायं।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था यहां पर दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विवेक को किसी तरह से चुनौती नहीं देना चाहता हूं और न आसन के प्रति किसी तरह का अनादर करने का मेरा विचार है। मैं स्पष्टतया इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एक व्यवस्था दी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के उपनेता, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी आज से···

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, इस पर जब अवसर आये तब···

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह निवेदन कर रहा था

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर···

श्री कैलाश मेघवाल : आपने इसे प्रस्ताव का विषय···

श्री अध्यक्ष : इस व्यवस्था का जब टर्न आये तब कहें···

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको आप सरकार को....

श्री अध्यक्ष : थोड़ा काम निपट जाये तो वह आ जाएगा। उस समय आपको अवसर दे दूंगा। कृपया, बैठ जायें।

श्री हरीशशर्मा। श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के गंगधार चिकित्सालय के डाक्टर×××

श्री अध्यक्ष : नाम न लें माननीय सदस्य। नाम काट दिया जाये। सदन की कार्यवाही से हटाया जाये।

(व्यवधान)

गंगधार में कई डाक्टर होंगे तो पता नहीं चलेगा।

श्री हरीश शर्मा : एक ही डाक्टर है।

अध्यक्ष महोदय, ग्राम जैताखेड़ी, तहसील गंगधार में बावरी जाति की एक विधवा स्त्री जल गई थी। वह गंगधार चिकित्सालय में इलाज कराने के लिये आई थी। डाक्टर ने उसको इन्जेक्शन दिया। उसके साथ उसका बेटा भी था। डाक्टर लोभी प्रवृत्ति का था। उसने उससे 90 रुपये मांगे। लड़के ने कहा, मैं छोटा हूं अभी मेरे पास नहीं है कल दे दूंगा। डाक्टर ने उस औरत के बोतल चढ़ा दी और उससे कहा, यह बोतल नहीं खोली जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी दर्दनाक बात है। चौबीस घंटे तक बोतल उस स्त्री के चढ़ती रही। बोतल से हवा पास होती रही। परिणाम यह हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अनुसूचित जाति की उस विधवा स्त्री की मृत्यु हो गयी लेकिन डाक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी शिकायत माननीय चिकित्सा मंत्रीजी और डायरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ को की गयी। दुख की बात है कि कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। यह डाक्टर चार साल में चार जगह रह चुका है। जहां जहां रहा जनता ने यही शिकायत की कि यह इलाज नहीं करता है। परिणाम यह होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो गरीब, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है वे लोग मारे जाते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते हैं। इसके अलावा एक और केस है। लूनाखेड़ी ग्राम, का अनुसूचित जाति चमार जाति का एक व्यक्ति था। उसकी पुत्री के डिलीवरी होने वाली थी। वह डाक्टर के पास आया। डाक्टर साहब, मेरी बेटी के डिलीवरी होने वाली है आप चल कर देख लें। डाक्टर ने कहा, पहले पांच इन्जेक्शन लाओ, सौ रुपया फीस चाहिये। पहले इतने रुपयों का इन्तजाम कर लो। उसने कहा, मैं गरीब आदमी हूं इतना पैसा इस समय नहीं दे सकता लेकिन वादा करता हूं कि यह रुपया कल दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप भी दयावान हैं परन्तु उस डाक्टर को दया नहीं आयी। परिणाम यह हुआ कि उस चमार की बेटी के मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। इसके लिये डाक्टर जिम्मेदार है। इस मानव हत्यारे डाक्टर को कटघरे में खड़ा करना चाहिये।

---

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरीश शर्मा)

इसके अलावा एक मुस्लिम स्त्री डाक्टर के पास पहुँची। अध्यक्ष महोदय, वह बीमार थी, चार घन्टे तक बैठी रही लेकिन डाक्टर ने उसको नहीं देखा। रात्रि के 12 बजे तक बैठी रही। आखिर में जो उसके साथ वृद्ध मौलाना था उसने डाक्टर साहब से कहा, हम यहां पर बैठे हुए हैं आप कृपया इसको देख लीजिये। डाक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पैसा लाओ इलाज कराओ। आपने गाना सुना होगा, अध्यक्ष महोदय, पैसा फेंको तमाशा देखो। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आप ऐसे मानव अत्याचारी, हत्यारे डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। उस अस्पताल में तीन मरीज मर गये। मैंने सुना है कि डाक्टर परम दयावान होते हैं, मरीज को बचाना उनका कर्तव्य होता है लेकिन दुख की बात है कि इस डाक्टर ने तीन मरीजों की जान ले ली। युवक कांग्रेस आई के उपाध्यक्ष ने डाक्टर को बहुत लताड़ा। उन्होंने चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखा, टेलिग्राम दिया कि इस डाक्टर का इन्तजाम किया जाये, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है कि यह डाक्टर मानव हत्यारा बना हुआ है, पैसे के पीछे नर भक्षी बन गया है। इसका इन्तजाम किया जाये अन्यथा पूरी तहसील में जन-विद्रोह खड़ा हो जाएगा।

**श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल**

(अनुपस्थित)

**श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले का यह मामला है....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

**श्री बालचन्द आर्यवीर:** अध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जाति का मामला है।

**श्री अध्यक्ष:** यह आम चर्चा का विषय नहीं है। कृपया बैठ जायें। इस तरह इजाजत नहीं दे सकता। कृपया बैठ जायें। श्री बंशी लाल पटवा।

**श्री बालचन्द आर्यवीर:** मेरे क्षेत्र का मामला है...

**श्री अध्यक्ष:** मेरे क्षेत्र के भी कई मामले आ जाते हैं। ..

**श्री बालचन्द आर्यवीर:** आपकी आज्ञा से....

**श्री अध्यक्ष:** दो मिनट लेकिन नाम नहीं लेंगे।

**श्री बालचन्द आर्यवीर:** माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगधार तहसील में जेतखेड़ी ग्राम है वहां पर अनुसूचित जाति, बावरी जाति की जो विधवा स्त्री थी उसको जब अस्पताल ले जाया गया तब किसी प्रकार की वहां पर व्यवस्था नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, जब जिला चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की जाती है तो वह भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं। वहां व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। यह डाक्टर पहले जहां पर था वहां पर भी इसी प्रकार के कुकृत्य करता था। यह गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह जो केस हुआ है उसकी जांच करायें और दोषी डाक्टर को दंड दिलायें। यही मेरे को कहना है।

**श्री अध्यक्ष:** श्री बंशी लाल पटवा । भीलवाड़ा तहसील के विभिन्न जल स्रोतों से कृषकों को फसलों के लिए पानी देने में भेदभाव ।

**श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):** अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिला और भीलवाड़ा तहसील में कई ऐसे जल स्रोत हैं जिनसे कृषि की सिचाई होती है। भीलवाड़ा तहसील में कानियाखेड़ी, मेजा डेम और अन्य इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जब इन जलाशयों में प्रचुर मात्रा में पानी आ जाता है तो सिंचित क्षेत्र में पानी दिया जाता है इस वर्ष फसलें बोई गई और पानी वितरण भी किया गया लेकिन जो अन्तिम पानी मिलना चाहिये था किसानों को, उस अन्तिम पानी देने में भेदभाव बरता गया। नहरें जल्दी बंद कर दी गई कमान्ड एरिया में जितनी जमीन हैं उसमें से बहुत सी कृषि जमीन को पानी का वितरण नहीं किया गया जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कमान्ड एरिया में जो कृषि भूमि में फसल बोई गई थी आज उन किसानों की फसल सूख गई। कानियाखेड़ी प्रोजेक्ट से सिंचाई में इसी तरह भेदभाव बरता गया। गुवाड़ी प्रोजेक्ट में भी इसी तरह भेदभाव बरता गया। अन्य जो जलाशय हैं उनसे भी इसी तरह भेदभाव बरता गया और सब से बड़ा-मोटा भेदभाव यह बरता गया कि मेजाडेम प्रोजेक्ट से जो पानी दिया जाता है प्रति वर्ष जो सिंचाई होती है इस वर्ष मेजा डेम पूरा भरने के बाद भी इन क्षेत्रों में किसानों को पानी नियमित तौर पर नहीं दिया गया बीच बीच में रोका गया। बीच बीच में उनको पानी नहीं मिलने से यह स्थिति हुई कि लेफ्ट कैनाल को एक सप्ताह पहले खोला गया है राइट कैनाल मेरे क्षेत्र में पड़ता है। लैफ्ट कैनाल कृषि मंत्री के क्षेत्र में जाती है इस कारण कृषि मंत्री जी के प्रभाव में आकर सिंचाई विभाग ने वहां पर अन-कमाण्ड एरिया की जमीन को पानी दिया और राईट कैनाल, जो मेरे क्षेत्र में पड़ती है, में पानी समय पर नहीं दिया। केवल एक सप्ताह कैनाल खोलकर बाद में पानी बन्द कर दिया गया जिसके कारण भोली, घूमडास पोन्दरास और रूपा हेली, आरजीया आदि क्षेत्र में दस हजार बीघा भूमि जो कमाण्ड क्षेत्र में आती है पानी नहीं मिलने से किसान की सारी फसल जल कर राख हो गई। इस तरह का भेद भाव सरकार की ओर से बरता गया है। आज चार वर्ष से अकाल चल रहा है बड़ी मुश्किल से किसानों ने वहां परफसलें बोई है उनके साथ इस प्रकार का भेद भाव करने के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई आज किसान आन्दोलित हैं उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो इस तरह का सिंचाई विभाग ने भेद भाव बरता है, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैसे बटोकर अन-कमाण्ड एरिया में पानी दिया और कमाण्ड एरिया में पानी नहीं दिया उनके बारे में आप कार्यवाही करें यही मेरा निवेदन है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर में जो 15 तारीख को लाठी चार्ज कांड हुआ है इस मामले को लेकर वकील आन्दोलित हैं, महिलाएं आन्दोलित हैं। बराबर मैं आपसे आग्रह करता आ रहा हूं कि मेरे स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दीजिये।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य समाप्त कीजिए।

श्री बंशीलाल पटवा: वह तो समाप्त हो गया परन्तु व्यवस्था के संबंध में मेरा निवेदन है कि कल ही भीलवाड़ा में महिलाओं ने जुलूस निकाला है वहां आदमी क्रमिक हड़ताल पर है और वहां के नागरिकों में असंतोष है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है माननीय सदस्य, आप यदि विस्तार से विवरण देते...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज आर्डर।

अंकित न हो। आर्डर आर्डर।

श्री बंशीलाल पटवा: × × ×

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप जब भी स्थगन प्रस्ताव देवें वह स्पष्ट होना चाहिये उसका उद्देश्य क्या है, किस बात की आप सूचना चाहते हैं या सरकार से वक्तव्य चाहते हैं। भीलवाड़ा के जल स्रोत के पानी वितरण में भेदभाव। किस गांव के साथ, किस बांध पर भेद भाव?

श्री बंशीलाल पटवा : व्यवस्था दीजिए जानकारी नहीं आ रही है, आखिर क्यों? सरकार मामला दबाना चाहती है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप 5-10 उदाहरण दे देते तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाती।

श्री बंशीलाल पटवा : वह दूसरा विषय है, हुकुम।

एक माननीय सदस्य : स्थगन प्रस्ताव तो भीलवाड़ा जिले में लाठी चार्ज हुआ उसके बारे में दिया है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसके लिए इजाजत नहीं दी है।

श्री बंशी लाल पटवा : आपने नहीं दी तो मेरा यह निवेदन है कि आप व्यवस्था दें आखिर कब तक जानकारी आयेगी। सरकार के पास साधन है। वहां हालत खराब है। वकीलों को पीटा गया है, महिलाओं को पीटा गया है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी आ जायेगी, मैं आपको अवसर दे दूंगा।

अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX.

श्री बंशीलाल पटवा : XXX

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा: (जयपुर ग्रामीण) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना 23 तारीख की है। 23 तारीख को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के कर्मचारी, जिसका नाम कुन्दन सिंह है, को 9 हजार रुपये का चैक दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, वह कैश लाने के लिए एलीजेबिल नहीं था। उसकी पचास रुपये की सिक्योरिटी थी और बैंक का अस्थाई कर्मचारी था, उसको चैक देकर कैश करवाने के लिए शीर्षस्थ बैंक भेजा यह गलती क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा हुई। क्षेत्रीय प्रबंधक को उस चपरासी को चैक नहीं देना चाहिए था। वह चपरासी गया रिजर्व बैंक में कैश करवाने के लिए और कैश करवाकर जब वह लौटने लगा तो उसको उसी के बैंक में काम करने वाला भैरू सिंह नाम का चपरासी मिला जिसके पास साइकिल थी। उसने कहा,

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जरा, मुझे बैंक में छोड़ देना। वे बैंक पहुंचे उसको पांच हजार रुपये के नये नोट मिले। चार हजार रुपये के नये नोट लाने के लिए उसने कहा दूसरी बैंक ले चल। वह वहां पर गया। उसके बाद जैसे ही एम. आई. रोड पर पहुंचा तो एक पुलिस का अधिकारी मोटर साइकिल पर बैठ कर आया और बोला: तू जाली नोट देकर आया है बैंक में, मेरे साथ चल। वह चपरासी इस बात को समझ नहीं सका कि पुलिस अधिकारी तत्काल उसको कैसे लेने आया। घबड़ाकर वह उसकी मोटर साइकिल पर बैठकर चल दिया। जैसे ही रिजर्व बैंक के सामने पहुंचा तो उस पुलिस अधिकारी ने नौ हजार रुपये, जो रूमाल में बंधे थे, छीन लिये और भाग गया। इस बात को बैंक वालों ने अशोक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। अध्यक्ष महोदय, अन्याय यहां हुआ है, पहली बात तो उसे चैक नहीं देना चाहिये था। जो कुन्दन सिंह था जिसके पास पैसे थे जिसे पुलिस अधिकारी ले गया, जिससे पैसे छीने गये उसका नाम यहां के चैयरमेन ने कटवा दिया। चैयरमेन साहब हैं अपने एम.एल.ए. रामसिंह महारिया उन्होंने मैं कहूंगी कि उसका नाम कटवा दिया जिसके पास पैसे थे और जिसे क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा चैक नहीं दिया जाना चाहिये था। यह क्षेत्रीय प्रबन्धक महारिया के बहनोई थे असिस्टेंट मैनेजर थे इनको तत्काल क्षेत्रीय प्रबन्धक बना दिया, रीजनल प्रबंधक बना दिया जबकि वे उसकी योग्यता नहीं रखते।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। आप विषयान्तर हो रही हैं, माननीय सदस्या, विषय पर आ जाइये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : विषय पर आ रही हूं। मान्यवर, जो बेचारा साइकिल पर ले गया उसको बिजली से करेन्ट लगाया जा रहा है थाने में उसका नाम जो कुन्दन सिंह...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। जहां मानहानिकारक कानूनी मसले हों, यथा सम्भव नाम न लें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : जिस चपरासी को रुपया दिया गया था वह श्री महारिया के गांव का रहने वाला है। उनके घर पर आज भी काम करता है। उसका नाम थाने से कटवा लिया और कुन्दन सिंह थोड़ी दूर साइकिल पर ले गया ...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आपके स्थगन प्रस्ताव में किसी का क्या संबंध है, किस कारण हुआ है, यह आपने नहीं लिखा है। माननीय सदस्या, इसलिए अन्य विषय नहीं लायें। आप अपने आपको स्थगन प्रस्ताव और यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहां तक सीमित रखें। समय भी समाप्त हो गया है इसलिए कृपया समाप्त करें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं एक मिनट में समाप्त कर देती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इस तरह चर्चा न करें इससे अनुसंधान पर असर पड़ता है, अनुसंधानकर्ता भयभीत हो जाता है, प्रभावित हो जाता है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मान्यवर, निरपराध व्यक्ति को सजा मिले यह तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
अनुसंधान का लक्ष्य नहीं होना चाहिये। अनुसंधान का लक्ष्य यह बना रखा है कि निरपराध व्यक्ति मारा जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दोनों अधिकारी दोषी हैं। जिन्होंने चेक दिया उनका कुछ नहीं हो रहा है...

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अन्य व्यक्ति को फांसा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो मोटर साइकिल पर लेकर गया था...

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने आपके सामने इसलिये निवेदन किया कि यह जनता की अदालत है आशा है, इसमें मुझे न्याय मिलेगा। जो चेयरमैन साहब हैं उनको आप समझा दें।

श्री अध्यक्ष : जिस मामले पर अनुसंधान पर हो रहा हो, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रस्ताव को तत्काल नहीं उठाया जाये। सदन के समक्ष इस तरह का मसला आता है तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति उस अपराध का अनुसंधान कर रहा होता है उसका मन हिल जाय, वह निष्पक्ष नहीं रह सके। वह भयभीत हो जाता है इसलिये ऐसे मामलों को नहीं लायें। लेकिन जिस मामले में अन्याय हो रहा है इस तरह का कोई मामला हो तो अलग बात है।

श्री यदुनाथ सिंह-थाना नगर जिला भरतपुर में गत एक मार्च को कुसुमलता की हत्या के संबंध में।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने आपको जानकारी दी है उस जानकारी को सुनकर, पढ़कर गहरा दुख और क्षोभ हुआ है। लड़की कुसुमलता की जो हत्या की गयी वह जान बूझकर की गई है। उसका पति बहुत दिनों से दहेज के लिये झगड़ा करता आ रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि आप इस पर आज रूलिंग देने वाले हैं वरना मैं मंत्री महोदय के सामने चिट्ठियां भी रखता जिनसे यह तो प्रदर्शित होता कि इस हत्या में उसके पति अग्रवाल साहब का ही हाथ है। वह डीग का रहने वाला है और जिससे शादी हुई थी वह अलवर की रहने वाली थी। जो घटना घटी, लड़की को जलाया गया उस दिन हास्पिटल में उसकी बहुत गम्भीर हालत थी। उसको नगर हास्पिटल ले जाया गया था लेकिन वहां पर कोई डाक्टर नहीं था। इन परिस्थितियों में कम्पाउन्डर ने भरतपुर हास्पिटल को केस रैफर कर दिया लेकिन चूंकि अग्रवाल साहब के रिश्तेदार अलवर में डाक्टर थे इसलिये उसको अलवर ले जाया गया और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी। उनके किसी लड़की से संबंध थे इस कारण यह हुआ। इसके मेरे पास डाकूमेंटरी सबूत हैं जो अलग से मैं मंत्री महोदय को प्रस्तुत कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की घटनायें रोज हो रही हैं। इस तरह का

(श्री यदुनाथ सिंह)

ढिलमिल जवाब देंगे तो क्या होगा। पोस्ट मार्टम उसका किया नहीं गया। हां, मंत्री महोदय, केवल उसको जरासी चीरकर टांका लगा दिया। उस लड़की की जान चली गई। उस लड़की को दहेज के कारण किसी दूसरी लड़की के साथ अपने संबंधों के कारण दण्ड दिया गया मारा गया इस तरह से हमारी मां और बेटी जलायी जायेगी तो यह कलंक की बात होगी। मैं चाहूंगा कि इस तरह की कोई घटना सरकार के सामने आये तो ऐसे मामलों में आपको बहुत कड़ा रुख अपनाना चाहिए। मैं चाहूंगा इसकी पुनरावृत्ति न हो। मेरे पास डाकूमेंटरी प्रूफ अलग से है वह मैं मंत्री महोदय को अलग से प्रस्तुत कर दूंगा। आशा है, सरकार इस पर कड़ी कार्यवाही करेगी। इतना ही कहना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री कैलाश मेघवाल।

**श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद)** : ऐसा ही एक मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था, 14-3-83 को बीकानेर में आशा मोदी को जलाकर मार डालने से सम्बन्धित था।

**श्री अध्यक्ष** : जलाने का विषय ऐसा नहीं है। आप मेरे से मिल लें। अन्य किसी युवती को जलाने का विषय आ गया तो किसी अन्य माननीय सदस्य को भी उस पर बोलने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका अधिकार नहीं बनता है।

(व्यवधान)

कृपया मिलने का कष्ट करें।

सर्वश्री कैलाश मेघवाल, भंवरलाल शर्मा रामकिशोर मीणा एवं सुश्री पुष्पा जैन ने पीपाड़ सिटी नगरपालिका के अध्यक्ष के हथकड़ी डालने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस स्थगन प्रस्ताव का विषय बताया है इस सभा के हमारे एक माननीय सदस्य द्वारा भूख हड़ताल। मैं समझता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता है। इसलिये मैंने इसको अस्वीकार कर दिया। अब जैसी हमारी परम्परा रही है एक एक मिनट में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। लेकिन एक माननीय सदस्य कहें।

**श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने विधान सभा के सत्र के दौरान अनेकानेक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव आते हैं। ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच से लगाकर अन्य कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधियों पर होने वाले अन्याय, शासन के द्वारा उनके साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार आदि के बारे में, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आपका ध्यान खींचा जाता है। आपने समय समय पर कृपा करके उन प्रस्तावों को स्वीकार किया है। राज्य सरकार से स्टेटमेंट दिलाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के उप नेता, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, जिनका एक राजनैतिक जीवन रहा है, जो भूतपूर्व मंत्री रहे हैं, आज भूख हड़ताल पर हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री अध्यक्ष** : लंच का टाइम तो अभी हुआ है। आम तौर पर डेढ़ बजे तक भोजन करते हैं, रात को तो उन्होंने भोजन किया होगा ?

श्री कैलाश मेघवाल : उन्होंने तो आपको कल ही सूचना दे दी थी कि वे आज से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं । इसलिये वे आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर हमेशा ही इस बात का प्रयत्न किया जाता रहा है कि पक्ष और विपक्ष, विरोधी दल मिलकर कुछ हल, कुछ फैसला कर लें। यहां पर जो समस्या रखी जाती है उसका तात्पर्य यह होता है कि उसका कुछ हल निकले । और उसमें आपकी बहुत अहम् भूमिका रहती आई है। मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आखिर इतने लम्बे समय से यहां पर हम सब को देख रहे हैं, आप हमारा व्यवहार देख रहे हैं। राज्य सरकार के क्रूर कृत्य के कारण राज्य सरकार की इर्रेस्पांसिबिलिटी के कारण, राज्य सरकार के गैर दायित्व के कारण, ढंग से व्यवहार न करने के कारण भारतीय जनता पार्टी के उपनेता को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा । इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव जो दिया वह इसलिये दिया कि राज्य सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाला जाय। आपके सामने आखिर लम्बी चौड़ी बहस हुई । मैं शुक्रगुजार हूं माननीय सिंचाई मंत्री जी का, जिन्होंने स्वीकार किया था अपने स्पष्टीकरण के दौरान कि यह सही है, इसी विधान सभा में बार-बार इस बात का आश्वासन दिया गया है, यह घोषणा की गयी है कि निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के हथकड़ी कभी नहीं लगायी जायेगी। यह घोषणा सरकारी पक्ष की ओर से अपने जवाब में की गई है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार नहीं मानती है घोषणा करने के बाद उस का पालन नहीं करती है तो हमारे पास क्या हथियार है, क्या तरीका है ? हम कौनसा नया तरीका अपनायें यह मैं आसन से सवाल करता हूं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी स्थिति साफ है। सरकारी पक्ष ने एक विषय पर अपना मत जाहिर किया उसके अनुसार यदि सरकार कार्यवाही नहीं करती है कदम नहीं उठाना चाहती है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय आपको इस सदन में हमको प्रोटेक्शन देकर सरकार को मजबूर करना चाहिये। सारा पक्ष सामने है तथ्य सामने है मैं आपके माध्यम से विधान सभा को बता दूं कि सारी स्थिति विदित है यहां पर सब बातें कही जा चुकी हैं फिर भी हमारे माननीय सदस्य को मजबूर होना पड़ा ऐसा करने के लिये। वे सदन में हो रही चर्चा, जो महत्वपूर्ण है, में अपने विचार विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा, बहस के द्वारा प्रस्तुत न करें विधान सभा सत्र के दौरान इस परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे रहें, यह बहुत ही गम्भीर मसला है। आपसे विनम्र अपील करना चाहता हूं, बहुत ही विनम्रता पूर्वक आसन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को मजबूर करें कि हमारे विधायक की भूख हड़ताल तुड़वाये ताकि वे सदन मे चर्चा में हिस्सा ले सकें ऐसी व्यवस्था करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस विषय पर जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया वह इसलिये रखा गया कि··

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : महीना भर तक असेम्बली को बढ़ा कर रोज चर्चा करें।

एक माननीय सदस्य : चुनाव में तो लड़ते रहेंगे आपस में।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल इस बात पर हमने चर्चा की। जो तथ्य सामने आये हैं, उन तथ्यों के आधार पर भी सरकार की ओर से कोई समाधान नहीं निकाला गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन यह है कि हथकड़ी लगाकर जिस व्यक्ति को अपमानित किया गया, वह किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे पंच हों, चाहे सरपंच हों, चाहे नगरपालिका के सदस्य या अध्यक्ष हों, चाहे विधान सभा के सदस्य हों, चुने हुए लोगों के साथ इस प्रकार का बर्ताव करना प्रजातन्त्र का अपमान है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बातें सब कल कही जा चुकी हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसके बावजूद भी हमारी सरकार...

श्री अध्यक्ष : नया विषय कौनसा है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उसके बावजूद भी सरकार ने जब कुछ नहीं किया तो मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा।

(12.51 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पीठासीन)

यह बात सही है, माननीय सभापति महोदया, कि इन सब बातों पर कल चर्चा हुई। हम यह आशा करते थे और सदन को यह विश्वास था कि इन सब बातों पर विचार करके हमारी सरकार और विशेषकर गृह मंत्री जी इस किये गये घृणित कार्य के खिलाफ कोई न कोई कदम उठायेंगे लेकिन ऐसा नहीं करने के कारण, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। क्या हम भी इस प्रकार से अत्याचारों को, अन्याय को, मूक दर्शक के नाते देखकर चुप बैठे रह सकते हैं, विशेषकर, जब विधान सभा चल रही है ? विधान सभा के सामने यह सारा विषय आया। यह नहीं हो सकता कि इस प्रकार चुने हुए लोगों के साथ पुलिस ज्यादती करती रहे, सरकार कुछ नहीं बोले, हम लोग भी यहां पर कुछ न करें। इसलिए इससे खिन्न होकर हमारे माननीय नेता, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने आज से भूख हड़ताल शुरू की है। उनकी वेदना है। यदि इस प्रकार के चुने हुए लोगों के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव करती रहेगी तो इसको कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है। नगरपालिका के चेयरमैन के हाथ में हथकड़ी लगायी गयी है, जिन्होंने ऐसा घृणित कार्य ऐसा कृत्य किया है उनके विरुद्ध सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है, उसके विरोध स्वरूप आज यह भूख हड़ताल की गई है। इसलिए मेरा, माननीय सभापति महोदया, निवेदन है कि इस इश्यू पर सरकार को आप बाध्य करें, क्या वह जिन्होंने ऐसा कार्य किया है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार है। आसन को यह व्यवस्था देनी चाहिए। माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी हमारे इस विधान सभा परिवार के सदस्य हैं, विधान सभा का अध्यक्ष इस परिवार का सबसे बड़ा, सर्वोच्च व्यक्ति, हैड ऑफ द फैमिली है वैसे हैं। इस प्रकार की मांग के लिये, न्यायपूर्ण मांग के लिये आपको पहल करनी चाहिए।

(श्री भंवर लाल शर्मा)

you should come forward सरकार को आप बाध्य करें, इस बात के लिए क्या एक्शन लेंगे वे इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

माननीय सदस्य, आपका नाम इसमें नहीं है। सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदया, पहले आपको बोलने दो।

श्री सभापतिः माननीय राजबहादुरजी।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि · · ·

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : माननीय भाई श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने जो अनशन किया है, एक ऐसा मुद्दा है, जिसके बारे में सरकार या किसी पक्ष में दो राय नहीं थी। यदि यह विवादास्पद होता कि नगरपालिका के चुने हुए प्रतिनिधि के हाथों में बेड़ियां पहनायी गयीं, अपमानित किया गया, बाजार में निकाला गया तो इस पर विवाद होता, वो बात दूसरी थी। लेकिन जब स्वयं सरकार की ओर से यह माना गया है कि ऐसा हुआ तो निश्चय ही ऐसा लाजिकल कन्क्लूजन, तार्किक परिणाम यह निकलता है कि सीरियस नोटिस लें। क्या यह आपके चुने हुए प्रतिनिधि की इज्जत का सवाल नहीं है, राज्य मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं · · ·

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : उनको कोई अच्छा जोक एक्सचेन्ज करने को मिला है। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, या तो इसको स्वीकार न किया होता कि हथकड़ियां डाली गयीं, अपमानित किया गया, बाजार में निकाला गया। अपमानित ही नहीं किया गया बल्कि अपमानित किये जाने का प्रदर्शन किया गया। अगर इतना किया गया और आप मानते हैं तो क्या इसका कोई उपाय नहीं हो सकता कि जो अधिकारी इसके लिए दोषी है, उसको उस दोष की सजा भुगतनी पड़े या उसके खिलाफ आप एक्शन लें? इस बात को लेकर भाई ललित किशोर चतुर्वेदी ने अनशन किया। मेरा विनम्र निवेदन है कि उनको पीड़ा न पहुंचायी जाये, उनकी आत्मा की आवाज है, वेदना है, इसको समझें। मैं समझता हूं, मानवीय कर्तव्य है हम सब का उस मानवीय कर्तव्य के नाते में एक बात कहना चाहता हूं, किसी को कितनी भी सजा दे दें लेकिन शरीर के बारे में किसी बहुत बड़े फिलास्फर ने कहा है, "टेम्पल आफ गाड" ऐसा मौलिक अधिकार है कि मानव शरीर को सताया न जाये, मानव शरीर को प्रताड़ित न किया जाये। चाहे आप कुछ भी सजा दें। लेकिन आप यह नहीं कर सकते। हथकड़ी पहनाकर निकालते हैं तो निश्चय ही लोगों की आत्मा में ज्वाला उठेगी। मैं आप से विनती करूंगा, इस बारे में कोई प्रेस्टिज में खड़े न हों जल्दी से जल्दी ललित किशोर जी का अनशन समाप्त करा सकें इसके लिए एक सिचुएशन बनावें, आपकी ओर से आश्वासन मिलना चाहिए। जिस राज्य कर्मचारी ने अपराध किया है, कोई कैसा ही क्यों न किया हो, उसके खिलाफ एक्शन लेवें The best you can do is that you can ask him to Sub-

(76)



(श्री राजबहादुर)

mit apologies. एपोलोजी से यह चीज शांत होने वाली नहीं है। मैं आप से विनती करूंगा, इस बात को देखें और समझें, इससे मानवता के प्रश्न को जोडकर चलें। मुझे बताया गया कि ललित किशोरजी पूरे स्वस्थ नहीं हैं, उनको अनशन नहीं करना चाहिए ऐसी हालत में। इसको देखते हुए सरकार की जिम्मेदारी होती है, जब वह इस अनशन को करने के लिये, भूख-हड़ताल करने के लिए मेडिकली अनफिट हैं, तो और भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि क्या चीज आड़े आती है क्या रुकावट है उसको देखें। जब स्वीकार कर लिया कि राज्य कर्मचारी ने नगरपालिकाध्यक्ष के हथकड़ी डाली तो आपको उसका जो कुछ है, भुगतान पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, राज्य मंत्रीजी इस बारे में सोचेंगे, समझेंगे।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदया, आज जिस समस्या को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर माननीय सदस्य, श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वह अपने आप में गम्भीर मसला है। सवाल इस बात का नहीं कि चतुर्वेदीजी अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, टेढ़ नहीं बजा, शाम नहीं हुई। सवाल इस बात का है कि यदि समस्या का समाधान तुरन्त नहीं किया गया, सरकार तुरन्त हरकत में नहीं आयी तो इसके परिणाम अत्यधिक गम्भीर हो सकते हैं। परिणामों की गम्भीरता को देखते हुए, माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि जिस परिप्रेक्ष में जिस मुद्दे जिस समस्या, जिस अन्याय के विरुद्ध माननीय चतुर्वेदी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं वह कोई अपने आप में हल्का-फुलका नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य, जो खण्डेला से जीतकर आये थे, को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में इस सदन में बहस हुई थी, उस समय, मैं समझती हूं, एक राय था सारा सदन, सब माननीय सदस्य इस बात पर सहमत थे कि चुने हुए प्रतिनिधियों को हथकड़ी न लगाई जाये, उनको गिरफ्तार न किया जाये। जिस मुद्दे पर एक बार सदन सहमत हो चुका है, एकमत हो चुका है फिर समझ में नहीं आता कि आज उस पर विवाद कैसे उत्पन्न हो गया? नगरपालिका के अध्यक्ष को जिस तरह हथकड़ी लगाई गयी और सरकार का जो जवाब आया, उससे साफ जाहिर होता है, सभापति महोदया, महज राजनैतिक रंजिश के कारण, एक पार्टी को नीचा दिखाने के कारण ऐसा किया गया। क्यों कि इनका प्रत्याशी हार गया संयोग से दूसरी पार्टी का प्रत्याशी जीत गया और जीता हुआ प्रत्याशी चेयरमैन बन गया यह सब इनसे सहन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, उस बात की रंजिश मन में लिये हुए यह मौका तलाश कर रहे थे कि कब मौका आये कब इसको नीचा दिखाया जाये। सभापति महोदया, केस ज्यादा बनता नहीं, कानून कोई ऐसा है नहीं उसके बावजूद कोई न कोई केस बना कर जो धारायें इन्होंने लगायीं, जैसे कल माननीय सदस्य भंवर लाल जी शर्मा ने बताया था कि जिस कानून के तहत इन्होंने गिरफ्तार किया वह कानून लागू नहीं होता, वह धारा उन पर लागू होती नहीं, बावजूद इसके उस धारा के तहत गिरफ्तार किया। न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि पूरे बाजार में घुमाया। कौनसा कत्ल कर दिया, कौनसी डकैती डाल दी थी? खलील नाम का डाकू जिसने हजारों

(सुश्री पुष्पा जैन)

हत्यायें कीं, हजारों लाखों औरतों का सिन्दूर उजाड़ दिया उस का स्वागत किया गया है। लाखों करोड़ों रुपये की जिन्होंने डकैतियां डालीं, कई घर बर्बाद कर दिये उन्हें धौलपुर में सम्मानित किया गया है। वहां पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उन डाकुओं को फूलमालायें पहना कर सम्मानित किया गया जैसे कि कोई बहुत बड़ा इस देश के लिये कीर्तिमान स्थापित करके वह आये हों। उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, एक्शन उसके खिलाफ लिया गया जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आया था और जन प्रतिनिधि बन गया और संयोग से अध्यक्ष बन गया। उस बात की रंजिश निकालने के लिए उसको हथकड़ी लगाई। जिस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं था उसको हथकड़ी लगा दी गई। खलील डाकू को सम्मानित किया गया। सभापति महोदया, कहीं न कहीं हमें इस अन्तर को समझना पड़ेगा और कानून के तहत कार्यवाही करनी पड़ेगी। हमारा भी जवाब नहीं है। आप सरकार में बैठे हैं कोई बनिये की दुकान नहीं चल रही है। राजस्थान की सरकार इस तरह से जवाब दे, मुझे समझ में नहीं आता कि आप इस देश की जनता को, राज्य की जनता को किस ओर ले जा रहे हैं

सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत इस सरकार को आगाह करना चाहती हूं कि जिस मद्दे को लेकर माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं वह बहुत ही गम्भीर मसला है और जो बहुत गम्भीर मसला है उसको गम्भीर मसला समझकर नहीं चलेंगे, जो मांग वह कर रहे हैं उनकी उस मांग को स्वीकार नहीं किया जायेगा तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। राज्य व्यापी आन्दोलन होगा और उसका उत्तरदायित्व इस सरकार पर होगा।

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : सभापति महोदया, एक मिनट ! आप बोल रहे हैं क्या ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जी हां। मुझे तो सदन की मेज पर पत्र रखना है। आप बोल लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, अभी जिस प्रसंग पर चर्चा हुई है, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की इस मौन का, यह सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करे इस स्थिति का जो इम्पैक्ट होने वाला है, उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाय। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी भूख हड़ताल पर बैठे हैं यदि इस तथ्य को थोड़ा भूल भी जायं, तो एक बात निश्चित रूप से हमारे सामने आती है कि ऐसा मसला जिसके बारे में सरकार और विरोधी पक्ष के बीच में ज्यादा विवाद नहीं हो, यह बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि एक निर्वाचित सदस्य के हथकड़ी नहीं लगाई जाय, इस सम्बन्ध में कई बार सर्क्यूलर निकाले जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय हो चुका है, फिर भी एक निर्वाचित सदस्य के हथकड़ी डाली गई, इस प्रश्न पर सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये इस पर सरकार मौन है। इसी प्रकार मैं

78



(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निवेदन करना चाहता हूं, जिस बात को लेकर मुकदमा बना, जिस मुकदमें की आड़ में उनको गिरफ्तार किया गया उस सम्बन्ध में ज्यादा विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन जिस प्रकार से कल राज्य मंत्री जी ने उत्तर दिया उससे भी स्पष्ट झलक मिलती थी कि राज्य सरकार, जो कुछ एक्शन किया गया उसके डिफेन्स में कुछ कह रही है, वास्तविकता से दूर रहना चाहती है। सभापति महोदया, दोनों ही प्रश्न इस प्रकार के हैं कि उनका किसी न किसी स्तर पर निराकरण किया जाना आवश्यक है। यदि निराकरण नहीं किया तो अपमान किसका होगा ? आप यह समझें कि अपमान जिस व्यक्ति के हथकड़ी डाली गई उसका होगा, वह तो प्रसंग ही समाप्त हुआ कि उसके हथकड़ी डाली गई, उसको बाजार में घुमाया या नहीं घुमाया गया, उसका अपमान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जिस बात को स्वीकार कर लें और उस पर एक्शन नहीं हो, विधायक मांग करें कि एक्शन लिया जाए उनकी बात की कोई कद्र नहीं करें, उनकी बात को कोई नहीं माने तो इसका इम्पेक्ट क्या होगा ? इसका इम्पेक्ट यह होगा कि विधान सभा में यदि इस तरह की मांग आएगी, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा बन जाए, किसी के हथकड़ी डाल दी जाए या किसी प्रकार का कोई अन्याय हो जाए और अन्याय के सम्बन्ध में यहां चर्चा उठाई जाएगी तो उस चर्चा का निराकरण केवल राजनैतिक आधार पर किया जाएगा, वास्तविकता के आधार पर नहीं किया जायगा। इसका इम्पेक्ट यह होगा कि जो अन्याय करने वाले हैं वह यह समझेंगे कि जब तक सरकार में बहुमत इस अन्याय के साथ है हमें किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं राज्य मंत्री जी, आपको फिर निवेदन करना चाहूंगा कि मसला आप छोटा समझे हुये हैं लेकिन यह मसला आपके लिये भी एक समस्या का कारण बनेगा। आपके लिये इस रूप में नहीं कि आपको कोई हथकड़ी डाल देगा या आपको कोई गिरफ्तार करेगा, लेकिन आम जनता के सामने एक समस्या बनकर खड़ी हो जायेगी कि विधायक किसी प्रश्न पर सही बात रखने की कोशिश भी करेंगे तो उसका निराकरण केवल राजनैतिक आधार पर होगा। अन्याय करना हो तो करो, राजनैतिक संरक्षण हमको मिल जाना चाहिये। यह राजनैतिक संरक्षण देने की खुले आम प्रक्रिया जो आप चला रहे हैं उस प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता है। यदि उसको नहीं रोका तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चाहे परिणाम हमें भोगना पड़े या श्री ललित किशोर चतुर्वेदी को भोगना पड़े, राजस्थान की पूरी जनता को उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। आप चाहे आज सत्ता पक्ष में बैठे हों, सत्ता पक्ष आपकी कोई ठेकेदारी नहीं है, जनता इतनी सजग और इतनी सतर्क है कि वह सब मूल्यांकन कर रही है।

ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके गलत परम्परायें मत डालो, इसका टोटल इम्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैप्स होने तक की स्थिति में जा सकता है, जनता के साथ अन्याय करने की प्रवृत्ति बन सकती है। इन चीजों को रोकने की आवश्यकता है। यदि आप इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण चाहते हों, आपके सामने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किसी प्रकार की सामग्री अभी तक राज्याधिकारियों ने आपको उपलब्ध नहीं कराई हो, समय की आवश्यकता हो तो वह कुछ समझा जा सकता है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मोटे रूप से तथ्यों में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। फिर सरकार एक्शन लेने के अन्दर क्यों झिझक रही है? मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के बारे में आप यह समझें कि इसका उत्तर नहीं देंगे और पीछा छूट जायगा, आप यह समझते हैं कि ललित किशोर चतुर्वेदी एक दिन भूखहड़ताल पर बैठे हुये हैं, आज ही बैठे हुए हैं, आज ही बैठे हैं इसके कारण से मसला शान्त हो जायगा, यह ललित किशोर चतुर्वेदी का सवाल नहीं है यह आम जनता के फन्डामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिये हम संघर्ष करेंगे, सरकार मजबूर होगी या नहीं होगी लेकिन हम मजबूर करने का प्रयत्न करेंगे कि सरकार लोगों के फण्डामेन्टल राइट्स पर किसी प्रकार का एनक्रोचमेन्ट नहीं करें। इस एनक्रोचमेंट के विरुद्ध और जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उन मौलिक अधिकारों को बचाने के लिये हम संघर्ष कर रहे हैं। यह संघर्ष न व्यक्तिगत रूप से ललित किशोर चतुर्वेदी का है, न कोई भारतीय जनता पार्टी का है, यह राजस्थान की जनता का संघर्ष है। जनता के मौलिक अधिकारों पर जिस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है उसके विरुद्ध यह तो केवल संकेत मात्र है। उस संकेत मात्र की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचे, जिन लोगों ने अन्याय किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करे ताकि जनता और सरकारी अधिकारियों में इस प्रकार का वातावरण बने कि चाहे अन्याय कोई भी करे, वह निश्चित रूप से दण्ड का भागी होगा। इन शब्दों के साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामनारायण डूडी : हो गया सरकार का ध्यान आकर्षित।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गया जो तो ठीक है लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका इसमें क्या विरोध है? आप क्या चाहते हो?

श्री रामनारायण डूडी : हमारा कोई विरोध नहीं है।

श्री सभापति : मुख्य मंत्री, श्री शिवचरण माथुर.. सदन की मेज पर..

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदया, आपकी आज्ञा से...

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दीजिये,

श्री सभापति : आप किस बात पर बोलना चाहते हैं?

माननीय सदस्य : इसी विषय पर।

श्री सभापति : वह प्रकरण समाप्त हो गया। माननीय मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर राज्य मंत्री, गृह : माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त...

### व्यवस्था का प्रश्न
### राजस्थान लोकायुक्त की रिपोर्ट सदन पटल पर रखने में विलम्ब

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। पाइन्ट आफ आर्डर !

सभापति महोदया, सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र। शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री द्वारा रखा जाने वाला पत्र जो यह रखने जा रहे हैं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं 1978-79 की, बाकी की रिपोर्ट कहां है ?

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** : जी ?

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : बाकी की रिपोर्ट कहां हैं ?

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** : मेरे पास तो जो है वही...

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आपके पास है इसका सवाल नहीं है। आज आप गोविन्द सिंह जी नहीं हैं, आप सरकार हैं।

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** ; जी हां, सरकार की तरफ से...

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : तो सरकार की तरफ से बाकी की रिपोर्ट कहां हैं ?

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** ; जो रिपोर्ट मेरे पास है वह मैं पेश करना चाहता हूं।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आपके पास आई नहीं। मंत्रीजी, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1978-79 के पश्चात् 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1982-83 को तो जाने दीजिये बाकी की रिपोर्ट कहां गईं ?

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** : उनकी प्रतियां प्राप्त नहीं हुईं ?

**श्री भैरोंसिह शेखावत** ; प्राप्त नहीं हुईं, यह नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री महोदय को शायद जानकारी नहीं हो, यह रिपोर्ट कानून के अनुसार प्राप्त होती हैं किसी की दया के कारण नहीं होती हैं; किसी की कृपा से सबमिट नहीं होती। मैं कानून आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहूंगा :

"Section 12 (4)—The Lokayuta and the Uplorayuta shall present annually a consolidated report on the performance of their sumbission under the Act to the Governor" मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि जहां मेण्डेटरी प्रोविजन है क्या लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त ने उस मेण्डेटरी प्रोविजन्स की कम्पलायन्स की है ?

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** : विरोधी पक्ष के नेता महोदय जानते हैं यह जो रिपोर्ट मैं पेश कर रहा हूं, उनके कार्यकाल की है...

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : किसी का कार्यकाल हो, उससे मतलब नहीं है। मेरे कार्यकाल में हुई आपके कार्यकाल में हुई, मैंने गलती की या आपने गलती की, इसका मतलब यह नहीं होगा। आपकी सदन के प्रति अकाउण्टेबिलिटी है, आप यह बतायें कि बाकी की रिपोर्ट कहां गई ?

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** : रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : सभापति महोदय, प्रस्तुत नहीं हुई तो लोकायुक्त फन्क्शन नहीं कर सकता। लोकायुक्त के लिये मेण्डे-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
टरी प्रोविजन्स हैं कि उनको एन्युअली रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट करनी पड़ेगी उन रिपोर्ट के लिये ये कह रहे हैं कि सबमिट ही नहीं हुई। तो लोक आयुक्त एक्जिस्ट कैसे कर रहे हैं?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर ; लोकायुक्त तो काम कर रहा है लेकिन रिपोर्ट उन्होंने नहीं बनाई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कह दीजिये, इसके बाद मे उन्होंने कोई रिपोर्ट बनाई नहीं और सरकार को सबमिट नहीं की।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर: सरकार को सबमिट कर दी होगी लेकिन अभी यह..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : की होगी का सवाल नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार को सबमिट हुई या नहीं?

श्री सभापति : सरकार की ओर से सम्बन्धित मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें कि कान्स्टीट्यूशनल पोजीशन क्या है? नियमानुसार क्या पोजीशन बनती है?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरे को जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब, मेरी जानकारी नहीं है..

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदया, 1978-79 तक की जो रिपोर्ट आ गई वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद की रिपोर्ट उन्होंने बनाई, तैयार हुई, सरकार को मिली, सरकार ने देखी इसके सम्बन्ध में मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है कि इस कानून के अन्तर्गत जो रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिये थी वह लोकायुक्त और उप लोकायुक्त ने पेश की या नहीं? सीधा सवाल है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैंने आपको सीधा जवाब दिया, मेरे को जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानकारी कौन देगा फिर?

श्री सभापति : सरकार की ओर से सम्बन्धित मन्त्रीजी इसका स्पष्टीकरण करें। विधि मन्त्री हों, संसदीय कार्य मन्त्री हों, स्पष्टीकरण आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, कार्य सूची में लिखा हुआ है, श्री शिवचरण माथुर यह रिपोर्ट यहां प्रस्तुत करेंगे। मैं जानता हूं। सरकार की जोइन्ट रेस्पान्सिबिलटी है, कोई भी मन्त्री प्रस्तुत कर सकता है...

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैंने आज्ञा मांग ली थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताता हूं आपको, आपने आज्ञा ली, बड़ा उचित किया और आप हर काम आज्ञा से ही करते हैं। मैं केवल यह निवेदन कर रहा था कि इस रिपोर्ट को श्री माथुर साहब आ जाय उसके बाद में प्रस्तुत किया जाय। पहले आप जानकारी दे दें कि कितनी रिपोर्ट आपके पास आ गई और कितनी रिपोर्ट नहीं आई, कितनी

श्री भैरोंसिह शेखावत)
रिपोर्ट आप सबमिट करना चाहते हैं, और कौनसी रिपोर्ट आप रखना चाहते हैं। मेरा निवेदन है, आज इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया जाय।

(1.12 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने अभी फरमाया है, आपने जानकारी चाही कि इसके आगे की रिपोर्ट आई या नहीं। वह आपको बाद में बता देंगे, आज यह पेश कर देते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यह बाद में ही पेश कर देना।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : बाद में पेश कर देंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ठीक है, साहब। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक ही मिनट में अध्यक्ष महोदय, यह स्टेच्युटरी प्रोविजन्स हैं इसके नाते गवर्नमेन्ट इस विधान सभा के प्रति अकाउन्टेबल है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि लोकायुक्त की रिपोर्ट हो चाहे अन्य कोई रिपोर्ट हो, उन रिपोर्ट्स को टाइम पर सदन की मेज पर नहीं रखा जाता। इसका परिणाम क्या निकलता है? यह कोई औपचारिकता नहीं है, रिपोर्ट्स यहां रखें या नहीं रखें लेकिन यह आवश्यक इसलिए होता है कि उन रिपोर्ट पर हाउस में समय पर डिस्कशन हो जाय। जब डिस्कशन होगा तो उसका इम्पेक्ट उस डिपार्टमेन्ट के एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा। आज 1978-79 की रिपोर्ट रखी जा रही है, उस पर हम आज डिस्कशन करें, अध्यक्ष महोदय, आप भी कह देंगे कि पांच वर्ष पहले के मामले को यहां डिस्कस किया जा रहा है। इसलिए गवर्नमेन्ट को भी विजिलेन्ट होना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो इन्स्टीट्यूशन हैं जिनकी स्टेच्युटरी कम्पलायन्स इनको करनी है उनकी कम्पलायन्स सरकार कराये और भी कुछ ऐसे प्रोविजन्स हैं और दूसरे एक्ट्स हैं जिनके अनुसार ऐसी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिये लेकिन समय पर रिपोर्ट सबमिट नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट दिया जाय कि कौन-कौन से एक्ट के अन्तर्गत कौन-कौनसी रिपोर्ट हाउस में प्रस्तुत की जानी चाहिये और वे इस सत्र, जो बजट सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र है, में प्रस्तुत नहीं की गई? मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे भी निवेदन करूंगा कि गोविन्दसिंह जी तो शायद उपयुक्त नहीं होंगे लेकिन मुख्य मंत्री जी से आप बात करके वह सारी रिपोर्ट इस हाउस के अन्दर रखवायें तो ज्यादा उचित होगा।

**श्री अध्यक्ष** : जो प्रतिवेदन संविधान अथवा नियमों के अनुसार सदन के पटल पर रखे जाने चाहिये अथवा सदन में प्रस्तुत किये जाने चाहिये उसका मुख्य दायित्व तो राज्य सरकार का है। जैसा नियमों में या विधियों में प्रावधान है उसके अनुसार उनको कार्यवाही करनी चाहिये। लेकिन यदि इसमें कहीं कोई गलती रह जाती है तो सदन के माननीय सदस्यों और इस सचिवालय का भी यह कर्त्तव्य है कि जब कभी इस तरह के मामले आयें तो तत्काल अध्यक्ष महोदय और हमारे सचिवालय के ध्यान में लावें ताकि नियमों का उल्लंघन न हो और नियमों की, संविधान की और जो कानून है उसकी पालना हो सके।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर ! अध्यक्ष महोदय, कल वाली बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर के चुनाव के सम्बन्ध में आपको तारीख निश्चित करनी थी वह तारीख अभी निश्चित नहीं हुई।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : रूलिंग है हमारे पास।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप रूलिंग अपने पास रखें।

अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर हैं इनको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि बैठे-बैठे नहीं बोलते। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, कल मैंने आपसे निवेदन किया था, अध्यक्ष महोदय, मुझे कम से कम यह बता दिया जाय कि इस सैशन में डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने की आपकी तैयारी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह तो हम कैसे कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो क्या कहें साहब। अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए, मैं तैयारी कर रहा हूँ डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए, और मुझे पता लगे कि चुनाव होंगे तो कन्वेसिंग का काम शुरू करूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप अपना केण्डीडेट डिक्लेयर कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : खड़ा होने के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं करूं या नहीं करूं लेकिन आपका भरोसा कभी नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी उस वक्त खड़ा होने के लिए माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपका भरोसा तो दुनिया नहीं करती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो मुझे वोट देना चाहते हैं लेकिन मैं लूंगा नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने तो शायद बाड़मेर के इलेक्शन में भी दिया होगा।

श्री अध्यक्ष : मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह खेद है कि आप कल से गम्भीरता से विचार कर रहे हैं इस विचार से आपको भी तनाव हुआ होगा। इसलिए गम्भीरता से विचार नहीं करें। इतनी ज्यादा गम्भीरता यदि आपने दिखा दी फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला तो नतीजा क्या निकलेगा। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा····

श्री अध्यक्ष : कई दफा बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फायदा मिलता नहीं। हम तो काश्तकार हैं, फसल बोते हैं उसकी निराई करते हैं काटते हैं लेकिन फसल कई दफा घर नहीं आती। तो क्या है····

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज ! इसलिए हमारा मानस कुछ ऐसा बन जाता है कि भई जो तकदीर में लिखा है उस हिसाब से मिलेगा इसलिए इतना टेन्शन मेरा उस बात से नहीं रहता।

**विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर निर्णय में विलम्ब**

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमने कुछ प्रिविलेज मोशन्स दे रखे हैं। अब तो सदन तीन चार दिन और है, यह बात सही है कि सदन की कार्यवाही स्थगित होगी..

**श्री अध्यक्ष** : उपयुक्त समय पर,

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इस सदन के..

**श्री अध्यक्ष** : नहीं इस सदन के नहीं, उपयुक्त समय पर इस सत्र में मैं उन पर व्यवस्था दूंगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक निन्दा प्रस्ताव भी देर से रखा है।

**श्री अध्यक्ष**: ये सभी इस तरह के प्रश्न हैं जिन पर उपयुक्त समय पर समय निश्चित करके व्यवस्था की जायगी। उनके सम्बन्ध में···

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम एक बात की तो आप दाद देंगे कि हमारी धैर्य शक्ति कितनी है, किस धैर्य से हम काम ले रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : हां, हां, उसके लिए मैं प्रशंसा करता हूं।

**श्री बृज सुन्दर शर्मा** : वर्ष 1982–83 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगें वर्ष 1982-8 (द्वितीय संकलन) का शुद्धि पत्र (द्वितीय) सदन की मेज पर रखेंगे।

**श्री बुलाकीदास कल्ला (राज्य मंत्री शिक्षा)** : आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, मैं सन् 1982-83 के लिये···

**व्यवस्था का प्रश्न**

**अनुपूरक अनुदान (82-83) की मांगों का शुद्धि-पत्र**

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर !

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर प्लीज। पाइन्ट आफ आर्डर।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ऑन एपाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, यह शुद्धि पत्र किस कारण से प्रस्तुत किया जा रहा है ? जिस समय डिमाण्ड रखी गई उस समय शुद्धि पत्र क्यों नहीं रखा गया ? इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका होगा डिमाण्ड के सम्बन्ध में कि डिमाण्ड पहले प्रस्तुत कर दी जाय और उसके बाद शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया जाय। मैं चाहूंगा सरकार से कि वह इसका कम से कम एक्सप्लेनेशन तो दे कि शुद्धि पत्र आज इतने विलम्ब से प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भूल क्यों हुई ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला**: अध्यक्ष महोदय, कोई खास बात इसमें नहीं है जैसे 6.60 की जगह 6.61

**श्री भैरोंसिंह शेखावत**: शुद्धि पत्र क्या होता है ? शुद्धि पत्र यही होता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला: प्रिंटिंग मिस्टेक के आधार पर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: प्रिंटिंग मिस्टेक है या और कुछ है ?

श्री शोभाराम (थानागाजी): 1099 करोड़ 30 लाख 19 हजार की डिमांड्स मन्जूर हुई और 278 करोड़, 50 लाख रुपये की सप्लीमेंटरी ग्रांट और दी जाए। तो एक कायदा यह होता है अकाउंटेन्सी का, ए. जी. भी मानते हैं कि 10 प्रतिशत से ज्यादा सप्लीमेंटरी ग्रांट्स नहीं होनी चाहिये। दूसरे, इसमें लिखा है 38 करोड़ 99 लाख रुपये भारत सरकार से प्राप्त होने की संभावना है। क्या यह संभव है कि 7 रोज के अन्दर ये 39 करोड़ खर्च हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष: इस शुद्धि पत्र का उद्देश्य क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा इन अनुपूरक मांगों पर ?

श्री बुलाकीदास कल्ला: अनुपूरक मांगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: तो फिर शुद्धि पत्र की आवश्यकता क्या है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला: मैं बता रहा हूं पृष्ठ संख्या 112 पर लाइन 5 व 7 में वास्ते 6.60 की जगह 6.61 लिखा हुआ है। कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं है परन्तु एक स्थान पर अशुद्धि रहने से एवं शुद्धि पत्र में यह रह जाने से दूसरा शुद्धि-पत्र है।

श्री अध्यक्ष: एक रुपया नहीं, राशि मेरे ख्याल से हजारों में या लाखों में होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: एक रुपये का शुद्धि पत्र है ?

श्री अध्यक्ष : एक रुपये का कभी आता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको समझाइए कैसे बोल रहे है ?

श्री अध्यक्ष: समझाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला: ऐसा है अध्यक्ष महोदय, इसमें अनुपूरक अनुदान की मांगें...

श्री अध्यक्ष: आप कृपया इस मुद्दे को समझाइये कि इसका क्या परिणाम है कुल मिलाकर और आपने संशोधन क्यों प्रस्तावित किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: पहले एक रुपया, अब एक हजार रुपये ? कौनसी बात सही है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष-महोदय। यह संशोधन नहीं है, शुद्धि-पत्र है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): करेक्शन।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह शुद्धि पत्र है और जो मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : शुद्धि पत्र जिस उद्देश्य से लाया गया वह समझा दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जोड़ में या बाकी में कोई अशुद्धि रही जिसके कारण से यह शुद्धि पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। जो किताब छपी हुई है उसमें शुद्धि करवाने के लिये प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, यह बजट के प्रस्ताव हैं सब के सब। उसमें अगर त्रुटि रह गई तो आपको अधि-

(86)

(श्री अध्यक्ष)

कार है शुद्ध करने का, उस त्रुटि को दूर करने का, लेकिन उस अवस्था में आपको सदन के समक्ष यह स्पष्टीकरण देना होगा कि यह अशुद्धि इस तरह से रह गई, यह बात है ताकि उस सम्बन्ध में सदन विचार कर सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस तरह की त्रुटि है उस पर निर्भर करता है। मान लीजिए, बहुत मामूली है···

(व्यवधान)

बजट सम्बन्धी कोई ऐसा डाक्यूमेंट नहीं पेश किया जा सकता जो अशुद्ध हो। यह हाऊस की सेंक्टिटी का प्रश्न है। 3-4 दिन बाद वह शुद्धि पत्र पेश करें, यह है क्वेश्चन।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स की पुस्तक है उसमें पेज 112 पर जो पूंजी हजार रुपयों में दी हुई है, जो अनुपूरक मांग की दत्त मत राशि है उसमें 6 लाख 60 हजार दिए हुए हैं।··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह 60 हजार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 6,60 इन्होंने बताया है सहस्त्र रुपयों में। इसके स्थान पर पेज 113 पर लघु शीर्ष व्यय योग जो है वह 6,61 का है इस कारण से यह शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया गया है। एक हजार का फर्क है इस कारण से यह शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया गया है। मैं दुबारा पढ़कर सुना दूं पेज 112 पर जो मूल अनुदान पृष्ठ में दिया हुआ है उसकी 5वीं लाइन में दत्तमत ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस प्रस्ताव को थोड़े समय बाद में लिया जाएगा और इस बीच में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिए चर्चा होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार है क्या कहीं पर ?

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा

## राणा प्रताप सागर बांध व रावत भाटा, कोटा के डूब क्षेत्र पानी से ठूंठ एवं वृक्षों को हटाने के बहाने सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री कैलाश मेघवाल, श्री रघुवीर सिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा राणा प्रताप सागर बांध व रावत भाटा, कोटा के डूब क्षेत्र पानी से ठूंठ व वृक्षों को पूर्ण रूप से हटा देने के बहाने करोड़ों रुपयों की सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग के सम्बन्ध में थोड़े समय के लिए चर्चा उठायेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : 19-3 को मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में दिया था इसी संबंध में कृपया मेरा नाम भी जोड़ने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य

श्री दाऊदयाल जोशी : लाखों करोड़ों रुपए का गड़बड़ घोटाला है, आप इजाजत देंगे, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल पहले बोल लें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के जिस प्रश्न पर आज सदन के सामने चर्चा

(श्री कैलाश मेघवाल)

उठा रहा हूं वह गंभीर घोटाला षडयंत्र का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सारे गंभीर घोटाले को समझाने के लिए मैं पहले कुछ तथ्य आपके द्वारा सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं राणाप्रताप सागर बांध बना। उस बांध के बनने के समय कब कितनी वाटर लेवल रहेगा कितना नहीं रहेगा इस तरह के चिन्ह लगाए थे। यहां पर यह भी निवेदन करदूं, माननीय अध्यक्ष महोदय कि यहां जिस जंगल की बात उठाई जा रही है वह जंगल मेवाड़ के महाराणाओं के शिकारगृह थे। इन शिकारगृहों की किस तरह से सुरक्षा की जाती थी किस तरह से पेड़ उगाए जाते थे उनको किस तरह से पाला पोसा जाता था यह किसी से छिपा हुआ नहीं है छिपा हुआ नहीं होने के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में धोकड़े के वृक्ष थे इन धोकड़े के वृक्षों का सबसे अच्छा जलाने का कोयला बनता है। केवल इतना ही नहीं है यह जो विशाल जंगल का क्षेत्र है उस क्षेत्र का फैलाव इतना है कि आज की तारीख में

( 1.31 म.प. )

(श्री देवदत्त तिवाड़ी. सभापति, पदासीन)

उसमें 100 करोड़ के धोकड़े के वृक्ष व दूसरी वन-सम्पदा है। इस वन-सम्पदा पर इनकी गिद्ध दृष्टि पड़ी। इस वन सम्पदा को किस तरह से खुर्द-बुर्द किया जाय, इस वन सम्पदा से किस तरह से अवैध लाभ प्राप्त किया जाय इसके लिए राजस्थान के रहने वाले एक ठेकेदार के साथ मिलकर राजस्थान के विभिन्न विभागों के कुछ अधिकारियों ने षडयन्त्र किया है। माननीय सभापति महोदय, अफसोस की बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूं जब मैंने और कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने और बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकरण की सूचना दी थी तब स्पष्ट लिखा था कि इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्रीजी से मंगवाया जाय, और इसलिये उनसे मंगवाया जाय कि यह जो पांच करोड़ की सार्वजनिक सम्पदा का घोटाला किया गया है, यह घोटाला इस विभाग द्वारा ही नहीं किया गया है, इसमें मत्स्य विभाग भी सम्मिलित है, वन विभाग सम्मिलित है, जिलाधीश, चित्तौड़गढ, मत्स्य अधिकारी, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अन्तर्गत आते हैं वह भी सम्मिलित हैं। इसमें सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग भी सम्मिलित हैं। इन सारे विभाग और इन सारे विभागों के अधिकारियों के अलग-अलग ढंग से घोटाला करने में सहयोग देने व इस षडयंत्र में हिस्सेदार बनने के तथ्य देते हुए यह मांग की था कि राजस्थान के मुख्य मंत्री को उपस्थित रहना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी को बहुमत देकर उसने इस विधान सभा में शासन की बागडोर हाथ में दी है उस शासक पार्टी के मुख्य मंत्री आज राजस्थान की सार्वजनिक सम्पत्ति खुर्द बुर्द करने के प्रश्न पर अनुपस्थित हैं। जैसा मुझे बताया गया, अगर मैं गलत नहीं हूं माननीय मत्स्य मंत्री इसका जवाब देंगे या पशुपालन विभाग के माननीय मंत्री इसका जवाब देंगे· · ·

श्री श्रीराम गोटेवाला : पशुपालन से इसका ताल्लुक नहीं है।

**श्री कैलास मेघवाल:** माननीय सभापति महोदय, कल आपने सदन में एक प्रश्न के जवाब के समय देखा होगा कि इन मंत्री की हैसियत क्या है? इनको एक विभाग दे दिया गया लेकिन वह विभाग ही नहीं है राजस्थान में। आपका हाथ नहीं है। यह मैं कह सकता हूं, लेकिन दूसरे हाथ हैं यह तथ्यों के आधार पर एक-एक घटनाक्रम के आधार पर मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस काण्ड का हीरो कौन है। सभापति महोदय, आपको मालूम नहीं इस विधान सभा में पुराने माननीय सदस्य जो 52 से चले आ रहे हैं उनको मालूम है। उस समय इस विधान सभा का स्वरूप कुछ और था। जैसा भी था, ईंटों और दीवारों को मालूम है कि इसी विधान सभा में पालरवा जंगल के काण्ड की चर्चा हुई थी। उदयपुर जिले में करोड़ों रुपये की जो वन-सम्पदा थी उसका अगर सही ढंग से ठेका दिया जाता तो लाखों-करोड़ों रुपये की आमदनी हो सकती थी। उसको 18-19 हजार में उदयपुर के गुलाम अब्बास कत्थेवाला ठेकेदार को दे दिया गया। इस विधान सभा में यह मसला कई बार उठा। उस मसले में सरकार को नीचा देखना पड़ा, बेशर्म होना पड़ा। सरकार का इसमें सीधा हाथ होने का प्रमाण इस विधान सभा की जो कार्यवाही है उससे प्रकट हो जायेगा। वही गुलाम अब्बास कमरूद्दीन मालग वाला, कत्थेवाल ठेकेदार, इस सारे काण्ड का हीरो है जिसने राजस्थान की पाँच करोड़ की वन सम्पत्ति को खुद-बुर्द किया। मैं यह साबित करना चाहता हूं, भूमिका इसलिए रखी कि स्पष्ट हो जावे। आखिर तथ्य क्या है जिसको उठाना चाहता हूं। कौन-कौन से अधिकारी सम्मिलित हैं, मैं सारी स्थिति सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सिंचाई मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं आज सिंचाई मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मत्स्य विभाग वाले मंत्री जी कह देंगे कि मुझे मालूम नहीं है क्या स्थिति है, यह जो हाइएस्ट वाटर लेवल राणा प्रताप सागर बांध का 1122 का है, इस राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण के बाद क्या कभी 1162 तक पानी उसमें आया है? दो चार साल से जब ज्यादा फ्लड आ जाये तो दो तीन घंटों में 1162 लेवल तक पानी आकर चला जाता है। वह अलग बात है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि मत्स्य मंत्री जी देखें, सिंचाई विभाग ने साफ कहा है कि आज की तारीख में यह फ्लड लेवल का मार्क कहां कहां पर लगा हुआ है, इनका चूना कहां कहां है, इनकी मार्किंग कहां कहां पर है यह प्रमाणिकता से साबित नहीं कर सकते। मत्स्य पालन विभाग के पास मछलियों को पालने का एक छोटा सा क्षेत्र था। उसमें एक षड़यन्त्र रचा। पानी में पेड़ डूबे रहने से ठूंठ हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में कम पानी आजो हो जाता है तो वह पेड़ काटे जाते हैं तो वह ठूंठ हो जाते है। ऐसे 70 वर्ग मील के क्षेत्र के लिये मत्स्य पालन अधिकारी, कोटा ने एक विज्ञप्ति निकाली। वह विज्ञप्ति क्या निकाली? यह तथ्य इसलिये रखना चाहता हूं कि स्थिति स्पष्ट हो जाय। 22-8-80 को यह विज्ञप्ति निकाली कि लकड़ी के ठेकेदारों, लकड़ी काटने वाले एवं अन्य व्यापारियों से राणा प्रताप सागर बांध क्षेत्र में 1162 लेवल से नीचे पानी के अन्दर समस्त ठूंठ एवं ठूंठों को

(श्री कैलाश मेघवाल)
को पूर्ण रूप से हटाने के वास्ते आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं आवेदनकर्ता को सभी ठूंठ, वृक्ष पानी से हटा कर उन्हें नष्ट करना होगा। वहां से परिवहन कर बाहर ले जाना होगा।

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है? आपकी तरफ पीठ कर रखी है, यह क्या व्यवस्था है।

श्री सभापति। माननीय सदस्य, आसन की तरफ पीठ न करें।

श्री कैलाश मेघवाल : अनुभवी ठेकेदार और व्यापारी अपने आवेदन-पत्र 6-9-80 तक प्रस्तुत करेंगे एवं जो भी आवेदन-पत्र आर्थिक दृष्टि से·····

श्री सभापति : पीठ मत करिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की सफाई का कार्य देने हेतु निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा। यह एक विज्ञप्ति है। इसके लिये यह कहा जाता है कि सूचना एवं प्रसारण विभाग के निदेशालय को अखबारों में प्रसारित करने के लिये यह भेजी गयी है। सभापति महोदय, आज तक यह अखबारों में नहीं छपी। यह भी एक षड्यंत्र का अंग था। हमारे मत्स्य पालन अधिकारी ने 10-20 दस्तखत कराये, यह फोटो प्रतिलिपि है इस पर दस्तखत कराये कि आपकी मने निविदायें लीं हैं निविदायें लेकर यह स्वीकृति दी कि यह ठूंठ या वृक्ष गुलाम अब्बास यहां से ले जा सकेगा सरकार को क्या मिलेगा? ठेठन पाल मदन गोपाल, कुछ नहीं। इसमें जो यह कहा गया कि निदेशालय जो स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा वह नहीं भेजा गया। इस प्रकार माननीय सभापति महोदय, यह षड्यंत्र चालू होता है। इसके चालू होने के बाद, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीश, अजमेर ने जिलाधीश चित्तौड़गढ़ को इसकी सूचना दी। जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ ने इस बात को सुनकर एक आदेश दिया। यह जिलाधीश का आदेश है। माननीय सभापति महोदय, 8 अक्टूबर, 1980 को जिलाधीश, चित्तौड़गढ़, मत्स्य परियोजना अधिकारी, राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा, कोटा को पत्र लिखते हैं कि आपकी विज्ञप्ति क्रमांक इतना-इतना दिनांक 22 अगस्त, 1980 द्वारा लकड़ी के ठेकेदारों और लकड़ी काटने वाले एवं इच्छुक व्यापारियों से राणा प्रताप सागर बांध डूब क्षेत्र में 1962 लेवल के नीचे तक पानी के अन्दर के समस्त ठूंठ एवं वृक्ष हटाने बाबत आवेदन कर्ता के आवेदन पत्र दिनांक 6-9-80 को आमंत्रित किये गए हैं इस सम्बन्ध में वन विभाग के हितों का हनन एवं राज्य सरकार को भी आर्थिक हानि होने की सम्भावनायें हैं। अत इस प्रकरण से संबंधित रिकार्ड 13-10-80 को प्रातः 11 बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास लेकर आप स्वयं उपस्थित हों। आगामी कार्यवाही सूचना मिलने तक स्थगित रखें।

बड़ा अच्छा है जिलाधीश, कलेक्टर जो होता है, वह सरकार और जनता का सीधा

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रतिनिधि होता है। उनको मालूम पड़ गया कि राज्य हितों का नुकसान हो रहा है, सारी कार्यवाही गलत हो रही है तो उन्होंने एक आदेश दे दिया मत्स्य पालन अधिकारी को एवं सिंचाई विभाग को, जिलाधीश को जिलाधीश के रूप में कार्य करना था राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना था। इसलिए जिलाधीश ने स्थगन आदेश दिया। स्थगन आदेश देने के बाद क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, वह शक्तियां जो राजस्थान में पैसे से राज्य सरकार को खरीदती आई हैं, जिनका काला इतिहास जनता जानती है। जिनका काला इतिहास विधान सभा जानती है, वह शक्तियां जो अधिकारियों के बड़े पेटों में सोने की अशर्फियां डालने में माहिर होती हैं, सक्रिय हुई। सक्रिय होने के बाद माननीय सभापति महोदय, जिलाधीश ने अपना स्थगन आदेश 11 दिसम्बर, 1981 को वापस लिया। 11 दिसम्बर, 1981 को किस तरह से वापस लिया? मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार को चुनौती दे करके कहना चाहता हूं कि जिलाधीश को किस कानून के अंतर्गत तो यह स्थगन आदेश देने का अधिकार था, और अगर राज्य के हितों की सुरक्षा के कारण जिले का जिला प्रशासक होने के नाते आदेश दे दिया तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस स्थगन आदेश के निरस्तीकरण आदेश देने का अधिकार था? यह अधिकार नहीं था। सारी बातें जिलाधीश महोदय को मालूम पड़ गयीं, यह मालूम पड़ गया कि यह विज्ञप्ति अखबारों में नहीं लाया की गयी यह मालूम पड़ गया कि राज्य हित के प्रतिकूल ठेका दिया गया है। यह सब मालूम होने के बाद वह जिलाधीश उस स्थगन आदेश का निरस्तीकरण करता है तारीख 11 दिसम्बर, 1980 को और अपना एक आदेश देता है। आदेश तो लम्बा है, सभापति महोदय, लेकिन मैं रेलेवेन्ट पोर्शन रख देना चाहता हूं, जिलाधीश चित्तौड़गढ़ का। मत्स्य अधिकारी, राणा प्रतापसागर बांध, रावत भाटा।

मैं चाहता हूं मत्स्य पालन मंत्री जी अपना एक्ट निकाल लीजिए, अपने कायदे निकाल लीजिए और अपने कण्डक्ट आफ बिजनेस रूल्स, निकाल लीजिए और उसके बाद बताइये कि जिलाधीश द्वारा निरस्तीकरण करने की किस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है? मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, उस कलेक्टर के आर्डर को वाइड समझते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल: बिल्कुल वाइड। वाइड ही नहीं बल्कि इस 5 करोड़ की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने में हिस्सेदारी का एक षडयन्त्रकर्ता मानता हूं।

श्री सभापति: तो पहला स्थगन आदेश दिया था उसे वाइड समझते हैं?

श्री कैलाश मेघवाल: राज्य सरकार के जिला प्रशासक, सीधा प्रतिनिधि होने के नाते राज्य हित के प्रतिकूल कहीं कार्य हो रहा है उसका स्थगन आदेश दिया वह उसके प्रशासनिक अधिकार में आता है। उसके बाद जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि उस जिलाधीश को सारी कार्यवाही का अंश

(श्री कैलाश मेघवाल)

संबन्धित विभाग को तुरन्त भेजना चाहिए था कि मैं इस जिले का प्रशासक हूं और मुझे यह गड़बड़ी मालूम पड़ी है आप इस पर कार्यवाही करो। यह तो एक नियमित कार्य होता। यह प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत आता है लेकिन वह नियमित कार्य नहीं करके जैसा मैंने आपको बताया कि सारी चीज जान लेने के बाद उस स्थगन आदेश को निरस्त किया। माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी बड़े-बड़े धांकड़े आ रहे हैं। मैं सारे पत्र आपके सामने रख रहा हूं। यह आपने लिखा है इसमें :

"इस सम्बन्ध में मत्स्य परियोजना अधिकारी रावत भाटा ने बताया है कि राणा प्रताप सागर डूब क्षेत्र में वर्तमान में पानी कम भरा हुआ है और बांध में खड़े ठूंठ एवं फैलाव क्षेत्र में खड़े वृक्षों को हटानी व निकाला जाना आवश्यक है क्योंकि इनके खड़े होने से मछली विकास कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होती है। अतः इस कार्यालय द्वारा दिनांक 8-10-80 को जो स्थगन आदेश जारी किया गया था, प्रभावहीन किया जाता है। साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि मत्स्य परियोजना अधिकारी ने इस सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति दिनांक 22.8.80 को जारी की है, उसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा बताये गए डूब क्षेत्र का लेवल 1157.5 है या कि 1162 है। अतः आप द्वारा जो उक्त विज्ञप्ति 1163 लेवल की जारी की गई है उसमें संशोधन अति आवश्यक है।"

आगे भी लिखा है, 1162 हाइएस्ट लेवल तक सारे जंगल काट डालो 76 वर्गमील के क्षेत्र में उसके आगे तो सैंकड़ों वर्ग मील के क्षेत्र में हरे-हरे वृक्ष हैं उन हरे-हरे वृक्षों पर आज गिद्ध दृष्टि डालकर उससे लाभ लेने वालों की राजस्थान में कमी नहीं है। वह हर स्तर पर खरीदते हैं। यह जिलाधीश महोदय ने आदेश अपने स्थगित कर दिये। यह आदेश क्यों स्थगित किये ? कैसे अधिकार था, कैसे नहीं था ? मैं मानता हूं कि मैंने कहा, स्थगन आदेश दिया वह जिला प्रशासक के रूप में सही आदेश दिया था। लेकिन जिलाधीश को सब मालूम पड़ गया, सभापति महोदय यह मालूम पड़ गया कि विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई है, यह तथ्य है। सामने आयेंगे अगर पत्रावलियों को सामने रखें तो यह मालूम पड़ गया कि राज्य हित के प्रतिकूल है, यह मालूम पड़ गया कि मत्स्य परियोजना अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है, यह सारी बातें मालूम पड़ने के बाद स्थगन आदेश का निरस्तीकरण किया गया था। क्या कारण था ? कौनसी शक्तियां काम कर रही थीं ? राजनैतिक दबाव था या पैसे का दबाव था राजस्थान की जनता सब जानती है। सभापति महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यहां तक बात आई....

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, जो स्थगन आदेश दे सकता है क्या वह वापिस नहीं ले सकता ?

**श्री कैलाश मेघवाल :** माननीय सभापति महोदय, मैंने अपनी तौर पर आपको सन्तुष्ट करने की कोशिश की कि राज्य के हितों पर प्रतिकूल कहीं कोई बात होती है तो जिला प्रशासक के नाते जिलाधीश का सारा विवरण सम्बन्धित

(श्री कैलाश मेघवाल)

विभाग को लिखना चाहिए था। निरस्तीकरण का आदेश किस कानून के अन्तर्गत दिया है? आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है, आप पंचायती में आगे ही कैसे? आपकी पंचायती वहां होती कैसे है? यह सारा षड़यंत्र इसलिये किया गया कि सब मिलकर खाओ। रख रखाव में जिलाधीश भी मिल गया, वन विभाग के अधिकारी भी मिल गए, मत्स्य विभाग के अधिकारी भी मिल गए, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मिल गए और 5 करोड़ रुपये की राजस्थान की वन सम्पदा को खुर्दबुर्द करके अपने पेट भर लिये। चलो, एक अच्छी बात आई है।

एक कोई अधिकारी था उस अधिकारी ने 12 दिसम्बर 1980 को सभापति महोदय, एक पत्र लिखा जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ को। दूसरा पत्र लिखा उस व्यक्ति ने राजस्थान के राजस्व सचिव को, जो कि मत्स्य पालन विभाग के सचिव भी हैं और तीसरा पत्र लिखा मुख्य वन संरक्षक, चीफ कन्जरवेटर आफ फोरेस्टस को। वह पत्र मैं आपके सामने इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि उसमें तथ्य है। 12 दिसम्बर, 80 को जो पत्र लिखा, साधारणतया दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन में बहुत हुए दस दिन डाक के लग लिये होंगे; डाक से जाने में लग गये 20 दिसम्बर, 1980 तक राजस्थान के राजस्व सचिव, राजस्थान के चीफ कन्जरवेटर आफ फोरेस्ट और चित्तौड़गढ़ के जिलाधीश महोदय को यह सारे तथ्य मालूम पड़ चुके थे। यह चार पांच पैराग्राफ हैं जो इम्पार्टेन्ट है और मेरे सारे केस का एक आधार बनते है वह आपके सामने रखना चाहता हूं। वन विभाग का वह अधिकारी आगे लिखता है...

इस प्रकरण में वन संरक्षक, उदयपुर एवं मण्डल वन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने आपको एवं इस कार्यालय को जो आवेदन प्रस्तुत किये हैं, उनके अवलोकन से मत्स्य परियोजना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है। निम्न बिन्दु विशेषकर काबिले गौर हैं। जिनका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है :—

(1) भूमि एवं उस पर खड़ा वन सम्पदा के बारे में विवाद होने की स्थिति में मत्स्य परियोजना अधिकारी द्वारा वन सम्पदा को हटाने या ठेका देना अनधिकृत है।

(2) राज्य सरकार ने लकड़ी कोयला के ठेके नहीं देने की नीति अपनाई हुई है? फिर राज्य सरकार की बिना अनुमति के इतने बड़े क्षेत्र से ठूंठों एवं वृक्षों के कटान का ठेका देना अनुचित कार्यवाही है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : धीरे बोलिये।

श्री कैलाश मेघवाल : यह धीरे बोलने का मामला नहीं है, भाटी साहब। आप तो धीरे बोलेंगे क्योंकि उन लोगों की छाया के बीच में बैठे हो। ठंडी हवा इनके सारे पंखों की आपको लग रही है...

श्री श्रीराम गोटेवाला : यहां पानरवा काण्ड का जिक्र था तब भी आप उधर ही बैठे थे..

श्री कैलाश मेघवाल : XXX साहब आप तो चुप रहो। बाकी सारे बाढ़ बचाव के मामले सामने आ गये तो बोल ही नहीं सकोगे। चुप ही रहिये ना। तो थोड़ा।

---

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) राजकीय भूमि पर उग रही वन सम्पदा को हटाने का कार्य वन विभाग की विभागीय कार्य योजना के माध्यम से कराया जाता है। अतः मत्स्य परियोजना अधिकारी को चाहिये था कि कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व अपने विभागाध्यक्ष के मार्फत विवादास्पद भूमि पर से पेड़ हटाने हेतु मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को लिखवाते। स्थानीय स्तर पर ही पत्र व्यवहार करके इतने बड़े मामले में निर्णय लेना उचित नहीं था।

इसके बाद, माननीय सभापति महोदय, चौथा पैराग्राफ है उसमें वही लेवल की बात की गयी है जो लेवल का मैं बिन्दु पहले ले चुका हूं। वह नहीं पढ़ूंगा।

(5) मण्डल वन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य परियोजना अधिकारी की सारी कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है। इतने बड़े क्षेत्र पर ठूंठ एवं वृक्ष कटाने के ठेके की मुश्तहरी पर्याप्त रूप से नहीं की गई प्रतीत होती है। मण्डल वन अधिकारी ने बताया कि उन्हें एवं जिलाधीश तक को निविदा विज्ञप्ति की प्रति नहीं भिजवाई गई है। जब कि ऐसे ठेके की उचित मुश्तहरी वन विभाग के माध्यम से ही सम्भव हो सकती थी जहां वन पैदावार के ठेकेदारों की सूची उपलब्ध रहती है। मत्स्य विकास अधिकारी ने इस ठेके का जो इकरारनामा प्रस्तुत किया है उसके अवलोकन से विदित होता है कि यह ठेका सात वर्ष की अवधि के लिये दिया गया जो कि 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इकरारनामें से विदित नहीं होता कि ठेका कितनी राशि में दिया गया है।

यह बात भी विचारणीय है कि क्या इतने बड़े ठेके को स्वीकृत करने आदि के लिये मत्स्य परियोजना अधिकारी पूर्ण रूप से सक्षम है जैसा कि उन्होंने प्रस्तुत प्रकरण में किया है।

आगे बहुत महत्वपूर्ण है,

"प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ राजस्थान सरकार का विस्तृत वन क्षेत्र है। अतः दस वर्ष का ठेका किसी निजी पार्टी को देने से राजकीय वनों की सुरक्षा पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इसकी संभावना पर विचार नहीं किया गया प्रतीत होता है।"

यह एक पत्र, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के राजस्व सचिव, राजस्थान के मुख्य वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ के जिलाधीश को मैंने जो बताया उस तारीख को लिखा गया। आखें खुल जानी चाहिये थीं लेकिन शायद सोने की चकाचौंध से आखें उस समय कुमला गई थीं। किसी ने कोशिश नहीं की कि कार्यवाही की जाय। इस पत्र लिखने वाले अधिकारी ने जब देखा कि कोई कार्यवाही नहीं हुई, उसकी आत्मा दुखी हुई होगी, तो उसने दूसरा अर्द्ध-शासकीय पत्र लिखा। वह अर्द्ध-शासकीय पत्र लिखा 30 जनवरी 1981 को। उस अर्द्ध-शासकीय पत्र को पूरा नहीं, रेलेवेंट पोर्शन आपके सामने पढ़ देता हूं।

"मंडल वन अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं एवं जैसा उन्होंने मौखिक रूप से बताया है उससे आभास होता

(श्री कैलाश मेघवाल)

है कि यह एक सारी रहस्यपूर्ण कार्यवाही है एवं राज्य सरकार के हितों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त आसपास का यह सारा क्षेत्र अच्छे अच्छे वनों से आच्छादित है। जिस कारण किसी भी ठेकेदार को 7 वर्ष की लीज देने से वन सुरक्षा पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसका सहज में अनुमान लगाया जा सकता है।"

यह अर्द्ध-शासकीय पत्र राजस्थान के राजस्व सचिव, श्री आनन्द मोहनलाल सक्सेना को लिखा गया। माननीय सभापति महोदय, इससे सरकार नहीं जगी। शायद सेवा में कमी पड़ गई और सेवा में कमी पड़ी तो जिलाधीश के पास सारी कार्यवाही गई। यह पत्र भी पहुंचा उप मुख्य वन संरक्षक का इस पत्र के बाद जिलाधीश ने फिर स्थगन आदेश जारी कर दिया। स्थगन आदेश जारी किया 24-1-81 को 24-1-81 को स्थगन आदेश जारी करते हुए लिखा है, आपके इस कार्यालय के पत्र संख्या सो एण्ड सो दिनांक 31-12-80 द्वारा लिखा गया था कि डूब क्षेत्र से ठूंठ एवं वृक्ष निकालने का वन विभाग से समन्वय स्थापित एवं क्लीयरेन्स प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही करें किन्तु आपके द्वारा तद्नुसार कार्यवाही नहीं की गई है। अतः राणाप्रताप सागर बांध के डूब क्षेत्र से ठूंठ एवं वृक्ष निकालने, काटने की कार्यवाही इस कार्यालय के अग्रिम आदेश न हो जावें, तब तक न की जावे एवं आप स्वयं सम्बन्धित रिकार्ड देकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास विचार-विमर्श हेतु उपस्थित हों।

आ जाओ, विचार करो। क्या हो रहा है आखिर यह कैसे चल रहा है? क्या है इसमें, आ जाओ। दूसरा, यह स्थगन आदेश जारी कर दिया 24-1-81 को, 24-1-81 को स्थगन आदेश जारी करने के बाद ठेकेदार आ गये। आगे की बात जो है 16-2-81 को स्थगन आदेश वापस निरस्त कर दिया। क्यों स्थगन किया? मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं जो स्थगन आदेश वापस निरस्त कर दिया, 16-2-81 को जिलाधीश ने जो आदेश पारित किया चित्तौड़गढ़ जिलाधीश को, वह 17-2-81 को अन्तिम एग्जीक्यूटिव प्वाइंट तक पहुंच गया। उप मुख्य वन संरक्षक, जो भी होता है, को पहुंचा, उनके बाद वन संरक्षक, को टी. ए. और लास्ट प्वाइन्ट, जो इनका होता है, के पास 16 तारीख का आदेश 17 तारीख को पहुंचा दिया। माननीय सभापति महोदय, जिलाधीश ने आदेश निरस्त कर दिया। वह उचित नहीं होता और यहां उचित होता था आ जाओ, बैठ कर कुछ सेवा करो, कुछ ज्यादा माल निकल रहा है, पहले कुछ करोड़ का बताया था अब ज्यादा करोड़ का है उस हिसाब से सारी कार्यवाही होनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीश ने एक आदेश जारी किया था इसके बाद आप देखिये, शासन कैसे चल रहा है? 17-2-81 को शासन ने एक आदेश जारी किया। निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर को आदेश देते हुए शासन विशिष्ट सचिव, कृषि (ग्रुप-6) ने एक आदेश 17-2-81 को जारी किया। माननीय सभापति महोदय, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, राजस्व सचिव महोदय, पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा इन सबको आदेश भेजे गये कि यहां जो यह

(श्री कैलाश मेघवाल)

काम चल रहा है उस काम को तुरन्त रोक दिया जाये। यह 17-2-81 का आदेश, माननीय सभापति महोदय, कहां डूबता रहा, कोई पता नहीं लेकिन अन्तिम बिन्दु तक यह पहुंचा है, 2-3-81 या 3-3-81 को। 16 तारीख को जो आदेश हुआ वह तो लास्ट बिन्दु तक 17 तारीख को पहुंच गया लेकिन राजस्थान सरकार का 17-2 को जो आदेश होता है वह लास्ट बिन्दु तक पूरे 17-18 दिन बाद पहुंचता है। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, यह आदेश क्या है और यह क्यों हुआ? यह इसलिये हुआ कि जिलाधीश ने अपना स्थगन आदेश जारी किया था कि यह सारी वन सम्पदा...

श्री सभापति : दूर भी तो है, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको तथ्य समझा रहा हूं। जब जिलाधीश ने अपना दूसरा स्थगन आदेश जारी किया। ट्रांजिट पास मिलता है वन सम्पदा का, लकड़ी और कोयला निकालने का जिलाधीश ने दूसरे दिन 16-2 को आदेश पारित किया जब स्थगन आदेश खारिज करने का, वन विभाग ने ट्रांजिट पास जारी करना प्रारम्भ कर दिया जब बन्द करने का दूसरा आदेश हुआ तो, माननीय सभापति महोदय, पास जारी होने थे उसमें तो उन्होंने कहा, यह आदेश पारित हो गया है डिले करो। 5 दिन डिले होती है उप मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय जो कोटा में है वहां के एक कमरे में। दूसरे कमरे में डी. एफ. ओ. बैठता है, वहां से यहां तक आदेश पहुंचने में 5 दिन लगे। माननीय सभापति महोदय, यह सारी डिले इसलिए की गई कि जिलाधीश ने जो स्थगन आदेश निरस्त किया है उसके आधार पर कार्यवाही करके ट्रांजिट पास इश्यू हो जाये तो उसके बाद कह देंगे कि ट्रांजिट पास इश्यू हो गये। यह आपके सामने तथ्य इसलिए रख रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार का जो आदेश 17-2 का था उसके लिए मण्डल वन अधिकारी, जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ को 26-3-81 को एक पत्र लिखते हैं—

"मगर इस अधीनस्थ कार्यालय के सहायक वन संरक्षक, भीलवाड़ा ने दिनांक 11-3-81 को इस क्षेत्र का दौरा कर ज.न. 255, दिनांक 12-3-81 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया कि उक्त क्षेत्र में बरखेड़ा, केसुला आदि स्थानों पर बराबर भट्टियां चुनी जा रही हैं। भट्टियों में आग लगाकर कोयला बनाया जा रहा है तथा भट्टियों को खोलकर कोयला निकाला जा रहा है। तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17-2-81 की कोई पालना सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा नहीं की जा रही है और न ही सम्बन्धित मत्स्य पालन विभाग द्वारा पालना कराई जा रही है।"

यह शिकायत है। यह मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि सरकार का आदेश जाने दो मिट्टी में। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इसके बाद क्या हुआ? सारा जंगल काटा जाता रहा, अवैध रूप से सामान ले जाते रहे। कोयला बनाया जाता रहा, वह अवैध रूप से ले जाते रहे। कोई सुनने वाला नहीं है। शायद बेंगू से आने वाले माननीय विधायक की आत्मा जरा झकझोरी होगी यह सारा क्षेत्र बेंगू विधान सभा क्षेत्र में है। मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता हमको

(96)



(श्री कैलाश मेघवाल)

विश्वास में लेकर भेजती है, बेंगू से आने वाले माननीय विधायक को अगर अपनी जनता का विश्वास प्राप्त है तो उनकी आत्मा झकझोरी होगी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करूंगा कि आज वह अपना मुंह तो खोलें। एक नहीं दस पत्र बेंगू के माननीय विधायक ने मुख्य मंत्री को लिखे, वे खुद जाकर मिले और कहा, मुख्य मंत्रीजी करोड़ों रुपयों का घोटाला हो रहा है, आपके अधिकारी पैसा खा रहे हैं। वन मंत्रीजी से मिले, वन मंत्रीजी, करोड़ों रुपयों का घोटाला हो रहा है, आपके सारे अधिकारी खा रहे हैं। भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सिंचाई मंत्रीजी से मिले, न केवल मिले बल्कि सभापति महोदय, पत्र लिखे हैं पत्र सब वहां पर उपलब्ध हैं किन्तु सरकार ही तरजीह नहीं दे तो बेचारे विधायक सत्ताधारी पार्टी से आने वाले विधायकों पर अधिक आरोप इस बात का लगाते हैं कि वह ट्रांसफर कराने में, व्यस्त है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सारे प्रकरण में बेंगू से आने वाले माननीय सदस्य का जो रोल मैंने देखा है, एक जन प्रतिनिधि के अनुरूप रोल है। 10 पत्र लिखे फिर भी राजस्थान सरकार नहीं जगी। माननीय सभापति महोदय, चित्तोड़ की सांसद, निर्मलाकुमारी ने लोकसभा में एक सवाल किया। सीधे-सीधे प्रधान मंत्री जी से पूछा, प्रधान मंत्री जी, आपने 20 सूत्री कार्यक्रमों में वनों की सुरक्षा की गारन्टी दे रखी है तो हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री और अधिकारी लाखों रुपयों की धन सम्पदा को खुर्द-बुर्द क्यों करा रहे हैं? सभापति महोदय, मैं अभिनन्दन करता हूं भारत सरकार का कि उसने लताड़ दी राजस्थान की सरकार को··

(2.01 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान की सरकार को लताड़ दी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस लताड़ के बाद कार्यवाही प्रारम्भ तो हुई···

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस माध्यम के अन्तर्गत आपने यह प्रस्ताव दिया है उसमें अधिक से अधिक एक घंटे का समय दिया जाता है। 40 मिनट का समय लगभग हो गया है··

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी 30 या 29 मिनट हुए हैं मैंने घड़ी देखी है··

श्री अध्यक्ष : वह घड़ी गलत हो तो भी सही मानी जाती है।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, नहीं। मैंने घड़ी देखी है। ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : एक घंटे की चर्चा है, मंत्री जी का उत्तर आना है। कई माननीय सदस्य बोलने को हैं इसलिये कृपया समय का ध्यान रखकर शीघ्र समाप्त करें, यह नम्र निवेदन है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यही चाहता था कि तथ्यों को ठीक ढंग से रख दूं तो यह उद्देश्य भी पूरा हो जायगा। उसमें अगर कुछ समय ज्यादा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह दिक्कत तो हमें है क्योंकि आज साढ़े चार बजे मुख बन्द का प्रयोग हो जायगा और शिक्षा विभाग की मांग पर चर्चा करनी है। शिक्षा विभाग

(श्री अध्यक्ष)

स्वयं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है इसलिये कृपया समय का ध्यान रखें। एक घंटा होते ही चर्चा समाप्ति की घोषणा करूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा बहुत।

श्री अध्यक्ष : देखने की बात है, समय एक घंटे का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने पहले बता दिया होता तो ठीक होता।

श्री अध्यक्ष : नियम 127 में जो प्रस्ताव होता है उसके लिये एक घंटा हम मानकर चलते हैं। माननीय सदस्य साधारण सा नियम है और उसका उपयोग माननीय सदस्य बार-बार करते रहते हैं इसलिये नियमों से परिचित हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, इसमें टी. पी. किसने जारी किया है ? मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा, टी. पी. जारी करने का अधिकार ये जो नियम हैं राजस्थान सरकार के, उनके तहत कुछ अधिकारियों को उनके पदों के नाम से टी. पी., ट्रांजिट पास इश्यू करने के आदेश दिये हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस रूल का (3) है उसमें चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट, राजस्थान, कन्जरवेटर आफ फारेस्ट डिविजनल फारेस्ट आफिसर, सब डिविजनल फारेस्ट आफिसर, फारेस्ट रेन्जर, डिप्टी रेन्जर, फारेस्ट, हैड गार्ड और नाकेदार हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये नियम आपने बनाये हैं ट्रांजिट पास जिन लोगों को जारी करने का अधिकार है। क्या एक भी ट्रांजिट पास उन लोगों के आदेश से इस सारे काम में जारी हुआ है ? इस सारे काण्ड में ट्रांजिट पास सोइल कंजर्वेशन आफिसर, डिप्टी सोइल कन्जर्वेशन आफिसर, एडीशनल कन्जर्वेशन आफ फारेस्ट ने जारी किये हैं। जिनका नियमों में कहीं जिक्र नहीं है। ये सारे अधिकृत व्यक्ति नहीं थे ट्रांजिट पास जारी करने के लिये। टी.पी. जारी किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बाद पार्टी को एक आदेश गया। राजस्थान की सरकार ने सारा ठेका निरस्त कर दिया। निरस्तीकरण के बाद उस पार्टी को समय पर आदेश नहीं दिया गया। इसलिये नहीं दिया गया, अध्यक्ष महोदय, यह आदेश है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह सारा बिगड़ गया क्रम।

तो अब मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि एक आदेश जारी हुआ, राजस्थान की सरकार ने कहा कि इस ठेके को निरस्त किया जाता है। उस निरस्तीकरण के आदेश को जयपुर से नीचे तक पहुंचने में दो महीने या ढाई महीने लग गये। इसलिये लग गये, इस पार्टी को जान बूझकर इस बात का मौका दिया गया कि भाई हाई कोर्ट में चले जाओ, यह निरस्तीकरण के आदेश आ गये हैं और ठेका निरस्त हो जायगा। अगर हमने तुम्हारा कब्जा ले लिया तो कहां जाओगे। इस निरस्तीकरण के आदेश का ठीक समय पर पालन नहीं करवाया। पार्टी हाई कोर्ट में चली गई।

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बड़ी चर्चा हो रही थी हाई कोर्ट के बारे में। मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन चर्चा हुई है कि हमारे वकील महानुभव राजस्थान की सरकार के कानूनी पक्ष को जो लोग हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं, उन सब वकीलों का चरित्र, उन सब लोगों की पैरवी इस केस के जो तथ्य हैं उसके आधार पर सन्देहास्पद हो जाती है क्योंकि उन्होंने समय पर पैरवी नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, टिप्पणी है, पत्रावली है, हाई कोर्ट की पत्रावली है। जब उनका पहला नोटिस मिला तो माननीय जज साहब टिप्पणी में लिखते हैं कि उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है शासन की ओर से, इसलिए मैं आदेश देता हूं कि पार्टी ने जो रिट की है उसके अनुसार उसको काम करने का मौका दिया जाय। जब दूसरी पेशी पड़ी तब माननीय जज साहब लिखते हैं, सरकारी पक्ष ने इसमें समय चाहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक जितनी पेशियां पड़ीं, वे पड़ती रहीं और सरकारी पक्ष समय लेता रहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां के एक असिस्टेंट सैक्रेटरी इस विधान सभा के परिसर को कहीं ठेके पर दे आयें और देने के बाद जिनको ठेके पर दिया हुआ है वे यहां आकर उछल-कूद करने लग जायें और हमारे उप सचिव, वरिष्ठ उप सचिव देखते रहें, और अधिकारी देखते रहें· · . .

श्री अध्यक्ष : हमारे पास तो बहुत बड़े अधिकार हैं ऐसा कोई दुस्साहस नहीं कर सकता है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यही दुस्साहस हुआ है। राजस्थान की जनता के पांच करोड़ की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि वकीलों के चरित्र भी इसमें सन्देहास्पद हैं।

एक अन्तिम बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें ऊपर से लगाकर नीचे तक, मंत्री स्तर से लेकर नीचे तक, आज मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं सिर्फ यही निवेदन करूंगा, माननीय वन मंत्री जी, कि घनश्याम जी जब अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी वे सब प्रतियां जो आपके पास रखी हैं· · · ·

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आपकी बात समाप्त होने तक·····

श्री कैलाश मेघवाल : हां, आपको मौका मिलेगा। आप अपनी बात रखना। यह तथ्य भी बता देना कि जब बेगूं के माननीय सदस्य आपके पास आये थे और पत्र भी लिखे थे तब आपने उनसे कहा, पत्र गुम गये आपके पत्र की प्रतियां मुझे दे दो। उन पत्रों की प्रतियां भी आपने ले लीं। आप बता दें, आपने क्या कार्यवाही की है ? अगर बेगूं के विधायक का जमीर जागता है तो उस तथ्य को इस विधान सभा के सामने रखने का कष्ट करेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं, इनके एक अधिकारी जो मौलिक रूप से बीच में अपराधी हैं, के निलम्बन आदेश जारी किये। अध्यक्ष महोदय, निलम्बन आदेश तीन महीनों से इधर-उधर डुल रहा है। वह अधिकारी मंत्रियों से मिल रहा

(श्री कैलाश मेघवाल)

है। यह राजस्थान पत्रिका 16 मार्च का है। जिसमें विज्ञप्ति प्रकाशित की है राजस्थान की सरकार ने उसके निलम्बन के आदेश की। आपको सिरोही आदेश भेजा वहां नहीं मिले। आपको वहां भेजा वहां नहीं मिले। आप बिना छुट्टी के गायब हैं। यह तथ्य भी लिखा, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं, इसमें यह आया है''

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आने दो।

श्री कैलाश मेघवाल: "यद्यपि श्री मोगरा को उनके निलम्बन की जानकारी है। जैसा कि श्री मोगरा द्वारा राज्य मंत्री, मत्स्य को प्रेषित है। अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक निल से स्पष्ट है।" मंत्रियों से मिल रहा है। लेकिन निलम्बन आदेश नहीं ले रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इस सारे काण्ड में तीन बातों की जांच हो। जिन लोगों ने राजस्थान की जनता के पांच करोड़ रुपये की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द किया है उनके खिलाफ जांच हो। यह एक विभाग का काम नहीं है। जी० ए० डी० और अन्य विभागों के जिन अधिकारियों के हाथ रंगे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें, ठेकेदार, जो ऐसे कामों के लिए कुख्यात है, के खिलाफ कार्यवाही करें। राजस्थान की जनता को जो पांच करोड़ का घाटा हुआ है उसकी पूर्ति कैसे होगी। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि ठेकेदार की स्थिति अच्छी है। उदयपुर के वाणिज्य कर अधिकारी ने लिखा है.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : अच्छा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बाद में बोलेंगे ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हां, बाद में कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रकट किये हैं मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता लेकिन आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने यह सारा घोटाला काण्ड इसी सत्र में उजागर किया था और उसी समय इसको रोका जा सकता था। सरकार की जानकारी में लाने के बाद भी इसको सुनियोजित ढंग से दबाया गया। अध्यक्ष महोदय, जब कलेक्टर से लेकर सरकार, मन्त्री तक इसमें शामिल हो जायें तब इस घोटाला काण्ड को कैसे उजागर किया जा सकता है। फारेस्ट विभाग के डी० एफ० ओ० ने समय समय पर कई पत्र लिखकर यह कहा कि यह फारेस्ट विभाग की सम्पत्ति है और मत्स्य पालन अधिकारी नाजायज हरकत कर रहा है, ठेकेदार से मिल गया है। डी० एफ० ओ० ने ऐसे कई पत्र लिखे हैं लेकिन फारेस्ट विभाग के अधिकारी कानों में तेल डालकर बैठे हैं। मिल गया कलेक्टर। कलेक्टर के मिलने के जो

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

प्रमाण माननीय सदस्य ने बताये हैं, वह इस बात को सिद्ध करते हैं कि इसमें एक सुनियोजित षड़यंत्र हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि एक पेड़ जो किसान अपने हल के लिए काटता है, उसका पेड़ जब्त कर लिया जाता है। यह घोटाला हुआ, करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ और सब में बंटवारा हुआ लेकिन हरे पेड़ काटने की सजा किसको दी गयी? वह कौन अधिकारी दोषी है? जिसने हजारों हरे पेड़ खड़े के खड़े कटवा दिये। एक एक बात इसका प्रमाण दे रही है कि इसमें सुनियोजित षड़यन्त्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री जी जानते हैं कि इनके पास भी मत्स्य पालन अधिकारी पैसे लेकर रिश्वत देने के लिए आया। उस अधिकारी ने इतनी हिम्मत की कि राज्य मंत्री के पी. ए. और राज्य मंत्री के पास पहुंच गया। पता नहीं इन्होंने पैसे लिये या नहीं लिये लेकिन उसे सस्पेण्ड कर दिया। इसका मतलब यही है कि नहीं लिये। मैं आपके माध्यम से राज्य मन्त्री को सूचित करना चाहता हूं कि वह आदमी दो तीन दिन के अन्दर अन्दर बहाल होने वाला है। आपकी नालेज में है या नहीं है, उसने एक दलाल के पास एप्रोच की है वह दलाल मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन लेकर आया है कि वह बहाल होगा, दो तीन दिन के अन्दर अन्दर बहाल होगा। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा घोटाला किया गया, हजारों पेड़ काटे गये, पांच करोड़ का घोटाला किया गया इसके रिकार्डेड प्रूफ हैं इसके बावजूद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पैरवी नहीं की। कोयले का ट्रांजिट परमिट गलत तरीके से बनाया गया। फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के नीचे के अधिकारी जिन जिन ने आब्जेक्शन किया है, प्रमाण है, उनके खिलाफ एक्शन काल हुआ है, उनके ट्रान्सफर हुए हैं। एक सुनियोजित षड़यन्त्र जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिल जायं, एक डिपार्टमेन्ट नहीं चार डिपार्टमेन्ट मिल जायं, जिला अधिकारी मिल जायं तो क्या होगा? फिर तो, यही होगा कि कई गुलाम अब्बास मौज उड़ायेंगे। यह सिद्ध हो गया कि आज पैसे से कौन नहीं खरीदा जा सकता। 4–4 डिपार्टमेन्ट एक साथ खरीद लिये गये। स्थगन आदेश दो महीने तक नीचे नहीं पहुंचा है। हाई कोर्ट में वकील पैरवी नहीं करते हैं। एक ऐसा षड़यंत्र है, पिछले दो साल में इस जैसा घृणित षड़यंत्र कोई नहीं हुआ। पेड़ जिनके लिए इन्दिरा जी का बीस सूत्री कार्यक्रम है कहा गया वह बीस सूत्री कार्यक्रम जिस को आप लिये लिये फिरते हैं जो मत्स्य पालन अधिकारी राज्य मंत्री के पास एप्रोच कर सकता है, वह मत्स्य पालन अधिकारी क्या आपकी नौकरी में रहने लायक है? उनको बहाल किया जा रहा है।

मैं अधिक समय नहीं लेकर, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय, केवल एक मत्स्य पालन अधिकारी के खिलाफ ही कार्यवाही नहीं की जाय। मैं वन मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां आपको कुछ लगता हो पत्रावलियां आपके पास यदि नहीं हों, पत्रावलियां खो भी जाती हैं, तो उसकी ट्रू कापी हमारे पास है, फोटो स्टेट कापी है वह हम आपकी सेवा में दे देंगे लेकिन आप यदि दोषी नहीं हैं तो उन सब अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए जिन्होंने पेड़ कटवाये। आपका

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)
विभाग पेड़ों की रक्षा करने के लिए है, कटवाने के लिए नहीं है। मैं जानता हूं कि आपका विभाग जितने पेड़ लगवाता नहीं, उससे ज्यादा पेड़ कटवाता है। मेरे शाहबाद के जंगल साफ हो रहे हैं। सड़कों पर जंगल लग रहे थे ताकि लोग देखें कि पेड़ लग रहे हैं लेकिन अन्दर के जंगल कट रहे हैं। आप उन लोगों को, दोषियों को दण्ड दिलायेंगे इस आशा के साथ स्थान ग्रहण करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं समय नहीं दे रहा हूं माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा स्थगन प्रस्ताव है, स्वयं आपके पास है। मैंने स्वयं स्थगन प्रस्ताव 8 तारीख को दिया है और सेम कन्डीशन·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव आपने दिया होगा। यह नियम 127 के अन्तर्गत चर्चा है। मैं यदि होता तो आपको अवश्य····

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने कहा था कि मैं राज्य सरकार से जानकारी मंगवा लूंगा और मंगवाने के बाद आपको बोलने दूंगा।

श्री अध्यक्ष : तो पांच मिनट का समय।

श्री दाऊदयाल जोशी : पांच मिनट से छठा मिनट नहीं लूंगा, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

आप बोलना चाहें बोल लें।

श्री अध्यक्ष : दोनों माननीय सदस्य को 5-5 मिनट। कृपया यह नहीं है कि पांच मिनट समाप्त हो जायें उसके पश्चात् मुझे फिर आपसे निवेदन करना पड़े।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मंत्री) : कोई नई बात हो तो कह दें।

श्री अध्यक्ष : जो तथ्य सामने नहीं आये हों, कृपया उन्हीं बातों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

श्री घनश्याम जैन (वेगूं) : अध्यक्ष महोदय, जहां हमारी सरकार एक ओर वनों की रक्षा का संकल्प कर रही है, नये पेड़ लगा रही है वहां दूसरी ओर इस तरह बेरहमी से जंगल को काटा जा रहा है जिस तरह से राणाप्रताप सागर बांध में मत्स्य पालन के बहाने ठूंठ निकालने का ठेका उस व्यक्ति को दिया गया, जो पहले भी पानरवा काण्ड का हीरो था? यह कोयले का पेशेवर ठेकेदार है। मैं यह कहना चाहता हूं सदन में कि उस का कोई बच्चा नहीं है लेकिन उसको हरे पेड़ काटने का शौक है उसकी जिंदगी में उसने कई टेके लिये और कई हरे वृक्षों को काट काटकर कोयले बनाकर इस राजस्थान की धरती से वनों को उजाड़ दिया है। मुझे कहते हुए संकोच नहीं होगा कि हमारे रावतभाटा और आसपास का क्षेत्र वनों से आच्छादित था, मगर आज उसी ठेकेदार गुलाम अब्बास ने उस हरे भरे जंगल को काटकर एक तरह से रेगिस्तान की भांति कर दिया है। यह काण्ड उसी की उपज है उसने मत्स्य पालन विभाग

(श्री घनश्याम जैन)

को किसी तरह बहकाकर इस तरह का षड़यन्त्र किया। मैं यह निवेदन करूंगा, पहली बात तो यह है कि मत्स्य पालन विभाग को क्या अधिकार था कि उन ठूंठों का ठेका दिया जाय? जो विज्ञप्ति जारी की, उस विज्ञप्ति पर सरकार की मजूरी नहीं ली। साथ ही जो उसने विज्ञप्ति निकाली वह बड़े अखबारों में प्रकाशित भी नहीं की और न वहां के लोगों को इसका पता चला। आज रावतभाटा में कई ठेकेदार हैं जो कोयले का काम करते हैं मगर उन्हें भी पता नहीं चला। मेरे पास एक चिट्ठी है लोक राम ठेकेदार की। उसने उसकी कापी मत्स्य पालन अधिकारी, मुख्य मंत्री जी, वन मंत्रीजी, मत्स्य निदेशक, श्रीमान जिलाधीश महोदय, सब डिवीजन-मजिस्ट्रेट, बेगूं, और नायब तहसीलदार को दी है। एक कापी मुझे भी दी जिसमें उसने लिखा है कि हमें सूचना नहीं दी गयी। यह पत्र उसने 19-1-80 को लिखा। इसमें उसने लिखा है, एक और आपने जहां मुफ्त में काम करने का जो 7 साल का ठेका दिया है, मैं इस ठेके के लिए 4 लाख रुपये दे सकता हूं यह ठेका मुझे दिया जाय। लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई और यह ठेका गुलाम अब्बास को दिया गया। उस ठेके में यह शर्त भी रखी कि ठूंठ तो निकालेंगे ही 74 किलोमीटर की परिधि में, उसके साथ साथ उन ठूंठों को निकालने के लिए विभाग दो नावें देगा। नावों के साथ दो पिंच मशीन, जो ठूंठ को नीचे से फंसाकर ऊपर निकाल देती है, भी देगा। यह उस ठेके की शर्त में लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 22-8-80 के अनुसार जो आपने आर्डर पत्र प्रस्तुत किया उसमें लिखा कि आर्थिक दृष्टि से राज्य सरकार के हित में होने के कारण ठेका स्वीकृत किया है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सरकार से माननीय वन मंत्रीजी से और मत्स्य पालन मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि यह राज्य के हित में कैसे है? जहां इस जंगल की कीमत करोड़ों रुपया है उसे काटकर यह कोयला बना रहा है। उसको राज्य के हित में मुफ्त में देना मैं सोचता हूं, उसके पीछे एक सुनियोजित षडयन्त्र है, बेइमानी है, एक धोखा है हमारे देश को। जिन लोगों ने यह काम किया उसकी कहानी माननीय श्री कैलाशजी मेघवाल ने भी सुनायी। जिस तरह से जिलाधीश महोदय ने इस पर स्टे दिया, स्टे उसके पास कब पहुंचा? जब स्टे वेकेट हुआ तो कब पहुंचा? हाई कोर्ट में केस गया तो हाई कोर्ट में हमारी सरकार की तरफ से पैरवी समय पर नहीं हुई। माननीय राजस्व सचिव ने जब उनको रोकने की बात कही, आदेश दिया, पुलिस की मदद से उसको रोकने की बात कही तो वह आदेश कब पहुंचा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सब के पीछे वन विभाग भी है, मत्स्य विभाग भी है, हमारे जिलाधीश चित्तौड़ हैं और रेवेन्यू विभाग भी है। उन्होंने समय पर उसको रोकने हेतु कोई उचित कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा वन विभाग ने बराबर जिलाधीश, चित्तौड़ और राजस्व विभाग को लिखा है, निवेदन किया है परन्तु वन विभाग की गलती यह है कि 1162 का लेवल कहां है, 1162 से 74 मील तक की जो परिधि है उसकी सुरक्षा के लिए हमने क्या व्यवस्थायें कीं, वन विभाग में, इसका हमें कहीं जिक्र नहीं मिलता। एक तरफ भैंसरोड़गढ़ रेंज है और दूसरे

(श्री घनश्याम जैन)

छोर पर जावरा है। वहां केवल दो गांव रहते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ षडयन्त्र चल रहा है, हरे भरे जंगलों को केवल ठूंठों के बहाने काटा जा रहा है। 62 के 1175 के लेवल के ऊपर भी कोई जंगल कट रहा है, क्या वन विभाग ने इसको रोकने के लिए कोई प्रतिरिक्त व्यवस्था की है? विभाग की तरफ से मैं सोचता हूं कि कोई व्यवस्था नहीं की तो, हम इस वन विभाग को भी दोषी मानेंगे। वनों की सुरक्षा के लिए तो लिखा था कि ठूंठों का ठेका निरस्त किया जावे लेकिन ठूंठों के अलावा जो जंगल कट रहा था उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कैलाश जी ने कहा, जब स्टे हुआ और उस कोयले को ले जाने का स्टे कर दिया कि कोयला बिना अनुमति के वहां से नहीं जाएगा जब तक स्टे वैकेट नहीं हो, उसके बाद भी उस पीरियड में कोयला वहां से निकला। मैं निवेदन करूंगा वन मंत्री जी से कि वे यह बतायें जब स्टे था उस बीच में कितना कोयला ट्रक निकला और कितने चालान हुए? इससे ही आपको अन्दाज लगेगा, अध्यक्ष महोदय, कि स्टे देने के बावजूद भी कार्यवाही जारी रही इसमें सभी विभागों की मिलीभगत होने के नाते यह षडयन्त्र चलता रहा। माल वह ठेकेदार चोरी छिपे ले जाता रहा। एक कमेटी बनाई गई उस कोयले को कुल नौ लाख रुपये का कूंत किया, 80 रुपये क्विंटल की बैंक गारन्टी से इसको तय किया। एक कमेटी बना रखी थी जिसमें जिलाधीश, डी. एफ. ओ. चित्तौड़ और ए. सी. एफ. भीलवाड़ा थे लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे जिलाधीश, चित्तौड़ ने बिना डी. एफ. ओ. की राय के उसकी बैंक गारन्टी 80) के बजाय 40) रु. क्विंटल कर दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? उनके ऊपर ऐसा क्या दबाव था? क्या हमारी सरकार के हित में हुआ है? मैं सोचता हूं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, माननीय अध्यक्ष, आप खुद जानते हैं।

इसके अलावा उसके लिये जो बैंक गारन्टी तय की थी उसको बैंक गारन्टी देनी चाहिए थी लेकिन उसको उसकी स्योरिटी पर ही छोड़ दिया गया। मैं इसके ऊपर में कहना चाहूंगा कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है, इस गुलाम अब्बास के नाम पर न तो कोई मकान है, न कोई उस की औलाद है, तो उसकी बैंक गारन्टी के बजाय उसकी स्योरिटी किस बात पर दी गई? जब उसके पास उसके नाम पर कोई जमीन नहीं है, उसके पास कोई जायदाद नहीं है, उसके पास मकान नहीं तो उसकी सिक्योरिटी के क्या मायने हैं। उसकी सिक्योरिटी का तो जब मायने होता कि उसके बैंक या मकान को प्लेज रखता, उसकी कोई जायदाद या कोई चल अचल सम्पत्ति होती उसको गिरवी रखता, उस पर वह सिक्योरिटी देता तब तो हम मानते कि वास्तव में उसने सिक्योरिटी दी है। केवल एक खानापूर्ति करके सिक्योरिटी के बहाने उसको यह माल 40 रुपये क्विन्टल में दे दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी राशि, जो 80) रुपये के बजाय 40) रुपये कर दी, का जिम्मेदार कौन है? इसमें जो घाटा हुआ है उसको कौन भुगतेगा? इसके बाद सुना है कि अभी मत्स्य पालन अधिकारी को सस्पेन्ड कर दिया

(104)



(श्री घनश्याम जैन)

गया है। माननीय मन्त्री महोदय, उसे सस्पेंड किस तारीख को किया और इस विभाग की लापरवाही की वजह से उसको सस्पेन्शन आर्डर कब मिला, इसका भी मैं मत्स्य पालन मंत्री महोदय से जवाब लेना चाहूंगा? उसको जब आपने सस्पेंड कर दिया उसके 11 दिन बाद सस्पेन्शन आर्डर मिला इसके पीछे जो षड़यन्त्र हुआ है उसमें आपका विभाग भी शामिल है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में इस बारे में मैंने कई बार मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखे, वन मंत्री जी को पत्र लिखे, भूतपूर्व वन मन्त्री को भी लिखे लेकिन मैं सोचता हूं कि इस पर किसी तरह की उचित कार्यवाही नहीं हुई। इससे उसके हौंसले बढ़ते गये और उसने करोड़ों रुपयों के जंगल साफ कर दिए। जब वन मन्त्री जी वहां पधारे तब हमने वन मन्त्री जी से भी निवेदन किया था, हमने कहा उनसे कि मौके पर जाकर आप मुलाहिजा फरमावे, किस बेरहमी से इन जंगलों को साफ कर रहे हैं लेकिन हमारी बात पर भी वास्तव में किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा सरकार से कि इस घृणित काण्ड में जो दोषी है, वास्तव में राजस्थान सरकार के नाम पर कलंक है, राजस्थान सरकार की करोड़ों रु. की सम्पति को जिसने नुकसान पहुंचाया है उस व्यक्ति के खिलाफ और ऐसे अधिकारी जो कि इस षड़यन्त्र में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

अन्त में, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मत्स्य पालन अधिकारी को सस्पेन्ड तो आपने किया लेकिन सस्पेंड करने से क्या उसमें जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार को मिल जायेगा? मैं इसलिए यह मांग करूंगा कि यदि उसके नाम पर कोई सम्पत्ति है तो उसको कुर्क कीजिए। उसकी सम्पत्ति को नीलाम करके राजस्थान सरकार में जमा किया जाय तभी हम उसका मुआवजा ले सकेंगे। बाकी मैं सोचता हूं कि केवल सस्पेड करने से हमारी वन सम्पदा को जो हानि करोड़ों रुपयों की हुई और जो सरकार को नुकसान हुआ है वह सब बेकार जाएगा। यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दाऊदयाल जोशी।

**श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)** : अध्यक्ष महोदय, पानरवा काण्ड को भी मात कर देने वाला यह काण्ड रावतभाटा काण्ड हुआ है। मैं दो तीन तथ्यों की ओर...

**श्री अध्यक्ष** : दुनियां में रिकार्ड तो ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता है टूटते रहते हैं।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मैं यही निवेदन कर रहा हूं। तीन चार तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा उससे आप भी यह महसूस करेंगे कि वास्तव में यह कितना गड़बड़ का काण्ड हुआ है। राजस्थान में आज तक जितने जंगल के काण्ड हुए उन सबसे अधिक मात कर देने वाला यह कांड है। इकरारनामा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, जिसमें कहा गया है कि गहरे पानी में ठूंठ एवं वृक्ष निकालने बाबत विभाग दो नावें एवं एक पिच मशीन उपलब्ध करायेगा, गहरे पानी में। यह पानी सन 60 से है। सन 60 में चम्बल की नहरें निकल गयी थी। एक तरफ तो पानी के अन्दर से ठूंठ निकालने की बात कर रहे हैं, क्या बीस साल

(श्री दारूदयाल जोशी)

लगातार पेड़ खड़े ही नहीं रह सकते पानी में क्या गल जाते हैं और ठूंठ हो जाते है? ठूंठ हो जाने के कारण ही तो यह सारा का सारा कांड हुआ है। उसके बाद फिर आगे कहते हैं कि वह ठेकेदार जड़ से निकालेगा ठेठ नीचे से, जड़ से लेकर पूरा ठूंठ और पेड़ निकाल देगा। बीस साल तक पेड़ रह सकता है क्या? रह नहीं सकता, ठूंठ हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है, माननीय मंत्री महोदय, बतायें कि यह जो मत्स्य पालन विभाग ने घोटाला किया है, मामला वन मंत्रीजी का है इसलिए वन मंत्री जी यह बतायें कि दुनिया के किसी भी तौर-तरीके से ठूंठ का कोयला बन सकता है क्या? कहीं नहीं बन सकता। कोयला बनाने के लिए गीली लकड़ी काम में लेनी ही पड़ेगी तब कोयला बनेगा। कोयला जब बना तो कोयला बना कितना? अध्यक्ष महोदय, अब तक पचास लाख रुपयों का कोयला वह ठेकेदार दो साल में निकाल चुका है। वैध तरीके से ट्रांजिट पास के आधार पर यह ठेकेदार 10, 57, 456) रुपयों का कोयला बेच चुका है। यह तो वैध है। अब आप स्वयं विचार कर लीजिए कि 80) रु. क्विन्टल जो पहले तय हुआ था कोयले का भाव, इसके हिसाब से कितना जंगल उसने काटा होगा। दस लाख रुपयों का वैध तौर पर, और चालीस लाख रुपयों का अवैध तौर पर कोयला बेचा। ले देकर के, दक्षिणा बांट करके कितना जंगल इसने काटा है? एक तरफ इस साल का लक्ष्य था ढाई करोड़ पेड़ लगाने का। अध्यक्ष महोदय ढाई करोड़ पेड़ तो यह दो-तीन-चार साल में ही साफ कर देगा। प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय कि जब एक अधिकारी को इसमें मुअत्तिल कर दिया, मुअत्तिल करने के बाद आज तक उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की? मैंने जो यह स्थगन प्रस्ताव दिया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को, मुझे मेरे सोर्स से पता लगा था कि इस अधिकारी ने राज्य के एक जिम्मेदार व्यक्ति के रिश्तेदार को, नाम नहीं ले रहा हूं, 15 हजार रुपयों का सौदा तय करके सारा वारा-न्यारा, सारा मामला रफा-दफा करने का तय कर लिया था। जब मुझे यह पता लगा 5 तारीख को, तो 8 तारीख को मैंने यह प्रस्ताव इसीलिए दिया था, उसमें स्पष्ट रूप से मेरी यह भावना थी कि राज्य के रावत भाटा और जवाहरसागर के मध्य केडेम क्षेत्र में पानी में ठूंठ निकालने की बाबत सिचाई और मत्स्य पालन विभाग की सांठ गांठ से भ्रष्टाचार का जो मामला गत विधान सभा में उजागर हुआ था व जिसके कारण अनेक अधिकारियों को दोषी घोषित करके कार्यवाही की जा रही थी, उन सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को बीच में ही रोककर पुनः नियुक्तियां देने की चर्चा है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ाने में ही योगदान मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है, एक तरफ तो स्पष्ट रूप से पिछले सत्र में यह भ्रष्टाचार का मामला बन गया। मैंने सारे मामले में तीन-चार बार वन मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से जाकर बताया। मैं लगातार रावत भाटा जाता रहा हूं, घनश्यामजी को मालूम है, घनश्यामजी ने सबसे पहले बात बतायी। मैंने इनको भी कहा, मैं इस प्रश्न को जितने जोर से उठा सकता

(106)



(श्री दाऊदयाल जोशी)

हूं, उठाने का प्रयास करूंगा। वन मंत्रीजी से तीन चार बार कहा, बड़े दुखी हृदय से, रोवनी सूरत बनाकर वन मंत्री ने कहा, दाऊदयालजी आप सही कहते हो वास्तव में सत्यानाश हो गया पूरा जंगल साफ हो गया, क्या बताऊं मेरी आत्मा कचोट रही है, दुखी है, मैं क्या करूं सरकारी मशीनरी इस प्रकार की है कि कन्ट्रोल में नहीं आ रही है। यह शब्द हैं माननीय वन मंत्री के। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार मत्स्य पालन विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग तीनों विभाग ने मिल कर घोटाला किया है, जो एक अहम प्रश्न है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से लास्ट में, अगर मत्स्य पालन विभाग ने ठूंठ काटने का ठेका दिया है तो यह बतायें कि कितने क्षेत्र में ठूंठ निकाल दिये गये, कितना क्षेत्र अभी तक ठूंठ से रहित हो गया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी ठूंठ इस ढाई साल के अन्दर उस ठेकेदार ने नहीं निकाला। नदी में वही के वही ठूंठ खड़े हैं, एक ठूंठ नहीं निकाला। आज वह सात साल से पेड़ निकाल रहा है, आठवें साल में वह ठूंठ निकालने का काम करेगा। इसके पहले तो उसका एक ही एक सूत्री कार्यक्रम है, पूरा जंगल साफ करते जाओ, जंगल से कोयला बनाते जाओ, कोयला बनाकर धड़ाधड़ बेचते जाओ और नेताओं की जेब भरते जाओ। मेरा, अध्यक्ष महोदय, इनके साथ साथ दूसरा प्रश्न है, वह ठूंठ निकालने की जो बात आयी थी यह इसलिये आयी थी मत्स्य पालन विभाग ने कहा कि मछली पैदा नहीं हो रही है। तो मत्स्य पालन विभाग के माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायें कि जो आपकी मछलियां पैदा नहीं हो रही थीं, पिछले ढाई साल से जब यह ठेकेदार वहां काम कर रहा है, कितनी मछलियां अधिक पैदा हुई हैं ? इन ठूंठों के निकालने के बाद आज मछली की उपज में कितनी बढोतरी हुई। जिसके कारण से सारा ठेका दिया था ? आज तक जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के तहत निश्चित तौर से कोई न कोई धरोहर राशि राज्य सरकार के कोष में जमा नहीं हुई है बल्कि राज्य सरकार ने बड़ी अनुकम्पा करके, बड़ा अहसान करके उसको उपकृत किया और एक बोट भी उसको समर्पित की, यह नाव उसको पेश की और कहा जंगल काटता चला जा माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच करोड़ का माननीय कैलाशजी ने कहा, लेकिन यह अपने आप में 50 करोड़ का घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है, करोड़ों अरबों का मामला है। घोटाले से ज्यादा बड़ा प्रश्न आज देश की बहबूदी का है। आज जंगल जिस तेजी से कट रहा है, देश की धरती के लिये 33 प्रतिशत जंगल चाहिये था वह जंगल कट कर सात प्रतिशत रह गया है। अगर इसी तेजी से इस षडयन्त्र के आधार पर जंगल कटता गया राजस्थान में, पांच साल से अकाल से पीड़ित हैं, आने वाले सालों में राजस्थान की बहबूदी समाप्त हो जायगी। यह बहबूदी का प्रश्न है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, सिंचाई मंत्री, तीनों का ध्यान केन्द्रित करता हूँ, निश्चित रूप से इसमें घोटाला हुआ है। अपराधियों को किसी भी मूल्य पर नहीं बचाया जाय। मेरे पास आज भी सूत्र है कि 15 हजार रुपये राज्य के एक जिम्मेदार व्यक्ति के भाई को दिये जाने

(श्री दाऊदयाल जोशी)

की चर्चा चल रही है, निश्चित तौर पर आप इस पर कोई व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष : वन मंत्री कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते थे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सम्माननीय सदस्य इस प्रश्न से उद्वेलित हैं उसी प्रकार जब मंत्री बना, मेरे ध्यान में घनश्यामजी द्वारा नहीं, दाऊदयाल जी द्वारा नहीं मेरे अपने खुद के सोर्सेज द्वारा यह जानकारी लाई गई कि इस प्रकार एक ठेका गलत तरीके से दिया गया है। हांलाकि वह ठेका हमारे फारेस्ट की जमीन का नहीं था लेकिन ठेका देने से उसमें जो शंकायें अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे विभाग के पत्र को पढ़कर प्रकट की, वह शंकाए विद्यमान थीं। मैंने 13 तारीख को आठवें महीने में, 1981 में यानि शपथ लेने के एक महीने के बाद इस प्रश्न पर सरकार को लिखा, यह बहुत ही गंभीर मसला है, इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है, किस प्रकार यह सारा सौदा हुआ है उस सम्बन्ध से मुझे अवगत करायें। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर जैसे ही मुझे कुछ जानकारी मिली, मैंने कुछ सवाल हमारे अधिकारियों से पूछे जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही मैंने भी पूछे, यह ठेका मत्स्य अधिकारी द्वारा किस प्रकार से दिया गया जब उनको इसका कोई अधिकार नहीं था ? या तो वन विभाग ठेका दे या सिंचाई विभाग दे। मैंने यह भी पूछा, न्यायालय में जब इस सम्बन्ध में कोई रिट पेश हुई तो हमारे गवर्नमेंट के वकील ने इसकी पैरवी क्यों नहीं की, इसका जवाब क्यों नहीं दिया और समय पर क्यों नहीं हाजिर हुए ? मैंने यह भी पूछा, निषेधाज्ञा की कार्यवाही को निरस्त कराने के लिये सरकार, हमारे गवर्नमेंट वकील क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मैंने यह भी पूछा, ठेके की जो शर्तें हैं उन शर्तों को ठेकेदार तोड़ रहा है क्या ? इस सारे प्रकरण में कौन कौन अधिकारी लिप्त हैं, अध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी जांच करवायी जांच कराने के बाद हमारे वन सतर्कता निदेशक ने जांच रिपोर्ट दी उस जांच रिपोर्ट को मैंने देखा। 21-1-82 को जब मेरे सामने जांच की रिपोर्ट पेश हुई, तो उससे संबंधित अधिकारी, जो सबसे बड़ा अधिकारी है एडीशनल चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट, जो कि उस समय उदयपुर में चीफ कंजरवेटर फारेस्ट था, को दोषी मानते हुए निलम्बित करने के आदेश दिये। उनको निलम्बित करने के बाद मुख्य मंत्री जी से कहा कि इसमें दूसरे विभाग के अधिकारी लिप्त हैं उन पर भी कार्यवाही की जाय। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैंने मेरे विभाग के उदयपुर में जो अधिकारी हैं उनसे कहा कि इस संबंध मे वहां सतर्कता रखी जाये और चौकियां कायम की जायं, ताकि जो साथ में लगता फारेस्ट है उसकी कटाई न हो। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैंने यह आदेश दिये. . . .

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह सब दो साल बाद हुआ। 80 का केस है, 82 में यह एक्शन हुआ है। केवल दो साल लगे हैं। वह जितने पेड़ लगने हो. . .

श्री अध्यक्ष : 81 में अगस्त महीने में माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में आया,

(श्री अध्यक्ष)
82 के प्रारम्भ में इन्होंने इस तरह के आदेश प्रसारित कर दिये ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : पहले महीने में रिपोर्ट आई और पहले महीने में सस्पेण्ड कर दिया उसे ।

श्री अध्यक्ष : 6 महीने में· ··

श्री रघुवीरसिंह कौशल : केस तो 80 का है ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं मेरे विभाग की बात आपके सामने बता रहा था । मैंने यह भी कहा कि इसमें जो आफिसर इंचार्ज हैं रिट के, केस में, वह इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, सरकार के पक्ष की पूरी तरह पैरोकारी नहीं कर हैं, मैंने अपने विभाग के अधिकारी को कहा, जब भी कोर्ट में पेशी पड़े आप जाकर इसे निरस्त कराने की कार्यवाही कीजिये । बाकी जो कार्यवाही इस सम्बन्ध में हुई है, अध्यक्ष महोदय, चूंकि कोर्ट ने इन्टरवीन करके हमें इसमें रोक रखा है, जहां तक वन सम्पदा का सवाल है, मैं समझता हूं जैसे ही मेरी नालेज में सवाल आया मैंने पूरी कार्यवाही की है । अभी भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को, हम कोशिश यह करेंगे कि जब तक कोर्ट से निषेधाज्ञा निरस्त नहीं हो जाती है तब....

श्री अध्यक्ष : लेकिन पानी के बाहर जो वृक्ष हैं उनकी रखवाली आपका काम है उसमें तो आप अपने फारेस्ट एक्ट के मातहत ही कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह आगाह कर रखा है, चौकियां लगा रखी हैं, कोई इस प्रकार के दो तीन केस आये, हरे पेड़ को काट कर ले जाने की कोशिश भी की है, उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है ।

श्री अध्यक्ष : मत्स्य पालन मंत्रीजी ।

श्री रामकिशन वर्मा ( राज्य मंत्री, मत्स्य पालन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने रावत भाटा में ठूंठ निकालने के प्रकरण को उठाया, यह वास्तव में बड़ा गंभीर मामला है जिसको देख कर सुन कर ऐसा लगता है कि बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ । इसकी कहानी सन् 71 से चालू होती है । सन् 71 में करीम कवां ठेकेदार नाम के व्यक्ति को सिंचाई विभाग द्वारा 1800 रुपयों में डूबे हुए क्षेत्र की लकड़ी निकालने का ठेका दिया । उसने 71 से 74 तक लकड़ी निकाली । लेकिन लकड़ी उठाने के लिये जो उसे स्वीकृति वन विभाग से लेनी थी वह स्वीकृति उसको नहीं मिली । सन् 74 से 79 तक इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई । न तो इस प्रकार कोई लकड़ी काटी गई, न लकड़ी निकाली गई । लेकिन सन् 80 के अन्दर फिर से हमारे मत्स्य पालन अधिकारी द्वारा सिंचाई विभाग को इस प्रकार से आवेदन किया गया, मत्स्य पालन विभाग को इस डूब क्षेत्र के अन्दर लकड़ी के ठूंठ, पेड़ जो खड़े हैं उसके कारण मछली पकड़ने में दिक्कत होती है जाल अटक जाता है, फट जाता है, इस वजह से उन्होंने सिंचाई विभाग से कहा इसकी सफाई कराना अति आवश्यक है । चूंकि यह आपके क्षेत्र के अन्दर, आपके अधिकार में आता है आप इसकी सफाई करवायें । सिंचाई विभाग के अभियन्ता ने इस बात के लिये कहा कि हमारे पास इस तरह का कोई

(श्री रामकिशन वर्मा)

अलग से बजट नहीं है जिसके द्वारा हम सफाई करा सकें। आप बजट देंगे तो हम ठूंठ जड से निकलवा कर सफाई करवा देंगे। इस पर हमारे अधिकारी ने सोचा और उन्होंने सिचाई विभाग से कहा कि बजट नहीं है तो इस माल के निकालने से जो धन आयेगा वह आपके विभाग में राजस्व के रूप में जमा हो जायेगा, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह भी अभियन्ता जी ने नहीं माना और उन्होंने इस बात के लिए वन विभाग के अधिकारियों को भी लिखा। वन विभाग वालों ने कहा कि चूंकि डूब क्षेत्र में होने के कारण यह सिचाई विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिये हम अपने आप इसको किसी प्रकार से नहीं निकाल सकते। इसके बाद उन्होंने राजस्व विभाग को लिखा लेकिन राजस्व विभाग ने भी अनभिज्ञता प्रकट की। तब उन्होंने जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ से बात की। जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ ने चारों विभागों के अधिकारियों को बुलाकर बात की और सब ने अपनी ओर से यह अनभिज्ञता प्रकट की कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो मत्स्य पालन अधिकारी ने अपने आप स्वतः ही इसके टेण्डर निकाले कि जो भी कोई व्यक्ति डूब क्षेत्र से गले सड़े ठूठों को निकालेगा इसके बारे में बड़े अखबारों के माध्यम से विज्ञप्ति दी लेकिन वह बड़े अखबारों में नहीं आई। यही कारण था कि कुछ लोग, 14-15 व्यक्ति, जिन्होंने उस विज्ञप्ति को पढ़ा या मिली-भगत कह सकते हैं, उनमें से एक गुलाम अब्बास नामक व्यक्ति को ठेका दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष: उनको बहुत लम्बा अनुभव है इस बात की ताइद तो करनी पड़ेगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल: कौन कौन से अखबारों में विज्ञप्ति निकाली ?

श्री रामकिशन वर्मा: नहीं निकाली। मैं मना कर रहा हूं। मैं हां नही कर रहा। जो कि एक प्रकार से अवैधानिक था फिर भी उन्होंने गुलाम अब्बास के नाम ठेका दे दिया उसमें शर्त यह रखी कि सारा माल निकालेगें वह आपका होगा, उस पर आपका अधिकार होगा और जो खर्चा होगा उससे हमारा कोई वास्ता नहीं होगा। नो प्रोफिट नो लोस के आधार पर ठेका दे दिया गया। तब गुलाम अब्बास ने ठेके के द्वारा लकड़ी निकालना चालू कर दिया और उस लकड़ी का उन्होंने कोयला बना कर ले जाना चालू किया। लेकिन उस कोयले के लिये वन विभाग से एक शिकायत की गई कि इस प्रकार के कोयले की कीमत 80 रु. क्विंटल है जिसकी कीमत करीबन 10 लाख रुपये बनती है, इस प्रकार से कोयले की निकासी की इजाजत हम लोग वहां से इश्यू नहीं करेंगे, उनको इजाजत, स्वीकृति नहीं देंगे। इसके बाद इस कोयले को निकालने के लिये जिलाधीश ने कमेटी बनाई और उसके माध्यम से सोचा गया कि इसकी रेट को आंका जाय। गुलाम अब्बास ने दरख्वास्त दी की जो 80 रु. क्विंटल रेट की बात की गई है इस रेट में तो ताजा बना हुआ कोयला जो कोटा और उदयपुर में अच्छा कोयला है बिक नहीं रहा तो सड़ी गली लकड़ी का कोयला इस रेट में कैसे बिकेगा ? इस बात के लिये जिलाधीश ने कमेटी बनाई। उसने इस बात के लिये निर्णय दिया कि इस कोयला की कीमत 40 रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से लगाई जाय। उस आधार पर 1,21,240 रुपये की सिक्योरिटी बांध कर ठेकेदार से

(110)



(श्री रामकिशन वर्मा)

प्राप्त करके अण्डर टेकिंग जिलाधीश से लिखा लिया । इसके बावजूद भी दरख्वास्त आई कि यह रेट तो बहुत कम है, जिस पर उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया जिसने इसकी रेट 60)रु. क्वि. आंकी ।

श्री अध्यक्ष : कोई दूसरा विभाग तो तैयार था ही नहीं । गुलाम अब्बास साहब इस पर लम्बा अनुभव रखते थे उन्होंने पैसा पैदा करा लिया तो शिकायत पैदा हो गई नहीं तो पहले कोई लेने को तैयार नहीं था ।

श्रीराम किशन वर्मा : तो इस प्रकार से उस कोयले को वहां से पूरा नहीं हटा सके जिलाधीश ने उसके लिये एक स्थगन आदेश दे दिया कि कोयला नहीं उठावें । इसके बावजूद गुलाम अब्बास चोरी से कोयला ले जाता रहा । 30 हजार क्विंटल करीबन कोयला आंका गया जो चोरी से ले जाया गया । उसके बाद गुलाम अब्बास ने एक स्टे आर्डर हाई कोर्ट के माध्यम से ले लिया जिससे उसको कोयला ले जाने की इजाजत मिल गई । लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि यह हमारे मत्स्य पालन अधिकारी मोगरा को अधिकार नहीं था कि इतना बड़ा ठेका अपने अधिकार में लेकर दे दिया जाय उन्होंने एक्स ई. एन. या उनसे बड़े अधिकारियों से मामले की राय भी नहीं ली न उनके सिग्नेचर ही करवाये ताकि यह लीगल हो जाता बल्कि अवैधानिक ठेका दिया जो बिल्कुल गलत है । जब इस बात का पता मुझे चला, मुझे मालूम हुआ कि मेरे विभाग के एक अधिकारी ने इतना बड़ा ठेका स्वतः अपने अधिकार से दे दिया तो मैंने सबसे पहले उसको निलंबित किया, आपके अधिकार क्षेत्र की बात न होते हुए भी कैसे अपने हाथ में ले लिया । मैंने 8–12–82 को ही उसे निलंबित कर दिया था वह, जैसा माननीय सदस्य ने कहा मेरे पास आया । मुझे तो पता नहीं, आया या नहीं, उन्होंने कहानी तलाश कर ली ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): पैसा लेकर आया था ।

श्री रामकिशन वर्मा : आपके पास आया होगा । आपके पास जैसे आदमी बैठे हैं वे शायद ऐसा काम करते हैं, मैं नहीं करता । मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर इस प्रकरण में मेरे विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी लिप्त पाया गया तो उसकी इन्क्वारी कराऊंगा उसे बक्शा नहीं जायेगा और जो बड़ी से बड़ी सजा होगी वह दी जायेगी । मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हाई कोर्ट में स्टे को वैकेट करवाने में हमारे एडवोकेट द्वारा थोड़ी सुस्ती बरती जा रही है, मैं अलग से वकील की नियुक्ति करूंगा ताकि जल्दी से जल्दी स्टे को वैकेट करवाया जाय और सारा प्रकरण सामने रखा जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, बैठ जायं, कृपया ।

श्री रामकिशन वर्मा : एक जांच कमेटी इस मामले में बिठाई जायेगी जिसमें एक हाई लेवल का अधिकारी होगा । उसके द्वारा की गई जांच में जो भी बड़े से बड़ा अधिकारी इस प्रकार की अनियमितताओं में लिप्त पाये जायेंगे उसको भी सख्त सजा दी जायेगी, उसको भी बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अकेले हैं आपका मुकाबला करने में ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी ने घोषणाएं भी अच्छी कीं लेकिन एक तथ्य रखा उसका कंट्रोवर्ट करना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग को लिखा। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग को मत्स्य पालन अधिकारी ने 16-8-80 को पत्र लिखा उसका जवाब आया है 29-8-80 को..

**श्री अध्यक्ष** : इस पर चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य।

**श्री कैलाश मेघवाल** : इस पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने उनके विभाग को आदेश दिया था कृषि विभाग ने कमेटी बनाने का आदेश दिया था तो उस कमेटी को नकार करके जिलाधीश ने कमेटी कैसे बनाई ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। यह मामला बहुत पुराना है 1971 का, उसके बाद में कई सरकारें आई उन्होंने ठूंठ निकालने की व्यवस्था नहीं की। इस पर चर्चा हो गई। अब अगर कोई किसी ने गलती की है और कोई बेजा काम किया है तो उन पर एक्शन लेने का मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है।

**एक माननीय सदस्य** : एक प्रश्न मेरे क्षेत्र से संबंधित है, अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। अब मैं दुबारा इस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दूंगा।

**एक माननीय सदस्य** : मैं एक सुझाव दे रहा हूं।

**शासकीय वक्तव्य**

**जयपुर को फ्लाइंग क्लब की ग्लाइडिंग विंग को बंद करना**

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य। शिक्षा मंत्री, श्रीमती कमला जयपुर फ्लाइंग क्लब की ग्लाइडिंग विंग को बन्द करने के संबंध में एक वक्तव्य देंगी।

(2.50 म.प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

**श्रीमती कमला (शिक्षा मंत्री)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह जी के द्वारा उठाये गये स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य एवं सदन को निम्न प्रकार से तथ्य प्रस्तुत करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सारे प्रसंग की सूचना इस प्रकार से है।

राजस्थान राज्य उड्डयन शाला, सांगानेर में ग्लाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के लिये महानिदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा ग्लाइडिंग के प्रत्येक लांच की दर निर्धारित की जाती है। इसके अन्तर्गत पहली अगस्त, 1982 से पूर्व रुपये 27/- का खर्च निर्धारित किया हुआ था और उसके मुताबिक प्रशिक्षणार्थियों को रुपये 4/- देना होता था। शेष केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता था 1-8-1982 के पश्चात् से यह दर बढ़ा कर 36/- रुपये करदी गयी जिसके फलस्वरूप प्रशिक्षणार्थियों को 12/-रुपये देने पड़ते हैं और शेष अनुदान केन्द्रीय सरकार की तरफ से दिया जाता है।

राजस्थान राज्य उड्डयन शाला शौकिया उड़ान भरने वालों को प्रशिक्षण देती है और

(112)



श्रीमती कमला)

जब से लांच की दर 12 रुपये की गयी है तब से ग्लाइडिंग करने वालों के उत्साह में कमी काफी आयी है। जब लांच की दर 4 रुपये थी तब भी उड़ान भरने वालों में कोई विशेष आकर्षण नहीं था जो कि निम्नलिखित आंकड़ों से प्रतीत होता है-

सन् 1978-79 में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 20 थी, उड़ान 1514 भरी गई।

सन् 1979-80 में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 20 थी, उड़ान 850 भरी गई।

सन् 1980-81 में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 42 थी, उड़ान 1765 भरी गई।

सन् 1981-82 में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 43 थी, उड़ान 340 भरी गई।

सन् 1982-83 में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 27 थी, उड़ान 806 भरी गई।

दर बढ़ने के बाद 1 अगस्त से लेकर 1 नवम्बर तक 161 उड़ानें ग्लाइडर पर भरी गई। उक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1980-81 में उड़ानों की औसत 6 उड़ान प्रतिदिन थी जो कि पिछले 5 वर्षों में उड़ानों की संख्या अधिकतम थी। एक उड़ान का औसत समय 3 मिनट का होता है और जबकि प्रतिदिन एक उड़ान का कार्य जैसा कि 1981-82 से देखने में आता है, तो ग्लाइडिंग सैक्शन के पास काम नहीं के बराबर रह जाता है। नवम्बर, 1982 से ग्लाइडर मेंटीनेन्स इन्जीनियर अपने पद से कार्यभार न होने के कारण त्यागपत्र देकर अन्यत्र चले गये। यह उल्लेखनीय है कि ग्लाइडिंग के लिये ग्लाइडिंग प्रशिक्षक ग्लाइडर मेंटीनेन्स इन्जीनियर, विंच आपरेटर एवं जीप ड्राइवर आदि की पूरी टीम का उपलब्ध होना आवश्यक है अन्यथा किसी भी एक की अनुपस्थिति के कारण उस दिन उड़ान नहीं की जा सकती। इसके अलावा विंच, जीप, ग्लाइडिंग पट्टी एवं मौसम की खराबी के कारण भी ग्लाइडिंग नहीं की जा सकती। आंकड़ों की जांच करने पर यह पाया गया है कि 1978-79 में केवल 92 दिन, 1979-80 में 45 दिन, 1980-81 में 102 दिन, 1981-82 में 32 दिन तथा 1982-83 में केवल 53 दिन ग्लाइडिंग हो सकी। इसके विपरीत ग्लाइडिंग सैक्शन पर राज्य सरकार प्रति वर्ष लगभग एक लाख रुपया खर्च करती है जिसमें औसतन 70 हजार रुपया स्टाफ के ऊपर ही व्यय हो जाता है। सामान्यतः कोई भी ग्लाइडिंग को व्यवसाय के रूप में नहीं लेता जैसा कि पावर फ्लाइंग में होता है। पिछले 20 वर्ष में केवल तीन व्यक्तियों ने ही ग्लाइडिंग को व्यवसाय के रूप में चुना है। अतः इससे स्पष्ट है कि ग्लाइडिंग बन्द करने की स्थिति में रोजगार का स्रोत बन्द होने की कोई स्थिति पैदा नहीं होती। मैं यहां यह भी बतलाना चाहती हूं कि ग्लाइडिंग का प्रशिक्षण बहुत महंगा पड़ता है। ग्लाइडिंग की औसत अवधि 3 मिनट होती है। इस प्रकार एक घन्टे में 20 उड़ानें भरी जा सकती हैं जिसके लिये 12 रुपये प्रति लांच की दर से प्रशिक्षणार्थियों को 240 रुपये देने होते हैं। इसके विपरीत पावर फ्लाइंग पर प्रशिक्षणार्थियों को केवल 85 रुपये ही देने पड़ते हैं और प्रति घन्टे का उनको प्रशिक्षण इस प्रकार इसी पैसे से दिया जाता है। इस कारण प्रशिक्षणार्थियों को पावर फ्लाइंग जिसमें पुष्पक विमान

(श्रीमती कमला)

व संख्या-140 विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा है, की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में एन. सी. सी. के जयपुर, कोटा, उदयपुर एवं जोधपुर में अलग से प्रशिक्षण केन्द्र हैं। जयपुर में N.C.C. होने के कारण प्रशिक्षणार्थी सामान्यतः एन.सी.सी. के माध्यम से ही निःशुल्क ग्लाइडिंग में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार राजस्थान उड्डयन शाला में केवल वही प्रशिक्षणार्थी शौकिया तौर पर ग्लाइडिंग सीखने आते हैं जो कि एन. सी. सी. के सदस्य नहीं होते। चूंकि यह केवल एक शौक का मामला है इसलिये प्रशिक्षणार्थी अपनी सुविधानुसार ही आता है।

यह एक विचाराधीन प्रश्न है कि क्या केवल कुछ लोगों का शौक पूरा करने के लिये सरकार को प्रति वर्ष इतना व्यय वहन करना चाहिये अथवा नहीं। राजस्थान सरकार ने अभी ग्लाइडिंग बन्द नहीं की है किन्तु इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रही है। पुष्पक विमान के इन्जीनियर को प्रशिक्षण पाने के लिये तथा ग्लाइडर की मरम्मत सीखने के लिये शीघ्र ही दिल्ली भेजा जा रहा है क्योंकि ग्लाइडर का जो इन्जीनियर था वह इस्तीफा देकर चला गया है। सरकार कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सम्भावित सभी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ही कोई निर्णय लेगी।

श्री सभापति: कृपया प्रश्न ही पूछिये। संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री महोदया ने बताया इसमें पैसा बहुत खर्च होता है और अधिक विद्यार्थी भी इसमें इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं, सरकार का भारी खर्चा होता है इसलिये इसको जारी रखने में फायदा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी है उस पालिसी के तहत गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने अभी एयरो स्पोर्ट्स के डवलपमेन्ट की स्कीम बनायी है। इसके तहत हर स्टेट में इस तरह के फ्लाइंग स्कूल खुल रहे हैं और जहां पर बंद थे, बंगलौर और लखनऊ में, उनको भी चालू किया जा रहा है। यही नहीं, सभापति महोदय, पंजाब और हरियाणा में एस. टी. और एस. सी. के विद्यार्थियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी यह वहां की सरकार सोच रही है, विचार कर रही है। इससे कुछ कार्मशियल पायलेट पैदा होते हैं। बेरोजगारी की समस्या दूर होती है। इसके अलावा डिफेन्स का परपज भी होता है। डिफेन्स की जो ट्रेनिंग है, एन. डी. ए. ने भी इसको अपनाया है। एन. सी. सी. के विद्यार्थी ट्रेनिंग लेते हैं और एन. डी. ए. में जिनका सलेक्शन हो जाता है वे भी यहां पर ट्रेनिंग लेते हैं। इसका कारण जैसा आपने अभी बताया, पावर ग्लाइडिंग में खर्चा कम होता है और इसमें ज्यादा होता है, ऐसी बात नहीं है। ग्लाइडिंग में पैट्रोल की आवश्यकता नहीं होती उल्टा खर्चा कम होता है। पावर में ज्यादा खर्चा होता है। जो स्टेटमेन्ट बना कर दिया गया है, सभापति महोदय, उस स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ा जाये और पूरे आंकड़े लेकर पढ़ा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इस स्टेटमेन्ट के अन्दर कितना कन्ट्राडिक्शन आपस में है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि दो बातें मंत्री महोदया ने कही हैं। एक तो

(श्री नाथूसिंह)

इन्जीनियर इस्तीफा देकर चला गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपने उस इन्जीनियर के रेजिग्नेशन को पढ़ा है ? अगर नहीं पढ़ा है, सभापति महोदय, तो मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि आप इस रेजिग्नेशन को पढ़ें। मेरे पास उसकी कापी है। उसमें लिखा है ग्लाइडिंग के बारे में कि इसको बंद नहीं किया जाये। इसकी कुछ लाइन्स मैं निवेदन करना चाहूंगा, पढ़ कर सुनाना चाहूंगा :

"I have been told verbally by the principal about a month ago that he had recommended to the Rajasthan Government about the Gliding wing of the school to be closed. The suggestion of the principal involves a high Government policy and any decision about Gliding in Rajasthan State to be closed can be taken by the Government only, as such an important matter does not lie within the whims and fancies of an individual. Gliding in the various states is done under the policy in consultation with central Government (D.G.C.A.) not only from the educational point of view, but among others, also from the point of view of inculcating a spirit of adventure and air-mindedness in the minds of the youth of the country, including N.C.C."

आगे उन्होंने एक लाइन और लिखी है:

"However, without going into the very short-sighted suggestion and thinking of the principal about the closure of Gliding in Rajsthan I submit my resignation from the post of Glider maintenance Engineer of the Rajasthan State Flying School with effect from 21 October, 1982.

सभापति महोदय, इसमें जो लिखा है उससे लगता है कि चला कर इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा तब दिया जब कि लगातार वहां के प्रिन्सिपल ने यह कोशिश की कि ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग को बंद किया जाय। बंद करने के लिये उन्होंने सरकार को लैटर लिखा। इसमें उन्होंने कहा, मि. वर्मा जो इन्जीनियर हैं, वे जाना चाहते हैं, स्वयं इस्तीफा देना चाहते हैं। यह उन्होंने गवर्नमेन्ट को लिखा है और उसमें उन्होंने कहा···

श्री सभापति : यहां पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुख्य पोर्शन पढ़ दीजिये।

श्री नाथू सिंह : उन्होंने डिजायर दी कि मैं छोड़ना चाहता हूं। मैं, मंत्री महोदया, आपसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने कोई रिटंन में डिजायर दी है ? आपके पास यदि हो तो वह लैटर आप सदन की मेज पर रखें। आप पढ़लें इसको कि क्या उस इंजीनियर ने डिजायर भेजी है कि मैं यहां पर रहना नहीं चाहता हूं; मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। उसको, सभापति महोदय, परेशान किया गया और वहां से जाने के लिए मजबूर किया गया। दूसरा एक लैटर लिखा है कि चीफ इंजीनियर का जल्दी अपाइन्टमेन्ट करना चाहते हैं। आज तक उस चीफ इंजीनियर का अपाइन्टमेन्ट हुआ क्या ? आज तक नहीं हुआ। बन्द इसलिए करना चाहते थे, कई बार लैटर लिखे उसको मैं

(श्री नाथूसिंह)
ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं आपस में उन्होंने कई बार यह कारोसपांडेंस की है, केवल एक विद्यार्थी ने, ट्रेनीज ने प्रिंसिपल को सैल्यूट नहीं मारा, इससे उनका टेम्पर हाई हो गया तब उन्होंने कहा कि ग्लाइडिंग विंग को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस इंजीनियर के इस्तीफे को आप पढ़ें, क्या उसने डिजायर भेजी। सभापति महोदय आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस प्रिंसिपल ने वहां क्या क्या कारगुजारियां की हैं, कितना करप्शन वहां पर किया जा रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, स्वयं आप इसकी जांच करायें कि क्या क्या घपले हुए, कितना सरकार को नुकसान हुआ। एक लैटर इन्होंने लिखा है कि चीफ इंजीनियर अपाइन्ट कर दीजिये। जब चीफ इंजीनियर अपाइन्ट नहीं हुआ, कोई आया नहीं तो इन्होंने कहा कि इसकी जगह एक ऐसा इंजीनियर रख लें, जिसको वी.आई.पी एयर क्राफ्ट पर धीरे धीरे बाद में ट्रेनिंग दी जाये। वी.आई.पी. एयर क्राफ्ट पर इंजीनियर रख कर आप ट्रेनिंग देंगे, यह बात आपके समझ में आती है। इससे अंदाज लगा लीजिये कि प्रिंसिपल की इसमें कितनी दुर्भावना है।

**श्री सभापति** : कोई अन्य सवाल पूछने हों, पूछ लीजिये।

**श्री नाथूसिंह** : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं आपसे।

**श्री सभापति** : स्टेटमेन्ट आ गया गवर्नमेंट का अब इसमें कोई भाषण तो होता नहीं।

**श्री नाथूसिंह** : इन्होंने कई पत्र लिखे स्टेट गवर्नमेन्ट को कि इसको क्लोज कर दिया जाय–डायरेक्टली और इन डायरेक्टली। इससे साफ जाहिर होता है कि केवल वहां के प्रिंसिपल चाहते हैं कि यह ग्लाइडिंग बन्द हो। उनके स्वयं के इन्ट्रेस्ट हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रिंसिपल के करेक्टर को आप देख लें कि कैसा व्यक्ति है तो आपको पता लग जायेगा, जो स्टेटमेन्ट बना कर दिया है उसको पढ़कर देख लें तो आपको पता लग जायेगा। उस व्यक्ति के बारे में जानकारी करने से आपको पता लग जायेगा कि वह कैसा व्यक्ति है।

**श्री भैरूसिंह गुर्जर** (खारची) : पाइन्ट आफ आर्डर।

माननीय सदस्य जो फरमा रहे हैं, वक्तव्य जो दिया जा रहा है वह ग्लाइडिंग बन्द करने नहीं करने के बारे में है। प्रिंसिपल के चरित्र के बारे में इस प्रकार की बातें करना उचित प्रतीत होता है या नहीं मुझे बताने की कृपा करें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : सभी प्रश्नों पर बातचीत की जा सकती है ...

**श्री भैरूसिंह गुर्जर** : सभापति महोदय, अपोजीशन के माननीय सदस्य इस प्रकार मर्जी आये जिस अधिकारी के खिलाफ बोलेंगे तो इसका क्या मतलब होगा। कृपया व्यवस्था देने की कृपा करें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय सदस्य जब प्रश्न आते हैं तब वे बाहर चले

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
जाते है। यहां तो साफ साफ स्पष्ट बातें किताब की तरह करते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जी भैरूसिंहजी ने बताया आप अपने आपको उस तक ही सीमित रखें।

श्री नाथूसिंह : रूल्स मैंने बहुत पढ़े हैं और आपने भी पढ़े होंगे आप भी सीनियर मेम्बर हैं इस हाउस के। मैं समझता हूं कि इसको बन्द कराने के पीछे किसका हाथ है, कौन इसको बन्द करना चाहते हैं, क्या सरकार की इच्छा है उस इन्ट्रेस्ट को जब तक सदन में नहीं बताऊंगा तब तक इस विषय पर प्रकाश ही नहीं डाला जा सकता। इसलिये उस व्यक्ति ...

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। जिस शख्स के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं वे अपने आर्मड फोर्स के मेम्बर भी हैं। क्या आप अलाऊ करेंगे कि उस विंग के बारे में इस हाउस में चर्चा हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : की जा सकती है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं की जा सकती हैं। आप रूल्स पढ़ कर आयें। आपके कहने से नहीं होता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिस पद पर हैं उस पद के बारे में चर्चा हो, उनके चरित्र के बारे में हम यहां पर कोई बात नहीं कह रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको तो यही पता नहीं कि विंग कमाण्डर की पोस्ट क्या होती है। उजलाजी, आपको मालूम है क्या कि वे आर्मी में हैं या फोर्स में हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इन बातों में नहीं जाऊंगी, जिन तथ्यों में मुझे जाना है उनमें जाऊंगी। अनावश्यक रूप से सदन का टाईम खराब न करें।

श्री सभापति : नाथूसिंहजी, आप दो मिनट में समाप्त कीजिये

श्री नाथूसिंह : बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं अब तक तो मैं समाप्त कर देता।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं आपसे व्यवस्था मांग रहा था।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, कोई पाइन्ट आफ आर्डर होता तो आप व्यवस्था देते। अगर ये चाहें तो बाहर निकल कर मेरे से रूल्स वगैरह पढ़ लें...

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बाहर जाकर आपसे कोई लड़ाई थोड़ी करनी है। आपके पैर तो टूटे हुए हैं, बाहर तो आपसे जाया नहीं जायेगा।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, पांव में लग गई तो क्या इसका मतलब यह हो गया कि जीभ में भी लग गई। सभापति महोदय, आपने कहा कि घाटा होता है इसमें अब घाटा क्यों हुआ? सभापति महोदय, जो विद्यार्थी फ्लाइंग करते हैं पावर फ्लाइंग

(श्री नाथूसिंह)

में 325 रुपये पर आवर का खर्चा होता है उसमें 85 रुपये फर्स्ट 60 आवर के लिये स्टूडेन्ट से लिये जाते हैं बाकी डी.जी. सी.ए., सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती है। इसी तरह से जो ग्लाइडिंग विंग है उसमें 36/– रुपये की रेट कर दी। आपने बताया, 12 रुपये ट्रेनीज को देने पड़ते हैं 24 रुपये डी.जी.सी.ए. को देने पड़ते हैं। सभापति महोदय, जितना भी खर्चा हुआ है उसके बिल अगर ये सबमिट कर देते तो बाकी पैसा वहां से मिल जाता। 5-6 लाख रुपया अब तक का बकाया है जो डी.जी. सी.ए. से लेना है। उस 5-6 लाख रुपये के बारे में मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूं, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि डी. जी. सी. ए. में जो बकाया निकलता है क्या आपने आज तक उन बिलों को डी. जी. सी. ए. को सबमिट किया? क्या उनका पेमेन्ट लिया गया? वह पेमेन्ट कितने का है? उस पेमेन्ट को प्राप्त करने के बाद क्या आपको स्टेट गवर्नमेंट को घाटा रहता है? सभापति महोदय, एक बात और इन्होंने आंकड़े देकर बताई है इसी सम्बन्ध में कि कोई ज्यादा उड़ान नहीं भरी जाती है, केवल कुछ घंटे उड़ान भरी जाती है। शायद आपने इसके आगे नहीं पढ़ा। इन्होंने बताया कि Number of launches Completed by R.S.F.S. 1514, 78-79 में। इसके आगे आपने और चीजें देखी होंगी, कितनी छुट्टियां आती हैं, कितनी ग्लाइडिंग पासिबल हो पाती है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह तो कोई डिबेट थोड़े हो रही है।

श्री नाथूसिंह : नहीं, डिबेट नहीं हो रही है। आपने यह कहा कि . . .

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त कीजिये।

श्री नाथूसिंह : आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि ग्लाइडिंग बहुत कम हो पाती है उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि क्यों कम हो पाती है।

श्री सभापति : आपको जवाब नहीं देना है आप कोई सरकार में नहीं है।

श्री नाथूसिंह : मैं जवाब नहीं देना चाहता, मैं पूछना चाहता हूं मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्या कारण है इतनी कम उड़ान है? वेदर को आपने उसमें इन्क्लूड किया कि वेदर की वजह से कितनी उड़ान नहीं हुई? व्यवस्था की वजह से कि कितनी उड़ान नहीं हुई क्या आपने उसको इन्क्लूड किया है?

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए। सारी जानकारी . . .

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह वही व्यक्ति है जिसने कुछ दिन पहले प्लेन बाम्बे का . . .

श्री सभापति : फिर आप उसी बात पर आ गये।

श्री नाथूसिंह : बिलकुल आऊंगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति : ग्लाइडिंग को बन्द करना नहीं करना उस बात पर आयें आप।

**श्री नाथूसिंह :** जब उस सब्जेक्ट के बारे में विचार हो रहा है तो वहां क्या गफलत हो रही है वह नहीं बताऊंगा क्या, आप बता दीजिए। इतनी सीरियस बात है इसमें राजस्थान गवर्नमेन्ट का कितना नुकसान हुआ है? आइल नहीं डाला उसकी वजह से एक दिन खराब हो गया उसके अन्दर कितने लाख रुपया खर्चा हो गया क्या इसका आपको आइडिया है?

**श्री सभापति :** कृपया आप बिराजें। मंत्री महोदया जवाब दे रही है।

**श्रीमती कमला :** आप बिराजिये तो मैं आइडिया बताऊं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने 4–5 बातें कुछ अपनी तरफ से जानकारी देने के तौर पर बतायी हैं। पहली बात तो उन्होंने यह बतायी है कि जो इन्जीनियर इस्तीफा देकर गया, वह बहुत दुखी होकर, मजबूर उसको किया गया इस्तीफा देने के लिए तब इस्तीफा देकर गया। माननीय सभापति महोदय, अगर किसी विभाग में किसी मुद्दे पर कोई चर्चा चलती है, यह काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, यह निर्णय ऐसा नहीं ऐसा लिया जाना चाहिए, क्या इस दौरान में किसी अधिकारी की यह मजबूरी हो सकती हैं कि चूंकि ऐसी चर्चाएं चल रही है, ऐसी बातें हो रही हैं, इस तरह के प्रस्ताव विचाराधीन हैं इसलिए मैं इस जगह पर नहीं रहना चाहता, मैं इस्तीफा देकर जा रहा हूं, यह शायद सामान्तया तौर पर नार्मल बिहेवियर करने वाला कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए उसका इससे सम्बन्ध जोड़कर इस्तीफा देने की अगर उस अधिकारी ने बात भी की है और आप उसको यहां उल्लेखित कर रहे हैं, मैं समझती हूं कि कोई भी समझदार, जिम्मेदार आदमी इस तर्क को मानने के लिए मजबूर नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने यह कहा कि प्रिन्सिपल को एक ट्रेनी ने सेल्यूट नहीं दिया इसलिये प्रिन्सिपल खुद चाहता है कि यह ग्लाइडिंग बन्द हो जाये, मुझे यह समझ में नहीं आया, प्रिन्सिपल तो काम करने के तौर पर यहां बैठे हैं, वह अपना काम कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है, उसके बंद करने से उनको क्या फाइनेन्शियल लाभ मिलेगा, क्या कोई और दूसरे इन्डिविजुअल लाभ उनको मिलेंगे, किस लिए वह बन्द करना चाहेंगे? इस तरह की एक गैर जिम्मेदारी की सी बातें कहना कि बहुत भ्रष्टाचार उन्होंने कर दिया है, सेल्यूट नहीं मारके कारण जो है इसको बंद करने का फैसला कर लिया, मैं समझती हूं, इससे ज्यादा ओछी और छोटी बातें और कोई इतने बड़े अधिकारी के लिए नहीं हो सकती। आपके पास में न तो कोई सबूत है न कोई रिकार्डेड बातें हैं कि यह भष्टाचार किया तो इस तरह से जनरल वे में, वेग टर्म्स में...

(व्यवधान)

आप बीच में मत बोलिये।

बिना किसी डाक्यूमेन्टरी प्रूफ के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी मुद्दे के इस तरह की भ्रष्टाचार की बात सरसरी तौर पर आप किसी पर कायम कर रहे हैं, मैं समझती हूं यह बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। इसको साबित करने की अगर आपकी कोई तैयारी है तो उसके साथ में आपको देना

(219)

(श्रीमती कमला)

चाहिए था। अब आप कहें कि मैं इसको साबित कर दूंगा, तो साबित कर दें तब इस मुद्दे को उठायें। जनरल-वे में इस तरह की बातें कहनी उचित नहीं होतीं। दूसरी बात सभापति महोदय, इन्होंने शायद समझा नहीं और यह कहा कि माननीय मंत्री महोदय कांट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट दे रही है, ग्लाइडिंग में खर्चा तो बहुत कम आता है, क्योंकि ग्लाइडर तो हवा में चलता है, उसमें पेट्रोल भी नहीं डालना पड़ता, कुछ नहीं डालना पड़ता, यह मैंने कब कहा कि ग्लाईडिंग का खर्चा पावर फ्लाईंग से ज्यादा आता है। मैंने यह कहा कि उसका जो खर्चा आता है, उसके पेटे जो ट्रेनी को अपना भाग अदा करना पड़ता है वह इतना ज्यादा है, उसके पेटे न तो कोई नौकरी की सम्भावना है न कोई उस आदमी का भावी जीवन या उज्जवल भविष्य की रेखायें खिचने की सम्भावना है, न उसमें कहीं आगे जाकर कोई ऐसा स्कोप बनता है कि वह कहीं एस्टेब्लिश हो जायेगा। उसके लिये कुछ भी आगे सम्भावना नहीं है। लेकिन किसी के अगर मन में है कि मैं हवा में उड़कर देखूं कैसा लगता है, हवा में जाने के बाद किस तरह का मनोभाव आदमी का बनता है, किस तरह की स्थिति होती है, कैसा अच्छा लगता है ··

श्री भैरूसिंह गुर्जर : हवा में उड़ रहे हैं।

श्रीमती कमला : नीचे सारी सिटी को देखें, नीचे के सारे स्थानों को देखें तो कैसा लगता है, सिवाय इसके उसके अन्दर कोई भी शौक नहीं है, इन्सान का। इसमें कोई एम्पलायमेंट अपारचुनिटी नहीं है, कोई फ्यूचर लाइफ एस्टेब्लिश करने की अपारचूनिटी नहीं है। मात्र शौक के लिए वह जाता है। मात्र इसके लिए 12 रुपये पर उड़ान के लिए देना चाहें तो वह तो कोई बहुत पैसे वाला बच्चा हो तो दे सकता है, वरना शौक पूरा करने के लिए सामान्य बच्चा तो नहीं दे सकता। इसीलिए यह कहना कि उसका खर्च तो बहुत कम है पर आप ज्यादा बता रही हैं, यह खर्च बच्चे या ट्रेनी जिसको कहिये, उस पर आता है, उसके लिए ज्यादा है। इसीलिए खास बात जो करने की है या देखने की है वह यह है कि आप सभी महानुभाव ज्यादा से ज्यादा ग्लाइडिंग के लिए जावें तो ग्लाइडिंग सीखने वालों की संख्या बढ़ जाये और जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसके पेटे कुछ न कुछ उसका उपयोग हो जाये। आज उस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। उपयोग नहीं हो रहा है उसके बाद में भी खर्चा करें या नहीं करें, इसके ऊपर अभी तो विचार ही कर रहे हैं। एक तरफ तो हम यह विचार कर रहे हैं कि उनको यह लिखा जाये कि फ्लायिंग के अन्दर तो इतनी ज्यादा रियायत प्रशिक्षणार्थियों को देते हैं, काफी कम उनसे चार्जेज करते हैं और ग्लाइडिंग में बहुत ज्यादा चार्जेज करते हैं इसलिए कोई आता नहीं है, इसलिए आप इस चार्ज को कम करिये। दूसरी बात उनसे यह कहें कि जो कुछ भी इसमें कमी या खामियां हैं, उनको पूरा करके आप इसको व्यवस्थित करें। व्यवस्था में तो कोई बात नहीं है, जितने भी कर्मचारी अधिकारी, इक्विपमेंट, जितना साज सामान चाहिये वह सब यहां पर मौजूद हैं। इतनी ही बात है कि लोग आकर्षित हों। अगर इसको फ्री कर सकते हैं तो, जो ट्रेनी को पड़ता है वह राज्य सर-

(श्रीमती कमला)

कार दे दे तो शायद बहुत से लोग आ जायें, या जो भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था हो जाये कि ग्लाइडिंग के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मौका देंगे तो शायद लोग आकर्षित हो जायें। इसलिए इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि इस कारण से लोग उसमें नहीं आ रहे हैं। फिर भी हम बन्द नहीं कर रहे हैं। आपने कहा, इतनी उड़ानें कम क्यों भरी, इसके क्या कारण हैं ?

**श्री सभापति :** अभी सरकार ने बन्द करने का निर्णय नहीं लिया है ना।

**श्रीमती कमला :** नहीं अभी नहीं। अभी तो जितने भी मुद्दे आये हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक अच्छी एक्टिविटी है, हमारा भी मन है कि यह चालू रहनी चाहिये। लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है इसलिए बार-बार सोचना पड़ता है कि क्या करें, क्या नहीं करें। आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करिये। आप अगर यह चाहते हैं कि वर्षवार यह बताऊं कि कितनी उड़ानें अलाउ की गईं, कितनी भरीं, बाकी उतनी क्यों नहीं कर सके तो वर्षवार उनका ब्यौरा दे सकती हूं...

**श्री सभापति :** वह सब बातें आ गयीं।

**श्रीमती कमला :** जरूरत नहीं है, माननीय सदस्य महोदय समझेंगे कि इनके पास में सूचना नहीं है।

**श्री सभापति :** नहीं, नहीं, आप पूरी तरह से कृतज्ञ हैं...

**श्रीमती कमला :** मैं 78-79 से शुरू करती हूं।

**श्री यदुनाथसिंह (नदबई) :** माननीय मंत्री महोदया से यह निवेदन करूंगा कि इससे राज को कोई भला नहीं होने वाला है इसको बन्द ही कर दें तो अच्छा रहेगा।

**श्रीमती कमला :** नहीं, जब तक बहुत ही मजबूर नहीं हो जायेंगे कि इसको बन्द करना है, तब तक नहीं करेंगे।

**श्री सभापति :** यह सवाल राज्य सरकार के विचाराधीन है। क्या बात रह गई है, माननीय सदस्य ? सभी कुछ बातें आ गई हैं।

**श्री नाथूसिंह :** मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं...

**श्री सभापति :** बात ही कुछ नहीं रह गयी। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**श्री नाथूसिंह :** बन्द नहीं कर दें, फिर मैं आपको कह रहा हूं, इन पर दबाव डाला जा रहा है कि यह बन्द करें।

**श्री सभापति :** आपके सुझाव हों तो, लिखित रूप में मंत्री महोदय को भिजवा दें।

**श्रीमती कमला :** मुझे आप कारण बताइये, प्रिन्सिपल को क्या इन्ट्रेस्ट है, बंद करने से उसका क्या प्रमोशन होना है या फाइनेन्सियल लाभ होने वाला है जिससे कि वह दबाव डालेंगे कि इसको बंद कर दो बताइये।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर :** ये एक बार बिना पैसे के उड़ना चाहते हैं।

श्रीमती कमला : वे मुफ्त में उड़ना चाहते हैं।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, वहां पर जितना मामला चल रहा है, मैं आरोप लगा रहा हूं कि बाहर के लोगों को, विदेशी लोगों को फारेन एक्सचेन्ज वह देते हैं, उसको चेन्ज करवाते हैं और उनको अवसर देते हैं। विद्यार्थियों को, ट्रेनीज को अवसर दिया नहीं जाता। आपने एक दो दिन पहले ही समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा, मैं कहता तो शायद आपको लगता कि झूंठ बोल रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात कोई रही नहीं। अब आप वैसे ही इस बात को लम्बा करना चाहते हैं...

श्री नाथूसिंह : फोरेन एक्सचेन्ज ली जाती है, जो फैण्डामर कम्पनी है बॉम्बे की, आपने कहा कि आपके पास क्या सबूत है, उसको बिना सामान, स्पेयर पार्ट्स प्राप्त किए एक लाख अस्सी हजार रुपये पहले ही दे दिये। सभापति महोदय, 1500 और कुछ घण्टे...

श्री सभापति : वह आप लिखकर भिजवा दें अगर कोई ऐसा आरोप हो।

श्री नाथूसिंह : मैं हाउस में उठा रहा हूं उससे जो घाटा हुआ, बी. आई. पी. प्लेन 1500 घण्टे चलना चाहिये था। वह केवल एक हजार बीस घण्टे चला उसके बाद खराब हो गया। इससे डेढ लाख का नुकसान हुआ। यह कम्पनी से वसूल नहीं किये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हैण्ड पम्प का मामला तो है नहीं, जिसका जिक्र कर रहे हैं।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, सब ऑडिट होता है ऑडिट में इस तरह की बात आती है तो आप बताइये।

श्री नाथूसिंह : ऑडिट आब्जेक्शन है उसमें..

श्रीमती कमला : कौन से साल का, पहले बताइये ?

श्री नाथूसिंह : पहले एन्ट्री कर ली थी..

श्रीमती कमला : किस वर्ष में, कौन से पैरा में, क्या बात, क्या उल्लेख है ?

श्री नाथूसिंह : बिना स्पेयर पार्ट्स छुड़वाये ..

श्रीमती कमला : कौन से साल की बात कर रहे हैं ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जब लोक सभा के मेम्बर थे।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, पेमेण्ट ड्राफ्ट नं. 88050804 डेटेड 19-7-82 को स्टाक रजिस्टर में एन्ट्री की...

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय; इनसे पूछिये, खुद ही समझे हुए हैं क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जिस बात की चर्चा थी वह हो चुका ..

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : पीने के पानी की समस्या सुलझेगी क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री नाथूसिंह : . . परिपाटियां डाल रहे हैं, सभापति महोदय...

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : सब के सब लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं। उनको बोलने नहीं दिया गया है। मैं समझती हूं, आपको व्यवस्था देनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए।

श्री नाथूसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। आप व्यवस्था का प्रश्न उठाइये।

श्री नाथूसिंह : पहले सुनें मेरा व्यवस्था का प्रश्न। सभापति महोदय, कोई भी माननीय सदस्य जब सदन में विचार व्यक्त करे तो किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वह माननीय सदस्य को इन्टरप्ट करे। करे तो आपकी इजाजत से करें।

(व्यवधान)

आपने अनुमति दी है इसलिये बोल रहा हूं।

श्री शिवराम शर्मा (वर्नीराकं) : माननीय सभापतिजी, यह क्या प्रश्न है ? यह क्या चर्चा हो रही है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, माननीय शिवराम जी, रामधन जी और मंत्री महोदय सब मिलकर डिस्टर्ब कर रहे हैं इस प्रश्न पर। माननीय सदस्य को बोलने नहीं दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : यह जमीनों के घोटाले की बात नहीं है जिसको आप समझते हैं, और किसी को तो आप समझते नहीं हैं।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहती हूं कि अगर किसी आडिट रिपोर्ट के अनुसार आपको ऐसी बात नजर आयी है तो वर्ष और पैरा बता दीजिये, मैं तैयार हू। करंट ईयर में कोई कमी नजर आ रही है तो वह भी बता दें। हालांकि करंट इयर का आडिट तो अब होगा लेकिन आप अगर एडवान्स में कोई ऐसी सूचना मुझे देंगे तो उसकी भी जांच करा लेंगे। लेकिन अनर्गल और वेग बातें कह रहे हैं।

श्री सभापति : श्री भैरूसिंह गुर्जर।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, एक बात...

श्री सभापति : आपने तो बोल दिया है। श्री गुर्जर।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने चालाकी से काम लिया है गुर्जर से गुर्जर को भिड़ा दिया।

श्री सभापति : बीच में कोई जाट आ जाये तो मैं क्या करूं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मैं निवेदन कर रहा था कि अर्थ-अभाव के कारण से इसको बंद भी किया जा रहा है तो..

श्री सभापति : बंद नहीं किया जा रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह कोई मामला ही नहीं है।

श्री सभापति : आप बोल दीजिये।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : मैं निवेदन करूंगा कि आजादी से पहले जोधपुर के अन्दर ग्लाइडिंग होती थी जिसके अवशेष के रूप में आज भी वहां मकान बने हुए विद्यमान हैं आपको, सभापति महोदय, इस बात की जानकारी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जर्मनी पर जो फतेह पाई थी वह इसी ग्लाइडिंग की वजह से पाई थी। इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जयपुर के अलावा जो एरोड्रम है, जैसे जोधपुर में हैं, आपने मुझे बताया था कि पाली वाले ग्लाइडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर में भी ग्लाइडिंग की व्यवस्था शुरू की जाय जिससे कि पाली वाले वहां जाकर ग्लाइडिंग सीख सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर...

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह आपको माननीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं, चुनाव हो गये क्या ? अभी तो चर्चा यही है कि चुनाव नहीं होंगे। अभी चुनाव नहीं हुआ है।

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर। कृपया सभापति महोदय कहिये, उपाध्यक्ष महोदय नहीं।

श्री सभापति : कृपया सभापति महोदय के नाम से संबोधित करें।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : आजकल अखबारों में मैं तो यही पढ रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी आपका नाम लेकर गये हैं कि आप बनेंगे। मैं समझा कि आप उपाध्यक्ष बन गये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : बधाई हो, बधाई हो, सभापति महोदय, बधाई हो।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : राजस्थान में कामर्शियल पायलटों की कमी है उसकी वजह यही है कि हमारे यहां पर ग्लाइडिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि..

श्री सभापति : भाषण नहीं होगा।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : कामर्शियल पायलेटों के अन्दर चंडीगढ़ और पंजाब के लोग ज्यादा आ रहे हैं उसका कारण यह है कि वहां पर ग्लाइडिंग की ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाती है, मुफ्त भी व्यवस्था करते हैं। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार भी अपनी ओर से दान पुण्य, चंदा देकर ग्लाइडिंग की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध करवाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक सवाल और पूछना चाहती हूं। मंत्री महोदय इस का प्रचार प्रसार करवायें ताकि बच्चों में जागरूकता आये, रूचि पैदा हो। इस बात के लिये आपको प्रयास करना चाहिए।

श्रीमती कमला : बच्चों के लिये एन. सी. सी. की तो अलग से व्यवस्था है।

श्री सभापति : एक प्रश्न बस।

श्री नाथूसिंह : जी हां। जैसा मंत्री

(श्री नाथू सिंह)
महोदय ने निवेदन किया कि यह बतायें कि कौन से स्पेसिफिक चार्जेज हैं...

श्री सभापति : आप तो ग्लाइडिंग क्लब को बंद करने पर बात करें।

श्री नाथूसिंह : नहीं, नहीं। यह उन्होंने पूछा है। सभापति महोदय, आपने पूछा है कि कौनसे स्पेसिफिक चार्जेज हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि एन्टी करप्शन में उनके खिलाफ जांच चल रही है वो पत्नी के नाम देने की, उनके पत्नी एक ही है लेकिन दो पत्नी बताकर फर्जी बिल उठा लिया...

(व्यवधान)

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : यह क्या बात है, जब मर्जी होती है इस प्रकार के आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, क्या इन्होंने इसके लिये पहले चेयर से अनुमति प्राप्त कर ली है ? क्या इनको इजाजत दे दी गयी है ? क्या इन्होंने कोई लिखित में सूचना दी है..

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : फिर आप क्या बता रहे हैं वह तो जांच चल रही है।

श्री नाथूसिंह : कम्पनी के साथ उनकी सांठगांठ है। सारे स्पेयर पार्ट्स वहीं से खरीदे जाते हैं ...

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुयी।..

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि इस मामले की जांच करायें।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : बिना कारण ही किसी सच्चे और ईमानदार आदमी के प्रति आरोप लगाये तो फिर ईमानदारी की कीमत क्या रह जायेगी...

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

श्री नाथूसिंह : XXX

श्री कमला : जांच एन्टी करप्शन में चल रही है तो आपको खुशी होनी चाहिए।

There is a inquary is pending.

श्री नाथूसिंह : जांच करा रही हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्रीमती कमला : मैं कहां कह रही हूं, आप ही कह रहे हैं कि जांच चल रही है।

## व्यवस्था का प्रश्न

## अनुपूरक अनुदान की मांगें (वर्ष 1982-83) द्वितीय संकलन का शुद्धि-पत्र

श्री सभापति : मुझे सदन को सूचित करना है कि माननीय बृज सुन्दर जी शर्मा से अस्वस्थ होने की जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने सदन से अनुपस्थित रहने की...

श्री रामसिंह बिश्नोई : ज्यादा सीरियस हैं क्या ?

श्री सभापति : अनुमति चाही है इसके कारण मैं परसराम मदेरणा को अमाऊ करता हूं कि वर्ष 1982-83 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का शुद्धि पत्र (द्वितीय) सदन की मेज पर रखें।

---

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): सभापति महोदय, मैं वर्ष 1982-83 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे (द्वितीयसंकलन) का शुद्धि-पत्र (द्वितीय) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैं पूछना चाहूंगी कि इस शुद्धि-पत्र के कारणों पर जरा प्रकाश डाल दें।

श्री परसराम मदेरणा: जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या का ध्यान मैं अनुपूरक अनुदान की मांगे (द्वितीय संकलन) के पृष्ठ 112 और 113 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पृष्ठ 113 पर मांग संख्या-31, मुख्य शीर्षक 688 में जो दत्तमत राशि चाही गयी है वह 6 लाख 61 हजार रूपये है, यह आंकड़ा सही है। लेकिन पृष्ठ 112 पर जो इसका एक्सट्रेक्ट दिया गया है यानी सारांश में प्रिंटिंग ऐरर की वजह से 6.61 की जगह 6.60 छप गया। अब हम यह शुद्धि करना चाहते हैं, चूंकि मुख्य शीर्षक में कोई गलती नहीं है, सारांश में गलती रह गयी है इसलिये मैं चाहता हूं कि 6.60 की जगह 6 लाख 61 हजार कर दिया जाय। जब 61 हजार कर देंगे तो उसी सारांश के अन्दर जो योग है उसमें 93 लाख 70 हजार रु. हैं, की जगह आप 93 लाख 71 हजार रु. कर दीजिये। टोटल जोड़ जो उसमें नीचे आया है वह 1 करोड़ 19 लाख 51 हजार है, उसमें एक जोड़कर 1 करोड़ 19 लाख 52 हजार कर दीजिये। फिर इसी तरह से योग के अन्दर 2 करोड़ 59 लाख 99 हजार की जगह 2 करोड़ 60 लाख कर दीजिये। एक हजार और बढ़ाया है, तो मैं यह शुद्धि-पत्र इसलिये लाया हूं। पहला शुद्धि-पत्र तो आप को इस संकल्प के साथ मिल गया था, जो आखरी पेज पर है। यह गलती रह गयी थी, यह शुद्धि-पत्र के साथ में नहीं भेज सके, इसलिये यह शुद्धि-पत्र है। शुद्धि पत्र में जहां तक मुख्य शीर्षक का प्रश्न है वहां तो आंकड़ा सही छपा है लेकिन यहां पर प्रिंटिंग एरर रह गयी है। इसलिये यह शुद्धि-पत्र प्रस्तुत करने की, और यह संशोधन करने की सभापित महोदय, मुझे आज्ञा प्रदान की जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा: छोटी सी बात है जब ये पुस्तक वितरित की गयी थी उस समय क्या इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया? व आज यह पत्र भेजकर शुद्धि करना चाहते हैं तो क्या यह नहीं कह सकता था कि अमुक अमुक पृष्ठ पर अशुद्धि रह गयी है। यह तो पूरे जोड़ जमा खाते के अंत तक शुद्धि करनी पड़ेगी, माननीय मंत्री महोदय, जहां जहां इसमें जोड़ आयेगा, कम्प्लीट सारे आंकड़ों में फेरबदल करना पड़ेगा। तो इसमें लिखने में क्या दिक्कत थी आपको?

श्री परसराम मदेरणा: वह तो डिस्ट्रिब्यूट अब किया है।

श्री यदुनाथ सिंह: बड़ा चक्कर आ जायेगा, सभापित महोदय। हम ने इसके आधार पर कुछ आंकड़े तैयार किये हैं उन सबको मोडीफाई करना होगा। हमारे पास समय कहां है हम इस पर बहस करेंगे। उनको मोडिफाई कब करेंगे। फिगर्स को मोडिफाई कब किया जायेगा।

श्री सभापित: अभी कर लीजिये बहुत समय है। आपको बाद में बुलायेंगे।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** गणित के प्रकरण में यह अशुद्धि बहुत बड़ी अशुद्धि मानी जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय, इस बात का तो उत्तर दें जो मैंने पूछी है।

**श्री सभापति :** यह मांग तो वैसे ही मुखबंद में जा रही है इस पर चर्चा होने वाली नहीं है। इसलिये कोई सीरियस बात नहीं है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** ये पैसा दे दें चाहे कितनी गलती कर दें, चाहे जितना पैसा ले लें...

**श्री सभापति :** यह तो प्रिंटिंग एरर है।

**अनुपूरक अनुदान की मांग (1982-83) द्वितीय संकलन**

**मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति**

अनुपूरक अनुदान की मांगे (वर्ष 1982-83) द्वितीय संकलन पर विचार एवं मतदान शिक्षा मंत्री, श्रीमती कमला जी--मांग संख्या 24 शिक्षा के विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

**श्रीमती कमला (शिक्षा मंत्री) :** माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,15,38,000/- रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

**अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव**

मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

**श्री महावीर प्रसाद (टौंक)**

1. टौंक महाविद्यालय में हिन्दी, राजनीतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षायें व विधि संकाय की कक्षाओं के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

2. टौंक शहर में कालेज छात्रावास की अपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

3. वर्तमान शिक्षा प्रणाली को व्यवसायोन्मुख बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. टौंक जिले में प्राइमरी, मिडिल, सैकेण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूलों की भवनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)**

5, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन कर व्यवसायोन्मुख बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)**

**श्री मालाराम (खेतड़ी)**

6. जिला शिक्षाधिकारी सीकर द्वारा कई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पिछले कई माह से वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

7. सीकर नगर में प्राथमिक शालाओं के भवनों की कमी तथा टाटपट्टी एवं छात्रों को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिए।

8. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कटराथल–दौलतपुरा, कोलीड़ा, बेरी में सैकेण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत किये जाने पर चर्चा के लिए।

9. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम श्यामगढ़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. श्री कल्याण कालेज, सीकर तथा छात्रावास में छात्र संख्या को देखते हुए भवन की कमी पर चर्चा के लिए।

11. प्राथमिक, माध्यमिक एवं महाविद्यालय शिक्षा को पृथक्-पृथक् बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. सीकर में पोली टेक्नीक कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

13. जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर द्वारा छात्रकोष के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. निजी शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

15. शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. अध्यापकों द्वारा ट्यूशन करने से अध्यापन कार्य में आ रही शिथिलता एवं उदासीनता पर चर्चा के लिये।

17. ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों को मकान भत्ता दिये जाने पर चर्चा के लिये।

18. अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति के अभाव के बारे में चर्चा के लिये।

19. शिक्षा अधिकारी, अलवर द्वारा स्थानान्तरण के मामलों में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिए।

20. वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी (छात्रायें), अलवर द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में बरती गई अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिए।

21. माध्यमिक विद्यालय, बड़ौद (अलवर) में टंकण विषय के छात्रों से 150/– विकास कोष के लिए जबरदस्ती वसूल किये जाने पर चर्चा के लिए।

22. अलवर में विद्यालय भवनों को विवाह, सेमिनार आदि के उपयोग में देने से विद्यार्थियों के अध्ययन में होने वाली हानि पर चर्चा के लिए।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर)

23. वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर व्यवसायिक बनाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

24. शिक्षा विभाग में राजनैतिक हस्तक्षेप से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है उस पर चर्चा के लिए।

(128)



श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

25. सुखाड़िया विश्वविद्यालय को दी गई अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

26. भीलवाड़ा जिले के विद्यालयों में होने वाली अनियमितताओं के विषय में चर्चा के लिए।

श्री अमीर खां (शिव)

27. सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में अधिक प्राईमरी स्कूल खोलने व अध्यापकों की कमी की पूर्ति करने पर चर्चा के लिए।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

28. बरकाणा जिला पाली की शिक्षण संस्था द्वारा सेवा मुक्त अध्यापकों को पुनः सेवा में लेने की मांग पर चर्चा के लिए।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा)

29. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ (चित्तौड़) के छात्रों के लिए विज्ञान उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं किये जाने से छात्रों में असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

30. ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विद्यालयों में अध्यापकों की कमी, विषय खोलने, विद्यालयों के भवन बनाने एवं उन्हें क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

श्री माणकमल मेहता (पाली)
श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)
श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)
श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढा)
श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)
श्री रामनारायण बूडी (बिलाडा)
श्री शिवदानसिंह राठौड (जैतारण)

31. अध्यापकों को विषयवार लगाने तथा बच्चों की संख्या के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों की कमी को पूरी करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवारी (बस्सी)

32. ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विद्यालयों के भवनों की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

33. परीक्षाओं में होने वाली धांधलियों को रोकने में सरकार असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

34. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक स्कूलों की कमी की पूर्ति करने हेतु चर्चा के लिये।

36. संस्कृत शिक्षकों के साथ भेदभाव बर्ते जाने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

37. शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिये।

38. राजस्थान में शिक्षकों के स्थानान्तरण के बारे में अपनायी जा रही नीति पर चर्चा के लिये।

39. गर्ल्स सेकण्ड्री स्कूल, राजगढ़ को क्रमोन्नत करने के बारे में चर्चा के लिये।

40. राजस्थान के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी होने पर चर्चा के लिये।

41. राजगढ़ महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

42. आमेर, खौरा श्यामदास, हरमाड़ा व रायसर सेकेन्डरी स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

43. राधा किशनपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय (आमेर तहसील) को सेकेन्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

44. बाड़मेर जिले के ग्राम गोलाई, कापलकापाट, पावूसरी, पेगेकागों, भांभुओं की ढानी, जूनेलों की ढानी, मेकन का पार, सिहाई, बहालर, भूणी में प्राईमरी स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

45. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के दूरदराज के गांवों के स्कूलों में खाली पड़े अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (पाली)

46. सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र में स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम)

47. राजस्थान में होमसाईन्स विषय को बालिका विद्यालयों में कम्पलसरी पढ़ाने पर चर्चा के लिये।

48. सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुदान की शर्तों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति न करने पर चर्चा के लिये।

49. कन्या पाठशालाओं में संगीत कक्षायें चालू करने पर चर्चा के लिये।

50. अजमेर नगर की आर्य पुत्री पाठशाला को सहायता प्रारम्भ की जावे, पर चर्चा के लिये।

(130)



(श्री कनकराज मेहता)

51. अजमेर जिले में प्रौढ़ शिक्षा पर किये गये धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये।

52. अजमेर में इंजीनियरिंग कालेज न खोलने पर चर्चा के लिये।

53. अजमेर नगर में कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षकों को राजकीय शिक्षकों के समान सुविधायें न देने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवारी (बस्सी)

55. ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कला एवं आंचलिक संस्कृति के उत्थान हेतु चर्चा के लिये।

56. ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय भवन निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

57. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एव चाकसू क्षेत्र में अध्यापकों की कमी की पूर्ति के संदर्भ मे चर्चा के लिये।

58. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राईमरी एवं मिडिल स्कूलों की कमी की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये।

59. निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान बन्द करने व शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

60. प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर छात्रों एवं छात्राओं के अध्ययन हेतु अलग-अलग उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

61. ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में कृषि विषय पढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. उद्योग शिक्षकों को उद्योग शिक्षकों के पदों पर रोजगार नहीं दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

64. शिक्षण संस्थानों में चुनाव पद्धति समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

65. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लिखित कार्य पर अधिक ध्यान दिये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

66. राजस्थानी भाषा के लिये पृथक् से अकादमी बनाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

67. राज्य शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान, उदयपुर पर होने वाले व्यय के संबंध में चर्चा के लिये।

68. सरस्वती निकेतन माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर में बालकों की संख्या के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

69. बालिका विद्यालयों में गृह विज्ञान की कक्षायें प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

70. सरस्वती लाइब्रेरी गुलाबबाडी, उदयपुर को पर्याप्त धन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. सुखाड़िया वि.वि. के भूतपूर्व कुलपति को दिये गये वेतन एवं अन्य राशि के संबंध में विश्वविद्यायल को दिये जाने वाले अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

72. उदयपुर विश्वविद्यालय में हो रही चयन के संबंध में अनियमितताओं के पश्चात् भी दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

73. उदयपुर के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में दिसम्बर के बाद भी प्रवेश दिये जाने से विद्यार्थियों में असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये।

74. उदयपुर नगर के नये सेक्टरों में स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

75. उदयपुर जिले में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के प्रश्न-पत्र समय पर छपकर नहीं आने पर चर्चा के लिये।

76. समान परीक्षा के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर द्वारा की गई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

77. सलूम्बर में अगले सत्र में कालेज प्रारम्भ किया जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूदयाल जोशी (दीगोद)

78. शिक्षा को पंचायत समिति से तुरन्त मुक्त कराने हेतु चर्चा के लिये।

79. अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा हेतु चर्चा के लिये।

80. जिला केन्द्रों पर कई अध्यापक 15-20 वर्षों से सेवारत हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक को शहर में आने का अवसर ही नहीं मिलता, इस पर चर्चा के लिये।

81. पति-पत्नी यदि शिक्षा विभाग में सेवारत हैं तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

82. पुरातत्व संग्रहालय, उदयपुर एवं कोटा अपने स्थानों का रख रखाव सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

83. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

84. राज्य सरकार राज्य की कलात्मक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के रख-रखाव में असक्षम सिद्ध हुई है इस पर चर्चा के लिये।

85. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाते हैं इस पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुरसिंह)

86. राज्य सरकार ने शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिये कोई निश्चित समयावधि एवं दूरी तय नहीं की है, इस पर चर्चा के लिए

87. राज्य सरकार विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति करने में पूर्णतः असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए।

88. राज्य सरकार ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने में असक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

89. राज्य सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान कायम करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

90. राज्य सरकार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को चलाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

91. राज्य शिक्षा की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

92. प्राईमरी व सैकेण्डरी स्कूलों के अध्यापकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

93. नीमकाथाना में संस्कृत कालेज की स्वीकृति होते हुए भी मध्यमा क्लासेज चालू नहीं हुई है, इस संबंध में चर्चा के लिये।

94. नीमकाथाना के पटवारी कालेज में पी. जी. क्लासेज चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)

95. सांस्कृतिक कार्यों की उपेक्षा-वृत्ति पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल)

96. भगवानपुरा में सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

97. माण्डल वि.नि. क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री पोहराम (टीबी)

98. टीबी क्षेत्र श्रीगंगानगर में स्कूलों में अध्यापक व अध्यापिकाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)

99. सराड़ा जिला उदयपुर में स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

100. राज्य सरकार शिक्षा को रोजगार एवं उत्पादन से जोड़ने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

101. राज्य सरकार द्वारा राज्य में गत कई वर्षों से संस्कृत विद्यालय न खोलने पर चर्चा के लिये।

102. राजकीय विद्यालयों में एन.सी.सी. व ए.सी.सी सख्ती से लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. संस्कृत अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार कर भेदभावपूर्ण वृत्ति समाप्त करने के बाबत चर्चा के लिये।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

104. कोटा जिले के सांगोद के हायर सैकेण्डरी विद्यालय में साइन्स बायलोजी क्लासेज शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. कोटा जिले में गत दो वर्षों से नये विद्यालय खोलने में अपनाई गई प्रक्रिया पर चर्चा के लिये।

106. हाडौती विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

107. राज्य के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के विषय में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेंगू)

108. रावतभाटा एवं बेगूं में कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा)

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

109. शिक्षा क्षेत्र में बाड़मेर जिले में अधिक प्राइमरी, सैकेण्डरी गर्ल्स हायर सैकण्डरी व बालोतरा में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर)

110. सलूम्बर में हायर सैकेण्डरी व मिडिल स्कूल के भवन के अभाव पर चर्चा के लिये।

111. पंचायत समिति के विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात से अध्यापक उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री भैरूंलाल (मनोहर थाना)

112. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1983-84 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं का प्रावधान न रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. कोटा डिविजन के महाविद्यालयों में कृषि विषय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

115. देहाती क्षेत्रों के माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषय के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय)

116. कन्या उच्च प्राथमिक शाला गीजगढ़, सिकन्दरा, सिकराय तथा भाण्डारेज में अध्यापिकाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा लिये।

117. अध्यापकों की कमी की वजह से छात्रों की पढ़ाई की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

118. शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं)

119. प्राथमिक पाठशाला को उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

**श्री रामकंवार बैरवा (फागी)**

120. अच्छे कलाकारों को सरकार पुरस्कृत करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

121 सरकार द्वारा स्कूल, कालेज खोलने में बरते जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिये।

122. राजस्थान की पुरानी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, जिसको सरकार रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़)**

123. चावण्डिया, खवारानीजी और रायसर में हायर सैकेण्डरी स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

124. थोलाई, टोडामीना, नीमला, बूज में सैकेण्डरी स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

125. रायपुर, पायामूला, बीरासना, सामरेडकलां नांगल बेला, गोपाल गढ़ खरकड़ा, तथा धामस्या में उच्च प्राथमिक शालाएं खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

126. प्राथमिक शालाओं में सात हजार अध्यापकों की कमी से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

**श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)**

127. संस्कृत विद्यालय मुडेरना (सीकर) में उपाध्याय कक्षा खोलने पर चर्चा के लिये।

128. संस्कृत शिक्षा में वरिष्ठ शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन पर चर्चा के लिये।

129. शिवसिंहपुरा, अमरसर तथा मनोहरपुर संस्कृत विद्यालय भवनों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक तथा एक सब डिवीजन में दो सैकण्डरी स्कूलों में प्रतिवर्ष संस्कृत ऐच्छिक विषय खोलने की अनुपालना न करने पर चर्चा के लिये।

131. संस्कृत शिक्षा के विद्यालय, महाविद्यालयों के भवनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

132. जालौर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, गंगानगर, झालावाड़, डूंगरपुर नागौर, जिलों में संस्कृत विद्यालयों के सर्वथा अभाव पर चर्चा के लिये।

133. एक हजार प्राथमिक विद्यालय सत्र 83–84 में खोलने के प्रस्ताव में संस्कृत प्राथमिक विद्यालयों की कोई संख्या न होने पर चर्चा के लिये।

134. संस्कृत शिक्षा निदेशालय के विकेन्द्रीकरण पर चर्चा के लिये।

135. मिडिल स्कूलों में सरकारी आदेशों के बावजूद प्रवेशिका योग्यता प्राप्त शिक्षकों का नियोजन न करने पर चर्चा के लिये।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)**

136. संस्कृत कालेज, मनोहरपुर में आचार्य स्तर की पढ़ाई का प्रबन्ध करने पर चर्चा के लिये।

(135)



(श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी)

137. राजस्थान विश्व विद्यालय में आचार्य स्तर के शिक्षण एवं प्राच्य विद्या शोध केन्द्र की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

138. संस्कृत विद्यालयों में नये विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)

139. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरलाल (पाटन)

140. शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

141. अंग्रेजी स्कूलों को सरकार द्वारा दिये जाने वाली आर्थिक सहायता समाप्त करने पर चर्चा के लिये।

142. शिक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने पर चर्चा के लिये।

143. शिक्षा क्षेत्र को राजनीति से मुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. कापरेन सैकेण्डरी स्कूल को हायर सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

145. अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर भी उन्हें दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

146. असमय में ट्रान्सफर की गलत नीति से पाठ्यक्रम पूरा न होने से छात्रों को होने वाली हानि व दुष्परिणाम पर चर्चा के लिये।

147. शिक्षा विभाग में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिये स्कूलों के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

149. उदयपुर माडल प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरों की समस्याओं पर चर्चा के लिये।

150. गोगुन्दा बालिका हायर सैकेण्डरी स्कूल में नये विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

151. उदयपुर जिले के गोगुन्दा बालिका सैकेण्डरी स्कूल में अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) :

152. कोटा जिले में शिक्षा का विस्तार नहीं करने पर चर्चा के लिए।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) :

153. प्राथमिक शालाओं की स्थापना में केवल जनसंख्या ही नहीं अपितु दूरी का ध्यान रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

154. संगीत नाटक अकादमी में पूर्ण सुधार एवं परिवर्तन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये'

श्री नाथू सिंह (बांदी कुई) :

155. राजस्थान विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में वर्ग 1982–83 में सहायक प्राध्यापक के पदों पर की गई नियुक्तियों में अनियमितता एवं धांधलियों से उत्पन्न स्थिति पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

156. राजस्थान विश्वविद्यालय में विभिन्न वर्गों द्वारा की गई हड़ताल से कार्य में हुये व्यवधान पर अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये चर्चा।

157. राजस्थान विश्वविद्यालय में विदेशी नागरिकता प्राप्त लोगों को स्थायी नियुक्ति प्रदान करने से उत्पन्न स्थिति पर अनुदान के औचित्य पर चर्चा।

158. राजस्थान विश्वविद्यालय में सेवा मुक्त प्राध्यापक व अधिकारियों को पुर्ननियुक्ति एवं विशेष सुविधाएं देने से उत्पन्न असन्तोष पर भी अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

159. सवाई माधोपुर कोलेज में संस्कृत भाषा की कक्षा चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

160. पंचायत समिति बेरली क्षेत्र के मामले में ऐवरा में मिडिल स्कूल खोलने के लिये चर्चा के लिये।

161. जिला सवाई माधोपुर में ग्राम कुजेरा की उ. मा. वि. में क्रमोन्नत करने व विज्ञान की संकाय खोलने पर चर्चा के लिये।

162. ग्राम पंचायत बिच्छी दोना सब तहसील मलारना डूंगर में हाई स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

163. ग्राम पंचायत भाडोती पंचायत समिति बोंली में मिडिल स्कूल खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

164. पंचायत समिति बोंली के ग्राम को स्याई में सैकेण्डरी स्कूल खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

165. जिला सवाई माधोपुर में ग्राम आलनपुर में सैकेण्डरी स्कूल खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

166. पंचायत समिति बोंली की ग्राम पंचायत हथडोली के ग्राम वासदा नदी में मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

167. जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति बोंली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साकदा के ग्राम श्यापाली में प्राईमर स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

168. पंचायत समिति बोंली जिला सवाई माधोपुर में ग्राम पंचायत भुका के ग्राम गोज्वारी में प्राईमरी स्कूल खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर):

169. राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संदर्भ में दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

170. थोई (सीकर) में कन्या सैकेण्डरी स्कूल खोलने बाबत चर्चा के लिये।

171. श्री माधोपुर (सीकर) में महाविद्यालय खोलने के बाबत चर्चा के लिये।

172. हुरदास का बास, कोटड़ी-गिमारला, सरगोठ, हांसपुर, पृथ्वीपुरा, लिमाड़िया, नायूसर जिला सीकर में सैकेण्डरी स्कूल खोलने बाबत चर्चा के लिये।

173. प्रदेश की शालाओं में रिक्त पड़े अध्यापकों की पूर्ति करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) :

174. संस्कृत कालेज मनोहरपुर को आचार्य स्तर तक क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

175. संस्कृत विभाग के शिक्षकों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

176. तृतीय-द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी शिक्षक पदों पर संस्कृत शिक्षा के प्रशिक्षित स्नातकों एवं अधिस्नातकों को उच्चतर वेतन न देने पर चर्चा के लिये।

177. संस्कृत शिक्षा के तहसीलवार विस्तार के अभाव पर चर्चा के लिये।

178. संस्कृत शिक्षा की प्राथमिक विद्यालयों के खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

179. प्राईमरी व उच्च प्राईमरी ग्रामीण स्कूलों में अध्यापकों की कमी एवं ढाणियों में पर्याप्त मात्रा में शिक्षा नहीं, इस पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

180. प्रौढ़ शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के क्रम में चर्चा के लिये।

181. यूनिवर्सिटी में व्याप्त अव्यवस्था के कारण विद्यार्थियों में उत्पन्न कठिनाई के क्रम में दिये जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

182. स्कूलों में नये विषय नहीं खोलने के कारण ग्रामीण विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़ने के लिये बाध्य होने के क्रम में चर्चा के लिये।

183. राज्य में महिला शिक्षा के प्रति सरकार की सर्वथा उदासीनता के विषय में चर्चा के लिये।

184. राज्य में दर्शनीय स्मारकों की दुर्दशा के संदर्भ में चर्चा के लिये।

185. बिना भवन की स्कूलों और अध्यापक रहित स्कूलों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) :

186. चौमू में कन्या स्कूल को सैकेण्डरी तक क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

187. कालाडेरा के कालेज में कृषि विषय खोलने पर चर्चा के लिये।

188. कालाडेरा के कालेज को पी. जी. स्तर का कालेज करने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री बालचन्द्र आर्य (डग) :

189. पिथौली-खातौली एवं पीपल्दा माध्यमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक स्कूल

(श्री बालचन्द आर्य) :
में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

190. आवर-इटावा एवं इन्द्रगढ़ में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोले जायं इस संबंध में चर्चा के लिये।

191. कोटा में हाड़ौती विश्वविद्यालय खोला जाय इस संबंध में चर्चा के लिये।

192. कोटा में हाड़ौती कृषि विश्व-विद्यालय खोला जाय इस संबंध में चर्चा के लिये।

193. डग पीपल्दा क्षेत्र में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाय इस संबंध में चर्चा के लिये।

194. कोटा झालावाड़ जिले में शिक्षकों के बकाया एवं मेडीकल की रकम शीघ्र चुकाई जाय, इस संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

195. इटावा में महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

196. इटावा हायर सैकेण्डरी स्कूल में जीव विज्ञान विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

197. इन्द्रगढ़ व खातोली में हायर सैकेण्डरी स्कूल में कृषि विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

198. नीपोला, ठीपरी एवं बिनायका में माध्यमिक स्कूल खोले जायं, इस संबंध में चर्चा के लिये।

199. बोरदा, जलोदा तेजाजी, चाणदा खुर्द में उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जायं, इस संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छोतरमल आर्य (अटरू) :

200. कोटा जिले में शिक्षकों के बकाया एरियर एवं मेडिकल की रकम शीघ्र चुकाई जाय, इस संबंध में चर्चा के लिये।

201. अटरू क्षेत्र में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाय, इस संबंध में चर्चा के लिये।

202. कोटा में हाड़ोती कृषि विश्व-विद्यालय खोला जाय, इस संबंध में चर्चा के लिये।

203. अटरू में कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाय, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. मोतीपुरा, डावड़िया, अरूया में प्राईमरी स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

205. चरडाना एवं बराना माध्यमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. अटरू में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

207. अटरू हायर सैकेण्डरी स्कूल में कृषि विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

208. स्कूलों में नैतिक शिक्षा के अभाव पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा) :

209. खेलों के प्रति महिलाओं को प्रोत्साहित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

210. राजस्थान के खिलाड़ी व धावकों की उपेक्षा से उनमें व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

211. राज्य में पुस्तकालयों में पुस्तकों की खरीद में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये।

212. सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी की परीक्षाएं समय पर नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

213. विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों व छात्रों में व्याप्त असंतोष व हड़तालों से उत्पन्न स्थिति पर भी दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

214. गांवों में महिला शिक्षा की योजना में इस वर्ष स्कूल नहीं खोले जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

215. राजस्थान विश्वविद्यालय में ईरानोलोजी विभाग को अचानक बन्द किये जाने से एक वर्ष हा ईरानोलोजी की परीक्षा देने व दूसरे वर्ष की परीक्षा देकर डिप्लोमा न प्राप्त किये जाने से ईरानोलोजी के छात्रों में व्याप्त असंतोष पर अतः दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

216. राजस्थान में कठपुतलिका का खेल दिखाने वालों को उचित अवसर न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

217. संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों में असंख्य गल्तियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

218. शिक्षा में व्यवसायोन्मुख शिक्षा के अभाव से उत्पन्न बेकारी से छात्रों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

219. शिक्षा विभाग में संगीत के शिक्षकों की उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

220. राजस्थानी साहित्य के दुर्लभ ग्रन्थों के लिये नेशनल लाइब्रेरी के सामान सुरक्षा के वैज्ञानिक तरीके न जुटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

221. राजस्थानी साहित्य ऐकेडमी के योजनानुसार कार्य न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

222. सिन्धी व उर्दू के विषयों के स्कूलों में उक्त विषय के शिक्षकों की नियुक्ती के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) :

223. जिला जैसलमेर में अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरने से शिक्षा स्तर में उत्पन्न हुई कमी की चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

224. स्कूलों में अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जावे तथा शिक्षा को रोजगारयुक्त बनाया जावे, इस पर चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) :

225. श्रीमाधोपुर में पोलीटेक्निक कालेज खोलने के विषय में चर्चा के लिए।

226. राजस्थान विश्वविद्यालय में विदेशी नागरिकों की स्थाई नियुक्ति से उत्पन्न स्थिति के विषय में चर्चा के लिए।

(श्री विपेन्द्र सिंह) :

227. राजस्थान विश्वविद्यालय में रीडर के पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक) :

228. अरबी एवं फारसी शोध प्रतिष्ठान टोंक पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

229. टोंक जिले में बालिकाओं के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के अभाव के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

230. टोंक जिले में विकलांग हेतु एकीकृत शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

231. टोंक जिले में छात्रों को ऋण एवं छात्रवृत्ति देकर अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

232. राजभाषा हिन्दी के प्रयोग एवं प्रसार करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान देने में अनियमित कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

233. निवाई में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

234. टोंक जिले में शिक्षकों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

235. डारडा हिन्दी उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

236. वर्ष 1982–83 में स्कूल खोलने में राजनैतिक भेदभाव से उत्पन्न स्थिति के विषय में चर्चा के लिये ।

237. ग्राम पंचायत पेन्दराज में उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

238. अमीनपुरा (टोंक पंचायत) में प्राईमरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

239. टोंक जिले में गैर सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को सहायता में भेदभाव एवं समय पर नहीं दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

240. टोंक जिले में तकनीकी शिक्षा के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

241. टोंक जिले में खेलकूद की उपेक्षा के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

242. टोंक जिले में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को समुचित रूप से चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

243. टोंक जिले में अनौपचारिक शिक्षा पर नियंत्रण नहीं होने तथा स्वीकृत केन्द्र नहीं चलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) :

244. भरतपुर जिले में कार्यरत लेब बाय, लेब असिस्टेंट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सेवा काल न बढ़ाये जाने अथवा

(श्री राजबहादुर) :
रेगुलराइज न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) :

245. बाड़मेर जिला पिछड़ा होने से अधिक प्रा. वि. खोलने हेतु चर्चा के लिये।

246. राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर के छात्रों के निवास के लिये राजकीय छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. बाड़मेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रा. वि. में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. रा. उ. मा.वि. सिणधरी जिला बाड़मेर में विज्ञान एवं कला वर्ग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. राजस्थान की सभी पंचायत समितियों एवं तहसील मुख्यालयों पर कन्या प्रा. वि. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. बाड़मेर जिले के डांगरीया पंचायत समिति, सिणधरी में प्रा. वि. को चालू रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. बाड़मेर जिले में सवाई भीमजी (एवाड़ी भीमजी) पं. स., सिणधरी में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. रा. प्रा. वि. रावतसर एवं छोटे तथा उ. मा. वि. गुढ़ामालानी जिला बाड़मेर में वाणिज्य वर्ग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. राजस्थान में सभी माध्यमिक एवं उ. प्रा. वि. में कम से कम कला एवं वाणिज्य वर्ग प्राथमिकता देकर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्य (डग) :

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) :

255. जिला झालावाड़ के गंगधार गर्ल्स मिडिल स्कूल को सैकेण्डरी में क्रमोन्नत किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

256. आवर जिला झालावाड़ में गर्ल्स मिडिल स्कूल खोलने बाबत चर्चा के लिये।

257. भवानी मंडी जिला झालावाड़ के गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल को हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत किया जावे, इस पर चर्चा के के लिये।

258. पं. स. झालरापाटन के ग्राम काली तलाई में प्राईमरी स्कूल खोलना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये।

259. जिला झालावाड़ में मिश्रोली कस्बे के मिडिल स्कूलों को सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

260. पंचायत समिति द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक):

261. टोंक जिले में ट्राइसम योजना के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाडा):

262. भीलवाड़ा नगर में राधाकृष्णन शास्त्री नगर, धानतलाई बस्तियों में प्राथमिक स्कूल खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

263. भीलवाड़ा कन्या मिडिल स्कूल गुलमण्डी को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

264. भीलवाडा नगर में नवयुग विद्या मन्दिर विद्यालय को मिडिल स्कूल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

265. भीलवाड़ा तहसील के हासियास गोवर्धनपुरा, गोविन्द सिंह जी का खेड़ा में प्राथमिक स्कूल खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

266. भीलवाड़ा नगर के राजेन्द्र मार्ग सैकेण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत कर हायर सैकेण्डरी करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा):

267. छोटी सादड़ी में हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री भैरुलाल मीणा (उदयपुर, ग्रामीण):

268. पंचायत समिति गिर्वा एवं सराड़ा के क्षेत्र में तकनिकी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा):

269. महाराजा पुस्तकालय, कोटा में लाखों रुपये की पेट्रोल चोरी एवं पुस्तकों की खरीद में किये गये गबन के संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

270. बालकृष्ण विद्या भवन स्कूल, कांकरोली द्वारा 20 वर्ष बाद भी सेवा निवृत्त अध्यापकों को पेंशन भुगतान न किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व):

271. जिला शिक्षा अधिकारी अलवर द्वारा श्री द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली के अलवर स्थित कार्यालय भवन का दिनांक 23-7-70 से रुपये 190/- प्रतिमाह के हिसाब से करीबन 25,000 की बकाया राशि का भुगतान न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

272. राजकीय बालिका विद्यालय, पानों का दरीबा में गृहविज्ञान एवं चित्रकला तथा उर्दू की टीचर होते हुये भी कक्षायें प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू):

273. राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय बगरु कलां जिला जयपुर में तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

274. महाराजा पुस्तकालय, कोटा में पुस्तकों की खरीद एवं गबन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरि सिंह (कुम्हेर):

275. कुम्हेर में कन्या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षा स्तर में सुधार किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

276. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारा जावे, इस पर चर्चा के लिये।

277. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) :

278. प्रतापगढ़ हायर सैकेण्ड्री स्कूल में वर्ष 1982–83 के लिये प्रविष्ट कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को सत्र के मध्य में अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित करने से उत्पन्न समस्या के बारे में चर्चा के लिये।

279. उप जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ के लिये कार्यालय भवन नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

280. राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ के छात्रों के लिये छात्रावास का निर्माण बाबत चर्चा के लिये।

281. ग्राम बमोतर (प्रतापगढ) के उच्च प्राथमिक विद्यालय के अपर्याप्त भवन के बाबत चर्चा के लिये।

282. ग्राम रामपुरिया तहसील प्रतापगड़ में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय तक क्रमोन्नत कराने बाबत चर्चा के लिये।

283. प्रतापगढ़ नगर में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खुलवाने बाबत चर्चा के लिये।

284. ग्राम सिद्धपुरा तहसील प्रतापगढ़ के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने के बाबत चर्चा के लिये।

285. ग्राम अरनोद, दलोट, सालमगढ़ घुपवा, कोटड़ी साकथली, तहसील प्रतापगढ़ के विद्यालय भवनों के विस्तार की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये।

286. उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापगढ के क्रीड़ा प्रांगण को व्यवस्थित करने हेतु चर्चा के लिये।

287. प्रतापगढ़ तहसील में शैक्षणिक सुविधाओं को सुलभ करवाने में भेदभाव के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

288. सन् 80–81, 81–82 व 82–83 में भीलवाड़ा जिले में स्कूल खोलने व क्रमोन्नत करने में बरते गये भेदभाव के संबंध में चर्चा के लिये।

289. शिक्षा विभाग भीलवाड़ा जिला द्वारा विभिन्न स्कूलों में रिक्त पदों को न भरने के विषय में चर्चा के लिये।

290. भीलवाड़ा जिला शिक्षा विभाग द्वारा धन के दुरुपयोग के विषय में चर्चा के लिये।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 पर वाद-विवाद

श्री सभापति : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, कला और

(१४४)



(श्री सी.पी. जोशी)

संस्कृति की मांग पर चर्चा करने से पूर्व मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होने प्रथमबार राजस्थान के इतिहास में उच्च शिक्षा, प्राथमिक और सैकेन्डरी शिक्षा और कला एवं संस्कृति को अलग-अलग भागों में विभाजित किया। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति को 3–4 भागों में बांटने मात्र से इस शिक्षा के सम्बन्ध में हम राजस्थान में कुछ उन्नति कर पायेंगे, ऐसा मानने वालों में मैं विश्वास नहीं करता हूं। पिछले वर्ष और इस वर्ष के शिक्षा के बजट की तरफ हम ध्यान से देखें तो, मै जहां तक सोच पाया हूं इसकी राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कला और संस्कृति को राशि में बढ़ोतरी नहीं कर पाये। उसके बावजूद हम हायर एजूकेशन का अलग विभाग कर दें, स्पोर्ट्स का अलग विभाग कर दें, कला और संस्कृति का अलग विभाग कर दें, माननीय सभापति महोदय, हमारी मन्शा कितनी ही अच्छी हो, लेकिन मन्शा का जैसा फल आना चाहिए वह फल हाथ नहीं आ पायेगा, इस लिए मैं चाहूंगा मंत्री महोदय जब जवाब दें तो निश्चित तौर पर स्पेसिफिकली इस बात का जवाब दें कि हमने हायर एज्यूकेशन का अलग विभाग खोलने के बाद 1982-83 के अन्दर हायर ऐज्यूकेशन में कितना प्रावधान बढ़ाया, स्पोर्ट्स का अलग विभाग खोलने के बाद कितनी राशि स्पोर्ट्स में बढाई और कला एवं संस्कृति विभाग को लेने के बाद कला एवं संस्कृति में कितनी राशि बढ़ाई? यह काम यदि हम नहीं कर पाते हैं तो जितना डुप्लीकेशन वर्क होंगे, उससे विभागों में आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा और जितनी एफीशियेन्टली हम काम करना चाहते हैं उतनी एफीसियेन्सी को कर नहीं पायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय अपने रिप्लाई के समय इन मुद्दों को स्पष्ट रूप से उजागर करें। जब हम इस बात को कहते हैं कि हमने राशि नहीं बढ़ाई और फिर शिक्षा के क्षेत्र में कोई आमूल चूल परिवर्तन की बात करेंगे तो आमूल चूल परिवर्तन मात्र यहां पर एक भाषण हो जाएगा, वास्तव में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हो पायेगा। मैं चाहूंगा कि हमारी जो वित्तीय स्थिति है और जिस तरह का हमने पैसे का बटवारा किया है उसमें यदि हम कुछ इम्प्रूवमेन्ट कर सकें तो हमारा यहां वाद-विवाद में भाग लेना सार्थक होगा। मैं प्रारम्भ करूंगा सबसे पहले उच्च शिक्षा की समस्याओं से। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वयं एक लम्बे समय से विश्वविद्यालय से जुड़े हुये हैं इसलिये विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों और स्ट्रक्चर चैन्जेज के बारे में भली भांति जानते हैं। फिर भी, मैं चाहूंगा माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्रीजी अपने प्रथम भाषण में इस बात की घोषणा करें कि विश्वविद्यालय शिक्षकों के सामने एक मोटी समस्या जो है वह निश्चिततौर पर यह है कि एक्ट और स्टेच्यूट में प्रोविजन है कि विश्वविद्यालय में काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनके फरदर प्रमोशन्स के कोई चान्सेज नहीं हैं। चाहे सलेक्शन की पोस्ट हो, चाहे लैक्चरर से रीडर हो या रीडर से प्रोफेसर हो, मैं चाहूंगा कि सरकार एक निश्चित नीति उन लोगों के लिये बनाये जो कि 15–20–25 साल से एक ही कैडर के अन्दर

(श्री सी. पी. जोशी)

काम कर रहे हैं। जो लोग लेक्चरर हैं वह लेक्चरर के रूप में ही काम कर रहे हैं और लेक्चरर के रूप में सेवा निवृत्त होने वाले हैं, जो रीडर हैं, रीडर के रूप में ही काम कर रहे हैं और रीडर के रूप में सेवा निवृत्त होने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अलावा बिहार और अन्य प्रदेशों ने एक स्टेप लेकर इस बात की घोषणा की और जो एक्स कैडर प्रमोशन है उसकी नीति उन्होंने लागू की। राजस्थान के अन्दर जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में नीति लागू की, जोधपुर विश्वविद्यालय में नीति लागू की लेकिन उदयपुर विश्वविद्यालय में वह नीति लागू नहीं हुई है। राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों के लिए एक सुनिश्चित नीति नहीं होने से शिक्षकों के अन्दर भयंकर रोष व्याप्त है। इसलिये मैं चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करें कि यहां पर एक्स कैडर प्रमोशन का प्रोविजन हम विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिये कर रहे हैं। जहां मैं विश्वविद्यालय के शिक्षकों की बात करता हूं वहां यह भी जानता हूं कि हमारे यहां एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कालेज के शिक्षक काम कर रहे हैं उन कालेज के शिक्षकों के लिये भी एक्स कैडर प्रमोशन की व्यवस्था नहीं करेंगे तो एक क्लासिफिकेशन कर लेंगे उन शिक्षकों के बीच में जो विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और जो कालेज में कार्यरत हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार जहां विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिये एक्स कैडर प्रमोशन की घोषणा करें वहां साथ ही साथ कालेज के शिक्षकों के लिये भी निश्चित तौर पर प्रमोशन के ऐवेन्यूज खोलने के लिये कोई निश्चित नीति बनाकर उसकी घोषणा करें। यह बात इसलिये . . . . . . . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरा अनुरोध है कि बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिये मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि कृपया अपना 10-10 मिनट में भाषण, जो भी जरूरी बातें हैं, जो इम्पार्टेन्ट पाइन्ट्स हों उन तक ही सीमित रह कर समाप्त कर दें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा में हायर एजूकेशन, प्राइमरी और सैकण्डरी एजूकेशन, कला और संस्कृति विभाग, स्पोर्ट्स विभाग, इन पर दो दो मिनट में कैसे........

श्री सभापति : हरेक डिपार्टमेन्ट पर बोलना जरूरी थोड़े ही है? जिसमें अपना स्पेशलाइजेशन हो........

श्री सी. पी. जोशी : अपना तो सब में ही स्पेशलाइजेशन है और कोई काम ही नहीं है गांव में। ट्रांसफर कराने में स्पेशलाइजेशन नहीं है, न प्रमोशन कराने में स्पेशलाइजेशन है। खाली एजूकेशन के बारे में ही स्पेशलाइजेशन है। इसलिए मैं चाहूंगा..

श्री सभापति: आपके लिए कुछ कन्सेशन हो सकता है....

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कालेज शिक्षकों के लिए प्रमोशन एवेन्यूज के बारे में सरकार स्थिति स्पष्ट करे। माननीय सभापति महोदय, स्वयं शिक्षा राज्य मन्त्रीजी इस बात से वाकिफ हैं कि

(श्री सी. पी. जोशी)

आज कितने कालेज हमारे हैं उन कालेजों के अन्दर प्रिन्सिपल और वाइस प्रिन्सिपल की जो ग्रेड्स हैं उनका आज तक प्रपोशन क्लियर नहीं हो पाया। इसलिए बहुत सी पोस्ट आज वेकेन्ट पड़ी हुई हैं। प्रमोशन ऐवेन्यूज नहीं होने के कारण जो बहुत से लेक्चरर रिटायर होने वाले हैं उनको प्रमोशन एवेन्यूज से जो फायदे मिलने चाहिए वह नहीं मिल पा रहे हैं। इसके बारे में भी सरकार स्थिति स्पष्ट करे। सभापति महोदय, प्राइवेट कालेज के टीचर्स की सेवाओं की सुरक्षा के बारे में जब तक सरकार कोई निश्चित घोषणा नहीं करेगी तब तक उन शिक्षकों का भविष्य अन्धकार में रहेगा। जो प्राइवेट मैनेजमेन्ट के लोग कालेज चलाते हैं वे उन शिक्षकों को कम पैसा देंगे और कम पैसा देने की हालत में उनका शोषण होगा। इसलिए प्राइवेट कालेज टीचर्स की सेवा सुरक्षा के लिए यदि बिल लाना पड़े तो बिल लाये, यदि आर्डिनेन्स लाना पड़े तो आर्डिनेन्स लायें। जिस तरह की भी स्थिति हो, इस बारे में हमें प्राइवेट शिक्षकों को सेवा सुरक्षा की गारन्टी देनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जब हम प्राइवेट शिक्षकों को सेवा की सुरक्षा की बात करते हैं तो प्राइवेट कालेज में काम करने वाले शिक्षक, कालेज में काम करने वाले शिक्षक और विश्वविद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों के मेडिकल बिल्स के रिएम्बर्समेन्ट एव हाऊस अलाउन्स के अन्दर जो अन्तर है उस अन्तर को कम किये बिना शिक्षा के अन्दर कोई पोजेटिव आउट पुट नहीं दे पायेंगे। इस समस्या के बारे में माननीय शिक्षा राज्य मन्त्रीजी निश्चित तौर पर कुछ घोषणा करें।

यह सब घोषणा करने के बाद, मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक जो आधारभूत सिद्धान्त है, हायर एजूकेशन का जो हमने क्राइटेरिया बनाया है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पी. जी. कालेज होगा, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्रीजी, शिक्षा का क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेन्ट करने के साथ शिक्षा में एक बहुत बड़ी एकेडेमिक अनारकी हो गई है। एकेडेमिक अनारकी इस तरह से हो गई कि आज डूंगरपुर के अन्दर पी. जी. कालेज हो गया, उदयपुर के अन्दर पी. जी. कालेज हो गया, भीलवाड़ा के अन्दर पी. जी. कालेज हो गया और बांसवाड़ा के अन्दर पी. जी. कालेज हो गया, मैं समझता हूं कि आज से 15 साल या बीस साल पहले जिन लोगों ने एम. एस. सी., एम. काम और एम. ए. किया है, वह एम. ए., एम.एस.सी., एम. काम. किये हुये लोग लेटेस्ट कोर्स उन डिग्री कालेजों में पढ़ायेंगे तो शिक्षा के प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे। इस नीति के बारे में निश्चित तौर पर हमें सोचना पड़ेगा। चाहे आज हम, जयपुर में यूनिवर्सिटी है, वहां पी. जी. कालेज खोल दें, उदयपुर में खोल दें, जोधपुर में खोल दें, संभव हो तो बीकानेर में खोल दें, अजमेर में खोल दें लेकिन इन डिविजनल हैड क्वार्टर्स के अलावा यदि हमने इस तरह के कालेज हर जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोल दिये तो शिक्षा की दृष्टि से कोई इम्प्रूवमेन्ट नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाय।

यहां तक भी होता तो, माननीय सभापति महोदय, समझ में आता। अब यदि हम पापुलेशन को आधार बनायें तो आप

(श्री सी. पी. जोशी)

देखेंगे कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अन्दर चित्तौड़ में कालेज है, प्रतापगढ़ में कालेज है, निम्बाहेड़ा में कालेज है लेकिन उदयपुर की 25 लाख की जनसंख्या के लिये केवल मात्र उदयपुर में कालेज है, उसके बाद नाथद्वारा में कालेज है किन्तु 21 लाख के आदिवासी इलाके में एक भी गवर्नमेन्ट कालेज नहीं है। मैं चाहूंगा, निश्चित तौर पर राज्य सरकार इस बात की घोषणा करे कि जो पापुलेशन का आधार है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पापुलेशन है, यदि उसके आधार पर हमें कालेज खोलना है, तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ भी न्याय करना पड़ेगा। वहां 21 लाख की जनसंख्या का आदिवासी इलाका है उसमें एक भी कालेज नहीं है। आप देखेंगे कि 1981 के सेन्सस डेटाज जो पब्लिश हुए हैं उसमें हमारे यहां जो कोटड़ा निर्वाचन क्षेत्र है उसकी शिक्षा का प्रतिशत केवल मात्र 5 है। इसलिये मैं चाहूंगा आप जो कालेज खोलें भविष्य में सेवन्थ फाइव ईयर प्लान में, उसमें यह आधार रखें कि एक डिस्ट्रिक्ट की एक सरटेन पापुलेशन को हायर एजुकेशन की जो सुविधा मिलनी चाहिये, वह निश्चित तौर पर मिले।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक विचित्र स्थिति, माननीय सभापति महोदय, यह हो गई, आज उदयपुर के अन्दर एक ई. एम. बी. कालेज है उसमें एम. ए., एम. एस. सी. और एम. काम. की पढ़ाई होती है। उसके बाद एक मीरा गर्ल्स कालेज है उसमें हमने एम. ए. की क्लास खोल दी। बी एम. कालेज है उसमें भी एम. ए. की क्लास चालू कर दी। आज हालत यह हो गई कि उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर फिलोसफी, उर्दू, संस्कृत, साइकलोजी...

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय सभापति महोदय, मुख्य सचेतकजी आसन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्लिप भेज रहे हैं बार-बार सिफारिश की।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : मैंने आसन को प्रभावित करने के लिए स्लिप नहीं भेजी है, समय बढ़ाने के लिए भेजी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : स्लिप नहीं भेजते हैं, प्रस्ताव रखते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसी के लिए मैंने स्लिप भेजी है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : यहां स्लिप भेजी जाती है। लोक सभा और राज्य सभा के अन्दर दोनों सदन का कोई भी माननीय सदस्य सीधा जाकर के और खड़ा रह कर आसन से बात करता है...

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो ठीक यहां भी चालू कीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करना चाहते हैं तो कर लीजिये। वहां मेम्बर सीधे टेबल पर जाते हैं। हमेशा देखता आया हूं कि मेम्बर गैलेरी से सीधे सैक्रेटरी या दूसरे आफिसर्स से बात करते हैं। लेकिन अपने यहां सीधी बात करने की परम्परा नहीं रही है, जब परम्परा नहीं रही है तो उस परम्परा

(श्री परसराम मदेरणा)

को तोड़ना आज तक विधान सभा के 31वें साल में उपयुक्त नहीं होगा। इसलिये वह स्लिप भेजी है समय बढ़ाने के लिये, कोई बात नहीं हो रही है।

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ाने के लिए कभी स्लिप नहीं भेजते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हवा महल से आने वाले...

कई माननीय सदस्य : हवामहल से।

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि वे हवा में बातें ज्यादा करते हैं, कभी-कभी उपयुक्त सुझाव भी देते हैं। पी. एच.ई.डी. की डिमान्ड के वक्त आपके सुझाव बहुत उपयुक्त थे, मैं कुछ कहता भी, लेकिन आप रफूचक्कर हो गये। मेरा निवेदन करने का मतलब यह था, सभापति महोदय, आसन को क्या पत्र कोई देता है आसन उससे प्रभावित नहीं होता। जब इस सदन के पैनल आफ चेयरमैन का कोई माननीय सदस्य यहां बैठा है तो उसकी मन स्थिति और है और वहां जाने के बाद में पीठासीन अधिकारी, चाहे वह स्पीकर हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे चेयरमैन हो, निष्पक्ष है। वह ऐसी चिट-विट से, किसी पत्र से, दूसरी चीज से प्रभावित नहीं होता है।

इसलिए मुख्य सचेतक महोदय ने जो चिट भेजी है समय बढ़ाने के लिए, इससे कोई प्रभावित होने वाली बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो प्रभावित नहीं होंगे।

## सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय। साढ़े पांच बजे मुख बन्द का प्रयोग किया जाय। पांच बजे आप रिप्लाई शुरू करा दीजिए और 5.45 पर मुख बन्द का प्रयोग लागू कर दीजिये, यह ज्यादा अच्छा रहेगा। 45 मिनट मिल जायेंगे। दो मंत्री बोलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : नो डिक्टेशन।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं। विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय से निवेदन करूंगा...

श्री सभापति : प्रस्ताव कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो डिमान्ड हैं। हायर एजूकेशन और प्राइमरी एजूकेशन की। दो मंत्री अपने विचार व्यक्त करेंगे और गवर्नमेन्ट की पालिसी बतायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि पांच बजे तक··· मुखबन्द

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : पांच तो कम रहेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हैं, हुकम ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कम रहेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 5 बजे कम रहेगा ? भले ही आप आगे बढ़ाना चाहो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एजूकेशन की डिमाण्ड है वह बड़ी इम्पार्टेन्ट डिमाण्ड है। आपके भी दो मिनिस्टर डील करते हैं तो कम से कम दस मैम्बर तो हाउस में बोलें ताकि उनको भी कुछ बोलने का मेटीरियल मिलेगा। इसलिए ज्यादा अच्छा हो कि जब तक यह डिमाण्ड पास नहीं हो या आप तीन घण्टे का समय कर दीजिये, तीन घण्टे के समय में पास हो जाय। उसके बाद गुलेटिन अप्लाई कर दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड : तीन घन्टे का समय इसके लिए बढ़ा दे। उसके बाद में अप्रोप्रिएशन बिल तो पास हो जायगा, उस हिसाब से कर दीजिये, 5 से 6, 7 और आठ बजे तक...

(व्यवधान)

हैं, क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, ठीक है।

श्री खेतसिंह राठौड : सात बजे तक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आठ बजे तक.

(व्यवधान)

देखिये, एजूकेशन की डिमाण्ड है, आपको भी कई हायर स्कूल, प्राइमरी स्कूल...

(व्यवधान)

आप चले जाना। आप किसी डिमाण्ड पर बोलते तो हो नहीं, आप तो चार बजे यहां से रवाना होने वाले हो, इससे क्या फर्क पड़ता है।

श्री खेतसिंह राठौड : सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हू कि सदन का समय तीन घंटें के लिये बढ़ा दिया जाय। सात बजें रिप्लाई शुरू कर दिया जाय। यदि उससे पूर्व भी माननीय सदस्य बोल जायं तो उस वक्त से ही गुलोटीन करके फिर डिमांड पास करके और ऐप्रोप्रियेशन बिल प्रस्तुत कर दिया जायगा। उस पर भी मतदान होकर पारित कर दिया जायेगा।

श्री सभापति : जो प्रस्ताव माननीय मुख्य सचेतक जी ने पेश किया है, उसके अनुसार सदन की अनुमति से समय बढ़ाया जाता है।

श्री यदुनाथ सिंह : इस एप्रोप्रियेशन बिल पर क्या मुख बन्द कर दिया जायेगा, साहब ?

श्री खेतसिंह राठौड : आप तो बोल लेना।

श्री सभापति : अभी तो शिक्षा पर बात चल रही है जब एप्रोप्रिएशन बिल आये तब कहना।

श्री खेतसिंह राठौड : इस डिमांड पर आप खूब बोल लीजिये शिक्षा पर चूंकि आप पहले बोले नहीं थे और दो अरब से भी ज्यादा की डिमान्ड है इसलिए आप इस पर जो कुछ भी आपके विचार है व्यक्त कीजिये।

श्री सभापति : पर कृपया सभी लोग अपना भाषण दस-दस मिनट तक सीमित

150



(श्री सभापति)
रखेंगे तो काफी सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, ठीक है।

श्री खेतसिंह राठोड : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था इस एक डिमांड पर खूब बोलिये, बड़ी डिमांड है जो कुछ भी विचार हो व्यक्त करें।

अनुपूरक अनु. की मांग संख्या 24 पर वाद-विवाद

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उदयपुर के अन्दर यह जो मीरा गर्ल्स कालेज, बी. एम. कालेज और एम. बी. कालेज के अन्दर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चल रही हैं उससे एकेडेमिक स्टेन्डर्ड बढ़ाने के अन्दर साज-सज्जा नहीं हो रही है। मां-बाप अपनी लड़कियों को मीरा गर्ल्स कालेज के अलावा एम. बी. कालेज में पढ़ने के लिए इसलिये नहीं भेजते कि एम. बी. कालेज का नया कैम्पस दूर पड़ता है। मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा राज्य मंत्रीजी निश्चित तौर पर घोषणा करें कि उदयपुर के अन्दर यदि हमें पी. जी. कालेज चलाना है, ढंग से चलाना है तो, जैसा मैंने आपको बताया कि उर्दू संस्कृत, फिलोसोफी साइकोलाजी, ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग के जो सब्जेक्ट नये कैम्पस के अन्दर चल रहे हैं वहां पर एक या दो लड़के पी. जी. के अन्दर पढ़ रहे हैं और जो सब्जेक्ट मीरा गर्ल्स कालेज के अन्दर चल रहे हैं, चाहे हिन्दी है, चाहे इकानामिक्स है, वहां पर सब गर्ल्स नहीं पढ़ रही हैं इसलिए हम जो शिक्षा के साथ जितना न्याय करना चाहते हैं उतना न्याय नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में भी स्पष्ट अपनी घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ नान-टीचिंग और स्टूडेन्ट्स दो विंग और हैं जिनका सीधा सम्बन्ध हायर एजूकेशन से है। मुझे कहते हुए दुख है कि नान टीचिंग स्टाफ के मेम्बर्स ने कुछ समय पहले राजस्थान में हड़ताल की। राजस्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपति महोदय ने कुछ निर्णय लिये कि दस साल की सर्विस पर हम प्रमोशन के ऐवेन्यूज करेंगे। मैं माननीय शिक्षा राज्य मंत्रीजी से चाहूंगा, चाहे नान-टीचिंग स्टाफ की समस्या हो, चाहे टीचिंग स्टाफ की समस्या हो, चाहे स्टूडेण्ट की समस्या हो, यूनिवर्सिटी के इन तीनों अंग, टीचर और नान-टीचिंग स्टाफ की समस्याओं का निराकरण एक ढंग से किया जाय और जो निर्णय एक विश्वविद्यालय में लागू हो वही निर्णय दूसरे विश्वविद्यालय में लागू होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर पिछले तीन-चार साल से स्टूडेण्ट्स संघ के चुनाव नहीं हुए। यदि हम यह निश्चित कर लें कि एक साल के अन्दर स्टूडेण्ट्स विंग के चुनाव होने चाहिए, मसलन एक संघ एकेडेमिक ईयर तक काम करेगा तो तीनों विश्वविद्यालय के अन्दर यह नियम लागू होना चाहिये। कहीं पर हम चुनाव करवाते हैं कहीं पर चुनाव नहीं करवाते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, आपको कहना चाहूंगा यू. जी. सी. के चेयरमैन, मिस्टर शाह ने सुझाव दिया है कि जहां तक सम्भव हो सके आप स्टूडेन्ट्स यूनियन को आप्शन कर

(श्री सी. पी. जोशी)

दीजिये , स्टूडेण्टस यूनियन को आब्शन होने के बाद जितनी एकेडेमिक अनार्की पैदा होती है वह अनार्की पैदा नहीं होगी। इस बारे में भी निश्ति तौर पर घोषणा करें कि स्टूडेण्टस यूनियन के इलेक्शन और प्रेसिडेण्ट एक साल एक एकेडेमिक इयर के लिये होगा स्टूडेण्ट्स यूनियन को मेम्बर शिप के लिये आप्शन होगा इससे जो स्टूडेण्ट्स पार्टीसीपेट करना चाहेंगे वह पार्टीसिपेट कर लेंगे और जो पार्टीसिपेट नहीं करना चाहेंगे वे नहीं करेंगे।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों विधान सभा के अन्दर वित मंत्री जी ने घोषणा की थी कि उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय करने की सरकार मंशा रख रही है। माननीय सभापति महोदय, यदि हमने यह सोच लिया निश्चित तौर पर कि उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय करना चाहते हैं तो उसके बाद में कुछ. . .

श्री सभापति : वह तो कर दिया गया है।

श्री सी. पी. जोशी : कर दिया गया नहीं है, करने की सरकार की मंशा हैं। वह केबिनेट से पास होगा, आर्डिनेन्स आयेगा वह अभी नहीं आया है। सरकार की मंशा है यह सरकार ऐसी नीयत रखती है। माननीय सभापति महोदय, इस निर्णय के साथ उदयपुर विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चरल चेन्ज की जो नीड है उसको यदि हम मीट आउट नहीं करेंगे तो, आई. सी. ए. आर. का पैसा तो एग्रीकल्चर के लिए आयेगा, वहां पर जो एकेडेमिक विंग है एम. बी. कालेज और ला कालेज, उनकी ग्रोथ रुक जायेगी। मैं कहना चाहूंगा कि जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में इतने स्टूडेण्ट्स एनरोल्ड हैं, उदयपुर विश्वविद्यालय को सेन्टर से ग्रांट लेने के लिए हम एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय कर रहे हैं इससे राजस्थान की हायर एजूकेशन में एक बहुत बड़ा चेन्ज आने वाला है। इसलिए माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह घोषणा कर कि जब हम कृषि विश्वविद्यालय करेंगे तो कृषि विश्वविद्यालय करने के साथ ही जो स्ट्रक्चरल चेन्जेज होंगे वह भी इसके साथ इन्कारपोरेट कर लिए जायेंगे कि बी. एम. कालेज इसके लिए रहेगा मीरा गर्ल्स कालेज इसके लिए रहेगा। साथ ही, एकेडेमिक विंग जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की है उसका कन्सेप्ट क्या रहेगा इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, जो तीनों विश्वविद्यालय के एक्ट एण्ड स्टेच्यूट हैं उन एक्ट एण्ड स्टेच्यूट में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है एक्ट 2 और स्टेच्यूट में आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो आज मेरा निवेदन है जितने एक्ट एण्ड स्टेच्यूट है वेरिडण्डेट हो गये हैं। कहीं पर हमने सिण्डीकेट बना रखी हैं, कहीं पर सीनेट बना रखी है कहीं पर येन केन प्रकेरण के ऊपर यूनिवर्सिटी का फंकशनिंग कर रखा है इसलिए। विश्वविद्यालयों में केव पैदा हो रहा है। मैं चाहूंगा कि को–आर्डिनेशन कमेटी के अन्दर एक बार वन्स फार आल हम यह निश्चित कर लें कि कौन से एक्ट एन्टेच्यूट में चेन्ज करना है। विश्वविद्यालय के उप कुलपति की टर्म कहीं पांच साल है कहीं तीन साल है, यह तीनों विश्वविद्यालय के अन्दर यूनिफा-

152



(श्री सी. पी. जोशी)

मिटी होना चाहिये। इसलिए मैं चाहूंगा सब निर्णय करने के बारे में माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री यह निश्चित तौर पर अपनी कुछ घोषणायें करें। साथ ही साथ कोग्राडिनेशन कमेटी के जो रूल्स और रेग्युलेशन्स हैं वह तीनों विश्वविद्यालय में एक साथ लागू होने चाहिये। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आज जोधपुर के अन्दर फिजिक्स के जो लेक्चरार हैं उनको 700-1600 की ग्रेड मिलती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर 700-1300 की ग्रेड मिलती है और उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर ग्रेड मिलने का फैसला ही नहीं हुआ। राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालय के अन्दर जो फिजिक्स सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, लाइब्रेरियन हैं उनके ग्रेड के बारे में फैसला नहीं कर पाये और को-आर्डिनेशन कमेटी की हम बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं चाहूंगा कि कोआर्डिनेशन कमेटी के निर्णय के साथ साथ जितनी भी समस्यायें स्टूडेण्ट्स की हैं, नान टीचिंग स्टाफ की हैं

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

(3.50 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति पदासीन)

**श्री सी. पी. जोशी** : और जो स्टूडेन्ट्स से सम्बन्ध रखती हैं उनका हल करें। माननीय सभापति महोदय, यह तो मुझे कुछ हायर एजूकेशन के बारे में कहना है।

मैं प्राइमरी और सैकण्डरी एजुकेशन के बारे में केवल मात्र यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने स्वयं, जो हमारी मन्त्री कमला जी हैं उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि दो सौ ऐसे भवन जो आज गिरे या कल गिरे की स्थिति में हैं। वह स्वयं इस बात से चिन्तित है, वह जानती हैं कि प्राइमरी स्कूल के अन्दर पांच हजार या आठ हजार टीचर्स की पोस्ट वैकेन्ट है। वह स्वयं इस बात को जानती हैं कि एक स्कूल को प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में अपग्रेड करते हैं तो वहां एक साल तक मास्टर नहीं भेजते, सैकण्ड ग्रेड का। वह स्वयं इस बात को जानती हैं कि हम सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में अपग्रेड करते हैं तो एक एक साल, दो-दो साल तक सीनियर टीचर नहीं पहुंच पाते है। मुझे खुशी है कि यह कुछ कमी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। लेकिन राजस्थान सरकार को एक बात का निश्चित तौर पर निर्णय लेना पड़ेगा, यदि हम चाहते हैं कि हर पंचायत लेवल पर एक मिडिल स्कूल हो तो, माननीय मन्त्री महोदया, यह करें कि राजस्थान की जितने पंचायत मुख्यालय हैं, जहां मिडिल स्कूल नहीं हैं वहां आप मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध करा दीजिये। जिन-जिन पंचायत समिति के अन्दर हायर सैकण्डरी स्कूल की सुविधा नहीं है वहां एक हायर सैकण्डरी स्कूल की सुविधा उपलब्ध कर दीजिये। जिन-जिन पंचायत समिति में एक सैकण्डरी स्कूल नहीं है, दो सैकण्डरी स्कूल नहीं है वहां सैकण्डरी स्कूल की सुविधा उपलब्ध कर दीजिये। आज हालत यह हो गई है, माननीय सभापति महोदय, नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति खमनोर के अन्दर एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। हमने मंत्री महोदय को कहा कि 1985 से नाथद्वारा के अन्दर गर्ल्स का सैकण्डरी स्कूल है उसको हायर सैकण्डरी स्कूल करना जरूरी है, इसके साथ साथ पंचायत मुख्यालय में एक हायर सैकण्डरी

(श्री सी. पी. जोशी)

स्कूल करना जरूरी है। किसी पंचायत समिति में एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं, कहीं 5-5, 7-7 पंचायत के हैडक्वाटर पर एक भी मिडिल स्कूल नहीं, यह शिक्षा के प्रति यह न्याय नहीं, अन्याय है। हम केवल मात्र सोच लें कि यहां हमको सैकण्डरी स्कूल या हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलना है। उसके बनिस्पत छठी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य बना लें कि राजस्थान के हर पंचायत मुख्यालय पर एक मिडिल स्कूल खोल देंगे, हर पंचायत समिति में कम से कम एक हायर सैकण्डरी स्कूल और चार सैकण्डरी स्कूल्स की सुविधायें उपलब्ध करा देंगे। जिन-जिन जगह यह सुविधा नहीं है, वह उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक शिक्षा का हम सही मायने में उपयोग नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय, हमें अभी तक यह भी मालूम नहीं कि राजस्थान सरकार 10 प्लस 2 की स्कीम लागू करने जा रही है या नहीं? राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय घोषणा कर रहे हैं कि हम 10 प्लस 2 की स्कीम लागू करेंगे, उसके एक साल बाद सैकण्डरी स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल में कनवर्ट करने की बात आयेगी। तो हमारी सरकार अपनी मन्शा को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करके घोषणा करे कि हम 10 प्लस 2 की स्कीम लागू करेंगे। यदि घोषणा नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं इस बात को जानता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में एजूकेशन पर राजस्थान का जितना बजट है उतना हम कन्ज्यूम कर चुके हैं इसलिये 1984-85 के लिए मैं ज्यादा ओप्टीमिज्म नहीं हूं। लेकिन मंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि जो सातवीं पंचवर्षीय योजना आने वाली है उसके अन्दर एकेडेमिक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए हम निश्चय कर लें कि जहां पर शाला का भवन नहीं है, खोलने के लिए बिल्डिंग नहीं है, वहां बिल्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। शहरों के अन्दर स्कूल भवन की जो हालत है उसको सुधार देंगे। जब तक हम मेंटीनेन्स का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक एजूकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पायेंगे।

माननीय सभापति जी, मुझे कहते हुए दुःख होता है राजस्थान में पिछले दो तीन साल में हमने जगह जगह एग्रीकल्चर का विषय खोल दिया लेकिन स्कूलों के अन्दर एग्रीकल्चर के लिये भूमि भी नहीं है। जहां भूमि नहीं हो वहां आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खोल दें तो लड़कों को प्रेक्टिकल ट्रेनिंग कैसे दे पायेंगे? मैं चाहूंगा जो एजूकेशन में कमी है उसकी पूर्ति के लिये सातवीं योजना में नया कोई स्कूल न खोलें, केवल प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलें। सैकण्ड्री व हायर सैकण्ड्री स्कूल खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने स्कूल पहले से खुले हुए हैं उनको वैल इक्विप्ड कर दें तभी हम समझेंगे कि एजूकेशन के अन्दर आधार भूत चेन्ज कर पाये हैं।

मैं इसके साथ साथ यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कला और संस्कृति विभाग खोला है . . .

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : कला और संस्कृति विभाग में जो हमने एकेडेमीज बनाई है उन

(श्री सी. पी. जोशी)

अकादमियों के अन्दर जो हालात हैं, मैं एक आदमी का उदहारण देना चाहता हूं मैं चाहूंगा मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्ट करें एक ललित कला अकादमी राजस्थान में काम कर रही है, उस ललित कला अकादमी के जो आफिस बियरर्स हैं वे ही जज हैं और खुद ही अपने को अवार्ड करके राजस्थान के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी में जो आफिस बियरर्स हैं और जो जज बनकर एक दूसरे की पेन्टिग देखकर अवार्ड दे रहे हैं, वह आर्टिस्ट के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। आज हालत यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पी. जी. डिपार्टमेंट चल रहा है उदयपुर व जोधपुर युनिवर्सिटी में पी. जी. डिपार्टमेंट चल रहा है, उसके रीडर्स और प्रोफेसर्स ललित कला अकादमी के मेम्बर्स नहीं हैं, दूसरे आर्टिस्ट के नाम हैं। पता नहीं कौन कौन से मेम्बर्स बनाए गए हैं। इसलिए ललित कला अकादमी में स्ट्रक्चरल चेंजेज करके यह कण्डीशन डाल दें कि तीनों विश्वविद्यालय का कम से कम एक टीचर ललित कला अकादमी का सदस्य होगा और जो उसका सदस्य होगा वह स्वयं कम्पीटीशन में भाग नहीं लेंगे ताकि वह नहीं ले सकेंगे यह आधार भूत चेंज करें।

उसके साथ ही जो उर्दू अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी, संगीत अकादमी है, इन अकादमियों के नाम से मुझे एवर्शन है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब कला व संस्कृति का अलग विभाग खोल दिया है तब ये जितनी अकादमियां है वे रिडन्डेंट हो जाती हैं। यदि आप चाहते है कि कला व संस्कृति विभाग मंत्री इफैक्टिकली काम करें तो हम इन सारी अकादमियों को बंद करके सारे पैसे को इस डिपार्टमेंट में डाइवर्ट करना पड़ेगा; अन्यथा हालत यह हो जाएगी मंत्री महोदय तो सिर्फ कहलायेंगे कि वह राज्य मंत्री हैं कला और संस्कृति विभाग के। जो चेयरमैन हैं ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी के, उनकी फंक्शनिंग में मंत्री की बात वे नहीं मानते तो मंत्री महोदय के फंक्शनिंग का मतलब नहीं होता और उसकी अकाउन्टेबिलिटी सदन को कुछ नहीं हो पाती। इसलिए मैं चाहूंगा कि कला व संस्कृति विभाग की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया जाय।

सभापति महोदय, राजस्थान में जो पुरातत्व विभाग है उसके डायरेक्टर की पोस्ट आज तक वैकेन्ट है। इसके बारे में अभी तक फैसला नहीं कर पाए। जो रॉका साहब काम कर रहे हैं उनकी एफीशिएसी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो कल्चरल हैरिटेज राजस्थान की है उसको सुरक्षित रखने का काम आप डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के आदमी के भरोसे पर छोड़ देंगे तो राजस्थान में आने वाले पर्यटक दुखी होकर चले जायेंगे। यह राजस्थान की रेवेन्यु का बहुत बड़ा सोर्स है। हम रिच भी हैं कल्चर में। कल्चर को नहीं जानने वाले आदमी को इन्चार्ज बनाया हुआ हैं। जो पुराने राजा-महाराजा जागीरदार हैं उनके यहां जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेवाओं का उपयोग करके कला एवं संस्कृति विभाग का काम अच्छा कर दें तो राजस्थान की रेवेन्यु बढ़ाने में बहुत बडा रोल अदा कर पायेंगे।

इसी आशा और विश्वास के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि हम इन करेक्टिव

(श्री सी. पी. जोशी)

सेजर्स को लेकर शिक्षा के लिये राजस्थान में कुछ कर पायेंगे। वैसे शिक्षा का जो प्रतिशत है हिन्दुस्तान के लेविल पर, उसमें राजस्थान नीचे से दूसरे नम्बर पर है। खास तौर से, गर्ल्स एजूकेशन का पर्सेन्टेज बहुत कम है हमारे यहां। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में घोषणा करें जिससे हम कुछ कर सकें और राजस्थान के भाग्य निर्माण में साझेदार बन सकें।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांगों के तहत राजस्थान की शिक्षा के बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमें राजस्थान में शिक्षा का पर्सेन्टेज हर समय ध्यान रखना चाहिये। हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में हम सबसे अंतिम स्थान पर हैं, 17 वें स्थान पर हैं। बजट का एलाकेशन करते समय या बजट बांटते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिसको साक्षार कहते हैं हमारे यहां उनका प्रतिशत जल्दी से जल्दी किस तरह से बढ़े। इस बारे में हमको चिंता करनी चाहिये। जिस प्रकार के आंकड़े इस बजट के अंदर हैं उनको देखने से पता लगता है कि हमारा जो 261 करोड़ का टोटल बजट है एजूकेशन का जिसमें ट्राइबल का बजट भी मिलाया गया है, इसमें प्राइमरी एजूकेशन पर केवल 134 करोड़ रुपये हैं। इससे पहले जो आपने आय-व्ययक प्रस्तुत किया था 1932-83 का उसके अनुसार तो जो प्राइमरी एजूकेशन पर खर्चा था वह 179 करोड़ में से 106 करोड़ था। प्राइमरी एजूकेशन के लिये 1982-83 का जो आय व्ययक बजट था वह इसके हिसाब से 60 प्रतिशत था लेकिन इस बजट प्रोविजन को देखने से ऐसा लगता है कि केवल 51 प्रतिशत हम प्राइमरी एजूकेशन पर खर्च कर रहे हैं। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यह ध्यान रखा कि प्राइमरी एजूकेशन पर जो 60 प्रतिशत बजट अब तक था, इस बार केवल 51 प्रतिशत बजट क्यों रखा ? इसके पीछे सोचने का दृष्टिकोण क्या था ?

सभापति महोदय, इसी तरह से माध्यमिक स्कूलों का बजट है वह 87 करोड़ का है, विशेष शिक्षा के नाम से 4 करोड़ रुपये रखे हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा पर 35 करोड है, तकनीकी शिक्षा पर 3 करोड और अनुसन्धान के लिये 58 लाख रुपये रखे हैं यह अनुसंधान कहां होता है ? अगर होता है तो मैं यह नहीं समझ पाया, तीन साल की प्रगति रिपोर्ट मेरे पास है इस प्रगति रिपोर्ट में अनुसंधान करने वाली संस्था का नाम कैसे गायब है ? जिस संस्था को हम 58 लाख रुपये साल का देते हैं, जिसको यूनीसेफ से भी लगभग 50 लाख से ज्यादा मिलता है उस एस.आई.आर.टी. का इस प्रगति विवरण में जिक्र क्यों नहीं है ? किस कारण से लगातार तीन वर्षों से आपके इस प्रगति विवरण में यह छूट गया ? वास्तव में एक और आपका जो डाइरेक्टर सेकेण्डरी और प्राइमरी एजूकेशन है, वह अपना अलग फंक्शन करता है लेकिन सलेबस बनाने में, शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये जो एस. आई. आर. टी. का उपयोग

156



(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है उस दृष्टि से आप बिल्कुल मौन हैं। इसका मतलब ऐसा लगता है कि आपको इस 58 लाख के बारे में कोई चिन्ता नहीं है या शायद ऐसा समझते हैं कि 58 लाख कोई महत्व नहीं रखते। जो छोटी छोटी अकादमी जैसे संस्कृत अकादमी है, इसका 2.35 लाख का बजट है, उसका विवरण तो बिलकुल तैयार है लेकिन इतनी बड़ी संस्था जो चल रही, जो देश में अपना विशेष प्रकार का महत्व रखती है, यह दुर्भाग्य है कि वहां जिस प्रकार का काम होना चाहिए जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी तुलना में काम नहीं हो रहा है। उसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी प्रकार का काम नहीं कर रही है। हम जो एक करोड़ रुपया वेस्ट कर रहे हैं प्रगति विवरण में उसका नामो निशान नहीं है। आप समझते हैं कि राजस्थान के लोग यह जानते नहीं कि एस. आई. आर. टी. नाम की कोई संस्था राजस्थान में कहीं चलती है। नहीं तो आखिर ऐसा क्यों किया।

यही नहीं, मुझे आश्चर्य यह हुआ कि आपने इन बढ़िया शिक्षा के लिए विभिन्न विद्यालय भवन के निर्माण में जो खर्चा किया; इस वर्ष के बजट में जो आपने प्रावधान रखा उदयपुर ने क्या पाप किया जो एक पैसा, फूटी कौड़ी भी उसके लिए नहीं रखी? प्रारंभिक शिक्षा में आपका बजट पिछली बार 1982-83 में 39.29 लाख का था, निर्माण कार्यों के लिए। इस बार घटाया आपने निर्माण कार्यों में। इस साल बजट घटाया है। पिछले साल 39.29 लाख का प्रावधान इस साल 31.75 लाख का है लेकिन उदयपुर जिले के लिए एक पैसा भी नहीं है। माध्यमिक शिक्षा में आपने 1.83 करोड़ पिछली बार रखे थे, निर्माण के लिए। इस बार आपने केवल 59 लाख, 16 हजार रुपये रखा इसमें उदयपुर जिले को 1.90 लाख मिला है। 1.83 करोड़ पिछली बार था और इस बार 59 लाख है जिसमें से उदयपुर को केवल 1.90 लाख मिला।

विश्वविद्यालय शिक्षा में 10 लाख का पिछले साल प्रावधान था। इस बार 10 लाख 45 हजार रुपये का है। उदयपुर जिले में तकनीकी शिक्षा पर जहां नौ लाख का प्रावधान पहले था उसको घटाकर इस बार चार लाख पचास हजार कर दिया। उदयपुर जिले में पिछली बार दो लाख छियालीस हजार रुपये निर्माण कार्यों पर रखे, इस बार केवल एक लाख अड़तालीस हजार रुपये आपने रखे। उदयपुर जिले में ग्रन्थ प्रचार पर 14 लाख 82 हजार रुपये पिछले सत्र में रखे, इस बार आपने 14 लाख 39 हजार रुपये रखे। पिछले वर्ष जो निर्माण कार्यों पर कुल 2 करोड़ 67 लाख था इस बार उसको घटकर आपने केवल 1 करोड़ 41 लाख रखा। तो क्या इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि निर्माण कार्यों में या शिक्षा के गुणात्मक विकास में वृद्धि कर रहे हैं? यहां हम और घट रहे हैं। इसका कारण क्या है? आंकड़ों से जरूर यह लगता है कि शिक्षा का बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जरूर हमने बढ़ाया। ऐसा इसलिए लगता है कि पिछले वर्ष हमने 288 करोड़ कुल खर्च किया था और इस साल 261 करोड़ का प्रावधान रखा है। यह 33 करोड़ बढ़ा है, यह बात समझ में आ रही है लेकिन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इसको बढ़ाने के बाद भी आखिर हमने प्राइ–मरी एजुकेशन को क्यों वंचित रखा? स्पेशली उदयपुर जिले को किसी प्रकार से कहीं का नहीं रखा। यह तर्क आप जरूर देंगे कि कुछ पैसा हमने ट्राइबल्स के लिये रखा है और वह ट्राइबल का पैसा है। लेकिन उदयपुर जिले का सारा भाग ट्राइबल एरिया में कवर नहीं होता है। 6 तहसीलें ऐसी हैं जो ट्राइबल एरिया नहीं है उसके कारण से उनमें किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो पायेगा। यहां तक कि उदयपुर जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ है जबकि बाकी सब जगह पर आपने जिला शिक्षाधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर के आफिसेज बनाये हैं। उदयपुर जिले में नहीं बनाये हैं। मैं, शिक्षा मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई संकण्डरी के प्रधान अध्यापक की, इसके बारे में आपने देखने की कोशिश की किस प्रकार से अनियमितताएं हुई? उन अनियमितताओं की तह में जाकर क्या आपने उसमें सुधार करने की कोशिश की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह जो 33 लोग हैं इनके रोल नम्बर्स मेरे पास हैं और हमने विभिन्न अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, यह 33 लोग परीक्षा में पास नहीं हुए लेकिन इन लोगों का चयन किया? परीक्षा में जो पास नहीं हुए उनका चयन किया। आपका तर्क यह है, चूंकि यह एस. सी. और एस. टी. के हैं इसलिए चयन किया। कोई एतराज नहीं अगर आपने इस कारण से इनका चयन किया लेकिन जिस दिन आपने विज्ञापन दिया उस दिन अगर आप कण्डीशन डाल देते कि एस. सी. और एस. टी. के जो लोग परीक्षा नहीं देंगे या परीक्षा में नहीं बैठेंगे उनको भी हम इसी के समकक्ष ट्रीट करके मेरिट के आधार पर रख लेंगे। श्रीमन्, जिन लोगों ने इसके लिए फार्म ही नहीं भरा, जिन्होंने एप्लाई नहीं किया वे लोग इस अवसर से वंचित रह गये। क्या आप इसको देखेंगे? क्या आपने विभिन्न सेंटर्स के रिजल्ट्स के पर्सेन्टेज देखे? कहीं एक सेंटर पर 33 पर्सेन्ट रिजल्ट आ रहा है और दूसरा सेंटर, जो जयपुर का ही सेंटर है, पर 6 पर्सेन्ट रिजल्ट आ रहा है। आखिर यह अनियमितता क्यों हुई? जबकि बीकानेर, उदयपुर और कोटा के सेंटर्स पर लगभग एक प्रतिशत का वेरीएशन है। कहीं पर 17 पर्सेंट रिजल्ट है तो कहीं 17 प्रतिशत है, कहीं 12 प्रतिशत है तो कहीं 11 प्रतिशत है लेकिन अजमेर और जयपुर में क्या खासियत है कि राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में एक सेंटर पर 30 प्रतिशत लोग पास हुए और उसके बाद जैसे ही अगला रोल नम्बर शुरू होता है वहां प्रतिशत सिर्फ 9 आ गया? इसमें कहीं परीक्षा सेंटर के आधार पर अनियमितता तो नहीं हुई? आपने कुछ ऐसे लोगों को भी सलेक्ट किया जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिट नहीं होते हैं। पांच साल का अनुभव उनको नहीं है तो भी उनको इंटरव्यू के बाद सलेक्ट किया। मैं यह चाहूंगा कि इसके बारे में आपको समय-समय पर ज्ञापन दिये उनको देखें कि यह अनियमितताएं क्यों हुई? किस कारण से हुई? इतने बड़े स्थान के लिए जो सलेक्शन होता है उसमें भी अगर अध्यापकों के साथ न्याय नहीं होगा तो फिर आप उससे यह कल्पना मत करना कि वह राजस्थान में ऐसे लोगों का निर्माण करेगा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो इन सब बातों से ऊपर उठकर अपने प्रांत के बारे में सोचेंगे। उनको मजबूर होकर यह सोचना पड़ेगा कि जब मेरे सलेक्शन में इस तरह की अनियमितता हो सकती है तो मैं किस प्रकार के बालक का निर्माण करूंगा। मंत्री महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जो हम आपको ध्यान में भी लाए हैं उदयपुर में जो उप जिला शिक्षा अधिकारी, महिला हैं उनके यहां एक ट्रांसफर आर्डर पहुंचा, 14 लोगों का वह ट्रांसफर आर्डर फर्जी है, बिलकुल फर्जी है, बिलकुल फर्जी है। आपके यहां के नम्बर एफ–7154129, 2212 (ग्रुप-4) शिक्षा, डालकर 29–9–82 एक आदेश यहां से प्रसारित हुआ। उसमें 14 लोगों के स्थानान्तरण वहां से यहां कर दिये सबको उदयपुर में ले आये। बहुत दिनों के बाद लोगों को पता लगा कि आखिर यह 14 लोग सारे के सारे इस तरह कैसे उदयपुर में आ गये, एक ट्रांसफर आर्डर से। इसकी छानबीन की तो पता लगा कि यह फर्जी आर्डर है। हमने कहा, यह फर्जी आर्डर है तो आखिर इन 14 लोगों में से कोई न कोई जरूर इससे कनेक्टेड होगा जिसको इससे लाभ मिला हो। लेकिन आपने कोई छानबीन नहीं की। ज्यादा कोशिश करने के बाद आपने उन 14 लोगों में चार लोगों के स्थानान्तरण भीलवाड़ा और दूर-दराज के क्षेत्रों में कर दिया। आपने उन चारों को ही क्यों दण्ड दिया? अगर वह चार जुल्मी हैं, अगर उन्होंने गलत आर्डर निकाले तो उनको सजा दो। अगर वह नहीं है तो उन 14 लोगों को जहां से वे आये हैं वहां वापस भेजा जाए लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। यह मिलीभगत के कारण इस प्रकार से गलत आर्डर हुआ है। आप कहते हैं कि गांव में अध्यापक क्यों नहीं है। मैं आपको आज भी कहना चाहूंगा, जब कि हम यह कहते हैं अस्थाई लोगों के स्थानान्तरण नहीं होते हैं लेकिन उदयपुर नगर में आज भी कई अस्थाई लोग स्थानान्तरण कराकर बैठे हुए हैं। प्रतिनियुक्ति पर भेजना आपने बिल्कुल बन्द कर रखा है। आप जानकारी करिये उदयपुर के जिला शिक्षाधिकारी से, कितने लोगों को उदयपुर में प्रतिनियुक्ति पर रखा है? वे तनख्वाहें उठाते हैं गांव के स्कूल से और बैठे हुए हैं सारे उदयपुर में। इसके कारण बाहर के स्कूल सफर कर रहे हैं।

श्रीमन्, हमारे यहां समान परीक्षा की प्रणाली दो साल पूर्व शुरू की थी। यह समान शिक्षा प्रणाली नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के प्रवेश का कदम है। मैं ऐसा मानता हूं कि बाकी सारे विभागों में भ्रष्टाचार हो उसका इतना दुःख नहीं होगा लेकिन जिस चीज को हम बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हम भविष्य की कल्पना करते हैं उसमें भ्रष्टाचार हो और शिक्षा शास्त्री वह भ्रष्टाचार करें, इससे ज्यादा दुःख होगा। आप उदयपुर की समान शिक्षा के बारे में पता कर लीजिए। जिस प्रकार से पेपर छपाये गये अजमेर में, उसके टेण्डर कब काल हुए? पहले टेण्डर क्यों कैंसिल किये? दुबारा किस आदमी के टेण्डर आये? किस आधार पर टेण्डर दिया? जो पेपर उन्होंने दिया वही पेपर है या घटिया क्वालिटी का है? श्रीमन् परीक्षाओं के पेपर समय पर नहीं आने से उदयपुर जिले के पांचों सेंटर पर पांच बार अध्यापकों को बुलाकर पेपर का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वितरण किया गया। इनका कितना टी. ए. और डी. ए. बना? कभी किसी ने विचार किया कि 22 दिसम्बर से परीक्षा शुरू हुई और 23 जनवरी के दिन परीक्षा समाप्त हुई, एक महीना परीक्षा चलने के कारण सारे जो विद्यालय बन्द रहे, क्या आपका जिला शिक्षा अधिकारी और वहां के अन्य अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि ये अनियमिततायें किस कारण से हुई? यही नहीं, श्रीमन् हमें तो ऐसा लगता है कि अब तो शिक्षा विभाग की भी स्थिति ठीक नहीं रही है। जिला शिक्षाधिकारी, उदयपुर ने कुछ सामान खरीद कर विभिन्न स्कूल में भेजा। कहते हुए शर्म आती है कि ऐसी छोटी-छोटी और घटिया बात करने लगे हैं उन्होंने सारे स्कूलों को चरू खरीद कर सप्लाई किया, पानी पीने के लिए चरू, जो जग की तरह होता है, राम सागर, यह दो तीन आइटम उन्होंने सप्लाई किये। आप इसकी जांच करायें। दो किलो पांच सौ ग्राम का वजन चरू का लिखा। सारे स्थानों पर चारू हमने देखा, तोला तो दो किलो एक सौ पचास ग्राम वजन निकला।

राम सागर की तो कीमत लिख दी वजन ही नहीं लिखा ताकि कोई आदमी पता ही नहीं लगा सके कि किस तरह से क्या है। इस तरह से खरीद करके इस शिक्षा विभाग को जिस ढंग से करप्ट करते चले जा रहे हैं इसके बारे में विचार करिये। सबसे आवश्यक बात यह है, यदि वास्तव में हम यह चाहते हैं कि जिस प्रकार से गुजरात और महाराष्ट्र में शिक्षा का प्रसार हुआ है वैसे ही राजस्थान में हो, मेरा ऐसा अनुमान है, इसमें सबसे अधिक रोल निजी शिक्षण संस्थाओं का है लेकिन हमारे यह निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए हम ऐसा समझते हैं कि निजी शिक्षण संस्थाएं तो कोई योग ही नहीं देती हैं। आपने निजी शिक्षण संस्थाओं को जिस प्रकार से अनुदान दे रखा है, जिस प्रकार से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, प्राइमरी शिक्षा का जितना बजट है उसका अनुदान के रूप में आप प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को देते हैं। 134 करोड़ का दो प्रतिशत, केवल 3.51 करोड़ रुपया होता है। माध्यमिक शिक्षा के लिए आप केवल पांच प्रतिशत अनुदान देते हैं। आपने अनुदान देने का जो नियम तय किया है, सन् 1967 के नियम हैं। उन नियमों के अनुसार अनुदान देते हैं। उस समय कागज का भाव प्रति रिम पांच रुपये से लेकर 18 रुपये था आज 125 रुपये रिम है। उसी तरह से हर चीज की कीमत बढ़ी हैं। 1967 के आधार पर अगर निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देंगे तो यह उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। कृपा करके आप इसके बारे में फिर से विचार कीजिए।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा। बाकी सब लोगों को मकान किराया, मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट की सुविधा दे सकते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के टीचर ने क्या गुनाह किया है? मैनेजमेंट केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में है किन्तु उसमें काम करने वाले जो अध्यापक हैं वह भी पढ़े-लिखे हैं, ऐसा तो नहीं कि वह सब अनपढ़ हैं इसलिए वहां काम कर रहे हैं। उनको भी मकान भत्ता, मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए। उनकी सेवा सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहां 1978 में एक बिल आया था सेवा-सुरक्षा का, लेकिन किन्हीं कारणों से वह वापस ले लिया गया।

160



(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैं चाहूंगा कि कम से कम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करने वालों को भगवान के भरोसे मत छोड़िये। आप बराबर उन पर निगाह रखिये। मैं तो कहता हूं उनको पेमेंट ट्रेजरी से राज्य सरकार करें। राज्य सरकार को यह पता है कि सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सहायता के नाते कुछ रसीद काटकर पैसा लेते हैं। आप उनको पूरी छूट दीजिए कि आप पैसा लीजिए और हमारे खाते में जमा करवाइये। इतना पर्सेंट आप जमा करवायेंगे तो बाकी पेमेंट हम ट्रेजरी से उन अध्यापकों का करवायेंगे। इससे जहां एक तरफ अध्यापकों का भला होगा, वहां दूसरी तरफ हम उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी कुछ भला कर पायेंगे। श्रीमन्, आपने नेरी बेतनमान का इतना बड़ा हौवा दिखाया अध्यापकों को जिसके कारण से अध्यापकों ने सोचा कि हमको कुछ न कुछ मिलेगा लेकिन आपने नये वेतनमान इस तरह से बनाये कि उनको कुछ नहीं मिला बल्कि अपनी गांठ का पैसा राज्य के खजाने में जमा करना होगा। आप फिर से विचार कीजिए। जो पी. एच. डी. हैं उनको तीन इन्क्रीमेंट मिलेंगे, जो सीनियर टीचर्स हैं उनको 26(1) का लाभ मिलेगा। उनको लोअर वेतनमान में एक वेतन-वृद्धि मिलेगी और एक अपर की मिलेगी लेकिन उसके बारे में किसी प्रकार का कुछ नहीं है।

सभापति महोदया, मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान में एक प्रयोग करिये, गर्मियों की छुट्टियों में दो महिने तक स्कूल बन्द कर देने वाली बात शायद यह कोई बहुत हितकारी नहीं है, इसके बारे में विचार कीजिए। इन दिनों को घटाइये, विद्यार्थियों की जो रेगुलर पढ़ाई है उसको किसी प्रकार से बढ़ाना पड़े तो उसको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बढ़ाइये। शिक्षक को भी यह जो छुट्टियां मिलती हैं आकस्मिक अवकाश के अलावा कुछ छुट्टियां और दीजिए जो वह चाहे कभी, लो ले सके। आपने केवल 3 छुट्टियां दी हैं। इसी तरह से उसको मकान भत्ता ग्रामीण भत्ता देने के बारे में भी आप विचार कीजिए। उनके वेतनमानों को सुधारने का प्रयत्न कीजिए। और आप चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग आयें तो आपको निश्चित रूप से उनके आकर्षण का केन्द्र, जो उनकी तनख्वाह है बढ़ानी होगी। यह कोई पी. डब्लू. डी. थोड़े ही है जो कहीं से पैसा आ जायेगा और उससे पेट भर लेंगे। इसी के आधार पर वह जिन्दा रह कर लोगों के मनोबल और जीवन स्तर को ठीक करने के लिए जो कल्पना उनके मन में है उसको पूरा कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से आप इसकी व्यवस्था कीजिए कि वह ठीक प्रकार से कार्य कर सकें।

उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस बात को फिर उठा रहा हूं कि आखिर उदयपुर विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर श्री राजनाथ सिंह को जो चार्जशीट दी गयी उसके जो 5 मुद्दे, 6 मुद्दे हैं वे आप सदन में पढ़कर हमें बता दीजिये। मैं आज आपसे यह पूछना चाहता हूं कि उन 6 में से आज की तारीख में कौन से नहीं हैं। वही की वही अनियमिततायें आज भी हैं, युजूअल हैं। सिंह कमिशन की रिपोर्ट में भी सारी अनियमिततायें थीं। उसमें राजनाथ सिंह जी कहां इनवाल्व्ड हैं, मुझे यह समझ

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में नहीं आया। आज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि वह गुनाहगार हैं. आपने कहा कि उन्होंने भारी अनिमिततायें कीं, तो फांसी लगा दो। भारी अनियमितता करने वालों को पुरस्कार क्यों दिया, मेरा यह आपसे सीधा प्रश्न है ? इसका मतलब हमारे मन में कहीं न कहीं चोर है ? हमने देश में हिन्दुस्तान में ऐसा उदाहरण रखा है कि एक शिक्षा शास्त्री, जो वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र से आया था, इस प्रकार लांछित और अपमानित किया यह उसका अपमान नहीं है, यह शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों का अपमान है जो कि स्वाभिमान के आधार पर इस शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं। आपने एक आई. ए. एस. आफिसर बना दिया वह खुदा का फरिश्ता हो गया क्या ? एक बी.ए., बी. काम. बी. एस. सी. पास व्यक्ति अपनी कुछ अच्छी क्वालीफिकेशन के कारण आई. ए. एस. बन गया इसके कारण वह खुदा का फरिश्ता नहीं बन गया। एक शिक्षा शास्त्री, जिसने जिन्दगी भर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया केवल किसी से राजनैतिक तालमेल नहीं बैठने के कारण आपने उसको जिस प्रकार से अपमानित किया, जब मैं आज आपसे पूछता हूं कि अपमानित किया तो उसको वापिस ड्यूटी ज्वोइन क्यों करवाई ? ड्यूटी ज्वाइन कराने के बाद उन से त्याग पत्र लिखवाया। त्याग पत्र में आपने यह सब शर्तें मानी कि जिस दिन सस्पेण्ड किया उस दिन से लेकर जितनी टर्म उनकी बाकी थी ढाई साल, तीन साल का सारा पैसा, सारा हिसाब किताब आपने किया। जब आप उनका गुनाह मानते हैं उन्होंने भारी अनियमिततायें की हैं तो हमारे राज्य के खजाने का पैसा देकर उनको रवाना क्यों किया ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह अनियमितता उदयपुर विश्वविद्यालय की आज आपको पता नहीं है क्या ? आज आप अनजान हैं उदयपुर विश्वविद्यालय की अनियमितताओं से। मैं विधान सभा में कई प्रश्नों के माध्यम से आपकी जानकारी में लाया हूं लेकिन फिर भी, आप नहीं करना चाहते तो यह आपकी इच्छा है। मैं उस बारे में नहीं कह सकता हूं।

हमारे यहां सलेक्शन में अनियमिततायें हुई हैं। हमारे यहां डीन का सलेक्शन एक प्रोफेसर आकर कर रहा है। वह क्वालीफिकेशन में उससे कम है। जो व्यक्ति डीन के नीचे रहा हुआ है, जिसने उसके नीचे रह कर नौकरी की वह हमारे यहां डीन का सलेक्शन करने आया। हमने कहा कि क्या एकेडेमिक कौंसिल से अप्रूवल ले ली, आपने उसको गोल माल कर दिया। आखिर कोई सिस्टम होता है। उस वाइस चान्सलर ने इतनी मनमानी की तो क्यों की ? आप उसको कम से कम यह तो पूछें कि तुमने यह एप्रूवल क्यों नहीं ली ? किस कारण से नहीं ली ? और इसके बारे में आप पूछ सकते हैं तो ? आज दिन तक कभी आपने ऐसा विज्ञापन पढ़ा है, प्राइमरी स्कूल के मास्टर का जब सलेक्शन करते है शिक्षा विभाग में, तब भी यह विज्ञप्ति निकालते हैं कि इतनी तारीख तक आपको अपना आवेदन पत्र भेजना पड़ेगा उसके बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं होगा। उसके बाद मेरिट बनाते हैं और मेरिट के आधार पर उसको नौकरी में लिया जाता है लेकिन यह उदयपुर विश्वविद्यालय उस प्राइमरी शिक्षा विभाग से भी गया बीता है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आप घंटी बजा रही हैं इसलिए अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। उस विज्ञापन में लिखा है कि वाइस चान्सलर चाहे तब उसकी योग्यता को कम कर सकता है, बढ़ा सकता हैं, घटा सकता है। जिन लोगों ने उस समय में अपनी एप्लीकेशन नहीं दी, इन्टरव्यू के तीन दिन पहले उन्होने फार्म भरवाया अपने परिचित लोगों से और उनको यूनिवर्सिटी में सलेक्ट कर लिया। मैं यही चाहूंगा कि आप उन सारी एप्लीकेशन्स को मंगवाइये और देखिए कि जिन्होने समयावधि निकल जाने के बाद फार्म भरे उनमें से कितने लोग आज उदयपुर यूनिवर्सिटी में सलेक्ट होकर बैठे हुए हैं।

आपने आज दिन तक कभी सुना, केवल 4 या 5 नम्बर का ग्रेस मिलता है प्राइमरी स्कूल में, तीसरी चौथी कक्षा का जो रिजल्ट बनाते हैं उनमें भी केवल 5 नम्बर या ज्यादा से ज्यादा 8 नम्बर का ग्रेस मिलता है लेकिन उदयपुर यूनिवर्सिटी है जिसने 30 नम्बर का ग्रेस दिया। 15 और 30 नम्बर का ग्रेस दिया हैं। उठाइये अपने रिकार्ड को, जिन लोगों ने दो दो पेपर्स नहीं दिये दो पेपर्स नहीं देने के बाद भी उनको ग्रेस देकर अगली कक्षा में बैठाया। वाक आउट के कारण उनका क्या कसूर था जिसको मजबूरी में निकलना पड़ा। आज दिन तक आपने भी किसी यूनिवर्सिटी के लिए सुना है कि जिस यूनिवर्सिटी की ला कालेज का फाइनल ईयर का रिजल्ट जीरो पर्सेन्ट रहा हिन्दुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहां फाइनल ईयर एल. एल. बी. का रिजल्ट जीरो पर्सेन्ट रहा हो। वह उदयपुर यूनिवर्सिटी में रहा है। किस कारण से रहा कि पहले पेपर में वाक आउट हुआ, वाक आउट होने के बाद वाइस चान्सलर ने विद्यार्थियों को बुलाया कि आप अगला पेपर में हम आपके वाक आउट पेपर के बारे में बाद में डिसीजन करेंगे। उन लड़कों ने गुडफैथ में आकर पेपर दे दिया। पेपर देने के बाद बाकी पेपर्स मे तो लडके पास हो गए लेकिन उस पेपर में पास नहीं होने के कारण उनको यह कहा जा रहा है कि आप सप्लीमेन्ट्री परीक्षा दीजिए। श्रीमन्, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बालक सप्लीमेन्टरी परीक्षा देकर डिग्री लेकर जावेगा तो क्या वह जीवन में कम्पीटिशन में कहीं बैठ सकेगा? क्या सारे के सारे लड़के वाक आउट नहीं कर गए? जिनका थ्रू आउट फस्ट क्लास का कैरियर है उन फर्स्ट क्लास विद्यार्थियों का कैरियर केवल इस वाकआउट हो जाने के कारण खराब कर दिया। वाइस चांसलर यह समझता है कि जो भी हूं सो मैं ही हूं। उसको इतना अभिमान है कि किसी बात पर एडजस्टमेन्ट नहीं करते। आखिर वह बालक हैं और उनके जीवन के लिए यही सोचा है कि इनको सुधारने के लिए जिन्दगी भर इनको सड़कों पर रगड़ने दो और सुधरने के बनिस्पत और भी बिगड़कर समाज को बिगाड़ें तो बहुत अच्छा है। मैं कहना चाहूंगा कि ये आप कुछ रास्ता निकालिए। एक भी विद्यार्थी ने पेपर नहीं दिया इसलिए वाकआउट वाले पेपर की परीक्षा की कोई व्यवस्था की जाये। उनको और कोई पनिशमेन्ट दिया जाये, यह नहीं कि जिन्दगी भर उनकी डिग्री के साथ लिखा जाये कि सप्लीमेन्टरी से पास हुआ। यह उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा।

इसी तरह से आपके यहां जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में भी भारी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अनियमितताएं हुई हैं । भाई नाथूसिंहजी उसके बारे में विशेष कहें लेकिन मैं यह जो कम्प्यूटर सिस्टम आपने जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में लागू किया उसके बारे में कहूंगा । कभी आपनें यह देखा कि इस कम्प्यूटर सिस्टम से कितनी भारी भारी गलतियां हुई हैं । जिसके कारण से कई लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी । मैं उनका नाम लेकर सदन में जिक्र नहीं करना चाहता । एक लड़की जो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास आती थी, हमेशा फर्स्ट टापर रही है जब उसका परीक्षा परिणाम आया और उसको पता लगा कि मैं तो फेल हो गई हूं तो उसने आत्म हत्या करली । कुछ दिनों बाद पता किया तो वह टाप पर थी । आखिर आपने कुछ लोगों को यह कम्प्यूटर का काम दे रखा है कुछ पैसों के कारण । यह कमीशन कुछ ऐसा खा रहा है सबको कि इस कमीशन के कारण चाहे जिसको बुलाया और काम दे दिया । जो जानता नहीं कि कम्प्यूटर क्या होता है लेकिन ठेका यहां लेने आ गये । और वह कम्प्यूटर के आधार पर रिजल्ट तैयार कर रहा है । आपके यहां की परीक्षाओं का आपने देखा कि किस समय हुईं ? आज दिन तक कितनी परीक्षाओं के परिणाम नहीं निकले ? आखिर कौन जिम्मेदार है इसका ? यूनिवर्सिटी नें परीक्षा समय पर नहीं ली तो रिजल्ट निकालना उसकी जिम्मेदारी है । यदि परिक्षाओं के परिणाम समय पर नहीं निकलते हैं तो फिर आप उस वाइस चांसलर का क्या करना चाहते हो ? माला पहनाना चाहते हो ? हमारे चुनाव कब होते हैं ? अप्रैल में । पिछली बार भी जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव अप्रैल में हुए, इस बार भी चुनाव अप्रैल में होंगे । यह अप्रैल कोई चुनाव का महीना है ? यह चुनाव का महीना है या परीक्षा के अन्तिम दिन हैं ? इसके कारण से फिर हड़तालें होती हैं परीक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए । अभी कल परसों ही हमने अखबारों में पढ़ा, फिर मांग आ गयी कि चुनाव के कारण से परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाय । मैं ऐसा मानता हूं कि इन सारी अनियमितताओं का कारण वाइस चान्सलर है ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

आप उसको क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, मेरी यह समझ में नहीं आता । सब लोगों की मंशा तो यह है कि किसी प्रकार से राजस्थान के अन्दर शिक्षा के वातावरण को सुधारें । पता नहीं हम ऐसे बेईमान लोगों, जो इस व्यवस्था में गड़बड़ी कर रहे हैं, को किस कारण से शरण दे रहे हैं ? इस कारण उनके मन बढ़ते जा रहे हैं और अनियमिततायें करते चले जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पर और विचार कीजिए । . . .

**श्री सभापति** : समाप्त कीजिए ।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : इस सारे बजट और एजुकेशन की मांग को पढ़ने के बाद घोर निराशा हुई । आपने इस संस्कृत शिक्षा को क्या दिया ? क्या संस्कृत का अध्यापक कोई पत्थर को फाड़कर आया या आसमान से गिरा है । क्या वह अध्यापक नहीं है ? उसका ग्रेड आखिर दूसरे अध्यापकों की तुलना में क्यों नहीं है ? किस कारण से नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं ? क्या यह सरकार कंगाल हो जायेगी अगर उसके ग्रेड

(164)



(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ठीक प्रकार से कर देगी तो उसके लिए कोई बजट प्रोविजन नहीं है। कहीं दो हजार रखे हुए हैं। कोई दान दक्षिणा दे रहे हैं आप ? जब आप उर्दू के लिए अकादमी स्थापित कर सकते हैं बाकी के लिए व्यवस्था कर सकते हैं तो क्या यह संस्कृत अध्यापक आसमान से टपक कर आये हैं ? क्या इस संस्कृत को पढ़ाने वाले लोग बुद्धिमान नहीं है ? वास्तव में ये ही प्रकांड पण्डित हैं जो आज आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हिन्दुस्तान का जितना भी ज्ञान का भण्डार है, कोई आज भी संस्कृत को उठाकर ठीक प्रकार से पढ़े तो संस्कृत में है। हिन्दुस्तान में संस्कृत जानने वाले सबसे ज्यादा विद्वान् मिलेंगे...

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लेकिन दुर्भाग्य है हमारा। इस बजट को देखकर घोर निराशा हुई कि आपने संस्कृत के साथ न्याय नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि आप अपना रिप्लाई देते समय इसकी व्यवस्था करें...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं अपनी बात यहां कहकर फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस पर शीघ्र विचार करिये। संस्कृत के अध्यापक को भी इतने अध्यापकों के समक्ष लाकर खड़ा करिये जिससे उनका यह मानस बने कि हम अछूत नहीं हैं। इससे उनके मन में जो गिरावट आ गई है वह निकलेगी।

यही बात कहकर मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप यदि हायर एज्यूकेशन फिलहाल कुछ साल के लिये बन्द करना चाहें तो बन्द कर दीजिये, कोई आसमान नहीं गिरेगा लेकिन प्राथमिक शिक्षा को महत्व दें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप निजी शिक्षण संस्थाओं को एनकरेज करिये। इसके कारण से प्राथमिक शिक्षा के ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुल सकेंगे, कम से कम अनुदान देने के बाद भी हम शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार कर सकेंगे।

आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन चौधरी।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदया, इस समय मांग संख्या—24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के विषय पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। मैंने जो बजट भाषण देखा, उसमें शिक्षा मंत्री जी, एक हजार नयी प्राथमिक पाठशालायें जो पिछले साल नहीं दी गई थीं, और 600 प्राथमिक पाठशालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करना दर्शाया गया है।

माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि गांव में आज आजादी के 37 साल बाद काफी जगह ऐसी है जहां स्कूलों की सख्त जरूरत है लेकिन हम वहां स्कूल नहीं खोल पा रहे

(श्री रामधन चौधरी)

हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता था कि जो एक हजार प्राथमिक शालाएं हमें खोलनी हैं उन शालाओं को खोलते वक्त इस बात को ध्यान में रखा जाये कि वास्तव में जरूरत कहां है ? मैंने देखा है कि एक जगह ऐसी है जहां 15 बच्चे पढ़ने वाले हैं वहां तो स्कूलें है और एक जगह ऐसी भी है जिसको ढानी कहकर टाल देते हैं। वहां से करीब 50, 60 बच्चे 2-2, 3-3 किलोमीटर शिक्षा पाने के लिये जाते हैं दो साल बाद उनकी एज्यूकेशन शुरू होती है क्योंकि 8 किलोमीटर 6 साल का बच्चा नहीं जा सकता। वह 7-8 वर्ष का होता है तब जाता है। मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री महोदया, जिले की जो सूची मांगें उसे ध्यानपूर्वक देखें कि कहां स्कूल खोलना उचित है। यह बजट वाली बात सामने रहती ही है, थोड़ा पैसा होता है उस पैसे का सदुपयोग न हो तो वह जनता की नजर में दुर्भावना वाली बात होती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मुझे क्षमा करेंगी शिक्षा मंत्री जी, पिछले तीन सालों से, 21 साल से मैं एम. एल. ए. हूं लेकिन पिछले तीन साल में मेरे लाडनूं में एक भी प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत नहीं हुआ। इसका कारण मात्र एक है, मैंने गत सत्र में लिखकर दिया, हर एज्यूकेशन मिनिस्टर को लिखा। पता नहीं पिछले शिक्षा मंत्री जी की कैसे मेहरबानी हुई दस बार मिला तब उन्होंने एक सैकण्ड्री स्कूल को हायर सैकण्ड्री स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया। मैं यह बात इसलिये कह रहा था जैसे कि एक विधायक मंत्री जी को बार बार लिखकर दे, बार बार रिक्वेस्ट करे और मकान और बच्चों की जो संख्या है उसके हिसाब से, उसके अनुपात से उसकी कान्स्टीट्यूएन्सी की पाठशालाओं को प्रमोट नहीं किया जाये, यह बड़े दुख की बात होती है। इसलिये मैं कह रहा था कि आप अमुक स्थान की पाठशाला का चयन करते वक्त यह ध्यान में रखें तो अति उत्तम होगा। मेरी बात पर शक हो, मैं तो आपको तीन साल की बात बता रहा हूं पहले की बात तो छोड़ दीजिये, पिछले तीन साल में लाडनूं में एक भी प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किया हो तो बता दें। माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदया से निवेदन कर रहा था कि यह जो शिक्षा में प्राथमिकता रख रहे हैं, रखो भी हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लिये अलग से स्कूल चलायेंगे, शिक्षा विभाग गांवों में जो प्राथमिक पाठशालायें खोल रहा है उसके साथ साथ औद्योगिक विषय लेने के लिये गांव वाले बच्चों पर ज्यादा ध्यान देवें और इस विषय को प्राथमिकता देवें। जो भी स्कूल गांव में क्रमोन्नत होते हैं उनमें प्रायः गांव के बच्चे पढ़ते हैं वहां एग्रीकल्चर का विषय ज्यादातर खोलना चाहिये ताकि गांव के बच्चे एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दे सकें। आज हमारे हर विभाग के अधिकारी की यह प्रवृत्ति बनती जा रही है कि मुझे अच्छा शहर मिले, अच्छी जगह मेरा ट्रांसफर हो जाये और गांवों में मुझे नहीं जाना पड़े। शिक्षा विभाग एग्रीकल्चर के विषय की तरफ विशेष ध्यान रखें तो अति उत्तम होगा। जैसा मैंने कहा, प्राथमिक पाठशालाओं में हम बच्चों के लिये लघु उद्योग के विषय रखकर उसके साथ साथ उसको खेती के बारे

166



(श्री रामधन चौधरी)
में जानकारी देते रहे तो उनका खेती और उद्योग की तरफ शुरू से ही मन लगा रहेगा। जैसे पेड़ लगाना है, उसमें पानी देना है तो कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि वह बच्चे बहुत ट्रेन्ड हो जाते हैं।

मैं ज्यादा तो नहीं एक दो स्कूलों का उदाहरण दे सकता हूं। सीकर जिले से मेरी कान्स्टीटयूएंसी लगती है, लाडनूं कान्स्टीट्यूएंसी के पड़ोस में कोठारी हाई स्कूल है, सभापति महोदया, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं रात को 9 बजे आप देखेंगे कि वहां पर 7,8 बच्चे पढ़ते हैं। एक मास्टर है एक कमरे में बच्चे पढते रहते हैं। गांव नजदीक नहीं है, जंगल में स्कूल है लेकिन इतनी अच्छी वहां की व्यवस्था है, सादा जीवन है जिससे बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार पड़ते हैं। मैं कहना यह चाहता था कि कृषि और उद्योग के विषय ग्रामीण बच्चों के लिये ग्रामीण स्कूलों में रखे जावें तो अच्छा होगा। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं जैसा पिछले तीन साल से मेरे साथ पक्षपात हुआ है, आशा करता हूं अबकी बार नहीं होगा मेरे यहां लाडनूं में जो जे.बी. हायर सैकन्डरी स्कूल है उसमें एग्रीकल्चर का विषय खुलवाने की आप विशेष कृपा करेंगी। निम्बी जोधा में अभी जो स्कूल क्रमोन्नत हुआ है उसमें भी एग्रीकल्चर का विषय खुलवाने की तरफ आप ध्यान देंगी।

पानी के विषय में, क्या कहूं, पानी वाले मंत्री जी विराज रहे हैं इसलिये कहना चाहता हूं, 21 तारीख से निम्बी जोधा के सरपंच सहित 7 आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। खैर वह तो भुगत रहे हैं जो भी होगा सो होगा। आज भी बिजली नहीं मिलती है, पानी नहीं आता है। अब कम से कम इतना तो किया है जल योजना से गांवों को जोड़ा है ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शिक्षा तक ही सीमित रहें और संक्षेप में अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य, बैठे बैठे बात नहीं करें व्यवधान नहीं डालें।

श्री रामधन चौधरी: स्कूलों में भी नल लगा दिये जायें तो उसका पानी से संबंध हो जायेगा। एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें नर्सरी वहां लगाना चाहते हैं। सभापति महोदय, स्कूलों की बहुत सारी प्राब्लम होती है। हमने इनको पंचायत राज संस्थाओं को दे तो दिया लेकिन इनका संचालन किस हिसाब से होता रहा है, मैंने पिछले बजट सत्र में शिक्षा की डिमाण्ड पर यह कहा था कि अच्छा होता अगर शिक्षा विभाग इन स्कूलों को ले लेता। पंचायत विभाग प्राथमिक शालाओं में सिवाय ट्रांसफर के, मैं तो देखता हूं, कुछ नहीं करता। आधे से ज्यादा स्कूल सूने पड़े रहते हैं और आधे से ज्यादा स्कूलों में जरूरत से ज्यादा अध्यापक बैठे रहते हैं। वहां के अध्यापक पंचायत समिति में बाबू का काम करते रहते हैं। यह आपका कानूनी मसला है मंत्रिमडण्ल जैसा चाहे वैसा तय करे लेकिन मेरी राय तो यह है कि प्राथमिक पाठशालायें, जो हैं, पंचायत राज को न देकर शिक्षा विभाग के पास रखी जावें तो अच्छी बात होगी। दूसरी बात, जो मैं कहना

(श्री रामधन चौधरी)

चाहता था वह यह है कि हमारे यहां स्कूल क्रमोन्नत करते हैं, स्कूल खोलते भी हैं, नये विषय भी देते हैं और बजट में सब बातें लिखते हैं, घोषणाएं भी करते हैं। यहां कितने ही दिनों से मैं सुन रहा हूं, कम बोलने वाले सदस्यों में मेरी गिनती है मौका ही कम मिलता है, यहां बोलने पहली बार आया हूं मुझे चांस भी कम देते हैं लेकिन एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे यहां अध्यापकों की भर्ती क्यों नहीं की जाती। जो मास्टरों को ट्रेनिंग देने वाले स्कूल कुचामन और सरदार शहर में हैं एक चुरू जिले में है और एक नागौर जिले में है उनमें 50-60 छोरे तैयार होते हैं अध्यापकों की पोस्ट वैकेन्ट पड़ी रहती है लेकिन समय पर उनको सर्विस नहीं मिलती। स्कूलों में जगह खाली पड़ी रहती हैं लड़के बेकार बहुत डोल रहे हैं। मैं पूछता हूं आपको अपाइन्टमेंट देने में क्या दिक्कत आ रही है? मैं निवेदन करूं, डाडवाना पंचायत समिति की 8 पंचायत मेरे यहां लगती है, उसमें तीन स्कूल क्रमोन्नत हुए दो साल पूर्व, यह तीसरा साल चल रहा है, लेकिन उसमें दो-दो अध्यापक हैं। जब आठवीं क्लास को स्कूल में 6–10 अध्यापक चाहिए, इसके बनिस्पत तो प्राथमिक पाठशाला अच्छी थी, जब चार चार अध्यापक थे। जब मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत कर दी तो वहां एक अध्यापक बैठा है। एक हैड मास्टर दे दिया, बाकी का स्टाफ हटा दिया। जिला परिषद् की मीटिंग में हमने कई बार इसका झगड़ा उठाया तो वे कहते हैं कि शिक्षा विभाग वालों की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब शिक्षा विभाग वालों से मिलता हूं तो वे कहते हैं, पंचायत समिति वालों ने जो स्टाफ था, उसको हटाया क्यों? हम साल में एक अध्यापक देंगे और तीन साल में पूरा स्टाफ देंगे। मान लीजिए 400 बच्चों का स्कूल है उसको क्रमोन्नत करते हो और उसमें एक हैड मास्टर और एक चपरासी से क्या हो जायेगा। जो शिक्षा मिल रही थी, वह भी मिलना समाप्त हो जाती है। मैं निवेदन यह कर रहा था कि कम से कम स्कूल क्रमोन्नत करें या पाठशाला खोलें तो उसके लिए स्टाफ की व्यवस्था पहले करें, जहां अध्यापक नहीं है, वहां बच्चे जाकर क्या करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बातें न करें।

श्री रामधन चौधरी : मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे जो स्कूल खोलने जा रही हैं, मैं समझता हूं मेरी तरह सारे विधायकों की लालसा है कि उनके यहां भी ये स्कूल क्रमोन्नत हो जायेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप स्टाफ नहीं दे सकते हैं तो स्कूल क्रमोन्नत करने से कोई फायदा नहीं है। जहां चार अध्यापक हैं, वहां एक अध्यापक बिठा देंगे। शिक्षा विभाग वाले एक हैड मास्टर लगा देंगे तो पंचायत समिति वाले अपने चार अध्यापक हटा लेंगे। आज एज्यूकेशन की जो हालत हो रही है, गांव में एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, तो वे छोरे न प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लायक रहते हैं न मिडिल स्कूल में जाने लायक रहते हैं, तीसरी दूसरी कक्षा के बाद कौन पढ़ाये उन्हें। उस हालत में तो पाठशाला क्रमोन्नत नहीं

(श्री रामधन चौधरी)

करनी चाहिए। चार की जगह एक अध्यापक भेजे और छोटी स्कूल को बड़ी स्कूल मानें। यह बात तो समझ में आने वाली नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, शिक्षा मन्त्री जी अबकी बार इस बात को ध्यान में रखें कि जिन पाठशालाओं को क्रमोन्नत करें या नयी पाठशालायें खोलें, तो दूसरी स्कूल खोल कर मास्टर हटाने की मेहरबानी नहीं करें। कम से कम हर स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था करें, क्रमोन्नत करने के साथ-साथ तब तो यहां बोलना चालना, स्कूल खुलाना और कराना ठीक है वरना तो जैसी है वैसी तो है ही। उसके बारे में तो कहना सुनना क्या है।

मुझे आपने टाइम दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह !

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदया, मेरे कुछ मित्रों ने जो दूसरी बार, सप्लीमेन्ट्री डिमांड जो शिक्षा विभाग की ओर से आई है उस पर जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने बहुत-सी बातों में मेरी मदद की और मेरा काम हल्का किया। मैं चाहूंगा कि शिक्षा के बारे में बेसिक और फन्डामेन्टल बात करने के बाद कला, संस्कृति और खेल के बारे में कुछ विचार प्रकट करूं। सभापति महोदया, आज जो देश की हालत है उसके लिये मैं शिक्षा व्यवस्था को ही एक कारण मानता हूं। चाहे वह सामाजिक गंभीरता की स्थिति हो, चाहे वह आर्थिक गम्भीरता की स्थिति हो, चाहे वह बेरोजगारी की समस्या हो चाहे वह गरीबी की समस्या हो, चाहे वह गुरबत की समस्या हो, मैं शिक्षा नीति को इन सबका मूल कारण मानता हूं। इसके कारण मैं आगे दूंगा, सभापति महोदया।

जो आज हमारी शिक्षा है, वह पूरी तरह से अव्यवहारिक शिक्षा है। आज राष्ट्रपति से लगा कर एक चपरासी तक, आम आदमी यह कहता है कि हमारी शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये, हमारी शिक्षा नीति बेकार हो चुकी है। लेकिन होता क्या है, वन प्लस टू, वन प्लस थ्री को ही शिक्षा में परिवर्तन मान लिया जाता है इसमें आगे हम अभी तक गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा हमारी प्लान्ड भी नहीं है। एक तरफ तो बेरोजगार डाक्टर घूम रहे हैं, इन्जीनियर घूम रहे हैं और टेक्नोक्रेट घूम रहे हैं। जिनका निर्माण करने में राष्ट्रीय पूंजी लगती है, राज्य-पूंजी लगती है, वे एक तरफ तो बेरोजगार घूमते हैं, दूसरी तरफ उनके अभाव में समाज में बहुत सी परेशानियां कठिनाइयां और कष्ट हैं। हमारी शिक्षा न तो प्लान्ड है और न ही व्यावहारिक है। अब शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिये ? जैसा मैंने निवेदन किया, जो आज सामाजिक और आर्थिक हालत है उसके लिये हमारी शिक्षा नीति पूरी तरह से दोषी है। हमारे यहां समान शिक्षा भी नहीं है। शिक्षा के कई वर्ग बन चुके हैं एक अमीर की शिक्षा है, एक गरीब की शिक्षा है, एक गांव की शिक्षा है और एक शहर की शिक्षा है। इसी के कारण आज हमारी सामाजिक दूरियां बढ़ रही हैं। समाज दो भागों में धीरे-धीरे विभक्त हो रहा है। इसका रूप आपको दिखाई दे रहा है इसलिये शिक्षा सब के लिये देश में चाहे राष्ट्रपति का पुत्र हो, चाहे बिड़ला का बेटा हो, चाहे वह एक मेहतर की

(श्री यदुनाथसिंह)

औलाद हो, जब तक एक स्तर की, एक सी नहीं दी जायगी तब तक समतावादी समाज का निर्माण हम नहीं कर पायेंगे। गान्धी जी की कल्पना झूठी होगी। इसलिए शिक्षा सबको समान मिले, सबको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। जो समाज में आज परेशानी नजर आ रही है इसके क्या कारण हैं ? इसका कारण यह है कि जो नीति निर्धारण करने वाली सेवायें हैं, ज्यादातर लोग गरीब, अशिक्षित और पिछड़ा हुआ वर्ग है उनका नीति निर्धारण करने वाली सेवाओं में रिप्रजेण्टेशन, प्रतिनिधित्व नहीं है। वह इसलिये नहीं है कि गांवों में बच्चे पढ़ते हैं वहां पर क्लास के लिये एक मास्टर भी उपलब्ध नहीं है। कई बार तो यह देखने को मिलता है कि पांच क्लास को पढ़ाने के लिये मिडिल स्कूल में एक अध्यापक होता है। दूसरी शहर की शिक्षा है, जहां एक क्लास को पढ़ाने के लिये पांच अध्यापक होते हैं और, तीसरी तरह की शिक्षा जो सबसे ज्यादा समाज में विषमता पैदा कर रही है, वह है पब्लिक स्कूल की शिक्षा। उससे यह हो रहा है कि हमारा दिमाग, इंडियन माइन्ड निकलना चाहिये वह निकलना खत्म होता चला जा रहा है। हमारा सोच वेस्टर्न होता चला जा रहा है, पाश्चात्य होता चला जा रहा है और इस समाज को पाश्चात्य संस्कृति की ओर खींच कर ले जा रहे हैं। इसलिये जहां पर शिक्षा में समानता होनी चाहिये उसके साथ-साथ शिक्षा में हमारी एक भाषा ऐसी होनी चाहिये जिसको पूरे राष्ट्र के स्तर पर सब समझ सकें। एक भाषा सम्भव नहीं हो तो शिक्षा के लिये त्रीय भाषा को चुना जाना चाहिये। महात्मा गान्धी ने 30 साल तक गांव-गांव में घूम कर इस बात का प्रयास किया, लोगों को समझाया कि ऐसी शिक्षा को अपना लीजिये जिससे मद्रास का आदमी, पंजाब के आदमी से बात कर सके। पिछली बार जब कर्पूरी ठाकुर मुख्य मंत्री थे बिहार के, उनसे मेरी वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा एक बार ऐसा हुआ हमारी शिक्षा नीति के कारण कि पंजाब में प्लानिंग कमीशन चाहता था कि हजार दो हजार लोग पंजाब के बिहार में जायं और बिहार के पंजाब में आयें और पंजाब में किस तरह इतनी तरक्की हुई है, उसका ज्ञान लें, खेती की शिक्षा लें। लेकिन कर्पूरी जी इसलिये नहीं भेज पाये उन्होंने कहा, वह आदमी किस भाषा में कैसे बात करेगा। इसलिये एक भाषा देश के स्तर पर ऐसी होनी चाहिये जिसे आम आदमी समझ सके। आज दो वर्ग बन गये हैं, एक अंग्रेजी जानने वालों का और दूसरा बिना अंग्रेजी जानने वालों का है। शिक्षा एक माध्यम है। अंग्रेजी सीखिये कोई बुरी बात नहीं है, दुनियां की जितनी भाषा सीखें, सीखिये। लेकिन जो हमारा इंडियन माइन्ड नहीं मिल रहा है, हो यह रहा है कि आज बच्चों को गरीब आदमी इसलिये अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी मिलेगी। हो यह रहा है कि जो पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ होता है वह अच्छी नौकरियां प्राप्त कर लेता है, आई. ए. एस, आई. पी. एस. बन जाता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें। कृपया आपस में बातें न करें। व्यवधान न डालिये। माननीय सदस्य, कृपया ठीक से बैठने का कष्ट करें।

(170)



श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि शिक्षा में जो दो आधार बना दिये गये हैं उन आधारों को सबसे पहले समाप्त करने की आवश्यकता है। एक भाषा होनी चाहिये ताकि हमारे अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

मैं निवेदन कर रहा था कि आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता और सारी विषमताओं का कारण क्या है। शिक्षा को जब तक हम श्रम, रोजगार और उत्पादन से जोड़ने का काम नहीं करेंगे, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आंशिक रूप से इन्होंने राजस्थान में टैक्निकल एज्यूकेशन को हायर सैकेन्डरी स्तर पर लागू किया है लेकिन उससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आज हो यह रहा है कि जो बच्चा कक्षा 8 तक पढ़ जाता है वह घर का काम करना छोड़ देता है। बेरोजगारी की समस्या शिक्षा नीति से इसीलिये जुड़ी हुई है। आज बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है। जितने प्रतिशत जन संख्या बढ़ रही है उससे कम रोजगार का आंकड़ा रहता है, उससे कम प्रतिशत रोजगार मिलता है। इसके ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है। हमारे देश की हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है, विषम होती चली जा रही है। इसलिये बहुत आवश्यक है कि शिक्षा को श्रम, रोजगार और उत्पादन से जोड़ा जाय। श्रम के प्रति सब बच्चों में आदर की भावना पैदा नहीं की जाती। छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता है तब से यह देखें कि उसका किस काम में दिमाग लगता है। हमारे बच्चों को क्या सब्जेक्ट लेना है यह हम तय नहीं करते बच्चा तय नहीं करता है। हम वही करते हैं जो हमने सुन लिया है, कह देते हैं कि अच्छा साईंस में जाओ अगर डाक्टर बनना है, इन्जीनियर बनना है, इनको बहुत अच्छे प्रोस्पेक्टस हैं। लेकिन हो सकता है कि उस बच्चे का दिमाग दूसरी तरफ हो। वह बच्चा इकोनोमिस्ट बन सकता है, राइटर बन सकता है लेकिन उसके मां बाप ने कह दिया कि पहले साईंस में कोशिश करना और उसके बाद उसमें करना। जब तक शुरू से बच्चे का दिमाग जानकर उसको सही शिक्षा नहीं देंगे तो उत्पादन के साधन बिगड़ेंगे। इसी के कारण विषमता है। आज रोजगार नहीं मिल रहा है आदमी को। पढ़े लिखे भले ही, लेकिन पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे आदमी को बचपन से रोजगार दिया जाय ताकि वह जब बड़ा हो, जब जवान हो तो वह अपने मां बाप और राष्ट्र की सेवा कर सके। शिक्षा नीति की बात है, उस संबंध में तो मैं यही कहना चाहूंगा।

सभापति महोदया, जहां तक सवाल है कला संस्कृति का, कला संस्कृति के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत गौरवपूर्ण कला और संस्कृति हमारे देश की रही है, लेकिन इस शिक्षा नीति के रहते हमारी वह कला और संस्कृति धीरे-धीरे बर्बाद हो रही है, नतीजन हमारा वह गौरव आज दुनिया में नहीं है जो कभी दुनिया में हुआ करता था। हमारे यहां की संस्कृति बहुत अच्छी है और उसी से इण्डियन माइंड निकलेंगे। जब आप हमारी संस्कृति को शिक्षा का आधार बनायेंगे तभी हमारे यहां से इण्डियन माइंड निकलेंगे, भारतीय दिमाग निकलेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश और राज्य की जो संस्कृति है,

(श्री यदुनाथसिंह)
जो कमाए हैं उनका ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में समायोजन किया जाना चाहिए।

इसके साथ साथ खेलों का जहां तक सवाल है, सभापति महोदय, दिमाग के साथ साथ अगर शरीर दुरुस्त नहीं रहेगा तो किसी भी तरह से वह आदमी देश और घर-परिवार की सेवा नहीं कर पायेगा। खेल में भी दो स्तर बन चुके हैं। सभापति महोदय, एक तरफ तो गांव के बच्चे कपड़े की गेंद बनाकर डण्डा तोड़कर हाकी खेलते हैं और दूसरी तरफ यहां पर एशियाड जैसे खेलों पर दो दो हजार करोड़ रुपया बर्बाद किया जाता है जब कि हमारे पास खिलाड़ी नहीं हैं। उसी पैसे को अगर आप पूरे हिन्दुस्तान के हर जिले में लगाने का काम करते तो 5 करोड़ रुपये हर जिले को मिलते और उससे कितने ही खिलाड़ी पैदा करते। बच्चों को दो दिन···

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : प्रेस्टिज सुधरी है कन्ट्री की।

श्री यदुनाथ सिंह : प्रेस्टिज सुधरी है, क्या बात कर रहे हैं आप ? केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा है, मुझ को आश्चर्य हुआ उनका भाषण पढ़कर, उन्होंने बड़ा गर्व दर्शाया है कि मैंने 600 करोड़ रुपये प्लान मनी बढ़ायी है। लेकिन आप देखिये नान प्लान मनी कितनी बढ़ी है। आप सोचते हों सौ करोड़ बढ़ी होगी, दो सौ करोड़ रुपये बढ़ी होगी, तीन सौ करोड़ रुपये बढ़ी होगी लेकिन आपको आश्चर्य होगा, सभापति महोदया, नान प्लान मनी 1982–83 के सैन्ट्रल बजट में 5000 करोड़ रुपये बढ़ी है। पैसा विकास में लगे, राष्ट्र के निर्माण में लगे, मैं खेलों का विरोध नहीं कर रहा हूं, हमारी हैसियत हो तो एशियाड जरूर करना चाहिए। सभापति महोदया, एक तरफ तो आदमी भूखा मर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर आप खेलों का प्रचार करना ही चाहते हैं तो खिलाड़ी पैदा करिये, उससे ज्यादा गौरव प्राप्त होगा····

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने भरतपुर में डीग पैलेस में अखाड़ा क्यों बनवाया ?

श्री यदुनाथसिंह : अखाड़े में गांव की कुश्तियां होती हैं। आपके पास आज अच्छे पहलवान नहीं हैं। क्या बात करते हैं आप ? मलेशिया के और जापान के पहलवान बाजी मार जाते हैं आपसे। क्या बात कर रहे हैं आप ? बहुत से देशों में पहलवान नहीं हैं। आज हमारे पास पहलवान पैदा करने में पैसा····

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, नो इन्टरप्शन प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह : प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, यही तो निवेदन कर रहा था। मेरा निवेदन करने का मतलब यही था कि प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहे हैं, यही मंत्री महोदय मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आजादी से पहले पहलवानों को राज्य एडाप्ट करते थे, खिलाड़ियों को एडाप्ट करते थे। आज कोई राज्य एडाप्ट नहीं करता खिलाड़ियों को। इसलिए बहुत जरूरत

(श्री यदुनाथसिंह)

है कि यहां पर खिलाड़ियों को और खेलों को प्रोत्साहन दिया जाय। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभापति महोदया, कोई भी सरकार जब तक शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने की बात नहीं सोचेगी तब तक हमारे समाज का अच्छा निर्माण नहीं हो सकेगा।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति :** माननीय श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) :** सभापति महोदया, मैं तो आज की इस मांग पर आपके माध्यम से निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि सारे स्कूलों में एक तो बच्चों को सिगरेट पीने की छूट होनी चाहिए, शराब पीने की छूट होनी चाहिए · · ·

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य गम्भीरता पूर्वक बोलें।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर :** मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज के माहौल को देखकर और उनको · · ·

**श्री यदुनाथ सिंह :** यही शिक्षा है आज, सभापति महोदया।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर :** उनको बार-बार हड़ताल करने की छूट होनी चाहिए, सप्ताह में पांच दिन स्कूल बन्द होना चाहिए एक दिन हाजरी लगवाने के लिए बालक जायं और वहां उनको मास्टरों को पीटने की छूट होनी चाहिए, उनको काले झंडे, स्कूलों में तोड़ फोड़, बसों को जलाने की छूट होनी चाहिये, प्रदर्शन करने की छूट होनी चाहिए। आखिर, सभापति महोदया, यह होता क्या जा रहा है, शिक्षा के अन्दर ? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इस बात को कि शिक्षा की दशा पहले क्या थी प्राचीन काल में और आज क्या है ? इस शिक्षक के महत्व को अगर हम समझें तो वह हमारी भावी पीढ़ी का शिल्पकार है। सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि समाज को चाहिए कि शिक्षकों, जिनका शोषण हो रहा है, के उत्थान के लिए एक क्रान्ति लायें। आपके शिक्षक का ही शोषण होगा, शिक्षक ही पीड़ित रहेगा, सभापति महोदया, तो यह सब नित नयी बातें होती ही रहेंगी, अखबारों में रोज ऐसी खबरें आती ही रहेंगी। मेरे कहने का औचित्य यही था, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्राचीन काल में भी विश्वविद्यालय होते थे, महाविद्यालय होते थे, चाहे वह पेड़ों के नीचे चलते थे, चाहे वह गुरुकुल में चलते थे लेकिन उनका कितना सम्मान था। राजकाज करने में भी उस समय राजा, महाराजा, सम्राट लोग उन गुरुजनों की सलाह लेते थे और आज क्या होता जा रहा है ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस समय जो छात्र होते थे, वह भिक्षा लाकर स्वयं की उदरपूर्ति करते थे और अपने गुरुजनों की भी उदरपूर्ति करते थे। फल-फूल तोड़कर जंगल से लाकर गुरु को देते थे। माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरह से उन गुरुजनों के पास छोड़ देते थे कि साल दो साल, तीन साल जब तक इसकी शिक्षा पूरी नहीं होती है तब तक यह बालक आपके पास रहेगा।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

सभापति महोदय, देश आजाद हुआ था, तब अपनी जनसंख्या 35 करोड़ के आसपास थी और आज 70 करोड़ हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ ज्यों ज्यों विकास हुआ है, त्यों त्यों शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है और विद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है। मगर हुआ क्या ? नैतिकता का अभाव होता जा रहा है। आज विद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है उसमें नैतिकता नाम की भी नहीं है। चरित्र के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो फिर, सभापति महोदया, यह सब बातें, जो मैंने शुरुआत में कही थीं, होनी ही हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षक एक अनपढ़ राजनीतिज्ञ होता है। बुरा नहीं मानें मेरी इस बात का, उसको तो राजकाज चलाने का सारा का सारा दायित्व सौंपा जाता है। एक विद्वान शिक्षक होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा यह एक ऐसी कड़ी है, मैं आपके माध्यम से शिक्षामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो शिक्षा विभाग को चला रहे हैं क्या वह अनपढ़ हैं, शिक्षा विभाग के लिए बजट पास कर रहे हैं क्या वह अनपढ़ हैं ? लेकिन जिनके द्वारा वह पढ़कर आकर राज चलाते हैं या थोड़ा बहुत सीखते हैं उनका शोषण होता जा रहा है निरंतर। मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता था कि इस प्रकार की स्थिति के लिये हम खुद जिम्मेदार हैं, समाज स्वयं जिम्मेदार है। जब तक समाज में इस बात की क्रान्ति लाने का कोई प्रयास नहीं किया जायेगा तब तक शिक्षा का, शिक्षकों का सब प्रकार से शोषण होता रहेगा, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, नैतिकता का अभाव रहेगा, चरित्र हनन होता रहेगा। सभापति महोदया, एक तो पाइण्ट मेरा यह था।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता था कि असली शिक्षा तो उन गांवों में दी जानी चाहिये, शिक्षा विभाग की नींव तो उन गांवों में है जहां गरीबों के बालक नीम के तले पढ़कर आते हैं, जहां विद्यालय भवनों का अभाव है। दूसरी ओर शहरों में महलों की तरह बड़े बड़े कालेज हैं। लाखों करोड़ों रुपये की पुस्तकें उनके पुस्तकालय के अन्दर हैं जिनसे वह शिक्षा प्राप्त करते हैं लेकिन गांव के बालकों को जो दो रुपये की किताब आती है वह भी समय पर मुहैया नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब यही था, सभापति महोदया, कि हमने उच्च शिक्षा की ओर एकदम ध्यान लगा दिया, उसको हटाकर नीचे की शिक्षा की ओर ले जायेंगे तभी उत्थान होगा। अगर नींव ही कमजोर रह जायगी, सभापति महोदया, तो फिर महल की क्या हालत होगी, यह तो आप स्वयं जानते हैं और सारा सदन जानता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शिक्षा तो आप दीजिए, चाहे अंग्रेजी में दीजिए, चाहे हिन्दी में दीजिए, किसी में भी दीजिए लेकिन क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव जब तक उसमें झलकता रहेगा, जब तक क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव रहेगा तब तक वह सीख नहीं पायेगा। आज पहली क्लास में बच्चों को भर्ती करा दें और उसको एकदम अंग्रेजी और हिन्दी सिखाने लग जायेंगे, जो देशी भाषा जानता है गांव की भाषा जानता है तो क्या वह एकदम सीख पायेगा ? वह विद्रोह करने लगेगा, उसको शिक्षा से वैराग्य हो जायेगा, शिक्षा से विरक्ति हो जायेगी

(श्री भैंरूंसिह गुर्जर)

और वह शिक्षा छोड़कर घर वापस भागने का प्रयास करेगा। मेरा निवेदन यह है कि एक ओर हम शिक्षा के लिए बड़े जोर जोर से बातें करते हैं, नारे लगाते हैं, तो क्यों नहीं राजस्थानी भाषा को भी उस शिक्षा में रख दिया जाय। जो देशी भाषा है जो क्षेत्रीय भाषा है, राजस्थानी भाषा है, उसको माध्यम बनाकर अगर शिक्षा दी जाय तो मै समझता हूं कि इसमें संदेह नहीं, वह बालक शिक्षा के प्रति जागरूक होगा और शिक्षा ग्रहण करने की उसमें क्षमता बढ़ेगी। राजस्थानी भाषा अकादमी की हम स्थापना की बात करते हैं। आज तक बातों ही बातों में आजादी के 35 साल गुजर गये। हर बार विधान सभा में प्रश्न भी उठाये जाते हैं. मांग भी की जाती है लेकिन वहां की वहीं रह जाती है। टाल मटोलकर एक ही नतीजा निकलता है कि विधान सभा सत्र समाप्त हो जाता है और राजस्थानी भाषा अकादमी बनाने का मामला जो प्रत्यक्ष में है वह वहीं का वहीं ही रह जाता है। आपको, सभापति महोदया, इस बात का ध्यान होगा कि एशियाड जब दिल्ली के अन्दर हुआ था तो राजस्थानी लोक गीत और घूमर नृत्य की एशिया भर में प्रशंसा हुई थी। यह राजस्थानी साहित्य, यह राजस्थानी कल्चर है, यह राजस्थानी संस्कृति है। एक ओर हम राजस्थानी भाषा अकादमी बनाने के लिये प्रयास नहीं कर रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उसके लिये मना नहीं कर रहा मैं। मुझे क्षमा करिये, यह घूमर आप संसार के स्तर पर करायें उससे कोई मतभेद नहीं है, उसके लिये मैं मना नहीं कर रहा कि बुरा हुआ है...

श्री भैंरूंसिह गुर्जर: मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा...

श्री यदुनाथ सिंह : संसार के लेवल पर कराइये, उससे कोई मतभेद नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) मारवाडी को हम पर लादते जायेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। हाडौती भाषा भी हमारी है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं थाने कहणो चाहूंगो कि हाडोती की बोली में थे कांई समझोगा ?

श्री भैरूंसिह गुर्जर : मैं थाने कहूंगो कि हेटा विराज जाओ।

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, मैं यह नही कह रहा हूं कि हिन्दी भाषा में नहीं पढ़ाया जाए लेकिन जिस प्रकार से प्रादेशिक भाषायें हैं, राजस्थानी भी एक भाषा है, जिस प्रकार से पंजाब में पंजाबी है और गुजरात में गुजराती है उसी तरह से राजस्थान में राजस्थानी भाषा है और जब मैंने उनसे राजस्थानी में कहा कि बिराज जाओ और ये बिराज गया क्योंकि यह झट समझ गया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठे बैठे इस तरह से बातें नहीं करें, माननीय सदस्य। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदया, मुझे जैसलमेर के शिक्षकों की चिट्ठी प्राप्त हुई थी उसके बारे में मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, बैठे बैठे बातें नहीं करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर :सभापति महोदया, यह जैसलमेर बाडमेर, और, जैसा मुझे बताया गया है, जालोर, इन जगहों पर जो प्रमोशन्स होते है उन जगहों पर जो सीधी भर्ती कर ली जाती है सैकिंड ग्रेड के अध्यापकों की, मैं यह कहूंगा कि इन जिलों में जो शिक्षक हैं उन की यदि ज्यादा से ज्यादा सैकिंड ग्रेड में पदोन्नति दी जावे तो उन को फायदा होगा। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से इस बात के लिए जोर से निवेदन करूंगा कि संविधान की धारा 14 के अनुसार प्रत्येक भारत के नागरिक को समान अधिकार दिए गए है, तो फिर जैसलमेर, बाड़मेर के शिक्षकों के साथ यह अन्याय क्यों होता है ? माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां रिक्त होने वाले सैकिंड ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति से ही चयन किया जावे ताकि उन लोगों को फायदा मिल सके। आज हम निजी संस्थाओं और अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की बात करते हैं मैं, सभापति महोदया, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन शिक्षण संस्थाओं को तो बन्द कर देना चाहिए हम अनुदान देते हैं। लेकिन कितना शोषण हो रहा है वहां शिक्षकों का, कितनी फीस ली जाती है वहां छात्रों से, इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्रीजी करायेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे जिला पाली का। बरकाणा में रानी पंचायत समिति के अन्दर पार्श्वनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरकाणा है। मैं आपसे निवेदन करू, सभापति महोदया, वहां की कमेटी जो व्यवस्था चला रही थी, शिक्षकों को कम पैसा दे रहे थे, शिक्षकों को कम तनख्वाह दे रही थी, उससे रुष्ट हो करके जब शिक्षकों ने अपनी बात व्यवस्था कमेटी के सामने रखी तो व्यवस्था कमेटी ने एक तरफा निर्णय ले कर के पांच अध्यापकों को नौकरी से निकाल दिया। सभापति महोदया, मैं बहुत महत्वपूर्ण मामला बता रहा हूं। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूगां, आप इस बात को आज स्पष्ट करें क्या कारण था कि इन पांच अध्यापकों को नौकरी से निकाल दिया ? उसके बाद उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी पाली के सामने अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो जिला शिक्षा अधिकारी पाली ने इस बात को माना कि इनको अकारण नौकरी से निकाल दिया गया है। सभापति महोदया, जिला शिक्षा अधिकारी के फैसले के बाद अगर इन को कहीं रिट करनी थी तो डिप्टी डायरेक्टर जोधपुर, जोइन्ट डायरेक्टर बीकानेर या एजूकेशन डायरेक्टर, या शिक्षा मंत्री के पास करते। ये कहीं नहीं गए रिट करने के लिए। ये रिट करने के लिए गए सज्जनराजजी मोदी के पास जो कि विशिष्ट सचिव शिक्षा विभाग के हैं जिनका सम्बन्ध उस विद्यालय से है। उनके पास गये। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)
करूंगा कि आप उनसे फाइल मंगा कर मामले को व्यक्तिगत रूप से देख कर जो अध्यापकों के साथ अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार से उनको उबारें या फिर मोदीजी के अलावा किसी से भी इस मामले की जांच करवा लें। आपके अन्य अधिकारीगण सक्षम हैं, जानकार हैं, तो मोदीजी, जो उस विद्यालय से रिलेटेड हैं, से ही इस मामले की जांच क्यों कराई जा रही है ?

मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदया, यह भी निवेदन करूंगा कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग मे पक्षपात किया जा रहा है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर चुका हूं, अधिकारियों से निवेदन कर चुका हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के राणावास विद्यालय में, लड़कों के स्कूल में एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति करके उसे प्रधानाध्यापिका के पद पर इसलिये लगा दिया क्योंकि वह एक आई. ए. एस. ऑफिसर, भण्डारीजी, जो उदयपुर के अन्दर हैं और विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं, के रिश्तेदार में हैं।
गवर्नमेंट के आर्डर, डाइरेक्टर साहब के आर्डर डिप्टी डाइरेक्टर, जोधपुर के आर्डर और सारे के सारे आर्डर ताक पर रख दिए। उस डिप्टी डाइरेक्टर ने उन भंडारी जी को वहां लगा रखा है। लड़के अच्छी तरह से उनके काबू में नहीं आते हैं। वहां पर जो पहले प्रधानाध्यापक थे, रामसिंह अध्यापक थे, उनकी पत्नी हृदय रोग से पीड़ित है, जिसका चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र है और राणावास में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, उन अध्यापक का सफर करके उनको अन्यत्र लगा दिया गया और उन चहेती अध्यापिका को वहां पर लगाया इसका क्या कारण था ?

सभापति महोदया, जो शिक्षकों का शोषण हो रहा है उसके बारे में मैं आपसे एक और निवेदन करने जा रहा था। मैं आपसे टेक्निकल एजूकेशन के बारे में निवेदन करूंगा। सभापति महोदया, एक एस. एन. शर्मा कर के डाइरेक्टर हुआ करते थे जोधपुर में। वह जब विदेश गये अपने प्रशिक्षण के लिए तो पीछे से के. एन. शर्मा की नियुक्ति की गई। जो कि हनुमानसिंह संयुक्त निदेशक, जोइन्ट डाइरेक्टर की सीनियोरिटी मार कर की गई एस. एन. शर्मा, जो सीनियर थे, जब वापिस लौट कर आए तो हमारी सरकार को चाहिए था कि एस. एन. शर्मा को वहां पर वापिस नियुक्त करती, टैक्निकल एजूकेशन का डाइरेक्टर बनाती। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, फैसला होने के बावजूद, महामहिम गवर्नर की उनके प्रति सहानुभूति होने के बावजूद, आज तक उनको डाइरेक्टर के पद पर नहीं लगाया गया है, इसका क्या कारण है ? मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप तो स्वयं सक्षम हैं और शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हैं, आपके पूर्ववर्ती जो आदेश हो चुके हैं, आपको जो भ्रमित किया जा रहा है, कृपया वह भ्रम तोड़ करके आप जिस प्रकार से हिम्मत वाले हैं, बोल्ड हैं, उदाहरण देकर मैं जो बातें कह रहा हूं उनके बारे में जागरूकता से काम करें ताकि शिक्षकों का फायदा हो, शिक्षा विभाग का फायदा हो।

सभापति महोदया, अन्त में मैं दो शब्द उच्च शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा उच्च शिक्षा मंत्रीजी विराज रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ही निवेदन करूंगा कि राजस्थान

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

विश्वविद्यालय में कई विद्वान वरिष्टतम टीचर्स हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो प्रवक्ता हैं वे अपने वेतनमान के अधिकतम पर स्थिर हो गए हैं, अपनी पेस्केल में ब्लॉक हो गए हैं। कई वर्षों से ब्लॉक्ड हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उच्च शिक्षा मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि उनको पदोन्नति दी जाएगी, मामला सरकार के विचाराधीन है। अब न मालूम कब तक सरकार के विचाराधीन रहेगा, कब पदोन्नति दी जाएगी। आज तो उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उनको पदोन्नति का लोस हो रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात का निर्णय आज कर लें और आज ही इस बात की घोषणा कर दें कि आप उनको पदोन्नति दे करके उनके ब्लॉक हुए वेतनमान आगे बढ़ायेंगे। सभापति महोदया, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री मेघराज तावड़।

**श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)** : माननीय सभापति महोदया, आज जिस मांग पर विचार किया जा रहा है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। देश का भविष्य शिक्षा से जुड़ा हुआ है। सभापति महोदया, देश का जो भविष्य बनता है वह शिक्षा के आधार पर ही बनता है। मैं, सभापति महोदया, सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा में जो विकृतियां पैदा हो रही हैं, शिक्षा की आज जो हमारी नीति है, वह, मैं समझता हूं, दूषित है, सही नहीं है। आज हमारे देश में विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकलते हैं वह भी नौकरी में जा करके भ्रष्टाचार करते हैं जिसका हम हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। तो जब तक हम लोग नैतिकता की शिक्षा नहीं देंगे यह भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। माननीय सभापति महोदया, आज शिक्षा विभाग में जिस तरह का भ्रष्टाचार फैल गया है उससे शिक्षकों के दिमाग में विकृतियां पैदा होना स्वाभाविक है। आज मैं आपको प्राइमरी स्कूल की ओर ले जाना चाहता हूं, दूरदराज गांवों में ले जाना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, माननीय शिक्षा मंत्रीजी का भी यह कथन अखबारों में आया था और आप और हम सब, जो गांवों से आते हैं, जानते हैं कि शिक्षा की जड़ जो है, वह प्राइमरी स्कूल्स हैं। प्राइमरी स्कूलों में, माननीय सभापति महोदया, कोई भवन नहीं हैं। गांवों में, पहाड़ी इलाकों में, रेतीले इलाकों मे या ढाणियों में अध्यापक भेजें तो वहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके साथ ही, सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी नियुक्तियां की जाती हैं प्राइमरी स्कूलों में तो, सभापति महोदया, महिला अध्यापकों को गांवों में भेज दिया जाता है। वह भी इतने दूर-दराज गांवों में जहां उसके लिए जाना सम्भव नहीं है। उसे मजबूर होकर ट्रांसफर कैंसिल करवाना पड़ता है। वह जब अपना ट्रांसफर कैंसिल करवा लेगी तो वह प्राइमरी स्कूल खाली हो जायेगा। सभापति महोदया, मैंने एक प्रश्न किया था कि कितने स्कूल बन्द हैं। मुझे बताया गया कि उदयपुर जिले में 155 स्कूल बन्द हैं जो हमारे पहाड़ी इलाकों में और ट्राइबल सब-प्लान में आते हैं।

(178)



(श्री मेघराज तावड़)

वह लोग कभी कम्पीटीशन में-आगे नहीं आ सकते, सभापति महोदया, जब तक शुरू में, प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था नहीं होगी। मैं चाहूंगा आज शिक्षा मंत्री महोदय इस बात के लिये घोषणा करें। अगर बजट नहीं है तो बजट बढ़ायें। जब तक गांवों में आप भवन का निर्माण नहीं करायेंगे, भवन का खर्चा आप अपने खजाने से नहीं देंगे, गांव की जनता तो बना नहीं पाती है और वह स्कूल बंद रहते हैं वहां मास्टर इसलिये नहीं जावेगा कि उसको रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई खाने की व्यवस्था है। आसपास ऐसी दुकान नहीं है कि वह अपने खाने पीने का सामान ला सके। ऐसी जगह जाता है तो उसके पास सामान नहीं है। अपना कुछ सामान लेकर जाता है तो वह चोरी हो जाता है और वह फिर मजबूर होकर अपना जैक लगाकर ट्रांसफर करा लेता है। इस कारण शिक्षा विद्यार्थी को नहीं मिल पाती है। और यही स्थिति शहरों में भी है, सभापति महोदया, शहरों में जो प्राइमरी और मिडल स्कूल्स चलते हैं उनके भी मकान नहीं हैं, कम से कम जहां आप पैसा देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं वहां भवन मुहैया करायें। सभापति महोदया, प्राइमरी और मिडल स्कूल, जैसा माननीय सदस्य ने अभी पूर्व में कहा, महिलाओं की शिक्षा के लिये अलग से कोई नहीं है। स्कूल की कमी है। ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के लिये महिला कन्या शालाएं अधिक से अधिक खोनो जानी चाहिये। आप सह-एजूकेशन करेंगे वह स्कूल अगर कस्बों मे होगा तो सह-एजूकेशन के लिहाज से वहां जाना सम्भव नहीं होगा।

अब मैं प्राइमरी शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम आज खेलों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। राज्य सरकार को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहां उन्होंने खेलों के लिये अलग से डिपार्टमेंट खोल दिया है। सभापति महोदया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अमरीका के लोग, हब्शी लोग और जो ऐसी कन्ट्रीज हैं आज एशियाड या ओलम्पिक होता है तो उसमें वही लोग आगे निकलते हैं जो गांव के होते हैं। उनमें शुरू से स्टेमना होता है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप कुछ गांवों में, फ्राम दी वेरी बिगनिंग प्राइमरी स्कूल से लेकर बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दीजिये। आज आपके पास पी.टी.आई. बहुत सारे हैं जिनको नौकरी नहीं लगी। अमरावती से कुछ लोग डिप्लोमा लेकर आते हैं वह भी बेकार घूम रहे हैं। आजकल वहां पर फर्जी डिप्लोमा लेकर लोग आते हैं जिसमें उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ऐसे भी लोग हैं वास्तव में जो जोधपुर, अमरावती से फिजिकल डिप्लोमा लेकर आते हैं उनको स्कूल्स में हर जगह लगाना चाहिये। कई स्कूल्स में पी.टी.आई. हैं ही नहीं विश्वविद्यालय के बारे में बाद में कहूंगा।

आप मेरी तरफ देख रही हैं, इसलिये मैं पहले कौन-कौन सी बातें जरूरी हैं वह कह देता हूं। सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदया का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, जो नीतिगत बात है। आपको कोई ट्रांसफर करना है, चाहे वह अध्यापक प्राइमरी स्कूल

(श्री मेघराज तावड़)

का हो या सैकण्डरी स्कूल का हो, चाहे मिडल स्कूल का हो चाहे हायर सैकण्डरी स्कूल का हो या सैकण्डरी स्कूल का हो, वहां से डिस्टर्ब करना है तो जून, जुलाई या अगस्त तक कर दीजिये। अफसोस है, आज जब परीक्षा सिर पर आ गई है, छात्र परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तब वहां से अध्यापकों को हटाया जा रहा है। उनका ट्रांसफर करने से जगह खाली हो गई है। सब्जेक्ट पूरा हुआ नहीं, कोर्स पूरा नहीं हुआ तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, सभापति महोदया, इस बात का मंत्री महोदय जवाब देंगे, उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में हायर सैकण्डरी स्कूल है उसमें जीरो प्रतिशत रिजल्ट रहा है आपका, इसका कारण क्या है? यह भी जवाब में बतायेंगे, कौनसे ऐसे कारण थे कि सब्जेक्ट कोर्स पूरे नहीं हुए? क्या कारण थे, जीरो प्रतिशत रिजल्ट रहा? सभापति महोदया, कई कारण हैं। मैं जनवरी के लास्ट वीक में कोटा, झाडोल बूंदी का दौरा करके आया था। सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदया की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं, 6 टीचर्स का एक साथ ट्रांसफर हुआ था फलासिया से। प्रधानाध्यापक जी कह रहे थे कि क्या करूं, प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी में आ गई है, मेरे पास दूसरे टीचर्स कब आयेंगे, कैसे कोर्स पूरा कराऊं। सभापति महोदया, राजनैतिक भावना से ट्रांसफर किये जाते हैं यह बहुत गलत बात है। राजनैतिक भावना से ट्रांसफर नहीं होना चाहिये ताकि शिक्षक स्वयं संतोष से वहां पढ़ा सकें। सभापति महोदया, मैं मेरे इलाके की बात इसके साथ कह देना चाहता हूं।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री मेघराज तावड़ : संक्षेप में। माननीय सभापति महोदया, मेरा इलाका बहुत ही पहाड़ी इलाका है। मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि ट्राइबल सब-प्लान का पैसा, जैसा माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया कह रहे थे, उदयपुर जिले के प्राइमरी और मिडल स्कूल में नहीं दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं, जितना भी ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, चाहे शिक्षा का पैसा हो, चाहे मेडिकल का पैसा हो, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स और शिक्षा विभाग का पैसा है वह उसमें लगाइये लेकिन जो ट्राइबल का पैसा है वह ट्राइबल के लिये लगाना पड़ेगा। दूसरी जगह हमारा पैसा लगाकर आप कहते हैं कि ट्राइबल सबप्लान में इतना पैसा दिया गया। वह पैसा हमारे खाते में खर्च नहीं होता है, हमारे लिये खर्च नहीं होता है और दूसरी जगह जाकर खर्च कर देते हैं। दूसरी स्कूल्स में खर्च होता है, आपके शिक्षा विभाग से अलाटमेंट होता है, वह बहुत कम होता है। हमारा पैसा माइनस हो जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ट्राइबल इलाके में हायर सैकण्डरी, मिडल और प्राइमरी स्कूल्स नहीं हैं जो कोटड़ा का इलाका है, गोगुन्दा से कोटड़ा जाते हैं तो बीच में मांगड़ा का छोरा एक मिडल स्कूल आता है, बहुत लंबे समय से यह मिडल स्कूल है। ट्राइबल सब-प्लान में आते हुए उस स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया है। एक तरफ ट्राइबल लोगों को शिक्षा देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनको उपेक्षित रखते हैं, यह दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। आप उपेक्षा करना चाहते हैं, जान-बूझकर इनको पढ़ाना नहीं

(180)



(श्री मेघराज तावड़)

चाहते हैं। अगर आप शिक्षा देना चाहते हैं या इनका प्रमोशन करना चाहते हैं तो फिर दूसरी जगह पैसा क्यों ले जाते हैं ? जो बोलते हैं उनके लिये तो सब कुछ कर देते हैं और जो नहीं बोलते हैं उनके लिये कुछ नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा, सभापति महोदया, कम से कम हमारे ट्राइबल सबप्लान का पैसा और जगह खर्च नहीं करें। हमारे यहां प्राइमरी और मिडल स्कूल्स खोले जायें। सभापति महोदया, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में बात कहना चाहूंगा।

**श्री सभापति** : जो माननीय सदस्य पहले नहीं कह चुके हैं।

**श्री मेघराज तावड़** : मैं केवल संकेत दूंगा। माननीय मंत्रीजी से अभी बात कर रहा था, लॉ कालेज के 185 छात्र हैं, सभापति महोदया, परीक्षा में केवल 85 छात्र बैठे थे। माननीय सदस्य ने एक पेपर के बारे में बताया था, एक पेपर पूरा दे दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न पेपर की वह परीक्षा देना चाहते थे उन्होंने कोई बहिष्कार नहीं किया, एक-एक प्रश्न तो पूरा कर लिया था लेकिन कुछ लोगों ने आकर वहां बाधा उपस्थित की तब जाकर बीच में उठना पड़ा। उनकी कापियां वगैरह फाड़ दी। इसका मतलब यह है कि उन तमाम लड़कों को फेल कर दिया जाये? आपको परीक्षा की तारीख निश्चित करनी चाहिये। आज राजस्थान पत्रिका में परिणाम आये हैं, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, वाणिज्य और कला के बहिष्कृत परीक्षा पत्रों के परिणाम आये हैं। बहिष्कार करने के बाद आप डेट घोषित करके परीक्षा दिलाते। कौन सा कारण था, किस वजह से परीक्षा नहीं दिलाई ? कुलपति के दिमाग में लड़कों के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं थी, उनके जीवन से खिलवाड़ करने की भावना नहीं थी तो आपने उनको फेल कैसे किया ? सभापति महोदया, लड़कों को कोई मालूम नहीं है, किसी तरह का पता नहीं है कि हमारा पेपर वापस हो रहा है या नहीं, तारीख आयी है या नहीं। पहले लड़कों से बात कर ली कुलपति ने कि आपके पेपर दूसरी तारीख को तय करवा कर परीक्षा करवा दी जायगी। परीक्षा करवाये बिना ही उनको फेल घोषित कर दिया। फिर कहते हैं सप्लीमेंट्री परीक्षा दिला सकते हैं। माननीय सभापति महोदया, यह बात हो गई इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी कुलपति को कहें, क्या कारण है? इसके पीछे लड़कों के जीवन के साथ,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खिलवाड़ करने की साजिश है, इसका पता लगायें। सभापति महोदया, अब मैं यूनिवर्सिटी में जिस जगह पर विकृतियां पैदा हो गई हैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आज यूनिवर्सिटी में जिस तरह से साम्प्रदायिक तत्व हावी हैं, उसके आधार पर शिक्षा जगत में गुटबाजियां शुरू होती जा रही हैं। आज जो साम्प्रदायिक तत्व हावी हैं उनको रोका जावे, गुटबाजी की जा रही है उसको रोका जावे, परीक्षाओं में अनियमितताएं की जा रही हैं उसकी न्यायिक जांच करवायी जाय। यही नहीं, सभापति महोदया, आज आपके चाहे कर्मचारी हों, चाहे शिक्षक हों उनके पद खाली पड़े हुए हैं। अस्थाई तौर पर कई कर्मचारी भर्ती कर रखे हैं उन कर्मचारियों को स्थाई कीजिये ताकि उनमें असंतोष मिट सके।

(श्री मेघराज तावड़)

उनका जो शोषण किया जा रहा है उस शोषण से मुक्ति दिलाई जाये। इसकी न्यायिक जांच करवाइये कितने-कितने कर्मचारियों के पद अस्थायी तौर से भरे हुए हैं, जो लम्बे समय से चल रहे हैं। सभापति महोदया, इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वेतन की असमानता से शिक्षकों में जबर्दस्त असंतोष है। यही कारण है जिसको लेकर शिक्षा मंत्री से मिले हैं, बाहर हड़ताल भी कर चुके हैं। शिक्षकों के वेतनमानों में असमानता है। बेरी वेतन आयोग के आधार पर उनको वेतन दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनकी पुस्तकों के लिये, प्रयोगशालाओं की सामग्री के लिये जो अनुदान दिया जाता है वह भी पूरी तरह से खर्च नहीं होता है। उसके लिये जिम्मेदार कौन है ? सरकार को देखना चाहिये। पैसे का मिसयूज हो रहा है।

आप जल्दी कर रही हैं। मैं केवल प्राइवेट संस्थाओं के बारे में कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज प्राइमरी शिक्षा से लेकर महाविद्यालय शिक्षा तक के लिये प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं। उनमें हमारे जितने भी शिक्षक हैं उनका जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है वैसा आज कहीं नहीं देखने को मिलता। वह भी पढ़े लिखे, योग्य हैं लेकिन उनके वेतनमान में असमानता है। उनको मेडिकल भत्ता नहीं मिलता। उनके रहने की व्यवस्था नहीं की जाती। यही नहीं, कई संस्थाएं तो ऐसी हैं जिनमें वेतन बिल पर 1000–500 पर साइन करा लिये जाते हैं और उनको 300–500 रुपये कम दिये जाते हैं। ऐसा कई जगह हो रहा है। उनको पूरा पैसा नहीं मिलता। उनका जबर्दस्त शोषण हो रहा है। इसलिये मैं मंत्री महोदय और विभाग से कहना चाहता हूं कि आप इस पर कंट्रोल करिये। कोषागार या ट्रेजरी से उनको भुगतान करवाइये ताकि कम से कम उन शिक्षकों का शोषण नहीं हो।

इसके अलावा जो अलग अलग प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं, कालेजेज हैं उनमें किस तरह से प्राइवेट दुकानें खोल रखी हैं, मंत्री महोदय, मैं आपके ही साथ का उदाहरण देना चाहता हूं, क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? आज कोई भी लेक्चरर हो या प्रोफेसर हो, जो योग्य हैं, जिनके पास क्वालिटी है उनको उपेक्षित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उनका अधिकार है नौकरी करने का। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, सभापति महोदया, शीशराम जी ओला का कालेज है इंटर गांधी बालिका निकेतन, आड़ावता। उसमें कुमारी मधु अग्रवाल जो 7 साल से स्थाई थीं...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने उनको कालेज में देखा है क्या ?

श्री मेघराज तावड़ : आप डिस्टर्ब करना जानते हैं। हर बात देखी नहीं जाती। सभापति महोदया, उनको 7 साल की स्थाई नौकरी से निकाल दिया, यह कह कर कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है। उस पर किसी दूसरे आदमी ने साइन किये, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दूसरे के साइन करवाये और कहा कि इस्तीफा दे दिया।

(श्री मेघराज तावड़)
इस प्रकार उनको नौकरी से हटाने की बात की गई।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बिल्कुल असत्य बात है।

श्री मेघराज तावड़ : असत्य आप साबित करना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें। समाप्त करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : यह तो सामंती प्रवृत्ति सामने आ ही जाती है, सभापति महोदया....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : श्यामसुन्दर शर्मा को खण्डेलवाल स्कूल से श्रीरामजी गोटेवाला ने निकाला। इसी तरह से कानोडिया कालेज में प्राचार्य थे, सभापति महोदया..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर सुनें।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : पाइन्ट आफ आर्डर। नियम 273 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी माननीय सदस्य इस सदन के किसी सदस्य के खिलाफ या किसी के खिलाफ इस प्रकार से आरोप लगाये तो पूर्व में लिखित सूचना आपको देंगे और हम सब को देंगे। इस प्रकार मर्जी आये उस पर आरोप लगा दें....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : वह पढ़ कर बतायें।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : क्या पढ़ कर बताऊं, मुझे जुबानी याद है, आपकी तरह XXX नहीं हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। भाषा पर संयम रखें।

श्री मेघराज तावड़: माननीय सभापति महोदया, हम पर यह भी अंकुश लगा दिया जायेगा; यह सही बात है। यह चाहें कि हम इनकी फ्लेटरिंग करें, तो हम फ्लेटरिंग नहीं कर सकते, सभापति महोदया। जो सही बात है वह कहनी ही पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं, क्या चंदनमलजी ने कालेज नहीं चला रखा है? क्या शीशरामजी ओला ने कालेज नहीं चला रखा है? क्या और लोगों ने कालेज नहीं चला रखे हैं? आप लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : यह आपकी व्यवस्था के बावजूद बोलते जायेंगे।

श्री मेघराज तावड़ : शिक्षकों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मेघराज तावड़)

आपको क्यों जलन हो रही है। आपकी सामन्तों की बात आयेगी, मैं अपनी बात कहूंगा। आपकी सामन्तों की बात तो नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, कृपया आसन को इंगित करके कहें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदया, जो इस सदन के सदस्य हैं उनकी अनुपस्थिति में चार्जेज लगा रहे हैं. . . .

(व्यवधान)

मेघराज तावड़ : यह कोई चार्जेज नहीं है। दुकानें चला रखी हैं। भाटी साहिब, मैं आपको कहना चाहता हूं . . .

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आसन को कहें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, मैं आसन से ही कह रहा हूं। पुरानी जागीरदारी तो खतम हो गई, नये जागीरदार पैदा हो गये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, "What it has to do with education ?

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, एक बात कह कर समाप्त करूंगा। हमारी शिक्षा का स्तर गिरा है। प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को, मैं कहता हूं, बन्द कर देना चाहिये। हमारे बच्चों, जो गांव से आते हैं जिन्होंने सैंट पाल या सैंट जेवियर का मुंह नहीं देखा, की शिक्षा में इतनी भिन्नता क्यों है ? हम लोग समाजवाद, प्रजातन्त्र की बात करते हैं लेकिन यह समाजवाद, प्रजातंत्र नहीं है। हम उसकी तरफ भी नहीं जा रहे हैं। जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक समान रूप से शिक्षा गांव के बच्चों को नहीं मिल सकेगी और न वे कंपीट कर सकेंगे। सभापति महोदया, इस गेप को पूरा किया जाना चाहिये। सरकार या तो प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को बन्द कर दे या फिर शिक्षा का स्टेण्डर्ड सब जगह बढ़ाये ताकि गांव के लोग भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री भालू खां

(अनुपस्थित)

श्री नाथूसिंह। माननीय सदस्य, मेहरबानी करके समय का ध्यान रखेंगे।

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : सभापति महोदया, सबसे पहले तो मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सुखाड़िया जी के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश की मगर वह चल नहीं पाये। उन्होंने शिक्षा विभाग को तो दो भागों में विभाजित कर दिया हायर और लोअर एजूकेशन में, लेकिन इसकी व्यवस्था कैसे होगी ? केवल मंत्री परिषद् में एक सदस्य और बढ़ाने के लिये, मैं समझता हूं कि एक असंतुष्ट को संतुष्ट

(श्री नाथूसिंह)

करने का नया तरीका उन्होंने निकाला। सभापति महोदय, असंतुष्टों को संतुष्ट करने से काम नहीं चलेगा। हालांकि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका आन्तरिक मामला है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के चाहे कितने ही मंत्री रख दीजिये, कितना ही बजट बढ़ा दीजिये उससे इसमें सुधार नहीं होने वाला है। सुधार होगा तो पूरे प्रशासनिक वातावरण को खींचने, टाइट करने से, एडमिनिस्ट्रेशन की ठीक-ठीक व्यवस्था करने से होगा। कोई नई शिक्षा नीति आप देंगे उससे सुधार होगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, सक्रेटेरिएट, जहां पर मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री, दोनों बैठकर शासन चलाते हैं, से केवल एक किलोमीटर दूर की स्थिति का वर्णन करना चाहूंगा। आपके एक माननीय मंत्री महोदय तो सिंडीकेट के सदस्य रह चुके हैं, वे राजस्थान विश्वविद्यालय की एक-एक चीज से परिचित हैं। मगर जैसे ही उनको कुर्सी मिली, उनकी भाषा बदल गई, क्रियाकलाप बदल गये। पहले तो वे कहते थे कि बड़ा गड़बड़ चल रहा है लेकिन आजकल उनसे विश्वविद्यालय की बात करो तो ऐसे चमकते हैं जैसे लाल कपड़ा देखने से ऊंट चमकता है। सभापति महोदया, आज राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थिति यह है कि न कोई ईयरली कलेण्डर है, साल भर का क्या विश्वविद्यालय का प्रोग्राम रहेगा, कब परीक्षा होगी, कब सैशन शुरू होगा, कब अन्त होगा, किस स्थिति में कैसे परीक्षाएं संपन्न हो पायेंगी या नहीं, कुछ भी नहीं है। परीक्षाओं में धांधली हो रही है। आप रोजाना अखबारों में पढ़ते होंगे, घोटाले, अनियमितताएं और जो नियुक्तियां होती हैं उनमें अनियमितताएं, इकानामिक मामलों में गड़बड़ियां भ्रष्टाचार, यह क्या स्थिति है? विश्वविद्यालय का दिवाला आउट हो गया। यह क्या स्थिति हो रही है? क्या मंत्री महोदय इस स्थिति का सदन में जवाब देंगे?

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस राजस्थान विश्वविद्यालय में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, विशेष रूप से जो वी. सी. नियुक्त हैं, वे ही सारा कार्यभार देखते हैं। उनके कारण आज हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में है। परीक्षाएं समय पर हो सकें, परीक्षाओं के रिजल्ट समय पर निकल सकें इसमें बहुत ही धांधलियां हैं। यहां तक, सभापति महोदया, कि जो विद्यार्थी पास थे उनको फेल घोषित कर दिया गया और जो फेल थे उनको पास कर दिया गया। मार्क्स शीट्स खाली दे दी गयीं। सौ नम्बर का पेपर था और 115 नम्बर दे दिये। कम्प्यूटर प्रणाली का नया सिस्टम लागू किया। यह कम्प्यूटर प्रणाली इसलिए लागू की गई कि इसके जरिये विश्वविद्यालय को फायदा होगा, रजिस्ट्रार को अपने रिलेटिव्ज को लाभ पहुंचाना था इसलिए इन्होंने तीन फर्म को टेण्डर के द्वारा ठेका दिया। इसमें एक दिल्ली की फर्म थी, दूसरी जयपुर की फर्म थी और तीसरी इन्दौर की थी। जो इन्दौर की फर्म थी उससे रजिस्ट्रार का रिलेशन था। इन तीनों फर्म को ही ठेके दिये गये। तीनों फर्म की अलग-अलग रेट है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक कम्पनी की रेट थी 2.50 रुपये, दूसरी की रेट थी 3.10 रुपये और तीसरी की रेट थी 3.50 रुपये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि तीन रेट पर ठेका देने का क्या कारण था?

(श्री नाथूसिंह)

जिनको यह कार्य दिया गया उनके पास कम्प्यूटर नहीं थे तो बीच में दलाल थे। क्या आपने इनको ठेका देने से पहले पूछा है कि आपके पास कम्प्यूटर हैं या नहीं ? इस बात की जांच की है ? टेण्डर आमंत्रित किये । जो टेण्डर वालों को आपने कार्य दिया उसमें वो किये आपने कोई रूल्स बनाये हैं जिनके अनुसार यह ठेका दिया ? यह मैं आपसे जानना चाहूंगा।

सभापति महोदया, वी. सी. ने सारी पावर्स अपने हाथ में ले लीं जब परीक्षायें हुई। सभापति महोदया, जो प्रिवेन्सेज कमेटी होती है वह परीक्षक नियुक्त करती है और उनको डाइरेक्शन देती है कि हमारे पास इस तरह की शिकायतें आई हैं, उनके लिए आपको इस-इस तरह के डाइरेक्शन दिये जाते हैं इसके अनुसार आप कापियां चेक करें। लेकिन वी. सी. ने पावर अपने हाथ में ले ली इसलिए समय पर परीक्षकों को डाइरेक्शन नहीं पहुंचे। अंकतालिका दुबारा जांचने में विलम्ब हुआ इसके कारण परिणाम लेट निकला। लेट ही नहीं निकला, परिणाम कैसा निकला इसके एक दो उदाहरण मैं यहां पर देना चाहूंगा। सभापति महोदया, स्मिता गुप्ता प्रथम वर्ष टी. डी. सी. की छात्रा है। वह सारे छात्रों में सर्वोपरि थी उसको इन्होंने फेल कर दिया। और इस कारण उसने आत्म हत्या करली। आपके ध्यान में यह बात आयी है जो शिकायतों का मेमोरेण्डम आपको दिया गया है उसमें यह बात है। विद्यार्थियों के जीवन के साथ विश्वविद्यालय खेल रहा है। जहां उनके भविष्य का निर्माण होता है, जहां उनके चरित्र का निर्माण होता है, जहां उनका मानसिक विकास होता है वहां पर उनकी हत्याएं होती हैं। घोर अपराधी विश्वविद्यालय का प्रशासन। जहां इतना बड़ा अपराध हो, जहां छात्रों को आत्म हत्या करने के लिये उतारू होना पड़े, वी. सी. और विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। जाय, वहां वह विश्वविद्यालय कैसे हुआ ? मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मिस दीप्ती सिंह, द्वितीय वर्ष कला की छात्रा है, उनको दूसरे विद्यार्थी के क्रमांक दे दिये गये। उनका परिणाम घोषित नहीं हुआ। उनको फेल कर दिया। जब उन्होंने कोर्ट में जाने की धमकी दी तब जाकर उनका परिणाम निकाला। एक और मिस महा प्रभा महारानी कालेज की प्रथम वर्ष विज्ञान की छात्रा थी। उसको पहले फेल घोषित कर दिया गया और बाद में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित कर दिया। इस तरह से इन छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज तक इसकी जांच हुई ? अगर हुई, तो क्या जांच की रिपोर्ट आई है ? यदि आई है तो आप जांच रिपोर्ट को सदन में रखें। जांच नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ? अगर जांच चल रही है तो क्या स्थिति है ? इन लोगों के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है ? इसका मंत्री महोदय जवाब दें। इतना ही नहीं एम. ए. अर्थ शास्त्र में मैथेमेटिक्स, इकोनोमिक्स की जो अंक सूची थी उसमें प्रत्येक छात्र को शून्य, जीरो नंबर दिया गया। बाद में पता लगा कि यह कापियां इण्डस्ट्रियल इकानोमी के परीक्षक को भेज दी गई। उल्टी सीधी कापियां चली गयीं। जो कॉपियां जंची हुई थी, बिना जंची कॉपियों में मिल गयीं। बिना जंची हुई कॉपियां जंची हुई कॉपियों में मिल गयीं। सभापति महोदया

(श्री नाथूसिंह)

इतनी अव्यवस्था है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप इजाजत दें तो आपके सामने लाकर बता दूं, जिस लडके का परिणाम घोषित नहीं हुआ है आप उसको चुपचाप बुलाकर प्राईवेटली पूछ लें, वह बता देगे कि मेरा परिणाम यह है। आज परिणाम घोषित होने के पहले ही नंबर मालूम हो जाते हैं। लडकों को यह पता चल जाता है कि कापियां कहां गई हैं। परीक्षक को पीटने की वारदातें आपके सामने आयी हैं। आपके सामने आयी है। आपने क्या कार्यवाही की? जो थर्ड क्लास लडके हैं वे टाप कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में। यह क्या स्थिति है? इस स्थिति को मैं समझता हूं, रोकना आवश्यक है। मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान दें।

एक ओर मैं निवेदन करना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी से आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है, बिलकुल पास है कानोडिया महाविद्यालय। वहां की छात्राओं ने बैंक ड्राफ्ट दिये लेकिन रजिस्ट्रार ने उनको खाते में जमा नहीं कराया। इसका परिणाम यह हुआ है कि उनका परिणाम रोक दिया गया, परिणाम नहीं निकला। यह नेग्लीजेन्स रजिस्ट्रार की है, विद्यार्थियों की नहीं। उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं? इस तरह से एक नहीं मैं आपको बताऊं हजारों विद्यार्थियों के रिजल्ट्स रुके हुए हैं। उनके रिजल्ट्स लेटर आर. डबल्यू. आर.एल. अनियमिततायें हैं। यह क्या स्थिति विश्वविद्यालय की बना रखी है? ज्यादा इस सम्बन्ध में कुछ न कहकर मैं निवेदन करूंगा कि इन परिक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसको रोकिए, जो दोषी व्यक्ति हैं, जब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक वे आगे धांधली करते जायेंगे। सभापति महोदया, इसके लिए वे कहते थे हैं कि विश्वविद्यालय बहुत बड़ा हो गया है, इसका आकार बड़ा हो गया है। दो साल पहले तो ऐसी बात नहीं थी सभापति महोदया, चाहे इसका आकार दस गुना हो जावे, जो राजस्थान विश्वविद्यालय 1967-68 में था, एशिया में जिसकी गिनती होती थी आज उसकी हिन्दुस्तान में गिनती नहीं है। यह क्यों हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो भी जिम्मेदार है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह दोषी है। जो नियुक्तियां हुई हैं, सभापति महोदया, उन नियुक्तियों में क्या हुआ है? यह जो परिक्षायें हैं, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि परिक्षायें किस तरह होती हैं। एम. ए. इकानामिक्स डिपार्टमेण्ट की परीक्षा में, मैं किसी पर चार्ज नहीं लगाना चाहता हूं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी बड़ी इर्रेगुलरटीज विश्वविद्यालय में हो रही हैं। वी. सी. की लड़की बी. ए. (आनर्स) इकानोमिक्स की परीक्षा में बैठी। उसके फर्स्ट इयर में 53 पर्सेन्ट मार्क्स थे। उसका नाम भी मैं लेना चाहूंगा, माया वी. सी. की लड़की है। फर्स्ट ईयर में उसके 53 पर्सेन्ट मार्क्स थे। इसके पिता वी. सी. नहीं थे जब वी. सी. बन गये तो सैकिण्ड ईयर में 70 परसेन्ट और थर्ड ईयर में 60.8 परसेन्ट मार्क्स उसके आये। उस लड़की ने जब पेपर्स हुए तो शिकायत की उस पर एक्शन लिया गया। जो बोर्ड आफ स्टडीज है उसके कन्वीनर तय करते हैं कि एग्जामिनर कौन हो। एग्जामिनर की लिस्ट बनती है। सभापति महोदय, कन्वीनर की राय को कैंसिल करके

(श्री नाथूसिंह)

वी.सी. जो उस मीटिंग में नहीं गये थे, ने बाद में अपने हिसाब से एग्जामिनर नियुक्त कर दिये। परिणाम यह हुआ कि यह कम्बोनर कोर्ट में गये। कोर्ट ने कहा कि यह गलत किया है वी. सी. ने। इस प्रकार एग्जामिनर की नियुक्ति करने में देरी हुई। इसके कारण परिक्षायें लेट हो गई। आज एक भी विद्यार्थी को रोल नम्बर नहीं मिला। रोल नम्बर मिल गया तो केन्द्र का पता नहीं मिला। केन्द्र का पता मिल गया तो रोल नम्बर का पता नहीं है। उनको वैसे ही परीक्षा में बैठा दिया रोल नम्बर बाद में दे देगें। परीक्षा देने के आधा घंटा पहले रोल नम्बर मिले हैं। यह मिले या नहीं, आप इसकी जांच करें। मैं विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूं, मुझे मालूम है कि आधा घन्टा पहले रोल नम्बर दिये गये। उल्टे-सीधे केन्द्र पर विद्यार्थियों को बैठा दिया गया। परीक्षकों का पता नहीं। इतनी बड़ी इर्रेगुलेरिटी हुई। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पेपर्स सैट किये गये, उस लड़की को ज्यादा नम्बर दिलाने के लिये वी. सी. ने उनको छपने से पहले खोल दिये। किस कारण से, किस अथोरिटी से उन्होंने पेपर्स को खोला, यह मैं जानना चाहूंगा? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस लड़की के लिये स्पेशली टेबुलेटर अलग से एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। बाकी छात्रों की कम्प्यूटर से जांच करवायी और टेबुलेशन करवाया। अगस्त में उस लड़की का रिजल्ट निकाल दिया क्योंकि उसको प्रिविलेज प्राप्त है, वह वी. सी. की लड़की है इसलिये अगस्त में उसका रिजल्ट निकाल दिया और बाकी के विद्यार्थियों, जो परीक्षा में उसके साथ बैठे थे, अक्टूबर, नवम्बर में परिणाम निकला। वह वी. सी. की लड़की है उसको प्रिविलेज प्राप्त है, दिल्ली में वह एडमीशन लेना चाहती थी, वी.सी. की लड़की होने के कारण अगस्त में व्यवस्था करके उसका परिणाम जल्दी से घोषित करवा दिया यह स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? आज विश्व-विद्यालय के अन्दर, सभापति महोदय, जो नियुक्तियां हुई उसके लिए चार बार कमेटी बैठी है। अब तक चार कमेटी ऐसी बैठी है जिसने नियुक्ति की। उन नियुक्तियों में आपको धांधली की शिकायत मिली होगी। एक मिसेज हूण है इंगलिश डिपार्टमेंट में। उनका रिजर्व लिस्ट में नाम था। रिजर्व लिस्ट छः महीने तक के लिए रहती है यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से। छः महीने के अन्दर आदमी को लिया जाता है नहीं तो लिस्ट कैंसिल हो जाती है। परन्तु उनको नौ महीने के बाद लिया गया है। मिसेज हूण को नौ महीने के बाद इंगलिश डिपार्टमेंट में लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सब कैसे हुआ? सभापति महोदय, इतना ही नहीं और जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनमें ऐसे उदाहरण हैं। मेरे पास एक कागज है, आप चाहेंगे तो मैं बताना चाहूंगा, सभापति महोदय, उनका इन्टरव्यू होता है 31 तारीख को, नियुक्ति करते हैं 31 तारीख को लेकिन अपाइन्टमैंट लैटर मिल जाता है 28 तारीख को। मैं नाम भी बताना चाहूंगा, मिस्टर रमेश चन्द्र शर्मा हैं। यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरार हैं जियोग्राफी के जो उनके अंदर हैं। उन्होंने 28-1-81 को जोइन कर लिया और उनका अपाइन्टमैंट 31-1-81 को हुआ।

(188)



(श्री नाथूसिंह)

तीन दिन पहले उन्होंने जोइन कर लिया बाद में उनका अपाइन्टमेन्ट हुआ। यह किस तरह की इर्रेगुलेरिटीज है, यू.जी.सी. के नियम बने हुये हैं उनके डायरेक्शन्स हैं। उन सब की अवहेलना करके यह इस प्रकार की...

श्री सुरेन्द्र व्यास : कौन सा डिपार्टमेंट है ?

श्री नाथूसिंह : यह है जियोग्राफी डिपार्टमेंट।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, एम. फिल ये नहीं थे, बिना एम. फिल हुए उनका अपाइन्टमेंट किया गया जब कि एम. फिल होना जरूरी है और इसमें शर्ते हैं, यू.जी.सी. की कुछ कण्डीशन हैं कि बी.ए., एम.ए. के पहले इतने परसेन्ट मार्क्स होने चाहिए। वह कोई क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं की गई। एम. फिल नहीं थे लेकिन इनकी नियुक्ति की गई। इतना ही नहीं, नियुक्तियों के लिए इस समय गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के डायरेक्शन हैं उसके बावजूद राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर परमानेन्टली विदेशी लोगों का अपाइन्टमेंट हो चुका है और वे आज विश्व विद्यालय में सेवा कर रहे हैं। आपको गवर्नमेन्ट आफ इंडिया यू.जी.सी. ने एक लैटर लिखा, सभापति महोदय, वैसे मंत्री महोदय जानते हैं लेकिन सदन में भी यह बात आये, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं : "F-15/6/80 Cp of Feb-1981 From the Secretary, University Grants Commission, New Delhi." उन्होंने कहा है कि :

"I am directed to say that the Government of India, Ministry of Education & Culture has desired that University may, as a matter of general policy, appoint non-Indians only in very exceptional circumstances."

वेरी एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेज लिखा है। उनको नियुक्त करने के कौन से एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेज हैं ? दो लेक्चरर्स हैं, एक हैं वी. सी. साहब की धर्म पत्नी मिसेज बन्नीथान, दूसरी वहां के प्रो. वाइसचांसलर, जिनका कि कोई प्रोवीजन नहीं है, कैसे उनकी नियुक्ति कर दी इतनी हायर सैलेरी दी जा रही है। एक उनकी धर्मपत्नी हैं, एसोशिएट प्रोफेसर के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। एक है उच्च नागरिक और एक अमेरिकन नागरिक, उन्होंने फार्म भरा। सारे नियमों को ताक में रख कर नियुक्तियां हुई हैं। मैं लैटर पहले निवेदन कर दूं, कैसे एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेज में उनकी नियुक्ति होती है :

"In such cases, the appointment should be...."

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सदस्य, आप यूनिवर्सिटी के स्टुडेन्ट हैं आज भी, क्या आज कोई पी. वी. सी. है यूनिवर्सिटि में ?

श्री नाथूसिंह : पिछले दिनों थे आपको मालूम है। ठीक है, आज नहीं हैं लेकिन पहले थे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें।

श्री नाथूसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आगे उन्होंने लिखा है :

"In such cases, the appointment should be made on a contract basis for the minimum period necessary,"...

कान्ट्रैक्ट बेसिस पर लगाना चाहिये परमानेन्ट अपाइन्टमेंट नहीं होगा।

"....and the University should obtain the clearance of the Government of India in this regard." मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट आफ इंडिया की क्लियरेंस मांगी इनके बारे में ? इनका कन्डक्ट कैसा रहा है, इनका कैरियर कैसा रहा है इस बारे में क्या पता किया ? मिसेज उन्नीथान डच नेशनलिस्ट है, नोन-ग्रेज्यूएट है लेकिन इंग्लिश डिपार्टमेंट की लेक्चरर हैं। इतना ही नहीं इनको स्टूडेन्ट एडवाइजरी ब्यूरो का डायरेक्टर बनाने की साजिश की जा रही है। एक नया डिपार्टमेंट, न्यू स्टूडेन्ट सर्विस सेन्टर खोला जा रहा है। इसका यू.जी.सी. को प्लान भेज दिया गया। उसका उनको डायरेक्टर बनाने की चेष्टा की जा रही है।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अमेरिकन लेडी है, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने पता किया ? एक की मार्क्स शीट इनकी एप्लीकेशन के साथ नहीं है। एक ने ग्रेज्युएट दिखाई है, दूसरी नोन-ग्रेज्युएट है। सभापति महोदय, जब ईरान-ईराक में युद्ध चल रहा था, ईरान के विद्यार्थियों ने मीटिंग की विश्व-विद्यालय में। ईरान की एक एजेन्सी है, यहां मीटिंग कर के पता नहीं क्या क्या चीजें उसको भेजी गईं। इमरजेन्सी में इनको आपने हटा दिया यूनिवर्सिटी से। इसका मतलब है कि इन पर शक था।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली। मैं आज फिर आग्रह करना चाहता हूं, मंत्री महोदय इन्होंने फार्म भरा है एसोशिएट प्रोफेसर का इंग्लिश डिपार्टमेंट में। इनका सलेक्शन होगा आज बता रहा हूं मैं आपको। यह सलेक्शन होगा और सारे कानून कायदों को तोड़ कर होगा। इसलिए इसको आप रोकिये। विदेशी महिलाओं का सलेक्शन सारे कानून कायदों को ताक में रख कर हों, इसे आप रोकें। आज तक ये दोनों विश्वविद्यालय में कैसे हैं जब कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया से परमिशन नहीं ली, किसी की परमिशन नहीं ली ? इसकी भी आप जांच करायें। जिनकी वजह से ये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, अपाइन्टमेंट में और भी बहुत सारी धांधलियां हुई हैं उनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर फाइनेन्शियल इरेगुलेरिटीज कितनी हो रही हैं। आज यूनिवर्सिटी घाटे में जा रही है, आपके पास पैसा नहीं है। किसी भी चीज के लिए कहो तो कहते हैं पैसा नहीं है लेकिन आज विश्वविद्यालय के अन्दर कई बंगले खाली पड़े हुए हैं। रजिस्ट्रार का बंगला तीन साल से खाली पड़ा हुआ है, मैं नम्बर बता

190



(श्री नाथूसिंह)

सकता हूं। पांडेजी गये उनका बंगला खाली पड़ा हुआ है। उसमें केवल शादियां हो रही हैं। शादी किसकी हो रही है, पांडे साहब का बंगला है वह कई दिनों से खाली है, हजारों रुपया इस समय उसके कन्स्ट्रक्शन पर, उसकी सजावट पर केवल इसलिए खर्च किये जा रहे हैं क्योंकि होम सेक्रेटरी रामगोपाल जी की लड़की की वहां शादी होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, विश्वविद्यालय को आपने क्या बना रखा है? उसके अन्दर वी. सी. की मैरीज एनीवरसरीज मनाई जाती है, उसके फ्रूट जूस का बिल विश्वविद्यालय में बनाया जाता है। मंत्री महोदय, आप तो उस पार्टी में सम्मिलित थे और वहां पर शराब भी वितरित की गई थी। क्या नहीं थे आप, कह दीजिए? उसमें बड़े-बड़े आफिसर्स थे।

एक माननीय सदस्य : कहां पर हुई?

श्री नाथूसिंह : गैस्ट हाऊस में सितम्बर-अक्टूबर में जो पार्टी दी गई उसके अन्दर बिल बनाया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कौनसी पार्टी में था? बिना जानकारी के आप बोल रहे हैं?

श्री नाथूसिंह : आखिर मैं बता दूंगा उसमें मौजूद थे मुझे मालूम है। आप लोग थे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : वहां पर इतनी इर्रेगुलेरिटीज हुई। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आज भी लोग डिमाण्ड कर रहे हैं कि जो बंगले खाली हैं उनको यूनिवर्सिटी किराये पर दे दे। परन्तु इसलिये नहीं दिये जाते हैं कि वे भी वी. सी. के ग्रुप के व्यक्ति नहीं हैं। वी. सी. के ग्रुप के व्यक्ति और दूसरे के व्यक्ति, मेरी समझ में नहीं आता कि विश्वविद्यालय में कितने ग्रुप पैदा हो गये, और यह कब से हो गये, मंत्री महोदय?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री नाथूसिंह : एक एन. डी. गौतम थे जो रिटायर हो गये उनकी जगह प्रोफेसर ने पाई एप्लाई किया कि बंगला मुझे दे दीजिए लेकिन वी. सी. की उनसे पटती नहीं थी इसलिए उन्हें बंगला नहीं दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि 60 हजार रुपये उन दो बंगलों को ठीक करवाने के लिए किस हिसाब से लगाये जा रहे हैं? जो बंगले खाली हैं विश्वविद्यालय का नुकसान हो रहा है यह क्यों हो रहा है? इसके बारे में आप जानकारी करके मुझे बतायेंगे सभापति महोदय, महाराजा कालेज के एक डाक्टर इन्दु शेखर हैं...

(व्यवधान)

उन्होंने एक विद्यार्थी से एक पाठ्यक्रम के 750/ रुपये लिये हैं। जबकि महाराजा कालेज में सारी सुविधायें फ्री मिलती हैं उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आपने क्या विश्वविद्यालय को लुटाने की सोच रखी है। मुझे भी नाइट कालेज महाराजा कालेज में चलाने की अनुमति दे दो। क्या दे दोगे आप? नहीं दोगे। सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि उनसे एक पैसा वसूल नहीं करते, सारी सुविधायें दे रखी हैं। विश्वविद्यालय को आप लुटा रहे हैं। विश्वविद्यालय को घाटा हो रहा है, फिर क्यों नहीं जायेगा घाटे में?

(श्री नाथूसिंह)

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक व्यक्ति हैं जिनका एपाइन्टमेंट किया गया। के. एन. मिश्रा, जन सम्पर्क अधिकारी बनाया गया उनका क्या काम था। जब विश्वविद्यालय में स्ट्राइक हुई थी उसके दौरान गुंडे, असामाजिक तत्व विश्वविद्यालय को नहीं चलने दे रहे हैं। तब उन्होंने प्रोफेसरों को तो गुंडा बताया और विद्यार्थी नेताओं को असामाजिक तत्व बताया, यह उनका कार्य था। उनकी योग्यता भी उस पद के अनुकूल नहीं थी लेकिन उनको अपाइंटमेंट दिया गया। सभापति महोदय, ये भेजते हैं अपने बहुत लोगों को, एक बार नहीं दो दो बार विदेश जाने की आवश्यकता नहीं थी फिर भी विदेश भेजा। एक हैं मिस पुष्पा खन्ना और एक मिस कमला जुत्सी, जो पहले महारानी कालेज की प्रिंसिपल थी। जिनको मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं। वह मेरे साथ भी स्पोर्टस कौंसिल में रही हैं इसलिए मैं भी उनको अच्छी तरह से जानता हूं। उसका अपाइंमेंट भी हमने उस समय किया लेकिन उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वे पहले विदेश जा चुकी थीं लेकिन फिर उसे विदेश भेजा गया, उनको अनुदान दिया गया और विदेश भ्रमण करवाया गया। सारे रूल्स/नियमों को तोड़कर उनको विदेश की सैर करायी गयी, इसकी क्या आवश्यकता थी ? उनको कितना अनुदान दिया गया ? इसके लिये कौन दोषी है ? इसकी भी जांच करायेंगे, ऐसा मैं समझता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ये लोग कौनसी स्कालरशिप लेकर गये थे ?

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, वहां तो स्कालरशिप का मामला ऐसा है, जिसके सिर पर कमानी बैठ जाये, वी.सी. की जिस पर मेहरबानी हो जाए उनको विदेश भेज दिया जाता है। वहां पर नियमों को कौन देखने वाला है ? यह बात मंत्री महोदय को मालूम है स्वयं जानते हैं मगर उनसे प्राइवेटली बात की जाय तो बता देंगे की गड़बड़ हो रही है। पर पता नहीं किसने इनके हाथों को किसने रोक रखा है एक्शन लेने के लिये। क्यों नहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं, सारी परिस्थितियों से आप वाकिफ हैं।

इसी प्रकार होम साइन्स डिपार्टमेंट में एक अस्थायी प्राध्यापक को नियुक्त किया गया। आवेदन का समय निकल जाने के बाद उस व्यक्ति ने आवेदन किया और उसको ही परमानेंट कर दिया गया। इस तरह की इर्रेगुलेरिटी हैं। एक के बाद एक कई हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : शोर्ट कर रहा हूं। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं जिनमें इर्रेगुलरेटी हुई हैं। फाइनेंसियल इर्रेगुलेरेटी हुई हैं। लाइब्रेरी की बात करें, वहां क्या हो रहा है। वहां पर सेंट्रल हाल में जो पेंटिंग लगी हुयी थी वे कहां चली गयीं इसका कोई जवाब नहीं है। वहां पर बाहर का आदमी बैठा रखा है।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, कोरसपोंडेन्स डिपार्टमेंट की यही स्थिति है। आप पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं और क्लासेज अब बन्द कर दी हैं। समय पर लेक्चर तैयार करके नहीं भेजते हैं...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : बस समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : बस दो तीन पांच मिनट में।

श्री सभापति : आपने काफी समय ले लिया है। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : पांच मिनट में। प्रेस की क्या हालत है ? प्रेस वैल अपटूडेट है लेकिन बाहर पता नहीं क्यों छपवाते हैं ? वहां क्यों नहीं छपवाते हैं, पता नहीं क्या बात है, आप पता लगायेंगे। सभापति महोदय, इसके बारे में एक-एक बात कहूं तो इतना समय लग जायेगा कि..

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पूरा दिन लग जायेगा।

श्री नाथूसिंह : आज विश्वविद्यालय घाटे में जा रहा है, क्यों घाटे में जा रहा है ? एक तरफ तो पैसा नहीं है दूसरी तरफ जो रिटायर हो गये हैं, जो वी.सी. के चहेते हैं अपांइटमेंट उनको दे रखा है। कोई 65 साल का है कोई 62 का कोई 60 साल का है। किसी को ढाई हजार, किसी को तीन हजार तनख्वाह मिलती है। कुल मिलाकर 17 हजार 860 रुपया महीना इन पर खर्च हो रहा है। जिसके बिना भी काम चल सकता है। सभापति महोदय,...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, एक हैं डाक्टर काशीप्रसाद उनकी चीफ प्रोक्टर के रूप में नियुक्ति कर रखी है। किसी दूसरे को ढाई सौ रुपये दे दें तो वह सारा काम यह कर लेगा लेकिन उनको पता नहीं क्यों ढाई हजार रुपया महीना दिया जा रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय की स्थिति यह हो रही है कि कोई काम नहीं हो रहा है, परीक्षायें नहीं हो रही हैं, इर्रेगुलेरेटी हो रही हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, पिछले दिनों में दो बार हड़ताल हुयी, उस हड़ताल को कुचलने के लिये कितना पैसा खर्च किया गया, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा ? सभापति महोदय, वहां की कर्मचारी एसोसियेशन के अध्यक्ष मंडावत हैं उनको सस्पेन्ड कर दिया ? रीजन यह दिया कि रामसिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड किया गया है। जब प्रेशर बढ़ा तो कहा कि हमारे साथ मिस बिहेव किया। सभापति महोदय, मिसबिहेव तो एक व्यक्ति कर सकता है लेकिन विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहला मौका था, मैं भी बहुत दिनों से विश्व विद्यालय से सम्बद्ध हूं, जब चारों यूनियन साथ में कदम से कदम मिलाकर वी. सी. के खिलाफ खड़ी हो गयीं...

श्री सभापति : आप समाप्त करने का कष्ट करें, कृपया। एक मिनट के बाद भाषण आटोमेटिकली समाप्त माना जायेगा।

श्री नाथूराम : आप तो काफी उदार हैं।

श्री सभापति : काफी समय दे दिया है।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट में ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जुडिशियल जांच करायें या विधान सभा के सदस्यों की कमेटी बनायें, आप स्वयं उसमें रहें, उससे जांच करायें। आप कार्यवाही करेंगे इस बात का सदन को आश्वासन दें। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। एक डायरेक्टर आफ संस्कृत, राम नारायण चतुर्वेदी की डेट आफ बर्थ गलत बताकर उसमें पांच बार फोर्जरी की गयी। उनको 11-9-82 को ही रिटायर हो जाना चाहिए था लेकिन वे आज तक वहां पर काम कर रहे हैं। वे काम किस तरह से कर रहे हैं? सभापति महोदय, पहले एक सत्यगुप्त मिश्रा थे उन्होंने 9 संस्थाओं को अनुदान के लिये लिखा था जब वे चले गये तो इन्होंने 8 का नाम कैंसिल कर दिया और एक संस्था को ऐड दी। कोई नियम नहीं है लेकिन उसको एड दी जा रही है, इर्रेगुलरिटी की जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर भी कुछ कार्यवाही करेंगे। सभापति महोदय, शिक्षा की क्या स्थिति है? प्राइमरी स्कूल में मैं निवेदन करूंगा कि आज 10,000 शिक्षकों की जरूरत है मंत्री महोदय, 10,000 में से आपके पास 7,000 प्रशिक्षित टीचर हैं। 10,000 की कमी को पूरा करने के लिए जो 7000 हैं उनको तो लगा दीजिये, 3000 की और जरूरत पड़ेगी लेकिन उनको लगाया नहीं जा रहा है। स्कूल की बिल्डिंग के लिये स्वयं इनके स्टेटमेंट आते हैं कि बहुत ही खराब स्थिति है। कई भवन गिर गये विद्यार्थी दब कर मर गये। ऐसी बुरी हालत हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप उस ओर भी ध्यान देंगे। आप समय बहुत कम दे रही हैं, शिक्षा पर बहुत समय लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : इसलिये मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के मामले में पर्टीक्यूलरली मंत्री महोदय, आप जाँच करायें और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करें जब तक विश्वविद्यालय में इतने भ्रष्ट लोग बैठे रहेंगे तब तक विश्वविद्यालय का वातावरण नहीं सुधरेगा। इसलिये इनके विरुद्ध कार्यवाही कीजिये। आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री धाराराम !

श्री सुरेन्द्र व्यास : साढ़े पांच बजे का समय अध्यक्ष महोदय ने जवाब के लिए रखा था।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नाथूसिंह जी आपके लिए तो सेपरेट सैशन होना चाहिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : पौने सात बजे तक का समय बढ़ाया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन जवाब के लिए तो समय साढ़े सात का था।

श्री सभापति : शिक्षा के लिए समय पौने सात का है।

(१९५)



श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें जवाब के लिए भी समय शामिल है ?

श्री सभापति : हां।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या--24 पर वाद-विवाद

श्री धाराराम (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण।

(5.48 बजे म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से उत्तर दिया जाना 6 बजे प्रारम्भ होगा।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांगों पर यह सदन विचार कर रहा है उस पर मैं भी अपने विचार रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा, कला एवं संस्कृति में राजस्थान जब से देश को आजादी मिली है....

(व्यवधान)

XXXजरा शान्त रहो।

श्रीमती कमला : मुद्दे की बात फटाफट बोल दो, समय जा रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नगरपालिका पर भी बोल दो।

श्री रामनारायण डूडी : शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्दर...

एक माननीय सदस्य : थे बोल जाओ जल्दी से।

श्री भंवरसिंह गुर्जर : धीमी गति के समाचार।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की शिक्षा हमें मिलनी चाहिए थी, जो रोजगार की शिक्षा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल करके एक कागजी शिक्षा मिल रही है, मेरे से पूर्व जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं यदि हम कार्यवाही को उठा कर देखें तो करीब करीब सबने कहा है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाये, शिक्षा पूर्ण रूप से जो रोजगारोन्मुखी हो ताकि पढ़ाई के बाद यदि विद्यार्थी को सर्विस नहीं मिले तो भी उसके द्वारा कुछ कार्य किया जा सके, मगर यह नहीं हो रहा है। जो शिक्षा का स्वरूप है, कालेजों से हजार बेरोजगार निकल रहे हैं, चाहे एम. ए. पास कर लें चाहे इतिहास पढ़ लें, चाहे जियोग्राफी का ज्ञान प्राप्त कर लें चाहे इकानामिक्स पढ़ लें, अध्यक्ष महोदय, जब तक हम तकनीकी शिक्षा या काम करने की शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे इसकी तरफ हमारा रुझान नहीं होगा या शिक्षा प्रणाली में तब्दीली नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज हमारे गांवों के अन्दर प्राइमरी, मिडिल, सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूल खुले हैं, कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए जो पाठ्यक्रम रखा है, छोटे छोटे बच्चों के लिये

XXXशब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण डूडी)

पहली, दूसरी से पांचवीं तक पाठ्यक्रम इतना है कि पूरी किताबें वगैरह लेने के बाद बहुत बड़ा बस्ता बन जाता है और वह इस को भारी महसूस करते हैं। हमने इससे उनके दिमाग के अन्दर एक प्रकार का भारीपन पैदा कर दिया है, मेरा निवेदन है कि पाठ्यक्रम बहुत ही कम हो, मगर सार्थक हो, सरल हो।

दूसरा, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, जो गांवों के अंदर सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूल्स हैं, उन स्कूलों के अन्दर हम कला, वाणिज्य या दूसरा कोई एक सब्जेक्ट खोल देते हैं। जब तक हम सारे सब्जेक्ट्स, साईन्स मैथमैटिक्स, साइंस बायलाजी, वाणिज्य, इकोनामिक्स आदि नहीं खोलेंगे तब तक आगे की शिक्षा के लिए बच्चा जहां कहीं प्रवेश लेना चाहेगा वहां उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। गांव में रहने वाला बच्चा जिस विषय के अन्दर होशियार होता है वह विषय न लेकर उसको मजबूरन दूसरा विषय लेना पड़ेगा। मैं शिक्षा मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी सैकेण्डरी या हायर सैकेण्डरी स्कूल हो, साइन्स मैथामैटिक्स या साइन्स बायलॉजी का सब्जेक्ट करीब करीब सब स्कूलों में खोलें, ताकि गांव के अन्दर विद्यार्थी तकनीकी ज्ञान अर्जित कर सकें और ज्यादा से ज्यादा तकनीकी क्षेत्र में जा सकें।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि गर्ल्स स्कूल्स कम हैं हमारा जो बजट है उसमें हम बायज स्कूल्स खोलते हैं, हमारे बजट के अन्दर हायर सैकेण्डरी या सैकेण्डरी स्तर पर कम से कम 25-30 प्रतिशत गर्ल्स स्कूल खोलने का प्रावधान रखना चाहिये। मिडिल, प्राइमरी स्कूल तक तो कोई इतनी आवश्यकता नहीं है मगर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी एजूकेशन के लिए गर्ल्स स्कूल्स का अलग से प्रावधान रखा जाना जरूरी है। बजट में कोई अलग से संख्या नहीं रखी है कि हम इस बार इतने गर्ल्स स्कूल खोलेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बिलाडा के अन्दर काफी समय से, 10 साल से यह मांग चल रही है कि गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल खोला जाये। मगर अभी तक वह नहीं खुला है। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके इस बार गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल खोलने की कृपा करें। साथ ही, आज जो सबसे भारी समस्या हमारे गांवों के अन्दर है वह है अध्यापकों की कमी। अध्यक्ष महोदय, जो दूर दराज के गांव हैं, वहां मिडिल स्कूल सैकण्डरी स्कूल के अन्दर एक या दो अध्यापक मिलेंगे। पिछले एक साल से जोधपुर में चाहे फलौदी का क्षेत्र हो चाहे बिलाड़ा का क्षेत्र हो, चाहे गोपालगंज का क्षेत्र हो, चाहे शेरगढ का क्षेत्र हो, हर स्कूल के अन्दर अध्यापक कम हैं। कहीं कहीं तो एक हैड मास्टर और एक चपरासी है। शहर के अध्यापक का स्थानान्तरण यदि गांव के अन्दर कर दिया जाता है तो वह वहां नहीं जाता है। वह एजूकेशन डिपार्टमेंट के सामने अच्छा तम्बू लगा कर माला पहन कर हड़ताल पर बैठ जाता है। जो कोई भी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स होता है उसका घेराव किया जाता है। दफ्तरों के अन्दर उससे इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसका व्यवहार इस प्रकार का हो सकता है। अध्यापक वहां जाकर घेराव कर लेते हैं,

(श्री रामनारायण डूडी)

उनको बाध्य करते हैं कि हमारा स्थानांतरण कैंसिल कराओ। कैंसिल नहीं कराते हो तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। मैंने खुद देखा है, अध्यक्ष महोदय, जब हमारे अध्यापक इस प्रकार की अनुशासनहीनता करेंगे, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा. उनके द्वारा पढाए गए विद्यार्थियों से किस प्रकार आशा कर सकते हैं ? मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अध्यापक 8-10 साल या 5 साल शहरों के अन्दर अपनी सेवायें अर्पित कर चुके हों उन सबको गांवों में दूर दराज भेजने का कष्ट करें। ऐसे आदेश कर दें। वे वहां जाकर पढायें। आज उनके अभाव में पढाई नहीं हो रही है। गांवों का रिजल्ट जीरो रहता है। किसी भी गांव के स्कूल का रिजल्ट उठाकर देखें मैं निवेदन करना चाहूंगा, 20-30% रिजल्ट आता है। क्या हम आशा कर सकते हैं कि 30 प्रतिशत रिजल्ट से हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सकेंगे ? उन विद्यार्थियों जो गांवों के अन्दर दूसरा काम नहीं करते, को बूढ़े मां-बाप गांव में गाय, भैंस, भेड, बकरियां चराने को भेजते हैं। उन बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वहां रिजल्ट केवल 20-25 प्रतिशत रहता है। अध्यापक की सेवायें निश्चित कर दी जायें कि जिस टीचर का शहर से स्थानांतरण होगा वह गांव के अन्दर जायेगा। नहीं तो कोई उनके भत्ते बढाइए आकर्षण पैदा करिए ताकि वे गांव की तरफ जायें। अगस्त और सितम्बर तक यदि मास्टर नहीं पहुंचते हैं तो इससे रिजल्ट पर कुप्रभाव पडता है।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि आप और हम कोई कितनी भी कोशिश कर लें जब तक इस शिक्षा के अन्दर असमानता रहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक ही तरह की शिक्षा लागू की जाये। एक तरफ महलों के अन्दर जो बड़े बड़े सेठ, उद्योगपति, बड़े-बड़े अधिकारी और पैसे वालों के बच्चे पढते हैं उनको इंगलिश बोलने वालों के द्वारा पढाया जाता है, दूसरी तरफ गांव में झोंपडी है. टाट पट्टी का भी नाम नहीं है वहां का बच्चा पेड की छाया के नीचे पढता है। उस से हम उन लडकों की तुलना करना चाहते हैं। किसी प्रकार की असमानता हम पैदा कर रहे हैं ? हम अपनी जगह पर से एक यह बात कहते हैं कि समान अधिकार हैं, कहां समान अधिकार हैं ? अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 34 या 35 वर्ष बाद एक बच्चा अपनी शिक्षा धूप के अन्दर ले रहा है, उसको पढाने के लिए अध्यापक नहीं है, बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है और दूसरी तरफ कारों के अन्दर बड़े अच्छे स्कूल में एक बच्चा जाता है। उसके लिए आफिस के अन्दर हैड मिस्ट्रेस रखी जाती है और न जाने क्या क्या नाम दिये जाते हैं। मेरा निवेदन है कि समान शिक्षा लागू की जाये। जितने अध्यापक हैं, उन लोगों के लिये यह लाजिमी कर दें कि वह यदि गांव में नहीं जाते हैं 5-10 दिन के अन्दर, तो सेवा से निकालने के आदेश कर दिये जायेंगे। पिछले 2 साल से जितना भयंकर घोटाला इस शिक्षा विभाग के अन्दर हो रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं है। कोई सुनना नहीं। आखिर में 5-25 हड़ताल करके बैठ जाते हैं। पिछली बार जोधपुर से अध्यापकों के स्थानान्तरण कैन्सिल कर दिये एक अधिकारी के निर्देश पर कि वहां 50-100

(श्री रामनारायण डूडी)

आदमियों की जरूरत है इसलिये यह ट्रांसफर कैंसिल किये जाते हैं। हमारे विद्यार्थी सुबह स्कूल में जाते हैं और घन्टी बजाकर के छुट्टी कर दी जाती है कि अध्यापक साहब नहीं आये हैं। आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय, हमारी शिक्षा मंत्री जी गांव से हुई हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको इसके अन्दर कोशिश करनी पड़ेगी उन लोगों को बहुत ही कड़ा करना पड़ेगा तभी गांवों का शिक्षा का स्तर ठीक होगा नहीं तो बन्द कर दीजिये स्कूल, कालेजों को इनका कोई मतलब नहीं। आज हमारे गांव के अन्दर बेचारे किसान खेतों में खड़े हैं और उनका बेटा उनकी खिदमत में फालतू खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही चाहता हूं कि गांवों के अन्दर अध्यापकों को लाजिमी तौर पर जाना पड़े इस तरह की व्यवस्था की जाये इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्री जी।

श्री महाराम चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में . . .

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, पर्याप्त चर्चा हो गई।

श्रीमती कमला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज के . . .

श्री महाराम चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट गांवों में डाणियों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको कभी अवसर दे। देंगे, कई अवसर आयेंगे अभी।

श्रीमती कमला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो अनुपूरक मांगें प्रस्तुत हुई हैं इससे पूर्व में 1983-84 की मूल मांगों के सम्बन्ध में काफी दिन तक सदन में विस्तृत चर्चा हुई। उन चर्चाओं में विभिन्न क्षेत्रों की, विभागों की, परियोजना, कार्यक्रम, आवश्यकता और उपयोगिता आदि के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव विचार और विश्लेषण दिये। सड़क बननी चाहिये, मकानात बनने चाहिये, स्कूल खुलने चाहिये, शिक्षा के बहुत से प्रावधान बनने चाहिये, औषधालय बनने चाहिये और जितनी भी इन्सान की आवश्यकतायें हैं उनसे सम्बधित सभी चीजों के बारे में यहां पर चर्चा हुई माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभी भौतिक आवश्यकतायें हैं। चाहे वह सड़क हो, चाहे स्कूल हो, चाहे दवाखाना हो, चाहे मकानात और तमाम सिंचाई सुविधायें हों, चाहे विद्युत और सभी हो, यह सब किसके निमित आवश्यकता है ? आज जितनी भी भौतिक आवश्कतायें हैं, आम तौर पर हम यह मानकर चलते हैं कि परमात्मा और प्रकृति की मान्यताओं के अनुसार इन्सान सर्वश्रेष्ठ कृति हैं उसकी सुख सुविधाओं के लिये यह तमाम आवश्यकतायें जरूरी हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्व हम इसलिये मानते हैं कि इन्सान सुख समृद्धि और आनन्द से रह सके। वह जरूरी है इसलिये यह परियोजनायें बनाई जाती हैं और...

श्री अध्यक्ष: और स्वर्गवास के पश्चात् वह परम पद को प्राप्त कर सके।

श्रीमती कमला : इन सभी सुविधाओं को लेने के लिये इन्सान क्यों लालायित रहता है और क्यों इसकी जरूरत होती है? इसलिये जरूरत होती है कि वह सुख और आनन्द से रह सके इसके लिये यह सब काम किये जाते हैं। लेकिन वास्तव में सुख और आनन्द क्या है? क्या यह सब भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने से ही जो वास्तविक सुख है वह इन्सान को प्राप्त हो जायेगा? अगर ऐसी स्थिति है, तो पाश्चात्य देशों के अन्दर दौलत की कमी नहीं है, आज के ज्ञान और विज्ञान के चमत्कार की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, ऐशोआराम की कमी नहीं है फिर भी वहां इन्सान को सुख नहीं है, आनन्द नहीं है, चैन नहीं है और वह किसी भी प्रकार से अपने आप की क्षुधा को मिटाने का कोई जरिया नहीं ढूंढ पा रहा है। आनन्द, सुविधा और सुख का ताल्लुक मनुष्य के विचार और उसकी मानसिक मनोस्थिति से है। इन्सान का मन, मानस और विचार अगर संतुलित, मर्यादित और एक विशेष लक्ष्य और आदर्श पर आधारित नहीं हैं तो उसको चाहे कितनी ही ढेर सारी सुख-सुविधा, ऐशो आराम दे दीजिये, वह वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर सकेगा। उस सुख को अगर इन्सान तक पहुंचाना है तो उसके लिये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक चीज यह जरूरी है कि परम पिता परमात्मा और इस प्रकृति ने, इस संसार के अन्दर भूमण्डल के अन्दर जो नैसर्गिक आनन्द और इतनी अलौकिक, अद्भुत रचनायें की हैं, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी है, चाहे ताले हैं, चाहे फूल हैं, चाहे कांटे हैं, चाहे झरना है, चाहे पशु पक्षी हैं और तमाम जितनी भी प्रकृति की रचनायें हैं, उनके साथ, यह ईश्वर की श्रेष्ठ कृति, इन्सान बहुत अच्छे, नैसर्गिक समन्वय और सौहार्द के साथ जीना सीखें। यह आनन्द की पहली कड़ी है। आनन्द की दूसरी कड़ी यह है कि व्यक्ति, जिसके लिये यह सब कुछ संजोया जा रहा है, सच्चा, सफल और सुखी इन्सान बने। सफल और सुखी इन्सान किस प्रकार से बन सकता है? सफल बनने का तात्पर्य यह है, मैं अपने लिये कितना आनन्द बंटोर सकती हूं यह सफलता नहीं है, समाज और राष्ट्र को, मानव मात्र को, प्राणी मात्र को मैं कितना दे पायी, यह मेरी सफलता है। इसलिये इन्सान समाज और आम इन्सान के उपयोग के लिये कितना क्या दे सका, यह उसकी सफलता है। सुख उसका यह है कि वह कितना सच्चा इन्सान बना, उसमें आम तौर पर जो मूल गुण एक इन्सान में होने चाहिये वह हों, चाहे सच्चाई है, चाहे निष्ठा है, चाहे ईमानदारी है, चाहे आम कल्याण की भावना है और तमाम बातें जो भी हमारे सभी धर्मों ने कहीं हैं। दूसरा, वह अपने आप में एक बहुत सर्वश्रेष्ठ नागरिक हो। जिस समाज में वह रहता है, उठता है, बैठता है उस समाज का एक बहुत श्रेष्ठ और उपयोगी अंग वह किस प्रकार से बना या नहीं बना, यह उसका मूल आधार है। तीसरा, आज के युग में जीने के लिये, आनन्द से जीने के लिये, सफलता से जीने के लिये, उपयोगिता से जीने के लिये एक विवेकपूर्ण व्यक्तित्व उसको हासिल हुआ या नहीं हुआ? यह दोनों-तीनों चीजें मिल करके एक इन्सान के सुख, आनन्द और सफलता का मूल आधार बनाती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मूल आधार को, इस मूल इन्सान को, प्रकृति और समाज के द्वारा चाहे गये इस प्रकार के

(श्रीमती कमला)

श्रेष्ठ इन्सान का निर्माण करने का काम शिक्षा विभाग के जिम्मे है।

(व्यवधान)

इस तरह से बोलिये मत, थोड़ी तो गंभीरता कभी कभी रखिये।

इतना बड़ा दायित्व और इतना महत्वपूर्ण काम आज शिक्षा विभाग के माध्यम से सारे संसार में इन संस्थाओं को, इन विभागों को और शिक्षा शास्त्रियों को या समाज के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको करने का है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्यक्रम पूरा करने के लिये एक ओर हमको यह सोचना पड़ेगा कि इन्सान अपना आधार भूत आदर्श, नैतिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहे। अगर आप निष्ठावान नहीं हैं, आप चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी राष्ट्र निर्मात्री संस्था में आकर बैठ जायं और चाहे कितना ही बड़ा स्थान समाज में किसी तरह से बना लें लेकिन आप समाज के उपयोगी अंग के रूप में, एक सच्चे नागरिक के रूप में अपने आपको प्रतिपादित नहीं कर पायेंगे यदि सामाजिक, नैतिक और सार्वजनिक जीवन को शुद्ध और पवित्र रखने वाली मान्यताएं और मूल्य आपके जीवन के साथ स्वतः ही जुड़े हुए काम नहीं करें। आज हमारे राष्ट्र का सबसे चिन्ता का कारण तो यही है कि इन्सान के नैतिक स्वरूप का ह्रास हो रहा है। इन्सान इतना दौड़ता चला जा रहा है तो देखे अपनी मर्यादाओं, अपने कर्तव्यों और अपने चरित्र का आभास नहीं हो रहा है कि उसको कहां तक सीमित रहना है और जिस देश और समाज में हम रहते हैं उसके क्या सिद्धान्त हैं, उसकी क्या नीतियां हैं, क्या उसके कार्यक्रम हैं, क्या उनका क्रियान्वयन होना है, क्यों वे नीतियां अपनाई गई हैं और उसमें हमारी कितनी निष्ठा होनी चाहिये, हमारा कितना योगदान होना चाहिये, कौनसा हमारा देश है, क्या इसका गौरव है, क्या इसकी सभ्यता, संस्कृति है और इसका कितना गौरव और सम्मान हम अपने हृदय में संजोकर उसे और बढ़ाने की तमन्ना अपने मन में रखें, यह सब उस इन्सान के लिये बहुत जरूरी है। साथ ही, आज के युग में सफलता से और वर्चस्वपूर्ण व्यक्तित्व के साथ जीने के लिये उसको आज का ज्ञान, आज का विज्ञान, आज की तकनीक, आज का शिक्षण, आज का प्रशिक्षण भी उतनी ही खूबी के साथ में और व्यापक तौर पर हासिल करना जरूरी है जितना कि तमाम जीवन के मूल्यों को अपने जीवन की धरोहर मानकर चलना है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझती हूं कि शिक्षा इस सबके बनाने का एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। आज डिग्री हासिल करना हम एक लक्ष्य मान चुके हैं लेकिन डिग्री हासिल करना एक लक्ष्य नहीं है। शिक्षा की एक बहुत व्यापक परिभाषा अपने आप में है। यह माध्यम है इन्सान को सब गुणों, शक्तियों, क्षमता, वर्चस्व के साथ में परिपूर्ण करके एक सम्पूर्ण इन्सान बनाने का, इसलिए इन्सान बनाने का जो काम है, शिक्षा विभाग के पास में है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना है। इसको महत्वपूर्ण मानने के साथ-साथ हम इसका संचालन करते हैं। इसी प्रकार से हम अपने समाज की छोटी से छोटी शिक्षा का इकाई और बड़ी से बड़ी शिक्षा

(श्रीमती कमला)

की इकाई साथ में इन्सान, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताएं और परिभाषाएं जोड़ दी जायं तो, मैं समझती हूं, शिक्षा अपना कार्य पूर्ण रूप से सम्पादित कर सकती है। पिछले कुछ समय से शिक्षा विभाग को एक रूटीन का विभाग जिस प्रकार से माना गया ऊपर उसमें जिस प्रकार पाठ्यक्रम लादा गया और रख दिया गया इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जितना उसको सक्षम होना चाहिये उसमें बहुत कमी है। इसलिए हम यह सोच रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है, शिक्षा देने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उसको निभाने के दृष्टिकोण से हम और तमाम आवश्यकताओं, जो आज शिक्षा देने की हैं, साथ-साथ इन चीजों का भी इसमें समावेश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह तय किया है कि इन तमाम बातों और तमाम आज की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रि-प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर सैकण्डरी एजुकेशन तक और मेरे साथी माननीय जो दूसरे शिक्षा मन्त्री है वह विश्वविद्यालय स्तर तक, समाविष्ट करेंगे कि किस तरह से हम इन तमाम बातों का हमारे बच्चों को ज्ञान दे सकें, शिक्षा दे सकें और उनमें संस्कार डाल सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूरी निष्ठा के साथ मानती हूं कि इन्सान का विचार, इन्सान का मन और इन्सान का संस्कार, इन तीनों चीजों में सबसे प्रबल कोई चीज है तो वह संस्कार है। मन बुद्धि को दबाता है लेकिन संस्कार मन और बुद्धि दोनों को दबाता है।

श्री हीरालाल आर्य : घोषणायें क्या कर रही है ? कोई महत्वपूर्ण घोषणा कीजिये। यह तो प्रवचन दे रही हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपको मालूम नहीं है। आपके लिए ही खास तौर से मैं बोल रही हूं, आपको शिक्षा का मतलब मालूम नहीं है। आज शिक्षा का मतलब सिर्फ प्राथमिक शाला का एक भवन समझते हैं। बिराजिये, बिराजिये। इसलिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में हम इन तमाम चीजों का समावेश करना चाहते हैं जिसके माध्यम से हम एक अच्छा इन्सान बनायें जिनसे एक वर्चस्वपूर्ण व्यक्तित्व बना सकें जो आज देश का मूलभूत नीतियों को सर्व धर्म सम्भाव, राष्ट्रीय एकता की तमाम बातों को अपने अपने प्रति अपने संस्कार में ढालकर उसके मुताबिक एक जबरदस्त निष्ठा के साथ में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सके इसके लिये हमने विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग कमेटी बनाई कमेटी प्रिप्राइमरी के एजूकेशन के लिये अगर कुछ टीचिंग एड का जरूरत है या छोटी-छोटी कहानियों की किताबों, पंचतन्त्र की कथाओं या एकांकी नाटक इत्यादि समाविष्ट करने की और जितनी भी आवश्यकतायें हैं उनको अलग अलग वर्क आउट करें। हम तमाम रचनाकारों लेखकों आमन्त्रित करेंगे और उसके बाद में उनकी रचनाओं को अपने पाठ्यक्रम में समाविष्ट करेंगे ताकि राष्ट के लक्ष्य और सिद्धान्तों दृष्टिगत रखते हुए एक सारपूर्ण उपयोगी बच्चों को दे सके। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि यह सब कार्यक्रम पूरा करने लिये शिक्षा के शालोंओं का माध्यम का बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर प्रचार करना आवश्यक है—हमारे राज्य में इसका प्रचार हुआ भी है।

(श्रीमती कमला)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि सबसे पहले जब राजस्थान का बजट पेश हुआ था तब इस राजस्थान के प्लान में जो एजुकेशन का बजट था वह कुल 215 लाख का था यानी 2 करोड़ 15 लाख था। इससे हमने राजस्थान की शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया। आज 1982–83 में हमारा जो बजट है वह 198 करोड़ 92 हजार का है। कितना हम आगे बढ़े हैं कितनी तेजी से चले हैं उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन मैं आपको कराना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : कम से कम व्यय में तो आगे बढ़े ही हैं।

श्रीमती कमला : नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम और चीजों में भी आगे बढ़े हैं। 1983–84 का जो हमारा बजट है वह 253 करोड़ का है। हम यह समझते हैं कि आगामी वर्षों के लिये जो सिक्स्थ प्लान के अन्दर प्रावधान किया गया है उसके मुताबिक कुल जो हमारा शिक्षा का प्रतिशत रहता है वह कुल बजट का 23 प्रतिशत रहेगा और प्लान में हमारा प्रतिशत है 21 पर्सेन्ट रहेगा। इसलिए राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा के प्रसार में काफी बड़ा व्यापक काम किया गया है। लेकिन जैसा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं, जनसंख्या की बढ़ोतरी, आवश्यकताओं की बढ़ोतरी और तमाम क्षेत्रों की जरूरत देखते हुए अनुपात में अभी भी यह बहुत कम है। फिर भी, जो आज हमारे देश में साधन उपलब्ध हैं, वित्तीय व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं उसके मुताबिक यह काफी अच्छा प्रतिशत हमारे राज्य के अन्दर शिक्षा का है।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षित लोगों का प्रतिशत प्रारम्भ में था उसके मुकाबले में जो आज हमारा प्रतिशत बढ़ा है। उसको काफी अच्छा मूल्यांकन तो हम नहीं कह सकते लेकिन सन्तोषप्रद जरूर कह सकते हैं। 1952 में हमारा कुल प्रतिशत जो शिक्षित वर्ग का था वह 8.2 प्रतिशत था, जिसमें 2.51 महिलाओं का और बाकी पुरुषों का है। आज 1982–83 में हमारा शिक्षित वर्ग का कुल 24.05 पर्सेन्ट है, जिसमें 11.31 पर्सेन्ट महिलाओं का है। यह सन्तोषप्रद नहीं है लेकिन फिर भी, जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जितनी शिक्षा की कोशिश की जा रही है उसके अनुपात में हमने आगे बढ़ने की चेष्टा की है। इस कमी की पूर्ति करने के लिये जो एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम है जो भारत सरकार की तरफ से प्रवर्तित योजना है वह है सार्वजनिक शिक्षा की परियोजना। इसमें जो बच्चे स्कूल के कानून कायदे के मुताबिक सुबह शाम जो घण्टे होते हैं उसमें नहीं जा सकते उनको स्कूल के समय के आगे पीछे जैसा उनका धन्धा है जैसी उनकी फुरसत हो, जैसा वह समय दे सकें उसके मुताबिक जिसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं उसके माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में हम काफी बड़ी हद तक सफल रहे हैं। जैसा मैं आपको बताती हूं, 1981–82 में इस सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में हमने इस प्रकार के 31 लाख 26 हजार बच्चों का नामांकन किया और स्कूलों के अन्दर रखकर के उनको पढ़ाना शुरू किया। 1982–83 में यह संख्या 34 लाख 57 हजार हुई। हमको यह उम्मीद है कि 1983–84 में हम इसको

(२०२)



(श्रीमती कमला)

43 लाख तक करेंगे। तो यह इस प्रकार का एक प्रयोजन है जिससे हम अपनी शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने का एक व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके साथ में शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाने के लिये एक प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी हमारा चलता है जिसमें सामान्य तौर की शिक्षा देने के साथ-साथ कुछ अक्षर ज्ञान भी हम कराते हैं। 1980-81 में 1,57,556 लोग लाभान्वित हुए, प्रौढ़ शिक्षा से 1982-83 में 2,14,253 व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए। हमको यह उम्मीद है 1983-84 में हम तीन लाख व्यक्तियों को इससे लाभान्वित कर देंगे। तो हम इस तरफ भी कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा का प्रतिशत जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है उसकी आवश्यकता के मुताबिक बढ़ायें। इसके अलावा शिक्षा सिर्फ गिने चुने माध्यम, गिने-चुने विषयों तक न रहे, उसको सर्वांगीण और बहुमुखी और विशेषज्ञ तौर पर चलाने की कोशिश में हैं जैसा कला वर्ग में हमने काफी विषय बढ़ाए हैं। साथ में, तकनीकी शिक्षा को भी काफी फैलाने की चेष्टा में हैं। इसी प्रकार मेडीकल साइंसेज और एग्रीकल्चरल साइंसेज के भी काफी विद्यालय राज्य में खुले हैं। कला, संस्कृति, खेलकूद आदि तमाम प्रकार की शिक्षा जो एक आम व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उस तरफ भी हम काफी तेजी से बढ़े हैं।

साथ में, महिला शिक्षा को हम ज्यादा और विशेष तौर से तरजीह दे सकें इस बारे में हम ज्यादा विचार करना चाहते हैं। उसके बजट, उनके विषयों, उनके स्कूलों और उनकी शिक्षा पद्धति, इन सब के बारे में विशेष विचार करेंगे जो कि इसको किस प्रकार हम प्राथमिकता और विशेषता दें। इस बारे में हमारा विचार है। आप और हम सभी माननीय सदस्य मानेंगे कि अगर महिला शिक्षा को हम व्यापक और कारगर बनाते हैं तो आज की बहुत सारी समस्यायें, चाहे कुरीतियों की हो, चाहे असामाजिक तत्वों से निपटने की हों, चाहे आम आदमी और बच्चों को शिक्षित करने की हो, चाहे अच्छे संस्कार डालने की हो, बहुत सी बातें महिला शिक्षा के व्यापक और कारगर बनाने की स्वतः ही पूरी हो जाती है, खास तौर से खेतसिंहजी का विषय स्वतः ही पूरा हो जाता है—परिवार नियोजन। तो उस बारे में हम खास तौर से काफी सोचने की कोशिश में हैं।

एक सबसे बड़ी समस्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा के क्षेत्र में आती है वह यह है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में · · · ·

**श्री गोकुलचन्द्र शर्मा** (सुमेरपुर) : एक मिनट। आपने जो प्रतिशत बताया, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में · · ·

**श्रीमती कमला** : वह बाद में कहूंगी। यह कुल राज्य की शिक्षा व्यवस्था का आपको ब्यौरा दे रही हूं।

एक खास कारण या खास समस्या जो हमारे सारे राष्ट्र में है, हमारे राज्य में भी है वह यह है कि जो पढ़े-लिखे बेरोजगार युवक हैं, वे हमेशा समाज के लिए असंतुष्ट वर्ग का प्रतिपादन करते रहे हैं। हमारी शिक्षा में इस बात के लिए समय-समय पर हमने कोशिश की, कभी

(श्रीमती कमला)

बेसिक एजुकेशन के जरिए, कभी वोकेशनल एजुकेशन के जरिए। लेकिन इस बात को मानते हुए, वोकेशनल एजुकेशन सारे स्कूलों में देने के लिए जितना अरबों, खरबों रुपया चाहिए अगर उसका प्रावधान करना चाहें तो वह नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोरी घोषणा करने का कोई उपयोग भी नहीं होता। कुछ सीमित दायरों में हमने यह कोशिश की है कि नवीं क्लास में भर्ती होने वाले सभी बच्चे-बच्चियों के लिए हम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि वह अपने अन्य विषयों के साथ यह भी उल्लेख करें कि अगर स्वयं का रोजगार करना चाहें तो कौन-कौन से रोजगार को पसंद करेंगे। उनको रोजगार की तरफ प्रेरित करने के लिए समय-समय पर उद्योग विभाग से, रीको से, बैंकों से, प्रशिक्षण केन्द्रों से सामंजस्य बिठाकर उनकी वाकफियत बढ़ाये जब यूनिट्स वर्किंग आर्डर में हों तब उनको वहां ले जाकर दिखायें। उनको बैंकों के साथ रैपर्ट बिठाकर लोनिंग वगैरह की व्यवस्था करें जिससे नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं से निकलने के बाद में अगर वह बच्चा स्वयं का कोई रोजगार करना चाहे तो उससे वाकिफ रहे और उसको टेक-अप करने की मनोवृत्ति बने। इसको हम कर रहे हैं।

दूसरा, हमारे मल्टीपर्पज स्कूलों का जो सामान बहुत अर्से से बंद पड़ा हुआ है उसको इकट्ठा करके कम्पलीट यूनिट्स पर्टीकुलर ट्रेड्स तैयार करें, वह स्कूलों को दें। वहां इसका प्रशिक्षण करायें। साथ में आई. आर. डी. वालों से, टैक्नीकल एजूकेशन वालों से, सबसे मिलकर इस तरह की व्यवस्था करें कि जो कुछ साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनको कोआर्डिनेट करके बच्चों को शिक्षण के दौरान ही ये सब व्यवस्थायें हम दे सकें ताकि उसका एक मन बने काम करने का, परीक्षण पृष्ठभूमि करने का, खुद का रोजगार करने का। वह सीधा टेबल पर बैठकर जैसे बाबू बैठता है, चपरासी बैठता है उस तरफ भी भावना बदलना जरूरी है। इस दृष्टिकोण से हम कुछ काम प्रारम्भ कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो सारा वर्क आउट करेगी . . .

**श्री अध्यक्ष :** इसके लिए आप कोई अतिरिक्त खर्चा मत करना। काफी है, स्टाफ, सामान। सब लड़के यह चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में चले जायें। जब नौकरी नहीं मिलती है तो वह कुछ न कुछ धंधा करते ही हैं फिर।

**श्रीमती कमला :** मैंने यही कहा कि अतिरिक्त खर्चा किए बिना यह करेंगे। मुझे यह पता है कि जरूरत है तो भी पैसा मिलना मुश्किल है। टीचर्स ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर दूसरा खर्चा मिलना मुश्किल है। इसी दृष्टि से हमने इसको व्यवहार संगत बनाया . . .

**श्री अध्यक्ष :** इस बजट में आप एडजस्ट कर लोगे। खर्चा न हो और मनोवृत्ति बदल जाए। वरना ये सब उपयोग पहले किए हुए हैं, इन पर अनाप शनाप खर्चा हुआ। घर वाले इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारा लड़का कलेक्टर हो जायेगा . . .

**श्रीमती कमला :** हमारा जो प्रोग्राम है वह बिना खर्च का है . . .

**श्री अध्यक्ष :** हमारा बच्चा इन्जीनियर हो जायेगा। इस उद्देश्य से पढ़ाते हैं। वह

(श्री अध्यक्ष)

उद्देश्य पूरा नहीं होता जब वे अपने किसी न किसी काम में लगते हैं। आखिर भूखे तो रहना नहीं है उनको भी।

श्रीमती कमला : जिन जिन कामों के लिए पूर्व में खर्च किया जा चुका है उस सामान का उपयोग करके और आज जो संस्थायें उस काम को कर रही हैं उनको को-आर्डीनेट करके जो कुछ प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं···

श्री अध्यक्ष : उस सामान का उपयोग करो। यह ठीक है।

श्रीमती कमला : जी हां।

इसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी मानती हूं कि पुस्तकालय शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। आज पुस्तकालय में हैप हैजर्ड वे में चला रहे हैं। यह अपने आप में विज्ञान है। इसको हम लाइब्रेरी साइंस के नाम से कहते हैं लेकिन विज्ञान की दृष्टि से और प्रशिक्षण के तौर पर इसको नहीं चला रहे हैं। तो इसके प्रशिक्षण, व्यवस्था और पुस्तकों की आवश्यकता को देखते हुए इसको संधारित करें इस बारे में काफी तत्परता से कार्यरत हैं।

इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में विभिन्न भाषाओं के विकास के लिए अकादमियां बनी हुई हैं। आपको भी मालूम है, सबसे नई अकादमी आपकी अध्यक्षता में राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बनी है जिसमें आप काफी अच्छा मार्गदर्शन हमको देंगे। इन अकादमीज के माध्यम से जहां हम अच्छे रचनाकारों को, लेखकों को प्रदर्शित करेंगे उनकी रचनाओं को व्यापक बनायेंगे। वहां साथ ही साथ में जो आप अच्छे उपयोगी साहित्य की बड़ी भारी कमी है उसकी पूर्ति का भी हम बहुत बड़ा प्रयास करना चाहते हैं। इसमें इन अकादमियों का बडा भारी योगदान होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृत विभाग अपने आप में एक प्रमुख विभाग है। राजस्थान में तो संस्कृत और आयुर्वेद का एक प्रमुख स्थान रहा है। इसके विकास की भी हम विशेष योजनायें और कार्यक्रम हाथ में लेने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी चर्चा के प्रारम्भ करने से पूर्व जो बात कही थी आध्यात्मिकता की उसका भंडार है···

श्रीमती कमला : संस्कृत में इसका भंडार है।

श्री अध्यक्ष : तो इसको अगर आप पापुलराइज करेंगे तो आपको टीचर्स की प्राप्ति हो सकती है।

श्रीमती कमला : यह आपने बिलकुल सही कहा है उसका मूल आधार वहीं पर है। यह आधार हमारा इतना चिरंतन, शाश्वत और दृढ़ है कि इतनी सभ्यतायें इस देश में आयीं और टकराईं लेकिन उसके बावजूद हमारी मूल सभ्यता, संस्कृति आज भी जिंदा है और मौजूद है और उतने ही वर्चस्व के साथ मौजूद हैं जितना प्राचीन काल में थी।

श्री अध्यक्ष : उसमें रटाई खास होता है। मास्टरों से आप कहो खूब रटो विद्या

(श्री अध्यक्ष)
तो कंठे और नाणा बंटे। रटाई पर यदि ध्यान देते हो तो बच्चे और अध्यापक और सबका इम्तिहान हो जायेगा और पढ़ाई भी काफी होगी।

श्रीमती कमला : इसके अलावा, जो खास समस्यायें शिक्षा विभाग की हैं और जो विशेष कार्यक्रम हम शिक्षा विभाग · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दाउदयाल जोशी : आयुर्वेद महत्वपूर्ण शिक्षा है उसके वेतनमान · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर · · ·

(व्यवधान)

श्री दाउदयाल जोशी : आपने संस्कृति की बात कही है · · ·

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं आपके क्वेरीज का जवाब दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। उत्तर आने दीजिये।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की कुछ ज्वलंत समस्यायें हैं · · ·

श्री दाउदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप समान वेतन की बात कर रही हैं। जब आप मंत्री बनीं उसके साथ में आपने घोषणा भी की थी · · ·

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप विराजिए, मैं बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें, उत्तर आने दीजिए।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग से सम्बन्धित जो प्रमुख समस्यायें हैं और जो कार्यक्रम हमें हाथ में लेने हैं · ·

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, दो मंत्रियों को और जवाब देना है, 7 बजे मुखबन्द का प्रयोग हो जायेगा।

श्रीमती कमला : मैं अभी 4 मिनट में समाप्त कर रही हूं।

सबसे पहले जो विषय आज हमारे राज्य के सामने है वह है हम 10 प्लस 2 शिक्षा पद्धति को तुरन्त लागू करें या देर से लागू करें, करें या नहीं करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमने निश्चित रूप से यह विचार किया है कि देश के अधिकतर राज्यों में 10 प्लस 2 की पद्धति को एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसके मुताबिक वहां कार्य हो रहा है इसलिए अगर हमारे राज्य में हम इसको लागू करने में देरी करते हैं तो इससे हमारे विद्यार्थियों और समाज को काफी नुकसान होगा. इसकी सारी पृष्ठभूमि तैयार करके हम 1984–85 से 10 प्लस 2 को हमारे राज्य में लागू करने पर विचार कर रहे हैं।

(श्रीमती कमला)

दूसरा जो मुख्य कार्यक्रम है जिसके बारे में सभी माननीय सदस्य चिन्तित हैं प्राथमिक शिक्षा पर हम उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना कि हमको देना चाहिये। यह प्राथमिक शिक्षा ही पूरी शिक्षा का आधार है। इसलिए और जो कार्यवाही हमको प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में करनी है उसके अलावा हम इसके बारे में भी विचार कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा का एक अलग से निदेशालय बनाया जाये। जिससे कि इसके लिए पूरा समय, पूरा ध्यान और पूरा धन मिल सके और इसमें हम किसी प्रकार की कमी न रखें। सबसे बड़ी चीज है अध्यापकों की कमी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो 1983–84 में दो-तीन हजार टीचर्स का प्रावधान है, 1982–83 में भी तीन हजार टीचर्स हमको मिले हैं। लेकिन जो आवश्यकता है आज, एक टीचर्स पर 49 बच्चों का अनुपात है, उसके अनुरूप हमारे पास कम से कम 13,000 से भी ऊपर अध्यापकों की कमी है। हम तीन हजार अध्यापकों से वह काम नहीं करा सकेंगे जो कि कराना जरूरी है। इसलिए मैंने अलग से मुख्य मंत्री जी और मंत्रिमण्डल के विचारार्थ ज्ञापन दिया है कि सबसे जरूरी चीज यह है कि जितने अध्यापकों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए। जिससे कि हम इस प्राथमिक शिक्षा को सचमुच में ईमानदारी के साथ चला सकें।

श्री हीरालाल आर्य : आप उसकी संख्या बोलो न कि इतने टीचर्स की व्यवस्था हम और करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री हीरालाल आर्य : घोषणा तो करेंगे कि कितने टीचर्स और बढ़ायेंगे ?

श्रीमती कमला : जरा ध्यान से सुनें, 13,000 से ऊपर बोला है।

(व्यवधान)

एक और बहुत चिन्ता का विषय हमारे शिक्षा विभाग और राज्य के सभी सामाजिक लोगों के लिए है कि हमारे विद्यालयों के परिणाम बहुत ही खराब होते चले जा रहे हैं। बहुत से अध्यापक साल-डेढ़ साल तक विद्यालयों में जाते नहीं हैं और ट्रांसफर में लगे रहते हैं। जो वेकेंसीज रहती हैं उनके कारण हमारे परिणाम बहुत खराब हो रहे है। इनको सुधारने के लिए हमने यह प्रयत्न किया है कि जिस टीचर का विषय होगा, उसका परिणाम अगर खराब होता है तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अगर पूरे स्कूल का ही परिणाम खराब है तो उसके प्रधानाचार्य के खिलाफ भी हम कार्यवाही करेंगे। इसको सुधारने के लिए साथ में यह भी प्रयत्न किया है कि एक साल में सिर्फ एक बार ट्रांसफर करेंगे जो कि मई और जून के महीने में होगा। जिन अध्यापकों या सार्वजनिक लोगों को इस सम्बन्ध में एप्लीकेशन, आवेदन देने हों, वे 31 अप्रेल तक अपने आवेदन दें। 31 अप्रेल से मई तक उनका विश्लेषण कर लेंगे और जून के अन्दर सारे ट्रांसफर आर्डर जारी कर देंगे। उसके बाद कुछ अपवादों, जो कि बहुत हार्ड केस हों या प्रमोशन केस हों, के अलावा साल भर में कोई स्थानान्तरण नहीं करेंगे। जो लोग स्थानान्तरण कराने के लिए या स्थानान्तरण निरस्त कराने के लिए अच्छी जगह लेने के लिए या बदली कराने

(श्रीमती कमला)

के लिए घूमते रहते हैं वह अपनी-अपनी जगह बैठ कर पढ़ायेंगे और बच्चे भी पढ़ेंगे। इससे आज लोगों की भी काफी तकलीफ मिट जाएगी।

इसके साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा काम जो हमको करना है वह है, जितनी भी टीचर्स की समस्या है, विभाग की समस्या है, चाहे सीनियोरिटी की है या डी.पी.सी. की है, चाहे मेरिट लिस्ट की है चाहे अध्यापकों की और मांगों की बाबत है, उनका हम अलग-अलग अध्ययन करके कि कौन-कौन सी व्यवस्था हम कर सकते हैं, कौन सी समस्या का निराकरण कर सकते है, उनको भी जल्दी से डिल करके निराकरण करना चाहते हैं। जिससे अध्यापकों और उनकी एसोसिएशन के द्वारा समय-समय पर धरना देने या किसी प्रकार के प्रदर्शन करने या आन्दोलन करने से हमारे बच्चों को मुक्ति मिल जाए और वह अध्यापक बच्चों को शान्ति से पढ़ाने का काम कर सकें।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी चीज, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे राज्य में पिछले वर्ष 10 साल के बाद पहली बार हायर सैकण्डरी स्कूल खुले। न तो 10 प्लस टू की स्कीम लागू हुई, न हायर सैकण्डरी स्कूल खुले 10 वर्ष बाद हायर सैकन्डरी स्कूल खुले उसके कारण से जहां हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की नितान्त आवश्यकता है चाहे लड़कों के हों, चाहे लड़कियों के हों, उनकी पूर्ति एक साल के अन्दर नहीं हो पाई। 10 जमा 2 स्कीम हम 1984-85 से लागू करेंगे, ऐसा हमारा प्रस्ताव है। इस बीच स्कूल में हम हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं खोलते हैं तो हमारे राज्य की महती आवश्यकता को पूरा नहीं कर पायेंगे। इसलिए इस बारे में भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रिमंडल को निवेदन कर रही हूं कि जहां नितान्त आवश्यकता है इस तरह के स्कूलों की, आप कम से कम उनके बारे में विचार करें और उनको देने की भी मुझे कोशिश करें। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर ऐसे हायर सेकण्डरी स्कूल हैं सैकण्डरी स्कूल के अन्दर तो पांच-छ सब्जेक्ट हैं लेकिन वो जिस वक्त उसको हायर सेकन्डरी में अपग्रेड किया था तो सिर्फ एक विषय में हायर सेकण्डरी कर दिया बाकी के पांच विषयों की वहां कोई पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि केवल एक विषय उस हायर सेकन्डरी स्कूल में है आज जो विषय में हम खोलेंगे 1983-84 में, उनमें उन स्कूलों को हम प्राथमिकता देंगे जिनमें सैकण्डरी स्कूल के समय तो वे विषय थे लेकिन हायर सेकन्डरी स्कूल होने के बाद इस आवश्यकता की पूर्ति करना जरूरी है। वह विषय नहीं है, इसके लिए जगह पर चाहे तीन विषय खोलने पड़े, चाहे दो खोलने पड़े, इस आवश्यकता की पूर्ति हमें करना जरूरी है।

इसी प्रकार से उर्दू के अध्यापकों की और थर्ड लेंग्वेज के अध्यापकों की कमी पूर्ति करना भी हमारे राज्य की एक महती आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए भी हम कारगर कदम उठा रहे हैं। और भी जो बहुत सारे हमारे विस्तार के कार्यक्रम हैं उनको कर रहे हैं।

हमारी यह कोशिश है कि शिक्षा विभाग का स्तर सुधरे, शिक्षा को वास्तविक परि-

(श्रीमती कमला)

भावा के अनुसार शिक्षा विभाग काम कर सके। विद्यार्थी, अध्यापक और विभाग, तीनों पूर्ण रूप से संतुष्ट और सुसज्जित हो करके समाज और राष्ट्र की सेवा में काम कर सकें, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आशीर्वाद से, माननीय सदस्यों के सुझाव और सहयोग से हम इस काम को कर पायेंगे ऐसी हमें उम्मीद है। धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गई है। यदि समय बचेगा तो एक दो प्रश्नों की इजाजत दूंगा। मुखबन्द का प्रयोग होगा तत्पश्चात् एक विधेयक पारित कराना है। कृपया सहयोग दीजिए सात बजे से··

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, कितने स्कूल खोले जायेंगे··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पहले कहा कि हम 20 प्रतिशत ग्रांट दे रहे हैं बजट में, 14 प्रतिशत ग्रांट दे रहे हैं अब, अखबारों में यह बात आयेगी··

श्री अध्यक्ष ; बैठ जाएं, माननीय सदस्य। समय बचेगा तो मैं अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप स्वयं महसूस करते हैं कि संस्कृत अध्यापकों का वेतन सुधारने के लिए··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आप बैठ जाएं। आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

अंकित न हो। माननीय सदस्य, बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है। आप बैठ जाएं। मैं नाम से सम्बोधित करूंगा। कृपया बैठे-बैठे बातें न करें।

(व्यवधान)

इस तरह के शब्द कार्यवाही से हटाये जाएं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के विषय में जो माननीय सदस्यों ने गिरते हुए शैक्षणिक स्तर पर चिन्ता व्यक्त की है मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। और यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार भी इस विषय को उतनी ही गम्भीरता से लेती है, उतनी ही चिन्तित है। विशेष कर एकेडेमिक कलेण्डर में राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर हम बहुत पीछे रह गये जो हमारा एक्जामिनेशन शिड्यूल कोलैप्स हो गया,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जो हमारी परीक्षाएं लेट हुईं और रिजल्ट लेट आए उससे सरकार बहुत चिन्तित है। सरकार यह चाहती है कि किसी भी प्रकार इस कलेंडर रेस्टोर किया जाये, परीक्षाएं समय पर कराई जाएं, शैक्षणिक स्तर वापस ठीक किया जावे और कालेज व यूनिवर्सिटी ठीक से फंक्शन करें। इन सब के लिए राज्य सरकार यह समझती है कि पहले जो लोग इस बात के जिम्मेदार हैं, चाहे वे टीचर्स हों, चाहे छात्र हों या अन्य वर्ग हों, उनसे बातचीत करके जो वाजिब समस्यायें हैं या जेनवीन प्रिवान्सेज हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। इस शृंखला में सबसे पहली कड़ी अध्यापकों से बातचीत करने की थी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालय के अन्दर कुछ अर्से से बिना कारण अपने प्रमोशन की बात को लेकर के टीचर्स में नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि प्रमोशन किया जाये . . .

श्री अध्यक्ष : आम तौर से बात सामने जाती है कि उनकी सुविधायें तो बढ़ा दी जाती हैं लेकिन लम्बे अर्से का अनुभव यह है कि पढ़ाई वाला पक्ष गौण ही रहता है। तनख्वाह तो बराबर बढ़ी हैं। पद भी बढ़े हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं पहले उनकी डिमांड्स जो जेनवीन हैं उनको कंसीडर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नई डिमांड्स और खड़ी हो जायेंगी। उसका क्या करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, फिर हम बहुत फर्मली डील करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टीचर्स की प्रमोशन की डिमांड सरकार फील करती है कि रीजनेबल है। यह कैडर स्टेट वाईज के हैं, सब जगह कहीं न कहीं प्रमोशन की अपर्चुनिटी है। यूनिवर्सिटी के अन्दर लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, तीनों कैडर में सीधा सलेक्शन होता है, ओपन कम्पीटिशन से। प्रमोशन नाम की कोई चीज इसमें प्रोवाइड नहीं है। इसका परिणाम यह देखने में आया है कि कई केसेज के अन्दर बहुत क्वालिफाइड आदमी भी काम्पीटिशन में नहीं आ सके और काफी अर्से से वह लेक्चरर की ग्रेड के ऊपर स्टेगनेंट हैं। . . .

इस बात को समझकर के गवर्नमेंट ने मेरिट प्रमोशन स्कीम जो यू.जी.सी. ने सरकुलेट की है, भी एग्जामिन किया है। तीनों टीचर्स एसोसियेशन रूटा, जूटा और ऊटा, जो विश्वविद्यालयों में हैं, प्रतिनिधियों को बुलाकर मैंने स्वयं उनसे बातचीत की। शिक्षा सचिव भी मौजूद थे उनके सामने बात हुई, डाइरेक्टर कालेज एजूकेशन को भी इन्वाल्व किया। हमारे पूरे विभाग ने इस पर एक्सरसाइज की। उनको प्रपोजल दिये और उनसे डिसकस किया कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद माननीय मुख्य मन्त्रीजी के मार्ग-दर्शन में उनके चैम्बर में मीटिंग करके हमने मौलिक रूप से यह माना कि उनके कैरियर के अन्दर वन्स इन दी लाइफ टाइम उनको एक प्रमोशन की अपर्चुनिटी जरूर मिलनी चाहिए। इस फन्डामेंटल प्रिन्सिपल के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए यह स्कीम फाइनेलाइज कर दी है। अब इस स्कीम के अन्तर्गत जो लेक्चरर 18 साल से लेक्चरर हैं और जो रीडर्स 12 साल से रीडर्स हैं

(210)



(श्री सुरेन्द्र व्यास)

और जो एलीजिबल हैं नेक्स्ट प्रमोशन के, हम उन 18 साल वाले लेक्चरर्स को और 12 साल वाले रीडर्स को एलीजिबल मानते हुए नेक्स्ट प्रमोशन देंगे। प्रमोशन देने के लिए, जो एलीजिबल टीचर्स हैं उनके वन बाई नम्बर की पोस्ट हम नेक्स्ट केडर में देंगे, जैसे 9 लेक्चरर्स हैं तो 3 पोस्ट रीडर्स की देंगे और 3 रीडर्स हैं तो एक पोस्ट प्रोफेसर की देंगे। एक सलेक्शन कमेटी बनायेंगे जिसका सलेक्शन इतना रिगरस नहीं होगा जो जनरली स्टेचूटरीज सलेक्शन कमेटी के माध्यम से होता है। उस सलेक्शन कमेटी के अन्दर निश्चित रूप से वाइस चान्सलर तो होगा ही, एक एक्सपर्ट बुलायेंगे और एक सीनियर प्रोफेसर बुलायेंगे। यह बाई रोटेशन होगा। शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि भी होगा, चाहे वह एजूकेशन सेक्रेटरी हों या फिर डाइरेक्टर, कालेज एजूकेशन हों या ओ.एस.डी. हों। उस रैंक के आफिसर्स को हम इस कमेटी के अन्दर रखेंगे और निरन्तर यह प्रक्रिया चलेगी। एक कान्सटेन्ट प्रोसीजर है। अगर किसी वर्ष में कोई अध्यापक चयन में नहीं आ सका तो उसको दूसरा अवसर मिलेगा, तीसरा अवसर मिलेगा। यह उसके केरियर में चलता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, रूक्टा के लोग भी मुझसे मिले थे। कालेज टीचर्स की कई डिमांड्स हैं। मैं उनसे कई दफा मिल चुका हूं। कुछ डिमांड्स उनकी वाजिब हैं। प्रमोशन की बात वह कह रहे हैं। कुछ विसंगतियां हैं। यू. जी. सी. स्केल लागू करने की बात पैदा हुई जब हमें पी.जी. हैण्ड्स के जो आफिसेस हैं वह एबॉलिश करने पड़े। यू. जी. सी. स्केल्स के बारे में, प्रिन्सिपल्स और वाइस प्रिन्सिपल्स के बारे में जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर बड़े रचनात्मक सुझाव दिये और यह चर्चा उठाई कि प्रिन्सिपल और वाइस प्रिन्सिपल की गई जगह वेकेन्सीज हैं उनको फिल-अप करना चाहिए। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हम फिल-अप इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि हमने आप्शन नहीं मांगे। आप्शन मांगने के बाद वह पुराने स्केल में रहना चाहेंगे या यू.जी.सी. स्केल में रहेंगे, उनका फिक्सेशन करके उनका प्रमोशन करेंगे। लेकिन हमने उनके ऊपर एक्सरसाइज कर ली है और हम जल्दी ही कुछ न कुछ करेंगे। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए आपको निवेदन किया, आज उस स्थिति में नहीं हूं, फाइनल स्टेज के लिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी के साथ हमारी बैठक हो जाती तो मैं इस प्रकार की घोषणा कर देता। लेकिन यह प्रोसेस में है और फाइनेलाइजेशन के बिलकुल करीब है।

एक एडेड इन्स्टीट्यूशन की बात यहां पर उठाई गई है। रूक्टा की भी यह मांग है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य, श्री मेघराजजी तावड़ ने बड़ावदा के इंस्टीट्यूशन के लिए कहा कि टीचर्स निकाल देते हैं। मैं समझता हूं कि वह एक ऐसा मसला है उन्होंने बाकायदा त्याग-पत्र दिया और वह कहते हैं कि त्याग-पत्र फर्जी है तो उनको कोई दूसरी कार्यवाही करनी चाहिए। ला के अन्दर प्रोवाइडेड है। Law will taken its own course. वह जाकर एफ. आई. आर लाज करा सकते हैं। अगर रेजिगनेशन फर्जी है तो यह वहन सीरियस मामला है वह चाहे मन्त्री हो

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
या कोई भी हो. . . . .

श्री अध्यक्ष : आपके यह जो प्राइवेट संस्थायें हैं, एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हैं इनका रिजल्ट अच्छा रहता है या यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट का ? यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कालेजेज में रिजल्ट किन के अच्छे रहते हैं ? कुछ है आपके पास ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन के रिजल्ट बहुत बेहतर रहते हैं, कम्पेरेटिवली । कई इन्स्टीट्यूशन्स समिति साधन होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट दे रही हैं। मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं, यहां यह बात कही गई कि प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन के अन्दर कम तनख्वाह देकर ज्यादा की रसीद ले लेते हैं। यह हो सकता है, मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कुछ ही गिनती के कालेज ऐसे होंगे । बाई एण्ड लार्ज प्राइवेट इन्स्टीट्यूट अच्छा वर्क कर रही है और अच्छा नतीजा दे रही हैं। हमारे पास इस तरह की शिकायत नहीं हैं।

ट्रेजरी द्वारा पेमेंट करने की बात यहां पर कही गई है। रूक्टा की भी यह डिमांड है । ट्रेजरी से पेमेंट करने में एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर पैदा हो जाएगी । जहां 50 परसेन्ट ग्रांट इन एड देते हैं वहां सम्भव नहीं होगा कि हम इनको दें । हम इसको एग्जामिन करवा रहे हैं और जो कर सकते हैं, करेंगे । लेकिन यहां पर जो टीचर्स को हटाने वाली बात कही गई है,हमारे ग्रान्ट इन एड रूल्स में यह आलरेडी प्रोवाइडेड है कि अगर किसी टीचर को प्राइवेट मैनेजमेंट बिना किसी कारण के या अपर्याप्त कारण के नौकरी से पृथक कर दे तो वह डायरेक्टर के यहां अपील कर सकता है। डायरेक्टर यह डायरेक्शन दे सकता है उस प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन को, कि उसको नौकरी में रखा जाये । उसमें कठिनाई जरूर आती है। रूल्स में प्रोविजन होने की वजह से उसको कई दफा एन्फोर्स करना बहुत मुश्किल होता है । तो स्टेचुटरी प्रोविजन करने के लिए राज्य सरकार मानती है कि स्टेचुटरी प्रोविजन करना चाहिए । हम शीघ्रातिशीघ्र उसको करेंगे :

श्री अध्यक्ष : मैंने एक और पूछा था कि गवर्नमेंट कालेजेज और विश्वविद्यालय इन दोनों में परीक्षा परिणाम किसके अच्छे रहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : गवर्नमेण्ट कालेज के अच्छे रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यूनिवर्सिटी में कमजोरी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, जितने आपके मन में प्रश्न पैदा होंगे, सब मैं एक-एक करके लेने वाला हूं ।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि टीचर्स की प्राब्लम है। अब यहां पर जो परीक्षाओं के अन्दर अनियमिततायें हुई, गड़बड़ियां हुई मैं उसकी मेरिट पर कोई कमेन्ट्स नहीं करना चाहता हूं बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर दी हैं । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करता हूं कि यदि राज्य सरकार के नोटिस में इस प्रकार के एग्जाम्पल कभी भी आये होते तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हुई होती। इस प्रकार की कोई ठोस जानकारी राज्य सरकार को नहीं मिली। अखबार में छपने से कि फलां ने आत्महत्या कर ली या फलां ने नहीं कर ली, राज्य सरकार एक्ट नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि परिणाम बहुत विलम्ब से आये थे, इस बात को गम्भीरता से लेते हुए इस प्रकार की शिकायतें जो राज्य सरकार के नोटिस में आईं उससे चिन्तित होकर हमने चान्सलर साहब को सुझाव देकर एक इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करा दी है। विष्णुदत्त शर्मा कमेटी आलरेडी इन्स्टीट्यूट हो गई है और वह उसके अन्दर जायेगी। उस पूरे मसले के अन्दर जायेगी। जो कम्प्यूटर सिस्टम वाली बात कही है और कुछ चार्जेज लगाए हैं तत्कालीन रजिस्ट्रार के खिलाफ, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि जो तत्कालीन रजिस्ट्रार थे उन्होंने एक पत्र लिखकर खुद मांग की है कि मेरे खिलाफ इस प्रकार के चार्जेज हैं उसकी इन्क्वायरी करा ली जाए। राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी इसलिए हमने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। विष्णुदत्त शर्मा कमीशन के परव्यू में पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम और 1982 के एग्जामिनेशन का पूरा एपीसोड आ जाता है और यह सब कवर-अप करता है उसकी जांच कर ली जावेगी और उस पर सुझाव भी दे दिए जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता था कि जो नान-टीचिंग स्टाफ है उस नान-टीचिंग स्टाफ की भी यदि कोई वाजिब बात हो और कोई वाजिब तकलीफ हो तो आज आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनसे बात करने के लिए राज्य सरकार हमेशा तैयार है। अध्यक्ष महोदय, स्टूडेन्ट्स की भी और कोई तकलीफ हो और वाजिब बात हो तो स्टूडेन्ट्स भी मिल लें। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह बात बरदाश्त नहीं की जा सकती कि स्टूडेन्ट क्लास थी, क्लास फोर और टीचर्स मिलकर स्ट्राइक कर दें। जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर स्ट्राईक हुई तो हमने एक स्टेण्ड लिया कि हम चारों यूनियन को इश्यू ज्वोइन नहीं करने देंगे। We Cannot allow you for to join issue. यह डिमाण्ड बिलकुल नेगोसियेबल नहीं है कि वाइस चान्सलर को हटाओ। अध्यक्ष महोदय मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात से नाराज हैं कि डाक्टर राजदानसिंह को हटा क्यों दिया और बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य इस बात से क्रोधित हैं कि राजस्थान के वाइस चांसलर को हम क्यों नहीं हटाते हैं। आप अपनी पार्टी में तय कर लीजिए। आप कभी कहते हैं कि आटोनामी है और आटोनामी में आप इन्टरफियर करते हैं। और वाइस चांसलर बदमाश है, गलत है उसको हटा दीजिए। दूसरी तरफ हम कोई कार्यवाही करते हैं तो आप कहते हैं यूनिवर्सिटी की आटोनामी में इन्टरफियर करते हैं। नहीं करते तो कहते हैं स्थिति बिगड़ रही है। मैं अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से आटोनामी के हामी हैं। हम चाहते हैं कि जो स्वायत्तता हमने प्रदान की है विश्वविद्यालयों को, उसकी पालना हो। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आटोनामी का मतलब एकेडेमिक आटोनामी है। ऐकेडेमिक आटोनामी तक

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तो हम सीमित हैं लेकिन फाइनेन्शियल इरेंगुलेरिटी और कोई विश्वविद्यालय करता है, हमारे पैसे का अगर मिसयूज करता हो, पब्लिक मनी का मिसयूज करता हो तो राज्य सरकार का कर्तव्य है, राज्य सरकार का फर्ज है कि उसके अन्दर जांच करे और आवश्यक कार्यवाही करे। हम अनावश्यक रूप से यूनिवर्सिटी में इन्टरफियर नहीं करना चाहते। मैं आज आपको निवेदन करना चाहता हूं, वे सुझाव देना चाहें तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो शंका प्रकट की, पूरे राजस्थान की स्थिति से आप भी चिन्तित हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आपको चिन्ता होना वाजिब है। आज पूरा राजस्थान इस बात से चिन्तित है कि परीक्षायें टाईम पर नहीं होती हैं, राजस्थान के अन्दर जयपुर में बैठे हुए चन्द विद्यार्थी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग करके पूरे राजस्थान की परीक्षायें स्थगित करा देते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा, एफीलियेटेड कालेजेज और यूनिवर्सिटी के अन्दर हालत क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी के कैम्पस के लोग स्ट्राइक करके और एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कराने की मांग करते हैं और जबरदस्ती प्रेशराईज करके परीक्षायें पोस्टपोन करा देते हैं। कैम्पस के लोग भी बहुमत से नहीं चाहते हैं कि परीक्षायें पोस्टपोन हों और बाहर के लोग तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, बाहर पढ़ाई भी शुरू हो गई है और करीब-करीब खतम होने वाली है। मैं आपके माध्यम से स्टूडेन्ट कम्युनिटी से यह अपील करना चाहता हूं कि उनको जो कोई जेनवीन ग्रिवेन्सेज हैं, रीजनेबल तकलीफ है तो वह हम निश्चित रूप से सोल्व करेंगे लेकिन यह बात हम कभी बरदाश्त नहीं करेंगे कि इस प्रकार परीक्षाओं के सिस्टम को स्पेक्टिकल कर दें। इसी प्रकार से मैं एक बात इस सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि टीचर एक बड़ी रेस्पेक्टेबल कम्युनिटी है और हम टीचर्स को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन टीचर्स अगर क्लास फोर के साथ मिलकर स्ट्राइक करने लगेंगे तो इस देश का क्या भविष्य होगा, इसका आप अन्दाज लगा सकते हैं। टीचर्स अगर अपनी मांग की बातें करें तो समझ में आता है लेकिन प्रशासन के अन्दर इन्टरफीयर करें, इस प्रकार की बात बरदाश्त नहीं की जायेगी। मैं यह कहकर नहीं चलना चाहता कि जो वाइस चांसलर करते हैं वह सब सही काम करते हैं, लेकिन इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है अगर कोई ठोस फैक्ट्स के साथ कम्पलेंट की जाये तो निश्चित रूप से राज्य सरकार उन फैक्ट्स को देख कर आवश्यक कार्यवाही करेगी। मैं टीचर्स से अपील करना चाहता हूं कि हमने उनके लिए जो स्कीम घोषित की हैं, हम यह नहीं करना चाहते कोई उन पर अहसान किया है। हमें अपना कर्तव्य समझ कर काम करते हैं और यह अपेक्षा करके चलते हैं वे भी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। यह भी हम उनको साफ कह देना चाहते हैं कि अगर वे अपने कर्तव्य पालन से अलग हटे तो उनको कतई बरदाश्त करने वाले नहीं हैं, उनको फार्मली डील करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी विचित्र बात है, मैं अपनी स्टूडेन्ट लाइफ से यह सुनता तो आया हूं कि यूनिवर्सिटी कनसिस-

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
आफ टीचर्स एण्ड टाट्स लेकिन मैंने यह कभी नहीं सुना कि बाबू लोग भी यूनिवर्सिटी का कोई वाईटल पार्ट है। वह एम्पलाईज है। यह डिस्टेन्स मैनटेन करना पड़ेगा। अगर यह गलत फहमी है कि मेक्रेटेरियल स्टाफ एग्जामिनेशन में कोपरेट नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है, आज एग्जामिनेशन टाइम पर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं इसको चेलेंज करते हैं वहां का क्लेरीकल स्टाफ कि हम चाहें तो एग्जामिनेशन टाइम पर होंगे, हम नहीं चाहे तो टाईम पर नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, इसलिये हम क्लास फोर से बात करने के लिए तैयार हैं अगर उनकी कोई वाजिब मांग हो....

श्री अध्यक्ष : इसमें आप क्रांतिकारी कदम उठायेंगे तो होगा, नहीं तो ट्रेडीशनल तरीके से यह मामला ठीक होने वाला नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर कुछ बातें ऐसी हैं...

(व्यवधान)

एग्जामिनेशन टाईम पर कराने के इन्ट्रेस्ट में निवेदन नही करना चाहता। आपका फरमाना सही है, हम निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम उठायेंगे और फर्मली ठीक करेंगे। यह अपेक्षा करते है और अपील करते हैं कि वे भी हमारे साथ सहयोग करें ताकि हम किसी भी प्रकार से एकेडेमिक कलैण्डर को रेस्टोर कर सकें और एग्जामिनेशन शिड्यूल को वापस ढंग से कायम कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि उदयपुर के अन्दर कुछ एफीलियेटड कालेजेज में पी.जी. क्लासेज चल रही है और यूनिवर्सिटी में पी.जी. क्लासेज चल रही हैं। वहां दो-दो, तीन-तीन स्टूडेन्ट्स एक सबजेक्ट के अन्दर होते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल सिर्फ उदयपुर यूनिवर्सिटी का नहीं है, राज्य सरकार इस बारे में चिन्तित है कि कई सब्जेक्ट्स का डुप्लीकेशन होने से टीचिंग पर जितना एक्सपेन्सेज आता है उसका रिटर्न नहीं मिलता। हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत कम हैं। इस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि सबजेक्ट का डुप्लीकेशन नहीं हो, एक सब्जेक्ट एक जगह चलाया जाये, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी जगह चलाया जाये, इस प्रकार की कुछ व्यवस्था कायम की जाये।

उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उदयपुर विश्व विद्यालय में कुछ अनियमितताओं की चर्चा की थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य अनियमितता को स्पेसिफाई नही कर सके। अनियमितता अगर कोई करता है तो हम निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, चाहे वह वाईस चांसलर हो चाहे कोई भी बाकी हम जनरल और बेग एलीगेशन्स पर कोई कार्यवाही करने वाले नहीं हैं।

यहां पर झांई कुई से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा उठाई थी, एग्जामिनेशन में लड़की का जो हो गया या नहीं हो गया वह तो विष्णुदत्त कमीशन देखेगा, कोई ठोस बात अगर उन्होंने बताई है तो उस पर हम

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कार्यवाही करें। यह नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट के चूंकि 81 के अन्दर 53 पर्सेन्ट मार्कस आये इसलिये 82 के अन्दर 70 पर्सेन्ट नहीं आ सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं ब्रिलियेंट स्टूडेंट भी फेल हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : होता है, अपन हार जाते हैं, जमानत जब्त हो जाती है दूसरी दफा बहुत वोटों से जीत जाते हैं।

श्री नाथू सिंह : जब कि उनको प्रोयोरिटी नहीं थी · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, बांदी कुई से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर यह चर्चा की कि वाइस चांसलर की पार्टी में मैं गया था और वहां कोई शराब पर खर्चा हुआ था। मुझे यह पता नहीं शराब पर हुआ या नहीं हुआ, मैं वाईस चांसलर की पार्टी में कभी नहीं गया, एक बात। दूसरी बात, वाइस चांसलर को शराब पिलाने की मुमानियत नहीं है अगर वह अपने पैसे से पार्टी करता है और शराब पिलाता है तो पिला सकता है। यूनिवर्सिटी के पैसे से वह शराब पिलाता है तो उसकी मुमानियत है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं वे शायद इसी ख्याल में रहते हैं कि वह यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट है, वह यह भूल जाते हैं कि वह इस सदन के माननीय सदस्य भी हैं, हैसियत से बात करनी चाहिये · · ·

श्री अध्यक्ष : जितने सालों से आप स्टूडेन्ट हैं अभी पास नहीं हुये क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यहां पर फारेन नेशनल के अपाइन्टमेंट के विषय में कहा गया। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात चीफ मिनिस्टर तक गई है यूनिवर्सिटी के रूल्स में कहीं प्रोवीजन नहीं है कि फारेन नेशनल को परमानेन्ट अपाइन्टमेंट नहीं दे सकते लेकिन हमारे गवर्नमेंट रूल्स में है फिर भी हमने एनलाजी को एक्सटेन्ड करते हुये प्रोप्राइटी का आधार मानते हुये उनको एडवाईज किया है कि उनको इण्डियन सिटीजन शिप एक्वायर करनी चाहिये अन्यथा उनको परमानेन्ट अपाइन्टमेन्ट नहीं मिल सकता · · ·

श्री अध्यक्ष : अमेरिका वगैरह में अपने बहुत से यहां के नागरिक हैं, वे वहां प्रोफेसर और साईटिस्ट हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वे ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, वहां अलग सिस्टम है, अपने को अपने रूल्स से मतलब है उनके रूल्स से मतलब भी नहीं। मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता है कि कुछ रिटायर्ड लोगों को एम्पलाई करने की बात यहां पर कही गई है। मैं समझता हूं · · ·

श्री अध्यक्ष : मुखबन्द को समय आ रहा है और एक राज्य मंत्री जी को और कहना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो रिटायर्ड एम्पलाईज को जो यहां एम्पलाई किया हुआ है, मैं समझता हूं वह यूनिवर्सिटी के इन्ट्रेस्ट में किया है। फिर भी, चूंकि राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है हमारी प्रधान मंत्री जी की

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

घोषित नीति है कि हम रिटायर्ड लोगों को एम्प्लायमेंट नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी को इस प्रकार की सलाह दे दी है और समझता हूं कि यूनिवर्सिटी इस पर कार्यवाही करेगी। धन्यवाद :

व्यवधान

श्री नाथूसिंह : क्लेरिफिकेशन के लिये···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री गुलाबीदास कल्ला : (राज्य मंत्री, कला एवं संस्कृति) : कला एवं संस्कृति मंत्रालय के सम्बन्ध में इस विभाग के अन्तर्गत···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : केवल 3 मिनट का समय है, फिर मुख बन्द हो जायेगा।

श्री गुलाबीदास कल्ला : 3 मिनट में ही बोल दूंगा।

इस विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की योजनाओं की सहायता से हमने उर्दू का केलीग्राफी स्कूल हमने जयपुर में स्थापित किया अरबी और फारसी का एक केलीग्राफी स्कूल हमने टोंक में स्थापित किया। इसी प्रकार से अपने शेखावाटी, चूरू और झुन्झुनूं के इलाके में 10 वीं, 12 वीं शताब्दी के युग के कुछ अभिलेख, स्तम्भ ऐतिहासिक स्मारक के रूप में खोजे। इसी प्रकार ताम्रकालीन सभ्यता का प्रमाण मिला, जो भरतपुर के अन्दर हमने खोज करके निकाला। मैं समझता हूँ, ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण प्रदान करने के लिये ऐतिहासिक वस्तुओं को संशोधित करने के लिये जैसलमेर, जयपुर और पाली में तीन नये संग्राहलय स्थापित कर रहे हैं। जयपुर में कत्थक शैली नृत्य परम्पराओं को और आगे बढ़ाने के लिये कत्थक की वीडियो लाईब्रेरी जयपुर में प्रारंभ कर रहे हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के इस जयपुर शहर में केन्द्रीय सरकार की सहायता से हिन्दुस्तानी रात्रि संगीत विद्यालय वर्ष 1983-84 में प्रारंभ करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति विभाग के संबंध में नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक ने दो तीन बातें कहीं। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब भी एकेडेमी का गठन होगा, प्रोफेसर, रीडर्स में से निश्चित रूप से मनोनयन करने के लिये हम कार्यवाही करेंगे। इस विभाग के बजट के बारे में माननीय सदस्य ने बताया, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1981-82 में इस विभाग का बजट 160 लाख 50 हजार रुपये था जो वर्ष 1983-84 में बढ़कर 161 लाख 87 हजार हो गया है। इसी प्रकार से संगीत संस्थान का बजट 3 लाख 2 हजार था वह वर्ष 1983 मे 4 लाख 10 हजार हो गया है। आर्ट स्कूल का बजट 2 लाख 96 हजार था जो 4 लाख हजार हो गया है। मैं समझता हूं कि इन सभी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मुखबंद

स्थान ग्रहण कीजिए अब। चर्चा समाप्त हुई। मुख बन्द का प्रयोग। विचाराधीन मांगों सहित अन्य मांगों को मतदान हेतु

(श्री अध्यक्ष)
प्रस्तुत किया जाता है–

**अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 का पारण**

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की" मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,15, 38,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**अनुपूरक अनुदान (वर्ष 1982-83) (द्वितीय संकलन) की शेष मांगों का पारण**

अब अवशेष मांगे प्रस्तुत की जा रही हैं–

**मांग संख्या-1**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1, राजस्थान विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,87,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-2**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्य-2, मंत्रिपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,66,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-3**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3, सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 58,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-4**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-4, जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,87,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-5**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5, प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 43, 66,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–6

प्रश्न यह हैं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्य-पाल महोदय को 58, 41,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,83,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–9, वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,41,68,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–10, विविध सामान्य सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,99,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–11, विविध सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 40,43,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 9,63,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14, बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 29,58,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-15, पेंशन व अन्य सेवा निवृत्तियों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राजपाल महोदय को 5,35,20,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-16

प्रशन यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,95,85,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(ध्वनि-मतदान)

शान्त रहें; माननीय सदस्य।

हो सकता है मेरे सुनने में कोई गलती रही हो। मैं एक दफा और पूछ लेता हूं

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

प्रशन यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,95,85,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): ×××

श्री अध्यक्ष: शान्त रहें माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी: ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नियमों का पालन करें।

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

मांग संख्या-17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-17, कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,83,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अप्रलेखित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

स्वीकृत

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-18, जनसम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,54,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

स्वीकृत

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,70,62, 000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20, आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 63,73,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 67,74,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22, क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,22,82,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23, श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,25,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-25, कोषागार व लेखा प्रशासन

(श्री अध्यक्ष)

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,51,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,13,49,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,36,39,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,41,10,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,66,44,000 तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–31, पुनर्वास एवं सहायता के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 93,71,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–32, नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को 6,57,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,53,79,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,38,72,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वा- व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय 8,19,000/- रुपये तक की राशि अं प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान मांग संख्या–36, सहकारिता के संबंध 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले – में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यप- महोदय को 1,60,51,000 रुपये तक राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान मांग संख्या–37 कृषि के संबंध में 31 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल म. को 11,75,06,000 रुपये तक की और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान मांग संख्या–38 लघु सिंचाई एवं भूमि-क्षण के संबंध में 31 मार्च, 1983

श्री अध्यक्ष)
माप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले य के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,76,000 रुपये तक की राशि प्रदान जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत की गयी।

मांग संख्या–39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की ग संख्या-39, पशुपालन एवं चिकित्सा के बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त ने वाले वर्ष में किये जाने वाले य के निमित्त राज्यपाल महोदय को 71,74,000 रुपये तक की राशि और ान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की ग संख्या-40, राजकीय उपक्रम के बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त ने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के मित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की ग संख्या-41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,65,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–43–खनिज के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,98,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–45–राज्य कर्मचारियों को ऋण के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री अध्यक्ष)
निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,60,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–46–सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,69,37,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–47–पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,52,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–48–विद्युत् के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,58,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–49

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–49–स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 62,43,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन
राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। विनियोग विधेयक का पुर: स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। वित्त मंत्री जी।

श्री परस राम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जावे।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1983 को पारित किया जावे।

श्री दाऊदयाल जोशी : (दीगोद) आज पारित कैसे करेंगे ?

श्री नाथूसिंह : (बांदीकुई) कल पास होगा।

श्री अध्यक्ष : आज ही पास होगा। यह आज के कार्यक्रम में है लेकिन मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। इसकी कई स्टेजेज है माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1983 को पारित किया जाये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, यह अपने आप में अहम प्रश्न है। इस सारे विषय पर हमेशा परम्परा रही है कि डिटेल में चर्चा होती है। सरकार ने आज जिस प्रकार से 27,28 करोड़ की मांगें एक ही झटके में पास कराली उस पर विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए थी, विस्तृत रूप से विचार होना चाहिये था। श्रम और रोजगार की मांग पर इस सरकार ने आज ऐसा किया जब कि स्पष्ट प्रोविजन है कि दस परसेंट से अधिक किसी भी प्रकार से सप्लीमेंट्री ग्रान्ट के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरा निवेदन है कि इसको विस्तृत चर्चा के लिए कल लिया जावे। आज इसको किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जावे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कार्य सलाकार समिति की बैठक हुई थी उसके अन्दर विचार विमर्श किया गया तत्पश्चात् कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को इस सदन ने स्वीकृति दी। उसके अनुसार है। क्योंकि वित्तीय विधेयक है इसलिए इसको आज ही पारित करना है।

श्री दाउदयाल जोशी : आज पारित कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष : यह आज ही पारित होगा। इसके लिए 8 बजे तक का समय निश्चित किया है

श्री दाउदयाल जोशी : कार्य सलाहकार समिति का निर्णय इसके लिए कल का है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज

श्री दाऊदयाल जोशी : आज की जो हमें सूची दी गई है उसमें इसका कहीं भी वर्णन नहीं, कहीं भी चर्चा नहीं है

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज की कार्य सूची में कहीं भी वर्णन नहीं है। अध्यक्ष महोदय यह न्यायोचित नहीं होगा, किसी भी मूल्य पर न्यायोचित नहीं होगा, अगर जल्दबाजी कर के इस प्रकार से····

श्री अध्यक्ष : कोई जल्दबाजी नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : वित्त विधेयक के साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आपने जो कार्य सूची माननीय सदस्यों को वितरित की है की गई है अध्ययन करने का कष्ट नहीं किया प्रतीत होता है। उसमें लिखा है···

श्री दाऊदयाल जोशी : पुरःस्थापित करने के लिये लिखा है उसके।

श्री अध्यक्ष : मैं पढ़ देता हूं, मेरे पास में जुबानी जमा खर्च तो करता नहीं। मैं पढ़ कर ही आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : हां बताइये, पुरःस्थापित करने के लिये है।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1983। विधान सभा भवन जयपुर दिनांक 21 मार्च, 1983। उसमें लिखा हुआ है कि श्री बृजसुन्दर शर्मा प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे : "राज्य की संचित निधी में से 31 मार्च 1983 को समाप्त होने वाले वित्तिय वर्ष 1982-83 के लिए कुछ और धन राशियों के भुगतान व विनियोग को प्राधिकृत करने का विधेयक।" वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय। यह कल का है। उसके पहले कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज

श्री दाऊदयाल जोशी : इस प्रकार से जल्दी में किसी प्रकार से ऐसे··

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। सदन के नियम है इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी। 8 बजते ही सभी आवश्यक प्रश्न पूछ लिए जायेंगे। माननीय सदस्य-यदि कोई बोलना चाहे तो मैं···

अनेक माननीय सदस्य : पारित करो। अध्यक्ष महोदय, इसको पारित करो।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में दीगोद से आने वाले···

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, उन्होंने मान लिया। पारित करदें।

श्री दाऊदयाल जोशी : पारित क्यों करना चाहिये। मैं समझता हूं, बिलकुल इतना इजीली इसको लेकर हम छोड़ देंगे, यह कोई न्यायोचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : इजीली कुछ नहीं होता, माननीय सदस्य। आप काफी पुराने सदस्य हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य को जिस विनियोग विधेयक नम्बर-दो को कल मैंने पुरःस्थापित किया था उस पर चर्चा करनी होगी, वह अलग है। यह एप्रोप्रियेशन बिल जिन डिमांड को हमने अभी पास किया है, 278 करोड़ 59 लाख और 29 हजार की डिमांड्स को अभी पास किया है उस के लिए है। उस विधेयक को आज ही पारित करना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलियेगा। आर्डर, कृपया बैठ जायं।

इसमें पूर्व में आठ बजे तक का समय निश्चित किया गया था। आर्डर।

(व्यवधान)

आधा घण्टा नहीं, वित्तीय विषय विचाराधीन हो उस सम्बन्ध में अपने काफी कठोर नियम हैं। समय की पाबन्दी रखी जाती है। फिर भी इसमें बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते थे इसलिए तीन घण्टे के लिए सदन का समय बढ़ाया गया था वरना नियम तो यह है कि ज्यों ही वह समय आ जाये मुख बन्द का प्रयोग किया जाय और इसके बाद जो समय निश्चित कर दिया है वह समय आने पर तत्काल सभी प्रश्न पूछ लिये जाते हैं। यह जाने माने नियम हैं, माननीय सदस्य जानते है। आधे घन्टे का समय है जिसमें मुख्य मंत्री जी का उत्तर देने का भी अधिकार होगा, जो माननीय सदस्य इस समय का उपयोग करना चाहे उनको छूट है। आप फरमाइये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जिस समय बजट हमने पास किया, कल जो बजट हमने पारित किया सदन के 95% सदस्य सब एक मत थे, इस बात के लिये सन्नद्ध थे कि बजट बोगस है, गलत तरीकों से बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष : यह आप सदन का अपमान कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की भावना बजट को स्वीकार करते समय पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की थी उससे यह स्पष्ट लगता है...

श्री अध्यक्ष : विपक्ष वालों ने ना भी नहीं कहा।

श्री दाऊदयाल जोशी : विपक्ष वालों ने हण्ड्रेड पर्सेंट ना कहा। लेकिन, परन्तु, चूंकि हर व्यक्ति ने बोलते समय यह लगाया है। बजट का स्वागत करने के साथ ही उसने यह भी कहा है 'लेकिन, चूंकि, परन्तु' मेरा निवेदन करना है, इस सरकार की यह बात स्पष्ट हो गई कि बजट बनाते समय किसी प्रकार का संतुलन नहीं रखा जाता, बाद में सरकार रिएप्रोप्रियेशन बजट के आधार पर बजट को भिन्न तरीकों से बढ़वाती है। अभी हमने कुछ मांगे 32 करोड़ से अधिक की राशि जो राज्य सरकार ने गलत तरीकों से खर्च करदी थी, पुष्टि की। जिस प्रकार श्रम और रोजगार की मांग थी उस श्रम और रोजगार का दो करोड़ का बजट था, 10 पर्सेन्ट ज्यादा से ज्यादा बजट का खर्च किया जा सकता है।...

228



श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपके नेता से तो पूछ लिया बोलने के लिए ?

श्री दाऊदयाल जोशी : हां बिलकुल पूछ लिया है और पूछने के बाद. . .

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : या आप बन गये हो आज कल ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर ।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारे यहां के प्रत्येक व्यक्ति में एक क्षमता है, कि आप लोगों को नाच नचा सके, यह बात मान कर चलिये । हमारे नेता तो नेता हैं ही, वह तो आपको नचाते हैं लेकिन हमारा एक-एक सदस्य सदन का, यह हमें गर्व है, फक्र है, अभिमान है · · ·

(7.34 सायं)

(श्री देवीदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : दुआ तो लो ।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रत्येक सदस्य हर प्रकार की तैयारी करके आता है। आपके लोगों की तरह केवल मेज थपथपाने वाला मेम्बर बन कर नहीं आता, केवल यस मैन बन कर नहीं आता । पूरे तौर तरीके के साथ हर प्रकार से राज के कोष में जो नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्ति हैं . . . .

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 8 बजे का ध्यान रखना ।

श्री दाऊदयाल जोशी : राज्य के कोष का जो पैसा गलत तरीके से खर्च किया जाता है····

श्री खेत सिंह राठौड़: आज तो जोशी जी तैयारी नहीं थे ।

श्री दाऊदयाल जोशी: उसकी पूरी तैयारी है ।

श्री खेत सिंह राठौड़: आज तो बिलकुल ही आप तैयार नहीं थे, न पढ़ कर आये थे न आपको ख्याल था ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : जिस प्रकार से हमने अभी श्रम रोजगार की मांग के लिये 25 प्रतिशत से भी अधिक अतिरिक्त राशि स्वीकार करली, यह सही है, कि स्पष्ट प्रोविजन है दस परसन्ट से अधिक की राशि बजट से अधिक खर्च नहीं कर सकते लेकिन श्रम और रोजगार की मांग में हमने 25 प्रतिशत से भी अधिक की राशि की स्वीकृति यहां पर दी । मेरा निवेदन था कि यहां यह दोनों मांगें हमने आज स्वीकार की हैं, उसमें पहली मांग के साथ ही हम विस्तृत रूप से चर्चा करते तो उन मांगों के साथ निश्चित रूप से न्याय होता । यहां जो यह बताया गया है कि पुलिस विभाग को 60 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त दी है, मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पुलिस के हर तबके में असन्तोष हैं, पुलिस आयोग आज तक नहीं बना ? दिल्ली के अन्दर जनता पार्टी के राज में पुलिस आयोग बनाने की घोषणा की गई थी, पुलिस के लोगों में जो असन्तोष बना हुआ है उसके कारण पुलिस के लोगों ने अपनी डिमांड रखी हुई है । पुलिस में नित्य प्रतिदिन जो अन्याय होता है, उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई बातें इस नये बजट में भी नहीं रखी गई । पुलिस वाले आज भी उसी प्रकार से थर्ड ग्रेड के व्यक्ति, गरीब

(श्री दाऊदयाल जोशी)

तबके के व्यक्ति हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, थाने नए खोलने की बात पुलिस मद में कही गई है। जहां नया थाना खुलता है वहीं थाने के साथ में थाने के अन्दर रहने वाले सिपाहियों के लिए क्या क्वार्टर्स भी आप बनाते हैं, नहीं, यह नहीं बनाते हैं। + + +

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : + + +

श्री गुलाबसिंह कटारिया (उदयपुर) : + + +

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

श्री गुलाबचन्द कटारिया : + + +

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : + + +

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

श्री सुरेंद्र व्यास : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास (राज्य मन्त्री, शिक्षा): सभापति महोदय, प्रहरी विधान सभा का स्टाफ हैं। चाहे पुलिस के हों या कोई हों लेकिन यह प्रहरी विधान सभा का स्टाफ है। स्टाफ है इनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। और यह रूलिंग दी हुई है स्पीकर साहब ने पहले।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस पर डिस्कशन नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

(7.38 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ने जो कुछ यहां के प्रहरियों के बारे में कहा है उसको सदन की कार्यवाही से हटाया जाता है। कोई भी माननीय सदस्य इस सदन की जो व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में किसी तरह की चर्चा यहां पर नहीं उठा सकते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चीप पापुलरिटी मत लो।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रहरियों की बात है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : लेकिन यह मानवता का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कैसा ही प्रश्न हो। अंकित न हो।

---

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा हूं; माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हमने चिकित्सा की बात की• • •

श्री अध्यक्ष : हां उसमें• • •

श्री दाऊदयाल जोशी : चिकित्सा के मद में हमने भारी तादाद में राशि बढ़ाई है। क्या आप न्याय कर रहे हैं चिकित्सा के साथ ? किसी भी प्रकार से नहीं कर रहे। राजस्थान के वैद्य बाहर बैठकर नारे लगा रहे हैं। राजस्थान के मुख्य मन्त्री और चिकित्सा मन्त्री इन वैद्यों के लिए कहते हैं कि तुम्हारी ग्रेड हम बढ़ायेंगे तुम चिंता मत करो. केबिनेट की मीटिंग होगी। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा अहम् प्रश्न है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, राजस्थान की विधान सभा जिस दिन से चली है राजस्थान के सारे आयुर्वेदिक कालेज उस दिन से बंद हैं। हिन्दुस्तान की तवारीख में आयुर्वेदिक कालेजों की हड़ताल ने यह एक इतिहास बनाया है। 79 दिन से राजस्थान के आयुर्वेदिक कालेज बन्द पड़े हुए हैं और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एक तरफ हमारी शिक्षा मन्त्री बड़े गर्व के साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय पद्धति की चर्चायें कर रही हैं, यह भारतीय पद्धति से चिकित्सा करने वाले वैद्य हैं जो लगातार आपके दरवाजे पर धरना डालकर बैठे हुए हैं। इन गरीबों की कोई चिंता नहीं करते हैं, आप इनकी सुनना नहीं चाहते हैं। आप मांग चाहे जितनी और बढ़ा लीजिए, हम इसको स्वीकार कर लेंगे। अभी यहां पर शिक्षा की मांग के सम्बन्ध में गुलाबचन्द कटारिया ने संस्कृत के विद्वानों के लिए संस्कृत के अध्ययन, भारतीय भाषाओं के अध्ययन, जो सबसे कठिन है• • • •

श्री अध्यक्ष : आपको कष्ट हो रहा है, कृपया आप संक्षेप में ही कहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना है कि जिस प्रकार से आप खुद महसूस करते हैं कि संस्कृत भाषा "जब्बे विद्या कंठे जब्बे अटे" जो आपने कहा कंठस्थ, यह संस्कृत का विद्वान् है, जिसने विद्याओं को कण्ठ में रखकर के भारतीय संस्कृति की अक्षुण्ण रूप से रक्षा की।

श्री अध्यक्ष : इसलिए तो मेरी बात तो आप मान ही लिया करो।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, दो करोड़ रुपये और शिक्षा में बढ़ाते तो हमें एतराज नहीं होता। संस्कृत के अध्यापकों की दुर्दशा सोचनीय है, विचारणीय है। वेरी वेतन आयोग के तहत उनका वेतन बढ़ाया उसमें भी उनके प्रति अन्याय किया गया। मेरा निवेदन है कि जो विधेयक पुरःस्थापित किया है, जिसको जल्दी में पारित करने जा रहे हैं मैं तो चाहता था कि इस पर विचार होता। माननीय सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग बोलते लेकिन जल्दी में पास करने जा रहे हैं, यह उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : आप बोल लिए याना विपक्ष बोल लिया।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैं तो शिक्षा के मामले में जो ग्रामीण क्षेत्र की अवहेलना हो रही है उसके बारे में कहना

(श्री महाराम चौधरी)

चाहता हूं। अनुपूरक मांगों में ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्पेशली थोड़ा ज्यादा मांगते। आपके निर्वाचन क्षेत्र फलौदी मेरा है और निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहां 10 प्रतिशत भी साक्षर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए अनुपूरक मांगों के अन्दर अगर कोई गुंजाइश हो तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। चिकित्सा के सम्बन्ध में, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र के शेरगढ़ के अन्दर अभी चिकित्सा सुविधा न होने की वजह से 59 आदमी मारे गए, अगर उस जगह पर कोई विशेष व्यवस्था की जाती तो ठीक थी। जैसी व्यवस्था की जा रही है वह भी सुचारू रूप से नहीं चल रही। गांवों के अन्दर डाक्टर भेजते हैं तो ऐसे डाक्टर भेजते हैं जो अन ट्रेण्ड होते हैं, जो कुछ नहीं जानते। मरने के लिए तो गांव वाले और अच्छी दवा देने के लिए शेरगढ़। इसलिए जो 10 साल पुराना, तजर्बेकार डाक्टर है ऐसे डाक्टर को ग्रामीण क्षेत्र में लगाना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं नागोर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो विधेयक अभी लाया हूं आपके सम्मुख, वह आथोराइजेशन इस बात का मांग रहा हूं कि आप मुझे राज्य सरकार को इस धन राशि को एप्रोप्रियेट करने के लिए अथोराइज कीजिए मांगों के ऊपर अभी आपने ग्रान्ट प्रदान कर दी है। यह है अनुपूरक विनियोग और अनुदान के लिए जो मांगे हैं वह 1982-83 के लिए हैं, एडीशनल नहीं है सप्लीमेंट्री हैं। 1982-83 के लिए आज तारीख 22 है, नौ दिन के भीतर-भीतर नागौर से आने वाले माननीय सदस्य सब स्कूल खुलवाना चाहते हैं, वह ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर पहुंचाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि दूसरा एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा, उस सम्बन्ध में जो प्रावधान है उस समय आप निवेदन कर सकते हैं। दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें सिद्धांत की, और मूल बातें उठाई। पहली बात तो उनकी यह है जो कि कुछ भी यह यह सप्लीमेंट्री ग्रान्टस के लिए डिमाण्डस आयी है, तो बजट एस्टीमेट्स ठीक तरह से क्यों नहीं बने? यह सही बात है कि जो एस्टीमेट्स हमने इस सदन से पारित करवाये थे····

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि बजट जो हम पास करने वाले हैं 1983-84 का, फिर सोच लीजिए, अगले साल आप फिर इसी प्रकार मांग लेकर आयेंगे···

श्री अध्यक्ष : उसके कारण बतायेंगे, मंत्री महोदय। व्यय क्यों बढ़ गया, वह कारण बतायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय 1982-83 का जो बजट पारित हुआ और जो मांगे आपने पारित की और एप्रोप्रिएशन बिल के मार्फत जो आपने अथोराइज गवर्नमेंट का कन्सोलीडेट फण्ट में से अमाउण्ट एप्रोप्रियेट करने के लिए, उस एस्टीमेट्स से कुछ भिन्नता आयी है इसलिए सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स थी। जो डिमाण्ड हमने आपसे पारित करवायी थी उसका जो प्रतिशत आ रहा है वह 15.39 प्रतिशत ज्यादा है। आपकी सुनिये, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। 15.39 प्रतिशत है। जिस वक्त जनता पार्टी का शासन था 1979-80 में, उस वक्त इनके एस्टीमेट में जो फर्क आया वह 1979-80 में 13.19 फीसदी

(232)



(श्री परसराम मदेरणा)

और 1978-79 के अन्दर 14.88 फीसदी था। मेरे और आपके बीच में आधा पर्सेन्ट का फर्क है, आप कौन से एस्टीमेट ठीक बता रहे थे ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन ये तो नये लोग थे ?

श्री दाऊदयाल जोशी : गांव-गांव में काम खुले थे, आज कौन से काम हुए हैं। एक जगह का नाम तो बता दें जिसका काम पूरा हुआ हो। कहीं स्कूल बना हो, कहीं धर्मशाला बनी हो···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा मुद्दा डीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह उठाया कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य की मांग संख्या-26 के अन्तर्गत आपने इतना ज्यादा अमाउण्ट कैसे ले लिया ? अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में कुछ अस्पताल बनाने में, कुछ अस्पतालों में डाक्टर लगाने के अन्दर, जहां नयी पोस्ट क्रियेट होती है, यह खर्चा हुआ है। टोटल सप्लीमेंट्री डिमांड में से, अध्यक्ष महोदय, जो वोटेड एक्सपेंडीचर है वह 158 करोड़ 59 लाख का है और जो चार्ज्ड एक्सपेंडीचर है वह 120 करोड़ 40 लाख का है। 120 करोड़ में से 100 करोड़ राशि तो जो रिजर्व बैंक से आपस में ट्रांजेक्शन चलते हैं, जमा होते हैं, उनको री-पेमेंट किया, वह है। 20 करोड़ रुपया भारत सरकार से वेज एण्ड मीन्स का एडवांस लिया था। इस 158 करोड़ में भी कुछ राशि ऐसी है, अध्यक्ष महोदय, जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए ग्रांट मिलती है। वह ग्राण्ट भारत सरकार पहले इण्डीकेट नहीं करती, यह आउट साइड दी प्लान ग्राण्ट है। वह कहलाती हैं एक्सीलेरेटेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम। यह सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम है। यह धनराशि का आवंटन या स्वीकृति ही बाद में आयी तो निश्चित रूप से वह सप्लीमेंट्री ग्राण्ट में आती। इसी प्रकार 15 करोड़ रुपये जो आर. पी. पी. के लिए मिले उसका भी भारत सरकार ने बाद में निर्णय लिया कि 1982-83 के लिए इसको एक्सीड किया जाय। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाओं के अन्दर 16 करोड़ रुपया खर्च हो गया। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि दुर्भिक्ष है, दुर्भिक्ष से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचानी पड़ेगी। इस तरह से यह खर्च हुआ। पुलिस की आपने काफी वकालत की। उनके लिए जो एडीशनल ग्रान्ट्स है, डिमाण्ड् की जो ग्रान्ट्स है, वह ज्यादातर रिवीजन आफ पे स्केल और अलाउण्सेज के लिए है ताकि पुलिस के लोगों को तनख्वाह ठीक प्रकार से मिले। कुछ पैसा माडर्नाइजेशन के लिए भी रखा गया है। माननीय सदस्य की भावनाओं के अनुरूप यह खर्चा किया जा रहा है। यही मुद्दे यहां पर उठाये गये थे। इसके अलावा मुझे कुछ कहना नहीं है। आप इस बिल को पारित कीजियेगा

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, श्रम और रोजगार के विषय में मेरा निवेदन है मूल अनुदान की मांग संख्या-23, श्रम और रोजगार के लिए 6 करोड़ 64 लाख रुपये

(श्री दाऊदयाल जोशी)

स्वीकार किये गये थे। प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांग में 4 करोड़ 12 लाख रुपये स्वीकार किये गये थे और आज फिर 4 करोड़ 25 लाख रुपये स्वीकार कर रहे है। इस प्रकार से 15 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर रहे हैं। जब को स्पष्ट इंगित किया गया है कि 10 पर्सेन्ट से अधिक राशि का मूल्य किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते है। स्पष्ट प्रोविजन है कि बजट के 10 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते, इसमें 25 प्रतिशत से भी अधिक राशि आपने खर्च कर दी। इसके लिए आपको क्या कहना है? यह मानता हूं कि ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम है। उसमें भी आप बड़ा भेदभाव बरत रहे हैं। मेरी कान्सटीट्यूएन्सी के अन्दर, झालावाड़ में लोग आज भी 7-7 किलोमीटर से पानी ला रहें हैं। हम उनको भी स्वीकार कर लेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन इसके विषय में क्या कहना है 25 पर्सेन्ट आपने कैसे किए, किस मद में खर्चा किया? आप यह तो बताइये?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि 82-83 के बजट में हमने धनराशि व्यय करने की सीमा निर्धारित की और उस सीमा का अतिक्रमण करके विशेष राशि खर्च करने की जो मांग आई है यह परम्परा सी पड़ गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम जिस सीमा में बजट पास करते हैं उस सीमा में ही सरकार को रहना चाहिए उस सीमा का अतिक्रमण किसी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए। यह सदन की उदारता है कि हम उनकी मांग पर एक्स्ट्रा खर्चा मंजूर कर देते हैं। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए बल्कि सदुपयोग होना चाहिए। यदि इसी तरह से हां में हां करते रहे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। फिर बजट किस बात का? यानी जो बजट बनाते हैं उसको जल्दी में बनाते हैं या सोच समझ कर नहीं बनाते या बजट बनाते वक्त कोई नक्शा या लक्ष्य निर्धारित नहीं था। तो मैं आप से निवेदन करता हूं कि अगला जो बजट आवे 1983-84 का, उसके बारे में अभी से राज्य सरकार को पाबन्द कर दें कि 1983-84 का आपका जो बजट पास हो जिन जिन विभागों के लिए जो धनराशि का सीमा निर्धारित की जाय ज्यादा किसी भी हालत के अन्दर व्यय नहीं किया जाएगा। कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए या कोई बहुत बड़ी योजना हो, जैसे पेयजल की हो उसके बारे में तो यह सदन विचार कर सकता है। लेकिन इसमें आपने सभी मांग पर, हर विभाग की मांग पर ऐसा किया है, मैं आप से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह यदि आपने सरकार को व्यय करने की खुली छूट दे दी तो यह आपका घाटे का बजट चलता रहेगा। यानि व्यय पर नियन्त्रण होना जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से यदि हम नियन्त्रण नहीं रखेंगे तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। इसलिए मैं आप से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य के लिए राज्य सरकार को पाबन्द कर दिया जाय कि व्यय के ऊपर नियन्त्रण रखें अन्यथा, अध्यक्ष महोदय, अधिकारी लोग, जिनको बैंक से ड्रा करने का अधिकार है, चाहे जैसे खर्च करते रहेंगे। उनको विश्वास हो गया कि जितना खर्च होगा हम विधान सभा से पास करवा लेंगे...

श्री अध्यक्ष: जोड़ लगाकर हिसाब पेश

(श्री अध्यक्ष)
कर देते हैं। वे जानते हैं कि हम यहां हाथ उठा कर पास कर देंगे।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सदन की यह उदारता है, शालीनता है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है मंत्री जी का उत्तर चल रहा है . . .

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : इन्दौरिया जी कांग्रेस में एक ही विद्वान् हैं जो फुल समय बैठते हैं मेरे अलावा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परस राम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं वे अमूल्य हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अनफोरसीन एक्सपेन्डीचर हैं। पिछले साल के बजट में मैं जाना नहीं चाहता हूं। पिछले साल 20 परसेन्ट के ऊपर था इस साल 15 पर्सेंट आया है। इसके पहले वाले साल में यह 41 पर्सेंट था। सबसे ज्यादा, जब तत्कालीन मुख्य मंत्री ही फाईनेन्स मिनिस्टर थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि एस्टीमेट्स से ही होना चाहिये परन्तु कुछ खर्च ऐसा हो जाता है, जैसे ट्रांन्जेक्शन हुआ रिजर्व बैंक से 100 करोड़ का वहां से ले लिया वापस दे दिया इसलिये आप से डिमान्ड मन्जूर करानी पड़ती है। आपको ग्रान्ट करनी पड़ती है। यह मतलब नहीं कि खर्चा हुआ है। वेज एण्ड मीन्स, यह एक एडवान्स है ··

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : खर्च जो नहीं हुआ है··

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : आप इस सब्जेक्ट को चन्दनमलजी से डिस्कस कर लें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि खर्च नहीं हुआ लेकिन खर्च करने की हमसे मन्जूरी ले ली गई। इसका मतलब यह है कि ·····

श्री परसराम मदेरणा : रिजर्व बैंक का ट्रान्जेक्शन चार्ज्ड एक्सपेन्डीचर में है। इस पर डिशकशन हाऊस में नहीं हो सकता है। आपको वोट देने के लिये, अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा यह दो कालम है एक वोटेड और एक चार्ज्ड। वोटेड अकाउन्ट के लिये हम पारित करवा रहे थे लेकिन चार्ज्ड के ऊपर डिसकसन नहीं कर सकते हैं। कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल के अन्तर्गत, इसलिये यह लाना पड़ता है। यह एक्सपेन्डीचर नहीं है, केवल ट्रान्जेक्शन है। केवल आपकी सूचना के लिये है, डिसकसन के लिये नहीं है। यह ट्रान्जेक्शन हमें रिजर्व बैंक से करना पड़ा· ·

श्री अध्यक्ष : खैर, पंडितजी आज तो जाने दें। आइन्दा ध्यान रखेंगे आपने जो सुझाव दिये हैं··

श्री परसराम मदेरणा : मांग संख्या 23, जो पहले सदन पारित कर चुका है, के ऊपर एप्रोप्रियेशन, विनियोग विधेयक के पारित होने के स्टेज पर एतराज किया है। मैं निवेदन करूंगा, इसमें, अध्यक्ष महोदय,

(श्री परसराम मदेरणा)
3 करोड़ 73 लाख रुपया एन-ग्रार.ई.पी. से भारत सरकार से मिला है। रोजगार, श्रम का मतलब है, रोजगार देने के लिये जो ग्रमाउन्ट ग्राया है, यह कोई लेबर डिपार्टमेन्ट का खर्चा नहीं है। यह श्रम जनरेट करने का खर्चा है। इसलिये ग्रापकी जो धारणाएं हैं वह निर्मूल ही नहीं भ्रान्तिपूर्ण हैं इसलिये मैं यह विवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : ग्रापने एक्सीडेन्ट का खर्चा डाला है 3 करोड़··

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ग्रापने जो 3 करोड़ बताया है वह एन.ग्रार.इ.सी. में नहीं है 3 करोड़ 52 लाख रुपया तो ग्रापका दुर्घटनाग्रों का है। यह रोजगार जनरेट करने का नहीं है।··

श्री दाऊदयाल जोशी : और ग्राप लोगों को नहीं दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं? एक्सीडेंण्ट हो रहे हैं।··

श्री ग्रध्यक्ष : यह तो मांग पारित कर दी। मेरे ख्याल से उचित होगा··

श्री परसराम मदेरणा : पेज नं. 166 के नीचे कारण दिये हुए हैं, उदयपुर से जाने वाले माननीय सदस्य कृपया उसको पढ़ लें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नवीन व्यय के कारण राजस्थान ग्राकस्मिक निधि का रुपया 3 करोड़ 52 लाख की राशि स्वीकृत की गई। यह है।

श्री दाऊदयाल जोशी : ग्राप देते नहीं हैं लोगों को। बता दीजिये ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : यह एन.ग्रार. पी. का पैसा बाद में ग्राया। हमने पहले कन्टिनजेन्सी फण्ड से पैसा ले लिया। ग्रापने देखा होगा कि जो एप्रोप्रिएशन बिल में ग्राया है केवल फण्ड्स को एप्रोप्रिएट करने के लिये नहीं है, कन्टिजेन्सी फण्ड के ग्रन्दर जो पैसा उठाया है उसके ग्रन्दर जमा करने के लिये भी है। इसलिये वह पैसा जमा कराने की बात है।

श्री ग्रध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1983 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनतर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.59 बजे, बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 1983 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

(236)



## परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 677 का विवरण तालिका

### DETAILS OF REQUIREMENT FOR THE PERIOD 1982-83

A-RELIEF

| | (Rs. in lacs.) 1982-83 |
|---|---|
| 1. *Drinking water arrangements*— | |
| (*a*) Purchase of 50 Trunck Tankers 2. 6 lacs | 130.00 |
| (*b*) Repair and maintenance of existing fleetof 215 tankers | 50.00 |
| (*c*) Transport and supply of drinking water in the severely drought affected areas by tankes/tanks. | 17.50 |
| (*d*) Cost of drawing water from wells(PIYAI) | 6.00 |
| (*e*) Deepening of existing wells | 48.00 |
| (*f*) Deeping of New Public wells | 80.00 |
| (*g*) Construction of community tanks | 48.00 |
| TOTAL:—Non-P.H.E.D. Schemes | 379.50 |
| (*h*) *P.H.E.D.SCHEMES* | |
| (*i*) Augmentation of RWSS | 590.00 |
| (*ii*) Acceleration of Plan works in drought affected areas | 585.00 |
| (*iii*) Rajuvination of damagd H.P. | 65.00 |
| (*iv*) Energisation of idle T.W. | 98.00 |
| (*v*) Expoloration/deepning/Desilting of wells/Tube Wells. | 90.00 |
| (*vi*) Augumentation, U.R.W.S.S. | 272.00 |
| TOTAL:—(*h*)P.H.E.D.SCHEME | 1700.00 |
| GRAND TOTAL 1 | 2079.50 |

2. **GRATUTIOUS RELIEF**

| | |
|---|---|
| (*a*) Cash doles to the old and infirm people, children nursing/ expectant Mothers and other persons unemployment generation Schemes in droght uaffected areas. | 6.00 |
| (*b*) For educational concessions and Nutrition Programme for children Nursing expectant methers, destitutes, old and infirms in drought affected areas upto July, 1983. | 135 |

| | |
|---|---|
| (c) For medical and health measures such as immunisation programme against cholera, typhoid. and other infections diseases, disinfection of drinking water sources and provision of medicines and vitimins to children and expectant nursing mothers | 8.00 |
| | 8.00 |
| TOTAL | 149.00 |

**3. Cattle Conservation and Fodder Arrangments:**

| | |
|---|---|
| (a) Procurement and transportation of fodder in serverly drought affected areas | 100.00 |
| (b) Cattle Conservation by | |
| (i) opening of cattle camps. | 45.00 |
| (ii) Cattle feeding centres | 360.00 |
| (c) Subsidy for upkeep of bulls | 4.50 |
| (d) Loans to Panchayats etc. and other Voluntary agencies for purchase and sale of fodder. | 30.00 |
| (e) Incentive for growing fodder | 5.30 |
| (f) Subsidy to Dairy Federation | 10.00 |
| (g) Loans to Gosewa Sangh | 20.00 |
| (h) Medical and Veterinary care of animals | 2.00 |
| (i) Purchase and investment of fodder | 300.00 |
| (j) Subsidy to Goshalas | 18.00 |
| (k) Staff and Drinking water for Migration Depots | 8.00 |
| (l) Callection of Grass from Forest and State Agriculture Farms | 15.00 |
| TOTAL 3 – | 917.80 |

| | |
|---|---|
| 4. Subsidy for agricultural inputs | 500.00 |

**5. Employment Generation Scheme:**

| | |
|---|---|
| Acceleration of works in order to provide gainful employment on going schemes (likely to be sanctioned in the drought affected ares. | 5000.00 |
| GRAND TOTAL 1 to 5 | 8646.30 |

## प्रभाव ग्रस्त गावों की तालिका

| क्र.सं. | नाम जिला | ग्रामों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | कुल | घोषित |
| 1. | अजमेर | 976 | 950 |
| 2. | अलवर | 1902 | 842 |
| 3. | बांसवाड़ा | 1464 | 1220 |
| 4. | बाड़मेर | 865 | 830 |
| 5. | भरतपुर | 1462 | — |
| 6. | भीलवाड़ा | 1584 | 1548 |
| 7. | बीकानेर | 680 | 498 |
| 8. | बून्दी | 746 | 364 |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | 2365 | 2111 |
| 10. | चूरू | 908 | 245 |
| 11. | डूंगरपुर | 843 | 834 |
| 12. | गंगानगर | 4545 | 193 |
| 13. | जयपुर | 2929 | 2227 |
| 14. | जैसलमेर | 515 | 395 |
| 15. | जालौर | 615 | 611 |
| 16. | झालावाड़ | 1604 | 1544 |
| 17. | झुन्झनू | 698 | 440 |
| 18. | जोधपुर | 725 | 725 |
| 19. | कोटा | 2188 | 966 |
| 20. | नागौर | 1266 | 294 |
| 21. | पाली | 852 | 849 |
| 22. | सवाईमाधोपुर | 1670 | 26 |
| 23. | सीकर | 840 | 423 |
| 24. | सिरोही | 458 | 453 |
| 25. | टोंक | 1089 | 698 |
| 26. | उदयपुर | 3180 | 3110 |
| 27. | धोलपुर | 562 | 176 |
| | | 37531 | 22572 |

# परिशिष्ट–2

## तारांकित प्रश्न संख्या 680 की सूची

केरोसीन तेल के आवंटन की मात्रा

जिला भरतपुर

| क्र. सं. | डीलर का नाम | ग्रायल कम्पनी का नाम | जनवरी, 83 | फरवरी, 83 | मार्च; 1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (मात्रा कि.ली. में) | | |
| 1. | मै. एलोरा एजेन्सीज, भरतपुर | भारत पैट्रोलियम निगम | 84 | 72 | 76 |
| 2. | मै. दुबे ग्राटो सर्विस, भरतपुर | हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन | 34 | 36 | 24 |
| 3. | मै. जी. एस. ग्रग्रवाल नदबई | हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन | 60 | 58 | 66 |
| 4. | मै. राम प्रसाद शर्मा एण्ड सन्स भरतपुर | भारतीय तेल निगम | 230 | 189 | 191 |
| 5. | मै. सैनिक ग्रायल कम्पनी, भरतपुर | भारतीय तेल निगम | 109 | 89 | 87 |
| 6. | मै. झालानी ब्रदर्स, नगर | भारतीय तेल निगम | 83 | 66 | 69 |
| | **जिला धौलपुर** | | | | |
| 1. | मै. रामदयाल शादीलाल, बाडी | हिन्दुस्तान पैट्रोलियम, कार्पोरेशन | 82 | 82 | 78 |
| 2. | मै. राम प्रसाद शर्मा एण्ड सन्स धौलपुर | भारतीय तेल निगम | 168 | 138 | 144 |

(240)



# परिशिष्ट 3

## तारांकित प्रश्न संख्या 682 की तालिका

| क्र.सं. नाम ग्राम | संख्या | अनुदान राशि |
|---|---|---|
| 1. वरियारा | 31 | 7750.00 |
| 2. घटोला | 43 | 10750.00 |
| 3. नीमोद | 77 | 19250.00 |
| 4. करेल | 162 | 40500.00 |
| 5. रघुवटी | 3 | 750.00 |
| 6. जस्टाना | 12 | 3000.00 |
| 7. बोरदा | 1 | 250.00 |
| 8 बाडपरसा | 2 | 500.00 |
| 9. सांकड़ा | 3 | 750.00 |
| 10. दोलयता | 6 | 1500.00 |
| 11. मकसूदपूरा | 14 | 3500.00 |
| 12. अनियाला | 18 | 4500.00 |
| 13. डिंडवाडा | 11 | 2750.00 |
| 14. बहुतेड | 1 | 250.00 |
| 15. फलसावटा | 37 | 9250.00 |
| 16. मलारनाडूंगर | 10 | 2500.00 |
| 17. पनियाला | 2 | 500.00 |
| 18. समरथपुरा | 2 | 500.00 |
| 19. मानपुरा | 14 | 3500.00 |
| 20. ऊदगांव | 5 | 1250.00 |
| 21. नानेताडी | 25 | 2650.00 |
| योग | 479 | 1,19,750.00 |

# परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

## कोटा जिले में करवाये जा रहे भूमि सुधार कार्यक्रम

687. श्री वाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)–क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) चम्बल विकास विभाग द्वारा कोटा जिले में करवाये जा रहे भूमि सुधार (केचमेंट) कार्यक्रम के तहत किसान से अधिग्रहीत भूमि में से ड्रेन्स व धोरे के नाम कितनी जमीन की कटौती की जाती है ?

(2) क्या धोरी ढ़ाबा केचमेंट तहसील दीगोद में $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत भूमि काटी गई है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(3) क्या यह सही है कि ड्रेन्स व धोरों में से केवल 4 प्रतिशत ही जमीन कार्य में आई व इसके कारण ग्राम बल्लमपुरा, पाचड़ा, ढ़ाबा व धोरी में केचमेंट के पूर्व सिवायचक भूमि 69 बीघा थी वह अब भूमि सुधार कार्य के बाद 104 बीघा हो गई ?

(4) काश्तकार से 35 बीघा मुफ्त में प्राप्त भूमि का अब सरकार क्या करना चाहती है ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

### उत्तर

(1) चम्बल क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत जिन अपवाह क्षेत्रों (केचमेन्टस) में खेत सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों की भूमि ली जाती है, और उनमें मुख्य, उप मुख्य एवं वाहक नालियों का निर्माण किया जाता है, इन विभिन्न प्रकार की नालियों के अन्तर्गत लिये गये क्षेत्रफल का अपवाह क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में में से घटाने पर जो अवशेष क्षेत्रफल रहता है, उस पर उस अपवाह क्षेत्र में निर्मित खेत नालियों (फील्ड ड्रेन्स) एवं रास्तों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रफल पर ग्राम कटौती हेतु प्रतिशत निकाला जाता है। यह प्रतिशत अपवाह क्षेत्र की आकृति एवं आकार के अनुसार लगभग 5 से 7–1।2 प्रतिशत के मध्य आता है, जो अपवाह क्षेत्र से सम्बन्धित कृषकों की भूमि में से काटा जाता है। धोरों के नाम पर कटौती नहीं होती है।

(2) जी हां, इस कटौती के लिये कोई नियम निर्धारित नहीं है, कटौती का मुख्य आधार यह हे कि फ़ील्ड ड्रेन्स एवं रास्ते सभी काश्तकारों के उपयोग में आते हैं। यह भूमि समस्त काश्तकारों के खेतों में से ग्राम कटौती के आधार पर काटी जाती है।

(3) अपवाह क्षेत्र धोरी ढ़ाबा में राईट आफ वे के रूप में लगभग पांच प्रतिशत भूमि ही कार्य में आई है। भू-सुधार से पूर्व इस केचमेन्ट (अपवाह क्षेत्र) में कुल 77 बीघा 3 बिस्वा सिवाय चक भूमि थी ।

(२५२)



(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

भू-सुधार के बाद सिवाय चक भूमि 100 बीघा (4) बिस्वा हुई इस प्रकार सिवाय चक की 23 बीघा 1 बिस्वा भूमि बढ़ गई। यह बढ़ी हुई सिवाय चक भूमि नियमानुसार उस अपवाह क्षेत्र के कास्तकारों की जोत का ही हिस्सा है।

(4) केचमेन्ट धोरा ढ़ावा के सिवाए चक में जो वृद्धि 23 बीघा 1 बिस्वा हुई है, उसका निस्तारण क्षेत्रीय विकास आयुक्त के कक्ष में दिनांक 3-3-83 को ली गई बैठक के निर्णयानुसार "इस बढ़ी हुई भूमि को निलाम करके इससे प्राप्त होने वाली राशि को प्रोरेटा के आधार पर प्रभावित कृषकों में क्षतिपूर्ति के रूप में वितरण कर दिया जाना चाहिये," प्रस्तावित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें

688. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)–क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन गांव की ओर अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु उचित दर की दुकानों पर सामान उपलब्ध कराना तथा उपलब्ध सामान का ब्यौरा प्राप्त करना और यदि वहां पर दुकानें नहीं हैं तो दुकानें खुलवाने का एक बिन्दु 27 था ?

(2) यदि हां, तो अजमेर जिले में प्रशासन गांवों की ओर अभियान के दौरान किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में किस-किस तारीख को इस बिन्दु की पालना की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

भाग (2) का विवरण

मैसर्स अजमेर मार्केटिंग सोसायटी लि., अजमेर के द्वारा अजमेर उपखण्ड में गेहूं वितरण

| दिनांक | नाम दुकानदार व ग्राम | | वजन (क्विंटल में) |
|---|---|---|---|
| 6-1-83 | श्री ग्राम सेवा सहकारी स., पीसांगन श्रीकृष्ण | | 50 |
| 24-1-83 | " | राजगढ | 50 |
| " | " | लीड़ी | 30 |
| 3-2-83 | " | लीड़ी | 50 |
| 25-2-83 | " | बवायचा | 50 |
| " | " | पीसांगन (श्रीकृष्ण) | 50 |
| " | " | (लक्ष्मीनाथ) | 200 |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| | **मैसर्स नसीराबाद मार्केटिंग सोसायटी लि., नसीराबाद के द्वारा वितरण** | | |
| 1-1-83 | श्री राजनारायण भवानी खेडा | | 70 |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | नसीराबाद | 40 |
| ,, | श्री नाथू लाल रामनाथ | ,, | 40 |
| ,, | श्री प्रकाशचन्द बंसल | ,, | 40 |
| ,, | श्री मंगलचन्द भादरमल | ,, | 40 |
| ,, | श्री लक्ष्मीचन्द रिखबदास | ,, | 40 |
| 2-1-83 | श्री रामस्वरूप बिडकचयावास | ,, | 50 |
| ,, | श्री महावीर प्रसाद | ,, | 40 |
| ,, | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द | ,, | 50 |
| 4-1-83 | श्री हरिशचन्द छीतरमल | ,, | 70 |
| 5-1-83 | श्री ओमप्रकाश बिडकचयावास | ,, | 50 |
| 6-1-83 | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 30 |
| 7-1-83 | श्री चन्द्रप्रकाश बाघसूरी | ,, | 50 |
| ,, | श्री ग्राम सेवा सह. स. लि. | ,, | 50 |
| 8-1-83 | श्री मंगलचन्द भादरमल | ,, | 40 |
| ,, | श्री प्रकाशचन्द बंसल | ,, | 40 |
| ,, | श्री राजनारायण भवानीखेडा | ,, | 65 |
| 9-1-83 | श्री दौलतराम हरपालदास | ,, | 15 |
| ,, | श्री महावीर प्रसाद | ,, | 40 |
| ,, | श्री लक्ष्मीचन्द रिखबदास | ,, | 40 |
| 11-1-83 | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 30 |
| ,, | श्री हरिश्चन्द छीतरमल | ,, | 40 |
| 12-1-83 | श्री मंगलचन्द भादरमल | ,, | 40 |
| 13-1-83 | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द | ,, | 40 |
| 18-1-83 | श्री प्रकाशचन्द्र बंसल | ,, | 70 |
| ,, | श्री लक्ष्मीचन्द रिखबदास | ,, | 70 |
| ,, | श्री नाथूलाल रामनाथ | ,, | 70 |
| ,, | श्री महावीर प्रसाद जैन | ,, | 70 |
| ,, | श्री मंगलचन्द भादरमल | ,, | 70 |
| ,, | श्री राजनारायण | भवानीखेडा | 100 |
| 19-1-83 | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 50 |

२५५



| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 20-1-83 | श्री प्रकाशचन्द्र आघसूरी | ,, | 50 |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 20 |
| ,, | श्री हरिश्चन्द्र छीतरमल | ,, | 70 |
| 21-1-83 | श्री ग्राम सेवा सह.स.लि | पीसांगन | 100 |
| ,, | ,, | ,, | 100 |
| 23-1-83 | श्री लादू भारती, मीमापुर | ,, | 30 |
| ,, | श्री मंगलचन्द भादरमल | नसीराबाद | 60 |
| 28-1-83 | श्री दौलतराम हरपालदास | ,, | 30 |
| ,, | श्री महावीरप्रसाद | ,, | 60 |
| ,, | श्री हरिश्चन्द्र छीतरमल | ,, | 50 |
| ,, | श्री लक्ष्मीचन्द्र रिखबदास | ,, | 40 |
| ,, | श्री नाथूलाल रामनाथ | ,, | 40 |
| ,, | श्री प्रकाशचन्द्र बंसल | ,, | 50 |
| ,, | श्री बालमुकुन्द रामसर | ,, | 50 |
| ,, | श्री ग्रोमप्रकाश बिडकच्चियावास | ,, | 70 |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | नसीराबाद | 50 |
| ,, | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द्र | ,, | 50 |
| 4-2-83 | श्री दौलतराम हरपालदास | ,, | 20 |
| 12-2-83 | श्री महावीर प्रसाद | ,, | 35 |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 35 |
| ,, | श्री प्रकाशचन्द बंसल | ,, | 40 |
| ,, | श्री मंगलचन्द भादरमल | ,, | 40 |
| ,, | श्री हरिश्चन्द्र छीतरमल | ,, | 35 |
| 12-2-83 | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द | ,, | 35 |
| ,, | श्री लक्ष्मीचन्द रिखबदास | ,, | 35 |
| ,, | श्री नाथूलाल रामनाथ | ,, | 40 |
| 15-2-83 | श्री राजनारायण | भवानीखेडा | 75 |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 35 |
| ,, | श्री मंगलचन्द भादरमल | ,, | 50 |
| ,, | श्री प्रकाशचन्द बंसल | ,, | 30 |
| ,, | श्री हरिश्चन्द्र छीतरमल | ,, | 35 |
| ,, | श्री लक्ष्मीचन्द्र रिखबदास | ,, | 35 |
| ,, | श्री नाथूलाल रामनाथ | ,, | 30 |

(245)



| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 15-2-83 | श्री महावीर प्रसाद | नसीराबाद | 35 |
| ,, | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द्र | ,, | 35 |
| ,, | श्री कैलाशचन्द्र | ,, | 50 |

अजमेर उप-खण्ड में लेवी चीनी का वितरण

| दिनांक 1 | नाम दुकानदार व ग्राम 2 | | (वजन क्वि. में) 3 |
|---|---|---|---|
| 6-1-83 | श्री नेमीचन्द जैन | करनोस | 16 |
| ,, | श्री बिला रावत | गुढ्ढा | 12 |
| ,, | श्री ग्राम सेवा सह. समिति | रामपुरा डाबला | 22 |
| ,, | ,, ,, | मांगलीयावास | 12 |
| ,, | ,, ,, | पीसांगन (श्री कृष्ण) | 13 |
| 7-1-83 | ग्राम सेवा सह. समिति | सराधना | 20 |
| ,, | ,, ,, | पिचोलिया | 12 |
| ,, | ,, ,, | नांद | 10 |
| ,, | ,, ,, | गोविन्दगढ़ | 31 |
| 8-1-83 | ,, ,, | मकरेडा | 7 |
| ,, | ,, ,, | पीसांगन (लक्ष्मीनाथ) | 21 |
| ,, | श्री किशन लाल | डोडियाना | 8 |
| ,, | श्री प्रकाशचन्द बुवानी | 15 | 15 |
| 10-1-83 | ग्राम सेवा सह. समिति | भगवानपुरा | 8 |
| ,, | ,, ,, | भटसूरी | 22 |
| ,, | श्री शंकरलाल | बुधवाड़ा | 13 |
| ,, | श्री हुसन मोह. | गगवाना | 27 |
| ,, | ग्राम सेवा सह. समिति | गोला | 40 |
| ,, | ,, ,, | सबायचा | 11 |
| 10-1-83 | ग्राम सेवा सह. समिति | रामनेर ढाली | 14 |
| 11-1-83 | ,, ,, | डूमाड़ा | 13 |
| ,, | ,, ,, | भावता | 11 |
| ,, | ,, ,, | दांतडा | 8 |
| ,, | ,, ,, | कालेसरा | 8 |
| ,, | ,, ,, | लीडी | 15 |
| ,, | श्री किशनलाल | डोडियाना | 9 |

(२५६)



| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 12-1-83 | श्री लादू भारतीय | मींयापुर | 8 |
| ,, | ग्राम सेवा सह. समिति | राजगढ़ | 20 |
| ,, | ,, ,, | भूडोल | 24 |
| 13-1-83 | श्री विष्णुदत्त | नरवर | 18 |
| ,, | ग्राम सेवा सह. समिति | पगारा | 18 |
| 15-1-83 | ,, ,, | नागेलाव | 28 |
| 18-1-83 | ,, ,, | कडेल | 51 |
| 15-1-83 | श्री उगमसिंह | नेडलिया | 8 |
| 19-1-83 | ग्राम सेवा सह समिति | ऊंटड़ा | 14 |
| 24-1-73 | ग्राम सेवा सह. समिति | गेगल | 10 |
| 25-1-83 | श्री गुलाबचन्द्र | केसरपुरा | 32 |
| 1-2-83 | ग्राम सेवा सह. समिति | पीसांगन (श्रीकृष्णा) | 20 |
| ,, | श्री शंकरलाल | बुधवाड़ा | 25 |
| ,, | श्री नेमीचन्द करनोस | | 28 |
| 2-2-83 | ग्राम सेवा सेह. समिति | मांगलियावास | 14 |
| ,, | ,, ,, | बबायचा | 21 |
| ,, | ,, ,, | पीसांगन (लक्ष्मीनाथ) | 46 |
| 4-2-83 | ,, ,, | रामपुरा डाबला | 22 |
| ,, | ,, ,, | मांगलियावास | 9 |
| ,, | श्री हुमन मोह. | गगवाना | 26 |
| ,, | श्री लादू भारती | मियांपुर | 8 |
| 5-2-83 | ग्राम सेवा सह. समिति | भगवानपुरा | 16 |
| ,, | | नांद | 24 |
| 7-2-83 | श्री देवाराम | तिलोरा | 49 |
| ,, | ग्राम सेवा सह. समिति | भूडोल | 20 |
| 8-2-83 | ,, ,, | पगारा | 20 |
| ,, | ,, ,, | भांवता | 21 |
| ,, | ,, ,, | नागेलाव | 25 |
| ,, | ,, ,, | दांतडा | 20 |
| 8-2-83 | ग्राम सेवा सह. समिति | कालेसारा | 18 |
| ,, | श्री शंकरलाल | अरडका | 23 |
| ,, | श्री किशनलाल | डोडियाना | 18 |
| 9-2-83 | श्री लादू भारती | मियापुरा | 8 |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 9-2-83 | श्री प्रकाशचन्द | बुबानी | 30 |
| ,, | ग्राम सेवा सह. समिति | जेठाना | 40 |
| ,, | ,, ,, | पिचोलिया | 23 |
| 10-2-83 | ,, ,, | राजगढ़ | 40 |
| ,, | ,, ,, | गोविन्दगढ़ | 65 |
| 12-2-83 | ,, ,, | डूमाडा | 24 |
| ,, | श्री बिला रावत | गुढ़ा | 24 |
| ,, | ग्राम सेवा सह. समिति | लीडी | 28 |
| 14-2-83 | ,, ,, | रानैर ढाणी | 24 |
| 15-2-83 | ,, ,, | भटसूरी | 17 |
| ,, | ,, ,, | गोला | 20 |
| ,, | ,, ,, | पुष्कर | 10 |

मै. नसीराबाद मार्केटिंग सोसायटी लि. नसीराबाद के द्वारा

लेवी चीनी का वितरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9-1-83 | ग्राम सेवा सह. समिति | बुबानिया | 17 |
| 11-1-83 | श्री प्रकाश चन्द बंसल | नसीराबाद | 12 |
| ,, | श्री मंगलचन्द्र भादरमल | ,, | 17 |
| ,, | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द | ,, | 15 |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 12 |
| ,, | श्री हरिश्चन्द्र छीतरमल | ,, | 12 |
| ,, | श्री महावीर प्रसार जैन | ,, | 10 |
| ,, | श्री ओमप्रकाश सोमानी | बिडकच्यावास | 12 |
| 12-1-83 | श्री लक्ष्मीचन्द्र रिखबदास | नसीराबाद | 12 |
| ,, | श्री नाथूलाल रामदास | ,, | 11 |
| ,, | श्री राजनारायण | भवानीखेडा | 9 |
| ,, | ग्राम सेवा सह. समिति | देराठू | 13 |
| ,, | ,, ,, | ढाल | 12 |
| ,, | ,, ,, | तिलाना | 14 |
| ,, | श्री सोहनलाल | मोही | 8 |
| 13-1-83 | श्री बालमुकुन्द | रामसर | 12 |
| ,, | श्री रामस्वरूप | बिडकच्यावास | 8 |
| ,, | श्री कैलाशचन्द | कानपुरा | 21 |
| ,, | श्री दौलतराम हरपालदास | नसीराबाद | 3 |

२५८



| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 13-1-83 | ग्राम सेवा सह्. समिति | दांता | 6 |
| 15-1-83 | ,, ,, | दिलवाड़ा | 8 |
| ,, | ,, ,, | मावसिया | 9 |
| 16-1-83 | श्री चिरंजीलाल जैन | मोराझडी | 21 |
| ,, | ग्राम सेवा सह्. समिति | सनोद | 8 |
| ,, | ,, ,, | लोहरवाडा | 11 |
| 18-1-83 | श्री रामचन्द चौधरी | तिहारी | 10 |
| ,, | ग्राम सेवा सह्. समिति | वीर | 12 |
| 20-1-83 | ,, ,, | बाघसूरी | 17 |
| ,, | श्री चन्द्र प्रकाश | ,, | 20 |
| 21-1-83 | श्री लक्ष्मीचन्द्र रीखबदास | नसीराबाद | 13 |
| ,, | श्री प्रकाशचन्द बंसल | ,, | 13 |
| ,, | श्री महावीर प्रसाद जैन | ,, | 11 |
| 22-1-83 | श्री नाथूलाल रामनाथ | ,, | 11 |
| ,, | श्री हरपालदास ध्यारीमल | ,, | 11 |
| ,, | श्री रायमल | दिलवाड़ी | 12 |
| 23-1-83 | श्री मंगलचन्द्र भादरमल | नसीराबाद | 16 |
| ,, | श्री नगेन्द्रसिंह | लामाना | 8 |
| ,, | श्री हरिश्चन्द्र ओतरमल | नसीराबाद | 11 |
| 25-1-83 | दुग्ध उत्पादक सह्. समिति | रामसर | 22 |
| 26-1-83 | श्री बालमुकुन्द | ,, | 12 |
| 27-1-83 | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द | नसीराबाद | 15 |
| ,, | श्री कम्मा रावत | रूदलाई | 11 |
| 28-1-83 | श्री ओमप्रकाश सोमानी | बिडकच्यावास, | 12 |
| 29-1-83 | श्री सोहनलाल | मोडी | 8 |
| ,, | ग्राम सेवा सह्. समिति | बुबानिया | 10 |
| 30-1-83 | श्री रामस्वरूप | बिडकच्यावास | 8 |
| ,, | श्री दौलतराम हरपालदास | नसीराबाद | 3 |
| 2-2-83 | ग्राम सेवा सहकारी समिति | भटियानी | 22 |
| 3-2-83 | श्री राजनारायण | भवानीखेड़ा | 10 |
| 4-2-83 | ग्राम सेवा सहकारी समिति | सनोद | 8 |
| 5-2-83 | ,, ,, | दिलवाड़ा | 8 |
| 6-2-83 | ,, ,, | देराठू | 8 |

(२५९)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ,, | ,, ,, | लोहरवाड़ा | 10 |
| 6-2-83 | श्री नगेन्द्र सिंह | लामाना | 9 |
| ,, | श्री केलाशचन्द्र | कानपुरा | 36 |
| 8-2-83 | ग्राम सेवा सह.समिति | दांता | 6 |
| ,, | श्री चिरंजी लाल | मोराझड़ी | 10 |
| 11-2-83 | श्री प्रकाशचन्द्र बंसल | नसीराबाद | 12 |
| ,, | श्री लक्ष्मीचन्द रिखबदास | ,, | 12 |
| ,, | श्री नाथूलाल रामनाथ | ,, | 9 |
| ,, | श्री महावीर प्रसाद जैन | ,, | 9 |
| ,, | श्री मंगलचन्द्र भादरमल | ,, | 16 |
| ,, | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द | ,, | 14 |
| ,, | श्री हरिशचन्द्र छीतरमल | ,, | 12 |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 12 |
| 12-2-83 | ग्राम सेवा सह. समिति | मावसिया | 21 |
| ,, | श्री रायमल | दिलवाड़ी | 6 |
| 15-2-83 | श्री राजनारायण | भवानीखेड़ा | 9 |

मैं. गोयल एण्ड कम्पनी नसीराबाद द्वारा केरोसिन

| | वितरण | | (तादाद (लीटर में) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5-1-83 | श्री लक्ष्मीचन्द रिखबदास | नसीराबाद | 1200 |
| ,, | श्री नाथूलाल रामनाथ | ,, | 1090 |
| ,, | श्री हरिश्चन्द्र छीतरमल | ,, | 1090 |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 1070 |
| ,, | श्री प्रकाशचन्द बंसल | ,, | 1100 |
| ,, | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द | ,, | 1000 |
| ,, | श्री मंगलचन्द भादरमल | ,, | 1060 |
| ,, | श्री महावीरप्रसाद जैन | ,, | 1090 |
| ,, | श्री दौलतराम हरपालदास | ,, | 300 |
| 7-1-83 | ग्राम सेवा सह. समिति | लोहरवाड़ा | 1460 |
| 8-1-83 | ,, ,, | दिलवाड़ा | 1100 |
| ,, | श्री रायमल | दिलवाड़ी | 660 |
| ,, | श्री बालमुकुन्द | रामसर | 2200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8-1-83 | श्री राजनारायण | भवानी खेड़ा | 1100 |
| ,, | श्री चन्द्रप्रकाश | बाघसूरी | 1100 |
| ,, | ग्राम सेवा सह. समिति | भटियानी | 1100 |
| ,, | ,, | दांता | 880 |
| ,, | ,, | बीर | 840 |
| 14-1-83 | श्री लक्ष्मीचन्द रिखबदास | नसीराबाद | 1200 |
| ,, | श्री नाथूलाल रामनाथ | ,, | 1090 |
| ,, | श्री हरिश्चन्द्र छीतरमल | ,, | 1000 |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 1000 |
| ,, | श्री प्रकाशचन्द्र बंसल | ,, | 1200 |
| ,, | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द | ,, | 1100 |
| ,, | श्री मंगलचन्द भादरमल | ,, | 1150 |
| ,, | श्री महावीर प्रसाद जैन | ,, | 1100 |
| ,, | श्री दौलतराम हरपालदास | ,, | 260 |
| 17-1-83 | श्री ओमप्रकाश सोमानी | बिडकच्यावास | 2200 |
| ,, | ग्राम सेवा सह. समिति | सनोद | 1320 |
| ,, | ,, ,, | भटियानी | 1720 |
| ,, | श्री सोहनलाल | मोडी | 1100 |
| 30-1-83 | ग्राम सेवा सहकारी समिति | बूबानिया | 1000 |
| 25-1-83 | श्री चिरंजीलाल | मोरझाड़ी | 1800 |
| ,, | श्री बालमुकुन्द | रामसर | 1100 |
| ,, | ग्राम सेवा सहकारी समिति | मावसिया | 1100 |
| ,, | ,, ,, | लोहरवाड़ा | 700 |
| 31-1-83 | श्री लक्ष्मीचन्द रिखबदास | नसीराबाद | 1090 |
| ,, | श्री नाथूलाल रामनाथ | ,, | 1750 |
| ,, | श्री हरिश्चन्द्र छीतरमल | ,, | 1090 |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 1070 |
| ,, | श्री प्रकाशचन्द्र बंसल | ,, | 1600 |
| ,, | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द | ,, | 1000 |
| ,, | श्री महावीर प्रसाद जैन | ,, | 1100 |
| ,, | श्री दौलतराम हरपालदास | ,, | 300 |
| 4-2-83 | श्री लादूभारती | मियापुर | 1320 |
| ,, | श्री राजनारायण | भवानीखेड़ा | 1780 |

251



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4-2-83 | श्री मेहमा चीता | बिठुर | 660 |
| ,, | श्री चन्द्रप्रकाश | बाघसूरी | 1100 |
| ,, | ग्राम सेवा सहकारी समिति | बाघसूरी | 500 |
| ,, | ,, ,, | दिलवाड़ा | 1100 |
| ,, | ,, ,, | लोहरवाड़ा | 1800 |
| ,, | ,, ,, | देराठ | 720 |
| 8-2-83 | श्री लक्ष्मीचन्द्र रिखबदास | नसीराबाद | 1080 |
| ,, | श्री नाथूलाल रामनाथ | ,, | 1100 |
| 8-2-83 | श्री हरिश्चन्द्र छीतरमल | नसीराबाद | 1090 |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 1070 |
| ,, | श्री प्रकाशचन्द बंसल | ,, | 1000 |
| ,, | श्री मंगलचन्द भादरमल | ,, | 1460 |
| ,, | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द | ,, | 980 |
| ,, | श्री महावीर प्रसाद | ,, | 1000 |
| ,, | श्री दौलतराम हरपालदास | ,, | 220 |
| | मै. कन्हैया सिंह सन्तोक सिंह द्वारा वितरण – | | |
| 25-1-83 | श्री महावीर प्रसाद जैन | नसीराबाद | 1000 |
| ,, | श्री हरिश्चन्द्र छीतरमल | ,, | 1100 |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 1100 |
| ,, | श्री मंगलचन्द्र भादरमल | ,, | 1800 |
| ,, | श्री लक्ष्मीचन्द्र रिखबदास | ,, | 1300 |
| ,, | श्री नाथू लाल रामनाथ | ,, | 1100 |
| ,, | श्री प्रकाशचन्द्र बसंल | ,, | 1500 |
| ,, | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द | ,, | 1600 |
| | मै. पित्ती एण्ड संस द्वारा वितरण :– | | |
| 24-1-83 | श्री सांतोरिया एण्ड संस | पुष्कर | 2000 |
| ,, | ,, | ,, | 2180 |
| 28-1-83 | श्री छोगालाल बाकोलिया | ,, | 1700 |
| ,, | श्री भंवरलाल मदनलाल | गनाहेडा | 5600 |
| ,, | श्री ग्राम सेवा सह. समिति | नांद | 1100 |

(252)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | मे. नागपाल ब्रदर्स अजमेर द्वारा वितरण :— | | |
| 1-1-83 | श्री सांतोरिया एण्ड संस | पुष्कर | 5280 |
| 14-1-83 | श्री छोगालाल बाकोलिया | ,, | 3400 |
| ,, | श्री भंवरलाल मदनलाल | गनाहेड़ा | 4940 |
| 1-1-83 | | | |
| 11-1-83 | श्री भूगडोमल मोतीराम | पीसांगन | 11798 |
| 21-1-83 | | | |
| 11-1-83 | ग्राम सेवा सह. समिति | सराधना | 2000 |
| ,, | श्री किशनलाल | डोडियाना | 1540 |
| ,, | ग्राम सेवा सह. समिति | दांतड़ा | 1100 |
| ,, | ग्राम सेवा सहकारी समिति | मांगलियावास | 2420 |
| 21-1-83 | ,, | लीडी | 1320 |
| ,, | ,, | जैठाना | 2200 |

मे. नसीराबाद मार्केटिंग सोसायटी लि. नसीराबाद के द्वारा नियन्त्रित

| कपड़ा | वितरण | | (मात्रा मीटर में) |
|---|---|---|---|
| 15-1-83 | श्री ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | दिलवाड़ा | 105 |
| 16-1-83 | ,, | लोहरवाड़ा | 108 |
| 20-1-83 | ,, | वाघसूरी | 77 |
| ,, | ,, | ,, | 130 (जोड़ा) |
| 22-1-83 | ,, | पीसांगन | 1250 |
| 4-2-83 | ,, | सनोद | 132 |
| 8-2-83 | ,, | दांता | 202 |

मैसर्स मार्केटिंग सोसायटी लि., अजमेर के द्वारा वितरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20-1-83 | श्रीग्राम सेवा सहकारी स. लि. | बबाईचा | 130 धोती जोड़ा |
| ,, | ,, | ,, | 551 |
| 25-1-83 | ,, | गेगल | 250-25 |
| 21-1-83 | ,, | रामनेरढाणी | 24 धोती जोड़ा |
| 23-1-83 | ,, | गोविन्दगण | 32 ,, |
| ,, | ,, | ,, | 712-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23-1-83 | श्री ग्राम सेवा सहकारी स. लि. | भगवानपुरा | 20 धोती जोड़ा |
| ,, | ,, | ,, | 199–25 |
| 27-1-83 | ,, | तिलाना | 40 धोती जोड़ा |
| ,, | ,, | मावसिया | 56 ,, |
| 23-1-83 | ,, | बुवानिया | 8 ,, |
| ,, | ,, | दांतड़ा | 16 ,, |
| ,, | ,, | जेठाना | 16 ,, |
| 2-2-83 | ,, | गनाहेड़ा | 40 ,, |
| 4-2-83 | ,, | रामपुराडाबला | 50 ,, |
| ,, | ,, | मंगलियावास | 48 ,, |

मै. नसीराबाद मार्केटिंग सोसायटी लि. नसीराबाद के द्वारा पाम आयल वितरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26-1-83 | श्री महावीर प्रसाद | नसीराबाद | 20 टिन |
| ,, | श्री हरिशचन्द्र छीतरमल | ,, | 20 ,, |
| ,, | श्री प्रकाश चन्द्र बंसल | ,, | 20 ,, |
| ,, | श्री हरपाल दास व्यापारीमल | ,, | 20 ,, |
| ,, | श्री मंगलचन्द बहादरमल | ,, | 20 ,, |
| ,, | श्री लक्ष्मी चन्द रिखबदास | ,, | 20 ,, |
| ,, | श्री नाथूलाल रामनाथ | ,, | 20 ,, |
| 27-1-83 | श्री रामचन्द्र गुलाबचंद | ,, | 20 ,, |
| 29-1-83 | श्री मंगलचन्द बहादरमल | ,, | 20 ,, |
| ,, | श्री प्रकाश चन्द्र बंसल | ,, | 20 ,, |
| ,, | श्री नाथूलाल रामनाथ | ,, | 20 ,, |
| ,, | श्री लक्ष्मी चंद रिखबदास | ,, | 20 ,, |
| ,, | श्री हरिश चन्द्र छीतरमल | ,, | 20 ,, |
| ,, | श्री महावीर प्रसाद | ,, | 20 ,, |
| 30-1-82 | श्री रामचन्द्र गुलाबचन्द्र | ,, | 20 ,, |
| ,, | श्री हरपालदास व्यापारीमल | ,, | 20 ,, |
| ,, | श्री दौलतराम हरपालदास | ,, | 20 ,, |

ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति ब्यावर द्वारा तारीख 1-1-83 से 15-2-83 तक के वितरण की तालिका

| क्र.सं. | गांव का नाम | गेहूं दिनांक | मात्रा | शक्कर दिनांक | मात्रा | चावल दिनांक | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | बडकोचरा | 3-1-83 | 60.00 | — | — | — | — |
| 2. | सथाना | 6-1-83 | 60.00 | — | — | — | — |
| 3. | करवा | 6-1-83 | 200.00 | — | — | — | — |
| 4. | नून्दरी | 7-1-83 | 25.00 | 21-2-83 | 17.00 | 2-2-83 | 5.00 |
| 5. | | 15-1-83 | 25.00 | — | — | — | — |
| | | 31-1-83 | 25.00 | — | — | — | — |
| | | 4-2-83 | 30.00 | — | — | — | — |
| | | 8-2-83 | 50.00 | — | — | — | — |
| | जगपुरा | 7-1-83 | 40.00 | 3-2-83 | 9.00 | — | — |
| | नरवद खेडा | 7-1-83 | 50.00 | 3-2-83 | 13.00 | — | — |
| | जवाजा | 14-1-83 | 35.00 | 2-2-83 | 10.00 | — | — |
| | राजिया वास | 14-1-83 | 100.00 | — | — | — | — |
| | कोटडा | 14-1-83 | 50.00 | — | — | 3-2-83 | 5.00 |
| | | 10-2-83 | 33.00 | | | | |
| | सूरजपुरा II | 15-1-83 | 50.00 | — | — | — | — |
| | | 7-2-83 | 100.00 | | | | |
| | | 7-2-83 | 100 00 | | | | |
| | शिवनगरी | 31-1-83 | 30.00 | -- | — | — | — |
| | वलाड | 31-1-83 | 100.00 | — | — | — | — |
| | किराप | 1-2-83 | 70.00 | — | — | — | — |
| | अतीतमण्ड | 3-2-83 | 37.00 | 7-2-83 | 7.00 | — | — |
| | जालिया | 4-2-83 | 110.00 | — | — | 5-2-83 | 5.00 |
| | मायला | 4-2-83 | 80.00 | — | — | — | — |
| | जालिया II | 4-2-83 | 100.00 | — | — | 4-2-83 | 5.00 |
| | सुहावा | 4-2-83 | 100.00 | 10-1-83 | 20.00 | — | — |
| | कावरा | 5-2-83 | 50 00 | — | — | — | — |
| | सरवीना | 5-2-83 | 50.00 | 5-2-83 | 4 00 | — | — |

(255)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बंगलियावास | 7-2-83 | 100.09 | – | – | – | – |
| धोलादांता | 10-2-83 | 105.00 | – | – | – | – |
| टाटगढ़ | – | – | 1-2-83 | 27.00 | – | – |
| देवाला | – | – | 3-2-83 | 7.00 | – | – |
| मोहाना | – | – | 3-2-83 | 13.00 | – | – |
| नाइबला | – | – | 10-2-88 | 12.00 | – | – |
| विजयनगर | – | – | – | – | 7-2-83 | 5.00 |
| योग | – | 1965.00 | – | 139.00 | – | 25.00 |

विजय नगर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. द्वारा दिनांक 1–1–83 से 15–2–83 तक लेवी चीनी का वितरण :–

| क्र.सं. | नाम दुकानदार | बरल | चीनी बोरी | माल उठाने की तारीख | माह का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बरल ग्राम से.स.स.लि. | बरल | 10 | 13.1.83 | सितम्बर |
| 2. | बेगलियास ,, | बगलियावास | 9 | 14 1.83 | अक्टूबर |
| 3. | श्री कुण्डका लांबाग्राम ,, | कुण्डकालाम्बा | 8 | 14.1.83 | ,, |
| 4. | श्री रतनलाल पुत्र पारसमल | जालिया | 8 | 15.1.83 | ,, |
| 5. | श्री बरल ग्राम से.स.स. लि. | बरल | 12 | 14.1.83 | ,, |
| 6. | श्री माणकचन्द सांखला | रामगढ | 14 | 15.1.83 | ,, |
| 7. | जालिया ग्राम से.स.स.लि. | जालिया | 11 | 15.1.83 | ,, |
| 8. | श्री अब्दुल सत्तार | सुरजपुरा | 18 | 17.1.83 | ,, |
| 9. | श्री शिखराणी ग्राम से.स. स.लि. | शिखराणी | 14 | 17.1.83 | ,, |
| 10. | लोडियाना ,, | लोडियाना | 20 | 19.1.83 | ,, |
| 11 | सवाना ,, | संवाना | 12 | 19.1.83 | ,, |
| 12. | श्री सुवालाल पुत्र रामाजी | मायला | 8 | 20.1.83 | ,, |
| 13. | श्री कानिया ग्रा. से स.स.लि. | कानिया | 8 | 20.1.83 | ,, |
| 14. | श्री किराय ,, | किराय | 13 | 20.1.83 | ,, |
| 15. | श्री मयला ,, | मालया (ताखुव) | 8 | 20.1.83 | ,, |
| 16. | श्री हनुतिया ,, | हणुतिया | 6 | 24.1.83 | ,, |
| 17. | श्री मजदूर को. आपरेटिव स्टोर | विजयनगर | 15 | 25.1.83 | नवम्बर |
| 18. | मसुदाग्राम से. स. स. लि. | मसुदा | 20 | 27.1.83 | अक्टूबर |
| 19. | छगनलाल पुत्र धनराज सोनी | विजयनगर | 16 | 27.1.83 | नवम्बर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | श्री निहालचन्द पुत्र मिश्रीलाल | शेरगढ़ | 9 | 27.1.83 अक्टूबर |
| 21. | वेगलियावास ग्रा से.स.स.लि. | वेगलियावास | 7 | 28.1.83 नवम्बर |
| 22 | श्री ग्राम सेवा स.स.लि. | कुण्ड का लाम्बा | 4 | 28.1.83 ,, |
| 23. | श्री मजदूर को.स्टोर | विजयनगर | 12 | 28.1.83 दिसम्बर |
| 24. | श्री खरवा ग्राम से.स.स.लि. (काना खेड़ा सहित) | खरवा | 80 | 29.1.83 अ.न. |
| 25. | आदर्श को. स्टोर | विजयनगर | 15 | 29.1.83 नवम्बर |
| 26. | श्रीछगनलाल पुत्र धनराज सोनी | विजयनगर | 7 | 31.1.83 दिसम्बर |
| 27. | बाडीग्राम से.स.स.लि. | बाडी | 15 | 31.1.83 अक्टूबर |
| 28. | श्री इन्द्रमल पुत्र नेमीचन्द गोखरू | विजयनगर | 34 | 31.1.83 नव.दि |
| 29. | श्री सरदारमल जी | घोलादाता | 17 | 31.1.83 अ.न. |
| 30. | ,, | हरराजपुरा | 18 | 31 1.83 ,, ,, |
| 31. | श्री छगनलाल पुत्र धनराज सोनी | विजयनगर | 10 | 1.2.83 दिसम्बर |
| 32. | ग्राम से.स.स.लि. | मसुदा | 20 | 2.3.83 नवम्बर |
| 33. | श्री मायला ग्रा.स.स.स.लि. | तासुन | 7 | 3.2.83 नवम्बर |
| 34. | ,, बाड़ी ,, | बाडी (बरल) | 5 | ,, ,, |
| 35. | ,, ,, | ,, | 12 | ,, ,, |
| 36. | श्री माणकचन्दजी | रामगढ़ | 13 | 5.2.83 ,, |
| 37. | श्री किराप | किराप | 10 | ,, ,, |
| 38. | श्री हजारीसिंह | कोशलपुरा | 6 | 7.2.83 ,, |
| 39. | श्री ओमप्रकाशजी | खीमपुरा | 9 | 7.2.83 अ.न. |
| 40. | श्री रतनलाल पुत्र पारसमल | जालिया | 7 | 8.2.83 ,, |
| 41. | श्री अब्दुलसत्तार | सुरजपुरा | 15 | 8.2.83 ,, |
| 42. | जामोला ग्रा. से. स.स. लि. | जामोला | 12 | 8.2.83 अक्टूबर |
| 43. | ,, आदर्श को. स्टोर | विजयनगर | 8 | 8.2.83 दिसम्बर |
| 44. | ,, जालिया वृहद कृषि | जालिया | 9 | 11.2.83 नवम्बर |
| 45. | ,, | कानिया | 5 | 11.2.83 ,, |
| 47. | ,, शिखराणी ग्रा.से.स.स.लि. | शिखराणी | 14 | 11.2.83 ,, |
| 47. | ,, ओंकारसिंह जी | देवपुरा | 17 | 11.2.83 अ.न. |
| 48. | ,, जामोला ग्राम से.स.स..लि. | सतावड़िया | 10 | 12.2.93 अक्टूबर |
| 49. | ,, सथाणा ग्राम से.स.स.लि | सथाणा | 9 | 15.2.83 नवम्बर |

योग–646 बोरी

बी. एन. के. सहकारी होलसेल उपभोक्ता भण्डार लि. ब्यावर दिनांक 1-1-83 से 15-2-83 तक ग्रामीण क्षेत्र में नियंत्रित वस्तुओं का किया गया वितरण

| क्र.सं. | नाम ग्राम | पंचायत समिति | लेवी चीनी तारीख | मात्रा | कन्ट्रोल कपड़ा तारीख | मात्रा मीटरों में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | अतीतमण्ड | पं. स. जवाजा | 18-1-83 | 7 क्वि. | — | — |
| 2. | नून्दरी मेहादालम | ,, | 19-1-83 | 17 ,, | — | — |
| 3. | बडकोचरा | ,, | 20-1-83 | 12 ,, | — | — |
| 4. | सरवीना | ,, | 20-1-83 | 11 ,, | — | — |
| 5. | ब्यावर खास | ,, | 20-1-83 | 17 ,, | 21-1-83 | 346 |
| 6. | बरारवत | ,, | 20-1-83 | 13 ,, | 21-1-83 | 1800 |
| | | | | | 10-2-83 | 7200 |
| 7. | बडाखेड़ा | ,, | 20-1-83 | 34 ,, | 20-1-83 | 1710 |
| 8. | टाटगढ़ | ,, | 20-1-83 | 26 ,, | 14-1-83 | 1341 |
| 9. | सूरजपुरा | ,, | 20-1-83 | 20 ,, | 10-1-83 | 852 |
| 10. | तारागढ़ | ,, | 20-1-83 | 11 ,, | — | — |
| 11. | जवाजा | ,, | 20-1-83 | 9 ,, | 20-1-83 | 907 |
| 12. | देवाता | ,, | 20-1-83 | 9 ,, | — | — |
| 13. | जगपुरा | ,, | 20-1-83 | 7 ,, | — | — |
| 14. | कावरा | ,, | 21-1-83 | 12 ,, | 21-1-83 | 715 |
| 15. | किशनपुरा | ,, | 27-1-83 | 18 ,, | — | — |
| 16. | दुर्गावास | ,, | 27-1-83 | 10 ,, | — | — |
| 17. | नरबदखेड़ा | ,, | 2-2-83 | 10 ,, | — | — |
| 18. | कोटड़ा | ,, | 3-2-83 | 11 ,, | — | — |
| 19. | रानुकियावास | ,, | — | — | 27-1-83 | 1070 |
| 20. | भाक घाठिया | पं. स. मसुदा | 27-1-83 | 10 ,, | — | — |
| 21. | जालिया II | ,, | — | — | 14-1-83 | 1557 |
| | | | | | 29-1-83 | 3060 |
| 22 | मथला | ,, | — | — | 22-1-83 | 816 |
| 23. | बंगलियावास | ,, | — | — | 9-2-83 | 2610 |
| 24. | सीखरानी | ,, | — | — | 9-2-83 | 1440 |
| 25. | भोलकिया | पं. स. केकड़ी | — | — | 27-1-83 | 1440 |
| 26. | श्रीनाथ | पं. स. श्रीनाथ | — | — | 3-2-83 | 1440 |

केकड़ी उप-खण्ड में आवश्यक वस्तुओं का दिनांक 1-1-83 से 15-2-83 तक वितरण

| क्र.सं. | दिनांक | पंचायत का नाम | वस्तु जो उपलब्ध कराई गई चीनी क्वि. | गेहूं क्वि. | घासलेट मात्रा लीटर में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1-1-83 | देवगांव | 17 क्वि. | | |
| 2. | 3-1-83 | बाजटा | 10 ,, | | |
| 3. | 3-1-83 | लाम्बगरा | 10 ,, | | 1760/5-1-83 |
| 4. | 3-1-83 | गुलगांव | 5 ,, | | |
| 5. | 3-1-83 | देवलियाकलां | 39 ,, | | 2200/3-1-83 |
| 6. | 3-1-83 | मवदाकलां | 13 ,, | | |
| 7. | 3-1-83 | जूनियां | 40 ,, | | |
| 8. | 4-1-83 | भगवन्तपुरा | 10 ,, | | 2640/3-1-83 |
| 9. | 4-1-83 | सलारी | 12 ,, | | |
| 10. | 4-1-83 | महरूकलां | 17 ,, | | |
| 11. | 4-1-83 | सलारी | 12 ,, | | |
| 12. | 5-1-83 | बडगांव | 5 ,, | | |
| 13. | 6-1-83 | प्रानहेड़ा | 10 ,, | | |
| 14. | 6-1-83 | सरसडी | 6 ,, | | |
| 15. | 6-1-83 | चोसला | 10 | | |
| 16. | 6-1-83 | सांपला | 8 | | |
| 17. | 6-1-83 | सूंपा | 7 | | |
| 18. | 7-1-83 | पाडलियां | — | 50 | |
| 19. | 7-1-83 | घूंघरी | 9 | | |
| 20. | 7-1-83 | बूबदिया | 15 | | 2000/3–1–83 |
| 21. | 7-1-83 | सांकरिया | 10 | | |
| 22. | 7-1-83 | सोबडी | 12 | | |
| 23. | 7-1-83 | नागोला | 7 | | 1760/12–1–83 |
| 24. | 7-1-83 | पाडलिया | 5 | | 880/12-1-83 |
| 25. | 7-1-83 | आलोली | 7 | | |
| 26. | 7-1-83 | भिनाय | 31 | | 3000/22–1–83 |
| 27. | 8-1-83 | बोराड़ा | 18 | | |
| 28. | 10-1-83 | आमली | 14 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 10-1-83 | बिसुन्दणी | 14 | | |
| 30. | 10-1-83 | शेरगढ़ | 15 | | |
| 31. | 10-1-83 | शोकलिया | 8 | | |
| 32. | 10-1-83 | सराणां | 9 | | 1540/3-1-83 |
| 33. | 10-1-83 | बघेरा | 25 | | 3000/19-1-83 |
| 34. | 11-1-83 | बोराड़ा | 16 | | |
| 35. | 11-1-83 | बरोल | 9 | | |
| 36. | 12-1-83 | रघुनाथपुरा (बडगांव) | 8 | | |
| 37. | 12-1-83 | कुम्हारिया | 8 | | |
| 38. | 12-1-83 | जोताया | 14 | | |
| 39. | 12-1-83 | पिपलाज | 5 | | 2000/20-1-83 |
| 40. | 12-1-83 | पारा | 9 | | |
| 41. | 12-1-83 | खवास | 10 | | |
| 42. | 13-1-83 | टांकावास | 6 | | |
| 43. | 13-1-83 | बिडला | 13 | | |
| 44. | 13-1-83 | छापरी | 28 | | |
| 45. | 14-1-83 | सदारा | 7 | | |
| 46. | 14-1-83 | घटयाली | 13 | | |
| 47. | 14-1-83 | खेजडी | 9 | | |
| 48. | 15-1-83 | सांवर | 20 | | 3000/20-1-83 |
| 49. | 17-1-83 | चीतीवास | 8 | | |
| 50. | 17-1-83 | कुम्हारिया | 9 | | |
| 51. | 17-1-83 | खवास | 12 | | |
| 52. | 17-1-83 | नानसी | 8 | | 1760/12-1-83 |
| 53. | 18-1-83 | रामपुरा | 5 | | |
| 54. | 19-1-83 | भीमडावास | 8 | | |
| 55. | 20-1-83 | बुढाखुर्द | 9 | | 1550/3-1-83 |
| 56. | 20-1-83 | मह्रूकलां | 8 | | |
| 57. | 20-1-83 | सलारी | 10 | | |
| 58. | 21-1-83 | कालेड़ा | 12 | | |
| 59. | 21-1-83 | कादेड़ा | 10 | | 3000/12-1-83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60. | 21-1-83 | महुक्कलां | 7 | | |
| 61. | 22-1-83 | चापानेरी | – | 45-29-250 | |
| 62. | 22-1-83 | ,, | 14 | | 3000/22-1-83 |
| 63. | 22-1-83 | मुलगांव | 6 | | |
| 64. | 22-1-83 | महुक्कलां | 4 | | |
| 65. | 22-1-83 | कनोज | 5 | | |
| 66. | 24-1-83 | अजगरा | 12 | | |
| 67. | 24-1-83 | अजगरी | 6 | | |
| 68. | 24-1-83 | डबरेला | 21 | | |
| 69. | 24-1-83 | पाडलिया | 3 | | |
| 70. | 24-1-83 | हिंगूणया | 10 | | |
| 71. | 24-1-83 | बडगांव | 4 | | |
| 72 | 24-1-83 | खवास | 12 | | |
| 73. | 25-1-83 | कैबाणियां | 20 | | |
| 74. | 25-1-33 | देवलियाकलां | 7 | | ए–2200/20-1-83<br>बी–2200/11-2-83 |
| 75. | 25-1-83 | बडली | 15 | | 2100/26-1-83 |
| 76. | 25-1-83 | लामरा | 8 | | 1760/11-2-73 |
| 77. | 27-1-83 | चोसला | 8 | | |
| 78. | 27-1-83 | क्वदिया | 14 | | |
| 79. | 27-1-83 | सिंगावल | 20 | | |
| 80. | 28-1-83 | हिंगोनियां | 7 | | |
| 81. | 28-1-83 | घटियाली | 3 | | |
| 82. | 28-1-83 | मोलदिया | 12 | | |
| 83. | 29-1-83 | कालेडा | 4 | | |
| 84. | 31-1-83 | नागोला | 10 | | |
| 85. | 31-1-83 | केवाणियां | 13 | | |
| 86. | 31-1-83 | मीमडावास | 7 | | |
| 87. | 1-1-83 | बिड़ला | 13 | | |
| 88. | 2-2-83 | भगवन्तपुरा | 6 | | |
| 89. | 2-2-83 | प्रान्हेड़ा | 10 | | |
| 90. | 3-2-83 | छुछन्दरा | 20 | | |

(261)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91. | 3-2-83 | बान्दनवाड़ा | 3 | | ए–1490/3-1-83 बी–1600/ 12-1-83 |
| 92. | 3-2-83 | बडगांव | 8 | | |
| 93. | 4-2-83 | बोराड़ा | 10 | | |
| 94. | 4-2-83 | मोलकिया | 15 | | |
| 95. | 5-2-83 | काशीर | 5 | | |
| 96. | 5-2-83 | मोलकिया | 3 | | |
| 97. | 7-2-83 | बोराड़ा | 10 | | |
| 98. | 7-2-83 | देवगांव | 28 | | |
| 99. | 7-2-83 | पारा | 5 | | |
| 100. | 7-2-83 | पाडलिया | 3 | | |
| 101. | 7-2-83 | घूनघरी | 5 | | |
| 102. | 7-2-83 | खवास | 4 | | |
| 103. | 7-2-83 | पाडलिया | 6 | | |
| 104. | 8-2-83 | बाजटा | 10 | | |
| 105. | 8-2-83 | बान्दनवाड़ा | 23 | | 3000/11-2-83 |
| 106. | 8-2-83 | काशीर | 5 | | |
| 107. | 9-2-83 | सोबडी | 11 | | 2000/22-1-83 |
| 108. | 9-2-83 | धीतोल | 22 | | |
| 109. | 9-2-83 | मोलदिया | 8 | | |
| 110. | 9-2-83 | प्रान्हेड़ा | 1 | | |
| 111. | 9-2-83 | खवास | 5 | | |
| 112. | 10-2-83 | खरोल | 15 | | |
| 113. | 10-2-83 | सरसडी | 5 | | |
| 114. | 10-2-83 | शेरगढ | 27 | | |
| 115. | 12-2-83 | घूघरी | 5 | | |
| 116. | 12-2-83 | शेरगढ | 3 | | |
| 117. | 14-2-83 | फतेहगढ | 20 | | |
| 118. | 14-2-83 | गुलगांव | 6 | | |
| 119. | 14-2-83 | पाडलियां | 9 | | |
| 120. | 14-2-83 | गोयला | 20 | | |
| 121. | 14-2-83 | मोटियाला | 17 | | |

(262)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 122. | 14-2-83 | बघेरा | 52 | |
| 123. | 15-2-83 | सखारी | 11 | |
| 124. | 15-2-83 | टांकावास | 10 | |
| 125. | 15-2-83 | कादेडा | 20 | |
| 126. | 11-2-83 | टाटोती | – | 2040 |
| | | योग– | 1415 | 51480 |

## उपखंड किशनगढ़ में आवश्यक वस्तुओं का वितरण

| क्रमांक | दिनांक | नाम ग्राम | चीनी | गेहूं | कपड़ा | केरोसीन तेल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 8-1-83 | सलेमाबाद | — | — | — | 1300 ली. |
| 2. | 10-1-83 | कोटड़ी | 12 क्वि. | — | — | — |
| 3. | 11-1-83 | अराई | 17 ,, | — | — | — |
| 4. | 11-1-82 | सादोलिया | 16 ,, | — | — | — |
| 5. | 12-1-83 | कालानाड़ा | 13 ,, | — | — | — |
| 6. | 13-1-83 | ढसूक | 16 ,, | — | — | — |
| 7. | 13-1-83 | कटसूरा | 11 ,, | — | — | — |
| 8. | 13-1-83 | मामोलाव | 14 ,, | — | — | — |
| 9. | 15-1-83 | दादिया, नवां | 28 ,, | — | — | — |
| 10. | 17-1-83 | पनेर, देवपुरी, छोटा, नरेना, भोगावीस, सीरोज, फाकेड़ी, छपनाड़ा, सिनोदिया, लांबा | 130 ,, | — | — | — |
| 11. | 18-1-83 | मुण्डावदिया, सलेमाबाद | 10 ,, | — | — | 1140 ली. |
| 12. | 19-1-83 | भदूण, रूपनगढ़ | 25 ,, | — | — | — |
| 13. | 20-1-83 | नलू | — | — | 273 मी. | — |
| 14. | 21-1-83 | कुपील, घल, सादोरिया, डिडवाड़ा | 30 ,, | — | 249 मी. | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 22-1-83 | सांगाव, नलू, सुरसरा, सलेमाबाद, पीगलोद, आंकोडिया, सिलोरा | 77 क्वि. | 30 क्वि. | — | — |
| 16. | 24-1-83 | हामाड़ा, बहारू, टिकावड़ा, आंकोड़िया | 50 ,, | 20 ,, | — | — |
| 17. | 25-1-83 | बरणा | 14 ,, | — | — | — |
| 18. | 27-1-83 | डीडवाड़ा, बादरसिंदरी, जाजोता, पाटन, नलू, कोटडी, सलेमाबाद | 56 ,, | 40 ,, | 208.50 | 3000 ली. |
| 19. | 28-1-83 | सीताखेड़ा, सिलोरा | 24 ,, | — | — | — |
| 20. | 29-1-83 | भीरोता, पाटन, मामोलाव, ढसूक | 14 ,, | — | 660 | — |
| 21. | 31-1-83 | नोसल, गोदियाना | 22 ,, | — | — | — |
| 22. | 1-2-83 | पीगलोद | — | 25 ,, | — | — |
| 23. | 2-2-83 | डिडवाडा, हामाडा | — | — | 506.75 | — |
| 24. | 3-2-83 | सलेमाबाद | — | 25 ,, | — | — |
| 25. | 4-2-83 | तिलोनिया | 14 ,, | — | — | — |
| 26. | 5-2-83 | चीताखेड़ा, बरणा सिलोरा, रूपनगढ़ | 20 ,, | 60 ,, | 102 | — |
| 27. | 7-2-83 | गोडियाना, भीरोता | 8 ,, | — | 71.25 | — |
| 28. | 8-2-83 | अराई, कटसूरा, कोटडी | 9 ,, | 20 ,, | — | — |
| 29. | 9-2-83 | कठसूरा | — | 15 ,, | — | — |
| 30. | 10-2-83 | अराई, सांदोलिया, स्योद | 43 ,, | — | — | — |
| 31. | 11-2-83 | हरमाडा | — | — | 450 मी. | — |
| 32. | 12-2-83 | बादिया, सिरोज, कालावाडा, भोगादीत, आंकोडिया | 57 ,, | — | — | — |
| 33. | 14-2-83 | डीडवाडा, अराई, ठसूक सांदोलिया, कठसूरा, सलेमावार | — | — | 3661 ,, | 1100 ली. |
| 34. | 15-2-83 | मामोलाव, बांदरसिंदरी, डिडवाड़ा | 13 ,, | — | 1323 ,, | — |

केकड़ी उपखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में सीमेन्ट का वितरण

| क्रमांक 1 | दिनांक 2 | नाम 3 | कट्टे, सीमेन्ट 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | 3-1-83 | सरपंच ग्राम पंचायत भगवन्तपुरा | 20 |
| 2. | ,, | श्री नन्दनलाल फूलालाल सांवर | 5 |
| 3. | ,, | ,, भंवरलाल रामपाल सलारी | 10 |
| 4. | 4-1-83 | ,, समीरमल गुलाबचन्द जूनिया | 5 |
| 5. | ,, | ,, सीताराम सन्तोष कुमार कणूज | 20 |
| 6. | ,, | ,, प्रवीणकुमार उगन चन्द सावर | 3 |
| 7. | ,, | ,, सरपंच ग्राम पंचायत धूघरी | 2 |
| 8. | ,, | ,, बदरीलाल कल्याण शर्मा पारा | 10 |
| 9. | ,, | ,, महादेव जगलाल मीणा नेवदा | 5 |
| 10. | 5-1-83 | ,, भगवान हरि खोरियां | 20 |
| 11. | ,, | ,, गोकल बतावर घून्घरी | 10 |
| 12. | 6-1-83 | सरपंच ग्राम पंचायत सावर | 8 |
| 13. | ,, | श्री कपूर चन्द रघुलाला जैन सावर | 3 |
| 14. | ,, | ,, हरिसिंह शक्तावत सावर | 2 |
| 15. | ,, | ,, पुरषोत्तम भवानीशंकर जुनिया | 10 |
| 16. | ,, | ,, ,, | 10 |
| 17. | ,, | ,, बृजलाल कालूराम तसवारिया | 5 |
| 18. | ,, | ,, जोरावर सिंह देवी सिंह अजारा | 10 |
| 19. | ,, | ,, धनालाल अराई | 3 |
| 20. | ,, | ,, रामप्रत नारायण चौधरी उगाई | 5 |
| 21. | ,, | ,, हंसराज जाट उगाई | 5 |
| 22. | ,, | ,, बजरंग लाला रामकरण उगाई | 3 |
| 23. | ,, | ,, गोपाललाल रामकिशन उगाई | 5 |
| 24. | ,, | ,, महेन्द्र सिंह भाटी बघेरा | 10 |
| 25. | 7-1-83 | ,, रामकरण नन्दलाला देवगांव | 5 |
| 26. | ,, | ,, रामदयाल मेहरवाल देवगांव | 5 |
| 27. | ,, | ,, अब्दुल रहमान हाजी मोहम्मद देवगांव | 3 |
| 28. | 8-1-83 | ,, रामरतन हेमराज काशीर | 15 |
| 29. | ,, | ,, नरपत सिंह आनन्द बिहारी सिंह गुलगांव | 20 |
| 30. | ,, | ,, रामेश्वर लाल महाजन बोराड़ा | 5 |

265

| 1 | 2 | 3 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 31 | 10-1-83 | श्री मागुला रामनाथ गिरधरपुरा | 5 |
| 32. | ,, | श्री हुजारी रामलाल | 5 |
| 33 | ,, | श्री जवाहरलाल चांदमल रेगर बवेरा | 2 |
| 34. | ,, | श्री धर मथुरालाल सदारा | 5 |
| 35. | ,, | श्री उदाराम मांगीराम सदारा | 6 |
| 36. | ,, | श्री जगजीश घीसालाल जूनिया | 7 |
| 37. | ,, | श्री सिराजुद्दीन मोलाबक्स सावर | 2 |
| 38. | ,, | श्री रघुबीर सिंह शिवराज सिंह सावर | 2 |
| 39. | ,, | श्री जगलाल मभा शदारा | 5 |
| 40. | 11-1-83 | श्री राजकीय चिकित्सालय बोराड़ा | 20 |
| 41. | ,, | श्री कल्याण जयनारायण बोराडा | 5 |
| 42. | ,, | श्री महावीर प्रसाद शिवलाल लसाड़िया | 4 |
| 43. | 12-1-83 | श्री रामकिशन भंवाना चमार लसाड़िया | 5 |
| 44. | ,, | श्री दशरथलाल धूलचन्द देवगांव | 3 |
| 45. | ,, | श्री गोपीलाल भूरालाल देवगांव | 2 |
| 46. | ,, | श्री कुन्दनमल नाथूलाल जूनिया | 5 |
| 47. | ,, | केलाश चन्द भूलालाल देवगांव | 5 |
| 48. | ,, | श्री मूदूलाल माधोलाल जूनिया | 5 |
| 49. | ,, | श्री केलाश चन्द चोथमल जूनिया | 5 |
| 50. | 13-1-83 | श्री रामकिशन रामलाल जूनिया | 2 |
| 51. | 14-1-83 | श्री दशरथ सिंह रणजीत सिंह पारा | 30 |
| 52. | ,, | श्री चतुर्भुज सिंह विजयबहादुर सिंह पारा | 30 |
| 53. | ,, | श्री रायबहादुर सिंह बिजयबहादुर सिंह पारा | 30 |
| 54. | ,, | श्री प्रगन्नद विक्रम सिंह ,, ,, | 30 |
| 55. | 15-1-83 | श्री घीसालाल कजोडमल धूणधरी | 5 |
| 56. | ,, | श्री हुजारीलाल जमनालाल ,, | 2 |
| 57. | ,, | श्री मनोहरलाल रूपचन्द जूनिया | 1 |
| 58. | 17-1-83 | श्री रामलाल भूरा बलाई डोराई | 10 |
| 59. | 18-1-83 | श्री नारायण सिंह मालोली | 6 |
| 60. | ,, | श्री गोवर्धनलाल रामस्वरूप उगाई | 2 |
| 61. | ,, | परसराम भूरा रेगर बवेरा | 2 |
| 62. | ,, | देवीलाल कहार मेहरूकलां | 20 |
| 63. | ,, | श्री गारवेचनजी बिसुन्दनी | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 64. | ,, | श्री जगदीश पन्ना | 30 |
| 65. | ,, | श्री मुरलीधर बसन्तीलाल सावर | 2 |
| 66. | ,, | चारभुजा अहीर कणंज | 10 |
| 67. | ,, | गोपीनन्दा रैगर | 10 |
| 68. | ,, | श्री रामदेव गोकुल खाती जूनिया | 5 |
| 69. | ,, | श्री सरपंच ग्राम पंचायत बघेरा | 20 |
| 70. | 18-1-83 | श्री प्रवीण चन्द चांदमल जूनियां | 2 |
| 71. | ,, | श्री धर्म चन्द फूल चन्द जूनियां | 2 |
| 72. | ,, | श्री जीवतराम मोतीलाल | 5 |
| 73. | 19-1-83 | श्री चांदमल मिश्रीलाल बघेरा | 2 |
| 74 | ,, | श्री रघुवीर सिंह गोविन्द सिंह सावर | 4 |
| 75. | ,, | श्री लादूलाल छोगालाल मेहरूकला | 3 |
| 76. | 20-1-83 | रेली इन्जिनियर जी. एल. आई सावर | 15 |
| 77. | 20-1-83 | श्री छीतरमल पुत्र श्री किशनमुरारी सरसडी | 2 |
| 78. | ,, | श्री उदयराम जवारा मीणा आलोजी | 2 |
| 79. | ,, | मांगीलाल महादेव लसाड़िया | 5 |
| 80. | 21-1-83 | श्री शिवराम माधोराम माली विशुन्दनी | 4 |
| 81. | ,, | श्री शिवचन्द घीसालाल उन्दरी | 20 |
| 82. | ,, | श्री जयसिंह रीदकरण कादेड़ा | 10 |
| 83. | 22-1-83 | श्री गोकुलचन्द सुगनचन्द रामनगर | 5 |
| 84. | ,, | श्री मोती सुगन्त रामनगर | 2 |
| 85. | ,, | श्री रामचन्द्र रामप्रसाद जूनिया | 2 |
| 86. | 24-1-83 | श्री बहादुरदेव जाट बन्थली | 10 |
| 87. | 25-1-83 | श्री भूरालाल चतरामाली जूनिया | 5 |
| 88. | ,, | श्री वैद्यनाथ श्री राम धाकड़ जावजा | 5 |
| 89. | 27-1-83 | श्री मांगीलाल गजानन्द मीणा आलोली | 20 |
| 90. | ,, | श्री जवाहरलाल सोनाथ कुमावत आलोली | 20 |
| 91. | ,, | भार साधक पदाधिकारी सावर | 10 |
| 92. | 28-1-83 | श्री सीताराम सबोकदास खवास | 20 |
| 93. | ,, | श्री भैरूलाल चांदमल सरवाड़ | 8 |
| 94. | 29-1-83 | श्री रामचन्द्र मीणा गणेशपुरा | 20 |
| 95. | ,, | श्री गणपतलाल भक्त खेजड़ी | 2 |
| 96. | ,, | श्री रघुवीरसिंह विजयसिंह देवगांव | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97. | 2-2-83 | श्री प्रहलादकुमार राधाकिशन पारा | | | 20 |
| 98. | 4-2-83 | श्री पीताराम चौधरी फारकिया | | | 15 |
| | | | | योग.. | 671 |

उपखंड अजमेर के ग्रामीण क्षेत्र में सीमेंट का वितरण

| दिनांक | सीमेंट नाम प्राप्तकर्ता | तादाद (कट्टे) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 1-83 | श्री जीतसिंह पुत्र स्वर्णसिंह अजमेर | 20 |
| ,, | श्री लादूराम पुत्र सोजी चावड़िया | 5 |
| ,, | श्री खिया पुत्र श्री हजारी किशनपुरा गोयला | 5 |
| ,, | श्री अलीमोहम्मद पुत्र श्री समाखां राजोसी | 5 |
| ,, | श्री अलाबक्स पुत्र मांगूखां खजपुरा | 5 |
| 6-1-83 | श्री नाथूसिंह पुत्र लादूरावत नेड़लियां | 20 |
| ,, | श्री जयकिशन पुत्र रामविलास सराधना | 5 |
| ,, | श्री वृद्धिप्रकाश पुत्र श्री मिश्रीलाल सराधना | 5 |
| ,, | श्री बदरीप्रसाद पुत्र ईसरीप्रसाद अजमेर | 5 |
| ,, | श्री स्वामी लहरपुरी महन्त महाराज पुष्कर | 20 |
| ,, | श्री रामकरण पुत्र मगना सराधना | 5 |
| ,, | श्री पूसालाल हरनाथ सराधना | 5 |
| 7-1-83 | श्री हरिशचन्द्र पुत्र किशनलाल अजमेर | 5 |
| 10-1-83 | श्री शैतानसिंह पुत्र छोटूसिंह काजीपुरा बोराज | 15 |
| 11-1-83 | श्री चतुरभुज पुत्र लादूराम तबीजी | 5 |
| 13-1-83 | श्री बनासिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह कटेड़ा | 8 |
| ,, | श्री भूरसिंह पुत्र केशरसिंह काटेड़ा | 8 |
| ,, | श्री अजूमलखां पुत्र हटूण्डी | 5 |
| 13-1-83 | श्री साजन पुत्र सायर हटूण्दी | 5 |
| 14-1-83 | श्री रामनारायण पुत्र रामचन्द्र तबीज | 5 |
| 14-1-83 | श्री पूखराज पुत्र मीलप चन्द तबीजी | 5 |

268



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15-1-83 | श्री मंगलापुत्र प्रजमल सुमलपुर | 5 |
| 18-1-83 | श्री गगादत्त पुत्र गोरीदत्त मकरोडा | 10 |
| ,, | श्री शंकरू पुत्र महमद राजोसी | 5 |
| ,, | श्री शिवनारायण रामचन्द्र तबीजो | 5 |
| ,, | श्री पिक पुत्र जमाल होकरा | 5 |
| ,, | श्री जीतसिंह पुत्र स्वर्ण सिंह प्रजमेर | 20 |
| 19-1-83 | श्री मिश्वा पुत्र धर्मा हाथीखेडा | 5 |
| 4-1-83 | श्री जमालखां पुत्र छाजूखां गोविन्दगढ़ | 5 |
| ,, | श्री दिलीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह बुधवाड़ा | 10 |
| 10-1-83 | श्री मोती पुत्र सुजा बोरियाना | 10 |
| 24-1-83 | श्री राजेन्द्रसिंह श्रीनगर | 20 |
| 2-2-83 | श्री वेजनाथ प्रजमेर | 20 |
| | योग– | 286 कट्टे |

ब्यावर उपखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में केरोसीन तेल का वितरण

| क्र.सं. | पंचायत समिति का नाम | ग्रामों के नाम | दिनांक | मात्रा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पं.स. जवाजा | जवाजा | 1-1-83 | 1760 लीटर |
| 2. | ,, ,, | सुरजपुरा | ,, | 2240 ,, |
| 3. | ,, ,, | टाटगढ | ,, | 2800 ,, |
| 4. | ,, ,, | ,, | ,, | 1540 ,, |
| 5. | ,, ,, | शाहपुरा | ,, | 960 ,, |
| | | | | 10,000 लीटर |
| 6. | ,, ,, | बालिया | 20-1-83 | 1320 ,, |
| 7. | ,, ,, | दुर्गावाज | ,, | 1760 ,, |
| 8. | ,, ,, | किशनपुरा | ,, | 1320 ,, |
| 9. | ,, ,, | लौटडा | ,, | 660 ,, |
| 10. | ,, ,, | कावरा | .. | 1760 ,, |
| 11. | ,, ,, | राजीयावास | ,, | 1540 ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | पं. स. जवाजा | नर्मदखेडा | ,, | 1640 लीटर |
| | | | | 10,000 लीटर |
| 13. | ,, ,, | जवाजा | 23-1-83 | 1760 ,, |
| 14. | ,, ,, | देवाता | ,, | 2500 ,, |
| 15. | ,, ,, | बराखाना | ,, | 2500 ,, |
| 16. | ,, ,, | बराखेडा | ,, | 3240 ,, |
| | | | | 10,000 लीटर |
| 17. | ,, ,, | सुरजपुरा | 30-1-83 | 2500 ,, |
| 18. | ,, ,, | तारागढ | ,, | 660 ,, |
| 19. | ,, ,, | टाटगढ | ,, | 2800 ,, |
| 20. | ,, ,, | ,, | ,, | 1540 ,, |
| 21. | ,, ,, | जवाजा | ,, | 1100 ,, |
| 22. | ,, ,, | बड़कचोरा | ,, | 660 ,, |
| 23. | ,, ,, | देवाला | ,, | 740 ,, |
| | | | | 10,000 लीटर |
| 24. | ,, ,, | नरवदखेडा | 10-2-83 | 2500 ,, |
| 25. | ,, ,, | मोहाना | ,, | 1320 ,, |
| 26. | ,, ,, | सुरडिया | ,, | 880 ,, |
| 27. | ,, ,, | टाटगढ | ,, | 2500 ,, |
| 28. | ,, ,, | देवाला | ,, | 660 ,, |
| 29. | ,, ,, | किशनपुरा | ,, | 1100 ,, |
| | | | | 10,000 लीटर |

## उदयपुर विश्वविद्यालय में डीन पद पर चयन हेतु विज्ञापन

689. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):-क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में श्री सुखाड़िया विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान कालेज के डीन पद पर चयन हेतु जनवरी, 1981 से 31 जनवरी, 1982 तक विज्ञापन दिये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया विज्ञापनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उस समय विश्वविद्यालय में अन्य विभागों में भी कई पद चयनित व्यक्तियों के अभाव में रिक्त थे ? यदि हां, तो उनके लिए विज्ञापन क्यों नहीं दिया गया ?

(3) गृह विज्ञान डीन पद हेतु विज्ञापन के आधार पर किन-किन लोगों ने आवेदन किया उनमें से कितने लोग विज्ञापन में चाही योग्यता पूरी करते थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गृह विज्ञान डीन पद के विज्ञापन पर प्राप्त आवेदन-पत्र पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी न्यूनतम योग्यता नहीं रखते, अतः उसके बाद एकेडेमिक कौन्सिल की बैठक बुलाई ? यदि हां, तो कब एवं उसने क्या निर्णय लिया ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त पद पर चयन करने हेतु चयन समिति की बैठक जयपुर में 10 जनवरी 1982 को प्रातः 11 बजे रविवार को बुलाई गई तथा उसी दिन 4 बजे विश्वविद्यालय कार्य कारिणी की बैठक बुलाई गई ? यदि हां, तो कृपया उस बैठक के मिनिट्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उसी दिन सायंकाल प्रार्थी से जयपुर में ही ड्यूटी जोइन करवाई गई ? यदि हां, तो यह सारी प्रक्रिया एक ही दिन में पूर्ण करा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

### उत्तर

(1) जी हां। दोनों विज्ञापनों दिनांक 8-4-81 व 15-9-81 की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में भी कई पद चयनित व्यक्तियों के अभाव में रिक्त थे और उनको भरने के लिए भी विज्ञापन दिया गया।

(3) गृह विज्ञान डीन पद हेतु आवेदन करने वाले प्रार्थियों की सूची संलग्न हैं। डीन पद के लिए निर्धारित चयन समिति में अपनी बैठक दिनांक 10-1-82 ने यह पाया कि इस पद के लिए उपस्थित कोई भी आशार्थी निर्धारित एवं विज्ञापित योग्यता पूर्ण रूप से नहीं रखता।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। कार्यकारिणी समिति की बैठक के मिनिट्स सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(6) जी हां। ड्यूटी ज्वाईन करवाने में तत्परता बरतने के पीछे यह भावना थी कि विलम्ब से मामले विवादग्रस्त हो जाते हैं। और आगे कार्यवाहियां को चलाना कठिन हो जाता है।

(271)

## विज्ञापन की प्रतियां

### UNIVERSITY OF UDIPUR, UDAIPUR

*Advt.No.*2/81 *Dated April* 8, 1981

Applications are invited on prescribed form for the following posts in the University of Udaipur so as to reach the undersigned by 3rd May, 1981. Benefits of D.A., H.R., P.F. & Leave etc. would be according to the University Rules. Application form can be obtained from the undersigned on payment of Rs. 4/- through crossed Postal Order in favour of the University of Udaipur, Udaipur. A self addressed envelope (27 cms X 12 cms) duly stamped for Rs. 1.30 paise should invariably be sent alongwith the postal order.

1. Dean/Associate Dean, College of Agriculture, Udaipur/Jobner. —2(1 Permanent & 1 Temporary)
2. Dlan, College of Home Science, Udaipur. —1 (Permanent)
3. Director, Agricultural Experiment Station, Udaipur.—1 (Permanent)
4. Director, Extension Education, Udaipur. —1 (Permanent)

*Pay Scale:* Rs. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500.

**Essential Qualifications:**

1. Doctorate degree/good Master's degree in appropriate field with good academic record and minimum of 10 years of experience in teaching/research/extension in Institution of University standard at post-graduate level. Specialised knowledge in one or more specified field with experience in guiding research.
2. Professional/Scientific work of outstanding merit and Doctorate degree would be preferred.
3. Administrative experience of atleast 5 years on a responsible post in teaching/research/extension.

(Appropriote field is defined to include Ph.D.degree/Master's degree in major area in any branch of Agriculture, Agricultural Engineering, Veterinary and Animal Science and Home Science.)

**Administrative Posts:**

5. Registrar One (Permanent)

*Pay Scale:* Rs.1400-50-1650-60-1830-70-1900.

6. Dy.Registrar Two 1 Permanent 1 Temporary

*Pay Scale:* Rs.1150-50-1650.

272



7. Asstt. Registrar eight (5 Permanent and 3 Temporary)

*Pay Scale:* Rs. 750-30-1020-40-1300-50-1350.

*Qualifications for Registrar, Dt. Registrar and Asstt. Registrar:*

Master or an equivalont degree in 1st or 2nd division with five, Ten and Fifteen years' office or teaching experience respectively for the post of Assistnt Registrar, Dy.Registrar and Registrar.

Further provided that no one would be appointed as Registrar, who, on The date of appointment, is below 40 or above 53 years in age. The upper agelimit, however, University of Udaipur, Udaipur may be awaived in favour of an Asstt Registrar or Dy. Registrar of the provided his age is not over 57 years on the date of appointment..

*Note*: A person already working in this University who does not possess a post-graduate degree but is a graduate could be considered for the post of Asstt. Registrar, Dy. Registrar & Registrar provided that such a person atleast six, ten & fifteen years experience, respectively of office administration involving Superivison, Planning & Control.

8. *Asstt. Comptroller* one (Permanent)

*Pay Scale*: Rs. 750-30-1020-40-1300-50-1350.

9. *Accounts Officer* three (2 Permanent 1 Temporary)

*Pay Scale*: Rs.750-30-1020-40-1300-50-1350.

10. *Administrative Officer*—One (Permanent)

*Pay Scale*:Rs. 750-30-1020-40-1300-50-1350.

*Qualifications* : (for the posts of Asstt. Comptroller, Accounts Officer and Administration Officer).

Master's degree in Commerce in 1st or 2nd division or an equivalent or Chartered Accountant or its equivalont with five years, experience in accounts in a Supervisory capacity.

*Note:* A person already working in this University who does not possess a post-graduate degree but is a graduate of any faculty could be considered for the above posts provided that such a person possesses at least six years' experience of accounts in a Supervisory capacity.

11. *Asstt.Librarian* —2 1 Permanent
1 Temporary

*Pay Scale:*Rs.400-40-800-50-950.(likely to be revised)

*Qualification:* 1st or 2nd division in B.Lib. and M.Lib.Science Examinations. Three years' experience of work in a Library or with a Ph. D. degree in any subject.

12. *Dy.Librarian* —1 (Permanent)
*Pay Scale:*Rs.700-40-1100-50-1200.(likely to be revised)

*Qualification:* 1st or 2nd division in B.Lib. and M.Lib.Science Examinations with at least seven years' experience of Library work preferebly with a Ph. D. degree in any subject. Provided that if his Ph. D. degree is in Lib. Science the condition of experience may be reduced to three years.

*Note:* For post of Dy. Librarian 1st or 2nd Class Master's degree in any subject in addition to Master's degree in Library Science is essential. This will apply to teachers of Library Science also. For in-service candidates working in the Library, requirement of Master's degree in any subject other than the Library Science is relaxed.

13. *Supdt.Physical Education* —3 2 Permanent
1 Temporary
*Pay Scale:*Rs. 400-40-800-50-950. (likely to be revised)

*Qualification:* 1st or 2nd class post-graduate degree in Physical Education,

OR

At-least high Second Class degree in Physical Education and at-least a Second Class Master's degree in any subject with at-least 3 years' experience of organising games and sports in a College or a University or Sports Council/Board or recognised Institution.

OR

At-least Second Class Master's degree in any subject with a Diploma (1 year) in Physical Education from a recognised Institution and at least 7 years, experience of organizing games and sports in a College or a University or Sports Council/ Board or recognised Institution.

14. *Director*(Correspondence Courses) —1 ( Temporary)
*Pay Scale:*Rs.1200-50-1300-60-1900.

*Qualification:*

(*i*) First Division in all the public examinations from high school upwards with a Post-graduate degree.

OR

First Division in Under-graduate and Post-graduate examinations with a M.Phil. degree.

OR

First Division in Post-graduate examination with a Ph.D. degeree.

OR

A High Second Division in Post-graduate examination with a consistently good academic record in all the previous public examinations.

OR

A Second Class Post-graduate degree with average second division taking into consideration all the public examinations from High School upwards with a Ph.D.degree in the subject concerned or 3 years' experience of teaching, research, extension or field experience.

OR

First or Second Class Honour's degree in the subject concerned from Oxfored or Cambridge University or a First Division in the Post-graduate examination in the subject concerned from any of the better Universities of the West.

(*ii*) An Asstt. Professor, or holder of an equivalent or a higher position having been in Research or in Extension and having a Doctor's degree in concerned disciplin with five years' experience. He should have done research work or deeper studies in Extension of recognised value in any of the above capacities, especially in the last five years at the time of interview and should be able to give evidence of high proficiency in other spheres.

*Note* :(*i*) Candidates with published work of recognised merit considered to be equivalent to a Ph.D.degree will also be eligible.

(*ii*) A person who has had exceptionally brilliant career has earned Ph.D. degree and whose reserches have gained international recognisation may be appointed as Director Correspondence Courses.

15. *Asstt. Engineer* (Estate Office) 1 (Temporary)

*Pay Scale*: Rs. 750-30-1020-40-1300-50-1350.

*Qualification*: Must hold a degree in Civil Engineering of a University established by Law in India or a Degree or Diploma of a foreign University or Institution declared by Govt., equivalent to degree in Civil Engineering of a University established by Law in India.

*Note*: A person already working in this University who does not possess the above qualifications could be considered for the post of Asstt. Engineer (Estate Officer) provided that such a person is having Diploma (Diploma (Civil) from a recognised Institution with 10 years requisite experience as Engineering Subordinate (Civil).

*General Note* :

1. The csndidates who have already applied for the above posts in response to our previous advertisements No. 7/78 dated

June 28,1978 and No. 9/79 dated Nov. 23, 1979will have to apply a fresh, but they will be supplied prescirbed application from free of cost if they request in writing for the same inidcating the Sl.No. or reference of the previous application form.

G.S.SHARMA
*Registrar.*

## *UNIVERSITY OF UDAIPUR, UDAIPUR*

*Adv. No.*4/81. *Dated*: 15-9-1981.

Applications are invited on proscribed form for the post of Dean, College of Home Science (permanent) in the University of Udaipur, Udaipur in scale of Rs. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500, so as to reach the undersigned by 5-10-1981. Benefits of D.A., H.R.A., P.F. & Leave etc. would be according to the University Rules, Application form can be obtained from the undersigned on payment of Rs. 4/- through crossed Postal Order in favour of the University of Udaipur, Udaipur. A self addressed envelope (27cms x 12 cms) duly stamped for Rs. 1.30 paise should invariably be sent alongwith the Postal order.

*Essential Qualification* :

1. Doctorate degree/good Master's degree in appropriate field with good academic record and minimum of 10 years of expereience in teaching/research/extension in Institution of University standard at Post-graduate level. Specialised knowledge in one or more specified field with experience in guiding reasearch.

2. Professional/Scientific work of outstanding merit and Doctorate degree would be preferred.

3. Administrative experience of atleast 5 years on a responsible post in teaching/research/extension.

(Appropriate field is defined to include Ph.D.degree/Master's degree in major area in any branch of Agriculture, Agricultural Engineering, Veterinary and Animal Science and Home Science).

*Note*:—The cnadidates who have already applied for the above post in response to our previous Advt. No.2/81 dated April 8,1981 will have to apply a fresh, but they will be supplied prescribed application form free of cost if they request in writing for the same indicating the Sl.No. or reference of the previous application form.

G.S. SHARMA
*Registrar.*

## LIST

**Candidate Applied for the Post of Dean College of Home Science In Reference to Advertisement No. 4/81.**

1. Dr. K.N. Chandrasekaran
2. Dr. (Mrs.) P. Sundram.
3. Dr. (Mrs.) Maya Chaudhary.
4. Dr. (Mrs.) Pushpa Gupta.
5. Dr. (Mrs.) Suman Rani Bhatnagar.
6. Dr. R.K. Yadav.
7. Dr. (Mrs.) Subbalakashmi.
8. Dr. M.M. Simlot.
9. Dr. (Mrs.) Sossamma Mchew.
10. Dr. D.C. Kulsherstha.
11. Mrs. Asha M. Bhave.
12. Dr. (Miss) Marry Willngton.

## *UNIVERSITY OF UDAIPUR, UDAIPUR.*

**Minutes of the Meeting of the Executive Committee Held on 10th January 1932 at 4.00 P.M. in the Office of the Director College Education, Jaipur.**

*The following were present*:

1. Sh. P.N. Bhandari, IAS, Vice -Chancellor (In Chair)
2. Dr. R.M. Singh
3. Dr. R.S. Rawat
4. Sh. K.K. Mehrishi
5. Sh. K.M. Mehta
6. Dr. B.S. Mathur
7. Dr. H.C. Sharma
8. Sh. C.P. Joshi
9. Dr. J.S. Bhandari
10. Sh. Gulab Singh Shaktawat

160.(*i*) With reference to Executive Committee Reasolution No. 64 dated 29th July, 1980 approving qualifications for the post of Asstt. Professor, Associate Professor & Professor as prescribed by the Academic Council in its meeting held on 25, 26 & 28th July, 1980 considered following recommendation of the Academic

Council made vide resolution No. 24 dated 24-12-1981 reviewing the earlier qualifications in the light of qualifications prescribed by the UGC/ICAR for the posts of Asstt. Professor, Associate Professors & Professors.

"The qualifications as prescribed by the University Grants Commission/Indian Council of Agricultural, Research, for the teaching posts be approved. In case of Agricultural Engineering posts, the qualifications prescribed by All India Council of Technical Education may be accepted, if candidates having University Grants Commission qualifications are unlikely to be available. In the advertisement it may be mentioned that the qualifications for teaching post may be relaxed in case the response is poor. Where advertisement has already been issued, applications may be screened on the basis of this new provision, instead of going in for fresh advertisements. However, if the response is poor, qualifications can be relaxed for the posts already advertised and in future also."

After detailed discussions Resolved to approve the qualifications prescribed by the University Grants Commission for the posts of Asstt. Professors, Associate Professors & Professors etc. In Agriculture faculty, at least one degree should be in agriculture. However, the qualifications may be relaxed in case the response is poor.

Further in addition to teaching & research experience, work done by a teacher in the field of Extension be also taken into account while considering the candidature for all teaching posts.

(*ii*) The Vice-Chancellor reported that a meeting of the Selection Committee was held on 10th January, 1982 to select the Dean, College of Home Science, The Selection Committee found that no candidate fulfils the prescribed qualifications in toto. The experts were of the unanimous of opinion that in a comperatively new subject like Home Science, the response is unlikely to be better, even if the posts were readvertised. Even those candidates, who had not applied but whose names were sent by ICAR were approached but in that case also, the better qualified persons, who could fulfill the qualifications, declined the offer. Hence, it is necessary that qualifications are relaxed. The Executive Committee resolved to relax the qualifications in view of the findings of the Selection Committee and observations of the External Experts.

161. Considered the recommendations of the selection Committee meeting held on 10th January, 1982 for the post of Dean, College of Home Science.

Resolved that Dr. (Mrs.) P. Sundaram, Associate Professor in Home Management, Home & Farm Management Scheme, College of Home Science, Udaipur be appointed as Dean, College of Home Science

(278)



Udaipur in the scale of Rs. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500. plus usual allowances & other benefits as per University rules, on one year probation with immediate effect.

162. Considered making provision for payment of honorarium to the experts invited to attend selection committee meetings for various teaching posts.

Resolved that an honarium of Rs. 100/- & Rs. 50/- be paid to the experts of the rank of Professors & Associate Professors respectively for attending University Selection Committee meetings.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

*Sd/-*
(P.N. BHANDARI)
*Vice-Chancellor.*

---

**राज्य का अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार प्राप्त पानी**

690. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य को अन्तर्राज्यीय समझौतों के अनुसार राजस्थान नहर व गंगनहर के लिए पानी प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार ने अन्तर्राज्यीय उक्त समझौते के अनुसार अपने हिस्से का पानी प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार द्वारा गत पांच वर्षों की उपज के आंकड़ों का सर्वेक्षण कराया गया ? यदि हां, तो क्या सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राज्य को अपने हिस्से का पानी न मिलने से फसलों की क्षति हुई और किसानों को हानि उठानी पड़ी है ?

**उत्तर**

(1 व 2) प्रश्न मूलतः सिंचाई मंत्रीजी से सम्बन्धित है, वैसे राजस्थान नहर को फिलहाल की आवश्यकता के अनुसार साधारणतया पानी प्राप्त हो रहा है ।

(3) उपज के आंकड़ों के सर्वेक्षण का प्रश्न कृषि मंत्री जी से सम्बन्धित है, राजस्थान नहर क्षेत्र में पानी नहीं मिलने, फसलों को क्षति व किसानों को हानि होने की समस्या कभी-कभी हो जाती है ।

**ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय खेतड़ी**

691. श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)–क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) खेतड़ी एम. जे. एम. कोर्ट में 4,000 केस के लगभग होते हुए वहां अतिरिक्त कोर्ट की स्थापना क्यों नहीं की जा रही जब कि यह पूर्णतया न्यायोचित है ?

(2) क्या यह सही है कि खेतड़ी में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक प्राईवेट मकान में चल रहा है जिसके खाली

करने के लिए डिग्री भी हो चुकी है ? इस संबंध में न्यायालय के लिए भवन निर्माण के लिए क्या कदम उठाये गये ? भवन निर्माण के लिए सरकार का क्या विचार है व कब तक निर्माण शुरू हो जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि खेतड़ी के न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कार्यपाल मजिस्ट्रेट के लिए कोई सरकारी भवन नहीं है ? उनके लिए सरकार क्या विचार रखती है एवं कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि खेतड़ी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 4,000 से भी अधिक मुकदमें हैं ? सरकारी नीति के अनुसार इनके निस्तारण के लिए एक अतिरिक्त दण्डनायक की न्यायालय में आवश्यकता है ? इस विषय में ढिलाई क्यों हो रही है एवं यह त्रुटि कब तक दूर हो जावेगी ?

उत्तर

(1) खेतड़ी एम. जे. एम. कोर्ट में 31-12-82 को 3094 मुकदमे लम्बित थे। राजकीय कठिन वित्तीय स्थिति के कारण नया अतिरिक्त कोर्ट स्थापना करना सम्भव नहीं है।

(2) यह सत्य है कि खेतड़ी में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक प्राईवेट मकान में चल रहा है जिस के खाली करने के लिये डिग्री हो चुकी है जिसकी अपील राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय झुन्झुनू में विचाराधीन है। राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण वर्तमान में भवन निर्माण कराया सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। यह सत्य है कि खेतड़ी में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिये कोई सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हैं और राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण वर्तमान में भवन निर्माण कराना भी सम्भव नहीं है।

(4) खेतड़ी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 31-12-82 को 3094 मुकदमें लम्बित थे। राजकीय कठिन वित्तीय स्थिति के कारण वहां अतिरिक्त कोई न्यायालय स्थापित करना सम्भव नहीं है।

आर. ई. सी., रानीवाड़ा

692. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):–क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा आर.ई.सी. के अन्तर्गत छूटे हुऐ ग्राम करड़ा चाटवाड़ा, दीगांव, दांतवाड़ा चार गांवों की डी. डो. पी. स्कीम के तहत किसानों को कनेक्शन सन् 1982-83 में देना था ? यदि हां, तो अब तक कितने किसानों के बेरा पर कनेक्शन दिये गये हैं ? कृपया प्रत्येक गांव की सूची अलग अलग सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रानीवाड़ा पंचायत समिति के अभी तक काफी गांव जैसे, कोटड़ा, कोडका, वणधर, लाखावास, सामरानी, वगैरह आर.ई.सी. में नहीं लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन गांवों को विद्युत् से जोड़ने हेतु कोई अलग स्कीम बनाई गई है ? यदि हां, तो कब और कब तक इन गांवों को विद्युत् से जोड़ दिये जायेंगे ?

(1) रानीवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में चार ग्राम करड़ा, चाटवाडा, दीगांव और दांतावाड़ा डी.डी.पी स्कीम के तहत दिनांक 31-3-82 को विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। इन गांवों में अभी कोई कनेक्शन नहीं दिया गया क्योंकि वर्ष 1982–83 के ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत इनको कनेक्शन देने का कोई प्रावधान नहीं था।

(2) जी नहीं। हाल ही में प. स. रानीवाड़ा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतिकरण करने के लिये एक ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना अलग से निगम द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत गांव कोटड़ा, कोड़का, वणधर, लालावास और सामरानी का विद्युतिकरण करना भी सम्मिलित है। योजना में सम्मिलित ग्रामों का विद्युतिकरण आगामी वर्षों में संसाधनों एवं विद्युत् की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये बनाये जाने वाले ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम पर निर्भर करेगा।

चौमूं से चन्दवाजी सड़क का निर्माण

693. श्री तेजपाल यादव (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) नेशनल हाई वे नं. 8 व नेशनल हाई वे नं. 11 को मिलाने वाली चौमूं से चन्दवाजी सड़क का निर्माण किस वर्ष में किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक इस सड़क की पुलियाओं का निर्माण नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों व अब इसको सरकार कब तक पूर्ण करवा देगी?

उत्तर

(1) नेशनल हाई वे 8 से नेशनल हाई वे नं. 11 को मिलाने वाली चौमूं चन्दवाजी सड़क का निर्माण वर्ष 1965-66 में किया गया था।

(2) जी हां। इस सड़क पर दो पुलियों के निर्माण का ठेका देने के बाद भी पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था। ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है तथा शेष कार्य को 1983-84 में पूर्ण किये जाने की संभावना है। एक पुलिया तथा बांडी नदी पर वेन्टेड कोजवे निर्माण कार्य सीमेंट समय पर प्राप्त न होने के कारण पूर्ण नहीं हुए है। कार्य प्रगति पर हैं।

कार्यालय "होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार" का एक हिस्सा सबलेट करने बाबत

694. श्री जीतमल जैन (अलवर):-क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर में "होलसेल सहकारी उपभोक्ता भंडार" ने अपने कार्यालय का एक हिस्सा कांग्रेस पार्टी (आई) को सबलेट किया हुआ है?

(2) यदि हां, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा कितना किराया उपभोक्ता भंडार को दिया जाता है और किस तिथि तक किराये का भुगतान कर दिया है?

उत्तर

(1) अलवर में होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार के द्वारा अपने कार्यालय का एक हिस्सा कांग्रेस पार्टी (आई) को सबलेड किये जाने के सम्बन्ध में मामला मुंसिफ न्यायालय अलवर के विचाराधीन है।

(2) मामला सबज्युडिस है।

**सांगानेर स्थित केरोसीन डीलर के स्टॉक की जांच**

695. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या रसद एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सांगानेर, जिला जयपुर स्थित केरोसीन डीलर फर्म श्यामलाल राधा मोहन के यहां दिनांक 16-10-1982 को जांच इन्सपेक्टर; रसद विभाग ने स्टॉक से अधिक केरोसीन होना बताया है ?

(2) यदि हां, तो अतिरिक्त पाया गया केरोसीन किसके द्वारा, किसकी मौजूदगी में, किसके द्वारा प्रमाणित गवाही से, किस को सुपुर्द किया गया ? क्या भौतिक सत्यापन के बाद स्टाक रजिस्टर में जांच अधिकारी की टिप्पणी व विवरण अंकित किया गया ? यदि नहीं, तो जांच में समुचित प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या उक्त डीलर के विरुद्ध कम मापने, अधिक राशि लेने या समय पर केरोसीन वितरण नहीं करने की कोई शिकायत इस वर्ष सरकार को प्राप्त हुई है ?

(4) क्या उक्त डीलर को कोई स्पष्टीकरण देने के लिये सूचित किया गया ? यदि हां, तो कब ? क्या उसको रसद विभाग से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनवाई का मौका दिया गया ? क्या उनको सुने बिना ही उस पर जुर्माना कर दिया गया ?

(5) क्या उक्त डीलर का लाइसेन्स दिनांक 10-12-1983 को बहाल कर दिया गया ? क्या उक्त इन्सपेक्टर द्वारा उक्त डीलर को केरोसीन प्राप्ति में बाधा दी जाने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है यदि हां, तो उक्त विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) श्री फतेहदान बारेठ, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच के दौरान 24 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। अल्प मात्रा होने के कारण दोषी व्यवसायी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पर्याप्त समझते हुए, केरोसिन जब्त नहीं किया गया। जब्त नहीं किए जाने के कारण सुपुर्दगी में दिये जाने का प्रश्न नहीं उठा। स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्टॉक रजिस्टर में टिप्पणी अंकित नहीं की जा सकी।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। नोटिस दिनांक 4-11-82 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया। व्यवसायी द्वारा दिनांक 4-12-82 को स्पष्टीकरण दिया गया, दिनांक 10-12-82 को व्यवसायी को सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 300/- रुपये जब्त सरकार की गयी।

(5) जी हां। डीलर का लाइसेन्स दिनांक 10-12-82 को बहाल कर दिया गया। राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अतः शिकायत पर कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र

696. श्री देवव्रत तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर के गठन के समय उसके विद्यार्थियों की संख्या लगभग 13 हजार थी जो अब बढ़कर 3 लाख के लगभग हो गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसका कार्य क्षेत्र भी काफी बढ़ गया है जिसके कारण न केवल सभी छात्रों एवं विभागों पर अनुशासन एवं नियंत्रण रखना कठिन हो गया है, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन की शिथिलता के कारण समय पर परीक्षायें आयोजित कर, सही परीक्षा परिणाम समय पर निकालना भी दूभर हो गया है ?

(3) क्या ऐसी स्थिति में सरकार वर्तमान विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र सीमित कर अजमेर क्षेत्र के लिये वहां पृथक् विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरीस्डिक्शन) में वृद्धि नहीं हुई किन्तु संकायों, परीक्षाओं, महाविद्यालयों एवं परीक्षार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई हैं।

अतः एक ओर विश्वविद्यालय के कार्य में वृद्धि हुई है एवं दूसरी ओर सीमित साधनों एव स्थानीय समस्याओं के कारण सुधार के प्रयासों के भरसक प्रयत्नों के बावजूद विश्वविद्यालय को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(3) जी नहीं। वित्तीय अभाव के कारण फिलहाल नया विश्वविद्यालय खोलने का विचार नहीं है।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय खोलने की योजना

697. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : -क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में क्या नए अतिरिक्त सत्र न्यायालय खोले जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों में खोले जाने का प्रस्ताव है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

चित्तौड़गढ़ जिले के अकालग्रस्त गांव

698. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने गांव अकाल से प्रभावित है और अब तक राज्य सरकार ने कितने गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया है ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अकालग्रसत घोषित गांवों में से कितने-कितने लोगों को कब-कब रोजगार दिया गया ? कृपया तहसीलवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल मीणा )

(3) क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़ में जनवरी, 1983 तक केवल 200 लोगों को ही मजदूरी दी गई ? यदि नहीं तो जनवरी, 1983 में कब कहां, कैसा कार्य शुरू किया और कितने श्रमिकों को रोजगार दिया गया ?

(4) सरकार के पास प्रस्तुत अकाल राहत कार्यों में से कितने कार्यों की मंजूरी दी जा चुकी है ? कृपया तहसीलवार प्राप्त प्रस्ताव एवं दी गई स्वीकृति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के कुल 2365 ग्रामों में से 2111 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं इनका तहसीलवार विवरण तालिका "1" में दिया गया है जो सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इस जिले में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अब तक 298 में राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनका अभिकरण-वार विवरण तालिका "2" में है जो सदन के पटल पर रख दी गई है। दिनांक 10-3-83 से राहत कार्यों पर 18896 श्रमिक कार्यरत थे। इनका तहसीलवार विवरण तालिका "3" में दिया गया है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। तब से श्रमिकों की संख्या में और वृद्धि हुई है।

(3) जनवरी, 83 में तहसील प्रतापगढ़ में 303 श्रमिकों को राहत कार्यों पर काम मिला। उसका विवरण तालिका "4" में दिया गया है।

(4) स्वीकृत राहत कार्यों का तहसील-वार अभिकरण विवरण तालिका "2" में दिया गया है जो सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अभावग्रस्त ग्रामों की तालिका—1

| क्र.सं. | नाम तहसील | तहसील के कुल ग्राम | संवत् 2039 में अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | चित्तौड़गढ़ | 203 | 203 |
| 2. | कपासन | 188 | 148 |
| 3. | राशमी | 84 | 42 |
| 4. | गंगरार | 157 | 157 |
| 5. | बेगूं | 462 | 403 |
| 6. | निम्बाहेड़ा | 172 | 80 |
| 7. | प्रतापगढ़ | 531 | 531 |
| 8. | छोटी सादड़ी | 150 | 135 |
| 9. | बड़ी सादड़ी | 145 | 144 |
| 10. | भदेसर | 168 | 164 |
| 11. | डूंगला | 105 | 104 |
| | योग :— | 2365 | 2111 |

तालिका-2

| क्र. सं. | नाम तहसील | नाम प्रभिकरण एवं स्वीकृत कार्य संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सा. नि. वि. | सिंचाई | वन | भू-संरक्षण | योग |
| 1. | चित्तौड़गढ़ | 24 | 3 | 5 | 3 | 35 |
| 2. | कपासन | 21 | 18 | – | 5 | 44 |
| 3. | राशमी | 13 | 10 | 2 | 4 | 29 |
| 4. | गंगरार | 10 | 6 | 3 | 4 | 23 |
| 5. | बेगूं | 28 | 17 | 18 | 3 | 66 |
| 6. | निम्बाहेड़ा | 7 | 3 | 1 | – | 11 |
| 7. | प्रतापगढ़ | 19 | 5 | 11 | 2 | 37 |
| 8. | छोटीसादड़ी | 5 | 4 | 2 | – | 11 |
| 9. | बड़ी सादड़ी | 2 | 2 | 1 | – | 8 |
| 10. | भदेसर | 5 | 8 | 1 | – | 14 |
| 11. | डूंगला | 9 | 8 | – | 3 | 20 |
| | योग | 146 | 86 | 42 | 24 | 298 |

तालिका-3

| क्र. सं. | नाम तहसील | नियोजित किये गये श्रमिक | नियोजन प्रवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | चित्तौड़गढ़ | 1830 | दिसम्बर, 82 से मार्च 1983 तक |
| 2. | कपासन | 3457 | – ,, ,, – |
| 3. | राशसी | 1945 | – ,, ,, – |
| 4. | गंगरार | 1815 | – ,, ,, – |
| 5. | बेगूं | 3421 | – ,, ,, – |
| 6. | प्रतापगढ़ | 2339 | – ,, ,, – |
| 7. | निम्बाहेड़ा | 1015 | फरवरी, 83 से मार्च, 83 तक |
| 8. | बड़ी सादड़ी | 572 | – ,, ,, – |
| 9. | छोटी सादड़ी | 533 | – ,, ,, – |
| 10. | भदेसर | 752 | – ,, ,, – |
| 11. | डूंगला | 1210 | दिसम्बर, 82 से मार्च, 83 तक |
| | योग | 18896 | |

285

तालिका – 4

| क्र.सं. | नाम कार्य | चालू दिनांक | जनवरी, 83 में श्रमिक संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | आम्बीरामा वन खण्ड कार्य | 26-12-82 | 70 |
| 2. | रायपुर वन खण्ड कार्य | ,, | 47 |
| 3. | राशियामगरा कार्य | ,, | 45 |
| 4. | जातला वन खण्ड | ,, | 56 |
| 5. | ग्यासपुरा वन खण्ड | ,, | 33 |
| 6. | चिकलाड़ वन खण्ड | 27-12-82 | 52 |
| | | | 303 |

पंचायत समिति, सराड़ा द्वारा भवनों का निर्माण

699. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, सराड़ा क्षेत्र में 1982 में कितने सरकारी भवनों का निर्माण किया गया है ? कृपया ऐसे भवनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति द्वारा ऐसे कितने भवन बनाये गये हैं जो अधूरे पड़े हैं, जिनमें मिडिल स्कूल, प्राईमरी स्कूल, आयुर्वेदिक भवन व पंचायत भवन हैं ? यदि हां, तो अधूरे भवनों का कार्य कब किया गया उस पर कितना रुपया सरकार का खर्च हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि सन् 1982 में इन भवनों को पूर्ण करने हेतु रुपया दिया गया फिर भी पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सराड़ा में 1982 में 6 सरकारी भवनों पर निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। सूची [प्रपत्र 'क'] सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2 एवं 3) इन निर्माण कार्यों का संबंध सार्वजनिक निर्माण विभाग से नहीं है।

सूची

प्रपत्र–"क"

सराड़ा तहसील में 1982 में किये गये भवन निर्माण कार्यों की सूची

1. मिनी हैल्थ सेन्टर देवपुरा का निर्माण कार्य
2. स्टाफ क्वार्टर सेमारी (2 नं.)
3. स्टाफ क्वार्टर थाना
4. स्टाफ क्वार्टर इन्टाली-खेड़ा
5. फिश फार्म जयसमन्द का निर्माण कार्य
6. प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पलोदड़ा

नगरपालिका, चिड़ावा द्वारा जारी सीमेंट के परमिट

700. श्री हजारी लाल शर्मा (पिलानी) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अध्यक्ष नगरपालिका, चिड़ावा द्वारा सीमेंट के फर्जी परमिट जारी करने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ?

(2) क्या इस मामले की जांच की गई ? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ? नहीं तो कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

(3) क्या जांच में अध्यक्ष को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। जिलाधीश द्वारा सहायक जन अभियोक्ता से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। जिलाधीश द्वारा, परामर्श प्राप्त होने पर, नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राज्य में नये कालेज खोलने की योजना

701. श्री फते सिंह (कुशलगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार वर्तमान में राज्य में नये कालेज खोलने की योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा का वर्तमान भवन जन सहयोग द्वारा निर्मित किया गया है ? इस भवन के निर्माण में सरकार का क्या योगदान रहा है ?

(3) क्या सरकार कुशलगढ़ उप जिला मुख्यालय पर बनाये गये भवन में कालेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में कहीं पर भी नया राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं रखा है।

(2) कुशलगढ़ ( जिला बांसवाड़ा ) में कालेज के लिये जन सहयोग द्वारा भवन निर्मित कराने की सूचना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

(3) जी, नहीं।

### ग्राम गडरा रोड़ व हरसानी (बाड़मेर) का विद्युतीकरण

702. श्री अमीन खां (शिव)—क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के सीमावर्ती कस्बा गड़रा रोड़ व हरसानी की जनता ने प्राइवेट कनेक्शनों के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ?

(2) क्या उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण शीघ्र कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) बाड़मेर जिले के ग्राम सवाऊ-पदमसिंह व तेनउ शहर में विद्युत् व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1982-83 में ग्राम गढरा रोड एवं हरसोनी की जनता ने कनेक्शन के लिए आवेदन-पत्र दिये है।

(2) ग्राम गडरा रोड व हरसोनी को दिनांक 12-3-1981 को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(3) बाडमेर जिले के ग्राम सवाऊ पदम सिंह व शहर ग्रामों को विद्युतीकृत करना चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है परन्तु इनके विद्युतीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 1983-84 में पूरा किये जाने की संभावना है। ग्राम रतेऊ पं. स. बायतू क्षेत्र II की स्वीकृत योजना में सम्मिलित है किन्तु इस साल के फेज प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं है। इसका विद्युतिकरण आगामी वर्षों में संसाधनों एवं विद्युत उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये बनाये जाने वाले ग्रामीण विद्युतिकरण के कार्यक्रम पर निर्भर करेगा।

### बैंक गांवों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक जिला जयपुर को प्राप्त ऋण प्रार्थना-पत्र

703. श्री नाथू सिंह (बांदीकुई)

श्री भैरू सिंह गूर्जर (खारची) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा माह अक्टूबर 1982 में "बैंक चले गांवों की ओर" कार्यक्रम के अंतर्गत जयपुर जिले की किन-किन तहसीलों से कितने-कितने ऋण प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये उनमें कितने-कितने स्वीकृत किये गये व कितने कितने किसानों से रहन-पत्र भरवाये गये ?

(2) किस-किस तहसील को कितनी-कितनी राशि किस-किस उद्देश्य हेतु स्वीकृत की गई ? उसमें से तहसीलवार कितनी-कितनी राशि किस-किस उद्देश्य हेतु कब-कब दी गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि लालसोट तहसील में 25 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो उसमें से कितनी राशि का किस-किस उद्देश्य हेतु भुगतान किया गया ?

(288)



उत्तर

(1) जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा माह अक्टूबर 82 में चार तहसीलों चौमूं, आमेर, बस्सी एवं लालसोट में ऋण शिविर आयोजित कर क्रमश: 332 6, 349 एवं 351 कुल 1038 आवेदन-पत्र प्राप्त किये गये तथा 214, 6, 312, 151 कुल 638 ऋण आवेदन-पत्र स्वीकृत किये गये एवं 211, 5,307 एवं 109 कुल 632 रहन-पत्र भरवाये गये ।

(2) तहसीलवार एवं उद्देश्यवार ऋण स्वीकृत तथा तिथिवार ऋण वितरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। लालसोट तहसील में केवल 13.42 लाख ऋण राशि स्वीकृत की गई थी उसमें से केवल 42,000/– का भुगतान (एक नवीन चाह हेतु 3,000/– एवं पांच पम्प सेट हेतु 39,000 रुपये) किया गया है।

तहसील चौमूं :– जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर

| क्र.सं. | नाम मय वल्दियत | मांग राशि | उद्देश्य | पेन्डिंग रहने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | नरेन्द्र सिंह/शिवसिंह | 79,000 | ट्यूबवैल | रा. स. भू. वि. बैंक में विचाराधीन |
| 2. | ज्ञान/छोटूलाल | 25,000 | नया चाह पम्पसैट | आक्षेप पूर्ति |
| 3. | बद्री/बल्लू | 10,000 | फार्म हाऊस | ,, |
| | सुवा/मोटा | 15,000 | नया चाह | ,, |
| 5. | श्रीमती मन्नी/जवाहर | 30,000 | चाह वि. मोटर | प्रार्थी ऋण नहीं लेना चाहता |
| 6. | बन्शी/नारायण | 24,000 | चाह वि. मोटर | प्रार्थना-पत्र वापिस ले लिया |
| 7. | नारायण/कालू | 15,000 | नया चाह | आक्षेप पूर्ति |
| 8. | दौलत/भूरा राम | 7,500 | चाह गहरा | ,, |
| 9. | रामदयाल/छगना | 12,500 | धोरा | खारिज |
| 10. | वीजा/परता | 9,000 | नया चाह | मूल्यांकन रिपोर्ट हेतु |
| 11. | शिवदयाल/गंगाराम | 20,000 | ,, | आक्षेप पूर्ति |
| 12. | रामकुमार/नन्दा | 16,000 | ,, | ,, |
| 13. | रूड़मल/जयनारायण | 10,000 | फार्म हाऊस | मूल्यांकन रिपोर्ट हेतु |
| 14. | सुघन/गणेश | 7,000 | पम्प सैट | आक्षेप पूर्ति |
| 15. | चुन्या/हुकमा | 15,000 | नया चाह/पम्पसैट | ,, |
| 16. | रामस्वरूप/त्रिलोक | 1[illegible],000 | पम्प सैट | आक्षेप पूर्ति |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. | रामू/बालू | 10,800 | पम्पसेट | आक्षेप पूर्ति |
| 18. | उदा/सीताराम | 15,000 | ,, | ,, |
| 19. | मंगला/बूड़ा | 21,000 | फार्म हाउस | ,, |
| 20. | नानगा/मांगू | 25,000 | पशुगृह | ,, |
| 21. | नाथू/चुन्नीलाल | 21,000 | फार्म हाउस | स्वीकृति हेतु |
| 22. | श्योसहाय/हनुमान | 11,500 | पम्पसेट | आक्षेप पूर्ति |
| 23. | नानू/रामचन्द्र | 25,000 | फार्म हाउस | ,, |
| 24. | हनुमान/डूंगा | 15,000 | पशुगृह | ,, |
| 25. | मोरियां/जीवन | 20,000 | ,, | ,, |
| 26. | रामू/गणेश | 20,000 | ,, | ,, |
| 27. | कजोड़/महादेव | 30,000 | फार्म हाउस | ,, |
| 28. | महादेव/चौमा | 20,000 | ,, | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 29. | महादेव/मंगला | 15,000 | नया चाह | ,, |
| 30. | शंकरलाल/विरधी | 20,000 | ,, | आक्षेप पूर्ति |
| 31. | काना/चौखा | 35,000 | नया चाह पशुगृह | ,, |
| 32. | नानगा/गंगाराम | 13,000 | नया चाह धोरा | ,, |
| 33. | सूवा/मोती | 30,000 | चाह पशुगृह | ,, |
| 34. | बालू/मंगला | 25,000 | नया चाह पम्पसेट | ,, |
| 35. | महादेव/मांगा | 10,000 | पम्पसेट | स्वीकृति हेतु |
| 36. | माना/हरसहाय | 26,000 | पशुगृह | आक्षेप पूर्ति |
| 37. | सूरजा/लाला | 10,000 | चाह मरम्मत | ,, |
| 38. | सुख्या/धन्ना | 6,000 | धोरा | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 39. | मुरलीधर/बोज्या | 5,000 | पाईप लाइन | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 40. | गंगू/चतरा | 27,500 | पशुगृह | आक्षेप पूर्ति |
| 41. | मन्नी/सूंडा | 10,000 | पम्पसेट | प्रार्थी ऋण नहीं चाहता |
| 42. | सुलतान/लादू | 6,000 | ,, | आक्षेप पूर्ति |
| 43. | प्रभात/किशन | 8,000 | चाह मरम्मत | ,, |
| 44. | प्रभात/नन्दराम | 15,000 | धोराहोद | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 45. | जैन/बिरंजा | 10,000 | धोरा | ,, |
| 46. | मंगला/गणेश | 2,000 | ,, | ,, |
| 47. | प्रभु/नानगनाथ | 20,000 | फार्म हाउस | आक्षेप पूर्ति |
| 48. | मांगू/छोटू | 10,000 | ,, | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 49. | पुरा/मांगीलाल | 15,000 | धोराहोद | ,, |
| 50. | नारायण/चन्दा | 27,500 | पाईप लाइन | ,, |

290



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 51. | भैरू/लाला | 10,000 | फार्म हाउस | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 52. | नाथू/मीना | 10,000 | पशुगृह | आक्षेप पूर्ति |
| 53. | नांगल/सेडू | 33,000 | धोरा होदा | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 54. | निरमेश/पुरुषोत्तम | 15,000 | पाईपलाइन पशुगृह | ,, |
| 55. | जगदीश/गोपाल | 22,000 | नवकूप | आक्षेप पूर्ति |
| 56. | अमरसिंह/नाथूसिंह | 23,000 | पम्पसैट फार्म हाउस | ,, |
| 57. | कैसा/छोटू | 20,000 | चाह पम्पसैट, | ,, |
| 58. | मांगू/जोधा | 25,000 | फार्म हाउस | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 59. | मांगीलाल/बेघा | 20,000 | चाह पम्पसैट | आक्षेप पूर्ति |
| 60. | हरिसिंह/चन्द्रसिंह | 12,000 | इन्जन चाह गहरा | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 61. | सीता/जगन्नाथ | 25,000 | चाह | आक्षेप पूर्ति |
| 62. | मंगला/सुरना | 20,000 | ,, | ,, |
| 63. | दिनेश/सूरजनारायण | 14,000 | चाह | स्वीकृति हेतु |
| 64. | गणेश/चौथू | 20,000 | फार्म हाउस | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 65. | कालू/रघुनाथ | 20,000 | ,, | ,, |
| 66. | माधू/मूरली | 10,000 | धोरा | ,, |
| 67. | राधेश्याम/रूपा | 11,000 | पाईप लाइन | आक्षेप पूर्ति |
| 68. | हनुमान/भैरू | 20,000 | फार्म हाउस | ,, |
| 69. | सुगनसिंह/गोपाल | 15,000 | पशुगृह | ,, |
| 70. | श्रवण/चतरसिंह | 30,000 | ,, | ,, |
| 71. | जमना/नारायण | 20,000 | ,, | ,, |
| 72. | जगदीश/हनुमान | 10,500 | होद धोरा | पत्रावली वापिस लौटाई गई |
| 73. | नारायणसिंह/गणपतसिंह | 19,500 | नवीन चाह | आक्षेप पूर्ति |
| 74. | श्योनारायण/मंगला | 10,000 | पाईप लाइना | ,, |
| 75. | चौथमल/आनन्दीलाल | 12,500 | चाह पम्पसैट | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 76. | छीतर/बिरदाराम | 10,000 | चाह गहरा | ,, |
| 77. | बोदू/हुकमा | 15,000 | फार्म हाऊस | ,, |
| 78. | हुकमसिंह/बिरधसिंह | 5,000 | धोरा | पत्रावली वापिस लौटायी |
| 79. | ईश्वर/आशा | 10,000 | धोरा होद | स्वीकृति हेतु |
| 80 | गोपी/हुकमा | 4,000 | धोरा | ,, |
| 81. | कल्याण/भीमा | 15,000 | चाह गहरा पाइप | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 82. | धन्ना/मुरलीधर | 15,000 | फार्म हाउस | आक्षेप पूर्ति |
| 83. | छोटू/मांगू | 8,000 | पम्पसैट | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 84. | प्रभू/भूरा | 5,000 | धोरा | स्वीकृति हेतु |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 85. | प्रभात/खागा | 25,000 | फार्म हाउस | स्वीकृति |
| 86. | मांगू/जग्गू | 25,000 | चाह पम्पसैट | स्वीकृति हेतु |
| 87. | भूंथा/मोती | 25,000 | चाह गहरा | आक्षेप पूर्ति |
| 88. | भीमा/नारायण | 24,000 | पशुगृह | ,, |
| 89. | चन्दा/मांगू | 6,000 | धोरा | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 90. | गंगा/श्योनाथ | 15,000 | चाह | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 91. | गूल्ला/किशना | 67,000 | इन्जन धोरा पशुगृह | ,, |
| 92. | नारायण/सालगा | 18,000 | नवीन चाह पम्पसेट | मूल्यांकन हेतु |
| 93. | सोहन/नारायण | 10,000 | फार्म हाउस | स्वीकृति हेतु |
| 94. | रामचन्द्र/धन्ना | 30,000 | पशुगृह | ,, |
| 95. | ग्यारसा/सुरज्या | 3,000 | धोरा | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 96. | भूरामल/जगनाथ | 10,000 | नवीन चाह. | स्वीकृति हेतु |
| 97. | रामेश्वर/गंगू | 16,000 | फार्म हाउस | ,, |
| 98. | हनुमान/रामनाथ | 15,000 | पशु गृह | आक्षेप पूर्ति |
| 99. | नारायण/रामदेव | 28,000 | फार्म हाउस | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 100. | मूलचन्द/साबूराम | 10,000 | ,, | ,, |
| 101. | पुष्कर/कालूराम | 10,000 | वि. मोटर | ,, |
| 102. | रामदेव/श्योजीराम | 22,500 | फार्म हाउस धोरा | आक्षेप पूर्ति |
| 103. | बुद्धा/नानगराम | 25,000 | होद निर्माण | ,, |
| 104. | केसा/बालू | 5,000 | धोरा | ,, |
| 105. | हनुमान/नाथ | 15,000 | फार्म हाउस | स्वीकृति हेतु |
| 106. | भगवान/नाथू | 15,000 | ,, | ,, |
| 107. | जयनारायण/नाथू | 15,000 | ,, | ,, |
| 108. | लक्ष्मीनारायण/नाथू | ,, | ,, | ,, |
| 109. | भगवानसहाय/गोविन्द | ,, | ,, | ,, |
| 110. | हीरा/मांगू | 7,000 | ,, | ,, |
| 111. | प्रभात/भूरा | 12,000 | धोरा | मूल्यांकन रिपोर्ट |
| 112. | नानगा/नाथू | 20,000 | नया चाह | आक्षेप पूर्ति |
| 113. | रामसहाय/धन्ना | 30,000 | चाह फार्म हाउस | ,, |
| 114. | सेवा/धन्ना | 30,000 | चाह गहरा, धोरा | ,, |
| 115. | भेरू/नारायण | 16,000 | नयाचाह, पम्पसैट | ,, |
| 116. | रघुनाथ/मांगू | 7,000 | पम्पसैट | स्वीकृति हेतु |
| 117. | भूरा/श्योजी | 17,000 | चाह मरम्मत व फार्म हाउस | ; |
| 118. | रोडमल/सुगना | 25,000 | धोरा पशुगृह | आक्षेप पूर्ति |

292



तहसील :–बस्सी

| क्रमांक | नाम मय वल्दियत | मांग राशि | उद्देश्य | पैण्डिग रहने के कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री गुल्ला/रामनाथ | 21000/- | फार्महाउस चा. मरम्मत | मूल्यांकन हेतु |
| 2. | श्री जगदीश/भौंरीलाल | 30000/- | फार्महाउस धोरा | ,, |
| 3. | श्री भोमा/ननगा | 15000/- | नवकूप | ,, |
| 4. | श्री लक्ष्मीनरायण/ जयनारायण | 45000/- | पशुगृह, धोरा चा. मरम्मत | ,, |
| 5. | श्री कल्या/मंगाराम | 2500 0/- | पशुगृह | ,, |
| 6. | श्री रामचन्द्र/मंगला | 150 00/- | ,, | ,, |
| 7. | श्री हरसहाय/किशना | 8000/- | पंपसैट | ,, |
| 8. | श्री रामचन्द्र/गोविन्दा | 15000/- | पशुगृह | ,, |
| 9. | श्री भंवरलाल/कल्याण | 23000/- | नवकूप, पंपसैट | ,, |
| 10. | श्री कल्या/नोला | 25000/- | नवकूप, पशुगृह | ,, |
| 11. | श्री रेवड़/रामदेव | 8500/- | पंपसैट | ,, |
| 12. | श्री रामसहाय/भूराराम | 10000/- | पशुगृह | ,, |
| 13. | श्री सीताराम/रामजीलाल | 35000/- | चा. मरम्मत गहरा | ,, |
| 14. | श्री देवा/सूजा | 15000/- | नवकूप | ,, |
| 15. | श्री लेड/शंकर | 15000/- | ,, | ,, |
| 16. | श्री छगन्या/देवा | 8000/- | पंपसैट | ,, |
| 17. | श्री कल्या/नारायण | 8000/- | ,, | ,, |
| 18. | श्री रामचन्द्र/लादू | 8000/- | ,, | ,, |
| 19. | श्री भगवान/कालूराम | 15000/- | चा. गहरा, मरम्मत | ,, |
| 20. | श्री भूथा/भैरू | 8000/- | नवकूप | ,, |
| 21. | श्री जगदीश/गोविन्दा | 20000/- | फार्महाऊस | ,, |
| 22. | श्री मोहनराम/बुद्धाराम | 15000/- | नवकूप | ,, |
| 23. | श्री बद्री/प्रताप | 16000/- | ,, | ,, |
| 24. | श्री रामू/सांवला | 8000/- | चाहमरम्मत | ,, |
| 25. | श्री काना/हामगोपाल | 15000/- | धोरा | आक्षेप पूर्ति हेतु |
| 26. | श्री रामसहाम/घनश्याम | 6000/- | पंपसैट | ,, |
| 27. | श्री घीसा/रुगनाथ | 10000/- | नवकूप | ,, |
| 28. | श्री तेजा/मोती | 12000/- | पंपसैट | ,, |
| 29. | श्री दुर्गालाल/भौंरीलाल | 10000/- | पशुगृह | ,, |
| 30. | श्री कृष्ण/ओंकार | 6000/- | नवकूप | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 31. | श्री किशना/रामनाथ | 15000/- | पंपसैट | आक्षेप पूर्ति हेतु |
| 32. | श्री शंकर/चंद्रा | 10000/- | नवकूप | " |
| 33. | श्री कल्या/छोटू | 10000/- | पशुगृह | " |
| 34. | श्री गोरिया/पांचू | 8000/- | फार्महाऊस | " |
| 35. | श्री कल्यां/प्रताप | 15000/- | पंपसैट | " |
| 36. | श्री छोटू/पांच्या | 15000/- | पशुगृह | " |
| 37. | श्री किश्तुरां/गणेश | 15000/- | नवकूप | " |

तहसील–लालसोट

| क्रमांक | नाम ऋणी मय पिता | मांग की गई राशि | उद्देश्य | बकाया रहने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | फूलचन्द/गोकुलचन्द | 7800.00 | पंपसैट | राज. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण क्षमता प्राप्त न होने के कारण |
| 2. | भंवरसिंह/रतनसिंह | 13800.00 | वाहगहरा | " |
| 3. | मांगीलाल/भोरया | 8000.00 | पंपसैट | " |
| 4. | गंगा विशन/बिरदी | 6500.00 | " | " |
| 5. | रिशीकेश/हरिचंदा | 5500.00 | " | " |
| 6. | मंगला/हबरू | 5600.00 | " | " |
| 7. | सीमल्या/सोन्या | 8000.00 | " | " |
| 8. | नारायण/नानगा | 7000.00 | " | " |
| 9. | लाला/कान्यो | 7000.00 | " | " |
| 10. | रामसहाय/गोपाल | 6000.00 | " | " |
| 11. | मूल्यां/घासी | 8500.00 | " | " |
| 12. | गोरिया/भुवाना | 7500.00 | " | " |
| 13. | गोपी/भूरा | 9500.00 | " | " |
| 14. | लादू/गुल्ला | 8000.00 | " | " |
| 15. | जगदीश/श्रीराम | 8000.00 | वा. गहरा | " |
| 16. | शिवराज/सरदान | 9000.00 | डी. पम्प | " |
| 17. | गंगासहाय/रामकुंवार | 9600.00 | " | " |
| 18. | कैलाशचन्द/घासी | 8000.00 | " | " |
| 19. | श्रीमतीदुर्गादेवी/मिश्रीलाल | 20000.00 | न. कूप | " |
| 20. | श्रीसुवा/हरला | 8000.00 | डी. पम्प | " |
| 21. | ललितमोहन/गोरिला | 11000.00 | वा. मरम्मत | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 22. | कल्या/गेन्दा | 8500.00 | डी. पम्प | राजस्थान राज्य |
| 23. | हीरा/कल्याण | 9000 00 | ,, | सह.भू.वि.बैंक लि. |
| 24. | कान्या/सोन्या | 15000.00 | नवकूप | जयपुर से ऋण |
| 25. | जगदीश/काल्या | 9000.00 | पम्पसैट | क्षमता प्राप्त न |
| 26. | सुखदेव/छोटू | 9500.00 | ,, | होने के कारण |
| 27. | बद्री/प्रताप | 15000.00 | नवकूप | ,, |
| 28. | सीताराम/नारायण | 15000.00 | ,, | ,, |
| 29. | मूल्या/नन्दा | 7800.00 | पम्पसैट | ,, |
| 30. | कल्या/ग्यारसा | 15000.00 | नवकूप | ,, |
| 31. | प्रभू/नारायण | 8000.00 | पम्पसैट | ,, |
| 32. | भौरया/अर्जुन | 8500.00 | ,, | ,, |
| 33. | मूल्या/सुखदेव | 16000.00 | नवकूप | ,, |
| 34. | गोपाल/बृजमोहन | 8000.00 | चा. गहरा | ,, |
| 35. | चतरू/गोरधन | 8000.00 | पम्पसैट | ,, |
| 36. | रामपाल/काना | 15000.00 | नवकूप | ,, |
| 37. | नानगा/लोहड़ा | 8000.00 | पम्पसैट | ,, |
| 38. | भगवाना/पांचा | 8000.00 | ,, | ,, |
| 39. | पून्या/भौरया | 7900.00 | ,, | ,, |
| 40. | रामेश्वर/कन्हैयालाल | 15000.00 | नवकूप | ,, |
| 41. | रतीराम/पन्नालाल | 8000.00 | पम्पसैट | ,, |
| 42. | नानगा/पांचू | 15000.00 | नवकूप | ,, |
| 43. | दीनखां/छीतरखां | 15000.00 | ,, | ,, |
| 44. | चिमना/कालू | 9000.00 | पम्पसैट | ,, |
| 45. | नानगा/खिवरा | 25000.00 | नवकूप, पम्पसैट | ,, |
| 46. | गंगाराम/चन्द्रा | 10000.00 | नयाचाह | ,, |
| 47. | प्रभू/सुवा | 7800.00 | पंपसैट | ,, |
| 48. | रामलाल/नाथू | 12000.00 | पंपसैट | ,, |
| 49. | नानगा/शिवनारायण | 15000.00 | नयाचाह | ,, |
| 50. | मूलचन्द/मथुरालाल | 15000.00 | नयाचाह | ,, |
| 51. | सूरजमल/रामदेव | 15000.00 | नयाचाह | ,, |
| 52. | ओंकार/भौंरीलाल | 15000.00 | नयाचाह | ,, |
| 53. | रंगा/ग्यारसा | 8000.00 | चाहगहरा | ,, |
| 54. | छिड़िया/भूरा | 7900.00 | पंपसैट | ,, |
| 55. | मेवा/श्रवणिया | 8000.00 | चाहगहरा | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 56. | धन्ना/जीवंण | 19000.00 | नयाचाहपम्पसैट | राजस्थान राज्य |
| 57. | रामजीलाल/नथ्या | 16000.00 | नयाचाह | सह.भू.वि.बैंक लि., |
| 58. | किशन/भोला | 7000.00 | ,, | जयपुर से ऋण |
| 59. | सोन्या/रामचन्द्र | 12000.00 | ,, | क्षमता प्राप्त न |
| 60. | कालू/गणेश | 10000.00 | ,, | होने के कारण |
| 61. | कजोड/बंशीधर | 10000.00 | ,, | ,, ,, |
| 62. | घीस्या/मूल्या | 15000.00 | ,, | ,, ,, |
| 63. | नन्दराम/श्योनारायण | 7800.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 64. | धन्ना/रेखा | 20000.00 | नयाचाह पम्पसैट | ,, ,, |
| 65. | सांवला/गुल्ला | 9000.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 66. | ज्वाला/गोपाल | 10000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 67. | सुखजी/किशना | 10000.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 68 | रामस्वरूप/चुन्नीलाल | 10000.00 | फार्महाउस | ,, ,, |
| 69. | छोटू/श्योनारायण | 10000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 70. | बलदेव/कल्याण | 19000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 71. | केसरा/छीतर | 8000.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 72. | भौंरी/रामसुख | 15000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 73. | कन्हैयालाल/रामसुख | 8700.00 | चाहमरम्मत | ,, ,, |
| 74. | भगवाना/मूल्या | 7500.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 75. | श्रवण/ग्यारसा | 7500.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 76. | पूरा/धौंकला | 7500.00 | ,, | ,, ,, |
| 77. | भोल्ला/भूरा | 9000.00 | ,, | ,, ,, |
| 78. | धासी/रामपाल | 15000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 79. | मांग्या/लाखा | 9000.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 80. | श्रीला/मूल्या | 8090.00 | नवकूप | ,, ,, |
| 81. | कालू/रेवड | 15000.00 | ,, | ,, ,, |
| 82. | महादेव/ग्यारसी | 15000.00 | नवकूप | ,, ,, |
| 83. | छोटू/गणेश | 8000.00 | ,, | ,, ,, |
| 84. | गोपाल/परसा | 7900.00 | ,, | ,, ,, |
| 85. | देवीराम/भोरया | 7500.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 86. | दूल्या/भोग्या | 8500.00 | ,, | ,, ,, |
| 87. | हुकमा/उदा | 8500.00 | ,, | ,, ,, |
| 88. | चिरंजी/जिनसी | 7500.00 | ,, | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 89. | श्रीमन्भावन/मूल्या | 8000.00 | नवकूप | राज.रा.सह.भू.वि. |
| 90. | मंगल्या धीवरा | 15000.00 | ,, | बैंक लि. जयपुर से ऋण |
| 91. | किशनलाल/मांग्या | 15000.00 | ,, | वितरण क्षमता प्राप्त |
| 92. | हावडा/गणेश | 12000.00 | ,, | न होने के कारण |
| 93. | रामनाथ/नारायण | 19000.00 | ,, | ,, ,, |
| 94. | रामसहाय/मंगल्या | 15000.00 | ,, | ,, ,, |
| 95. | ग्यारसा/महादेव | 15000.00 | ,, | ,, ,, |
| 96. | सुखदेव/भोमा | 7000.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 97. | सोन्या/काल्या | 11000.00 | ,, | ,, ,, |
| 98. | भोग्या/गिरधारी | 9000.00 | ,, | ,, ,, |
| 99. | पांच्या/मंगला | 5600.00 | ,, | ,, ,, |
| 100. | रामेश्वर/बिरदीचन्द | 8000.00 | ,, | ,, ,, |
| 101. | छीतर/पन्ना | 12000.00 | नवकूप | ,, ,, |
| 102. | गंगाविशन/पांच्या | 15000.00 | ,, | ,, ,, |
| 103. | मंगला/भोरया | 10000.00 | चाहमरम्मत | ,, ,, |
| 104. | कन्हैया/पूरया | 15000.00 | नवकूप | ,, ,, |
| 105. | लालू/मूल्या | 10000.00 | नलकूप | ,, ,, |
| 106. | जेल्या/धन्ना | 8000.00 | धोरा | ,, ,, |
| 107. | जगनाथ/भोरया | 7000.00 | धोरा | ,, ,, |
| 108. | बज्या/भोरया | 70000.00 | धोरा | ,, ,, |
| 109. | पांच्या/किशना | 18000.00 | नवकूप | ,, ,, |
| 110. | गोपा/कल्या | 15000.00 | नवकूप | ,, ,, |
| 111. | हरिनारायण/बद्री | 15000.00 | नवकूप | ,, ,, |
| 112. | हजारी/श्योनारायण | 19000.00 | धोरा | ,, ,, |
| 113. | गंगासहाय/पूरया | 7000.00 | धोरा | ,, ,, |
| 114. | नाथ्या/हटया | 15000.00 | नवकूप | ,, ,, |
| 115. | भगतराम/भोरीलाल | 6000.00 | धोरा | ,, ,, |
| 116. | लक्ष्मीनारायण/गुल्ला | 1000.00 | नवकूप | ,, ,, |
| 117. | गोरधन/ग्यारसा | 7000.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 118. | भमरा/कानगा | 15000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 119. | श्रीया/मूल्या | 15000.00 | ,, | ,, ,, |
| 120. | मूलचन्द/रेवड | 15000.00 | ,, | ,, ,, |
| 121. | लल्लू/भोरीलाल | 9500.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 122. | नारायण/गुलाब | 15000.00 | नयाचाह | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 123. | विलासी/काल्या | 8000.00 | पम्पसैट | राज.रा.सह.भू. वि. बैंक लि. से ऋण वितरण क्षमता प्राप्त न होने के कारण |
| 124. | हरला/कुसला | 15000.00 | नयाचाह्ा | |
| 125. | हरसहाय/रामदेव | 18000.00 | चाह मरम्मत | |
| 126. | प्रभूलाल/मूल्या | 17000.00 | पम्पसैट | |
| 127. | छोटा/रामपाल | 7700.00 | ,, | |
| 128. | शंकर/लालसिंह | 15000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 129. | बद्री/देवीचंद | 7500.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 130. | रामफूल/भौरया | 15000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 131. | मूल्या/सांवला | 20000.00 | ,, | ,, ,, |
| 132. | मेवा/जयकिशन | 15000.00 | ,, | ,, ,, |
| 133. | रामलाल/मांग्या | 15000.00 | ,, | ,, ,, |
| 134. | गोपाल/सरवा | 7500.00 | पंपसैट | ,, ,, |
| 135. | मांग्या/जीवण | 7000.00 | चाहमरम्मत | ,, ,, |
| 136. | शंकरलाल/भौंरीलाल | 5000.00 | धोरा | ,, ,, |
| 137. | भौरया/रामदेव | 15000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 138. | भैरूसिंह/बनेसिंह | 22000.00 | पंपसैट | ,, ,, |
| 139. | हरिनारायण/रामदेव | 12000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 140. | रामसहाय/हरया | 22000.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 141. | बिरदा/पूरया | 20000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 142. | बिसना/पांच्या | 8000.00 | फार्महाउस | ,, ,, |
| 143. | छोटू/नानगा | 20000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 144. | रामचन्द्र/भागीरथ | 12000.00 | नयाचाह | ,, ,, |
| 145. | बुद्धा/धन्ना | 15000.00 | ,, | ,, ,, |
| 146. | नारायण/चन्द्रा | 8000.00 | चाह मरम्मत | ,, ,, |
| 147. | बद्री/ग्यारसा | 10000.00 | नया चाह | ,, ,, |
| 148. | जगन्नाथ/जैला | 7500.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 149. | लक्ष्मी/भौरया | 20000.00 | नलकूप | ,, ,, |
| 150. | पांचू/भैरू | 15000.00 | नवकूप | ,, ,, |
| 151. | रामसहाय/रामचन्द्र | 10000.00 | चाह मरम्मत | ,, ,, |
| 152 | बजरंग/लक्ष्मीनारायण | 6000.00 | ,, | ,, ,, |
| 153. | राधेश्याम/रघुनाथ | 90000.00 | नवकूप पंपसैट | ,, ,, |
| 154. | भौरया/महादेव | 8000.00 | पम्पसैट | ,, ,, |
| 155. | बद्री/कालू | 8000.00 | ,, | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 156. | भौरीलाल/पांचू | 5500.00 | पम्पसैट | राज. रा.सह.भू. | |
| 157. | मूल्या/हट्या | 5000.00 | चाह मरम्मत | वि. बैंक लि. | |
| 158. | गंगाधर/बाल्या | 10000.00 | नवकूप | से ऋण वितरण | |
| 159. | जगन्नाथ/गणेश | 18000.00 | ,, | क्षमता प्राप्त न होने | |
| 160. | लालू/भेरया | 16000.00 | बोरा चाह मरम्मत | के कारण | |
| 161. | रतनलाल/देवीलाल | 15000.00 | नवकूप | ,, | ,, |
| 162. | केसरीदेवी/लक्ष्मीनारायण | 13000.00 | बोरा डीजल पंपसैट | ,, | ,, |
| 163. | जगदीश/केदार प्रसाद | 15000.00 | नवकूप | ,, | ,, |
| 164. | भोर्या/सूज्या | 9000.00 | पंपसैट | ,, | ,, |
| 165. | छाज्या/जयराम | 9000.00 | ,, | ,, | ,, |
| 166. | बजरंग/भूंथा | 15000.00 | चाह मरम्मत | ,, | ,, |
| 167. | रामजीलाल/गंगा | 15000.00 | नवकूप | ,, | ,, |
| 168. | कल्याण/जगनाथ | 8000.00 | चाह मरम्मत | ,, | ,, |
| 169. | लोहड्या/माल्या | 9000.00 | पंपसैट | ,, | ,, |
| 170. | राधेश्याम/रुघनाथ | 25500.00 | चाह मरम्मत | ,, | ,, |
| 171. | रामू/रामविलास | 18500.00 | ,, | ,, | ,, |
| 172. | गोकुल/देवबक्ष | 8000.00 | पंपसैट | ,, | ,, |
| 173. | बंशीधर/गंगाविशन | 15000.00 | नया चाह | ,, | ,, |
| 174. | गणेश/रामपाल | 7900.00 | पंपसैट | ,, | ,, |
| 175. | सुखदेव/धन्ना | 20000.00 | नया चाह | ,, | ,, |
| 176. | कल्याण/भूंया | 10000.00 | नया चाह | ,, | ,, |
| 177. | भूरामल/लक्ष्मी | 15000.00 | चाह मरम्मत | ,, | ,, |
| 178. | भुवाना/गेंदा | 10000.00 | नया चाह | ,, | ,, |
| 179. | रामपाल/मंगला | 8000.00 | ,, | ,, | ,, |
| 180. | हरि/डूंग | 7000.00 | ,, | ,, | ,, |
| 181. | जगनाथ/छोटू | 15000.00 | ,, | ,, | ,, |
| 182. | सांवता/मेवा | 10000.00 | चाह मरम्मत | ,, | ,, |
| 183. | भौरी/मंगला | 10000.00 | नया चाह | ,, | ,, |
| 184. | दीपा/पांच्या | 10000.00 | नया चाह | ,, | ,, |
| 185. | रामनारायण/कांगड़ा | 20000.00 | ,, | ,, | ,, |
| 186. | भौरीलाल/नारायण | 7000.00 | पंपसैट | ,, | ,, |
| 187. | बद्री/लक्ष्मीनारायण | 9000.00 | ,, | ,, | ,, |
| 188. | लल्लू/पन्ना | 15000.00 | नया चाह | ,, | ,, |
| 189. | तोता/रामपाल | 12000.00 | ,, | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 190. | जयराम/तेजा | 15000.00 | नया चाह | राज. रा. सह. भू. |
| 191. | जगदीश/केसरा | 10000.00 | ,, | वि. बैंक लि. |
| 192. | ग्यारसा/जग्गा | 20000.00 | ,, | जयपुर से ऋण |
| 193. | मांग्या/भीमा | 15000.00 | ,, | वितरण क्षमता |
| 194. | कन्हैयालाल/भागीरथ | 5500.00 | पंपसैट | प्राप्त न होने के |
| 195. | कन्हैया/मनफूल | 7000.00 | ,, | कारण |
| 196. | भूरा/महादेव | 8000.00 | ,, | ,, ,, |
| 197. | प्रभू/ग्यारसा | 15000.00 | ,, | ,, ,, |
| 198. | राधाकिशन/भूरा | 20000.00 | नया चाह | ,, ,, |
| 199. | केसर/कानड | 20000.00 | पंपसैट | ,, ,, |
| 200. | प्रभाती/पांचू | 17700.00 | ,, | ,, ,, |

राजकीय महाविद्यालय पोलिटेक्निक, जयपुर

704. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक, जयपुर ने कामर्शियल आर्ट्स विषय के लिये अंशकालीन कितने व्याख्याता सत्र 1981-82 के लिये नियुक्त किए थे ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त व्याख्याताओं की योग्यता प्राविधिक शिक्षा मण्डल के नियमों के अनुरूप थी ? यदि नहीं, तो सरकारी धन के अपव्यय के लिए सरकार ने प्रधानाचार्य के विरुद्ध नियमों की अवहेलना करने पर क्या कार्यवाही की और अब सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 सत्र में कामर्शियल आर्ट्स विषय में कोई अंशकालीन व्याख्याता, नियुक्त नहीं किया गया।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

बागरा से सियाना (जालौर) विद्युत् लाइन

705. श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1981-82 की योजना में बागरा से सियाना और बागरा से चूरा लाइन 33/11 के. वी. एस. एस. में परिवर्तन हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव था ?

(2) क्या यह सही है कि आवश्यक सामग्री की उपलब्धि के अभाव में 1981-82 में यह योजना क्रियान्वित नहीं हुई ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1982-83 की योजना में यह कार्य सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सन् 1982-83 की योजना में गांव (1)

(श्री मांगी लाल आर्य)

मैडा उपरला, (2) सुमेरगढ़, (3) नबी, (4) मेटाला इत्यादि का विद्युतीकरण प्रस्तावित 33/11 के. वी. एस. एस सियाना से जोड़ा गया है ?

(5) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण विद्युतीकरण (जालौर) ने अपने पत्र संख्या एक्स. ई. एन./आर. एस. ई. बी./जे. एल. आर./आर. ई. सी./एस./टी. ई. बी. II/डी. 925 दिनांक 20-11-1982 के द्वारा मुख्य अभियन्ता, जयपुर को उपरोक्त स्थिति से अवगत कराने हेतु यह स्पष्ट किया कि 33 के. वी. लाइन का ट्रांसफार्मर लगाए बिना वह एस. एस. लाइन को पूर्ण किये बिना नये गांवों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं होगा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई और यह योजना अब कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। वर्ष 1982–83 के विद्युतिकरण कार्यक्रम में सीमित वित्तीय साधनों एवं विभिन्न जिलों/पंचायत समितियों में विद्युतिकरण के स्तर को ध्यान में रखते हुए यह कार्य सम्मिलित नहीं किया जा सका।

(4) जी, नहीं, वर्ष 1982–83 के फेज कार्यक्रम में (1) मेटाला (2) मैडा ऊपरला (3) सुमेरगढ़ (4) नवी गांव विद्युतिकरण हेतु सम्मिलित किये गये हैं। आर. ई.सी. (ओ.ए.) स्कीम जालौर के तहत उक्त गांव निम्न 33/11 के.वी. उप-चौकियों से जोडे जाने है :-

1. मेटाला 33/11 के. वी. सब-बागरा।

2. मेडा ऊपरला 33/11 के.वी सब-स्टेशन, जालौर

(3) सुमेरगढ़ 33/11 के. वी. सब-स्टेशन, सियाना

(4) नबी 33/11 के.वी. सब-स्टेशन, बागरा

(5) यह सही है कि अधिशाषी अभियन्ता (ग्रा.वि.नि.) जालौर ने पत्र संख्या 925 दिनांक 20-11-1982 द्वारा मुख्य अभियन्ता, जयपुर को लिखा था, जिसमें 33 के.वी बागरा सियाना लाईन एवं 33/11 के.वी. सब स्टेशन पूर्ण किये बिना गांवों का विद्युतीकरण करना लाभप्रद नहीं होना बताया गया था। पत्र में दर्शित गांवों में से ग्राम सुमेरगढ ही प्रस्तावित 33/11 के.वी. सब स्टेशन सियाना से 11 के.वी. लाईन पर जोड़ा जाना था। समिति वित्तीय साधनों के कारण 33/के.वी. कार्य वर्ष 1982–83 के फेज कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किये जा सके। 33 के. वी. कार्य कब क्रियान्वित किये जायेंगे, अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका क्रियान्वयन आगामी वर्षो में वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकेगा।

जोधपुर जिले में कुओं को दिये विद्युत् कनेक्शन

706. श्री राम नारायण (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में 1982-83 में कितने कुओं को विद्युत् कनेक्शन दिये गये ?

(श्री राम नारायण डूडी)
इनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के कितने कनेक्शन दिये ?

(2) पंचायत समिति, बिलाड़ा एवं भोपालगढ़ के कितने घरों व कुओं को कनेक्शन हुए हैं और कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र जिनकी कि सिक्यूरिटी राशि जमा है, पेन्डिग पड़े हैं ? कृपया ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर जिले में कुल कितने ट्रांसफारमेर लगे हुए हैं और कितने ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में जोधपुर जिले में कुओं के कुल 114 कनेक्शन दिये गए, जिनमें से 14 कनेक्शन अनुसूचित जन जाति के उपभोक्ताओं को दिये गये।

(2) पंचायत समिति, बिलाड़ा एवं भोपालगढ़ में जोधपुर जिले के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में घरों व कुओं के लिए दिये गये कनेक्शन का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | पंचायत | घरो के कनेक्शन | | | कुओं के कनेक्शन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनु. जाति | अन्य | कुल | अनु. जाति | अन्य | कुल |
| 1. | बिलाड़ | 37 | 463 | 500 | 4 | 30 | 34 |
| 2. | भोपालगढ़ | – | 120 | 120 | 1 | 15 | 16 |

इन पंचायत समितियों के गांवों में पेन्डिग कनेक्शन जिनकी सिक्योरिटी राशि जमा है की ग्रामवार सूची "अ" व "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जोधपुर जिले में 33/11 के. वी. के 44 तथा 11/0.4 के. वी. के 1637 ट्रांसफार्मर लगे हुये हैं तथा 33/11 के. वी. के 11 व 11/0.4 के. वी. के 580 ट्रांसफार्मर वर्तमान में खराब पड़े हुये हैं।

सूची "अ"

पेन्डिग कनेक्शनों की सूची जिनकी सिक्योरिटी राशि जमा है, ग्रामवार सूची निम्न है:-

तहसील बिलाड़ा

| क्र.सं | ग्राम का नाम | कुओं के पेन्डिग कनेक्शन | घरेलू पेन्डिग कनेक्शन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बिलाड़ा | 12 (एससी/एसटी) | – |
| 2. | पीपाड़ | 1 | 23 |

(302)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | पिचिकाक | — | 2 |
| 4. | बरना | — | 25 |
| 5. | जेलवा | — | 14 |
| 6. | खेतीवास | — | 10 |
| 7. | हूर्ष | — | 1 |
| 8. | खारिया मीठापुर | 2 | 1 |
| 9. | बिजवाड़िया | — | — |
| 10 | उदलियावास | — | 19 |
| 11. | कलुना | — | 1 |
| 12. | झांक | — | 2 |
| 13. | भावी | — | 2 |
| 14. | खेजरला | — | 2 |
| 15. | बोरून्दा | — | 5 |
| 16. | रनसीगांव | 8 (5 जी. डब्ल्यूडी) | 6 |
| 17. | सम्वाडोया | — | 1 |
| 18. | हरियाढ़ाणा | 11 (10 जी. डब्ल्यूडी) | 3 |
| 19. | भागासनी | — | 29 |
| 20. | बिराबास | — | 15 |
| 21. | कापरड़ा | 2 | 1 |
| 22. | राबर | 1 | — |
| 23. | तिलवासनी | — | 12 |
| 24. | लांबा | — | 8 |
| 25. | धानामगरा | — | 2 |
| 26. | मालकोसनी | — | 1 |
| 27. | रींया | — | 8 |
| 28. | बांकलिया | — | 1 |
| 29. | बुचकला | — | 4 |
| 30 | बिनावास | — | 11 |
| 31. | जसपाली | — | 1 |
| 32. | जवासींया | — | 8 |
| 33. | मादलिया | — | 35 |
| 34. | नानण | — | 10 |
| 35. | रावणदीयाना | — | 25 |
| 36 | सोवनियां | — | 48 |

303

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 37. | गढ़सूरीया | – | 3 |
| 38. | बोयल | – | 1 |
| 39. | चिरढाणी | – | 2 |
| 40. | झोलवी | 2 | – |
| 41. | खारिया ग्रामावास | – | 39 |
| | योग | 39 | 381 |

सूची "ब"

पेन्डिग कनेक्शनों की सूची जिनकी सिक्योरिटी राशि जमा है, ग्रामवार सूची निम्न है:–

तहसील भोपालगढ़

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | कुओं के पेन्डिग कनेक्शन | घरेलू पेन्डिग कनेक्शन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आसोप | 4 | 30 |
| 2. | कुमारा | 3 | 8 |
| 3. | सुरपुरा | 2 | 45 |
| 4. | हिंगोली | 1 | 17 |
| 5. | सौपड | – | 22 |
| 6. | भदसर | 14 | 33 |
| 7. | राजलानी | 2 | 6 |
| 8. | रादोद | – | 1 |
| 9. | ताम्बलिया कलां | – | 16 |
| 10. | गरसनी | – | 2 |
| 11. | वासनी हरि सिंह | – | 18 |
| 12. | गदेरी | – | 18 |
| 13. | पालरी रनावता | – | 21 |
| 14. | लावरी खालसा | – | 10 |
| 15. | गजसिंहपुरा | – | 13 |
| 16. | मंगेरिया | – | 10 |
| 17. | दादमी | – | 7 |
| 18. | खारिया खागर | 4 | 5 |
| 19. | देदरारी | – | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20. | सबकीया | – | 1 |
| 21. | नानदिया प्रभावटी | 6 | 35 |
| 22. | मागलवास | – | 14 |
| 23. | मादली | – | 1 |
| 24. | बरनी खुर्द | 6 | – |
| 25. | टोडीयाना | – | 4 |
| 26. | बरनी कलां | 3 | – |
| 27. | रामपुरा | 7 | – |
| 28. | गोविन्दपुरा | 1 | – |
| 29. | मिन्डोली | 2 | – |
| 30. | देवातरई | 4 | – |
| 31. | भोपालगढ़ | – | 104 |
| 32. | साथिन | – | 10 |
| 33. | बागोरिया | – | 29 (17एससी) |
| 34. | कोसाना | 4 | – |
| 35. | चौकड़ी कला | 1 | – |
| 36. | पालड़ी सिधा | 1 | – |
| | योग | 68 | 500 |

डूंगरपुर जिले में राहत कार्यों में राशि का दुरुपयोग

707. श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में वर्ष 1981-82 में अकाल राहत पर लगे मजदूरों से शिशोद, सोमराईट केनाल आदि नहरों का पक्का कार्य करवा कर, पक्के कार्यों का बिल ठेकेदारों के नाम बना कर राशि का गबन किया गया ? यदि हां, तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरों की दैनिक मजदूरी दर 9/- प्रतिदिन है ? क्या यह भी सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की प्रगति 7/- सात रुपये की दर से बनी बी. एस. आर. से दर्ज कर भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की मंशा रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में शिशोद तालाब पर कार्य 16-10-81 से 7-2-83 एवं

(अकाल राहत मंत्री)

11-5-82 से 31-7-82 तक चला। दोनों अवधियों के अन्तर्गत जो भी सामग्री, पत्थर एवं मिट्टी राहत कार्यों पर लगे मजदूरों से निकलवाई गई वह उसी दौरान काम में ली गई। ठेकेदारों से दो वर्क आर्डर का कार्य रख रखाव मद के अन्तर्गत कराया गया। सोम राईट केनाल पर वर्ष 1981-82 में अकाल राहत कार्य मद के अन्तर्गत पत्थर एवं मिट्टी निकलवाई उसी अवधि में पुलिया एवं आउटलेट गेट्स का पक्का कार्य भी सम्पन्न कराया गया। ठेकेदार द्वारा कोई भी कार्य वर्ष 1981--82 के दौरान सोम-राईट नहर पर नहीं कराया गया। सोम फीडर पर दो वर्क आर्डर का कार्य रख रखाव मद के अन्तर्गत कराया गया जिनमें लगने वाली सामग्री ठेकेदार द्वारा ही लाई गई थी।

(2) अकाल राहत कार्य पर दैनिक मजदूरी दर 7/- रु. है जिसका चुकारा निर्धारित टास्क से सम्बद्ध है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित दर से अकाल राहत कार्यों पर मजदूरी का चुकारा नहीं किया जाता।

**छबड़ा व छीपा बड़ौद तहसीलों के अकालग्रस्त ग्राम**

708 श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के छबड़ा व छीपा बड़ौद तहसीलों के 374 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या इन गांवों में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने जनवरी 1983 से अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की है? यदि हां, तो छबड़ा व छीपा बड़ौद तहसीलों में जनवरी मास में कितने मजदूर काम पर लगाये गये?

(3) अकाल राहत पर कार्य करने वाले मजदूर को प्रतिदिन क्या मजदूरी दी जावेगी?

उत्तर

(1) इस वर्ष तहसील छबड़ा के समस्त 194 एवं तहसील छीपा बड़ौद के समस्त 180 इस प्रकार कुल 374 गांवों को प्रभावग्रस्त घोषित किया गया है। अभी तक इनमें राहत कार्य चालू नहीं हो पाये हैं।

(2) राहत कार्य 16 दिसम्बर, 1982 से राज्य के 13 जिलों में एवं जनवरी, 1983 से शेष में प्रारम्भ करना तय किया गया था, परन्तु छबड़ा एवं छीपा बड़ौद तहसील में अभी तक राहत कार्य प्रारंभ नहीं हो पाये हैं, इस कारण श्रमिकों को काम पर नहीं लगाया गया है।

(3) श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी की दर 7/- रु. है जो टास्क की निर्धारित मात्रा से सम्बद्ध है।

**नीमकाथाना उप खण्ड मुख्यालय पर 132 ग्रिड स्टेशन का निर्माण**

709. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का-थाना)—क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीमकाथाना उपखण्ड मुख्यालय पर 132 के वी. ग्रिड स्टेशन बनाने की स्वी-

(श्री मोहनलाल मोदी)

कृति हुए कितना समय हो गया एवं इस योजना में अब तक कितना रुपया खर्च हो गया ?

(2) उक्त ग्रिड स्टेशन बनाने के लिए किस-किस खसरा नम्बरों की भूमि अवाप्त की गयी है ?

(3) क्या अवाप्त की जाने वाली भूमि के खातेदारान ने उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिका दाखिल की थी जो खारिज कर दी गई और स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या अवाप्त शुदा भूमि का कब्जा विद्युत विभाग को सम्भला दिया गया और विद्युत विभाग ने अपना सामान ट्रांसफार्मर वगैरह उस भूमि पर रख दिया है ? यदि हां, तो अब तक ग्रिड स्टेशन का काम चालू क्यों नहीं किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि विद्युत मंत्री महोदय ने मौखिक आदेश राजनैतिक दबाव के कारण इस कार्य को अवाप्त शुदा भूमि में नहीं करने के दिये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक इस कार्य को चालू कराया जावेगा ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कोटपूतली–नीमकाथाना 132 के. वी. लाईन एवं नीमकाथाना पर 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन के कार्य के लिए मई, 1979 में स्वीकृति प्रदान की थी। इस लाइन व ग्रिड सब-स्टेशन पर जनवरी 1983 तक 90.51 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

(2) नीमकाथाना ग्रिड सब-स्टेशन बनाने के लिए नीमकाथाना गांव में खसरा नम्बर 356, 357, 358, 359 व 360 की भूमि अवाप्त की गई।

(3) जी हां। उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-9-1981 द्वारा खातेदारान द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर पूर्व में जारी स्थगन आदेश को संशोधित करते हुए खसरा नं. 356, 357, 358 व 359 का कब्जा विद्युत मण्डल को दिये जाने का निर्णय दिया।

(4) जी हां। ग्रिड सब-स्टेशन के लिये अवाप्त भूमि सेवारत सैनिक कर्मचारी के परिवार से सम्बन्धित होने तथा उसमें उसकी भागीदारी होने से इसके बारे में सेना के उच्चाधिकारियों द्वारा उनके अभ्यावेदन पर पुनर्विचार कर इसे अवाप्त नहीं करने हेतु बार-बार निवेदन किया गया। सम्बन्धित खातेदारों ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं विद्युत मण्डल के स्तर पर भी अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किये। इस परिपेक्ष्य में अवाप्त की गई भूमि पर जी. एस. एस. बनाने का काम चालू नहीं किया गया है।

(5) विद्युत मंत्री महोदया द्वारा ऐसा कोई भी लिखित या जबानी आदेश कभी भी नहीं दिया गया है यह मामला अभी तक भी मंत्री महोदया के समक्ष किसी भी स्तर अथवा किसी भी रूप में प्रस्तुत ही नहीं हुआ है। यह मामला माननीय मुख्य मंत्रीजी के विचाराधीन है तथा उनके द्वारा ही इस मामले में लिखित तथा मौखिक आदेश कार्यवाही रोकने के दिये हुए हैं और पत्रावली अभी भी माननीय मुख्य मंत्री जी के पास ही है। माननीय सदस्य को इन तथ्यों की पूर्णरूपेण जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने दुर्भावनावश तथा मंत्री जी को सदन में अपमानित करने की नियत से यह आरोप लगाया है जो निन्दनीय है।

(307)

# परिशिष्ट 5

## तारांकित प्रश्न संख्या 676 की तालिकाएं

### तालिका "अ"

### दी गंगानगर शुगर मिल्स लि. श्रीगंगानगर

### श्रीगंगानगर जिले में देशी मदिरा की दुकानों की सूची

| क्र.सं. | दुकान का नाम | रिमार्क | क्र.सं. | दुकान का नाम | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | बनवाली | | 30. | नई आबादी टाऊन हनुमानगढ़ | |
| 2. | मोहनपुरा | | 31. | फतेहगढ़ | |
| 3. | मलिया वाली | | 32. | लखूवाली हैड | |
| 4. | फतेहसिंह वाला | बन्द | 33. | मुण्डा | बन्द |
| 5. | साधुवाली | | 34. | जलोकी | |
| 6. | मिर्जावाली | | 35. | रहेवेवाला | बन्द |
| 7. | मटीली राठान | बन्द | 36. | जोवन देशर | |
| 8. | दौलतपुरा | | 37. | सामकोट | |
| 9. | 13-जैड | | 38. | रिड़मलसर | |
| 10. | सतारसर | बन्द | 39. | नई मण्डी अनूपगढ़ | बन्द |
| 11. | 18-जैड | बन्द | 40. | 281-हैड | |
| 12. | सागरवाला | बन्द | 41. | दलपतसिंहपुर | बन्द |
| 13. | बुर्जावाली | बन्द | 42. | थेडी | |
| 14. | कोठी | | 43. | नग्गो | |
| 15. | गणेशगढ़ | बन्द | 44. | रेडेवाला | |
| 16. | हिन्दूमलकोट | | 45. | खरेला | |
| 17. | फतूही | | 46. | श्रीनगर | बन्द |
| 18. | रोहिड़ा वाली | | 47. | जोरखरपुर | बन्द |
| 19. | मम्मड़ | | 48. | अक्षपण | बन्द |
| 20. | पन्नी वाली जाटन | | 49. | फूसेवाला | |
| 21. | जोगीवाला | बन्द | 50. | मलकाना कलां | बन्द |
| 22. | आकावाला | बन्द | 51. | फरीदसर | |
| 23. | ट्रक यूनियन जंक्शन | बन्द | 52. | गंगूवाला | |
| 24. | लोकू जंक्शन | | 53. | सुमेणा कोठी | |
| 25. | नोरंग देशर | | 54. | मुकलखा | |
| 26. | धोलीपाल | | 55. | जगतसिंह वाला | बन्द |
| 27. | जन्डा वाली | | 56. | श्यामगढ़ | बन्द |
| 28. | भामू वाली ढाणी | | 57. | टीबा कालोनी सूरतगढ़ | |
| 29. | बस स्टेण्ड टाऊन हनुमानगढ़ | | 58. | सूरां वाली | बन्द |
| | | | 59. | अपालकी | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 60. | दरबां अल्लार | |
| 61. | कैन्ची | |
| 62. | रजियासर | बन्द |
| 63. | वीरयान | बन्द |
| 64. | खरकिया | बन्द |
| 65. | पडितावाली | |
| 66. | सरदारगढ | |
| 67. | बड़ोपल | |
| 68. | दुलयाना | |
| 69. | जाखडावाली | |
| 70. | राजकैनाल हैड | |
| 71. | टीबी | |
| 72. | मसीताकली हैड | |
| 73. | टोबा | |
| 74. | नगराना | बन्द |
| 75. | रत्नपुरा | बन्द |
| 76. | दीनगढ़ | |
| 77. | भगतपुरा | |
| 78. | पतली | |
| 79. | मोरपन्डा खारी | |
| 80. | मालारामपुरा | |
| 81. | रासूवाला | |
| 82. | धिगतानिया | बन्द |
| 83. | इन्द्रगढ़ | |
| 84. | अमरगढ़ | बन्द |
| 85. | शाहमानी | बन्द |
| 86. | खेरूवाला | |
| 87. | लीलावाली | बन्द |
| 88. | सन्तपुरा | |
| 89. | चक हीरासिंह वाला | बन्द |
| 90. | ढूढा खीचड | बन्द |
| 91. | भाखेरावाला | बन्द |
| 92. | हरीपुरा | |
| 93. | फेफाना | |
| 94. | जसाना | |
| 95. | पल्लू | |
| 96. | भूकरका | |
| 97. | गन्धेलो | |
| 98. | धानी बडी | |
| 99. | चिरानी | |
| 100. | गंन्धी बड़ो | |
| 101. | डाबड़ी | |
| 102. | महाराजा | बन्द |
| 103. | नेठराणा | |
| 104. | अनूपसर | बन्द |
| 105. | खचवाना | |
| 106. | गोलबाजार श्रीगंगानगर | |
| 107. | पदमपुर बस स्टेण्ड श्रीगंगानगर | |
| 108. | लक्कड मण्डी श्रीगंगानगर | |
| 109. | पुरानी आबादी श्रीगंगानगर | |
| 110. | गौशाला रोड श्रीगंगानगर | |
| 111. | चूनागढ़ | |
| 112. | स्टाकवाली | |
| 113. | नेतवाली | |
| 114. | लालगढ़ | |
| 115. | हनुमानगढ़ जक्शन | |
| 116. | हनुमानगढ़ टाऊन | |
| 117. | पदमपुर | |
| 118. | लक्कडमनी | |
| 119. | घमूड़वाली | |
| 120. | बीभा बाथला | |
| 121. | गर्जसिंहपुर | |
| 122. | अनूपगढ़ | |
| 123. | घड़साना पुरानी मण्डी | |
| 124. | घड़साना नई मण्डी | |
| 125. | रावला | |
| 126. | रामसिंहपुर | |
| 127. | श्रीकरणपुर | |
| 128. | केसरीसिंहपुर | |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 142. | किशनपुरा | |
| 129. | जैतसर | | 143. | सिंहपुरा | |
| 130. | श्री विजयनगर | | 144. | नुकेरा | |
| 131. | रायसिंहनगर | | 145. | नोहर | |
| 132. | उप ब्रांच रायसिंह नगर | | 146. | सिन्धी बाजार नोहर | |
| 133. | सूरतगढ़ | | 147. | रावतपुर | |
| 134. | पीलीबंगा | | 148. | गोगामेडी | |
| 135. | गोलूवाला | | 149. | थालड़का | |
| 136. | संगरिया | | 150. | भादरा | |
| 137. | ब्रांच संगरिया | | 151. | हिसार बस स्टे० ड भादरा | |
| 138. | बोलावाली | | 152. | लखूवाली हैड | |
| 139. | सादुलशहर | | 153. | कैन्ची | |
| 140. | बस स्टेण्ड सादुलशहर | | 154. | मसीतावाली हैड | |
| 141. | पक्का सहारणा | | 155. | फतेहगढ़ | |

## तालिका "ब"

श्रीगंगानगर जिले में शुगर मिल्स लि. द्वारा संचालित विदेशी मदिरा की दुकानें की

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पदमपुर बस स्टेण्ड | श्रीगंगानगर | 13. | विजयनगर |
| 2. | गोल बाजार | श्रीगंगानगर | 14. | जैतसर |
| 3. | करणपुर बस स्टेण्ड | श्रीगंगानगर | 15. | सूरतगढ |
| 4. | गोशाला रोड | श्रीगंगानगर | 16. | भादरा |
| 5. | करणपुर नम्बर I | | 17. | नोहर |
| 6. | करणपुर नम्बर II | | 18. | रावतसर |
| 7. | पदमपुर नम्बर I | | 19. | हनुमानगढ़ टाउन |
| 8. | पदमपुर नम्बर II | | 20. | हनुमानगढ़ जंक्शन |
| 9. | रायसिंहनगर नं. | | 21 | संगरिया |
| 10. | अनुपगढ़ नम्बर I | | 22. | सादूलशहर |
| 11. | अनुपगढ़ नम्बर II | | 23. | गोलुवाला |
| 12. | घडसाना | | | |

310

तालिका "स"

दी गंगानगर शुगर मिल्स लि., श्रीगंगानगर

(राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान)

मदिरा दुकानात विभाग, श्रीगंगानगर

देशी/विदेशी मदिरा दुकानात में वर्ष 82-83 में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम | पिता का नाम | पद | नियुक्ति तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री आर. पी. पारीक | श्री इन्द्रलाल पारीक | प्रबन्धक | 10-11-82 स्थानान्तरण |
| 2. | श्री के. एन. निगम | श्री वृजबिहारी लाल | ओ. एस. डी. | 1-4-82 (प्रति नियुक्ति) |
| 3. | श्री एम. एस. मानव | " | सहायक प्रबंधक | 5-6-82 मुख्यालय |
| 4. | श्री आर. के. बेदी | | स. ले. धि. | 1-4-82 शुगर फैक्ट्री |
| 5. | श्री सुभाष चालान | | कैशियर | 12-3-82 " |
| 6. | श्री ओमप्रकाश बलाना | | निरीक्षक | 5-4-82 " |
| 7. | श्री महादेव प्रसाद गर्ग | | " | 5-4-82 " |
| 8. | श्री डूंगरराम शर्मा | | " | " " |
| 9. | श्री सूरजीतसिंह | | " | 15-6-82 " |
| 10. | श्री गणेशाराम | | " | 21-6-82 प्रतिनियुक्ति |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | श्री मदनलाल | श्री धनराज गुप्ता | निरीक्षक | 16-7-82 | प्रतिनियुक्ति |
| 12. | श्री भंवरलाल मालाकार | ,, | ,, | 9-8-82 | ,, |
| 13. | श्री दिनेशचन्द्र शर्मा | | ,, | 16-8-82 | ,, |
| 14. | श्री सुमेरसिंह जाखड | | ,, | ,, | ,, |
| 15. | श्री महेशचन्द्र गुप्ता | | ,, | ,, | ,, |
| 16. | श्री देवीशंकर शर्मा | | ,, | ,, | ,, |
| 17. | श्री जगमोहनसिंह नन्दा | श्री जे. एस. नन्दा | लिपिक | 6-4-82 | (10-1-83) |
| 18. | श्री रमेशकुमार | श्री ज्ञानचन्द | लिपिक | 26-4-82 | |
| 19. | श्री अशोककुमार | श्री महेन्द्रकुमार शर्मा | ,, | 31-8-82 | |
| 20. | श्री सुरेन्द्र मेहता | श्री ओमप्रकाश | ,, | 12-6-82 | |
| 21. | श्री सुखदेवसिंह | श्री इन्द्रसिंह | ,, | 1-7-82 | |
| 22. | श्री रमनकुमार सूद | श्री हरिराम | ,, | 2-8-82 | |
| 23. | श्री यशपाल बलाना | श्री छगनलाल बलाना | ,, | 8-7-82 | |
| 24. | श्री जुगेश कुमार | श्री ओमप्रकाश | ,, | 14 10-82 | |
| 25. | श्री राधेश्याम | श्री हरिराम बंसल | ,, | 11-10-82 | |
| 26. | श्री कुलदीपसिंह | श्री चन्दूलाल | ,, | 18-10-82 | |
| 27. | श्री सुदेश पाहुजा | श्री ओमप्रकाश पाहुजा | ,, | 5-4-82 | (14-9-82) |
| 28. | श्री हेमन्त कुमार गोयल | श्री जगन्नाथ गोयल | ,, | 14-6-82 | |
| 29. | श्री प्रदीपकुमार | श्री मदनमोहन रामपाल | ,, | 2-4-82 | |
| 30. | श्री सुरेशकुमार गोयल | श्री ओमप्रकाश गोयल | ,, | 12-6-82 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 31. | श्री ओमप्रकाश जुनेजा | श्री मुकन्दलाल जुनेजा | लिपिक | 5-6-82 |
| 32. | श्री जगदीश प्रसाद | श्री मदनलाल जुनेजा | ,, | 1-7-82 शुगर फैक्ट्री से |
| 33. | श्री विपिनकुमार | श्री गिरधारी लाल | ,, | 8-7-82 ,, |
| 34. | श्री इन्द्रदान चारण | श्री मालदान चारण | ,, | 1-7-82 ,, |
| 35. | श्री सुरेन्द्रपाल गर्ग | श्री नोहरचन्द | ,, | 14-7-82 ,, |
| 36. | श्री उदयपाल | श्री देवीलाल | ,, | 5-4-82 |
| 37. | श्री रणजीत गोदारा | श्री रामलाल | ,, | 1-9-82 |
| 38. | श्री रामचन्द्र प्रसाद | श्री हीरामन प्रसाद | ,, | 25-11-82 |
| 39. | श्री महेन्द्रकुमार | श्री लखमीचन्द शर्मा | ,, | 7-4-82 |
| 40. | श्री मालसिंह राठौड़ | श्री मालसिंह राठौड़ | ,, | 14-9-82 |
| 41. | श्री सोहनलाल | श्री जौराराम | ,, | 4-10-82 |
| 42. | श्री सरनजीतसिंह | श्री ज्वालासिंह | ,, | 24-9-82 |
| 43. | श्री मामराज शर्मा | श्री चन्दूलाल शर्मा | ,, | 12-6-82 |
| 44. | श्री मोहनसिंह राजावत | श्री रामचन्द्र राजावत | ,, | 24-7-82 |
| 45. | श्री पवनकुमार जिंदल | श्री मोहनलाल | ,, | 15-6-82 |
| 46. | श्री राजेशकुमार | श्री मदनलाल गुप्ता | ,, | 11-1-83 |
| 47. | श्री वासुदेव बारठ | श्री दशरथसिंह बारठ | ,, | 31-6-82 |
| 48. | श्री विजयकुमार | श्री शिवदत्त शर्मा | ,, | 21-5-82 |
| 49. | श्री कृष्णलाल राग | श्री आहूराम | ,, | 23-6-82 |
| 50. | श्री जसजीत बराड़ | श्री गुरनामसिंह | ,, | 23-6-82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51. | श्री भवानीलाल मीणा | श्री बहादुरसिंह | ड्राईवर | 24-7-82 | (मुख्यालय) |
| 52. | श्री बलबीरसिंह | श्री सुलेमान खां | ,, | 7-8-82 | शुगर फैक्ट्री |
| 53. | श्री गामू खां | श्री स्वर्णसिंह | ,, | 13-8-82 | शुगर फैक्ट्री |
| 54. | श्री बोरवल सिंह | श्री श्रीनिवास | ,, | 4-1-83 | ,, |
| 55. | श्री लालचंद | श्री मोहनसिंह | सुरक्षा संतरी | 23-9-82 | ,, |
| 56. | श्री सुरेन्द्रसिंह | श्री लालचंद | ,, | 12-10-82 | |
| 57. | श्री इन्द्रपाल | श्री बाबूलाल | ,, | 15-9-82 | |
| 58. | श्री राजकुमार | श्री चन्दनराम | हैल्पर | 24-1-82 | |
| 59. | श्री जियालाल | श्री खुमाणाराम | ,, | 9-4-82 | |
| 60. | श्री मदनलाल | श्री भगवानदास | ,, | 16-8-82 | |
| 61. | श्री जगदीश चन्द्र | | ,, | 16-8-82 | |
| 62. | श्री गणेशा | | ,, | 2-7-82 | |
| 63. | श्री गोमुखा | | ,, | 2-7-82 | |

शुगर फैक्ट्री में वर्ष 82–83 में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

| क्र. सं. | नाम | पिता का नाम | पद | नियुक्ति तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64. | श्री जी. एस. नरवानी | | मुख्य अधिशासी अधिकारी | |
| 65. | श्री जे. एस. देराश्री | श्री गणेशलाल देराश्री | प्रशासनिक एवं का. अधि. | 30-3-1981 |
| 66. | श्री एस. एन. अग्रवाल | | लेखाधिकारी | |
| 67. | श्री एम. एस. ग्रेवाल | श्री सूरजनसिंह | मुख्य अभियन्ता | 4-4-1966 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 68. | श्री आर. पी. अग्रवाल | श्री विशम्बरदयाल | मुख्य रसायनज्ञ | 4-10-76 |
| 69. | श्री एन. पी. गर्ग | श्री बी. आर. गर्ग | सहा. ले.अ. (लागत) | 10-12-1975 |
| 70. | श्री डी. एस. कौशिक | | श्रम कल्याण अधिकारी | |
| 71. | श्री देवराज सिंघवी | श्री पारसराज सिंघवी | सहा,ले.अ. (क्रय) | 27-4-1960 |
| 72. | श्री ए. के. मित्तल | | मु.रसा. आसवनशाला | 22-2-1983 |
| 73. | श्री नगेन्द्रसिंह शेखावत | श्री भरतसिंह शेखावत | गन्ना वि. अधिकारी | 30-6-1979 |
| 74. | श्री एन.एम. बघाला | श्री मुन्शीलाल बाघला | प्रति. गन्ना वि.अधि. | |
| 75. | श्री महेन्द्रसिंह सैनी | श्री लक्ष्मणसिंह सैनी | कार्यालय अधीक्षक | 2-12-1954 |
| 76. | श्री राकेश बजाज | श्री कुन्दनलाल बजाज | नि. सचिव | 8-12-1960 |
| 77. | श्री हरनाम लाल | श्री घमण्डीराम | स्थाना लिपिक | 2-12-65 |
| 78. | श्री दलजीत सिंह | श्री चन्दसिंह | लो. परचेजकम टा.लिपिक | 6-1-66 |
| 79. | श्री जगदीशलाल चढ्ढा | श्री सरदारीलाल चढ्ढा | टाईपिस्ट | 6-8-77 |
| 80. | श्री ननकचन्द | श्री गोपाल | „ | 29-10-80 |
| 81. | श्री रामचन्द्र गुप्ता | श्री अयोध्या प्रसाद | सा.लि. (जावक) | 29-1-67 |
| 82. | श्री दलजीतसिंह | श्री गंगासिंह | सा. लि. | 12-12-77 |
| 83. | श्री सुखदेवसिंह | श्री बी. एस. खखा | सा. लि. (आवक) | 15-9-81 |
| 84. | श्री किशनलाल | श्री जीवाराम | मेट चतुर्थ श्रेणी | 14-12-56 |
| 85. | श्री रामवक्ष | श्री बन्धु | चतुर्थ श्रेणी | 2-8-60 |
| 86. | श्री शिवपूजन | श्री रामसहाय | „ | 11-8-60 |
| 87. | श्री फूलसिंह | श्री गणेश | ;, | 1-11-60 |
| 88. | श्री गोबिन्दराम | श्री सतनाम राम | „ | 28-8-70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 89. श्री पोखर राम | श्री सेवा राम | ,, | 24-4-75 |
| 90. श्री पारा नाथ | श्री सुदामा | ,, | 4-8-72 |
| 91. श्री सीताराम | श्री तिलकधारी | ,, | |
| 92. श्री रमेशकुमार | श्री धन्नाराम | ,, | 25-5-81 |
| 93. श्री मुन्शीराम | श्री चोथूराम | ,, | |
| 94. श्री नानूराम | श्री मूलसिंह | वाहन चालक ग्र | 1-10-69 |
| 95. श्री मदनसिंह | श्री मूलसिंह | ,, | 28-12-53 |
| 96. श्री छैलसिंह | श्री विशनसिंह | ,, | 1-8-73 |
| 97. श्री सुल्तानसिंह | श्री सोहनसिंह | ,, | 22-11-56 |
| 98. श्री केदारनाथ | श्री मूलराम | ,, | 4-4-60 |
| 99. श्री रामसूरत | श्री रामबहाल | ,, | 17-2-69 |
| 100. श्री कालासिंह | श्री हरनाम सिंह | ,, | 1-8-74 |
| 101. श्री धर्मवीर | श्री रामलाल | ,, | 1-5-82 |
| 102. श्री रावतसिंह | श्री दुर्गासिंह | ड्राईवर-व | 1-5-82 |
| 103. श्री धर्मपाल | श्री चन्दगीराम | क्लीनर | 28-6-72 |
| 104. श्री परसराम | श्री लक्ष्मीशाह | ,, | 29-5-74 |
| 105. श्री के.पी. जैन | श्री इन्द्रलाल जैन | वरिष्ठ लेखाकार | 7-1-83 |
| 106. श्री अजीतसिंह लूणा | श्री तोतासिंह | वरि. सहा. (खजाना) | 26-11-55 |
| 107. मनीराम मित्तल | श्री भरतू | सहा. लेखाकार | 4-12-65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 108. | श्री नत्थूराम शर्मा | श्री केसरी चन्द्र शर्मा | सहा. लेखाकार | 6-1-69 |
| 109. | श्री प्रतापसिंह यादव | | लिपिक | |
| 110. | श्री चिमनलाल | श्री बान्दीराम | टाईपिस्ट | 8-5-73 |
| 111. | श्री रतनलाल | श्री मुकन्दलाल | स्टेशनरी कम रिकार्ड कीपर | 1-1-74 |
| 112. | श्री दलीपकुमार शर्मा | श्री शिवदत्त शर्मा | सा. लि. | 4-1-76 |
| 113. | श्री ओमप्रकाश शर्मा | श्री मुन्शीलाल शर्मा | ,, | 16-7-68 |
| 114. | श्री रामचन्द्र | श्री मूलचन्द्र बिस्सा | लेखा लिपिक | 28-11-78 |
| 115. | श्री बछेलसिंह | श्री मक्खन सिंह | सा. लि. | 7-12-67 |
| 116. | श्री टेकसिंह संधू | श्री मुकछनसिंह | ,, | 13-12-78 |
| 117. | श्री सत्यपाल डाबला | श्री भगवानदास | ,, | 13-12-77 |
| 118. | श्री रणजीसिंह सहारण | श्री बृजलाल सहारण | ,, | 30-1-79 |
| 119. | श्री अब्दुल सतार | श्री अलीम मोहम्मद | ,, | 21-12-81 |
| 120. | श्री मनमोहन सिंह | श्री हरबन्स सिंह | ,, | 21-12-81 |
| 121. | श्री दुखहरण | श्री बन्धू | चतुर्थ श्रेणी | 10-6-61 |
| 122. | श्री रतनलाल | श्री गणेशराम | चतुर्थ श्रेणी | 2-7-70 |
| 123. | श्री ठाकरसिंह | श्री खेमसिंह | ,, | 13-3-74 |
| 124 | श्री हरिराम | श्री गणेशाराम | ,, | 29-5-81 |
| 125 | श्री मदनमोहन रामपाल | श्री लाजपतराय | वरि. सहा. (विधि) | 13-9-58 |
| 126 | श्री समुन्द्रसिंह मोमी | श्री उत्तमसिंह | समय पालक | 24-12-68 |
| 127. | श्री सीतलसिंह | श्री आसूसिंह | ,, | 3-8-73 |
| 128. | श्री हरराज सिंह | श्री हरदयाल सिंह | सा. लि. | 1-7-74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 129. | श्री बुद्धप्रकाश | श्री रामवृक्ष | सा. लि. | 10-12-70 |
| 130. | श्री गुरमीतसिंह खैरा | श्री सरजीत सिंह | ,, | 4-12-78 |
| 131. | श्री ओम प्रकाश सुथार | श्री कालूराम सुथार | ,, | 28-5-80 |
| 132. | श्री राजेन्द्रकुमार कालिया | श्री सुरजभान कालिया | ,, | 17-2-78 |
| 133. | श्री गुरमेलसिंह | श्री प्रतमसिंह | ,, | 8-6-82 |
| 134. | श्री श्यामलाल नागपाल | श्री गुरादित्ता | टो. वाय | 5-5-66 |
| 135 | श्री डी. के. अग्रवाल | श्री कुलवन्तराय अग्रवाल | वरि. पारी अभियन्ता | 26-12-62 |
| 136. | श्री धन्नाराम | श्री बीरबल राम | सहायक अभियन्ता | 21-9-76 |
| 137. | श्री सर्दुलसिंह | श्री करतारसिंह | ,, | 21-9-76 |
| 138. | श्री राजेन्द्रकुमार | श्री भानीराम यादव | कनिष्ठ अभियन्ता | 27-2-80 |
| 139. | श्री विद्याधर | श्री वन्सी धर | फोरमैन | 16-7-56 |
| 140. | श्री जगजीतसिंह | श्री बसावा सिंह | फोरमैन | 3-7-56 |
| 141. | श्री रामदेव | मूलचन्द | फोरमैन | 3-7-56 |
| 142. | श्री रघुनन्दन कोशिक | रामकिशन | ,, | 1-12-59 |
| 143. | श्री हरिशचन्द्र मल्होत्रा | विशम्भरनाथ | ,, | 3-7-56 |
| 144. | श्री हरबन्ससिंह | ठाकरसिंह | ,, | 3-7-56 |
| 145. | श्री सुच्चासिंह | ईश्वरसिंह | ,, | 12-10-56 |
| 146. | श्री रामलाल | श्री बेलीराम | ,, | 16-12-57 |
| 147. | श्री प्रितमसिंह | श्री किशनसिंह | अधि. ,, | 10-12-59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 148. | श्री सूरजीतसिंह | श्री भगवानसिंह | फोरमैन | 1-10-82 |
| 149. | श्री लादूराम | श्री भोमनराम | सुपरवाईजर | 1-1-83 |
| 150. | श्री अनिल भाटिया | श्री प्रितमलाल | सुपरवाईजर (इले) | 15-1-83 |
| 151. | श्री हंसराज सियाग | श्री गणपतराम सियाग | टंकरा कम लिपिक | 2-12-65 |
| 152. | श्री धर्मपाल | श्री जसराम | सा. नि: | 6-1-69 |
| 153. | श्री अमिताभ मित्रा | सुनिल कुमार मित्रा | अप्रेन्टिस (मके) | 12-5-82 |
| 154. | श्री नत्थीलाल गर्ग | बाबूलाल | ,, | 3-1-83 |
| 155. | श्री अमरसिंह | लादूराम | ,, | 20-1-83 |
| 156. | श्री गुरूदेवसिंह | रामसिंह | मानचित्रकार | 1-12-73 |
| 157. | श्री सुन्दरकुमार सप्पल | अमरनाथ | सा. लि. | 23-9-68 |
| 158. | श्री नत्थूसिंह | हनुमान राम | ले. लि. | 1-10-73 |
| 159. | श्री महावीर शरण अग्रवाल | श्री टी. एस. अग्रवाल | वरि. नि. रा. | 22-11-54 |
| 160. | श्री सुभाष मुकर्जी | एन. मुकर्जी | निर्माण रसायनिज्ञ | 13-12-82 |
| 161 | श्री वृजकिशोर गुप्ता | शंखलाल गुप्ता | प्रयोग प्रभारी | 15-3-80 |
| 162. | श्री बी. एल. तोमर | गिरवरसिंह | निर्माण सहायक | 22-1-54 |
| 163. | श्री बेनाथसिंह | रामप्रसाद सिंह | हैड पैन मैन | 3-1-54 |
| 164. | श्री वासुदवे मेहता | ठाकुरदास | विक्रय सहायक (शुगर) | 1-12-58 |
| 165. | श्री गोपाल कृष्णन मैनन | गोपालन मायर | विक्रय सहायक (आस) | 7-2-61 |
| 166. | श्री रघुवीर सिंह | नन्दलाल | गोदाम कीपर | 28-10-58 |
| 167. | श्री पुरुषोतम दास शर्मा | गोपीराम शर्मा | लिपिक | 11-11-66 |
| 168. | श्री चन्द्रभान तरोका | हरिचन्द तरीका | सा. लि. | 31-12-73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 169. श्री कृष्णमोहन लाल | कुलदीप लाल | सा. लि. | 31-1-77 |
| 170. श्री बलदेव सिंह | जबालासिंह | " | 21-12-81 |
| 171. श्री रामदरश मल | फौजदार मल | " | 14-2-79 |
| 172. श्री हरिप्रकाश मल | विन्ध्याचल मल | " | 11-1-80 |
| 173. श्री प्रमोदकुमार सिंह | कृष्णपाल सिंह | पर्यवेक्षक (लागत | 21-6-78 |
| 174. श्री सूरजभान | श्री शादीराम | वरि. सहायक (भ) | 23-11-76 |
| 175. श्री राजेन्द्रनाथ | दीनाथ | लिपिक | 26-10-68 |
| 176. श्री बनोराम | रामरख | रेल्वे क्लर्क | 7-4-65 |
| 177. श्री जगदीशनारायण | मुरारीलाल | सहायक लेखाकार | 26-3-74 |
| 178. श्री बलबिन्द्र सिंह | सरदारसिंह | साईड स्टोर लिपिक | 9-6-76 |
| 179. श्री जयप्रकाश गुप्ता | जयनारायण | लिपिक | 26-10-65 |
| 180. श्री कुलदीपकुमार | जागीरदास | सा. लि. | 13-6-67 |
| 181. श्री विजयकुमार | वालकृष्ण | ले. लि. | 28-11-78 |
| 182. श्री जगदीश कुमार | पूनमचन्द शर्मा | सा. लि. | 25-2-76 |
| 183. श्री ओमप्रकाश वागड़ी | मूलाराम वागड़ो | " | 7-12-72 |
| 184. श्री मनजीतसिंह | अजबीरसिंह | " | 2-1-73 |
| 185. श्री अमरनाथ अरोड़ा | छगनलाल | " | 30-12-73 |
| 186. श्री रणजीतसिंह वेदी | करतारसिंह | " | 28-12-73 |
| 187. श्री रामपति | सुमरिन | " | 12-2-80 |
| 188. श्री मजनूराम | श्री मंगतराम | " | 13-12-77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 189. | श्री नन्दकिशोर | सुखदेव | चतुर्थ श्रेणी | 2-12-77 |
| 190. | श्री सन्तलाल | जयदयाल मल | दफ्तरी | 24-4-57 |
| 191. | श्री रोशनलाल बांधा | हरीचन्द | वरिष्ठ सहायक | 28-1-54 |
| 192. | श्री हरफूलसिंह | मनभरसिंह | सा. लि. | 1-7-62 |
| 193. | श्रीमती सुशील कान्ता | पत्नी श्री राजकुमार | भ. शि. शिक्षिका | 17-1-73 |
| 194. | श्री जगनसिंह | ईश्वरसिंह | सा. लि | 6-3-76 |
| 195. | श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता | जयनारायण गुप्ता | सा. लि. | 13-1-78 |
| 196. | श्री नेत्रपाल शर्मा | बलराम किशोर | ,, | 13-12-77 |
| 197. | श्री बगेलू | महादेव | चतुर्थ श्रेणी | 8-2-61 |
| 198. | श्रीमती पताशी देवी | पत्नी श्री मिश्री लाल | ,, | 6-1-76 |
| 199. | श्री अविनाश | सोहनलाल | कम्पाउण्डर | 11-12-60 |
| 200. | श्रीमती राजकुमारी | पत्नी श्रीमदनलाल | नर्स | 15-12-60 |
| 201. | श्रीमती बादूदेवी | पत्नी श्री छगनलाल | चतुर्थ श्रेणी | 28-6-76 |
| 202 | श्री दिगम्बर सिंह | पुत्र श्री मानसिंह | ,, | 28-3-79 |
| 203. | श्री सुदखदेव | श्री जगदीशलाल | वरिष्ठ सहायक (क्रय) | 19-1-54 |
| 204. | श्री मोमन राम | श्री गुल्लीराम | लिपिक | 23-1-69 |
| 205. | श्री रामफल शर्मा | देवी चन्द शर्मा | टाईपिस्ट | 27-3-79 |
| 206. | श्री राजेन्द्र लूणा | अजी सिंह | सा. लि. | 2-7-80 |
| 207. | श्री रतनचन्द | शकरदास | चर्थत् श्रेणी | 1-12-77 |
| 208. | श्री बखसीसिंह | सन्ता सिंह | बलण्डर | 9-12-66 |
| 209. | श्री महेन्द्र कुमार | बाबूलाल | आसवनशाला सहायक | 3-7-56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 210. | श्री उत्तमसिंह गिल | बिशन सिंह | बलण्डर | 7–12–66 |
| 211. | श्री चरण दास | हरीचन्द | फोरमेन | 16–7–56 |
| 212. | श्री रामदेवसिंह | लक्ष्मण सिंह | लिपिक | |
| 213. | श्री विजयसिंह पंवार | मदन सिंह पंवार | परिवहन लिपिक | 12–12–77 |
| 214. | श्री रविन्द्रकुमार | हरवन्स भाटिया | सा. लि. | 13–12–77 |
| 215. | श्री विश्वनाथ राम | सरल | दफ्तरी | 27–7–59 |
| 216. | श्री जगकसाज शर्मा | जगदीश राम | स. सहा. | 15–3–65 |
| 217. | श्री भंवरसिंह | सवाउ सिंह | स. नि. | 1–12–77 |
| 218. | श्री जितेन्द्र कुमार | सुखदेव | सा. लि. | 30–12–75 |
| 219. | श्री दरबारासिंह | ईश्वरसिंह | सा.लि. | 13–12–78 |
| 220. | श्रीमती अन्जूबाला | कमलकिशोर | ,, ,, | 15-12-77 |
| 221. | श्री बैजनाथ | सोतल | मेटमाला | 14-7-60 |
| 222. | श्री ओसान | ,, | माली | 24-8-65 |
| 223. | श्री रामहंस | | माली | 24-8-65 |
| 224. | श्री मंगल | | माली | 19-2-79 |
| 225. | श्री सत्यसिंह | | कुक | 9-7-62 |
| 226. | श्री रामकृपाल | महात्म | | |
| 227. | श्री सत्यदेव | एस.आर.ओभरिया | प्रसार अधिकारी | 11-9-72 |
| 228. | श्री वी. एन. कुकड | के.एल. कुकड | प्रसार अधिकारी | 12-9-72 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 229. | श्री सोहनसिंह | जरनेलसिंह | प्रसार अधिकारी | 13-4-78 |
| 230. | श्री प्रेमसिंह | उजागरसिंह | ,, ,, | 14-4-78 |
| 231. | श्री विपणकुमार बिन्ना | सदालाल | ,, ,, | 7-7-81 |
| 232. | श्री पी.राज. मेहरडा | | ,, ,, | 8-7-81 |
| 233. | श्री रामेश्वरदास | श्री पन्नाराम | तौल पर्यवेक्षक | 24-11-55 |
| 234. | श्री चौहलसिंह | बलवन्तसिंह | लिपिक | 7-1-54 |
| 235. | श्री हरबन्स लाल | कालूराम | क्षेत्रपति | 16-12-66 |
| 236. | श्री जालौर सिंह | गुरदत्तसिंह | ,, | 2-12-65 |
| 237 | श्री वेदप्रकाश | काशीराम | क्षेत्रपति | 1-6-74 |
| 238. | श्री हरीकान्त शर्मा | नेमीचन्द | ,, | 9-5-75 |
| 239. | श्री बाबूलाल शर्मा | नरीसिंह | ,, | 10-4-75 |
| 240. | श्री ग्रमरजीतसिंह | महेन्द्रसिंह सैनी | ,, | 19-4-75 |
| 241. | श्री हरजिन्द्रसिंह | सूच्चासिंह | ,, | 31-12-73 |
| 242. | श्री कृष्णलाल स्वामी | शंभल स्वामी | स्था.लि. | 1-5-77 |
| 243. | श्री इन्दराल शर्मा | बद्रीनारायण | सा.लि. | 18-12-66 |
| 244. | श्री श्रवणसिंह | लश्करसिंह | ,, | 18-11-66 |
| 245. | श्री ग्रशोककुमार | ग्रोमप्रकाश | ,, | |
| 246. | श्री जे.एस. भार्गव | के.एस. भार्गव | गन्ना अधीक्षक | 1-9-56 |
| 247. | श्री ग्रोमप्रकाश ग्ररनेजा | रामकिशन | तौल पर्यवेक्षक | 17-1-57 |
| 248. | श्री मघरसिंह | | ,, | |
| 249. | श्री मंगलसिंह | बूटाराम | गन्ना लेखाकार | 8-12-60 |

323

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 250. | श्री सुरेशचन्द्र शर्मा | रघुदयाल शर्मा | तौल पर्यवेक्षक | 9-12-66 |
| 251. | श्री हरबन्स लाल | शंकरदास | ,, | 14-1-54 |
| 252. | श्री कृष्णलाल | रामचन्द्र भाटिया | ऋण लिपिक | 27-1-61 |
| 253. | श्री सुजीन्द्रसिंह | प्रीतमसिंह | खाता नम्बर | 26-12-61 |
| 254. | श्री सुखदेवसिंह | कर्मसिंह | सा.लि. | 29-11-61 |
| 255. | श्री नक्षत्रसिंह | गुरदयालसिंह | ,, | 27-1-69 |
| 256. | श्री चन्द्रभान | जुम्माराम | सा. लि. | 5-1-63 |
| 257. | श्री नक्षत्रसिंह | करनेलसिंह | ,, | 8-12-69 |
| 258. | श्री गोपीराम | गणपतराम | ,, | 21-12-73 |
| 259. | श्री गुरबचनसिंह | कानसिंह | ,, | 27-11-66 |
| 260. | श्री मुकेशचन्द्र | सुरेशचन्द | ,, | 19-12-77 |
| 261. | श्री राजेश दिनकर | डी.जी.सिरसठ | ,, | 11-1-80 |
| 262. | श्री आशुतोष पाण्डे | शिवप्रताप | ,, | 13-12-77 |
| 263. | श्री विशेवर स्वामी | श्री जगदेवा राम | ,, | 12-12-77 |
| 264. | श्री गुरुदिता | श्री हन्सराज | ,, | 13-12-77 |
| 265. | श्री हरीचन्द सिडाना | ठाकरदास | ,, | 19-12-81 |
| 266. | श्री रामकरण वर्मा | दूलाचन्द | ,, | 8-6-82 |
| 267. | श्री सुरेशचन्द शर्मा | विशम्भरदयाल शर्मा | ,, | 1-12-79 |
| 268. | श्री संजनकुमार | राधेश्याम | ,, | 13-12-77 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 269. | श्री योगेन्द्रपाल सिंह | सोहनवीर सिंह | सा. लि. | 17-1-80 |
| 270. | श्री योगराज सिद्ध | पन्नाराम | ,, | 13-12-77 |
| 271. | श्री रामदेव सिंह | कानाराम | ,, | 17-5-75 |
| 272. | श्री महावीरप्रसाद | सीताराम | ,, | 19-1-78 |
| 273. | श्री हरिशंकर गुप्ता | रामलाल | ,, | 19-12-81 |
| 274. | श्री हरीसिंह | हेमराज | ,, | 7-12-67 |
| 275. | श्री ठाकरसिंह | मक्खनसिंह | ,, | 9-9-61 |
| 276. | श्री कुन्दनलाल शर्मा | | वेयर हाउस इन्चार्ज | |
| 277. | श्री मोहनसिंह | मदनसिंह | सा. लि. | 26-12-74 |
| 278. | श्री प्रहलाद सिंह | | इन्चार्ज वेयर हाउस रतनगढ | 14-5-65 |

नोट:–शुगर फैक्ट्री के चौकीदार एवं डाकरनर इस लिस्ट में सम्मिलित नहीं है।

तालिका "द"

दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर
(राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान)
मदिरा दुकानात विभाग, श्री गंगानगर

देशी मदिरा दुकानों पर कार्यरत सैल्समैन एवं हैल्परों की सूची

| क.स. | नाम कर्मचारी | पिता का नाम | पद | नाम दुकान | नियुक्ति तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री जोगेन्द्रपाल चड्ढा | श्री सरदारीलाल | सैल्समेन | गोलबाजार श्री गंगानगर | 2-4-82 |
| 2. | श्री सुरेन्द्रकुमार | श्री सुन्दरलाल | ,, | ,, ,, | 3-4-82 |
| 3. | श्री रमेशकुमार | श्री रामप्रताप | हैल्पर | ,, ,, | 23-7-83 |
| 4. | श्री विश्वम्बर दास | श्री शंकरलाल | हैल्पर | बनवाली | 9-11-82 |
| 5. | श्री गुरमीसिंह | श्री बलदेवसिंह | ,, | मोहनपुरा | 25-6-82 |
| 6. | श्री बलतेज सिंह | श्री मुकन्दसिंह | ,, | ,, | 27-12-82 |
| 7. | श्री प्रेमकुमार | श्री बंशीलाल | ,, | दीयावाला | 15-12-82 |
| 8. | श्री जसवंतकुमार | श्री अर्जुनराम | सैल्समैन | लक्कउमण्डो श्री गंगानगर | 5-4-82 |
| 9. | श्री महावीर प्रसाद | श्री रामकिशन | ,, | ,, ,, | 16-6-82 |
| 10. | श्री थानसिंह | श्री महेन्द्रसिंह | ,, | ,, ,, | 1-7-82 शुगर फैक्ट्री |
| 11. | श्री भूषणकुमार | श्री कस्तूरीलाल | ,, | मिर्जेवाला | 5-6-82 |
| 12. | श्री काबुलसिंह | श्री मलसिंह | ,, | दौलतपुरा | 16-6-82 |
| 13. | श्री तजेन्द्र वालिया | श्री जगदीपसिंह | सैल्समैन | 13 जैड | 15-6-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | श्री राजाराम | श्री ठाकरराम | ,, | साधूवाली | 15-6-82 |
| 15. | श्री विपिनकुमार | श्री कृष्णलाल शर्मा | ,, | गोशाला रोड़ श्री गंगानगर | 9 9-82 |
| 16. | श्री हरदीपसिंह | श्री जोगेन्द्रसिंह | ,, | ,, ,, | 14-6-82 |
| 17. | श्री लालमोहर | श्री बसावनमिस्त्री | हैल्पर | गौशालारोड श्रीगंगानगर | 24-6-82 |
| 18. | श्री जगदीशचन्द | श्री हरचंदसिंह | सैल्समैन | पुरानी आबादी ,, | 3-1-83 |
| 19. | श्री नथूराम | श्री कन्हैयालाल | ,, | ,, ,, | 3-9-82 |
| 20. | श्री परमजीतसिंह | श्री हरबंशसिंह | ,, | पदमपुर बस स्टेण्ड ,, | 12-6-82 |
| 21. | श्री हरीराम पंवार | श्री रामदेव | ,, | ,, ,, | 2-4-82 |
| 22. | श्री बलदेवसिंह | श्री लालसिंह | हैल्पर | ,, ,, | 10-6-82 |
| 23. | श्री ओमप्रकाश | श्री पन्नाराम | सैल्समैन | चूनावड़ | 15-6-82 |
| 24. | श्री बलबीरसिंह | श्री गुरसिंह | हैल्पर | चूनावड़ | 7-9-82 |
| 25. | श्री गुरदयालसिंह | श्री सोहनसिंह | सैल्समैन | चनावड़ कोठी | 6-12-82 |
| 26. | श्री राजेन्द्रप्रसाद | श्री बीरबलराम | सेल्समैन | महियावाली | 6-4-82 |
| 27. | श्री शेराराम | श्री लेखाराम | हैल्पर | ,, | 27-7-82 |
| 28. | श्री राजेन्द्रकुमार | श्री साहबराम | सेल्समैन | नेतेवाली | 26-6-82 |
| 29. | श्री भूपसिंह | श्री काशीराम | हैल्पर | नेतेवाली | 14-10-82 |
| 30. | श्री सुल्तानराम | श्री गणपतराम | सेल्समैन | लालगढ़ | 15-6-82 |
| 31. | श्री विक्रमसिंह | श्री गंगाजल सहारणा | सेल्समैन | मम्मड़ | 24-12-82 |
| 32. | श्री ओमप्रकाश | श्री हजारीराम | हैल्पर | ,, | 8-2-83 |
| 33. | श्री महेन्द्रसिंह | श्री अर्जुनसिंह | सेल्समैन | हिन्दूमलकोट | 3-7-82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34. | श्री मदनलाल | श्री प्यारेलाल | हैल्पर | हिन्दूमल कोट | 6-12-82 |
| 35. | श्री ओमप्रकाश | श्री हंसराज | सैल्समैन | उप दुकान फतूही | 27-9-82 |
| 36. | श्री जगदीशचन्द | श्री रूपराम | ,, | ,, खाटलबाना | |
| 37. | श्री दीपचन्द्र बत्रा | श्री अनूपचन्द | ,, | हनुमानगढ़ जंक्शन | 9-4-82 |
| 38. | श्री रामकिशोर मेहरा | श्री चनणाराम | ,, | ,, | 28-12-82 |
| 39. | श्री सुभाष चन्द्र | श्री टालाराम | ,, | ,, ट्रक यूनियन | 25-6-82 |
| 40. | श्रीघनश्यामदास | श्री मुलखराज | हैल्पर | ,, | 26-7-82 |
| 41. | श्री अशोककुमार | श्री कुलवन्तराम | सैल्समैन | जण्डावाली ब्रांच | 15-6-82 |
| 42. | श्री अश्वनीकुमार | श्री कुलदीपकुमार | हैल्पर | ,, | 15-10-82 |
| 43. | श्री लादुराम | श्री भगवानराम | सेल्समैन | धीलापाल | 22-6-82 |
| 44. | श्री लाभसिंह कामरा | श्री मोटनराम | हैल्पर | ,, | 18-11-82 |
| 45. | श्री नवीन कुमार रामी | श्री नथेमस | सैल्समैन | भाम्मुवाली ढाणी | 6-12-82 |
| 46. | श्री किशनकुमार | श्री नानकचंद | हैल्पर | ,, | 26-7-82 |
| 47. | श्री कणपालसिंह | श्री धीरसिंह | सैल्समैन | हनुमानगढ़ टा. | 1-1-83 |
| 48. | श्री किशनकुमार | श्री गणेशप्रसाद | हैल्पर | ,, | 28-12-82 |
| 49. | श्री काशीराम | श्री लालचन्द वर्मा | सैल्समैन | नोरंगदेसर | 12-6-82 |
| 50. | श्री भागीरथमल | श्री गणपतराम | हैल्पर | हनुमानगढ़ टा. | 8-7-82 |
| 51. | श्री जितेन्द्रकुमार | श्री वुधाराम खटीक | सैल्समैन | हनुमानगढ़ लोकुज | 19-6-82 |
| 52. | श्री जोगेन्द्रसिंह | श्री किशनलाल | ,, | डबलीराडान | 16-6-82 |
| 53. | सुखदेवसिंह | श्री रणसिंह | ,, | फतेहसिंहवाला | 18-6-82 |
| 54. | श्री करनैलसिंह | श्री रणसिंह | सैल्समैन | लखुवाली हैड | 7-7-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. | श्री मोहनलाल | श्री रामलाल | हैल्पर | ,, | 22-8-82 |
| 56. | श्री नरेशकुमार | श्री अविनाश चन्द | सैल्समैन | हनुमानगढ़ टा. नई आबादी | 5-4-82 |
| 57. | श्री जनरैलसिंह | श्री मेहरसिंह | ,, | ,, | 23-7-82 |
| 58. | श्री राजकुमार | श्री रामचन्द्र | ,, | ,, | 16-4-82 |
| 59. | श्री राजेन्द्र यादव | श्री जगमालसिंह | ,, | पदमपुर मेन ब्रांच | 18-5-82 |
| 60. | श्री किशनगोपाल | श्री देसराज | ,, | ,, | 14-10-82 |
| 61. | श्री इन्द्रजीतसिंह | श्री जीवनसिंह | हैल्पर | तामकोट | 10-11-82 |
| 62. | श्री अर्जुनदास | श्री मदनलाल | सैल्समैन | अलोंको | 12-6-82 |
| 63. | श्री रामगोपाल मीणा | श्री खैरायतीराम | सैल्समैन | लकडमंडी पदमपुर | 6-10-82 |
| 64. | श्री अमरजीतसिंह | श्री जयसिंह | सैल्समैन | गजसिंहपुर नं. 1 | 13-6-82 |
| 65. | श्री आदराम | श्री खैयालीराम | हैल्पर | गजसिंहपुर | 24-7-82 |
| 66. | श्री हरजिन्द्रसिंह | श्री चरणसिंह | सैल्समैन | गजसिंहपुर | 31-12-82 |
| 67. | श्री शंकरलाल | श्री वस्तीराम | सैल्समैन | धमूडवाली | 6-9-82 |
| 68. | श्री ओमप्रकाश | श्री लालचन्द | सैल्समैन | जीवनदेसर | 11-10-82 |
| 69. | श्री किशनलाल | श्री परसराम | सैल्समैन | रिड़मलसर | 12-6-82 |
| 70. | श्री राजेन्द्रसिंह | श्री खेमसिंह | हैल्पर | रिड़मलसर | 7-9-82 |
| 71. | श्री कृष्णलाल | श्री रामनाथ | सैल्समैन | बीअवायला | 12 4-82 |
| 72. | श्री अजमेरसिंह | श्री जर्नैलसिंह | हैल्पर | ,, | 21-7-82 |
| 73. | श्री बलवंतसिंह | श्री हरबंससिंह | सं. | हनूपगढ़ | 31-12-82 |
| 74. | श्री बद्रीप्रसाद | श्री भागीरथ पुलिया | सं. | हनूपगढ़ | 12-6-82 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75. श्री मुख्तयारसिंह | बतासिंह | है. | अनूपगढ़ | 1-1-83 |
| 76. श्री हरविन्द्रासिंह | सुरजीतसिंह | सै. | पुरानीमण्डी घड़साना | 12-6-82 |
| 77. श्री मञ्जीतसिंह | आशासिंह | सै. | ,, | 10-12-82 |
| 78. श्री हरदयालसिंह | बुधासिंह | सै. | ,, | 21-6-82 |
| 79. श्री अमरचंद | उदाराम | सै. | नई मण्डी घड़साना | 12-6-82 |
| 80. श्री भजनसिंह | महेन्द्रसिंह | है. | नईमण्डी ,, | 17-10-82 |
| 81. श्री ओमप्रकाश सिलु | ईशरराम | सै. | रामसिंहपुर | 3-1-83 |
| 82. श्री राजवीरसिंह | सुरजीतसिंह | है. | ,, | 1-3-83 |
| 83. श्री हरीशचन्द्र बत्रा | ओमप्रकाश | सै. | करणपुर | 14-6-82 |
| 84. श्री घनश्यामदास | चिमनलाल | सै. | ,, | 1-7-82(शुगर फैक्ट्री) |
| 85. श्री दलवीरसिंह | करतारसिंह | सै. | ,, | 30-9-82 |
| 86. श्री कर्णसिंह | हीरसिंह | है. | ,, | 22-6-82 |
| 87. श्री राजकुमार | प्यारेलाल | है. | दलपतसिंहपुरा | 10-12-82 |
| 88. श्री गुरदेवसिंह | जोगेन्द्रसिंह | सै. | खरला | 24-9-82 |
| 89. श्री गुरचरणलाल | श्रीराम | सै. | थेड़ी | 14-7-82 |
| 90. श्री होशियारमल | बजरंगलाल | सै. | नग्गी | 24-12-82 |
| 91. श्री हरविन्द्रसिंह | बतासिंह | सै. | रेहड़ेवाला | 17-6-82 |
| 92. श्री सुभाषचन्द्र | हसंराज | सै. | केशरीसिंहपुर | 13-12-82 |
| 93. श्री बनारसीदास | मंगतराम | ,, | ,, | 25-6-82 |
| 94. श्री ओकसिंह | श्री प्यारेलाल | सै. | केसरीसिंहपुर | 22-6-82 |
| 95. श्री पवनकुमार | श्री बहादुरराम | सै. | फुसेवाला | 16-6-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96. | श्री राजकुमार | श्री भंवरसिंह | सै. | सुरतगढ | 31–7–82 |
| 97. | श्री सत्यपाल | श्री गोपीराम | सै. | ,, | 5–4–82 |
| 98. | श्री भंवरसिंह | श्री शिवनाथसिंह | है. | ,, | 20–7–82 |
| 99. | श्री सुविन्द्रकुमार | श्री स्वरूपसिंह | सै. | टिब्बा कॉलोनी सूरतगढ | 23–6–82 |
| 100. | श्री बृजकिशोर सिंह | श्री रामदेव सिंह | सै. | पीलीबंगा | 1–7–82 (शुगर फैक्ट्री |
| 101. | श्री राधेश्याम | श्री तेजमल सिंह | सै. | ,, | 30–9–82 |
| 102. | श्री जोरासिंह | श्री जबरंग सिंह | है. | अयालकी | 19–8–82 |
| 103. | श्री हेतराम | श्री रामचन्द्र | है. | पंडितावाली | 19–10–82 |
| 104. | श्री चुनीलाल | श्री किशोरीलाल | है. | सरदारगढ़ | 19–10–82 |
| 105. | श्री खेताराम | श्री बुधराम | है. | दुरमाना | 11–11–82 |
| 106. | श्री हनमान सिंह | श्री हरचंदसिंह | है. | बड़ोपल | 10–11–82 |
| 107. | श्री जुगलसिंह | श्री छतुसिंह | है. | जाखड़ावाला | 9–2–82 |
| 108. | श्री हरिराम गोदारा | श्री श्योकरण | है. | राजकेनाल हैड | 6–1–83 |
| 109. | श्री विजय भठेजा | श्री हरीचंद | सै. | गोलुवाला | 12–6–82 |
| 110. | श्री गोविन्दराम | श्री चोखाराम | है. | ,, | 9–2–83 |
| 111. | श्री रूड़ाराम | श्री पोलाराम | सै. | कैंचों | 2-4-82 |
| 112. | श्री गोपालसिंह | श्री भानीसिंह | सै. | ढांवा | 29-9-82 |
| 113. | श्री जयगोपाल | श्री चौधरीराम | सै. | जैतसर | 12-6-82 |
| 114. | श्री दर्शनसिंह | श्री बैसाखसिंह | सै. | ,, | 12-6-82 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 115. श्री दिरवरसिंह | चिमनसिंह | सै. | विजयनगर | 15-4-82 |
| 116. श्री इन्द्रमान | मंशोसिंह | हे. | थानका मो. विजयनगर | 6-10-82 |
| 117. श्री रामेश्वरदयाल नाई | नेमीचन्द नाई | है. | कल्याणकोट | 13-10-82 |
| 118. श्री रवीन्द्रसिंह सेठी | करतारसिंह | सै. | रायसिंहनगर नं. 1 | 15-4-82 |
| 119. श्री भंवरसिंह | हेरिसिंह | सै. | ,, | 9-10-82 |
| 120. श्री दर्शनसिंह | हरदयालसिंह | सै. | रायसिंहनगर नं. 2 | 7-9-82 |
| 121. श्री रामप्रताप | जिन्दाराम | हे. | गंगुवाला | 17-11-82 |
| 122. श्री बलजिन्द्रसिंह | गुरदयालसिंह | हे. | मुकलावा | 25-6-82 |
| 123. श्री रामगोपाल शर्मा | राम नारायण शर्मा | सै. | रावला | 10-11-82 |
| 124. श्री नरेशकुमार | दिवानचन्द | हे. | रावला | 8-2-83 |
| 125. श्री लछोसिंह | रामचन्द | हे. | 281 हैड | 10-5-82 |
| 126. श्री गंगाबिशन | लमुलाल | सै. | टिबी | 9-10-82 |
| 127. श्री यादवेन्द्र पाहुजा | हरगोविन्द | सै. | मसीतावाली हैड | 23-4-82 |
| 128. श्री गुरमेलसिंह | बिशनसिंह | हे. | ,, | 23-8-82 |
| 129. श्री महावीरप्रसाद | बीझाराम | सै. | सादुलशैहर | 1-7-82 (शुगर फैक्ट्री) |
| 130. श्री कैलाश सक्सेना | रामनारायण | सै. | ,, | 6-4-82 |
| 131. श्री रमेशचन्द | बलराम | हे. | ,, | 10-7-82 |
| 132. श्री ओमप्रकाश | हेरलाल | सै. | ,, (बस स्टेण्ड) | 5-4-82 |
| 133. श्री रामकुमार | गणपतराम | सै. | ,, | 3-4-82 |
| 134. श्री नरेशकुमार | देसराज अरोड़ा | सै. | पक्का सारना | 12-6-82 |
| 135. श्री राजेन्द्रकुमार | जुगलकिशोर | हे. | पक्का सारना | 28-8-82 |
| 136. श्री रामदयाल | बेगराज | सै. | पतलो | 16-6-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137. | श्री सुरजाराम | मानाराम | है. | पतली | 28-1-83 |
| 138. | श्री सुदेशकुमार | ओमप्रकाश | हैं. | मोरजण्डा | 26-6-82 |
| 139. | श्री मनोहरलाल | बिहारीलाल | सै. | ढांबा | 15-6-82 |
| 140. | श्री बृजलाल | काशीराम | है. | ढांबा | 10-12-82 |
| 141. | श्री ओमप्रकाश | राजाराम | सै. | दानगढ | 10-12-82 |
| 142. | श्री सुवासिंह | रूपसिंह | सै. | भगतपुरा | ,, |
| 143. | श्री रूपसिंह | वरियामसिंह | सै. | हरीपुरा | ,, |
| 144. | श्री देवीलाल शर्मा | गणेशाराम | सै. | संगरिया नं. 1 | 2-4-82 (शुगर फैक्ट्री) |
| 145. | श्री रामनिवास शर्मा | सुरजमल | सै. | ,, | 13-7-82 |
| 146. | श्री गोबिन्दराम | लक्ष्मीनारायण | है. | ,, | 22-7-82 |
| 147. | श्री आदित्यकुमार | चन्द्रभान | सै. | सांगरिया नं. 2 | 2-4-82 |
| 148. | श्री हरवीरसिंह | भैरूसिंह | सै. | ,, | 25-5-82 |
| 149. | श्री सुभाषचन्द्र | गोपीराम | सै. | सांगरिया नं. 2 | 22-9-82 |
| 150. | श्री हरीनन्दन प्रसाद गुप्ता | काशीराम | सै. | किशनपुरा | 13-6-82 |
| 151. | श्री साहबराम | हेतराम | सै. | किशनपुरा | 10-8-82 |
| 152. | श्री अजायबसिंह | हरिसिंह | सै. | मालारामपुरा | 16-4-82 |
| 153. | श्री जगदीशराय विश्नोई | हेतराम | सै. | छपर इन्द्रगढ | 13-4-82 |
| 154. | श्री बलवीरसिंह | मेहरसिंह | है. | इन्द्रगढ | 10-12-82 |
| 155. | श्री मेजरसिंह | गुरासिंह | सै. | रामसुवाला | 7-7-82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 156. | श्री बलकारसिंह | देसासिंह | सै. | सिहपुरा | 13–6–82 |
| 157. | श्री प्रीतपालसिंह | गुरनामसिंह | सै. | मनियावाली | 13–6–82 |
| 158. | श्री बीर्डसिंह सिंधु | स्वर्णसिंह | सै. | खैरुवाला | 20–6–82 |
| 159. | श्री बस्तीराम | उमराव | सै. | नुकेरा | 2–4–82 (शुगर फैक्ट्री) |
| 160. | श्री दारासिंह बराड़ | अजमेरसिंह | सै. | नुकेरा | 7–11–82 |
| 161. | श्री बाबूसिंह | भागसिंह | सै. | संतपुरा | 21–9–82 |
| 162. | श्री हेतराम विश्नोई | चन्दुलाल | सै. | नोहर फस्ट | 26–5–82 |
| 163. | श्री राजेन्द्र प्रसाद | हेतराम | सो. | नोहर | 28–12–82 |
| 164. | श्री जसराम गोदारा | भीगीरथमल | है. | नोहर | 7–7–82 |
| 165. | श्री जगतारसिंह | भुरसिंह | सै. | नोहर सैकण्ड | 14–6–82 |
| 166. | श्री हनुमानप्रसाद | मोहनलाल नाई | सै. | नोहर | 19–9–82 |
| 167. | श्री शंकरलाल | रूपराम | है. | नोहर | 19–10–82 |
| 168. | श्री भगवतसिंह देवल | काहनसिंह | सै. | रावतसर | 7–9–82 |
| 169. | श्री भानसिंह राजपूत | छितरसिंह | सै. | रावतसर | 10–11–82 |
| 170. | श्री दलीप कुमार | मीमनदास | सै. | गोगामंडी | 21–7–82 |
| 171. | श्री छोटूमल | गंगाराम | सै. | गोगामंडी | 1–6–82 |
| 172. | श्री रामहरस | रामनाथ | सै. | फेफाना | 5–4–82 |
| 173. | श्री मोसमदीन | हबीबखां | है. | फेफाना | 9–12–82 |
| 174. | श्री जगदीश प्रसाद | किशनलाल | सै. | जसाना | 26–5–82 |
| 175. | श्रीओमेन्द्रसिंह | केसरदास | सो. | थालडका | 16–10–82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 176. | श्री नीलमकुमार | विद्याधर | सै. | गन्देली | 24–5–82 |
| 177. | श्री अशोक कुमार | शिवकुमार | सै. | पल्लू | 12–6–82 |
| 178. | श्री सुशील कुमार | कृपाराम | है. | पल्लू | 21–7–82 |
| 179. | श्री रमेश कुमार | बद्रीप्रसाद | सै. | मुकरका | 10–9–82 |
| 180. | श्री चन्द्रप्रकाश | रामचन्द्र | सै. | भादरा | 13–6–82 |
| 181. | श्री घनश्यामदास | पुर्णानंद जोशी | सै. | भादरा | 1–7–82 (शुगर फैक्ट्री) |
| 182. | श्री अमरजीतसिंह | दलबीरसिंह | सै. | भादरा | 27–1–83 |
| 183. | श्री धर्मसिंह | हुसनसिंह | है. | भादरा | 28–12–82 |
| 184. | श्री रामकुमार | बुद्धराम | सै. | भादरा (हिसार बस स्टैण्ड) | 6–7–82 |
| 185. | श्री किशनगोपाल गौड | मुंशीराम गौड | है. | भादरा | 28–6–82 |
| 186. | श्री प्रकाशचन्द | बहादुरराम | है. | खचवाना | 9–10–82 |

दी गंगानगर शुगर मिल्स लि. श्रीगंगानगर
(राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान)
मदिरा दुकानात विभाग, श्रीगंगानगर

विदेशी मदिरा दुकानों पर कार्यरत कर्मचारी एवं हैल्परों की सूची

| क्र.सं. | कर्मचारी का नाम | पिता का नाम | पद | दुकान का नाम | नियुक्ति तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री किशनसिंह | श्री बी. एस. राठौड़ | सैल्समैन | गोल बाजार, श्रीगंगानगर | 20-7-82 |
| 2 | श्री चन्द्रपाल दुग्गल | श्री मुलख राज | हैल्पर | ,, ,, | 28-8-82 |
| 3. | श्री मोहन लाल | श्री नत्थु राम | सैल्समैन | गोशाला रोड श्रीगंगानगर | 17-6-82 |
| 4 | श्री कर्मजीत सिंह | श्री बख्शीश सिंह | ,, | करनपुर बस स्टेण्ड ,, | 5-6-82 |
| 5. | श्री ओमप्रकाश | श्री सत्यदेव | ,, | करनपुर बस स्टेण्ड ,, | 12-11-82 |
| 6. | श्री गुरजन्टसिंह | श्री इन्द्रसिंह | ,, | पदमपुर बस स्टेण्ड | |
| 7. | श्री हरस्वरूप सिंह | श्री हेमराज | ,, | हनुमानगढ़ टाउन | 1-7-82 |
| 8. | श्री नरपतसिंह | श्री रूपसिंह | ,, | हनुमानगढ़ जं. | 1-7-82 |
| 9. | श्री रामानन्द | श्री बनवारीलाल | ,, | हनुमानगढ़ जं. | 1-7-82 |
| 10. | श्री वेदपाल गोदारा | श्री सुलतानराम | सैल्समैन | सांगरिया | 15-6-82 |
| 11. | श्री चन्द्र शेखर | श्री कृष्ण कुरूप | हैल्पर | ,, | 22-9-82 |
| 12. | श्री टेकचन्द | श्री घमण्डीराम | सैल्समैन | सादुलशहर | 15-6-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | श्री रिछपालसिंह | श्री जसकरण सिंह | सैल्समैन | नोहर | 22-6-82 |
| 14. | श्री हरीप्रसाद पारीक | श्री रामदेवाराम | ,, | विजयनगर | 2-4-82 |
| 15. | श्री गोपरी कृष्ण पारीक | श्री सुरजाराम पारीक | ,, | भादरा | 9-12-82 |
| 16. | श्री वेदप्रकाश | श्री बृजलाल | ,, | रावतसर | 12-10-82 |
| 17. | श्री विश्वरदयाल | श्री कैलाशचन्द्र | सैल्समैन | रावतसर | 31-12-82 |
| 18. | श्री दिनेशचन्द | श्री भगवानसहाय | ,, | सूरतगढ | 29-5-82 |
| 19. | श्री पूर्णसिंह | श्री भंवरसिंह | ,, | गोलूवाला | 22-9-82 |
| 20. | श्री प्रदीपकुमार | श्री रामजीलाल | हैल्पर | ,, | 11-1-83 |
| 21. | श्री राजू चारण | श्री रामचन्द्र | सैल्समैन | जैतसर | 2-4-82 |
| 22. | श्री लुर्दचन्द्र बत्रा | श्री गोकुलचन्द | ,, | घड़साना | 5-4-82 |
| 23. | श्री विनोद कुमार | श्री ओमप्रकाश कटारिया | हैल्पर | ,, | 27-6-82 |
| 24. | श्री बृजमोहन | श्री रिछपाल | सैल्समैन | अनूपगढ प्रथम | 24-7-82 |
| 25. | श्री सहदेवसिंह देवल | श्री चतरसिंह | ,, | ,, II | 11-1-83 |
| 26. | श्री जगरूपसिंह | श्री मुन्सीसिंह | ,, | रायसिंहनगर | 3-9-82 |
| 27. | श्री सुरेन्द्र कुमार | श्री रोशनलाल | ,, | करनपुर नं. 1 | 16-4-82 |
| 28. | श्री सुरेन्द्र कुमार | श्री प्यारे लाल | हैल्पर | ,, | 21-9-82 |
| 29. | श्री राजकुमार | श्री चरणदास | सैल्समैन | पदमपुर नं 1 | 1-7-82 |
| 30. | श्री जगदीशसिंह | श्री रामगोपाल पंवार | ,, | ,, 2 | 26-6-82 |

# परिशिष्ट–6

तारांकित प्रश्न संख्या 512 का विवरण
(प्रपत्र "क")

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा किये गये निरीक्षण की तिथियों का विवरण

**मुख्य अभियन्ता**

1. 9–6–1982
2. 28–6–1982
3. 17–7–1982
4. 22–7–1982
5. 13–8–1982
6. 26–8–1982
7. 4–9–1982
8. 20–9–1982
9. 23–9–1982
10. 18–10–1982
11. 25–11–1982

**अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता**

1. 25–1–1982
2. 8–3–1982
3. 1–4–1982
4. 2–4–1982
5. 18–4–1982
6. 16–6–1982
7. 26–8–1982
8. 28–8–1982
9. 9–9–1982
10. 20–10–1982
11. 6–11–1982
12. 10–11–1982
13. 16–11–1982
14. 20–11–1982
15. 25–11–1982

## परिशिष्ट 7

### मतारांकित प्रश्न संख्या 843 की अंक तालिका की प्रति

S.No. 4771 DUPLICATE

UNIVERSITY OF RAJASTHAN

Copy of marks obtained at the Second Year (Arts)
Examination of the Three Y ear
Degree Course, 1981.

Roll No. 48886

Name (Miss) Babli Devi Sanadhya Category :—Collegiate Non-Collegiate

| S,No. | Subjects and papers etc. | Maximum marks | Minimum Pass Marks | Marks obtained Theory Paper I | Paper II | Total marks obtained in the subject | Remarks if any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pol. S.c. | 100 | 36 | | | (31) | |
| | Optional Subjects | | | | | | |
| 3. | Modern Indian Languages Hindi 2 Papers of 100 each. | 200 | 72 | 23 | 45 | (68) | |
| 5. | Political Science 2 Papers of 100 each. | 200 | 72 | 34 | 28 | (62) | |
| 6. | History 2 Papers of 100 each | 200 | 72 | 28 | 38 | (66) | |
| | Grand Total of marks obtained | | | | | 196 | Failed |

Dated JAIPUR,
Date of Issue of
Duplicate. 21-3-83

Written by Sd/-
Checked by Sd-

Sd--
REGISTRAR.

# परिशिष्ट- 8

## अतारांकित प्रश्न संख्या 847 की सूची

## बाढ प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों की सूची

[प्रपत्र "क"]

| क्र.सं. | सड़क का नाम | व्यय 2/83 तक (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बीकानेर नोखा नागौर सड़क | 1.73 |
| 2. | बीकानेर रेल्वे स्टेशन से गोगा गेट | 1.49 |
| 3. | जस्सूसर गेट से शीतला गेट जालान प्याऊ व करणीसर एप्रोच सड़क तक | 2.13 |
| 4. | पब्लिक पार्क सड़कें। | 1.43 |
| 5. | कोट गेट से लक्ष्मीनारायण मंदिर वाया प्रकाश चित्र सिनेमा सड़क | 10.09 |
| 6. | अणचावाई बिमानी अस्पताल से लक्ष्मीनारायण मंदिर सड़क तक | 3.42 |
| 7. | जस्सूसर गेट से लक्ष्मीनारायण मंदिर तक सड़क | 7.79 |
| 8 | रेल्वे स्टेशन से के. ई. एम. सड़क | 5.18 |
| 9. | निम्नलिखित डाईवर्सन सड़कें :— | |
| | अ- बीकानेर नापासर गुसाईसर | |
| | ब– कोडमदेसर गजनेर | |
| | स–बीकानेर सुजानदेसर | |
| | द-सड़क गिन्नानी | 3.72 |
| | च–बीकानेर झाझू | |
| | छ–एप्रोच रोड भीनासर | |
| | ज–देशनोक जांगलू | |
| 10. | बीकानेर छतरगढ़ सड़क | 1.28 |
| 11. | घड़साना बेरीवाला सडक | 0.72 |
| 12. | बीकानेर नोंखा नागौर सडक | 1.88 |
| 13. | नोखा जसरासर सड़क | 0.69 |
| 14. | निम्नलिखित डाईवर्सन सड़कें :- | |
| | अ–लूणकरनसर सरदार शहर रोड़ | |
| | ब–कालू गंसाईसर रोड़ | 1.63 |
| | स–लूणकरनसर खुमाना रोड | |
| | द-लूणकरनसर राजपुरिया रोड़ | |
| | च–मलकीसर कपूरीसर रोड़ | |
| | कुल योग:- | 42.58 |

340



# परिशिष्ट–9

## अतारांकित प्रश्न संख्या 852 की सूची

## विद्युतिकृत ग्रामों की सूची

(फरवरी, 83 तक)

स्कीम का नाम–करौली (एस. पी. ए.)

| क्र.सं. | गांव का नाम | कोड नं. | विद्युतिकरण का दिनांक | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | धुराकर | 7/7/170 | 22-3-82 | |
| 2. | दीपपुरा | 24 | 26-1-82 | |
| 3. | बाड़ दूल्हेपाल मय चक | 27 | 30-11-81 | |
| 4. | बल्लुपुरा | 40 | 26-1-82 | |
| 5. | रोड खुर्द | 9 | 20-1-82 | |
| 6. | सिलपुरा | 42 | 31-1-83 | |
| 7. | चक रोड | 4 | 31-1-83 | |
| 8. | रूधापुरा | 7 | 24-12-82 | |
| 9. | रूदोड | 5 | 28-2-83 | |
| **स्कीम का नाम–शामनवास (2)** | | | | |
| 10. | गिधानी | 7/4/15 | 31-1-83 | |
| 11. | सन्हेंडा | 3 | 31-1-83 | |
| **स्कीम का नाम–गंगापुर (आर.एम.एन.पी.)** | | | | |
| 12. | बिंदर खाँ | 7/6/78 | 26-1-82 | |
| 13. | धूधूपुरा | 79 | 26-1-82 | |
| 14. | उदेई खुर्द | 35 | 26-1-82 | |
| 15. | महानन्दपुर | 29 | 26-2-82 | |
| 16. | खुदस्या | 81 | 28-1-82 | |
| 17. | बामन बड़ौदा | 80 | 28-2-83 | |
| 18. | बाड़ भायता | 94 | 31-1-83 | |
| **सपोटरा (एस.पी.ए.) स्कीम** | | | | |
| 19. | रामपुर पालन | 7/8/17 | 15-2-82 | |
| 20. | गोकलपुरा | 19 | 31-1-82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | जटवाडी | 15 | 28-10-81 | |
| 22. | सादपुरा | 39 | 11-2-82 | " |
| 23. | जोही | 70 | 28-10-81 | " |
| 24. | गोपीपुरा | 72 | 28-2-83 | |
| 25. | कीरतपुरा | 73 | 28-2-83 | |
| 26. | खानपुर | 65 | 28-2-83 | |
| | **हिन्डोन (आर.एम.एन.पी.) स्कीम** | | | |
| 27. | कालघाड मीना | 7/3/120 | 20-2-83 | |
| 28. | लीलोटी | 119 | 28-2-83 | |
| | **करौली (एम.पी.ए.)** | | | |
| 29. | रौड कलां | 7/7/3 | | |
| 30. | बसेडी | 6 | | |
| 31. | ऊंचे-का-पुरा | 12 | | |
| 32. | खरेंटा | 37 | | |
| 33. | घोडरापुरा | 13 | | |
| 34. | सहजपुरा | 14 | | |
| 35. | तुलसीपुरा | 36 | | |
| 36. | पीपलपुरा | 10 | | |
| 37. | आड़ी हूडपुरा | 2 | | |
| 38. | सेंगरपुरा | 1 | | |
| | **बामनवास (2)** | | | |
| 39. | गढ मोरा | 7-4-65 | | |
| 40. | थिरावडा | 63 | | |
| 41. | गांवडी | 62 | | |
| 42. | लालसर | 60 | | |
| 43. | पाल | 59 | | |
| 44. | जाहरा | 23 | | |
| 45. | भोंवरवाडा | 18 | | |
| 46. | मुहाना | 15 | | |
| 47. | राजाहेड़ा | 15 | | |
| 48. | रेवासा | 66 | | |

342



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | सोकरोलो | 7-5-2 | | |
| 50. | गोठ | 3 | | |
| 51. | अमरवा मय डूंगर पट्टी | 1 | | |
| 52. | दुजई | 4 | | |
| 53. | वाढ़ दुजई | 5 | | |
| 54. | चन्दलाई | 7 | | |
| | नोन पोटेन्शल ग्राम | | | |
| 55. | सिगटोली | 7/5/10 | | |
| 56. | वाढ रघुनाथपुरा | 14 | | |
| 57. | रघुनाथपुरा | 13 | | |
| 58. | धोला दातां | 7/4/64 | | |
| 59. | गुना | 17 | | |
| | गंगापुर (आर एम एन पी) स्कीम | | | |
| 60 | मीना पाडा | 7/6/91 | | |
| 61. | तलावडा | 101 | | |
| 62. | महानन्दपुरा | 59 | | |
| 63. | ब्रह्म्वाज | 60 | | |
| 64. | वाढ कलां | 74 | | |
| 65. | आस्ट्रोली | 61 | | |
| 66. | दौलतपुरा | 62 | | |
| 67. | जीयापुरा | 63 | | |
| 68. | वाढ खुर्द | 72 | | |
| 69. | अहमदपुर | 64 | | |
| 70. | बाढ़ बिचला | 7/6/71 | | |
| 71. | गांवड़ी कलां | 67 | | |
| 72. | थली | 70 | | |
| 73. | खूटला | 68 | | |
| 74. | कड़ी झोपड़ी | 100 | | |
| 75. | कुनकटा कलां | 96 | | |
| 76. | भावता | 95 | | |
| 77. | जैतपुर | 98 | | |
| 78. | कड़ी पट्टी | 99 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 79. | कड़ी गावड़ी | 97 | | |
| 80. | कोटड़ी | 111 | | |
| 81. | बाढ़ कोटड़ी | 110 | | |
| 82. | रामगढ़ मुराड़ा | 112 | | |
| 83. | खेड़ा बाड़ रामगढ़ | 113 | | |
| 84. | बाढ़ गावड़ी | 114 | | |
| 85. | बाढ़ मिलकपुर | 108 | | |
| 86. | जयसिंहपुरा | 102 | | |
| 87. | मिलकपुर | 107 | | |
| 88. | खोलाई | 109 | | |
| 89. | रामसर | 105 | | |
| 90. | बाढ़ रामसर | 104 | | |
| 91. | टोटोलाई | 103 | | |
| 92. | बाढ़ टटवाड़ा | 115 | | |
| 93. | नारायणपुर टटवाड़ा | 106 | | |
| **नोन पोटेन्शियल** | | | | |
| 94. | बाढ़ महानन्दपुर | 7/6/58 | | |
| 95. | गांवड़ी खुर्द | 65 | | |
| 96. | सहबपुर | 66 | | |
| 97. | बाढ़ खूंटला | 69 | | |
| 98. | खिदरपुर | 30 | | |
| 99. | काशीपुरा | 31 | | |
| 100. | कमालपुर | 32 | | |
| 101. | रामसिंहपुरा | 33 | | |
| **सपोटरा (एस. पी. ए.) स्कीम** | | | | |
| 102. | बैरुन्दा | 7/8/9 | | |
| 103. | हरीसिंहपुरा | 10 | | |
| 104. | खिदरपुर | 11 | | |
| 105. | मांडा | 3 | | |
| 106. | ऐदलपुर | 2 | | |
| 107. | खेड़ला | 1 | | |
| 108. | किराड़ी | 57 | | |
| 109. | बगीदा | 59 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 110. | सैमरदा | 56 | | |
| 111. | फतेहपुर | 55 | | |
| 112. | सिमर | 60 | | |
| | <u>नोन पोटेन्शियल</u> | | | |
| 113. | बाढ़ भूदर | 7/8/28 | | |
| 114. | बाढ प्रतापसिंह | 27 | | |
| 115. | बाढ़ जीवनसिंह | 23 | | |
| 116. | बाढ़ कोठीगुंदा | 26 | | |
| 117. | भंवरपुरा | 24 | | |
| 118. | वाड सारिया | 23 | | |
| 119. | ओकलपुरा | 58 | | |
| 120. | काली डोंगरी | 75 | | |
| | <u>हिन्डोन (आर. एम. एम. पी.)</u> | | | |
| 121. | बक्षेडा | 7/3/118 | | |
| 122. | हैदरोली | 117 | | |
| 123. | कोटरा डहर | 121 | | |
| 124. | खानवाडा | 122 | | |
| 125. | मोठियापुर | 66 | | |
| 126. | काठरी | 123 | | |
| 127. | काला खाना | 124 | | |
| 128. | पालनपुर | 125 | | |
| 129. | वाढ पोछडी | 70 | | |
| 130. | पोछडी | 69 | | |
| 131. | झिरना | 68 | | |
| 132. | जेबर बाड अटक | 71 | | |
| 133. | भंगो | 72 | | |
| 134. | खोहरा घूसेटी | 73 | | |
| 135. | दुधाटी | 74 | | |
| 136. | चक पीलूवाडा | 63 | | |
| 137. | नीमोरपटी | 67 | | |
| | <u>बामनवास (2)</u> | | | |
| 138. | भोंडावाडा | 61 | | |

## परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 854 का विवरण

बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों की कुल संख्या

(जनजाति क्षेत्र व राज० नहर क्षेत्र सहित)

| क्र. सं. | जिले का नाम | प्राथमिक | | | उच्च प्राथमिक | | | प्रा. एवं उ.प्रा.वि. | माध्यमिक | | | उ.मा.वि. | | | छात्रावास | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | माध्य. | उ.मा. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | अजमेर | 107 | 16 | 123 | 112 | 22 | 134 | 257 | 8 | 2 | 10 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| 2. | जयपुर–प्रथम | 199 | 11 | 210 | 104 | 5 | 109 | 319 | 17 | 4 | 21 | 2 | – | 2 | 2 | 1 |
| 3. | जयपुर-II | 131 | 09 | 140 | 115 | 7 | 122 | 262 | | | | | | | | |
| 4. | भरतपुर | 260 | 2 | 262 | 170 | 16 | 186 | 448 | 12 | 4 | 16 | 1 | – | 1 | 2 | – |
| 5. | अलवर | 224 | 2 | 226 | 199 | 13 | 212 | 438 | 13 | 4 | 17 | – | 1 | 1 | – | 2 |
| 6. | बीकानेर | 051 | 03 | 054 | 056 | 06 | 062 | 116 | 05 | 1 | 06 | 1 | – | 1 | – | 2 |
| 7. | चूरू | 068 | 03 | 071 | 021 | 09 | 130 | 201 | 07 | 2 | 09 | 1 | | 1 | 1 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | श्री गंगानगर | 144 | 82 | 156 | 170 | 16 | 186 | 342 | 11 | 2 | 13 | 1 | – | 2 | 1 छावा | 1 |
| 9. | झुन्झुनू | 102 | 05 | 106 | 127 | 10 | 137 | 243 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | – | 1 | |
| 10. | सीकर | 091 | 28 | 119 | 138 | 19 | 157 | 276 | 88 | 2 | 10 | – | 1 | 1 | 1 | |
| 11. | जोधपुर | 093 | 08 | 101 | 132 | 03 | 135 | 236 | 09 | 2 | 11 | 1 | – | 1 | 1 | |
| 12. | पाली | 178 | – | 178 | 091 | 22 | 113 | 291 | 12 | 1 | 13 | 1 | – | 1 | 2 | 1 |
| 13. | नागौर | 165 | 12 | 177 | 163 | 18 | 181 | 258 | 12 | 2 | 14 | 1 | – | 1 | 1 | |
| 14. | बाड़मेर | 143 | 4 | 147 | 99 | 4 | 102 | 250 | 9 | 9 | 10 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 15. | जालौर | 97 | 6 | 103 | 100 | 11 | 111 | 214 | 88 | 1 | 9 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| 16. | सिरोही | 74 | 02 | 76 | 56 | 2 | 59 | 135 | 5 | 2 | 7 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 17. | कोटा | 125 | 10 | 125 | 126 | 20 | 155 | 290 | 13 | 2 | 15 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| 18. | बून्दी | 64 | 4 | 68 | 79 | 8 | 67 | 135 | 5 | 1 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 19. | झालावाड़ | 104 | 6 | 110 | 93 | 7 | 100 | 210 | 6 | 2 | 8 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 20. | जैसलमेर | 55 | 4 | 59 | 32 | 2 | 34 | 93 | 4 | – | 4 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 21. | स. माधोपुर | 198 | 7 | 205 | 159 | 22 | 181 | 186 | 11 | 3 | 14 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | टौंक | 089 | 6 | 95 | 92 | 5 | 97 | 192 | [illegible] | 1 | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| 23. | उदयपुर | 250 | 24 | 274 | 251 | 24 | 275 | 549 | 19 | 3 | 22 | 1 | – | 1 | 2 | 1 |
| 24. | भीलवाड़ा | 102 | 11 | 113 | 147 | 20 | 167 | 280 | 11 | 2 | 14 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 25. | चित्तौड़गढ़ | 140 | 2 | 145 | 146 | 17 | 163 | 308 | 13 | 13 | 16 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 26. | बांसवाड़ा | 90 | 6 | 96 | 80 | 14 | 94 | 190 | 8 | 2 | 10 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| 27. | डूंगरपुर | 75 | 5 | 80 | 84 | 10 | 94 | 174 | 5 | 2 | 7 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| | योग :— | 3418 | 211 | 3629 | 3231 | 333 | 3564 | 7193 | 246 | 54 | 300 | 24 | 3 | 27 | 28 | 12 |

# परिशिष्ट 11

**अतारांकित प्रश्न संख्या 856 की सूचियाँ**

वर्तमान में शिक्षा विभाग (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) में प्रचलित शिक्षक संघों की सूची

1. राजस्थान शिक्षा सेवा संघ
   (अ) श्री पुष्प कान्त दलाल की अध्यक्षता वाला
   (ब) श्री शान्तिलाल जैन की अध्यक्षता वाला
2. राजस्थान शिक्षक संघ (सनाढ्य)
3. ,, ,, (शेखावत)
4. ,, ,, (प्रगतिशील)
5. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ
6. राजस्थान माध्यमिक शिक्षक संघ
7. राजस्थान प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ

(वेतन शृंखला/विषय आधारित)

8. राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक संघ
9. राजस्थान शिक्षा प्रसार अधिकारी संघ
10. राजस्थान द्वितीय वेतन शृंखला अध्यापक संघ
11. राजस्थान प्राथमिक शिक्षक संघ
12. ,, ,, तृतीय वेतन शृंखला शिक्षक संघ
13. ,, ,, शारीरिक शिक्षक संघ
14. ,, ,, उद्योग शिक्षक संघ
15. ,, ,, वाणिज्य शिक्षक संघ
16. ,, ,, संगीत अध्यापक संघ
17. ,, ,, चित्रकला अध्यापक संघ
18. ,, ,, संस्कृत शिक्षक संघ
19. ,, ,, बधिर शिक्षक संघ
20. ,, ,, पंचायत समिति शिक्षक संघ
21. सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ
22. राजस्थान अनुसूचित एवं जनजाति संघ

कृते अपर निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट—2

## जुलाई 1982 से 31 जनवरी 1983 तक स्वीकृत शैक्षिक अवकाश की सूची

| क्र. सं. 1 | संगठन का नाम 2 | सम्मेलन का स्तर 3 | | दिनांक 4 | स्वीकृत आदेश संख्या व दिनांक 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राजस्थान शिक्षक संघ | | | | क्रमांक :—शिविरा/सतर्कता/32831/82/8 |
| 1. | सनाढ्य | जिला शाखा | अजमेर | 10 व 11-8-82 | दिनांक 22-7-82 |
| 2. | ,, | नगर उप शाखा | अजमेर | 9-8-82 | ,, ,, / |
| 3. | ,, | श्रीनगर (अजमेर) | ,, | 9-8-82 | ,, ,, |
| 4. | ,, | उप शाखा | पुष्कर | 9-8-82 | ,, ,, |
| 5. | द्वितीय वेतन शृंखला संघ | जिला शाखा | अजमेर | 10 व 11-9-82 | ,, ,, /43 दि. 1-6-82 |
| 6. | व्याख्याता संघ | ,, | अजमेर | 29 व 30-9-82 | ,, ,, /46 1-9-82 |
| 7. | प्रगतिशील | ,, | अजमेर | 23,24-9-82 | ,, ,, /515 3-9-82 |
| 8. | ,, | ,, | नसीराबाद | 17-9-82 | ,, ,, /515 17-9-82 |
| 9. | ,, | ,, | ब्यावर | 20-9-82 | ,, ,, ,, ,, |
| 10. | ,, | ,, | किशनगढ़ | 17-9-82 | ,, ,, ,, ,, |
| 11. | ,, | ,, | अजमेर | 22-9-82 | ,, ,, ,, ,, |
| 12. | सनाढ्य एक | ,, | पासांगन | 11-9-82 | ,, ,, /75 8-9-82 |
| 13. | ,, | ,, किशनगढ़, अराई, केकड़ी | | 17-9-82 | ,, ,, ,, ,, |
| 14. | ,, | ,, सावर (अजमेर) | | | |
| | | ,, सरवाड़ नसीराबाद | | 24-9-82 | ,, ,, ,, ,, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | भीनाय, मसूदा, विजयनगर ब्यावर, जवाजा, (अजमेर) | | | |
| 15. | व्याख्याता संघ–संशोधन आदेश | जिला शाखा अजमेर | 30-9-82 व 1-10-82 | दिनांक 22-7-82/28 | 27-9-82 |
| 16. | शेखावत पक्ष | जिला शाखा अजमेर (नगर व देहात) | 29 व 30-10-82 | ,, ,, /162 | 6-10-82 |
| 17. | ,, | उप शाखा ब्यावर, जवाजा, मसूदा एवं विजयनगर (अजमेर) | 16-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 18 | ,, | उप शाखा पीसांगन, श्रीनगर पुष्कर व नसीराबाद (अजमेर) | 23-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 19. | ,, | केकड़ी शावर सरवाड़ भीनाय | 23-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 20. | ,, | उप शाखा किशनगढ़ अराई | 2-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| | राजस्थान शिक्षक संघ | | | | |
| 21. | प्रगतिशील–संशोधन आदेश | उप शाखा किशनगढ़ (अजमेर) | 17-10-82 | 323831/82/161 दिनांक | 6-10-82 |
| 22. | ,, | तहसील शाखा अजमेर | 21-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 23. | ,, | जिला शाखा अजमेर | 22 व 23-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 24. | प्रथमिक एवं मा. शि. सं. | जिला शाखा अजमेर | 3 व 4-12-82 | ,, ,, 203 | 14-10-82 |
| 25. | ,, | संयुक्त उप शाखा अजमेर किशनगढ | 2-12-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 26. | ,, | उप शाखा ब्यावर सरवाड केकडी विजयनगर | 6-12-32 | ,, ,, ,, | ,, |
| 27. | सनाढ्य पक्ष संशोधन आदेश | उप-शाखा पीसांगन अजमेर | 30-10-32 | 32831/82 209 | 16-10-82 |
| 28. | ,, | ,, भिनाय नसीराबाद मसूदा | 29-10-32 | ,, ,, ,, | |

349

| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | विजय नगर (अजमेर) | | | | |
| 29. | द्रा. मा, शि. संघ संशोधन आदेश | | जिला शाखा अजमेर | 30 व 31–11–32 | ,, | 311 | 26–10–82 |
| 30. | ,, | ,, | उप शाखा ब्यावर सरवाड केकड़ी किशनगढ अजमेर | 29–12–32 ,, | ,, | 334 | 18–11–82 |
| | | | जिला भरतपुर | | | | |
| 31. | प्रगतिशील | जिला शाख | धौलपुर | 23 व 24–9–32 ,, | ,, | /42 | 1–3–83 |
| 32. | शेखावत | ,, | भरतपुर | 4 व 5–12–82 ,, | ,, | /188 | 12–10–82 |
| 33. | द्वि. वे. श्र संघ | ,, | भरतपुर | 29 व 30–10–32 ,, | ,, | 196 | 13–10–82 |
| 34, | शेखावत पक्ष संशोध आदेशन | ,, | भरतपुर | 10 व 11–12–82 ,, | ,, | 252 | 20–10–82 |
| | | | जिला अलवर | | | | |
| 35. | द्वि. वे. श्रु. संघ | ,, | अलवर | 3 व 4–9–82 ,, | ,, | /43 | 1–9–82 |
| 36. | सनाढ्य पक्ष | ,, | अलवर | 10 व 11–12–82 ,, | ,, | /113 | 25–9–82 |
| 37. | द्वि. वे. श्रु. संघ संशोधन आदेश | ,, | अलवर | 29 व 30–10–32 ,, | ,, | 196 | 13–10–82 |
| 38. | शेखावत | उप शाखा | बहरोड | 11–12–82 ,, | ,, | /272 | 2–11–82 |
| 39. | द्वि. वे. श्रु. संघ | ,, | तिजारा (अलवर) | 11–12–82 ,, | ,, | 282 | 8–11–82 |
| 40. | ,, | ,, | थानागाजी | 12–11–82 ,, | ,, | /,, | ,, |
| 41. | ,, | ,, | अलवर मुण्डावर | 13–11–82 ,, | ,, | /,, | ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **जिला जयपुर** | | |
| 42. द्वि.वे.श्रृ. | जिला शाखा जयपुर | 13 व 14–8–82 | 3283/82/9 दि. | 22–7–82 |
| 43. प्रगतिशील संशोधन आदेश | ,, जयपुर (नगर व देहात) | 21 व 22–9–82 | ,, ,, 6130 | 15–9–82 |
| 44. ,, ,, .. | ,, ,, ,, | 20 व 21–9–82 | ,, ,, /134 | 18–9–82 |
| 45. शेखावत पक्ष | ,, जयपुर (नगर व देहात) | 20 व 21–9–82 | ,, ,, /82131 | 15–9–82 |
| 46. व्याख्याता संघ | ,, जयपुर (नगर व देहात) | 21 व 22–10–82 | ,, ,, /163 | 6–10–82 |
| 47. प्रगतिशील | क्षेत्रीय, सम्मेलन जयपुर, अजमेर, धौलपुर अलवर व भरतपुर | 29 व 30–10–82 | ,, ,, /189 | 12–10–82 |
| 48. द्वि. वे. श्रृ. संघ | जयपुर–अजमेर रेंज क्षेत्रीय सम्मेलन | 21 व 22–10–82 | ,, ,, /196 | 13–10–82 |
| 49. प्रगतिशील | उप शाखा कोटपुतली | 22–10–82 | ,, ,, /197 | 14–10–82 |
| 50. व्याख्याता संघ | जिला शाखा जयपुर | 21 व 22–10–82 | ,, ,, /217 | 18–10–82 |
| 51. सनाढ्य पक्ष | ,, जयपुर | 29 व 30–10–82 | ,, ,, /258 | 21–10–82 |
| 52. शेखावत पक्ष | उप शाखा चौमू (जयपुर) | 13–11–82 | ,, /282 | 6–11–82 |
| | | **जिला झुन्झुनू** | | |
| 53. द्वि. वे. श्रृ. संघ | जिला शाखा झुन्झुनू | 5 व 6–10–82 | ,, ,, /287 | 6–11–82 |
| | | **जिला सीकर** | | |
| 54. प्रगतिशील | जिला शाखा सीकर | 2 व 3–8–82 | ,, ,, /10 | 22–7–82 |
| 55. द्वि. वे. श्रृ. संघ | ,, सीकर | 6 व 7–9–9–82 | ,, ,, /43 | 1-9–82 |
| 56. प्रा. एवं. मा. शि. संघ | ,, सीकर | 16 व 17–82 | ,, ,, /76 | 8–9–82 |
| एवं मा. शि. संघ | उप शाखा लक्ष्मणगढ़ सीकर | 13–9–82 | 32831/82/76 | 8-9-82 |
| 58. ,, | नगर शाखा सीकर | 20–9–82 | ,, ,, ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | द्वि. वे. शृ. संघ संशोधन आदेश | जिला शाखा | सीकर | 29 व 31–10–82 | „ „/196 | 13–10–82 |
| 60. | प्रगतिशील | उप शाखा | श्रीमाधोपुर (सीकर) | 28–10–82 | „ „/205 | 15–1[illegible]–82 |
| 61. | „ | „ | खण्डेला सीकर | „ | „ „ „ | „ |
| 62. | „ | „ | नीमकाथाना | „ | „ „ „ | |
| 62. | प्रगतिशील संशोधन आदेश | उप शाखा | नीमकाथाना (सीकर | 39-10-82 | 32331/82/228 | 18-10-82 |
| 63. | „ | „ | श्रीमाधोपुर एवं खण्डेला | 30-10:32 | „ „ „ | „ |
| 64. | प्रा. एवं मा. शि. सं. „ | „ | लक्ष्मणगढ़ सीकर | 3-11-82 | „ „/269 | 2-11-82 |
| 65. | „ | „ | फतेहपुर | 9-11-82 | „ „ „ | „ |
| 66. | „ संशोधन आदेश | जिला शाखा | सीकर | 10 व 11-11-82 | „ „ „ | „ |
| 67. | शेखावत पक्ष | „ | सीकर | 12 व 13-11-82 | „ „/272 | 2-11-82 |
| | | | **जिला सवाई माधोपुर** | | | |
| 68. | प्रा. मा. शि. संघ | जिला शाखा | सवाई माधोपुर | 16 व 17-9-32 | „ „/45 | 1-9-82 |
| 69. | शेखावत पक्ष | उप शाखा | वामनवास | 16-10-82 | „ „/162 | 6-10-82 |
| 70. | „ | „ | नादौती | „ | „ „ „ | „ |
| 71. | „ | „ | सपोटरा टोडाभीम हिण्डौन | 30-10-32 | „ „ „ | „ |
| 72. | „ | „ | खन्डार महवा | 30-11-82 | „ „ „ | „ |
| 73. | „ | जिला शाखा | सवाईमाधोपुर | 30 व 31-12-82 | „ „ „ | „ |
| 74. | द्वि.वे.शृ. संघ | जिला शाखा | सवाईमाधोपुर | 29 व 30-10-82 | „ „/196 | 13-10-82 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. | प्रा. एवं मा. शि. सं. संशोधन | ,, | सवाई माधोपुर | 29 व 30-10-82 | 32831/82/203 | | 14-10-80 |
| 76. | शेखावत पक्ष | उप शाखा | हिन्डोन व खन्डार स. माधोपुर | 4-12-82 | ,, | ,,/311 | 26-11-82 |
| | | | **जिला टोंक** | | | | |
| 77. | द्वि. बे. श्र्. संघ | जिला शाखा | टोंक | 6 व 7-9-62 | ,, | ,,/43 | 1-9-82 |
| 78. | शेखावत पक्ष | ,, | टोंक | 19 व 30-11-82 | ,, | ,,/109 | 25-9-82 |
| 79. | ,, संशोधन आदेश | ,, | टोंक | 12 व 13-11-82 | ,, | ,,/188 | 12-10-82 |
| | | | **जिला बीकानेर** | | | | |
| 80. | प्रगतिशील | जिला शाखा | बीकानेर (नगर या देहात) | 23 व 24-10-82 | ,, | ,,/42 | 1-9-82 |
| 81. | सनाढ्य पक्ष | बीकानेर तहसील एवं नगर शाखा बीकानेर | | 17-9-82 | ,, | ,,/75 | 8-9-82 |
| 82. | प्रा. मा. शि. संघ | जिला शाखा बीकानेर | | 20 व 21-9-82 | 3283/82/81 दि. | | 10-9-82 |
| 83. | शेखावत पक्ष | ,, | बीकानेर | 20 व 21-9-82 | ,, | /77 | 8-9-82 |
| 84. | ,, | क्षेत्रीय अधिवेशन बीकानेर क्षेत्र (बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर एवं झुन्झुनू) | | 22 व 23-10-82 | ,, | /188 | 12-10-82 |
| 85. | सनाढ्य पक्ष | जिला शाखा बीकानेर | | 22 व 23-10-82 | ,, | /195 | 14-10-82 |
| 86. | शेखावत पक्ष | उप शाखा | बीकानेर (देहात) | 21-10-82 | ,, | /204 | 15-10-82 |
| 87. | सनाढ्य पक्ष | उप शाखा | नोखा (बीकानेर) | 4-11-82 | ,, | /229 | 18-10-82 |
| 88. | शेखावत पक्ष संशोधन आदेश | ,, | बीकानेर (नगर) | 21-10-82 | ,, | /252 | 20-10-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89. | प्रा. मा. शि. संघ | उप शाखा | बीकानेर (शहर व तहसील) | 30-10-82 | 32831/82/232 | 20-10-82 |
| 90. | ,, | मण्डल स्तर | बीकानेर, गंगानगर चूरू, झुन्झुनू, | 12 व 13-11-82 | ,, /252 | 23-10-82 |
| 91. | द्वि. वे. शृ. संघ | मण्डल स्तर | सीकर (बीकानेर मण्डल) | ,, | ,, /287 | 6-11-82 |
| 92. | ,, | जिला शाखा | बीकानेर | 8 व 9-11-82 | ,, / ,, | ,, |
| 93 | सनाढय पक्ष | उप शाखा | लूणकरणसर बीकानेर | 3-12-82 | ,, /311 | 16-11-82 |
| | | | **जिला चूरू** | | | |
| 94. | सनाढ्य पक्ष | उप शाखा | तारानगर | 6-11-82 | ,, /229 | 18-10-82 |
| 95. | द्वि. वे. शृ. संघ | जिला, शाखा | चूरू | 8 व 9-11-82 | ,, /287 | 6-11-82 |
| 96. | सनाढ्य पक्ष | उप शाखा | सरदार शहर | 6-12-82 | ,, /311 | 26-11-82 |
| 97. | ,, | ,, | रतनगढ़ | 10-12-82 | ,, ,, | 26-11-82 |
| 98. | प्रा. मा. शि. संघ | जिला शाखा | चूरू | 30 व 31-12-82 | ,, ,, | ,, |
| 99. | उप शाखा चूरू | उप शाखा | चूरू | 29-12-82 | ,, ,, | ,, |
| 100. | प्रा. मा. शि. संघ | ,, | सरदार शहर | 23-12-82 | ,, /334 | 18-12-82 |
| 102. | ,, संशोधन आदेश | ,, | सरदार शहर चूरू | 29-12-82 | ,, /344 | 23-12-82 |
| | | | **जिला नागौर** | | | |
| 102. | द्वि. वे. शृ. संघ | जिला शाखा | नागौर | 12 व 13-11-82 | ,, /272 | 2-11-82 |
| | | | **जिला श्रीगंगानगर** | | | |
| 103 | शेखावत पक्ष | उप शाखा | बोहर पदमपुर, पीलीबंगा | 24-9-82 | ,, /82/41 | दि. 1-9-82 |
| 104. | ,, | ,, | टीबी संगरिया, सूरतगढ़ | 20-8-82 | ,, | ,, |
| 105. | ,, | ,, | शादुलशहर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ | 17-9-82 | ,, | ,, |
| 106. | ,, | ,, | श्री गंगानगर (नगर व देहात) | 29-9-82 | ,, | ,, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. | शेखावत पेक्ष | उप शाखा श्रीकरणपुर | 11-9-82 | | | 32831/82 | 1-9-82 |
| 108. | सनाढ्य पक्ष | ,, नौहर | 18-9-82 | ,, | | /44 | 1-9-82 |
| 109. | ,, | ,, पदमपुर | 20-9-82 | ,, | ,, | /44 | ,, |
| 110. | ,, | ,, संगरिया | 6-9-82 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 111. | ,, | ,, अनूपगढ़ | 13-9-82 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 112. | ,, | ,, श्रीकरणपुर | 6-9-82 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 113. | ,, | ,, हनुमानगढ़ | 18-9-82 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 114. | ,, | नगर शाखा श्रीगंगानगर | 20-9-82 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 115. | प्रा. मा. शि. संघ | उप शाखा करणपुर | 11-9-82 | ,, | ,, | /45 | 1-9-82 |
| 116. | सनाढ्य पक्ष संशोधन आदेश | ,, नोहर, हनुमानगढ़ | 20-9-82 | ,, | ,, | /75 | 8-9-82 |
| 117. | ,, | ,, श्रीकरणपुर | 30-10-82 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 118. | ,, | ,, संगरिया | 25-8-82 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 119. | प्रा. मा. शि. संघ | ,, नोहर | 4-10-82 | ,, | ,, | स्पे. | 22-9-82 |
| 120. | सनाढ्य पक्ष | ,, सूरतगढ़ | 2-10-82 | ,, | ,, | /130 | 27-9-82 |
| 121. | ,, | ,, सादुलशहर | 16-10-82 | ,, | ,, | /130 | ,, |
| 122. | ,, | ,, श्रीगंगानगर (देहात) | 9-10-82 | ,, | ,, | / | ,, |
| 123. | ,, | जिला शाखा श्रीगंगानगर | 14 व 15-10-82 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 124. | ,, | उप शाखा टीबो | 16-10-82 | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 125. | प्रा. मा. शि. संघ | ,, श्रीगंगानगर (शहरी) | 16-10-82 | ,, | ,, | स्पे. | 4-10-82 |
| 126. | ,, | ,, भादरा | 16-10-82 | ,, | ,, | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127. | प्रा.मा.शि. संघ | उप शाखा | टीबो | 19-10-82 | 32831/82/क्पे | 4-10-82 |
| 128. | ,, | ,, | संगरिया | 22-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 129. | ,, | ,, | हनुमानगढ़ | 23-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 130. | ,, | ,, | शादुलशहर | 29-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 131. | ,, | ,, | पदमपुर | 30-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 132. | ,, | ,, | रायसिंह नगर | 2-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 133. | ,, | ,, | अनूपगढ़ | 3-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 134. | ,, | ,, | सूरतगढ़ | 4-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 135. | ,, | ,, | पोलीबंगा | 5-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 136. | ,, | ,, | श्रीगंगानगर (तहसील) | 6-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 137. | ,, | जिला शाखा | श्रीगंगानगर | 8 व 9-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 138. | शेखावत पक्ष | ,, | ,, | 5 व 6-11-82 | ,, ,, 204 | 15-10-82 |
| 139. | सनाढ्य पक्ष संशोधन आदेश | ,, | ,, | 8 व 9-11-82 | ,, ,, 229 | 18-10-82 |
| 140. | प्रा.मा.शि. संघ ,, | ,, | ,, | 10 व 11-11-82 | ,, ,, 269 | 2-11-82 |
| 141. | सनाढ्य पक्ष ,, | उप शाखा | शादुलशहर | 6-11-82 | ,, ,, 272 | 2-11-82 |
| | | | **जिला जैसलमेर** | | | |
| 142. | शेखावत पक्ष | जिला शाखा | जैसलमेर | 22 व 23-10-82 | ,, ,, 188 | 12-10-82 |
| 143. | सनाढ्य पक्ष | ,, | जैसलमेर | 3 व 4-12-82 | ,, ,, 205 | 15-10-82 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144. | सनाढ्य पक्ष | उप शाखा | जैसलमेर | 5-11-82 | 32831/82/205 | 15-10-82 |
| 145. | ,, | ,, | पोकरण | 23-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 146. | प्रगतिशील | जिला शाखा | जैसलमेर | 29 व 30-10-82 | ,, ,, 228 | 18-10-82 |
| 147. | प्रा.मा.शि. संघ | ,, | जैसलमेर | 29 व 30-12-82 | ,, ,, 311 | 26-11-82 |
| | | | **जिला जोधपुर** | | | |
| 148. | प्रगतिशील | क्षेत्रीय सम्मेलन | जोधपुर | 10 व 11-8-82 | 32831/82/14 | दि. 21-8-82 |
| 149. | सनाढ्य पक्ष | जिला शाखा | जोधपुर | 29 व 30-11-82 | ,, ,, 16 | 6-8-82 |
| 150. | ,, | नगर शाखा | जोधपुर | 4-10-82 | ,, ,, 16 | ,, |
| 151. | ,, | उप शाखा | तूणी | 7-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 152. | ,, | ,, | बिलाड़ा | 17-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 153. | ,, | ,, | ओसियां | 20-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 154. | ,, | ,, | फलौदी | 24-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 155. | ,, | ,, | शेरगढ़ | 1-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 156. | ,, | ,, | भोपालगढ़ | 23-9-82 | ,, ,, /44 | 1-9-82 |
| 157. | प्रा.मा.शि.संघ | जि. शाखा | जोधपुर | 30 व 31-9-82 | ,, ,, /45 | 1-9-82 |
| 158. | ,, संशोधन आदेश | ,, | ,, | 1 व 2-10-82 | ,, ,, /135 | 18-9-82 |
| 159. | द्वि. वे. श्रृ. संघ | ,, | जोधपुर | 29 व 30-10-82 | ,, ,, /196 | 13-10-82 |
| 160. | शेखावत पक्ष | उप शाखा | बिलाड़ा | 23-10-82 | ,, ,, /220 | 1-10-82 |
| 161. | ,, | ,, | पीपाड़ | 30-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 162. | शेखावत पक्ष | उपशाखा | फलौदी | 6-11-82 | 3283/82/220 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168. | ,, | ,, | ग्रासियां | 3-11-81 | ,, ,, ,, | 1-10-82 |
| 164. | ,, | ,, | भोपालगढ़ | 1-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 165. | ,, | ,, | मण्डोर | 8-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 166. | शेखावत पक्ष | जिला शाखा | जोधपुर (देहात नगर) | 12 व 13-11-82 | ,, ,, /252 | 20-10-82 |
| 167. | द्वि. वे. श्रृ. सं. | मण्डल स्तर | जोधपुर | 11 व 13-11-82 | ,, ,, /287 | 6-11-82 |
| 168. | शेखावत | उप शाखा | पीपाड़ | 6-11-82 | ,, ,, /287 | 6-11-82 |
| 169. | प्रा. मा. शि. संघ | ,, | पोकरण | 31-12-82 | ,, ,, /325 | 16-12-82 |
| | | | जिला पाली | | | |
| 170. | प्रा. मा. शि. संघ | जिला शाखा | पाली | 15 व 16-9-82 | 32831/82/76 दि. | 8-9-82 |
| 171. | शेखावत | उप शाखा | पाली (नगर व देहात) | 8-10-82 | ,, ,,/19 | 25-9-82 |
| 172. | ,, | ,, | मारवाड़ जंक्शन | 11-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 173 | ,, | ,, | रायपुर | 16-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 174. | ,, | ,, | जैतारण सुमेरपुर | 31-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 175. | ,, | ,, | सोजत | 18-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 176. | ,, | ,, | रोहट | 12-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 177 | ,, | ,, | बाली देसूरी | 22-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 178. | ,, | ,, | रानी | 16-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 179 | ,, संशोधन आदेश | ,, | पाली (नगर व देहात) | 18-10-82 | ,, ,, 158 | 6-10-82 |
| 180. | ,, ,, | ,, | रायपुर | 21-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 181. | ,, ,, | ,, | सुमेरपुर | 3-11-32 | ,, ,, ,, | ,, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182. | शेखावत | संशोधम प्रादेश | उप शाखा | सोजत | 3-11-82 | 32831/82/158 | 6-10-82 |
| 183. | ,, | ,, | ,, | वाली व देसूरी | 10-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 184. | ,, | ,, | ,, | मारवाड़ जंक्शन | 12-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 185. | ,, | ,, | ,, | राती | 12-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 186. | ,, | ,, | ,, | रोहट | 3-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 187. | प्रा. मा. शि. संघ | | ,, | पाली (नगर व देहात) | 23-10-82 | ,, ,, 203 | 14-10-82 |
| 188. | ,, | | जिला शाखा | पाली | 29 व 30-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 189. | ,, | | उप शाखा | रायपुर जैतारण | 6-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 190. | ,, | | ,, | सोजत मारवाड़ जंक्शन | 3-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 191. | सनाढ्य पक्ष | | जिला शाखा | पाली | 6 व 7-12-82 | ,, ,, 302 | 24-11-82 |
| 192. | ,, | | उप शाखा | मारवाड़ जंक्शन (खारचीशाखा) | 4-12-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 193. | ,, | | ,, | राणी देसूरी सुमेरपुर पाली (ग्रामीण) | 4-12-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 194. | सनाढ्य पक्ष | | उप शाखा | सोजत रायपुरवालो पाली नगर | 8-12-32 | 32831/82/302 | 24-11-82 |
| 195. | ,, | | ,, | जैतारण | 9-12-32 | ,, ,,/,, | ,, |
| 196. | ,, | | ,, | रोहट | 10-12-82 | ,, ,, ,, | ,, |

**जिला सिरोही**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197. | सनाढ्य पक्ष | | जिला शाखा | सिरोही | 9 व 10-11-82 | ,, ,,/8 | 22-7-82 |
| 198. | ,, | | उप शाखा | पिण्डवाड़ा | 21-8-82 | ,, ,,/8 | ,, |
| 199. | सनाढ्य पक्ष | | उप शाखा | आबूरोड़ | 23-8-82 | 32831/82/8 | 22-7-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200. | ,, | | ,, | सिरोही | 6-9-82 | ,, | ,, ,, | ,, |
| 201. | ,, | | ,, | शिवगंज | 11-9-82 | ,, | ,, ,, | ,, |
| 202. | ,, | | ,, | रेवदर | 17-9-82 | ,, | ,, ,, | ,, |
| 203. | शेखावत पक्ष | | ,, | सिरोही | 24-9-82 | ,, | ,, ,, | 11-9-82 |
| 204. | ,, | | ,, | शिवगंज | ,, | ,, | ,, ,, | ,, |
| 205. | ,, | | ,, | रेवदर | 17-9-82 | ,, | ,, ,, | ,, |
| 206. | ,, | | ,, | पिण्डवाड़ा | 29-9-82 | ,, | ,, ,, | ,, |
| 207. | ,, | | ,, | आबूरोड़ | 30-9-82 | ,, | ,, ,, | ,, |
| 208. | ,, | | जिला शाखा | सिरोही | 5 व 6-10-82 | ,, | ,, ,, | ,, |
| 209. | ,, | संशोधन आदेश | ,, | ,, | 29 व 30-10-82 | ,, | ,,44 | 1-9-82 |
| 210. | ,, | ,, | उप शाखा | आबूरोड़ | 24-9-82 | ,, | ,,75 | 8-9-82 |
| 211. | प्रा. मा. शि. सं. | | ,, | रेवदर सिरोही | 11-11-82 | ,, | ,,252 | 20-10-82 |
| 212. | ,, | | जिला शाखा | सिरोही | 12 व 13-11-82 | ,, | ,, ,, | ,, |
| | | | | **जिला बून्दी** | | | | |
| 213. | सवाढ्य पक्ष | | जिला शाखा | बून्दी | 29 व 30-10-82 | ,, | ,,272 | 2-11-82 |
| | | | | **जिला बांसवाड़ा** | | | | |
| 214. | शेखावत पक्ष | | ,, | ,, | 10 व 30-10-82 | ,, | 41 | 1-9-82 |
| 215. | प्रगतिशील | | ,, | ,, | 29 व 30-10-82 | ,, | ,, 189 | 12-10-82 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 216. | सनाढ्य पक्ष | जिला शाखा बांसवाड़ा | 29 व 30–10–82 | 32831/82/192 दि. 12–10–82 |
| 217. | शेखावत पक्ष संशोधन आदेश | ,, ,, | 23 व 24–9–82 | ,, ,, 82 10–9–82 |
| | | **जिला जालौर** | | |
| 218. | शेखावत पक्ष | उप शाखा जालौर | 30–10–82 | ,, ,, /252 20–10–82 |
| 219. | ,, | ,, आहोर | 1–11–82 | ,, ,, ,, ,, |
| 220. | ,, | ,, भीनमाल | 6–11–82 | ,, ,, ,, ,, |
| 221. | ,, | ,, रानीवाड़ा | 8–11–82 | ,, ,, ,, ,, |
| 222. | ,, | जिला शाखा जालौर | 11 व 12–11–82 | ,, ,, ,, ,, |
| 223. | शेखावत पक्ष संशोधन आदेश | उप शाखा आहोर | 5–11–82 | ,, ,, 272 2–11–82 |
| 224. | ,, | जिला शाखा जालौर | 12 व 13–11–82 | ,, ,, ,, ,, |
| 225. | सनाढ्य पक्ष | उप शाखा सायला | 29–12–82 | ,, ,, 346 27–11–82 |
| 226. | ,, | ,, जालौर | 30–12–82 | ,, ,, ,, ,, |
| 227. | ,, | ,, जसवन्तपुरा | 31–12–82 | ,, ,, ,, ,, |
| | | **जिला भीलवाड़ा** | | |
| 228. | ,, | ,, माण्डल, भीलवाड़ा | 11–8–82 | ,, ,, 8 22–7–82 |
| 229. | ,, | जिला शाखा भीलवाड़ा | 23 व 24–9–82 | ,, ,, 44 1–9–82 |
| 230. | प्रगतिशील संघ | ,, भीलवाड़ा | 16 व 17–9–82 | ,, ,, 52 ,, |

361

362

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231. | शेखावत पक्ष | उप शाखा आसींद | | 17-9-82 | 32831/82/77 | 9-9-82 |
| 232. | प्रगतिशील | ,, माण्डल | | 9-10-82 | ,, ,, 111 | 25-9-82 |
| 233. | शेखावत पक्ष | जिला शाखा भीलवाड़ा | | 22 व 23-10-82 | ,, ,, 188 | 12-10-82 |
| 234. | ,, | कोटड़ी उप शाखा | | 2-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 235. | द्वि. वे. श्र्. संघ | जिला शाखा भीलवाड़ा | | 29 व 30-10-82 | ,, ,, 203 | 14-10-82 |
| 236. | प्रगतिशील संघ | उप शाखा भीलवाड़ा | | 23-10-82 | ,, ,, 228 | 18-10-82 |
| 237. | ,, | ,, हुरड़ा गुलाबपुरा | | 29-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 238. | सनाढ्य पक्ष | उप शाखा | हुरड़ा भीलवाड़ा | 30-10-82 | 32831/82/252 | दि.20-10-82 |
| 239. | ,, संशोधन आदेश | ,, | हुरड़ा | 6-12-82 | ,, ,,/293 | 11-11-82 |
| 240. | ,, | ,, | गंगापुर | 23-10-82 | ,, ,, 311 | 26-11-82 |
| | | | **जिला डूंगरपुर** | | | |
| 241. | सनाढ्य पक्ष | उप शाखा | आसपुर | 11-9-82 | ,, ,, 44 | 1-9-82 |
| 242. | ,, | ,, | सीमलवाड़ा | 13-9-82 | ,, ,, 44 | ,, |
| 243. | ,, | ,, | सागवाड़ा, व चितरी | 17-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 244. | ,, | ,, | डूंगरपुर | 20-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 245. | ,, | ,, | बीचीवाड़ा | 24-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 246. | ,, | जिला शाखा | डूंगरपुर | 29 व 30-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 247. | प्रगतिशील शिक्षक संघ | ,, | डूंगरपुर | 23 व 24-9-82 | ,, ,, 48 | 1-9-82 |
| 248. | ,, संशोधन आदेश | ,, | डूंगरपुर | 22 व 23-10-82 | ,, ,, 194 | 13-10-82 |
| | | | **जिला चित्तोड़गढ़** | | | |
| 249. | शेखावत पक्ष | उप शाखा | प्रतापगढ़ | 30-10-82 | ,, ,, 15 | 6-8-82 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250. | सनाढ्य पक्ष | जिला शाखा | चित्तौड़गढ़ | 22 व 23-10-82 | 32831/82/169 | 6-10-82 |
| 251. | शेखावत पक्ष | जिला शाखा | चित्तौड़गढ़ | 22 व 23-10-82 | ,, ,, 188 | 12-10-82 |
| 252. | सनाढ्य पक्ष संशोधन आदेश | ,, | ,, | 29 व 30-10-82 | ,, ,, 229 | 18-10-82 |
| 253. | ,, | उप शाखा | कपासन भूपालसागर राश्मि | 29-12-82 | ,, ,, 83 | 18-12-82 |
| | | | **जिला—कोटा** | | | |
| 254. | द्वि.वे.श्रु.संघ | जिला शाखा | कोटा | 6 व 7-9-82 | ,, ,, 43 | 1-9-82 |
| 255. | सनाढ्य पक्ष | ,, | कोटा | 13 व 14-11-82 | ,, ,, 258 | 21-10-82 |
| 256. | ,, | मण्डल स्तर | कोटा बून्दी झालावाड़ | 13 व 14-11-82 | ,, ,, 260 | 22-10-82 |
| 257. | शेखावत पक्ष संशोधन आदेश | जिला शाखा | कोटा | 5 व 6-11-82 | 32831/82/272 | 2-11-82 |
| 258. | द्वि. वे. श्रु. संघ | मण्डल स्तर | कोटा | 12 व 13-11-82 | ,, ,, 287 | 6-11-82 |
| | | | **जिला—उदयपुर** | | | |
| 259. | प्रगतिशील | जिला शाखा | उदयपुर | 23 व 24-9-82 | ,, ,, 42 | 1-9-82 |
| 260. | सनाढ्य पक्ष | ,, | उदयपुर | 23 व 24-9-82 | ,, ,, 44 | 1-9-82 |
| 261. | ,, | ,, | राजसमन्द नाथद्वारा, रेलमगरा, | 17-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 262. | ,, | ,, | मावली, भीण्डर एवं लसाड़िया क्षेत्र | 4-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 263. | ,, | ,, | वड़गांव, गिरवा–अ–व, गोगुन्दा एवं बाकल क्षेत्र कोटड़ा, खेरवाड़ा | 11-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 264. | ,, | ,, | झाडोल | 27-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 265. | ,, | ,, | धरियावद | 4-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 266. | ,, | ,, | सरड़ा | 30-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |

363

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267. | सनाढ्य पक्ष | उप शाखा | सलूम्बर | 30-10-82 | 32831/82/44 | 1-9-82 |
| 268. | शेखावत पक्ष | भण्डल स्तर | उदयपुर (उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा | 29 व 30-9-82 | ,, ,, ,, | 9-9-82 |
| 269. | ,, | उप शाखा | कोटड़ा कुंभलगढ़, सलूम्बर, धरियावद आमेट, झाड़ोल, गोगुन्दा, सराड़ा | 17-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 270. | ,, | ,, | नाथद्वारा, भीण्डर, भीम, गिरवा, रेलमगरा व खैरवाड़ा | 20-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 271. | ,, | ,, | मावली | 24-9-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 272. | व्याख्याता संघ | क्षेत्रीय, स्तर | भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर | 22 व 23-10-82 | ,, ,, 163 | 6-10-82 |
| 273. | प्रगतिशील संशोधन आदेश | जिला शाखा | उदयपुर | 24 व 25-10-82 | ,, ,, 161 | 6-10-82 |
| 274. | सनाढ्य पक्ष संशोधन आदेश | जिला शाखा | उदयपुर | 22 व 23-10-82 | 3283 1/82/161 | 6-16-82 |
| 275. | ,, ,, | उप शाखा | नाथद्वारा | 9-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 276. | ,, ,, | ,, | गोगुन्दा बाकल क्षेत्र कोटड़ा | 9-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 277. | ,, ,, | ,, | मावली भीण्डर (उदयपुर) | 30-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 278. | ,, ,, | ,, | खैरवाड़ा | 16-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 279. | ,, ,, | ,, | झाड़ोल | 6-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 280. | ,, ,, | ,, | झाड़ोल | 6-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 281. | ,, ,, | ,, | कुंभलगढ़ | 8-11-82 | ,, 159 | 6-10-82 |
| 282. | ,, ,, | ,, | आमेट देवगढ़ | 16-10-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| 283. | ,, ,, | ,, | भीम | 6-11-82 | ,, ,, ,, | ,, |
| | ,, ,, | ,, | कोटड़ा | 4-12-82 | ,, ,, ,, | ,, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284. | प्रगतिशील | जिला शाखा | गिरवा | 23-10-82 | 32831/82 | 189 | 12-10-82 |
| 285. | द्वि.वे.श्रृ. संघ | ,, | उदयपुर | 29 व 20-10-82 | ,, ,, | 196 | 13-10-82 |
| 286. | सनाढ्य पक्ष संशोधन प्रादेश | उप शाखा | आमेट | 9-11-72 | ,, ,, | 252 | 20-12-82 |
| 287. | द्वि.वे.श्रृ. संघ | मण्डल स्तर | उदयपुर | 12 व 13-11-82 | ,, ,, | 287 | 6-11-82 |
| 288. | प्रगतिशील | क्षेत्रीय सम्मेलन | उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा (चित्तौड़गढ़) | 30 व 31-12-82 | ,, ,, | 334 | 18-12-82 |
| 289. | ,, ,, | उप शाखा | उदयपुर | 29-12-82 | ,, ,, | ,, | ,, |
| 290. | सनाढ्य पक्ष | क्षेत्रीय सम्मेलन | उदयपुर (उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर) | 29 व 30-12-82 | ,, ,, | 344 | 23-12-82 |
| 291. | प्रा. मा. शि. संघ | राज्य स्तर | जोधपुर | 29 व 30-9-82 | ,, ,, | 76 | 8-9-82 |
| 292. | ,, संशोधन प्रादेश | ,, | जोधपुर | 30-9-82 व 1-10-82 | ,, ,, | 108 | 14-9-32 |
| 293. | व्याख्याता संघ | ,, | अलवर | 12 व 13-11-82 | एफ.12(37)/2/81 शिक्षा-ग्रुप दिनांक 20-10-82 | | 20-10-82 |
| 294. | सनाढ्य पक्ष | ,, | कोटा | 11 व 12-11-82 | एफ-12 | | 19-10-82 |
| 295. | प्रगतिशील | ,, | जयपुर | 12 व 13-11-82 | | | 20-10-82 |
| 296. | शेखावत पक्ष | ,, | चित्तौड़ | 29 व 30-12-82 | | | 23-12-82 |
| 297. | द्वि. वे. श्रृ. | ,, | जयपुर | 16 व 17-9-82 | एफ-12(37)शिक्षा 2/81 | | 13-9-82 |

ह.

कृते अपर निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राज., बीकानेर।

# परिशिष्ट 12

## अतारांकित प्रश्न संख्या 857 की तालिकाएं

तालिका "अ"

1 जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक राज्य में स्थित विद्युत् स्रोतों से कुल विद्युत् उत्पादन प्रति माह औसत उत्पादन, वास्तविक उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता का प्रतिशत।

| विद्युत् गृह का नाम | 1-1-82 से 31-1-83 तक विद्युत् उत्पादन (लाख यूनिट में) | प्रति माह औसत विद्युत् 1-1-82 से 31-1-83 तक (लाख यूनिट में) | वास्तविक उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| राणा प्रताप सागर | 4108.13 | 316.01 | 30% |
| जवाहर सागर | 3311.67 | 254.74 | 42% |
| राजस्थान अणु विद्युत्-गृह | 4754.58 | 365.74 | 16% |
| स्थानीय छोटे तापीय डीजल तापीय विद्युत् गृह | 142.75 | 10.98 | — |
| कुल | 12317.13 | 947.47 | |

तालिका "ब"

दिनांक 1 जनवरी 1982 से 31 जनवरी 1983 तक राज्य के बाहर स्थित उत्पादन साधनों से प्राप्त माहवार बिजली का विवरण।

(लाख यूनिट में)

| माह | भाखरा | देहर | पोंग | सिंगरोली (उत्तर प्रदेश) | सतपुडा |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी, 82 | 813.46 | 155.50 | 488.88 | 6.67 | 340.94 |
| फरवरी, 82 | 824.71 | 166.14 | 670.17 | 15.81 | 323.66 |
| मार्च, 82 | 967.44 | 347.36 | 646.73 | 123.71 | 152.63 |
| अप्रेल, 82 | 1026.45 | 396.78 | 653.20 | 36.82 | 202.06 |
| मई, 82 | 908.05 | 496.12 | 641.49 | 34.15 | 205.90 |
| जून, 82 | 713.97 | 634.03 | 634.55 | 120.44 | 160.59 |
| जुलाई, 82 | 732.23 | 881.28 | 804.68 | 109.05 | 209.79 |
| अगस्त, 82 | 1016.50 | 701.60 | 614.86 | 61.04 | 332.59 |
| सितम्बर, 82 | 1241.08 | 636.03 | 818.12 | 58.16 | 642.98 |
| अक्टूबर, 82 | 1143.31 | 363.62 | 852.12 | 26.31 | 520.02 |
| नवम्बर, 82 | 1210.19 | 209.86 | 793.27 | 74.77 | 433.53 |
| दिसम्बर, 82 | 1218.27 | 199.46 | 688.41 | 179.70 | 460.98 |
| जनवरी, 83 | 1001.83 | 78.72 | 396.94 | 24.47 | 397.35 |
| कुल | 12617.49 | 5266.00 | 8703.42 | 871.10 | 4383.02 |

368



तालिका "स"

क . निर्माणाधीन विद्युत् परियोजनाएं :–

1. कोटा तापीय विद्युत् परियोजना :–

प्रथम चरण – प्रथम यूनिट 110 मेगावाट

द्वितीय यूनिट 110 मेगावाट

द्वितीय चरण – प्रथम यूनिट 210 मेगावाट

द्वितीय यूनिट 210 मेगावाट

2. माही बजाज सागर पन-विद्युत परियोजना:–

प्रथम चरण – प्रथम यूनिट 25 मेगावाट

द्वितीय यूनिट 25 मेगावाट

द्वितीय चरण – प्रथम यूनिट 45 मेगावाट

द्वितीय यूनिट 45 मेगावाट

3. अनूपगढ लघु पन परियोजना :–

पावर हाऊस–I 3×1.5 मे.वा. = 4.5 मे. वा.

पावर हाऊस–II 3×1.5 मे.वा. = 4.5 मेगावाट

(ख) विद्युत् परियोजनायें–जो योजना आयोग की विनियोजन स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं :—

1. आर. एम. सी. पन–विद्युत्

योजना, कोटा 32 मेगावाट = 6 मेगावाट

2. सूरतगढ पन-विद्युत्

योजना, श्री गंगानगर 12 मे.वा. = 4 मेगावाट

3. पलाना ताप विद्युत्

परियोजना, पलाना.

बीकानेर 260 मेगावाट = 120 मेगावाट

विचाराधीन विद्युत परियोजनाएँ :

. तालिका "द"

| परियोजना का नाम | परियोजना का स्थान | प्रस्तावित क्षमता | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. जाखम पन बिजली योजना | जाखम बांध पर चित्तौडगढ | 9 मेगावाट | केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन है। |
| 2. घारणवाला पन बिजली योजना | राजस्थान नहर की घारणवाला शाखा पर, बीकानेर | 2 मेगावाट | ,, ,, ,, |
| 3. माऊण्ट आबू पन बिजली योजना | पालगांव व गम्भीरी बांधों पर, माउन्ट आबू | 2.5 मेगावाट | ,, ,, ,, |
| 4. पूगल पन-बिजली योजना | राजस्थान नहर की पूगल शाखा पर, बीकानेर | 2.25 मेगावाट | ,, ,, ,, |
| 5. आर.एस.सी. माही पन बिजली योजना | दायीं मुख्य नहर माही परियोजना बांसवाडा | 0.8 मेगावाट | ,, ,, ,, |
| 6. बिरसलपुर पन बिजली योजना | राजस्थान नहर की बिरसलपुर शाखा पर, बीकानेर | 1.45 मेगावाट | ,, ,, ,, |
| 7. गैस थर्मल प्रोजेक्ट, रामगढ | रामगढ जैसलमेर | 3.00 मेगावाट | ,, ,, ,, |
| 8. कोटा थर्मल स्टेज-III | कोटा | 2.10 मेगावाट | सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर |
| 9. 210 मेगावाट के विद्युत गृह | स्थान निर्धारित नहीं है | 210 मेगावाट | ,, ,, |
| 10. 60 मेगावाट के पांच जगह पावर हाऊस लगाने संबंधी कार्य | स्थान निर्धारित नहीं है | 60 मेगावाट | ,, ,, |

# परिशिष्ट- 13

## अतारांकित प्रश्न संख्या 858 की रिपोर्ट

## GOVERNMENT OF RAJASTHAN
## DEPARTMENT OF EDUCATION

Office of the Director of College Education, Rajasthan, Jaipur.

No. F. 24 (28) Acctts/DCE/81/1151 Dated : 25-2-83

To,

Administrator,
Savitri Girls Collage,
Ajmer.

Sub:- Finalisation of Annual Recurring Grant-in-aid for the year 1981-82 on the basis of actual expenditure incurred during the year and adjustment thereto.

The postition of Annual Recurring Grant-in-Aid admissible for the year 1981-82 reveals as under after disallowancing the pay and allowances of the Staff appointed by the Institution for which approval of the Department has not yet been conveyed.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Actual Expenditure. | TDC. ARTs. Sc. | Rs. | 10,44,397.30 |
| | | P. G. Class History, Eco. Hindi, Music. | | 1,76,033,98 |
| 2. | Amount disallwed. | TDC. Arts, Sc. | | 2, 855.18 |
| 3. | Approved Expenditure: | TDC Arts,Sc. | | 10,41,442.12 |
| | | Say | | 10,41,442.00 |
| | | P.G. Class as above | | 1,76,033.98 |
| | | Say | | 1,76,033.00 |
| 4. | Amount of Grant-in-Aid admissible @....% | 90 TDC Arts Sc. | Rs. | 9,37,297.00 |
| | | 50 P.G. Hist, Eco. Hindi, Music. | | 88,017.00 |
| 5. | Actual Income (a) | | Rs. | 10,25,314.00 |
| 6. | Income computed for Grant-in-aid 1981-82 as per rule 5(d) | | Rs. | 15,517.00 |

371



| | | |
|---|---|---|
| 7. Amount already paid during the year 1981-82. | Rs. | 10,60,000.00 |
| 8. Net amount of Grant-in-aid Admissible as per rules 5(d) G.I.A. Rules, 1963. | Rs. | 10,25,314.00 |
| 9. Difference recoverable. | Rs. | 34,686.00 |

Sanction is hereby accorded for finalisation of the amount of Annual Recurring Grant-in-Aid for the year 1981-82 to the tune of Rs. 10,25,314/- (Rupees Ten lacs. twenty five thousand three hundred fourteen only) and to recover Rs. 34,686/- (Rupees Thirty four thousand six hundred eighty six only.)

(I) The expenditure of this account will be chargeble to head "277-Education ( ) University and other higher Education ( ) Assistance to Non-Govt. Colleges (ii) Arts Colleges—Non—Plan 1982-83.

(II) The excess payment to the tune of Rs.34,686/-Rupees Thirty Four Thousand Six Hundred Eighty Six only have become recoverable on the bais of above finalisation will be recovered in an on stalment instalments by adjustment against the provisional payment of Grant-in-aid for the year 1982-83 sanctioned vide order No.F.24 (28) Acctts/DCE/82/1113, dated 19-10 1982 .

Sd/—

DIRECTOR OF EDUCATION,

RAJASTHAN, JAIPUR.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
EDUCATION ( GR. VI) DEPTT.

N. F. 11(49)EDu/Gr. VI/79/ Dated ;

The Director,
College Education,
Jaipur,

Sub:—*Ad hoc* Grant-in-aid in connection with categorisation and for other activities.

Sir,

I am directed to refer your letter No. F. 24( )A/cs/DCE/81/563, dated 27-3-82 and convey sanction of the Governor for payment of *ad hoc* grant-in-aid to the Colleges as per statement and details of the grant-in-aid to be paid enclosed amounting to Rs. 2.80 lacs (Rs. Two lacs and eighty thousand only) in connection with re-categorisation and for other activities during this financial year 1981-82.

The grant shall be subject to the following conditions:—

1. That the grant will be utilised for the very purpose for which it is sanctioned and also as per grant-in-aid rules.

2. That the un-utilised amount, if any will be refunded to the Govt. immediately.

3. That the Utilisation-certificate (Proper) will be furnished to the Govt. by 30th June, 1982.

4. That the amount of the Institution will remain open for inspection by the officers of Indian Audit & Accounts Deptt. as well as by the Officers of the Education Deptt.

5. That the assets acquired holly or partially out of grant shall not without prior sanction of the Govt. be disposed off, incumbered or utilised for any other purpose for which the grant is Sanctioned.

6. That the statements of accounts audited by the Chartered Accountant will be furnished in such from as may be prescribed by the Education Deptt.

The expenditure is chargeable to the budget head "277 Education D-Universities and other higher education ( ) Grant-in-aid to non-government colleges (II) Arts Colleges

Non-Plan. The amount will be drawn by the Directorate of college Education, Jaipur and countersigned by the Director College Education., Jaipur.

The issues with the concurrance of F. D. (Exp. I) vide their I. D. No. 1578, dated 30-3-82.

Yours faithfully,

Sd/—

( Aparna S. Sahai )

Accounts Officer.

STATEMENT

| S. No. | Name of Institution | Rate of existing grant in aid | Rate recommended by Grant in aid Committee. | Amount of *ad hoc* increase in percentage of Grant in-aid to the fur |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S. J. S. Rampuria College, Bikaner. | 70% | 90% | 52,000/- |
| 2. | Sophia College, Ajmer. | | | |
| | (a) B. S. C. Home Science. | Nil | 60% | 30,000/- |
| | (b) T. D. C. Arts & Science | 50% | 60% | 30,000/ |
| | | | | 60,000/- |
| 3. | Seth Motilal College, Jhunjhunu. For P. G. Clssses in History, pol. Science, and E. A. & F. M. | Nil | 70% | 42,000/ |
| 4. | Dayanand College, Ajmer. For P. G. Classes in Hindi Sanskrit & pol. Science. | 50% | 90% | 11,000/ |
| 5. | G. B. Podar College, Nawalgarh. | 80% | 90% | 58,000/ |
| 6. | Jawahar vidyapeeth, Kanore. | 50% | 70% | 24,000/ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Savitri Girls College, Ajmer. For P. G. Classes in History, Hindi, Economics and Music. | 50% | 90% | 33,000/ |
| | | | Total Rs. | 2,80,000/- |

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
EDUCATION (Gr.-V) DEPARTMENT

No.F.29(7)Edu/Gr. V/73 Dated the 25th April, 1974.

ORDER

Whereas the Government are satisfied that a serious dispute exists in the managing Committee of the Savitri Girls College, Ajmer which has hampered the smooth running of the Institution.

And whereas the Government issued a show-cause Notice vide No. F. 29(7)Gr. V/73 dated 20 April, 1974, to the Managing Committee, a reply to which was not receive till this date.

Now, therefore, the Government hereby suspend the Managing Committee of the aforesaid College under Rule 3 (7) of the Grant-in-aid Rules, 1963, and appoint Shri N. M. Kothari, Principal, Government College, Ajmer as Administrator with immediate effect to exercise control over the assets and to run the Institution upto 31 st May, 1974.

By Order,
Sd/--
R. N. Baijal
Dy. Secretary to the Govt.

HARISH CHANDRA & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
13-14, F. F. Kutchery Road,
AJMER—305 001.

SAVITRI GIRLS COLLEGE AJMER (Raj)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH, 1982.

| EXPENDITURE | AMOUNT | INCOME | | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| SALARIES & ALLOWANCES | | FEES | | |
| Tutional Staff . | | Tuition Fees | | |
| Pay | 5,79,218.26 | Below 10,000/- | 56,393.25 | |
| D.A. UGC | 1,05,068.79 | Less : Refund | 296.50 | |
| Rajasthan | 2,38,454.32 | | 56,096.75 | |
| I.R. | 3,219.03 | Above 10,000/- | 17,493.00 | 73,589.75 |
| P.F. | 41,322.00 | Transfer Certificate fees. | | 262,00 |
| Cycle Allows/Conv. | 74.00 | | | |
| | 9,67,356.40 | Science Fees | | 2,298.00 |
| *Ministrial Staff* : | | Library Fees | 9,163.00 | |
| Pay | 62,693.28 | Less : Refund | 14.00 | 9,149.00 |
| D.A. | 28,150.42 | | | |
| I.R. | 2,011.36 | Late Fees | | 479.10 |
| P.F. | 4,497.00 | Admission Fees | 910.00 | |
| | | Less : Refund | 2.00 | 998.00 |
| | 97,352.06 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Class IV Staff* | | | |
| Pay | 58,042.48 | | |
| D.A. | 28,580.97 | | |
| I.R. | 2,734.23 | | |
| P.F. | 3,860.08 | | |
| | 93,217.68 | | 11,57,926.00 |
| Repairs to Furniture | | | 646.00 |
| Repairs to Building | | | 4,326.73 |
| Music Expenses | | | 452,55 |
| Postege Expenses | | | 256.85 |
| Audit Fees | | | 500.00 |
| Rent & Taxes (Telephone Exp.) | | | 656.90 |
| Library Expenses | | | 36,846.34 |
| SCIENCE ExP: | | | |
| Physics | | 2,100.53 | |
| Chemistry | | 19,911.94 | |
| Botany | | 2,354.53 | |
| Zoology | | 2,938.20 | 27,305.20 |
| Drawing & Painting Expenses | | | 129.60 |
| Travelling Expenses | | | 78.08 |
| Water & Light Exp. | | | 640.62 |
| Affiliation Fees. | | | 500.00 |
| Stationery & Printing. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miscellaneous Fees | 29,254.00 | | |
| Less , Refund | 12.00 | 29,442.00 | 1,16,127,85 |
| Grant in aid recd. from Govt. of Rajasthan, Jaipur | | | |
| 1981–82 | 10,30,000000 | | |
| *Ad hoc* Grant | 33,000.00 | | |
| Arrears of D.A. | 30,000.00 | 10,93,000.00 | |
| Arrears of 1980–81 | | 11,142.00 | 11,04,142.00 |
| Sate of application forms for lecturership | | | 220.00 |
| Enrolment & Eligibility Fees. | | | 4,367.00 |
| Scholer ship | | | 13,655.00 |
| Examination forms forwarding Charges | | | 408.00 |
| Cost of Lost library books & Fines | | | 142.80 |
| Recovery of Salaries | | | 1,528.53 |
| Contribution from Administrator a/c. | | | 22.368,90 |

Checked and Fund Correct as per Books of Accounts Shown to us and Annexed to Balance Sheet.

| | | |
|---|---|---|
| Advertisement Exp. | 767.47 | |
| Scholarship paid | 888.60 | |
| Enrolment & Eligibility Fees sent to University | 13,624.00 | |
| P. F. Excess Deposited | 4,092.00 | |
| Miscellaneous Exp. | 2,000.00 | |
| Advances | 278.00 | |
| Last years grant refunds to Administrator. | 3.00 | |
| | 11,142.00 | |
| | 12,62,960.08 | 12,62,960.08 |

Sd/
Chartered Accountants.

377

Harish Chandra & Co.
Chartered Accountants
13-14 F.F. Kutchery
Road, AJMER-305 001

## SAVITRI COLLEGE, AJMER
Balance Sheeet as on 31st March, 1982

| Capital & Liabilities | Amount | | Assets Debtors | | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Non-recurring grants as per last B/Sheet | | 4,66,907,00 | Building as per last B/Sheet. | | 3,62,591.39 |
| | | | UGC books as per last B/Sheet | | 1.28.667.71 |
| From Management against the non-recurrring grants as per last B/Sheet | | 1.97,858.80 | Laboratory building as pet last B/Sheet. | | 1,07,884.64 |
| | | | Furniture as per last B/Sheet. | | 53,233.25 |
| Excess of Income over Exp. as per last B/Sheet | | 3,61,354.92 | Water cooler as per last B/Sheet | | 4,793.71 |
| | | | Radio as per last B/Sheet | | 816.00 |
| Assets created out of grants as per last B/Sheet | 2,65,667.61 | | Second hand Bus as per last B/Sheet | | 11,000.00 |
| | | | Cycle Stand as per last B/Sheet | | 250.00 |
| Add : Books | 36,846.34 | 3,02,513.95 | Science Equipment as per last B/Sheet | | 73,970.78 |
| Loan from following as per B/Sheet | | | Library Books as per last B/Sheet | 4,34,341.77 | |
| | | | Add : This year | 36,846.34 | 4,71,188.11 |
| Medical | 11,050.00 | | University Exam Due from Students | | 70.00 |
| Development | 5,000.00 | | Management as per last B/Sheet | | 17,318.93 |
| Other | 4,737.68 | 20,787.68 | Drawing equipment as per last B/Balance Sheet | | 1,242.03 |
| From Management for Bus as per | | | Musical instruments | | 3,479.50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Last B/sheet. | | 11,000.00 | Music Equipment as per lest B/Sheets. | 10,001.93 |
| Loan from Others as per last B/sheets. | | 20,762.56 | Home Science Equipments as ,, | 12,915.57 |
| *Provident Fund* R/c. | | | Home Science Blok ,, | 1,21,752.66 |
| 1-4-81 | 9,32,958.66 | | *Provident Fund* S.B.I. (P.D.) a/c ,, | 9,98,254.42 |
| Add : Staff Share | 1,48,038.29 | | | |
| | 10,80,890.95 | | | |
| Less. P. F. Closure | 82.642.52 | 9,98,254.42 | | |
| | 23,79,429.33 | 23,79,429.33 | | 23,79,429.33 |

CHECKED AND FOUND CORRECT
AS PER BOOKS OF ACCOUNTS
SHOWN TO US

Sd/—
CHARTERED ACCOUNTANTS.

379

(380)



# परिशिष्ट 14

अनुदान प्रतिशत 60%

राजस्थान सरकार

निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : निसंशि/सहा/ग्रांडिट/82–83/ दिनांक 4–2–82

(प्रवेश शुल्क टी. सी. शुल्क, दण्ड, अन्य फीस 567.50)

विषय :—सहायता प्राप्ति हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र श्री हनुमत संस्कृत विद्यालय समिति, सारंगपुरा।

संस्था का स्तर पूर्व प्रवेशिका फीस व आवर्तक स्रोतों से आय संस्था द्वारा प्रस्तुत फार्म के आधार पर संस्था के वित्तीय वर्ष 1980–81 के हिसाब की जांच संस्था द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय वर्ष 1981–82 में सहायता दिये जाने के संबंध में की गई है जो व्यय अमान्य किया गया है उसके कारण उसके सम्मुख दिये गये हैं, यदि संस्था के अधिकारियों को इस रिपोर्ट में दिये गये किसी भी विवरण से असहमति हो तो वे अपना प्रतिवेदन अनुदान प्राप्ति के उन नियमों का उल्लेख करते हुए जिनके अनुसार यह व्यय मान्य है एवं ठोस प्रमाण व समस्त विवरण एवं कार्यालय की स्वीकृति की प्रतिलिपियां आदि संलग्न करते हुये आडिट रिपोर्ट की प्राप्ति तिथि से इस प्रकार भिजवायें कि वह निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में 15 दिन के भीतर पहुंच जावे, इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

| क्र.सं. | व्यय के मद | स्वीकृत व्यय | अस्वीकृत व्यय | अस्वीकृत करने के कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पी. डब्ल्यू. डी. से भवन किराये के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की फीस | — | – | – |
| 2. | बच्चों के साथ एक्शेसन के लिये जाने वाले अध्यापकों का व्यय (यात्रा व्यय) | — | – | – |
| 3. | साधारण पेटी खर्च (डाक्टर, बुहारी, मिट्टी के घड़े पानी के लिये आदि) | 30.00 | 21.67 | सीमा से अधिक |
| 4. | अध्यापकों का प्रशिक्षण का व्यय संस्कृत | – | – | – |

(381)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | अध्यापकों के नियमानुसार | | | |
| 5. | रजिस्ट्रेशन आडिट एवं संबंधित व्यय एफिलीएशन | 150.00 | | |
| 6. | टेलीफोन व्यय | – | | |
| 7. | अध्यापकों का ग्रेच्यूटी व सेमीनार संबंधी व्यय/टी. प. | – | – | – |
| 8. | दस्तकारी एवं उपयोग का वास्तविक खर्च (आमदनी घटाकर) | – | – | – |
| 9. | खेल शारीरिक शिक्षा उत्सव एवं अन्य प्रवृत्तियों का वास्तविक नेट व्यय, व्यय विवरण सहित (आमदनी घटाकर) | – | – | – |
| 10. | जो शिक्षण एक से अधिक संस्था चला रहे हैं वहां उस संस्था का संचालन संबंधी आवश्यक व्यय | – | – | – |
| 11. | पुस्तकालय/पुस्तकों तथा वाचनालय का नेट आवर्तक व्यय (आमदनी घटाकर) | 100.00 | 225.00 | सीमा से अधिक होने से |
| 12. | मकान किराया यदि संस्था किराये के मकान में हो | – | 2400.00 | विभागीय स्वीकृति नहीं होने से |
| 13. | पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित रखने का व्यय | 43.50 | – | – |
| 14. | संस्था में साधारण मरम्मत का व्यय | – | – | – |
| | क–भवन | | | |
| | ख–फर्नीचर व इनका बदलना | 104.00 | – | – |
| 15. | डाक व तार का व्यय | 1.50 | – | – |
| 16. | पानी तथा प्रकाश का व्यय | 125.00 | 11.07 | सीमा से अधिक होने से |
| 17. | स्टेशनरी तथा छपाई का व्यय | 200.00 | 115.40 | ,, |
| 18. | विज्ञापन संबंधी व्यय | 60.40 | – | – |
| 19 | अन्य सामान्य व्यय परीक्षा व्यय/भवन निर्माण/अतिरिक्त व्यय | – | 2224.29 | संबंधित नहीं होने से। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20. | वेतन आदि का व्यय प्लान | 51391.00 | 10235.93 | |
| | नोन प्लान + | 6090.00 | | |
| | | 52205.40 | 15232.93 | 67438.33 |

\+ 6090.00

58295

नोट:—उपरोक्त 6090/— रु. और अनुमोदन हो जाने से मान्य किये गये थे इस तरह से संस्था का कुल मान्य व्यय वर्ष 80-81 का 58295/— रु. था। जिसका 60% अनुदान 34977/— रु. दिया गया।

लेखाकार,
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

राजस्थान सरकार

अनुदान प्रतिशत 50%
5-2-82

निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर
नि. सं. शि./सहा/आडिट/82-83 सांगानेर

(शुल्क 32/—टी.सी. शुल्क 39/—, दण्ड, अन्य)

विषय:— सहायता प्राप्ति हेतु प्राप्त प्रार्थना मानव भारती विद्यालय सांगानेर।

संस्था का स्तर प्रवेशिका स्तर फीस व आवर्तक स्रोतों से आय संस्था द्वारा प्रस्तुत फार्म के आधार पर संस्था के वित्तीय वर्ष 1980-81 के हिसाब की जांच संस्था द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय वर्ष 1981-82 में सहायता दिये जाने के संबंध में की गई है जो व्यय अमान्य किया गया है उसके कारण उसके सम्मुख दिये गये हैं, यदि संस्था के अधिकारियों को इस रिपोर्ट में दिये गये किसी भी विवरण से असहमति हो तो वे अपना प्रतिवेदन अनुदान प्राप्ति के उन नियमों का उल्लेख करते हुये जिनके अनुसार यह व्यय मान्य है एवं ठोस प्रमाण व समस्त विवरण एवं कार्यालय की स्वीकृति की प्रतिलिपि आदि संलग्न करते हुये ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति तिथि से इस प्रकार भिजवायें कि यह निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर के कार्यालय

(383)

में 15 दिन के भीतर-भीतर पहुंच जावे, इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

| क्र.सं. | व्यय के मद | स्वीकृत व्यय | अस्वीकृत व्यय | अस्वीकृत करने के कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पी. डब्ल्यू.डी. से भवन किराये प्रमाण पत्र प्राप्ति करने की फीस | – | – | – |
| 2. | बच्चों के साथ एक्शेसन के लिये जाने वाले अध्यापकों का व्यय (यात्रा व्यय) | – | – | – |
| 3. | साधारण पेटी खर्च (डाक्टर, बुहारी मिट्टी के घड़े पानी के लिये आदि) | 600.00 | 9.25 | सीमा से अधिक खर्च अमान्य किया। |
| 4. | अध्यापकों के प्रशिक्षण का व्यय संस्कृत अध्यापकों के नियमानुसार | – | – | – |
| 5. | रजिस्ट्रेशन आडिट एवं संबंधित व्यय एफिलीएसन | 300.00 | – | – |
| 6. | टेलीफोन व्यय/टी. ए. | 50.00 | 80.00 | आडिट के अलावा खर्च अमान्य किया। |
| 7. | अध्यापकों का ग्रेच्यूटी व सेमीनार सम्बन्धी व्यय/टी. ए. | – | – | – |
| 8. | दफ्तरी एवं उपयोग का वास्तविक खर्च (आमदनी घटाकर) | 150.00 | 125.00 | आय होने से सीमा से अधिक खर्च होने के कारण। |
| 9. | खेल शारीरिक, शिक्षा, उत्सव एवं अन्य प्रवृतियों का वास्तविक नेट व्यय विवरण सहित (आमदनी घटाकर) | 300.00 | 185.00 | फीस से आय होने तथा सामान्य से अधिक खर्चा अमान्य। |
| 10. | जो शिक्षण एक से अधिक संस्था चला रहे हैं वहां उस संस्था की संचालन संबंधी आवश्यक व्यय | — | — | — |

384



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | पुस्तकालय/पुस्तकों तथा वाचनालय का नेट आवर्तक व्यय (आमदनी घटाकर) | 300.00 | 157.30 | आय होने से तथा सीमा से अधिक खर्च के कारण अमान्य। |
| 12. | मकान किराया यदि संस्था किराये के मकान में हो | 2400.00 | 2400.00 | पी.डब्ल्यू.डी. के मूल्यांकन आधार पर |
| 13. | पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित रखने का व्यय | 150.00 | 55.00 | सीमा से अधिक खर्चा अमान्य किया। |
| 14. | संस्था में साधारण मरम्मत का व्यय | — | — | — |
| | (क) भवन | 200.00 | 104.00 | सीमा से अधिक अमान्य किया। |
| | (ख) फर्नीचर व इसका बदलना | | | |
| 15. | डाक व तार का व्यय | 150.00 | 18.30 | |
| 16. | पानी तथा प्रकाश का व्यय | 300.00 | 60.00 | प्रवेशिका स्तर तक सीमा से अधिक राशि अमान्य। |
| 17. | स्टेशनरी तथा छपाई का व्यय | 350.00 | 41.54 | ,, |
| 18. | विज्ञापन सम्बन्धी व्यय | — | 200.00 | विज्ञापन नहीं होने के कारण। |
| 19. | अन्य सामान व्यय परीक्षा व्यय/भवन निर्माण/अतिरिक्त व्यय | — | 960.00 | आय खर्च अमान्य। |
| 20. | वेतन आदि का व्यय प्लान | 23093.50 | 53589.94 | — |
| | नोनप्लान+ | 43110.00 | | |
| | योग | 27804.05 | 58955.33 | |
| | टिप्पणी + | 43110.00 | | |
| | | 70914.05 | | |

नोट :–उपरोक्त राशि अनुमोदन हो जाने के कारण और मान्य किये थे। इस तरह से कुल मान्य राशि 70914-05 बनती है जिसका संस्था को 50% अनुदान 35457 रु. दिया गया।

ह.
लेखाकार
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

385

## परिशिष्ट 15

**अतारांकित प्रश्न संख्या 64 का ब्यौरा**

चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 1975 से 1982 तक निम्न शिक्षण संस्थाएं नई खोली गई तथा क्रमोन्नत की गई :—

| वर्ष | तहसील | नये प्रा.वि. खोले | प्रा.वि. से उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत | उ.प्रा.वि. से मा.वि. में क्रमोन्नत | मा.वि. से उ.मा.वि. में क्रमोन्नत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1975 | चित्तौड़गढ़ | – | – | 1 | – |
| | डूंगला | – | – | 1 | – |
| | गंगरार | – | – | 1 | – |
| | छोटी सादड़ी | – | – | 1 | – |
| | प्रतापगढ़ | – | – | 1 | – |
| | योग :– | – | – | 5 | – |
| 1976 | चित्तौड़गढ़ | 1 | 1 | – | – |
| | बड़ी सादड़ी | 1 | 1 | – | – |
| | कपासन | – | 1 | – | – |
| | डूंगला | – | 1 | – | – |
| | निम्बाहेड़ा | – | 1 | – | – |
| | छोटी सादड़ी | – | 1 | – | – |
| | प्रतापगढ़ | – | 1 | – | – |
| | योग :– | 2 | 7 | – | – |
| 1977 | चित्तौड़गढ़ | 6 | 1 | – | – |
| | बेगूं | 2 | – | 1 | – |
| | गंगरार | 1 | – | 1 | – |
| | बड़ी सादड़ी | – | – | 1 | – |
| | कपासन | 2 | 3 | 1 | – |
| | राशिम | 2 | 2 | 1 | – |
| | निम्बाहेड़ा | 4 | – | 2 | – |
| | भदेसर | – | – | 2 | – |
| | छोटी सादड़ी | 2 | – | 1 | – |
| | प्रतापगढ़ | 3 | 6 | 3 | – |
| | योग :– | 22 | 12 | 13 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | चित्तौड़गढ़ | – | – | 1 | – |
| | बेगूं | 8 | – | 1 | – |
| | गंगरार | 1 | 1 | – | – |
| | कपासन | 4 | – | – | – |
| | राशिम | – | 1 | – | – |
| | डूंगला | 3 | – | – | – |
| | निम्बाहेड़ा | 2 | – | – | – |
| | भदेसर | 6 | – | – | – |
| | छोटी सादड़ी | 2 | 2 | – | – |
| | प्रतापगढ़ | 11 | 1 | – | – |
| | योग :– | 37 | 5 | 2 | – |
| 1979 | चितौड़गढ | 5 | – | – | – |
| | बेगूं | 9 | 1 | 1 | – |
| | गंगरार | 5 | – | 1 | – |
| | बड़ी सादड़ी | 2 | – | – | – |
| | कपासन | 1 | 1 | 1 | – |
| | राशिम | 5 | 1 | – | – |
| | डूंगला | 3 | – | 1 | – |
| | निम्बाहेड़ा | 3 | 1 | 1 | – |
| | छोटी सादड़ी | 4 | – | – | – |
| | प्रतापगढ़ | 11 | 2 | – | – |
| | योग :– | 53 | 6 | 5 | – |
| 1980 | चितौड़गढ़ | 4 | 1 | 1 | – |
| | बेगूं | 4 | 1 | 2 | – |
| | गंगरार | 3 | – | – | – |
| | बड़ी सादड़ी | 2 | – | – | – |
| | प्रतापगढ़ | 1 | – | – | – |
| | कपासन | 4 | 1 | 1 | – |
| | राशिम | 2 | 2 | – | – |
| | डूंगला | 1 | 1 | 1 | – |
| | निम्बाहेड़ा | 4 | 1 | 1 | – |
| | छोटी सादड़ी | 1 | 1 | – | – |
| | योग :– | 26 | 7 | 5 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | चित्तौडगढ़ | 3 | 3 | — | — |
| | गगंरार | 2 | — | — | — |
| | बेगूं | 4 | 2 | — | 1 |
| | बडी सादड़ी | 2 | — | — | — |
| | प्रतापगढ़ | 4 | 2 | — | — |
| | कपासन | 2 | 2 | — | — |
| | राशिम | 1 | 2 | — | — |
| | डूंगला | 1 | 2 | — | — |
| | निम्बाहेड़ा | 1 | 2 | — | — |
| | भदेसर | 1 | 1 | — | — |
| | योग :- | 21 | 16 | — | 1 |
| 1982 | गगंरार | — | 1 | — | — |
| | चित्तौडगढ़ | — | 1 | — | 1 |
| | बेगू | — | 1 | — | 1 |
| | बडी सादडी | — | 1 | — | 1 |
| | कपासन | — | 1 | — | 1 |
| | भदेसर | — | — | — | 1 |
| | छोटी सादडी | — | — | — | 1 |
| | राशिम | — | — | — | 1 |
| | योग :- | — | 5 | — | 7 |

चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 1975 से पूर्व जो शिक्षण संस्थाएं चल रही थीं उनकी तहसीलवार सूची निम्न प्रकार है :–

| तहसील | प्रा.वि. | उ.प्रा.वि. | मा.वि. | उ.मा.वि. |
|---|---|---|---|---|
| चित्तौड़गढ़ | 88 | 21 | 2 | 2 |
| बेगूं | 89 | 19 | 3 | 1 |
| गंगरार | 52 | 7 | 1 | 1 |
| राश्मि | 50 | 9 | 1 | 1 |
| कपासन | 82 | 20 | 5 | 1 |
| भदेसर | 49 | 12 | 2 | 1 |
| डूंगला | 38 | 8 | 1 | 1 |
| बडी सादडी | 53 | 12 | 3 | 1 |
| निम्बाहेड़ा | 54 | 15 | 3 | 1 |
| छोटी सादडी | 52 | 14 | 2 | – |
| प्रतापगढ़ | 159 | 23 | 1 | 3 |
| योग :– | 766 | 160 | 24 | 13 |

# परिशिष्ट 16

## अतारांकित प्रश्न संख्या 865 की सूची

LIST OF CASES FILED AGAINST THE UNIVERSITY/ STATE GOVT. (UNIVERSITY HAS FILED NO CASE IT IS/ONLY DEFENDING CASES FILED BY OTHERS).

| | NAME | CASE No. |
|---|---|---|
| 1. | Dr. U. C. Jain | 1649/81 |
| 2. | Dr. Sudhir Kumar | 180/82 |
| 3. | Dr. U. C. Jain | 93/82 |
| 4. | Dr. U. C. Jain | 3282/82 |
| 5. | Dr. P. C. Jain | 1204/82 |
| 6. | Mrs. Prem Lata | 463/82 |
| 7. | Dr. S. N. Saxena | 1384/82 |
| 8. | Mrs. Archana Mehta | 1437/82 |
| 9. | Dr. B. G. Desai | 1409/82 |
| 10. | Dr. (Mrs) Rajeshwari Mehta | 1686/82 |
| 11. | Writ filed by Neerja Awasthi | |
| 12. | Shri Ved Singh | 1992/82 |
| 13. | Shri Bhim Sen | 88/82 |
| 14. | Shri Pramod Dashora | 167/83 |
| 15. | Dr. Sudhir Kumar | 345/83 |
| 16. | —do— | 346/83 |
| 17. | —do— | 347/83 |

उपरोक्त मामले प्रार्थीगण द्वारा दायर करने के पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा अभी तक "एडमीट" नहीं किये गये हैं परन्तु एडमीशन के लिए विचाराधीन हैं। ऐसी आशा है कि मामले एडमीशन स्टेज पर ही खारिज हो जावेंगे।

| | | |
|---|---|---|
| 18. | Dr. K. N. Chandrasekran | 1409/81 |
| 19. | Shri Manohar Lal Sharma | 1289/81 |
| 20. | Dr. Chandrasekran | 1815/81 |
| 21. | Dr. Raj Nath Singh | 7439/81 |
| 22. | Sh. U. S. Rathore | 1953/81 |
| 23. | Dr. Sudhir Kumar | 181/82 |
| 24. | Shri R. G. Jat | 364/82 |
| 25. | Shri Ashok Kumar | 363/82 |
| 26. | Shri Bala Ram Chauhan | 395/82 |
| 27. | Shri M. S. Bapna | 396/82 |
| 28. | Miss Bhatia | 397/82 |
| 29. | Shri U. B. Singh | 398/82 |

| NAME | | CASE No. |
|---|---|---|
| 30. | Dr. Sudhir Kumar | 1215/82 |
| 31. | Shri Anurodh Prasant | 290/82 |
| 32. | Shri R. C. Sharma | 84/85 |
| 33. | Shri B. R. Chauhan | 85/81 |
| 34. | Shri M. S. Bapna | 86/82 |
| 35. | Miss Bhatia | 83/82 |
| 36. | Shri Pram d Dashora | 1484/82 |
| 37. | Shri Shyam Narayan | 1714/82 |
| 38. | Shri S. L. Bikaneria | 141/82 |
| 39. | —do— | 7/83 |
| 40. | Shri G. V. Damle | 1/83 |
| 41. | S. P. Vyas | 5 83 |
| 42. | 10 Lecturers | 1416/82 to 1424 |
| 43. | Shri S. L. Bikaneria | Appeal |
| 44. | Appeal against suit No. | 5/83 |
| 45. | Sixty writ Petitions filed by lecturers | |
| 46. | Shri Ramesh Chandra | 399/82 |
| 47. | Appeal filed against M/s S. K. Jain and S. K. Patni | |
| 48. | Case No. 21 University Vs. N. C. Saxena. | |

The State Government had lost the case in Dr. Nihal Singh's matter on 22-4-81 prior to the present Vice-Chancellor had taken over. Since a decision had already been taken in that case by the High Court, the parties filed writs on similar grounds and also get similar relief. The State Government has now described to prefer an appeal before the Supreme Court.

विश्वविद्यालय में कई वर्षों से नियमित चयन नहीं हुए थे तथा कई प्राध्यापक आदि बैक डोर एन्ट्री द्वारा तदर्थ (एडहोक) रूप में कार्यरत थे और वे येनकेन-प्रकारेण नियमित चयन की प्रक्रिया को रुकवाना चाहते थे, अतः जब व्यापक पैमाने पर साक्षात्कार की प्रक्रिया वर्तमान कुलपति के ज्वोईन करने पर प्रारम्भ की गई तो लोगों ने अवरोध उत्पन्न करने के लिए जानबुझ कर न्यायालय में मुकदमे दायर किये ताकि साक्षात्कारों को रुकवाया जा सके परन्तु उन्हें एक भी मामले में सफलता नहीं मिली तथा एक वर्ष की अवधि में करीब 450 पद अब तक भरे जा चुके हैं ।

391

**Case Decided in Favour of the University**

| | Name | Case No. |
|---|---|---|
| 1. | Dr. U. C. Jain | 1649/81 |
| 2. | Dr. R. N. Singh | 7439/81 |
| 3. | Dr. Sudhir Kumar | 181/82 |
| 4. | Miss Bhatia | 83/82 |
| 5. | Shri R. C. Sharma | 84/82 |
| 6. | Shri B. R. Chauhan | 85/ |
| 7. | Shri M. S. Bapna | 86/82 |
| 8. | Shri S. L. Bikaneria | 141/82 |
| 9. | Shri C. V. Damle | 1/83 |
| 10. | Dr. S. P. Vyas | 5/83 |

## परिशिष्ट 17

### अतारांकित प्रश्न संख्या 866 की सूची

नाहरगढ़ रोड रामा फर्नीचर वर्क्स जयपुर से राजकीय संस्कृत कालेज कालाडेरा द्वारा खरीदे गये फर्नीचर की सूची

| क्र सं. | तादादी | नाम सामान | दर | रकम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | साईन्स स्टूल 15×15 टाप व 2½ ऊंची बेन का टाप व कम्पलीट पालिस | 60.00 | 1800.00 |
| 2. | 2 | साईन्स टेबिल 7½×3×2½ सनमाईका टाप | 950.00 | 1900.00 |
| 3. | 1 | कैमिस्ट्री टेबिल 8×4×3 नीचे रैक्स व एक तरफा चार विद्यार्थियों के सामान रखने की व्यवस्था तथा टाप पर एस्बेस्टोस सीट लगी हुई तथा दोनों तरफ दो बोतल रेक्स बीच में सिंक व पानी के लिये नल की व्यवस्था | 2500.00 | 2500.00 |
| | | | से.टे. 10 प्रति | 620.00 |
| | | | ट्रांसपोर्टेशन | 150.00 |
| | | | योग | 6970.00 |

**राजकीय संस्कृत कालेज, सीकर**

| क्र सं. | तादादी | नाम सामान | दर | रकम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | कैमिस्ट्री टेबिल 8×4×3 नीचे रेक्स मय बक्से की एक तरफ विद्यार्थियों के सामान रखने की व्यवस्था तथा टाप पर एस्बेस्टोस सीट दोनों तरफ दो बोतल रेक्स बीच में सिंक व पानी के लिये नल की व्यवस्था । | 2500.00 | 2500.00 |
| 2. | 1 | अलमारी 6×3×1 अन्दर चार खाने पांच बनाते हुये अन्दर के सैल्फ तथा आगे कांच के पल्ले लगे हुये दरवाजे | 475.00 | 475.00 |
| 3. | 20 | साईन्स स्टूल 15×19 टाप 2 ऊंची फेस को टाप | 60.00 | 1200.00 |
| | | | योग | 4175.75 |
| | | | से.टे. | 417.50 |
| | | | ट्रांसपोर्टेशन | 200.00 |
| | | | वृहद योग | 4792.00 |

राजकीय संस्कृत कालेज, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | कुर्सियां स्टील फासिस चेयर्स हत्ते सहित | 70.00 | 840.80 |
| 2. | 4 | बेंच साईज 5 × 8 × 9 | 250.00 | 1595.00 |
| 3. | 1 | नोटिस बोर्ड साईज 5 × 3 पूरी कम्पलीट मय जाली का दरवाजा पालिस तथा ताला चाबी सहित पूरी सनमाईका व पालिस सहित | 450.00 | 450.00 |
| | | | योग | 2535.60 |

राजकीय संस्कृत कालेज, दौसा

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | अलमारी सागवान की साईज 6×3×1 | 605.00 | 3630.00 |
| 2. | 5 | प्रयोग शाला स्टूल साईज 14×14×2 | 40.70 | 203.50 |
| | | | योग | 3833.50 |

राजकीय संस्कृत कालेज, मनोहरपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | आलमीरा साईज 78 × 36×19 | 688.80 | 688 80 |
| | | | योग | 688.80 |

# परिशिष्ट 18

## अतारांकित प्रश्न संख्या 871 की सूची

| क्र.सं. | दिनांक प्राप्ति | जिन्स विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1-1-82 से पूर्व का स्टॉक | लेवी चीनी | 1026.96 क्वि. |
| 2. | 4-1-82 | ,, ,, | 179.60 ,, |
| 3. | 1-2-82 | ,, ,, | 718.00 ,, |
| 4. | 3-2-82 | ,, ,, | 242.00 ,, |
| 5. | 8-2-82 | ,, ,, | 479.00 ,, |
| 6. | 13-2-82 | ,, ,, | 2809.00 ,, |
| | | योग :– | 545[illegible].11 क्वि. |
| | | | गांठ मीटर |
| 7. | 1-1-82 से पूर्व का स्टॉक | नि. कपड़ा | 2 – 2918 मी. |
| 8. | 2-1-82 | ,, ,, | 5 – 7292 मी. |
| 9. | 4-1-82 | ,, ,, | 4 5328 मी. |
| 10. | 6-1-82 | ,, ,, | 4 – 4950 मी. |
| 11. | 11-2-82 | ,, ,, | 1 – 1170 मी. |
| 12. | 6-3-82 | ,, ,, | 4 – 5600 मी. |
| 13. | 22-3-82 | ,, ,, | 1 – 1170 मी. |
| 14. | 27-3-82 | ,, ,, | 5 – 5880 मी. |
| 15. | 27-9-82 | ,, ,, | 6 – 8668 मी. |
| 16. | 15-2-83 | ,, ,, | 3 – 4212 मी. |
| 17. | 16-3-83 | ,, ,, | 5 – 5850 मी. |
| 18. | 18-3-83 | ,, ,, | 1 – 1170 मी. |
| | | योग :- | 41 गाठें |
| 19. | 6-3-82 | लेवी गेहूं | 500 क्वि. |
| 20. | 8-3-82 | ,, ,, | 100 क्वि. |
| 21. | 26-3-82 | ,, ,, | 400 क्वि. |
| 22. | 30-3-82 | ,, ,, | 100 क्वि. |
| 23. | 7-4-82 | ,, ,, | 100 क्वि. |
| | | योग :– | 1200 क्वि. |

हेगाना डिपो

| क्र.सं. | दिनांक आमद | विवरण | मात्रा थैलों |
|---|---|---|---|
| 24. | 1-1-82 से पूर्व का स्टॉक | लेवी सीमेन्ट | 1261 बैग्स |
| 25. | 2-4-82 | ,, ,, | 580 ,, |
| | | योग:– | 1841 बैग्स |

रियां बड़ी डिपो

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | 1-1-82 से पूर्व का स्टॉक | लेवी सीमेन्ट | 1740 बैग्स |
| 27. | 11-6-82 | ,, ,, | 300 ,, |
| 28. | 10-8-82 | ,, ,, | 280 ,, |
| 29. | 21-11-82 | ,, ,, | 560 ,, |
| 30. | 13-12-82 | ,, ,, | 560 ,, |
| 31. | 15-2-83 | ,, ,, | 560 ,, |
| | | योग:– | 4000 बैग्स |

मेड़ता सिटी डिपो

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32. | 1-1-82 से पूर्व का स्टॉक | लेवी सीमेन्ट | 215 बैग्स |
| 33. | 4-1-82 | ,, ,, | 300 ,, |
| 34. | 12-1-82 | ,, ,, | 300 ,, |
| 35. | 16-1-82 | ,, ,, | 300 ,, |
| 36. | 23-2-82 | ,, ,, | 320 ,, |
| 37. | 6-4-82 | ,, ,, | 280 ,, |
| 38. | 1-6-82 | ,, ,, | 280 ,, |
| 39. | 4-9-82 | ,, ,, | 560 ,, |
| 40. | 5-9-82 | ,, ,, | 560 ,, |
| 41. | 27-10-82 | ,, ,, | 300 ,, |
| 42. | 1-11-82 | ,, ,, | 280 ,, |
| 43. | 23-11-82 | ,, ,, | 280 ,, |
| 44. | 5-12-82 | ,, ,, | 1380 ,, |
| 45. | 13-2-83 | ,, ,, | 560 ,, |
| 46. | 14-2-83 | ,, ,, | 560 ,, |
| | | योग :– | 6475 बैग्स |

# परिशिष्ट 19

## अतारांकित प्रश्न संख्या 874 की सूचियां

मात्रा–क्विण्टल में

| क्र.सं. | नाम डीलर | नाम पंचायत | मार्च-अप्रेल में उठाई गई चीनी | | मई-जून में उठाई गई चीनी | | जुलाई-अगस्त में उठाई गई चीनी | | सितम्बर-अक्टूबर में उठाई गई चीनी | | नवम्बर-दिसम्बर में उठाई गई चीनी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मात्रा | दिनांक | मात्रा | दिनांक | मात्रा | दिनांक | मात्रा | दिनांक | मात्रा | दिनांक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | हनुमान सहाय शर्मा | अवानिया | 24 | 24-5-82 | 28 | 21-7-82 | — | — | — | — | — | — |
| 2. | जी. एस. एम. दहमीकलां | दहमीकलां | 22 | 29-5-82 | 26 | 13-8-82 | 25 | 20-11-82 | 21 | 30-12-82 | — | — |
| 3. | सूरजमल | रामपुरा ऊंती | 17 | 22-6-82 | 20 | 30-8-82 | 19 | 12-10-82 | 20 | 11-1-83 | 20 | 17-3-83 |
| 4. | राधेश्याम झालानी | अजयराजपुरा | 25 | 10-7-82 | 28 | 21-7-82 | — | — | — | — | — | — |
| 5. | जी. एस. एस. कलवाड़ा | कलवाड़ा | 25 | 6-7-82 | 26 | 30-7-82 | 26 | 13-10-82 | 28 | 3-2-82 | 26 | 28-2-83 |
| 6. | जी. एस. एस. भांकरोटा | मंभोरिया | — | — | 25 | 18-8-82 | 24 | 13-10-82 | 24 | 31-1-83 | — | — |
| 7. | दामोदरप्रसाद गुप्ता | ठिकरिया | 28 | 5-8-82 | 35 | 11-8-82 | 33 | 18-10-82 | 34 | 10-2-83 | — | — |
| 8. | जी. एस. एस. महापुरा | महापुरा | 20 | 16-6-82 | 26 | 12-7-82 | 27 | 19-10-82 | 26 | 3-2-83 | 25 | 28-2-83 |
| 9. | जी. एस. एस. भांकरोटा | भांकरोटा | 24 | 12-6-82 | 32 | 14-7-82 | 32 | 13-10-82 | 13 | 31-1-83 | — | — |
| 10. | दामोदरप्रसाद गुप्ता | मांग्यावास | 26 | 7-6-82 | 31 | 2-7-82 | 28 | 18-10-82 | 32 | 10-2-82 | — | — |
| 11. | दामोदरप्रसाद गुप्ता | जयसिंहपुरा | 25 | 20-7-82 | 29 | 21-7-82 | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. जी. एस. एस. मुहाना | नेवटा | 20 | 10-5-82 | 23 | 2-8-82 | 22 | 13-10-82 | 23 | 22-1-83 | – | – |
| 13. भंवरलाल ताम्बी | पंवालिया | 17 | 5-6-82 | 20 | 17-7-82 | – | – | – | – | – | – |
| जी. एस. एस. कपूरवाला | पंवालिया | – | – | – | – | 20 | 29-11-82 | 18 | 31-1-83 | – | – |
| 14. राधेश्याम गुप्ता | कल्याणपुरा | 30 | 15-6-82 | 35 | 10-7-82 | 31 | 19-11-82 | 34 | 24-1-83 | – | – |
| 15. जी. एस. एस. कपूरवाला | कपूरवाला | 20 | 10-7-82 | 24 | 10-7-82 | 23 | 15-10-82 | 24 | 31-1-83 | – | – |
| 16. जी. एस. एस. मुहाना | मुहाना | 25 | 10-7-82 | 29 | 2-8-82 | 28 | 13-10-82 | 30 | 25-1-83 | – | – |
| 17. श्रोमप्रकाश | लाखना | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. जी.एस.एस. वाटिका | दादिया | 17 | 2-7-82 | 23 | 21-7-82 | 22 | 31-12-82 | — | — | — | — |
| 19. राधेश्याम गुप्ता | शिकारापुरा | 32 | 15-6-82 | 39 | 13-7-82 | 39 | 1-11-82 | — | — | — | — |
| 20. मदनलाल माहेश्वरी | श्रीरामकी नांगल | 20 | 28-5-82 | 24 | 5-7-82 | 23 | 15-10-82 | — | — | — | — |
| 21. मदनलाल माहेश्वरी | श्योपुर | 28 | 28-5-82 | 35 | 5-7-82 | 31 | 15-10-82 | — | — | — | — |
| 22. देवीलाल | जगतपुरा | 18 | 16-6-82 | 22 | 13-7-82 | 20 | 25-11-82 | 22 | 22-2-83 | — | — |
| 23. कृष्णावतार | लुनियावास | 26 | 15-6-82 | 31 | 22-7-82 | 29 | 15-10-82 | 30 | 10-3-83 | — | — |
| 24. प्रेम चन्द्र शर्मा | जयपुरा | 25 | 16-6-82 | 31 | 21-782 | 29 | 21-11-82 | 31 | 28-2-83 | — | — |
| 25. राधेश्याम | विधानी | 19 | 30-7-82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| गोविन्दनारायण | विधानी | — | — | 20 | 16-8-82 | 19 | 13-1-83 | 22 | 13-1-83 | — | — |
| 26. जी.एस.एस.बीलवा | बीलवा | 24 | 8-7-82 | 28 | 16-8-82 | 27 | 14-12-82 | — | — | — | — |
| 27. सीताराम गुप्ता | मोहनपुरा | 24 | 7-6-82 | 28 | 12-8-82 | — | — | 29 | 24-2-83 | — | — |
| 28. जी.एस.एस. वाटिका | वाटिका | 36 | 2-7-82 | 44 | 27-7-82 | 43 | 31-22-82 | 42 | 9-3-83 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | जी.एस.एस.चतरपुरा | दांतली | 18 | 1-6-82 | 23 | 5-7-82 | 21 | 14-10-82 | 20 | 19-1-83 | — | — |
| 30. | बृजमोहन गुप्ता | गोनेर | 21 | 16-6-82 | 23 | 14-7-82 | 23 | 9-10-82 | 23 | 10-1-83 | 24 | 11-3-83 |
| 31. | सीताराम गुप्ता | सांगानेर कस्बा वार्ड नं. 1 से 3 | 45 | 15-6-82 | 53 | 10-7-82 | 53 | 2-12-82 | 54 | 8-1-83 | — | — |
| 32. | राधेश्याम गुप्ता | सांगानेर कस्बा वार्ड नं. 4 से 7 | 42 | 25-6-82 | 50 | 5-7-82 | — | — | — | — | — | — |
| | कापरेटिव मार्केटिंग यूनियन | ,, | — | — | — | — | 24 | 2-12-82 | 25 | 8-12-83 | — | — |
| | | | | | | | 23 | 6-12-82 | | | | |
| 33. | राधेश्याम गुप्ता | वार्ड नं. 8 से 10 | 36 | 18-6-82 | 43 | 3-7-82 | 40 | 26-11-82 | 44 | 22-2-83 | 44 | 12-3-83 |
| 34. | गोविन्दनारायण | वार्ड न. 11 से 13 | 32 | 18-6-82 | 40 | 5-7-82 | 37 | 26-11-82 | 40 | 28-2-83 | — | — |
| 35. | कस्बा बगरू ओमप्रकाश | कस्बा बगरू | 71 | 28-5-82 | 84 | 5-7-82 | 80 | 5-10-82 | 86 | 5-2-83 | 85 | 26-2-83 |
| 36. | नरेन्द्र कुमार | भांकरोटा | — | — | — | | — | — | 17 | 2-3-83 | — | — |

## भाग (2) की सूची

| क्र.सं. | नाम पंचायत व कस्बा | मार्च-अप्रेल की वितरण की गई तारीख | मई-जून की वितरण की गई तारीख | जुलाई-अगस्त की वितरण की गई तारीख | सितम्बर-अक्टूबर की वितरण की गई तारीख | नवम्बर-दिसम्बर की वितरण की गई तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | अवानियां | 26-5-82 से 28-5-82 | 22-7-82 से 28-7-82 | – | – | – |
| 2. | दहमीकलां | 2-8-82 से 3-8-82 | 26-8-82 से 28-8-82 | 21-12-82 से 28-12-82 | – | – |
| 3. | रामपराऊन्ती | 26-6-82 से 28-6-82 | 1-9-82 से 3-9-82 | 14-10-82 से 16-10-82 | 14-1-83 से 17-1-83 | – |
| 4. | अजयराजपुरा | 12-7-82 से 15-7-82 | 25-7-82 से 29-7-82 | – | – | – |
| 5. | कलवाडा | 12-7-82 से 15-7-82 | 2-8-82 से 3-8-82 | 19-10-82 से 22-10-82 | 11-2-83 से 15-2-83 | – |
| 6. | भमोरिया | – | 20-8-82 से 25-8-82 | 14-10-82 से 18-10-82 | – | – |
| 7. | ठीकरिया | 6-8-82 से 8-8-82 | 12-8-82 से 14-8-82 | 19-10-82 से 22-10-82 | – | – |
| 8. | महापुरा | 19-6-82 से 29-6-82 | 16-7-82 से 22-7-82 | 20-10-82 से 24-10-82 | 5-2-83 से 10-2-83 | – |
| 9. | भांकरोटा | 11-6-82 से 15-6-82 | 16-7-82 से 5-8-82 | 11-10-82 से 13-10-82 | – | – |
| 10. | मांग्याघास | 10-6-82 से 15-6-82 | 9-7-82 से 11-7-82 | 22-10-82 से 24-10-82 | – | – |
| 11. | जयसिंहपुरा | 21-7-82 से 23-7-82 | – | – | – | – |
| 12. | नेवटा | 19-7-82 से 21-7-82 | 9-8-82 से 16-8-82 | 19-10-82 से 1-11-82 | – | – |
| 13. | पंवालिया | 16-6-82 से 21-6-82 | – | 2-12-82 से 6-12-82 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | कल्याणपुरा | 16-6-82 18-6-82 | 11-7-82 से 14-7-82 | 25-11-82 से 30-11-82 | 27-1-83 से 1-2-83 | – |
| 15. | कपूरावाला | 19-7-82 से 28-7-82 | 10-7-82 से 28-7-82 | 19-10-82 से 28-11-82 | – | – |
| 16. | मुहाना | 18-7-82 से 26-7-82 | 3-8-82 से 20-8-82 | 15-10-82 से 3-10-82 | – | – |
| 17. | लाखना | – | – | – | – | – |
| 18. | दादिया | 7-7-82 से 12-7-82 | 18-7-82 से 3-8-82 | – | – | – |
| 19. | शिकारपुरा | 18-6-82 से 20-6-82 | 14-7-82 से 16-7-82 | 21-11-82 से 24-11-82 | – | – |
| 20. | श्रीरामकीनांगल | 5-6-82 से 8-6-82 | 11-7-82 से 15-7-82 | 21-10-82 से 25-10-82 | – | – |
| 21. | श्योपुर | 29-5-82 से 1-6-82 | 6-7-72 से 10-7-72 | 16-10-82 से 20-10-82 | – | – |
| 22. | जगतपुरा | 22-5-82 से 5-7-82 | – | – | – | – |
| 23. | लूनियावास | 26-6-82 से 30-6-82 | 23-7-82 से 26-7-82 | 17-10-82 से 20-10-82 | – | – |
| 24. | जयपुरा | 20-6-82 से 27-6-82 | 22-7-82 से 28-7-82 | 27-11-82 से 9-12-82 | – | – |
| 25. | विधानी | 2-8-82 से 4-8-82 | 17-8-82 से 19-8-82 | 16-1-83 से 20-1-83 | 16-1-82 से 20-1-83 | – |
| 26. | बीलवा | 19-7-82 से 21-7-82 | 21-8-82 से 23-8-82 | – | – | – |
| 27. | मोहनपुरा | 9-6-82 से 17-6-82 | 17-7-82 से 20-7-82 | – | – | – |
| 28. | वाटिका | 4-7-82 से 8-7-82 | 20-7-82 से 30-8-82 | 5-1-83 से 16-1-83 | – | – |
| 29. | दांतली | 7-6-82 से 16-6-82 | 14-7-82 से 30-7-82 | 21-10-82 से 3-11-82 | 11-2-83 से 14-2-83 | – |
| 30. | गोनेर | 21-6-82 से 25-6-821 | 19-7-82 से 21-7-82 | 11-10-82 से 13-10-82 | 7-2-83 से 26-2-83 | – |
| 31. | कस्बा सांगानेर | | | | | |
| | वार्ड नं. 1 से 3 | 16-6-82 से 22-6-82 | 12-7-82 से 15-7-82 | 4-12-82 से 8-12-82 | 11-2-83 से 23-2-83 | |
| 32. | वार्ड नं. 4 से 7 | 26-6-82 से 29-6-82 | 6-7-82 से 10-7-82 | 3-12-82 से 6-12-52 | 7-12-82 से 13-12-82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | वार्ड नं. 8 से 10 | 20-6-82 से 23-6-82 | 6-7-82 से 9-7-82 | 27-11-82 से 29-11-82 | 23-2-83 से 26-2-83 | — |
| 34. | वार्ड सं. 11 से 13 | 20-6-82 से 23-6-82 | 12-7-82 से 16-7-82 | 28-11-82 से 30-11-82 | 2-3-83 से 7-3-63 | — |
| 35. | कस्बा बगरू कलां | 29-5-82 से 8-6-82 | 8-7-82 से 12-7-82 | 5-10-82 से 13-10-82 | 5-2-83 से 14-2-83 | — |

नोट :—(1) माह सितम्बर, अक्टूबर, 82 के आवंटन की चीनी वितरण के सम्बन्ध में जो कालम रिक्त है उक्त डीलर्स ने कोटा उठाकर चीनी वितरण कर दी है। परन्तु वितरण का मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण अल्प समय में सूचना उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रखा गया है।

(2) माह नवम्बर, दिसम्बर, 82 का अंतिम आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे 7 डीलर्स द्वारा उठाया जाकर वितरण किया जा रहा है। शेष डीलर्स द्वारा कोटा अभी तक नहीं उठाया गया है।

# परिशिष्ट–20

## अतारांकित प्रश्न संख्या 879 की सूची

वर्ष 1981–82 में अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल नागौर द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये गये बिजकों का विवरण

| क्र.सं. | फर्म का नाम | क्रय किये गये सामान का विवरण | बिल नं. दिनांक | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | फ्यूज एलिमेंट्स 45 नग | 413/13-11-81 | 490.50 |
| 2. | ,, ,, | ,, 62" | 419/16-12-81 | 496.00 |
| 3. | ,, ,, | ,, 1.600 कि.ग्रा. | 424/17-12-81 | 499.20 |
| 4. | अतुल इलेक्ट्रीक्स, जयपुर | वेल्डिंग राड्स 500 नग | 275/22-12-81 | 495.00 |
| 5. | एम्पायर एण्ड कं. जयपुर, | ट्रांसफारमर राड 28 नग | 338/19-2-82 | 498.40 |
| 6. | ,, ,, | स्टार इंस्युलेटर 150 नग | 443/22-2-82 | 490.50 |
| 7. | ,, ,, | डीओ फ्यूज ऐलिमेंट्स 45 नग | 428/19-2-82 | 490.50 |
| 8. | अतुल इलेक्ट्रीक्स, जयपुर | हाक्स ब्लेक 130 नग | 286/15-2-82 | 497.00 |
| 9. | ,, | वेल्डिंग राड 500 नग | 285/15-2-82 | 495.00 |
| 10. | ,, | डीओ फ्यूज ऐलिमेंट्स | 270/13-2-82 | 495.00 |
| 11. | ,, | पी.जी. के स्नोपक्स 45 नग | 288/13-2-82 | 495.00 |
| 12. | ,, | कापर लग्स 501 नग | 292/22-2-82 | 402.00 |
| 13. | ,, | जोइंटिंग एस. ई. 500 नग | 295/5-3-82 | 495.00 |
| 14. | एम्पायर एण्ड कं. जयपुर | 33 केवी 11 केवी डीओ फ्यूज | 425/6-3-82 | 390.00 |
| 15. | अजय इलेक्ट्रिकल, जयपुर | टी सी जी कलेम्पस 25 | 289/22-2-82 | 406.60 |
| 16. | ,, | होकासा रोड 2024 | 290/22-2-82 | 499.20 |
| 17. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | केवल कम्पाउन्ड 50 | 442/18-2-82 | 500.00 |
| 18. | ,, | टी. सी. फ्यूज वायर 7 केजी | 444/18-2--82 | 500.00 |
| 19. | ,, | ,, ,, | 452/6-3-82 | 497.00 |
| 20. | ,, | केवल कम्पाउण्ड 50 के.जी. | 453/6-3-82 | 497.00 |
| 21. | राज. मशीनरी ट्रेडर्स, जयपुर | टेप 30 रोल | 1/82/15-2-82 | 499.99 |
| 22. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | टेप 30 रोल्स | 458/19-3-82 | 498.00 |
| 23. | ,, | ,, 2 ,, | 439/16-2-82 | 498.00 |
| 24. | राज. मशीन वर्क्स | फलेक्स 24 नं. | 3/8220-3-82 | 492.00 |
| 25. | ,, | लेम्स 30 नगर | 5/82/20-3-82 | 495.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 26. | अजय इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर | ट्रांसफार्मर रोड 20 | 303/20-3-82 | 498.40 |
| 27. | ,, ,, | पी. जी. क्लेम्स 35 | 302/20-3-82 | 498.75 |
| 28. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | ट्रांसफार्मर क्लेम्स | 460/20-3-82 | 499.00 |
| | | टोटल:- | | 13,902.85 |
| | | | | 9,102.90 |
| | | | | 23,005.75 |

वर्ष 1981-82 को अधिशाषी अभियन्ता, रा. रा. वि. मं., नागौर
आर. ई. सी. उप-खण्ड की सूची

| क्र. सं. | उप खण्ड का नाम | फर्म का नाम | बिल नं. | सामान | रकम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स. अ. (आर. ई. सी.), डेगाना | इन्डो ट्रेडिंग कार्पो., जोधपुर | 30 | 3 एवं 11 केवी फ्यूज ऐलीमेंट | 1935.00 |
| 2 | ,, | छाबड़ा एन्टर प्रा., अजमेर | 144 | ,, | 2460.00 |
| 3. | ,, | श्री विशनु ट्रेड ऐजेन्सी, जोधपुर | 155 | ऐलटी शेकल इन्सूलेटर | 1750.50 |
| 4. | स. अ. (आर.ई.सी.), मेड़ता सिटी भुगतान सं.अ. (आर. ई.सी.), डेगाना | अजय इलैक्ट्रकल, जयपुर | 300 | ट्रांसफार्मर बुशिंग कलेम्प फार वोल्ट टाईप | 498.00 |
| 5. | ,, | ,, | 298 | वेल्डिंग रोड 500 नं. | 495.00 |
| 6, | ,, | ,, | 299 | हेक्साब्लेडस 12इन्च×1इन्च | 497.00 |
| 7. | ,, | ,, | 297 | ट्रांसफार्मर लग्स दो वाल्ट टाईप | 497.00 |

५०५



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | स.अ. (ग्राविनि), डेगाना | एम्पायर एन्ड कं., जयपुर | 409-ए 33केवी फ्यूज ऐलीमेंट 30 एम्पीयर | 480.00 |
| 9. | ,, | ,, | 409-ए 11केवी, डी.ग्रो. फ्यूज ऐलीमेंट्स 60 ऐम्पीयर | 490.00 |
| | | | बी/एफ | 9102.00 |

ह.
लेखाधिकारी (अ. वृत्त)
राराविं. मन्डल, अजमेर।

**अधिशाषी अभियन्ता, नागौर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये गये बिलों की सूची**

**82—83**

| क. सं. | सप्लायर का नाम | सामान का विवरण | बिल नं. एवं दिनांक | रकम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मै. अजय इलेक्ट्रीकल्स, जयपुर | डी ओ फ्यूज एलीमेंट 65 नग | 332/31-5-82 | 497.25 |
| 2. | एम्पायर एण्ड कम्पनी | इन्सूलेटर प्लायर 20 नग | 485—ए/11-5-82 | 498.00 |
| 3. | ,, | रबड़ हैन्ड ग्लब्ज | 481/11-5-82 | 499.20 |
| 4. | अजय इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर | वेल्डिंग रोड 45 नग | 312/1-9-82 | 499.50 |
| 5. | ,, | फ्यूज ऐलीमेंटस 33 के वी 57 | 317/1-9-82 | 499.89 |
| 6. | ,, | ,, 50 नग | 330/29-5-82 | 485.00 |
| 7. | ,, | इन्सुलेटर प्लायर 20 नग | 313/9-5-82 | 499.20 |
| 8. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | 33 केवी फ्यूज ऐलीमेंट 55 नग | 475/11-5-82 | 495.00 |
| 9. | अजय इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर | फेस वेस्टर 60 नग | 315/1-9-82 | 498.00 |
| 10. | ,, | हेक्सा ब्लेड 120 नग | 316/1-9-82 | 499.20 |
| 11. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | 11 केवी फ्यूज ऐली. 50 | 480/1-9-82 | 495.00 |
| 12. | ,, | ,, 40 | 477/11-5-82 | 498.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | अजय इले., जयपुर | डीग्रो फ्यूज ऐली. 60 | 331/29-5-82 | 498.00 |
| 14. | ,, | ,, 57 | 318ए/8-9-82 | 499.89 |
| 15. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | 11 केवी फ्यूज ऐली. 60 | 481ए/19-9-82 | 498.00 |
| 16. | ,, | रबर हेन्ड ग्लब्ज 8 नग | 486/20-5-82 | 498.00 |
| 17. | ,, | 33 केवी डीग्रो 20 एम्पी. 55 नग | 553/15-9-82 | 498.00 |
| 18. | ,, | 11 केवी डीग्रो 20 एम्पो. 65 | 552/15-9-82 | 497.25 |
| 19. | ग्रजय इलैक्ट्रिकल, जयपुर | वेल्डिंग रोड 450 | 374/16-7-82 | 499.20 |
| 20. | ,, | वेल्डिंग रोड 450 | 324/30-5-82 | 499.50 |
| 21. | ,, | ,, 450 | 378/15-9-82 | 499.50 |
| 22. | ,, | क्लेम्स 25 | 388/24-9-82 | 497.50 |
| 23. | ,, | पीजी क्लेम्स 40 | 389/29-10-82 | 487.09 |
| 24. | ,, | फिमेल 10 काणफैक्ट | 366/17-7-82 | 498.00 |
| 25. | ,, | 33 केवी फ्यूज ऐली 55 | 390/29-10-90 | 495.00 |
| 26. | ,, | टी क्लेम्स | 391/29-10-82 | 499.00 |
| 27. | राज. मशीन ट्रेडर्स, जयपुर | पेंट ऐल्यू. 10 लीटर | 5/10 9-10-82 | 499.00 |
| 28 | ग्रजय इलैक्ट्रिक्ल्स, जयपुर | मेल 8 | 365/7-10-82 | 496.00 |
| 29. | ,, | टी क्लेम्पस | 387/24-9-82 | 498.00 |
| 30. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | पीजी क्लेम्पस 30 | 557/26-9-82 | 498.00 |
| 31. | ,, | एचटीटेप 30 रोल | 563/29-10-82 | 498.00 |
| 32. | ,, | एलटी स्टे इन्सूलेटर 150 | 562/29-10-82 | 499.50 |
| 33. | ,, | 11 केवी फ्यूज ऐली. 50 | 560/29-10-82 | 495.00 |
| 34. | ,, | 33 केवी फ्यूज ऐली. 50 | 555/8-10-82 | 495.00 |
| 35. | ,, | क्रोस पीन 60 | 548/18-10-82 | 498.00 |
| 36. | ,, | एलटी पीन इन्सू. 150 | 551/8-10-82 | 499.50 |
| | | | योग :- | 17,923.88 |
| 38. | मै. ग्रजय इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर | 33केवी डीग्रो फ्यूज 50 | 344/15-6-82 | 495.00 |
| 39. | ,, | सीसल रोप 25 कि. | 367/17-7-32 | 497.00 |
| 40. | मै. राज मशीनरी ट्रेडर्स, जयपुर | 1.5 किग्रा | 2/9-3-10-32 | 495.00 |

406



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 41. | मै. राज. मशीनरी ट्रेडर्स जयपुर | पेंट 10 लिटर | 1/9—25-9-82 | 499.00 |
| 42. | मै. अजय इले., जयपुर | एल्यू. पेंट 10 लिटर | 393/9-11-82 | 499.00 |
| 43. | ,, | ,, 10 लिटर | 394/9-11-82 | 499.00 |
| 44. | मै. राज. मशीनरी ट्रेड, जयपुर | ब्लेक पेंट 10 लिटर | 10/9-11-82 | 498.00 |
| 45. | ,, | ,, 10 लिटर | 9/9-11-82 | 498.00 |
| 46. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | 11 केवी डीम्रो फ्यूज 31 | 565/8-11-82 | 496.00 |
| 47. | ,, | एम एस फोजर्ड पीन 60 | 566/8-11-82 | 498.00 |
| 48. | मै. अजय इले., जयपुर | वेल्डिंग रोड 450 | 398/10-11-82 | 499.50 |
| 49. | ,, | 33केवी डीम्रो फ्यूज 40 | 397/8-11-82 | 498.00 |
| 50. | मै. राज. मशीनरी ट्रेडिंग, जयपुर | एल टी पीन इन्स. 150 | 7/10—8-11-82 | 499.50 |
| 51. | ,, | मरकरी लेम्प 4 | 6/10—29-10-82 | 500.00 |
| 52. | ,, | ऐल्यू. पेंट 10 लिटर | 8/10—8-11-82 | 499.00 |
| 53. | मै. अजय इले., जयपुर | 11केवी डीम्रो फ्यूज 65 | 402/10-12-82 | 497.00 |
| 54. | ,, | फल्ड लाईट 2 | 400-ए/14-12-82 | 499.00 |
| 55. | ,, | 33केवी डीम्रो फ्यूज 50 | 405/10-12-82 | 495.00 |
| 56. | राज. मशीन. ट्रेडर्स, जयपुर | एलटी पीन इन्सू. 150 | 12/12—9-12-82 | 499.50 |
| 57. | ,, | ऐल्यू. पेंट 10 लिटर | 10/11—4-12-82 | 499.00 |
| 58. | मै. एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | 11केवी डीम्रो फ्यूज 31 | 577/1-12-82 | 496,00 |
| 59. | ,, | एम्पायर टेप रोल 20 | 533/13-7-82 | 498.00 |
| 60. | ,, | 11 केवी डीम्रो फ्यूज 40 | 571/13-11-82 | 498.00 |
| 61. | मै. अजय इले., जयपुर | टी क्लेम्पस 20 | 406/11-12-82 | 498.00 |
| 62. | ,, | 33 केवी डीम्रो फ्यूज | 407/3-1-83 | 495.00 |
| 63. | ,, | कोटन 55 टेप रोल 40 | 404/16-12-82 | 496.00 |
| 64. | ,, | एम वी हूक 4 | 416/17-12-82 | 499.60 |
| 65. | मै. राज. मशीनरी ट्रेड., जयपुर | 11 केवी डीम्रो फ्यूज इले. 45 | 11/11—7-1-88 | 499.50 |
| 66. | मै. एम्पायर एण्ड कं. जयपुर | फोजर्ड पीन 60 | 574/3-12-82 | 498.00 |
| 67. | ,, | यलो एम्पायर टेप, 20 रोल | 607/25-1-83 | 498.00 |
| 68. | ,, | पीयूसी टेप 60 रोल्स | 601/22-1-83 | 495.00 |
| | | | सी/एफ | 15208.35 |

407

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | मै राज. मशीनरी ट्रेडर्स, जयपुर | 11 के वी डीग्रो फ्यूज क्लेम्प | 2620/20-10-83 | ~~497~~.25 |
| 70. | अजय इलैक्ट्रिक, जयपुर | 33 के फयूज ऐली 30 | 408/7-1-83 | 495.00 |
| 71. | ,, | वेल्डिंग रोड़ 450 | 412-ए/8-1-83 | 499.59 |
| 72. | ,, | फ्लड लाईट 2 | 429/24-1-83 | 494.00 |
| 73. | ,, | ब्लोक 6 सेट | 446/24-1-83 | 498 00 |
| 74. | ,, | फिमेल कोनटेक्टस 10 | 444/24-1-83 | 498.00 |
| 75. | ,, | हेक्सा ब्लेड 120 | 445/24-1-83 | 499.00 |
| 76. | महेन्द्रसिंह एण्ड संस, अजमेर | ट्यूब लाईट 5 | 748/22-11-82 | 498.00 |
| 77. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | एल.टी पीन इन्सू.150 | 598/10-1-83 | 499.50 |
| 78. | अजय इलैट्रिक.,जयपुर | जैक पोस्ट 3 | 419/8-1-83 | 498.00 |
| 79. | ,, | मेल कोनटेक्टस 8 | 427/21-1-83 | 496.00 |
| 80. | ,, | ओटो रिक्लोजर 5 | 421-ए/9-1-83 | 497.00 |
| 81. | ,, | टी क्लेम्पस 20 | 428/21-1-83 | 498.00 |
| 82. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | बुशींग क्लेम्पस | 613/5-2-83 | 498.00 |
| 83. | राज मशीनरी ट्रेडर्स,जयपुर | एलयु पेंटस 10 लीटर | 13/2-5-2-83 | 499.00 |
| 84. | अजय इलैक्ट्रिक, जयपुर | पोजी क्लेम्पस 30 | 452/5-2-83 | 498.00 |
| 85. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | पीवीसी टेप 60 रोल | 589/6-2-83 | 498.00 |
| 86. | ,, | 11 के वी फ्यूज ऐली. 40 | 616/19-2-83 | 495.00 |
| 87. | अजय इलै., जयपुर | प्यारे सीसल रोप 25कि. | 459/5-2-83 | 497.50 |
| 88. | विशनु ट्रेडस, जोधपुर | मीटर स्क्रू 500 | 67/4-1-83 | 454.00 |
| 89. | ,, | लग्स 40 | 68/4-1-33 | 457.00 |
| 90 | ,, | टर्मीनल प्लेट 30 | 69/4-183 | 484.00 |
| 91. | ,, | कोटन टेप 30 रोल | 70/18-1-83 | 465.00 |
| 92. | ,, | ट्यूब चौक 18 | 85/20-2-83 | 486.00 |
| 93. | ,, | एल टी पीन इन्सं. 128 | 83/20-2-83 | 465.92 |
| 94. | ,, | सेकल वाशवेयर 68 सेट | 84/20-2-83 | 459.00 |
| 95. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | इन्सू. प्लायरस 24 | 620/5-3-83 | 499.00 |
| 96. | ,, | स्पेसर 40 | 617/5-3-83 | 498.00 |
| 97. | ,, | 11 के वी फ्यूज | 590/14-2-83 | 495.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 98. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | 11 के.वी.फ्यूज 40 | 621/6-3-83 | 498.09 |
| 99. | अजय इलेक्ट्रि. जयपुर | लैड सील्स | 440बी-5-3-83 | 499.50 |
| 100. | ,, | वैल्डिंग रोड्स 450 | 455/5-3-83 | 499.50 |
| 101. | राज. मशीनरी ट्रेडर्स, जयपुर | ड्रील बीट्स 2 | 22/25-3-83 | 499.50 |
| | | | | 16,244.65 |

वर्ष 82–83 की प्र.अ. रा. रा. वि., मण्डल, नागौर

| क्र.सं. | फर्म का नाम | बिल सं./दिनांक | सामग्री | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मै. अजय इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर | 301/20-3-82 | कन्डकटर्स | 492.00 |
| 2. | ,, ,, | 479/18-5-82 | फेस टैस्टर्स | 498.00 |
| 3. | ,, ,, | 487/22-5-82 | हैंड ग्लाव्स | 498.00 |
| 4. | ,, ,, | 301/28-4-82 | वैल्डिंग रोड | 499.50 |
| 5. | ,, ,, | 338/3-6-82 | फ्यूज ऐलिमेन्ट | 495.00 |
| 6. | ,, ,, | 355/24-6-82 | ,, ,, | 495.00 |
| 7. | ,, ,, | 345/11-6-82 | ,, ,, | 495.01 |
| 8. | ,, ,, | 310/8-5-82 | हक्सा ब्लेड | 499.20 |
| 9. | ,, ,, | 314/18-5-82 | इन्सुलेटेड प्लायर | 499.20 |
| 10. | ,, ,, | 356/1-7-82 | फ्यूज एलिमेन्ट 11 के. वी. | 496.20 |
| 11. | ,, ,, | 309/8-5-82 | ,, ,, 33 के.वी. | 495.00 |
| 12. | मै. इलैक्ट्रिक कार्पो. जोधपुर | 1742/24-5-82 | इमरजेन्सी लाइट | 490.00 |
| 13. | ,, ,, | 1741/24-5-82 | ट्यूब लाइट | 475.00 |
| 14. | ,, ,, | 1738/24-5-82 | एम वी लेम्प | 483.60 |
| 15. | ,, ,, | 1748/25-5-82 | फ्यूज एलिमेन्ट | 468.00 |
| 16. | ,, ,, | 1744/24-5-82 | पेन्डेन्टब्रास होल्डर | 478.00 |

(409)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. | मै. इलेक्ट्रिक कार्पो. जोधपुर | 1745/24–5–82 | केनवानवाफर | 444.00 |
| 18. | ,, ,, | 1746/ ,, | टूल बैग्स | 480.00 |
| 19. | ,, ,, | 1747/ ,, | टिन काफर फ्यूज वायर | 450.00 |
| 20. | ,, ,, | 1787/5–7–82 | ,, ,, | 450.00 |
| 21. | मै. अजय इलेक्ट्रि., जयपुर | 358/7–7–82 | वेल्डिंग रोड | 499.50 |
| 22. | ,, ,, | 376/15–9–82 | ,, ,, | 499.50 |
| 23. | ,, ,, | 373/15–9–82 | हुक्सा ब्लेड | 499.20 |
| 24. | एम्पायर एण्ड कं. जयपुर | 543/15–9–82 | सिलवर कान्टेक्ट्स | 498.00 |
| 25. | ,, ,, | 542सी/6–7–82 | ,, ,, | 496.00 |
| 26. | ,, ,, | 544/15–9–82 | फ्यूज एलिमेन्ट | 498.75 |
| 27. | ,, ,, | 530/4–7–82 | ,, ,, | 496.00 |
| 28. | मै. अजय इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर | 375/15–9–82 | ,, ,, | 495.00 |
| 29. | ,, ,, | 363/10–7–82 | ,, ,, | 495.00 |
| 30. | ,, ,, | 364/12–7–82 | ,, ,, | 498.25 |
| 31. | ,, ,, | 323/22–5–82 | ,, ,, | 498.00 |
| 32. | ,, ,, | 359/7–7–82 | ,, ,, 30 एम्पी. | 498.00 |
| 33. | मै. एम्पायर एण्ड क. जयपुर | 499/24-5-82 | फ्यूज एलिमेन्ट 30 एम्पी. | 498.00 |
| 34. | ,, ,, | 499/14-6-82 | ,, ,, 60 ,, | 495.00 |
| 35. | ,, ,, | 502/16-2-82 | ,, ,, 30 ,, | 497.25 |
| 36. | ,, ,, | 471/29-4-82 | ,, ,, 60 ,, | 498.00 |
| 37. | ,, ,, | 514/ 6-7-82 | ,, ,, 30 ,, | 498.00 |
| 38. | ,, ,, | 520/14-7-82 | ,, ,, 60 ,, | 498.00 |
| 39. | ,, ,, | 352/18-6-82 | ,, ,, 10 ,, | 497.25 |
| 40. | अजय इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर | 336/23-5-82 | ,, ,, 100 ,, | 496.00 |
| 41. | ,, ,, | 360/10-7-82 | ,, ,, ,, | 496.00 |
| 42. | ,, ,, | 354/23-6-82 | ,, ,, 60 ,, | 498.00 |
| 43. | ,, ,, | 327/22-5-82 | ,, ,, 20 ,, | 495.00 |
| 44. | ,, ,, | 353/18-6-82 | ,, ,, 20 ,, | 497.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | 470/27-4-82 | फ्यूज एलिमेन्ट | 40 एम्पी. | 495.00 |
| 46. | ,, ,, | 474/28-4-82 | ,, ,, | 25 ,, | 497.00 |
| 47. | ,, ,, | 503/16-3-82 | ,, ,, | 5 ,, | 497.25 |
| 48. | ,, ,, | 508/21-6-82 | ,, ,, | 30 ,, | 498.00 |
| 49. | ,, ,, | 512/17.82 | ,, ,, | 20 ,, | 495.00 |
| 50. | ,, ,, | 510/28.6 | ,, ,, | | 495.00 |
| 51. | ,, ,, | 493बी/24.5 | ,, ,, | 10 ,, | 495.00 |
| 52. | ,, ,, | 507ए/21-6-82 | ,, ,, | 80 ,, | 495.00 |
| 53. | राज. मशीनरी ट्रेडर्स जयपुर | 419/8.10 | ड्राप हेम्पर्स | | 499.00 |
| 54. | ,, ,, | 319/8.10 | अल्यूनियम पेन्टस | | 499.00 |
| 55. | एम्पायर एण्ड कम्प. जयपुर | 549/11.10 | फ्यूज ऐलिमेन्ट | 30 एम्पी. | 495.00 |
| 56. | अजय इलैक्ट्रिकल्स जयपुर | 377/.10 | ,, ,, | 60 ,, | 498.00 |
| 57. | ,, ,, | 381/8.10 | सीजल राड | | 497.50 |
| 58. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | 568/8.11 | कॉटन टेप | | 408.00 |
| 59. | ,, ,, | 569/8.11 | इन्सूलेटर्स | | 499.50 |
| 60. | राज. मशीन ट्रेडर्स, जयपुर | 010/5.11 | एलुमिन पेण्डस | | 499.00 |
| 61. | अजय इलैक्ट्रिकल्स, जयपुर | 392/8.11 | फ्यूज एलिमेन्ट | 30 एम्पी. | 495.00 |
| 62. | ,, ,, | 401/11.11 | फ्लड लाइट | | 499.00 |
| 63. | ,, ,, | 394/8.11 | फ्यूज एलिमेन्टस | 60 ,, | 498.00 |
| 64. | राज. मशीन ट्रेडर्स, जयपुर | 1612/14.12 | एलूमियन पेन्टस | | 499.00 |
| 65. | एम्पायर एण्ड कं. जयपुर | 582/1/12 | टेप | | 498.00 |
| 66. | एम्पायर एण्ड कं. जयपुर | 584/18.12 | फ्यूज एलिमेन्ट | 60 एम्पी. | 495.00 |
| 67. | एम्पायर एण्ड कं. जयपुर | 602।21-1-83 | फ्यूज एलि. | 80 एम्पी. | 498.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 68. | राज. मशीन ट्रेडर्स | 1311/29-11 | फ्यूज एलिमेन्ट 50 एम्पी. | 495.00 |
| 69. | ,, ,, | 16/12/17-12-88 | टापर शैकल | 499.00 |
| 70. | ,, ,, | 21/1/21-1-83 | एलूमियन पेण्डस | 499.00 |
| 71. | ,, ,, | 22/1/21-1-83 | एलूमियन पेण्डस | 499.00 |
| 72. | अजय इले. कं. जदपुर | 399/10-11 | सिल्वर कान्टेक्स | 498.00 |
| 73. | ,, ,, | 398/10-11 | वेल्डिंग रोड | 499.00 |
| 74. | ,, ,, | 420/18-12 | क्रास जम्पर | 488.00 |
| 75. | ,, ,, | 415/17-12 | फ्यूज एलि. 30 एम. | 495.00 |
| 76. | ,, ,, | 430/21-1-83 | फ्लड लाईट | 499.00 |
| 77. | ,, ,, | 458/7-3-83 | सिसल रोप | 497.00 |
| 78. | ,, ,, | 448/24-1-83 | एसकपमेंट लीवर | 498.00 |
| 79. | ,, ,, | 415ए/18-12-83 | सिलवर कान्टेक्टस | 498.00 |
| 80. | एम्पायर एण्ड कं. जयपुर | 609/5-1-83 | एल्टी पिनइंसुलेटर | 498.00 |
| 81. | ,, ,, | 612/12-2-83 | बुशिंग रोड | 498.00 |
| 82. | ,, ,, | 614/12-2-83 | फ्यूज एलिमेन्टस | 498.00 |
| 83. | अजय इलैक्ट्रिक जयपुर | 463/7-3-83 | मरकरी चाक | 499.00 |
| 84. | ,, ,, | 443/24-1-83 | फ्यूज एलिमेन्टस | 495.00 |
| 85. | ,, ,, | 474/7-3-83 | वेल्डिंग राड | 499.00 |
| 86. | ,, ,, | 87/7-1-83 | शकल इंसुलेटर्स | 442.09 |
| 87. | ,, ,, | 86/7-3-83 | पिन इंसुलेटर्स | 464.00 |
| 88. | एम्पायर एण्ड कं. जयपुर | 482 | केलीडीओ। फ्यूज 60 एम्पी. | 498.00 |
| 89. | अजय इलैक्ट्रिक, जयपुर | 325/28-5-82 | ,, एम्पी. | 498.00 |
| 90. | ,, ,, | 322/इस | इसुलेड प्लोयर | 499.00 |
| 91. | ,, ,, | 321/18-5 | हक्सा ब्लेड | 499.20 |
| 91.अ. | ओम इलै. जोधपुर | 1778/16-6-82 | इन्सुलेटेड स्क्रू 10 | 480.00 |
| 92. | ,, ,, | 1793/13-7 | इन्सुलेटेड प्लायर | 460.00 |
| 93. | ,, ,, | 1777/17-6 | के.वी. फ्यूज 60 एम | 494.00 |
| 94. | ,, ,, | 1749/25-5 | एलटीटिन कापर फ्यूज | 498.00 |
| 95. | ,, ,, | 1749/11-7 | 33 के.वी. रोज प्लायर | 494.00 |
| 96. | ,, ,, | 1768/11-7 | रबर हैड ग्लाव्स | 486.00 |
| 97. | ,, ,, | 1780/11-6 | मीटर वाक्मरिग्न | 468.00 |
| 98. | ,, ,, | 1768/11-6 | साइन जीटर | 480.00 |

(412)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 99. | ओम इले., जोधपुर | 1779/17–6 | ट्यूब लाईट चाक | 465.00 |
| 100. | ,, ,, | 1778/17–7 | मीटर सील वायर | 419.00 |
| 191. | ,, ,, | 1770/12–7 | बुशेण रबर | 480.00 |
| 102. | ,, ,, | 1743/24–5 | के वी डी ओ एलीमेन्ट | 468.00 |
| 103. | अजय इलै., जयपुर | 369/28–8 | 33 के वी ,, फ्यूज 30 ए | 495.00 |
| 104. | ,, ,, | 361/21–8 | 11 ,, ,, एली. | 495.00 |
| 105. | मै. एम्पायर एण्ड कं. जयपुर | 533/14–9 | ,, ,, 30 एम्पी. | 498.00 |
| 106. | ,, ,, | 531/31–7 | ,, ,, 80 ,, | 497·00 |
| 107. | ,, ,, | 509/18–6 | 33 के वी डी ओ फ्यूज | 489.00 |
| 108. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | 518/9-7-82 | 11केवी डीओ फ्यूज ऐली. 80 ऐम्पीयर | 498.75 |
| 109. | ,, | 507/18-6-82 | ,, 60 ऐम्पीयर | 498.00 |
| 110. | ,, | 532/28-8-82 | ,, | 498.00 |
| 111. | ,, | 505/18-6-82 | ,, 100 ऐम्पीयर | 496.00 |
| 112. | अजय इलै., जयपुर | 370/17-9-82 | 33केवी डी ओ फ्यूज ऐली. 20 ऐम्पीयर | 495.00 |
| 113. | ,, | 341/17-6-82 | 11केवी फ्यूज ऐल. 80 एम. | 498.75 |
| 114. | ,, | 349/8-7-82 | ,, 5 | 497.25 |
| 115. | ,, | 343/17-6-82 | 33केवी डीओ फ्यूज ऐली. 20 ऐम्पीयर | 495.00 |
| 116. | ,, | 348/8-7-82 | ,, 20 ऐम्पीयर | 495.00 |
| 117. | ,, | 347/8-7-82 | ,, 30 ऐम्पीयर | 495.00 |
| 118. | ,, | 350/8-2-82 | ,, 30 ऐम्पीयर | 498 00 |
| 119. | ऐम्पायर एण्ड कं., जयपुर | 520/7-7-82 | 11केवी फ्यूज ऐली. 40 एम. | 495.00 |
| 120. | ,, | 517/5-7-32 | ,, 20 एम. | 497.25 |
| 121. | ,, | 519/5-7-82 | ,, 60 एम. | 493.00 |
| 122. | ,, | 513/5-7-82 | ,, 40 एम. | 495.00 |
| 123. | ,, | 484/20-5-82 | ,, 40 एम. | 495.00 |
| 124. | ,, | 491/27-5-32 | ,, 10 एम. | 459.00 |
| 125. | ,, | 487/25-5-82 | ,, 15 एम, | 495.00 |
| 126. | ,, | 490/27-5-82 | ,, 5 एम. | 459.00 |
| 127. | अजय इलै. एण्ड कं.,जयपुर | 324/37-5-82 | ,, 30 एम. | 450.00 |
| 128. | ,, | 362/12-7-82 | फ्यूज ऐली. 60 एम. | 498.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 129. | अजय इलै. एण्ड कं. जयपुर | 342/17-6-82 | फ्यूज एली. 30 ऐम. | 495.00 |
| 130. | ,, | 320/22-6-82 | ,, 20 ऐम. | 455.00 |
| 131. | ,, | 326/27-5-82 | ,, 20 ऐम. | 459.20 |
| 132. | ,, | 319/17-5-82 | ,, 30 ऐम. | 450.00 |
| 133. | ऐम्पायर एण्ड कं. जयपुर | 483/23-5-82 | फेज टेस्टी | 498.00 |
| 134. | | 546/1-10-82 | फ्यूज ऐली. 80 ऐम | 420.75 |
| 135. | अजय इलै., जयपुर | 382/2-11-82 | ,, 60 ऐम. | 498.00 |
| 139. | ,, | 380/12-10-82 | ,, ,, | 495.00 |
| 137. | ,, | 379/1-10-81 | ,, 30 ऐम. | 498.00 |
| 133 | ऐम्पायर एण्ड कं. जयपुर | 550/2-11-82 | ,, 80 ऐम. | 495.90 |
| 139. | ,, | 547/0-10-82 | ,, 20 ऐम. | 495.00 |
| 140. | ,, | 545ऐ/4-11-32 | ,, 30 ऐम. | 495.00 |
| 141. | | 576/14.12 | ,, 30 ऐम. | 495.00 |
| 142. | ,, | 577/14.12 | ,, 80 ऐम. | 498.75 |
| 143. | अजय इलै., जयपुर | 386ऐ/15.11.82 | सीलवर कोनटेक्ट्रल | 496.00 |
| 144. | ,, | 385/15.11 | ,, ,, | 498.00 |
| 145. | ,, | 384/4.11 | फ्यूज ऐली. 20 ऐम. | 495.00 |
| 146. | एम्पायर एण्ड कं., जयपुर | 607/9.2 | ,, 30 ,, | 498.75 |
| 147. | ,, | 606/9.2 | ,, 80 ,, | 498.00 |
| 148. | ,, | 591/11.1 | ,, ,, | 498.00 |
| 149. | अजय इलै. जयपुर | 224/13.12.82 | ,, 20 ऐम्पीयर | 495.00 |
| 150. | ,, | 409/15.12 | 60 ,, | 498.00 |
| 151. | ,, | 410/15.12 | ,, 30 ऐम्पीयर | 495.00 |
| 152. | ,, | 402/24.11.82 | ,, 10 ऐम्पीयर | 497.25 |
| 153. | मै. मशीन ट्रेडिंग, जदपुर | 2412/7-8-82 | टेप्स शेक | 499.00 |
| 154. | एम्पायर एण्ड क., जयपुर | 604/27-11 | फयूज ऐलीमेंट 80 ऐम | 495.00 |
| 155. | ,, | 592/13-11 | 40 ऐम | 498.75 |
| 156. | अजय इलै., जयपुर | 451/22-2 | सोल्वर कोनटेक्स | 496.00 |
| 157. | ,, | 449/22-2-83 | फयूजऐली. 20 ऐम्प | 495.00 |
| 158. | ,, | 450/22-2 | ,, 60 ऐम्प | 498.00 |
| 159. | ,, | 439/28-1-83 | ,, 30 ऐम्प | 465.00 |
| 160. | ,, | 421/9-1-83 | ,, 30 ऐम्प | 495.00 |

# परिशिष्ट 21

**अतारांकित प्रश्न संख्या 880 की सूची** **सूची "अ"**

जयपुर जिले के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा फरवरी, 84 तक जो विद्युत चोरी के मामले पकड़े गये हैं, वे निम्न प्रकार है।

| क्र.सं. | उपभोक्ता/संस्थान का नाम | राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री राधेश्याम | 254.72 |
| 2. | ,, जवाहर | 78.16 |
| 3. | ,, धन्ना/बाबू | 1,238.40 |
| 4. | ,, बादू/देवा | 554.50 |
| 5. | ,, बोदू/कालू | 848.90 |
| 6. | ,, जमालुद्दीन | 788.90 |
| 7. | ,, मांगीलाल | 449.40 |
| 8. | ,, भूरा/घीसा | 176.40 |
| 9. | ,, अमरसिह | 895.10 |
| 10. | ,, गेन्दालाल | 96.32 |
| 11. | ,, मुरलीराम | 241.30 |
| 12. | ,, भूरामल | 288.84 |
| 13. | ,, देवा/भूरा | 757.70 |
| 14. | ,, भंवरसिह | 220.69 |
| 15. | ,, दीनदयाल | 234.45 |
| 16. | ,, भंवरीलाल | 139.54 |
| 17. | ,, नाथूलाल | 87.34 |
| 18. | ,, जवाहरलाल | 20.48 |
| 19. | ,, सेडूराम | 178.30 |
| 20. | ,, प्रभूनारायण | 914.40 |
| 21. | ,, प्रभात | 363.30 |
| 22. | श्रीमती जामवती | 121.23 |
| 23. | श्री हरिनारायण | 52.38 |
| 24. | ,, जगदीश नारायण | 13.00 |
| 25. | ,, गोपीराम | 25.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26. | श्री नानूराम | 50.00 |
| 27. | ,, सीताराम | 20.00 |
| 28. | ,, गोविन्दनारायण | 20.00 |
| 29. | ,, हरिकिशन | 20.00 |
| 30. | ,, आशाराम | 25.00 |
| 31. | ,, रामधन/हेमराज | 13.00 |
| 32. | ,, मनमोहन | 35.00 |
| 33. | ,, श्यामलाल | 20.00 |
| 34. | ,, गंगासहाय | 25.00 |
| 35. | ,, धीसालाल | 90.00 |
| 36. | , बद्रीनारायण | 13.00 |
| 37. | ,, गन्नीखां | 13.00 |
| 38. | ,, ग्यारसीलाल | 13.00 |
| 39. | ,, प्रभातीलाल | 13.00 |
| 40. | श्रीमती सूरजदेवी | 13.00 |
| 41. | श्री गंगाराम | 13.00 |
| 42. | ,, सिकन्दरखां | 13.00 |
| 42. | ,, कजोड/गोविन्दा | 25.00 |
| 44. | ,, सुगनचन्द | 13.00 |
| 45. | ,, नारायण | 50.09 |
| 46. | ,, कज्जूखां | 50.00 |
| 47. | ,, रूड़ाराम | 25.00 |
| 48. | ,, महादेव | 50.00 |
| 49. | श्रीमती जोध कंवर | 50.00 |
| 50. | श्री छाजू झूंथा | 50.00 |
| 51. | ,, पांचू/तिलोक | 50.00 |
| 52. | ,, हनुमान | 50.00 |
| 53. | ,, श्रीमती नारायण देवी | 25.00 |
| 54. | ,, कानाराम | 25.00 |
| 55. | ,, लक्ष्मण | 25.00 |
| 56. | ,, मंगेजसिंह | 50.00 |
| 57. | ,, भूरा/मोघा | 50.00 |
| 58. | ,, कबीरखां | 28.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 59. | श्री रामगोपाल | 13 00 |
| 60. | ,, भूरामल | 20.00 |
| 61. | ,, दीपनारायण | 13.00 |
| 62. | ,, प्रभातीलाल | 13.00 |
| 63. | ,, गजानन्द | 13.00 |
| 64. | ,, गोविन्द सहाय | 50.00 |
| 65. | ,, प्रभूदयाल | 13.00 |
| 66. | ,, लादू/काना | 90.00 |
| 67. | ,, सरपंच ग्राम पंचायत | 25.00 |
| 68. | ,, मांगू/नन्दा | 50.00 |
| 69. | ,, नानू/महादेव | 50.00 |
| 70. | ,, घीसा/नानू | 40.00 |
| 71. | ,, मुरलीराम | 50.00 |
| 72. | ,, नानगा | 50.00 |
| 73. | ,, लूणाराम | 13.00 |
| 74. | ,, गजानन्द | 13.00 |
| 75. | ,, खागाराम | 50.00 |
| 76. | ,, केसरमल | 50.00 |
| 77. | ,, बोदूराम | 20.00 |
| 78. | ,, रामचन्दर | 13.00 |
| 79. | ,, बीजाराम | 25.00 |
| 80. | ,, छीतरमल | 13.00 |
| 81. | ,, रामेश्वर | 28.00 |
| 82. | ,, भगवानसहाय | 20.00 |
| 83. | ,, रामनाथ | 13.00 |
| 84. | श्री बिरधीचन्द | 28.00 |
| 85. | आदर्श उद्योग शाला | 20.00 |
| 86. | मै. नेशनल मोटर्स | 25.00 |
| 87. | श्री जवाहरमल | 25.00 |
| 88. | ,, छोटू लिखमा | 90.00 |
| 89. | ,, मन्दाराम | 40.00 |
| 90. | ,, शरतचन्द्र | 13.00 |
| 91. | ,, अलादीन | 28.00 |

| क्र.सं. | उपभोक्ता/संस्थान का नाम | राशि |
|---|---|---|
| 92. | श्री हनुमान | 13.00 |
| 93. | ,, महादेव | 13.00 |
| 94. | ,, रामलाल | 25.00 |
| 95. | ,, सोहनलाल | 20.00 |
| 96. | ,, मुरलीधर | 20.00 |
| 97. | ,, घासीलाल | 13.00 |
| 98. | महन्त रामकिशोर | 20.00 |
| 99. | श्री अलादीन | 35.00 |
| 100. | ,, अला बुद्ध | 35.00 |
| 101. | ,, छीतरमल | 20.00 |
| 102. | ,, नाथूलाल | 35.00 |
| 103. | ,, भूरामल | 13.00 |
| 104. | ,, सांवरमल | 20.00 |
| 105. | ,, गोविन्द शास्त्री | 20.00 |
| 106. | ,, महादेव | 20.00 |
| 107. | ,, भोलाराम | 20.00 |
| 108. | ,, राजेन्द्र | 20.00 |
| 109. | ,, रामनिवास | 20.00 |
| 110. | ,, रामकृपाल | 50.00 |
| 111. | ,, बिरदीचन्द | 25.00 |
| 112. | ,, बजरंगलाल | 13.00 |
| 113. | ,, सन्तोष कुमार | 13.00 |
| 114. | ,, घनश्याम | 13.00 |
| 115. | ,, ओमप्रकाश | 13.00 |
| 116. | ,, गणेशनारायण | 13.00 |
| 117. | ,, रामकिशोर | 13.00 |
| 118. | ,, घीसाराम | 50.00 |
| 119. | ,, नाथूलाल | 13.00 |
| 120. | ,, कालू बोजा | 50.00 |
| 121. | ,, महादेव | 50.00 |
| 122. | ,, नाथूलाल | 50.00 |
| 123. | ,, कालूराम | 13.00 |

(418)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 124. | श्री रामदयाल | 13.00 |
| 125. | ,, गोविन्दराम | 28.00 |
| 126. | ,, लूणाराम | 28.00 |
| 127. | श्रीमती सन्तोष | 28.00 |
| 128. | श्री रूडमल | 13.00 |
| 129. | ,, भूराराम | 13.00 |
| 130. | ,, घीसालाल | 13.00 |
| 131. | ,, मालीराम | 13.00 |
| 132. | ,, नारायण | 13.00 |
| 133. | ,, भगवानसहाय | 1,712.34 |
| 134. | मै. महालक्ष्मी मिनरल्स | 50.00 |
| 135. | श्री वाबूलाल | 792.16 |
| 136. | श्री बृजमोहन | 1,285.22 |
| 137. | श्री कैलाशचन्द्र | |
| 138. | श्रीमती जोध कंवर | 25.00 |
| 139. | श्री राधेश्याम नाथूलाल | 3,363.00 |
| 140. | ,, भंवरसिंह | 349.02 |
| 141. | ,, सूरजमल | |
| 142. | ,, भेरू गोमा | 250.00 |
| 143. | ,, चौथू नाथू | 70.00 |
| 144. | ,, श्रोम इण्डस्ट्रीज | 70.00 |
| 145. | ,, प्रहलाद भूरामल | 50.00 |
| 146. | ,, बद्री लच्छू | 120.00 |
| 147. | ,, शिवदयाल | 20.00 |
| 148. | ,, सुरेन्द्र राजेन्द्र | 8.00 |
| 149. | ,, आशाराम हनुताराम | 33.00 |
| 150. | ,, विजयलाल | 120.00 |
| 151. | ,, रामप्रसाद | 8.00 |
| 152. | ,, बालाबक्श | 33.00 |
| 153. | ,, श्रोमप्रकाश | 8.00 |
| 154. | ,, बाबूलाल | 8.00 |
| 155. | ,, नानगराम | 8.00 |

(419)

| क्र सं. उपभोक्ता/संस्थान का नाम | राशि |
|---|---|
| 156. श्री नाथूलाल | 33.00 |
| 157. श्री नारायण बंशीधर | 8.00 |
| 158. श्री गोपीचन्द लाल | 8.00 |
| 159. श्री वैद्य महेशचन्द्र | 8.00 |
| 160. श्री रामनिवास | 8.00 |
| 161. श्री रामकृष्ण | 70.00 |
| 162. श्री गोपीराम | 13.00 |
| 163. श्री रामकिशोर | 83.00 |
| 164. श्री मनीसागर | 33.00 |
| 165. श्री रतनलाल | 8.00 |
| 166. श्री लल्लुलाल | 33.00 |
| 167. श्री गणेशराम | 210.00 |
| 168. श्री लच्छू चन्द्र | 113.40 |
| 169. श्री रुडा गोधा | 240.00 |
| 170. श्री ओंकार | 158.00 |
| 171. श्री राधाकिशन | 33.00 |
| 172. श्री रामनिवास | 13.00 |
| 173. श्री मोहनसिंह | 8.00 |
| 174. श्री भूराराल रामपाल | 8.00 |
| 175. श्री महादेव | 35.00 |
| 176. श्री राजेन्द्रकुमार | 8.00 |
| 177. श्री रामेश्वर | 8.00 |
| 178. श्री कल्याण सहाय | 8.00 |
| 179. श्री गोविन्दसहाय | 33.00 |
| 180. श्री दुर्गा प्रसाद | 8.00 |
| 181. श्री रामलाल | 8.00 |
| 182. श्री इकरामुद्दीन | 8.00 |
| 183. श्री हबीबखां | 8.00 |
| 184. श्री दिगम्बर जैन मन्दिर | 13.00 |
| 185. श्री रामस्वरूप | 13.00 |
| 186. श्री चौथमल | 8.00 |
| 187. श्री जगन्नाथ | 8.00 |
| 188. श्री इंदूखां | 60.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 189. | श्री मालराम | 23.00 |
| 190. | श्री हकीमफजदार खां | 33.00 |
| 191. | श्री अल्लाबेली | 8.00 |
| 192. | श्री अल्लाबेली | 33.00 |
| 193. | श्री बली खां | 33.00 |
| 194. | श्री कल्याणसहाय | 18.00 |
| 195. | श्री गोरधन नारायण | 120.00 |
| 196. | श्री हरिनारायण मदनलाल | 283.00 |
| 197. | श्री अर्जुनलाल | 108.30 |
| 198. | श्री हनुमान | 630.88 |
| 199. | श्री केसर किशना | 615.30 |
| 200. | श्री यासीन खां | 97.80 |
| 201. | श्री गंगाराम | 210.00 |
| 202. | श्री बन्सीधर | 794.84 |
| 203. | श्री रामेश्वर | 926.60 |
| 204. | सहायक अभियन्ता वाटर वर्क्स | 436.54 |
| 205. | श्री इमामुद्दीन | 304.80 |
| 206. | सहायक अभियन्ता वाटर वर्क्स | 1,678.40 |
| 207. | ,, | 140.72 |
| 208. | श्री बोदूराम | 480.00 |
| 209. | श्री भीमाराम | 420.00 |
| 210. | श्री शंकरलाल | 810.00 |
| 211. | श्री दामोदर प्रसाद | 675.00 |
| 212. | श्री प्रहलाद विजयलाल | 3,102.32 |
| 213. | श्री पोखरमल | 380.05 |
| 214. | श्री भंवरसिंह | 132.20 |
| 215. | श्री ईश्वर | 130.20 |
| 216. | श्री रोड़ | 382.20 |
| 217. | श्री सेवा | 1,134.00 |
| 218. | श्री कजोड़ बालू | 447.30 |
| 219. | श्री रामदास | 961.62 |
| 220. | श्री मंगला राम | 544.14 |
| 221. | श्री हनुमान | 25.80 |
| 222. | श्री ईश्वर राम | 620.00 |

| क्र.सं. | उपभोक्ता/संस्थान का नाम | राशि |
|---|---|---|
| 223. | श्री सेड़ बालू | 462.30 |
| 224. | ,, पुलपुरी | 1,305.35 |
| 225. | ,, जमाल खां | 45.88 |
| 226 | ,, बद्री श्याजी | 19.32 |
| 227. | ,, छोटीलाल | 774.90 |
| 228. | ,, मन्ना चन्दा | 190.20 |
| 229. | ,, लादू काना | 214.40 |
| 230. | ,, छीतरमल | 111.30 |
| 231. | ,, सेड्डू सुखा | 520.17 |
| 232. | ,, सेड्डू सुखा | 198.51 |
| 233. | ,, मन्ना गुल्ला | 344.40 |
| 234. | ,, कानाराम | 427.00 |
| 235. | ,, गोपी | 118.00 |
| 236. | ,, भगवाना | 170.00 |
| 237. | ,, सूगला नाथ | 525.00 |
| 238. | ,, गोपी नारायण | 95.20 |
| 239. | ,, मंगला | 1,266.30 |
| 240. | ,, रोड्डूराम | 970.83 |
| 241. | ,, बन्ना भगवाल | 153.72 |
| 242. | ,, हरदेव ओंकार | 525.63 |
| 243. | ,, गुल्ला गोधा | 266.70 |
| 244. | ,, सेड्डू रामसहाय | 281.40 |
| 245. | ,, मांगू | 44.00 |
| 246. | ,, सेड्डू उदा | 189.42 |
| 247. | ,, सीताराम | 490.56 |
| 248. | ,, लादू मोती | 954.33 |
| 249. | ,, लच्छीदास | 151.50 |
| 250. | ,, बिरदा राम | 46.62 |
| 251. | ,, शंकर नाथू | 286.94 |
| 252. | ,, मांगू किशना | 368.00 |
| 253. | ,, नानगराम | 163.88 |
| 254. | ,, मोती ईश्वर | 1,317.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 255. | श्री भगवानसहाय | 239.40 |
| 256. | ,, भूरा | 277.16 |
| 257. | ,, भगवान सहाय | 546 00 |
| 258. | ,, भांवा बालू | 60.90 |
| 259. | ,, लादू कजोड | 69.30 |
| 260. | ,, खाडी श्रासाराम | 962.70 |
| 261. | ,, रामकुमार | 1,742.60 |
| 262. | ,, चौथू | 303.30 |
| 263. | ,, रामदेव | 107.10 |
| 264. | ,, प्रभात | 56.16 |
| 265. | ,, भगवान सहाय | 19.60 |
| 266. | ,, राधू रामदयाल | 36.80 |
| 267. | ,, देवीलाल | 126.92 |
| 268. | ,, ईश्वर गुलाब | 8.90 |
| 269. | ,, कालूराम | 50.40 |
| 270. | ,, बालू चन्दा | 1,130.00 |
| 271. | ,, कजोड़ | 424.62 |
| 272. | ,, नाथू मांगू | 1,089.90 |
| 273. | ,, नरसा जैला | 79.80 |
| 274. | ,, नारायण | 525.82 |
| 275. | ,, रामेश्वर | 934.50 |
| 276. | ,, सुवा मुंगला | 2,950.08 |
| 277. | ,, लल्लू | 651.00 |
| 278. | ,, रामदेव | 5,528.25 |
| 279. | ,, घासीलाल | 1,835.40 |
| 280. | ,, हनुमान | 766.50 |
| 281. | ,, रामदेव | 3,500.00 |
| 282. | ,, महादेव | 54.00 |
| 283. | ,, मांगू | 350.00 |
| 284. | ,, मंगला | 2,005.50 |
| 285. | ,, रूडा | 535.50 |
| 286. | ,, बांदू | 413.70 |
| 287. | ,, नाथू | 447.30 |

(423)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 288. | श्री चदा धन्ना | 144.30 |
| 289. | ,, भैरू | 575.40 |
| 290. | ,, प्रभात | 1,371.30 |
| 291. | ,, वालू बींजा | 1,631.70 |
| 292. | ,, मोती बिरदा | 1,018.50 |
| 293. | ,, हुकमाराम | 1,341.90 |
| 294. | ,, धना | 178.50 |
| 295. | ,, छोटू | 268.80 |
| 296. | ,, रामनाथ | 771.12 |
| 297. | ,, काना हरनाथ | 453.60 |
| 298. | ,, नारायण | 168.00 |
| 299. | ,, मंगलसिंह | 611.10 |
| 300. | ,, मोतीराम | 344.40 |
| 301. | ,, मूंगा | 583.80 |
| 302. | ,, सूरजमल | 164.40 |
| 303. | ,, भूरा कालू | 1,516.70 |
| 304. | ,, गजानन्दा | 171.84 |
| 305. | ,, हेताराम | 787.16 |
| 306. | ,, चन्दाराम | 699.30 |
| 307. | ,, नाथू | 457.80 |
| 308. | ,, रूडा | 476.70 |
| 309. | ,, लच्छु ग्यारसा | 151.20 |
| 310. | ,, भरताराम | 693.10 |
| 311. | ,, मोती बिरदा | 1,549.80 |
| 312. | ,, छोगालाल | 22.80 |
| 313. | ,, पुरुषोतम लाल | 74.56 |
| 314. | ,, गोपीप्रसाद | 119.20 |
| 315. | ,, भागीरथ | 30.08 |
| 316. | ,, नन्दाराम | 301.30 |
| 317. | ,, विलोरा चूना | 1,283.10 |
| 318. | ,, नन्दलाल | 219.44 |
| 319. | ,, गणपतलाल | 254.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 320. | श्री बृजमोहन | 259.32 |
| 321. | ,, राधेश्याम | 149.12 |
| 322. | ,, प्रताप | 39.60 |
| 323. | ,, रूणा सरवण | 390.60 |
| 324. | ,, श्रीनारायण | 189.42 |
| 325. | ,, रामकरण | 42.10 |
| 326. | ,, नाथू | 79.80 |
| 327. | ,, उदाराम | 264.60 |
| 328. | ,, देवाराम | 77.70 |
| 329. | ,, हनुमान | 126.00 |
| 330. | ,, प्रभातीलाल | 60.96 |
| 331. | ,, नारायण | 188.80 |
| 332. | ,, भोला | 201.60 |
| 333. | ,, राधेश्याम | 126.28 |
| 334. | ,, बृजमोहन | 50.70 |
| 335. | ,, गणपतिलाल | 225.20 |
| 336. | ,, गणपत ख्याति | 216.46 |
| 337. | ,, मुगला | 179.34 |
| 338. | ,, नानूराम | 667.80 |
| 339. | ,, सज्जनसिंह | 720.30 |
| 340. | ,, रामरिछपाल | 64.34 |
| 341. | ,, कृष्णकुमार | 90.64 |
| 342. | ,, मुरलीधर | 34.42 |
| 343. | ,, गौरमेन्ट हास्पिटल | 13.60 |
| 344. | ,, पेपसिंह | 69.74 |
| 345. | ,, गिरधारी | 17.96 |
| 346. | ,, लक्ष्मण | 10.68 |
| 347. | ,, बालमुकन्द | 204.34 |
| 348. | ,, भूराराम | 48.96 |
| 349. | ,, हनुमान | 322.56 |
| 350. | ,, सुवालाल | 19.80 |
| 351. | ,, लक्ष्मीनारायण | 232.05 |
| 352. | ,, किशोरसिंह | 254.10 |

425

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 353. | श्री गंगाराम श्यामा | 1,321.83 |
| 354. | ,, हनुमान | 210.00 |
| 355. | ,, सुगनसिंह | 128.10 |
| 356. | ,, गणेश नारायण | 50.40 |
| 357. | ,, भागीरथ मांगी लाल | 1,184.40 |
| 358. | ,, हनुमान जीवन | 266.70 |
| 359. | ,, रामदेव मेवा अहीर | 1,294.65 |
| 360. | ,, भेरू धूला | 1,413.30 |
| 361. | ,, उदाराम | 479.93 |
| 362. | ,, गोपाल | 355.32 |
| 363. | ,, रामचन्दर | 447.72 |
| 364. | ,, कालूराम | 129.15 |
| 365. | ,, अमर चन्द | 152.60 |
| 366. | ,, मनसुखा जाट | 125.80 |
| 367. | ,, भूरा दूला | 88.20 |
| 368. | ,, रामाराम मन्शाराम | 173.04 |
| 369. | ,, भूथाराम मन्शाराम | 161.93 |
| 370. | ,, सुखा पीथा नारायण | 331.00 |
| 371. | ,, मालूराम बालूराम | 189.32 |
| 372. | ,, नाथू गामा | 10.50 |
| 373. | ,, भूथा माना | 224.56 |
| 374. | ,, मन्द सिंह | 121.60 |
| 375. | ,, गजानन्द छाजूराम | 15.34+8.28 |
| 376. | ,, घीसा छोटा | 939.75 |
| 377. | ,, लक्ष्मण सुन्दर | 260.40 |
| 378. | ,, भूरादास रुघादास | 837.90 |
| 379. | ,, नाथू हनुमान मीणा | 29.40 |
| 380. | ,, हरदेव भूरा | 214.20 |
| 381. | ,, प्रिन्सीपल कालेज हास्टल | 28.60+3.12 |
| 382. | ,, रामेश्वर प्रसाद | 68.40+10.80 |
| 383. | ,, छोटू | 33.60 |
| 384. | ,, राधेश्याम बसी | 172.20 |
| 385. | ,, गोविन्द सिंह गुलाब सिंह | 998.55 |

426



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 386. | श्री विजयलाल मुरलीधर | 151.20 |
| 387. | ,, सूण्डा रूण्डा | 376.10 |
| 388. | ,, काना हनुमान | 525.00 |
| 389. | ,, हनुमान सहाय | 184.80 |
| 390, | ,, लादू छाला मोणा | 161.50 |
| 391. | ,, जवाहर रघुनाथ | 862.40 |
| 392. | ,, हरनाथ गणेश | 60.90 |
| 393. | ,, नानगराम किशना | 363.30 |
| 394. | ,, कालू | 336.30 |
| 395. | ,, घोकलदास रूडदास | 4,243.06 |
| 396. | ,, बिरधीचन्द नानगराम | 3.20+2.40 |
| 397. | ,, रघुनाथ लिमन | 3.60 |
| 398. | ,, चौथूराम बालूराम | 35.70 |
| 399. | ,, देवाराम लादूराम | 402.57 |
| 400. | ,, कालूराम दीपाराम | 266.70 |
| 401. | ,, रामेश्वर बोदूराम | 243.01 |
| 402. | ,, हनूता हुकमा | 504.00 |
| 403. | ,, मानु चौक | 277.50 |
| 404. | ,, हनुमान गुढा | 922.25 |
| 405. | ,, भूथा चंदा | 697.65 |
| 406. | ,, गणेश मुरली | 307.75 |
| 407. | ,, प्रभूदयाल किशन | 46.80 |
| 408. | ,, रूडा बींजा | 163.70 |
| 409. | ,, भूरा दूला | 96.60 |
| 410. | ,, बालू लादू | 530.46 |
| 411. | ,, भक्दा माला | 119.70 |
| 412. | ,, नाथू नारायण | 1,713.0 |
| 413. | ,, चन्द्रा जीवन | 119.50 |
| 414. | ,, हनूता हुकमा | 262.50 |
| 415. | ,, मांगू जोखा | 245.70 |
| 416. | ,, नाथूसिंह मूलसिंह | 114.54 |
| 417. | ,, समुन्दरसिंह विजयसिंह | 31.50 |
| 418. | ,, सेड़ाराम | 45.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 419. | श्री मंगेजसिंह | 1,821.40 |
| 420. | ,, गोरधन शिवनाथ | 121.80 |
| 421. | ,, खांया सेडू अहीर | 342.30 |
| 422. | ,, रामू बक्शा अहीर | 96.60 |
| 423. | ,, नदा हनुमान | 600.00 |
| 424. | ,, मांवाराम किशनाराम | 79.90 |
| 425. | ,, रामा बक्श | 384.30 |
| 426. | ,, मानू बागड़ा | 258.30 |
| 427. | ,, प्रभात जोधा | 492.45 |
| 428. | ,, भैरा दूला | 1,413.30 |
| 429. | ,, कपूर पुरी गुलाव पुरी | 149.50 |
| 440. | ,, शिवनारायण जुगलकिशोर | 87.36 |
| 431. | ,, शंकर नारायण | 369.41 |
| 432. | ,, नाराधण रामकुमार | 260.40 |
| 433. | ,, मांगू सुखा | 260.00 |
| 434. | ,, रामदेव आमरा | 599.56 |
| 435. | ,, शान्तिलाल | 557.14 |
| 436. | ,, रोडदास जुगलदास | 66.20 |
| 437. | ,, नारायण मंगला | 330.20 |
| 438. | ,, भूंधा मांगू बगड़ा | 258.00 |
| 439. | ,, जोधा लादू | 35.70 |
| 440. | ,, रामेश्वर लाल शर्मा | 23.60 |
| 441. | ,, गणेश शिवदयाल | 14.04 |
| 442. | ,, सयद अशरफ अली | 81.43 |
| 443. | ,, शिवबक्ष नारायण | 556.80 |
| 744. | ,, गोमा लालू | 102.90 |
| 445. | ,, किशन हनुमान | 162.60 |
| 446. | ,, लालू हीरा मीना | 161.50 |
| 447. | ,, हनुमान सहाय | 184.00 |
| 448. | ,, काना हनुमान | 525.00 |
| 449. | ,, दूला दालू | 239.30 |
| 450. | ,, शिवलाल पन्नालाल | 611.16 |
| 451. | ,, भागीरथसिंह उम्मेदसिंह | 44.10 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 452. | श्री बालूराम नारायण | 1,038.70 |
| 453. | ,, उदाराम | 1,413.00 |
| 454. | ,, भैरू कजोड | 60.00 |
| 455. | ,, कपूरचन्द | 39.72 |
| 456. | ,, रामदेव ग्रामरा | 599.76 |
| 457. | श्रीमती मगलीदेवी | 720.00 |
| 458. | श्री महादेव हरला | 686.34 |
| 459. | ,, सेडूराम किशनाराम | 370.00 |
| 460. | सहायक अभियन्ता वाटर वर्क्स | 185.76 |
| 461. | श्री लादूराम | 217.14 |
| 462. | ,, धन्नालाल | 168.80 |
| 463. | ,, भूरा पुत्र मोहन | 165.30 |
| 464. | ,, छीतर छोटू बालू | 128.10 |
| 465. | ,, सेडूराम कन्हैया लाल | 319.00 |
| 466. | ,, बालू रूडा शिवबक्स | 157.30 |
| 467. | ,, जगदीश प्रसाद | 312.00 |
| 468. | ,, प्रिन्सिपल सहारिया कालेज | 89.64 |
| 469. | ,, अमरसिंह भंवरसिंह | 151.92 |
| 470. | ,, भूराराम | 105.00 |
| 471. | ,, महेन्द्रसिंह | 270.00 |
| 472. | ,, गोविन्द नारायण | 31.97 |
| 473. | श्रीमती प्रेम कंवर | 50.40 |
| 474. | श्री घीसा भोला | 401.60 |
| 475. | ,, गोपीराम | 76.05 |
| 476. | ,, भंवरराम | 29.87 |
| 477. | ,, बजरंगसिंह | 18.00 |
| 478. | ,, नरसीलाल | 24.75 |
| 479. | ,, भूधाराम | 35.00 |
| 480. | ,, राधाकिशन | 92.40 |
| 481. | ,, श्री बंशी सीताराम | 109.20 |
| 482. | ,, जीवनराम | 21.90 |
| 483. | ,, रघुनाथसिंह | 12.05 |
| 484. | ,, ओंकार नन्दा | 441.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 486. | श्री नरसीलाल | 60.00 |
| 486. | ,, भूंथा भीयां | 19.62 |
| 487. | ,, रतीराम | 174.00 |
| 488. | ,, बालू पोकर | 11.40 |
| 489. | ,, गिराई | 44.88 |
| 490. | ,, खेमाराम सेहू | 18.16 |
| 491. | ,, कल्याण केशला | 180.00 |
| 492. | ,, रामचन्दर बालू | 180.00 |
| 493. | ,, शिवदयाल खांगा | 218.75 |
| 494. | श्रीमती भूरीदेवी | 218.75 |
| 495. | श्री छोटू बालू | 210.00 |
| 496. | ,, हनुमान बालू | 180.00 |
| 497. | ,, दरगाह हुस्तेड़ा | 329.00 |
| 498. | ,, शान्तीलाल मोहरीलाल | 524.09 |
| 499. | ,, आशीदान, रामचन्दर | 72.00 |
| 500. | ,, मूलसिंह | 22.40 |
| 501. | ,, मालूराम नन्दलाल | 39.60 |
| 502. | ,, बालूराम नानूराम | 5.70 |
| 503. | ,, मांगीलाल लाबूराम | 41.60 |
| 504. | ,, रामदेव पुत्र गंगाराम | राशि नहीं आंकी गई है |
| 505. | ,, छीतरमल | ,, |
| 506. | ,, रामेश्वरप्रसाद दुर्गाराम यादव | 55.20 |
| 507. | ,, कन्हैयालाल गोरधन | 98.00 |
| 508. | ,, बन्सीराम रामकुमार | 710.64 |
| 509. | ,, किशना रामनन्दा, रामजीलाल शर्मा | 710.64 |
| 510. | ,, रामजीलाल, नारायण | 1,556.41 |
| 511. | ,, किलारी खुदर मोती नारायण | 962.64 |
| 512. | ,, कन्हैया हरनारायण | 957.60 |
| 513. | ,, पूरणसिंह | 243.18 |
| 514. | ,, भोरिया गोरिया | 263.13 |
| 515. | ,, ओमप्रकाश | — |
| 516. | ,, रामसहाय भोला | 544.32 |
| 517. | ,, रामकिशन रामनन्द | 711.90 |

430



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 518. | श्री रेवड भुवाना | — |
| 519. | ,, जगदीश नारायण रूप नारायण | 1,588.98 |
| 520. | ,, राधेश्याम, भोलानाथ | 223.80 |
| 521. | ,, धमेन्द्र आयल मिल | 1,089.90 |
| 522. | ,, राधेश्याम कल्याण सहाय | 1,366.95 |
| 523. | ,, कजौडमल मीना | 666.00 |
| 524. | ,, लक्ष्मणसिंह बाबूसिंह | 750.00 |
| 525. | ,, जगदीश प्रसाद रामलाल | 3,875.00 |
| 526. | ,, भगवाना हट्टा मीणा | 2,125.00 |
| 527. | ,, सरवण दास | 13.11 |
| 528. | ,, हरीराम | 594.09 |
| 529. | ,, रामभजन | 180.60 |
| 530. | ,, अर्जुन जमना | 235.20 |
| 531. | ,, भीमजी रामबक्श | 678.30 |
| 532. | ,, जयनारायण | 639.87 |
| 533. | ,, गुलाब ग्यारसा | 1,283.10 |
| 534. | ,, मांगीलाल | 118.23 |
| 535. | ,, द्वारिका प्रसाद जैन | 174.24 |
| 536. | ,, सन्तोष कुमार महताब सिंह | 165.40 |
| 537. | ,, गोरधन/नानगा | 753.78 |
| 538. | ,, अल्हानूरखां | 580.14 |
| 539. | ,, पोकर नन्दा | 927.09 |
| 540. | ,, किशन सहायक | 544.32 |
| 541. | मै. निशा इण्डस्ट्रीज | 270.06 |
| 542. | श्री भूरा रावण | 1,285.20 |
| 543. | मैसर्स रतन कण्डक्टर | 487.00 |
| 544. | श्री दयालाराम | 1,488.12 |
| 545. | मै. कोठारी केबिल्स एण्ड इलेक्ट्रिक | 2,510.00 |
| 546. | ,, शिव मैटल | 5,962.40 |
| 547. | ,, हैन्डमेड पेपर मैकर | 1,817.00 |
| 548. | ,, सांगानेर दाल मिल एण्ड फ्लोर मिल | 29,057.00 |
| 549. | ,, दामोदरलाल सूरजमल | 1,049.53 |
| 550. | ,, प्रभूलाल पांचूलाल | 2,709.00 |
| 551. | ,, भौरीलाल मोतीलाल | 1,699.25 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 552. | श्री मदनलाल दुर्गालाल | 880.30 |
| 553. | ,, गणेश जोहरी तिलोको | 186.48 |
| 554. | ,, प्यारीलाल श्रीनारायण | 118.44 |
| 555. | ,, छोटू जगन्नाथ | 4,560.12 |
| 556. | मैसर्स जगदम्बा सा मिल | 4,792.40 |
| 557. | श्री जगतसिंह पुत्र करणसिंह | 1,719.00 |
| 558. | ,, मोहम्मद खां पुत्र खज्जूखां | 1,000.00 |
| 559. | ,, कल्याणसिंह | 135.00 |
| 560. | ,, सत्येन्द्र बिहारी सक्सैना | 139.84 |
| 561. | ,, अब्दुल लतीफ | 281.88 |
| 562. | श्रीमती रुकमणी देवी | 281.88 |
| 563. | श्री परसराम | 1,224.72 |
| 564. | ,, नतिनदास | 408.24 |
| 565. | ,, मालीराम बोलधा | 680.14 |
| 566. | ,, जगदीश टाक | 340.40 |
| 567. | ,, कन्हैयालाल | 340.20 |
| 568. | ,, भगवती प्रसाद | 680.40 |
| 569. | श्रीमती बोतला देवी | 1,905.12 |
| 570. | श्री अब्दुल रजाक | 4,134.24 |
| 571. | ,, हाफिज अली | 454.40 |
| 572. | ,, हनुमान प्रसाद | 1,612.62 |
| 573. | ,, कन्हैयालाल | 480.20 |
| 574. | ,, फुलचन्द | 1,839.40 |
| 575. | सहायक अभि. रोड लाईट, नगर परिषद, जयपुर | 1,944.00 |
| 576. | श्री लाल चन्द जैन | 15.00 |
| 577. | ,, एम.ए. शकूर | 1,647.00 |
| 578. | ,, रामचन्दर/मोहनलाल | 459.00 |
| 579. | ,, दुर्गालाल घासीलाल | 4,366.00 |
| 580. | ,, श्यामकुमार | — |
| 581. | ,, कुलदीपसिंह | 191.70 |
| 582. | ,, शंकरलाल जांगिड | 384.88 |
| 583. | ,, अखिल कुमार गुप्ता– मै. हिन्दुस्तान क्रेशर | 2,239.38 |
| 584. | ,, केसरलाल पुत्र गिरिराज प्रसाद | 565.16 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 585. | श्री जेठाराम पुत्र आत्माराम | 247.79 |
| 586. | ,, बलदेव कुमार कन्हैयालाल– मै अनिल वाइन स्टोर | 2,098.08 |
| 587. | ,, मैसर्स जैन उद्योग | 14,732.74 |
| 588 | डा. पी. के. गेर्ग– मै ब्यूपुल लेबोरिटी | 1,777.76 |
| 589. | मै. पोद्दार स्पिनिंग मिल्स | 7,01,970.43 |
| 590. | श्री परसराम हेमनानी | 916.08 |
| 591. | ,, राधेश्याम अग्रवाल | 154.08 |
| 592. | ,, प्रभुसिंह पुत्र किशन सिंह | 414.69 |
| 593. | ,, मीनालाल | 1,691.75 |
| 594. | ,, वासुदेव पुत्र जगदीश | 525.00 |
| 595. | ,, छुट्टनलाल | 12.00 |
| 596. | मै. प्रताप इन्जीनियरिंग वर्क्स | 13,216.55 |
| 597. | ,, के. पी. इण्डस्ट्रीज | 4,740.82 |
| 598. | मै. इण्डिया स्टील बाल इण्डस्ट्रीज | 9,702.00 |
| 599. | श्री ग्यारसीलाल | 1,851.00 |
| 600. | ,, अब्दुल रजाक | 3,412.00 |
| | योग रु. | 11,10,002.49 |
| | योग | 11,10,002.49 |
| 601. | श्री भूरा कजोड़ देवी सहाय | – |
| 602. | श्री बाबू भूषा | – |
| 603. | श्री अधिकारी निजीसम्पति, महाराजा, जयपुर, रामबाग | 1,292.76 |
| 604. | श्री हरदेव पुत्र रघुनाथ | – |
| 605. | श्री जगन पुत्र रामरख | – |
| 606. | श्री मूलचन्द गोरधनदास | – |
| 607. | श्री प्रभाती लाल गंगासहाय | – |
| 608. | श्री प्रताप पुत्र हरनाथ | 283.40 |
| 609. | मैं गुरुनानक आयल मिल | – |
| 610. | श्री जगजीत सिंह | – |
| 611. | श्री ओम प्रकाश शर्मा | – |
| 612. | श्री शिवनारायण | 782.41 |
| 613. | श्री भूरा प्रभाती | – |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 614. | श्री अब्दुल कयूब | 1,417.20 |
| 615. | श्री राधेश्याम | 1,403.77 |
| 616. | श्री महेन्द्र सिंह | — |
| 617. | मै. जयपुर जनरल एजेन्सी | — |
| | कुल योग : रु. | 11,15,693.41 |

434



# परिशिष्ट–22

## अतारांकित प्रश्न संख्या 882 की सूची

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ, अलवर
में शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कौंशिल के समस्त
पदाधिकारियों की सूची 1982–83

परिशिष्ट सं.–3

वर्तमान कौंसिल :—

1. प्रधान श्री भवानी सिंह सैनी, प्रधानाचार्य, सैनी उ. मा. वि., अलवर
2. उप प्रधान श्रमती सत्यवाणी शर्मा, आचार्य राजर्षि महाविद्यालय
3. ,, श्री वी. पी. शर्मा, प्रध्यापक, राजर्षि कालेज, अलवर
4. जिला कमिश्नर श्री रविशंकर शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर
5. प्रभारी (स्का.) श्री मेघसिंह, प्रधानाचार्य, नवीन उ. मा. वि., अलवर
6. ,, (गा.) श्रीमती प्रियम्बदा गुप्ता, प्र. अ. बालिका उ. मा. वि., अलवर
7. सहा. जिला कमि. श्री बल्लभदास बर्मन, प्र. अ. मा. वि., राजगढ़
8. ,, ,, श्री के. पी. सिंह, वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी
9. ,, ,, श्रीमती सुधा माथुर, वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)
10. ,, ,, श्री ईश्वर चन्द वर्मा, प्र. अ. यशवन्त उ. मा.वि., अवलर
11. ,, ,, श्री टी. सी. जोशी, प्र. अ. प्रताप मा. वि. अलवर
12. ,, ,, श्री सत्यनारायण माथुर, उप जिला शिक्षा अधिकारी
13. सचिव, श्री बद्री नारायण दोधी, व्याख्याता, यशवन्त उ. मा. वि. अलवर
14. संयुक्त सचिव, श्रीमती निर्मला गौड, अलवर उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)
15. सहायक सचिव, श्री बालकिशन गुप्ता, प्र. अ. नवीन उ. मा. वि. अलवर
16. ,, श्री रामेश्वर दयाल गुप्ता, प्र. अ. प्रा. वि. मालन की गली
17. कोषाध्यक्ष, श्री रामभजन सैनी, सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर
18. प्रति आजीवन सद. श्री पी. एल. जैन, 504, चन्द्र निकेतन लाजपत नगर, अलवर
19. साधारण सद. श्री ओ. पी. गोयल प्रवक्ता कला महाविद्यालय, अलवर
20. , ,, श्री प्रभुचरण, मुंशी बाग, अलवर
21. स्काउट प्रतिनिधि, श्री कृष्ण शर्मा, उ. प्रा. वि. चौकी शेख, सराय
22. ,, ,, श्री सुरेश कौशिक ,, ,, मालाखेडा गेट, अलवर
23. जिला स्काउटर, श्री बालकिशन गुप्ता, नवीन उ. मा. वि., अलवर
24. ,, ,, सुरेश कौशिक उ. प्रा. वि., मालाखेडा गेट
25. ,, ,, श्री अमरनाथ शर्मा ,, न. 5, अलवर
26. ,, ,, श्री विरजूसिंह चौहान, मा. वि. बाम्बोली, अलवर
27. ,, ,, श्री गिरधारी लाल शर्मा, यशवन्त उ. मा. वि., अलवर

435

| 1 | 2 |
|---|---|
| 28. | जिला कब सा. श्री रघुवीर शर्मा, सैनी प्रा. वि., अलवर |
| 29. | जिला फ्लाक लीडर, श्रीमती कुसुम शर्मा, ए. प्रा. वि. मन्नी का बड, अलवर |
| 30. | जिला गाइडर श्रीमती सरोज शर्मा, स. अ. बा. वि. देवीजी की गली, अलवर |
| 31. | ,, ,, सुश्री सुधा माथुर, स. अ. बा. उ. मा. वि., अलवर |
| 32. | क्वार्टर मा. श्री बालकिशन गुप्ता, स. अ. नवीन उ. मा. वि., अलवर |
| 33. | सी. ओ. (स्का.), श्री बद्री सिंह, सी. ओ., अलवर |
| 34. | ,, (गा.), श्रीमती प्रमोला पारीक, सी. ओ. (गाइड), अलवर |

436



## परिशिष्ट सं–4

### राजस्थान राज्य भारत स्काउट एण्ड गाइड स्थानीय संघ अलवर की कार्यकारिणी समिति में शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं समस्त पदाधिकारियों की सूची, 1983-83

| | |
|---|---|
| (1) प्रभारी स.जि.क. (स्का.) | श्री मेघसिंह, प्रधानाचार्य, नवीन उ.मा.वि., अलवर |
| (2) ,, ,, (गाइड) | श्रीमती प्रियम्बदा गुप्ता, प्र. अ. बालिका उ. मा. वि., अलवर |
| (3) सहा. जिला कमि. | श्री बल्लभ दास बर्मन, प्र. अ. उ. मा. वि., राजगढ़ |
| (4) ,, ,, | श्री के. पी. सिंह, व. उप जिला शिक्षा अधिकारी |
| (5) ,, ,, | श्रीमती सुधा माथुर व. उप जिला शिक्षा अ. (छात्रा) |
| (6) ,, ,, | श्री ईश्वर चन्द्र वर्मा, प्र. अ. यशवन्त उ. मा. वि., अलवर |
| (7) ,, ,, | श्री टी. सी. जोशी, प. अ. प्रताप मा.वि., अलवर |
| (8) ,, ,, | श्री सत्यनारायण माथुर, उ. जिला शिक्षा अधिकारी |
| (9) ,, ,, | श्री बद्रीप्रसाद दोषी, व्याख्याता, यशवन्त उ.मा.वि. |
| (10) संयुक्त सचिव | श्रीमती निर्मला गोड, अवर उप जिला शि. अ. (छात्रा) |
| (11) सहायक सचिव | श्री बालकिशन गुप्ता, स. अ. नवीन उ. मा. वि., अलवर |
| (12) ,, ,, | श्री रामेश्वर दयाल गुप्ता, प्र. अ. प्रा. विद्यालय, मालन को |
| (13) कोषाध्यक्ष | श्री रामभजन सैनी, सैनी सैनी उ. प्रा: वि., अलवर |
| (14) प्रति आजीवन सदस्य | श्री पी.एल. जैन, 504 चन्द्र निकेतन लाजपतनगर, अलवर |
| (15) साधारण सदस्य | श्री ओ. पी. गोयल, प्रवक्ता, कला महाविद्यालय, अलवर |
| (16) ,, ,, | श्री प्रभुचरण, मुन्शी बाग, अलवर |
| (17) स्काउट प्रतिनिधि | श्री कृष्ण शर्मा, उ. प्रा. वि: चौकी शेख सराय, अलवर |
| (18) ,, ,, | श्री सुरेश कौशिक, उ. प्रा. वि., मालाखेड़ा गेट, अलवर |

(19) सी. ग्रो. (स्काउट) श्री बद्री सिंह, सी. ग्रो., अलवर

(20) सी. ग्रो. (गाइड) श्रीमती प्रमिला पारीक, सी. ग्रो. (गा.), अलवर

ह./-
सचिव,
राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड
स्थानीय संघ, अलवर

ह./-
जिला शिक्षा अधिकारी,
अलवर (राजस्थान)

438



परिशिष्ट सं 8

स्थानीय संघ, अलवर की सहायतार्थ सत्र 1980–81 में निम्नलिखित विद्यालयों के छात्रों के सहयोग से कूपन द्वारा एकत्र राशि का विवरण

| सत्र 1980–81 | रुपये |
|---|---|
| (1) प्राथमिक विद्यालय, मेंहदी बाग | 30.00 |
| (2) आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 150.00 |
| (3) उच्च प्राथमिक विद्यालय, मोरसराय | 75.00 |
| (4) उच्च प्राथमिक विद्यालय, नयाबास | 60.00 |
| (5) उच्च प्राथमिक विद्यालय, हैपी | 75.00 |
| (6) उच्च प्राथमिक विद्यालय मालाखेड़ा गेट | 83.70 |
| (7) उच्च प्राथमिक विद्यालय पीलखाना | 02.40 |
| (8) प्राथमिक विद्यालय बीरबल का मौहल्ला | 45.00 |
| (9) उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रताप बास | 75.00 |
| (10) प्राथमिक विद्यालय फ्रेण्डस कालोनी | 15.00 |
| (11) उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 65.70 |
| (12) हैपी उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 42.00 |
| (13) अग्रवाल माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 90.00 |
| (14) माध्यमिक विद्यालय स्कीम नं. 2 | 80.00 |
| (15) उच्च प्राथमिक विद्यालय, देवजी की गली, अलवर | 61.00 |
| (16) उच्च प्राथमिक विद्यालय, मैहताप सिंह का नोहरा | 75.00 |
| (17) उच्च प्राथमिक विद्यालय, मन्नी का बड | 30.00 |
| (18) प्राथमिक विद्यालय, कालीमोरी | 15.00 |
| (19) नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय | 150.00 |
| (20) माध्यमिक विद्यालय रेल्वे स्टेशन | 91.00 |
| | 1311.00 |

439

सत्र 1981–82

| | | |
|---|---|---|
| (1) | प्राथमिक विद्यालय, चमेली बाग | 31.20 |
| (2) | बालिका प्राथमिक विद्यालय, नयाबास | 24.00 |
| (3) | सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 150.00 |
| | | 205.00 |

सत्र 1981–82 कूपन विद्यालयों को धन एकत्रित हेतु वितरित नहीं किए गए।

## परिशिष्ट सं.–9

स्थानीय संघ, अलवर को सहायतार्थ सत्र 1982-83 में निम्नलिखित विद्यालयों के छात्रों के सहयोग से कूपन द्वारा एकत्र राशि का विवरण

सत्र 1982-83

| | | रुपये |
|---|---|---|
| (1) | नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 300.00 |
| (2) | बालिका माध्यमिक विद्यालय, देवीजी की गली | 200.00 |
| (3) | बालिका उ. प्रा. विद्यालय, मुबारिकपुर | 100.00 |
| (4) | आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, अलवर | 83.00 |
| (6) | माध्यमिक विद्यालय, बालबिहार | 225.00 |
| (6) | ओसवाल उच्च प्राथमिक विद्यालय, अलवर | 150.00 |
| (7) | सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 370.00 |
| (8) | अग्रवाल माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 200.00 |
| (9) | सैनी प्राथमिक विद्यालय, अलवर | 200.00 |
| (10) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, मिलकपुर | 100.00 |
| (11) | प्राथमिक विद्यालय मेंहदी बाग | 50.00 |
| (12) | माध्यमिक विद्यालय, बाम्बोली | 150.00 |
| (13) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, बालेटा | 100.00 |
| (14) | गुरुनानक माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 102.00 |
| (15) | बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, नवाबपुरा | 100.00 |
| (16) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, घाटला | 50.00 |
| (17) | माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मचारी, अलवर | 150.00 |
| (18) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, चौकी शेखासराय | 100.00 |
| (19) | उच्च प्राथमिक विद्यालय भजीट | 100.00 |
| (20) | बालभारती विद्यालय, अलवर | 150.00 |
| (21) | उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 2, अलवर | 5*.00 |
| (22) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, हजूरीगेट | 80.00 |
| (23) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, भूगोर | 50.00 |
| (24) | उच्च प्राथमिक विद्यालय लादिया गेट | 50.00 |
| (25) | उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ | 250.00 |
| (26) | माध्यमिक विद्यालय चान्दोली | 50.00 |
| (27) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, भजेड़ा | 50.00 |
| (28) | माध्यमिक विद्यालय रेल्वे स्टेशन, अलवर | 152.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| (29) | बालिका प्राथमिक विद्यालय, रामगढ़ | 100.00 |
| (30) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, खिलोरा | 50.00 |
| (31) | बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मन्नो का बड | 376.00 |
| (32) | माध्यमिक विद्यालय, अलावडा | 125.00 |
| (33) | माध्यमिक विद्यालय, बहादुरपुर | 225.00 |
| (34) | बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 545.50 |
| (35) | उच्च प्राथमिक विद्यालय मालखेडागेट | 167.50 |
| (36) | उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 3, अलवर | 100.00 |
| (37) | बालिका उ. प्रा. वि. देवीजी की गली, अलवर | 150.00 |
| (38) | प्रताप माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 250.00 |
| (39) | हैपी स्कूल, अलवर | 250.00 |
| (40) | प्राथमिक विद्यालय, खोहरा | 50.00 |
| (41) | उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापबास अलवर | 200.00 |
| (42) | खण्डेलवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 100.00 |
| (43) | उच्च प्राथमिक विद्यालय मोरसराय, अलवर | 50.00 |
| (44) | यशवन्त उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 409.00 |
| (45) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, चिकानी | 100.00 |
| (46) | बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, नोगांवा | 90.50 |
| (47) | प्राथमिक विद्यालय, कालीमोरी | 25.00 |
| (48) | एस. टी. सी. स्कूल, अलवर | 39.50 |
| (49) | बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बहादुरपुर | 100.00 |
| (50) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, बुर्जा | 117.50 |
| (51) | ओमकार उच्च प्राथमिक विद्यालय, अलवर | 102.00 |
| (52) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, मोरसराय | 50.00 |
| (53) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, उमरेण | 100.00 |
| (54) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, मालन की गली, अलवर | 47.50 |
| (55) | माध्यमिक विद्यालय, मुबारिकपुर | 96.50 |
| (56) | उच्च प्राथमिक विद्यालय, रूपबास | 100.00 |
| (57) | हैपी उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 39.00 |
| (58) | आर्य कन्या प्राथमिक विद्यालय, अलवर | 84.50 |
| (59) | उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालाखेडा | 329.50 |
| (60) | माध्यमिक विद्यालय, पृथ्वीपुरा | 100.00 |
| (6) | ाध्यमिक ्यालय, बरखेडा | 119.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| (62) | बालिका माध्यमिक विद्यालय, मालाखेडा | 50.00 |
| (63) | माध्यमिक विद्यालय, नोगांवा | 150.00 |
| (64) | बालिका माध्यमिक विद्यालय, लाजपत नगर | 117.50 |
| (65) | आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर | 400.00 |
| (66) | उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 1, अलवर | 51.00 |
| (67) | प्राथमिक विद्यालय बीरबल का मोहल्ला, अलवर | 50.00 |
| | | 9410.00 |

# परिशिष्ट 23

**अतारांकित प्रश्न संख्या 883 का विवरण**

**पं. समिति मूण्डवा प्रौढ शिक्षा केन्द्रों का विवरण सत्र 1980–81**

**कार्यालय परियोजना अधिकारी, प्रौढ शिक्षा, नागौर**

| क्र. सं. | गांव का नाम | नाम अनुदेशक | केन्द्र प्रारम्भ की तिथि | प्रौढा की निर्धारित संख्या | पटवार मानदेय | व्यय विवरण 80–81 कन्टी | पाठ्य सामग्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | मुकेश | श्री भंवर लाल | 2-10-79 | 30 | 431.35 | | 49.40 प्रति केन्द्र पाठ्य सामग्री दी |
| 2. | ,, | श्रीमती दुर्गादेवीरा | 3-12-79 | ,, | 350.00 | | |
| 3. | ,, | दुर्गादेवा गौड | 11-3-80 | ,, | 500.00 | | |
| 4. | ,, | सुश्री सरलादेवी | 22-9-79 | ,, | 250.00 | | |
| 5. | कंकड़ाय | श्री भागीरथ शर्मा | 1-4-80 | ,, | 400.00 | | |
| 6. | काटियागांव | श्री खेतमल गौड | 14-3-80 | ,, | 475.75 | | |
| 7. | कालियास | चन्द्रपालसिंह | 15-3-80 | ,, | 464.35 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | खजवाना | किशोरी रमण | 8-3-80 | 30 | 452.60 | 112.35 | |
| 9. | ,, | श्रीमती मीराबाई | 8-3-80 | ,, | 434.25 | | |
| 10. | खेड़ | श्री राधाकिशन | 11-3-80 | ,, | 483.87 | | |
| 11. | खुड़खुड़ाखुर्द | रामचन्द्र | 26-3-80 | ,, | 150.00 | | |
| 12. | ,, | श्रीकिशन | 26-3-80 | ,, | 459.68 | | |
| 13. | खारड़ा | मूलाराम | 14-3-80 | ,, | 474.22 | | |
| 14. | खोड़वा | डूंगरराम | 14-3-80 | ,, | 169.35 | | |
| 15. | खटोड़ा | रामेश्वरलाल | 14-3-80 | ,, | 500.00 | 183.78 | |
| 16. | गाजू | मोतीराम | 2-10-79 | ,, | 448.50 | 54.60 | |
| 17. | गवालू | हंसराज | 20-11-79 | ,, | 333.35 | 90.00 | |
| 18. | ,, | दुर्गाराम | 15-3-80 | ,, | 498.41 | 150 | |
| 19. | गोठड़ा | दातारसिंह | 29-10-79 | ,, | 100.00 | | |
| 20. | गोलियासनी | वजयसिंह | 15-3-80 | ,, | 350.00 | | |
| 21. | गोवाबड़ी | हुक्माराम | 15–3–80 | ,, | 491.72 | 255.00 | |
| 22. | चिमरानी | रावत सिंह | 26–3–80 | ,, | 500.00 | 150.00 | |
| 23. | चोतीणा | प्रताप सिंह | 14–3–80 | ,, | 377.42 | 154.00 | |
| 24. | छीलराढाणी | शिम्भुराम | 8–3–80 | ,, | 133.87 | | |
| 25. | जनाणा | दयालराम | 1–4–80 | ,, | 396.78 | | |
| 26. | जुजण्डा | निसार खां | 2–10–79 | ,, | 366.13 | | |
| 27. | ,, | श्रीमती कमला देवी | | ,, | 311.29 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | ताडावास | मनोहर लाल | 26-3-80 | 30 | 351.63 | 104.15 | |
| 29. | दियावड़ी | रघुवीर सिंह | 14-3-80 | ,, | 250.00 | | |
| 30. | धारणवास | जयवीर सिंह | 17-3-80 | ,, | 24.19 | | |
| 31. | धावा | गायड़मल | 14-3-80 | ,, | 139.71 | 165.00 | |
| 32. | पांचलासिद्धा | श्रीमती शिमला | 2-10-79 | ,, | 375.86 | 40.50 | |
| 33. | ,, | श्री शान्तिलाल | 2-10-79 | ,, | 442.30 | | |
| 34. | ,, | नेमीचन्द | 8-3-80 | ,, | 488.71 | | |
| 35. | फिड़ोद | हरीराम | 26-3-80 | ,, | 498.40 | 150.00 | |
| 36. | ,, | शेतानराम | 26-10-79 | ,, | 500.00 | 280.00 | |
| 37. | बुनरावता | घासीराम | 2-10-79 | , | 303.77 | | |
| 38. | बलाया | मानसिंह | 1-4-80 | ,, | 297.75 | | |
| 39. | बासनोखलील | शिवदयाल | 15-3-80 | ,, | 227.82 | | |
| 40. | बेराम | रघुवीरसिंह | 15-3-80 | ,, | 109.68 | | |
| 41. | बेराथल | इलमसिंह | 15-3-80 | ,, | 100.00 | | |
| 42. | भण्डाण | श्री चन्दूसिंह | 2-10-79 | 30 | 223.33 | | 149.40 |
| 43. | ,, | श्रीमती सिरेकंवरी | 2-10-79 | ,, | 461.66 | | प्रति केन्द्र पाठ्य सामग्री |
| 44 | भटनोखा | नाथूसिंह | 2-10-79 | ,, | 200.00 | | |
| 45. | भदोरा | किशोर सिंह | 15-3-80 | ,, | 470.43 | | |
| 46. | भ्रामण्डा | घेवरराम | | | 327.42 | | |
| 47. | मूण्डवा | किशनराम | 1-2-80 | ,, | 269.24 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | मूण्डवा | मुन्नीदेवी | 1-2-80 | 30 | 198.38 | |
| 49. | ,, | चांदकुंवर | 18-12-79 | ,, | 298.39 | |
| 50. | ,, | कृष्ण कुमार | 23-3-80 | ,, | 384.88 | |
| 51. | मेड़ास | भंवरलाल | 26-3-80 | ,, | 370.78 | 214.45 |
| 52. | मूण्डवा | माणकचन्द | 30-10-79 | ,, | 296.78 | |
| 53. | रुण | हरखचन्द | 2-10-79 | ,, | 448.50 | 94.75 |
| 54. | रुण | मेनादेवी | 12-3-80 | ,, | 450.00 | 150.00 |
| 55. | मोलियाना | जयनारायण | 2-10-79 | ,, | 250.00 | |
| 56. | ,, | मनमोहनसिंह | 2-10-79 | ,, | 491.94 | |
| 57. | नेननी | श्रीमती शान्तिदेवी | 14-3-80 | ,, | 419.26 | 165.00 |
| 58. | ,, | रामरतन | 14-3-80 | ,, | 424.19 | 165.00 |
| 59. | ,, | सियाराम | 10-3-80 | ,, | 498.33 | |
| 60. | रासवास | हुनमाराम | 8-3-80 | ,, | 490.32 | |
| 61. | ,, | उषाकुमारी | 8-3-80 | ,, | 490.32 | |
| 62. | ,, | नरपतसिंह | 8-3-80 | ,, | 490.32 | |
| 63. | हिलोड़ी | केगाराम | 25-3-80 | ,, | 499.99 | |
| 64. | आवण्डाढाणी | सूरजसिंह | 15-3-80 | ,, | 477.42 | |
| 65. | ईनाणा | गोगाराम | 2-10-72 | ,, | 395.48 | |
| 66. | इन्दोकली | धनराज | 1-11-79 | ,, | 141.94 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | इन्दोकली | सावंताराम | 8-3-80 | 30 | 500.00 | 165.00 |
| 68. | पालडो पिचकिया | मदनलाल | 1-11-79 | ,, | 50.00 | |
| 69. | शंखवास | चेनाराम | 18-10-80 | ,, | 122.98 | |
| 70. | शंखवास | धन्नाराम | 18-10-80 | ,, | 122.98 | |
| 71. | खेड़ाधाघला | प्रेमसिंह | 15-10-80 | ,, | 69.14 | |
| 72. | मूण्डवा | जवाहरलाल | 24-10-80 | ,, | 112.90 | |
| 73. | भदोरा | चावण्डदान | 15-10-80 | ,, | 127.42 | |
| 74. | ,, | श्रीमती भंवरकुंवर | 15-10-80 | ,, | 127.82 | |
| 75. | ककडाया | बाबूलाल | 15-10-80 | ,, | 127.82 | |
| 76. | घिरोद | गुलाबसिंह | 16-10-80 | ,, | 125.81 | |
| 77. | बासनी खलील | शिवदयाल | | ,, | 249.68 | |
| 78. | धावा | गायड़मल | 1-2-81 | ,, | 257.96 | |
| 79. | भण्डाणा | भंवरलाल | 20-9-80 | ,, | 218.35 | |
| 80. | गोठड़ा | श्यामसिंह | 18-12-80 | ,, | 210.35 | |
| 81. | फिरोजपुरा | हरीराम | 20-9-80 | ,, | 218.35 | |
| 82. | कुचेरा | पारसीबाई | 20-9-80 | ,, | 218.35 | |
| 83. | ,, | गुलाम रसूल | 20-9-80 | ,, | 211.90 | |
| 84. | ,, | गंगा राम मेघवाल | 20-9-80 | ,, | 218.35 | |
| 85. | ,, | टीकमचन्द | 20-9-80 | ,, | 218.35 | |
| 86. | खजवाना | भीकमचन्द | 20-9-80 | ,, | 218.35 | 1500 |

(448)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. | रुण | मोईनुद्दीन | 20-9-80 | 30 | 194.94 | | |
| 88. | भटनोखा | नाथूराम | 2-10-80 | ,, | 146.70 | | |
| 89. | चोतीणा | प्रताप सिंह | 1-9-80 | ,, | 150.00 | | |
| 90. | खोड़वा | डूगर राम | 1-9-80 | ,, | 243.55 | | |
| 91. | पांचलासिद्धा | हेमराज | 3-10-80 | ,, | 141.90 | 78.00 | |
| 92. | बेराथल | इलमसिंह | 15-3-80 | ,, | 195.15 | | |
| 93. | पांचला सिद्धा | रिड़मलराम | 20-10-80 | ,, | 69.35 | | |
| 94. | आकला | सज्जन सिंह | 26-3-80 | ,, | 24.20 | | |
| 95. | खींवसर | रामदयाल | 2-10-80 | ,, | 50.00 | 77.70 | |
| 96. | ,, | सत्यनारायण | 2-10-80 | ,, | 50.00 | 75.00 | |
| 97. | पांचलासिद्धा | चम्पालाल | 14-3-80 | ,, | 50.00 | | |

पंचायत समिति मण्डवा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का विवरण सत्र 1981–82

कार्यालय प्रायोजना अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा नागौर

| क्र.स. | गांव का नाम | नाम अनुदेशक | केन्द्र प्रारम्भ की तिथि | प्रौढों की, निर्धारित संख्या | मदवार मानदेय | व्यय कन्टी | विवरण 81 पाठ्य सामग्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | मण्डाण | श्रीमती सिरेकंवर | 1-2-81 | 30 | 500.00 | | 54.10 प्रति केन्द्र दी गई |
| 2. | कुचेरा | दुर्गादेवी | 1-2-81 | ,, | 496.78 | | |
| 3. | पालडीजोधा | श्रीनेमीचन्द | 1-2-81 | ,, | 483.33 | | |
| 4. | खजवाना | किशोरी रमण | 1-2-81 | ,, | 488.39 | | |
| 5. | खजवाना | मीराबाई | 1-2-81 | ,, | 427.42 | | |
| 6. | इन्दीकलो | सावंतराम | 1-2-81 | ,, | 495.00 | | |
| 7. | रूण | श्रीमती मेना देवी | 1-2-81 | ,, | 100.83 | | |
| 8. | घापा | गायडमल | 15-8-81 | ,, | 491.72 | | |
| 9. | मेनन | रामरतन | 1-2-81 | ,, | 388.33 | | |
| 10. | ,, | शान्ति देवी | 1-2-81 | ,, | 388.33 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | हिलोड़ी | केशाराम | 1-2-81 | 30 | 500.00 | | |
| 12. | गवालू | दुर्गाराम | 1-2-81 | ,, | 500.00 | | |
| 13. | भण्डारा | भंवरलाल | 1-2-81 | ,, | 280.65 | | |
| 14. | गोठड़ा | श्याम सिंह | 15-8-81 | ,, | 447.42 | | |
| 15. | ,, | हरीराम चौधरी | 1-2-82 | ,, | 500.00 | | |
| 16. | कुचेरा | पारसीबाई | 15-8-82 | ,, | 601.01 | | |
| 17. | ,, | गुलाम रसूल | 15-8-81 | ,, | 427.04 | | |
| 18. | ,, | गंगाराम | 15-8-81 | ,, | 558.07 | | |
| 19. | ,, | टीकम चन्द | 15-8-81 | ,, | 448.39 | | |
| 20. | खजवाना | भीकम चन्द | 1-2-81 | ,, | 280.65 | | |
| 21. | रूण | मोईनुद्दीन | 1-2-81 | ,, | 207.07 | | |
| 22. | ,, | हरख चन्द | 1-2-81 | ,, | 200.00 | | |
| 23. | भटनोखा | नाथूराम | 1-2-81 | ,, | 627.42 | | |
| 24. | पालड़ी जोधा | शान्तिलाल | 1-2-81 | ,, | 627.42 | | |
| 25. | गाजू | मोतीराम | 15-8-81 | ,, | 620.45 | | |
| 26. | कुचेरा | भंवरलाल | 15-8-81 | ,, | 605.72 | | |
| 27. | पालड़ी जोधा | शिमला देवी | 15-8-81 | ,, | 627.42 | | |
| 28. | गवालू | हंसराज | 1-2-81 | ,, | 500.00 | | |
| 29. | बासनी खलील | सूरजा राम | 1-4-81 | ,, | 300.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | इन्दोकली | चन्द्रदान | 1-4-81 | ,, | 150.00 | |
| 31. | बासनी | सूरजकरण | 1-4-81 | ,, | 500.00 | |
| 32. | सेननी | इश्वरराम | 1-4-81 | ,, | 501.67 | |
| 33 | खजवाना | शकुन्तला | 1-4-81 | ,, | 501.67 | |
| 34. | पालड़ी जोधा | शिमला | 1-4-81 | ,, | 501.67 | |
| 35. | भडाणा | चन्दूसिह | 15-8-81 | ,, | 156.45 | |
| 36. | ,, | लूनाराम | 15-8-81 | ,, | 306.45 | |
| 37. | खजवाना | ओमप्रकाश | 15-8-81 | ,, | 327.42 | |
| 38. | रूण | अमराराम | 15-8-81 | ,, | 327.42 | |
| 39. | ,, | ओमसिह | 15-8-81 | ,, | 327.42 | |
| 40. | ,, | कंचन कंवर | 15-8-81 | ,, | 327.42 | |
| 41. | मूण्डवा | चांद कंवर | 15-8-81 | ,, | 410.95 | |
| 42. | ,, | कृष्ण कुमार | 8-1-81 | ,, | 535.48 | |
| 43. | ,, | किशनाराम | 1-1-81 | ,, | 300.00 | |
| 44. | जूजण्डा | कमलादेवी | 7-1-81 | ,, | 511.93 | |
| 45. | जनाणा | दयालराम | 21-12-81 | ,, | 567.74 | |
| 46. | खेड़ | राधाकिशन | 21-12-81 | ,, | 569.58 | |
| 47. | खारड़ा | मूलाराम | 21-12-81 | ,, | 320.97 | |
| 48. | सोलियाना | मनमोहनसिह | 15-8-81 | ,, | 335.48 | |
| 49. | आमणढाणी | सूरजसिह | 21-12-81 | ,, | 640.24 | |
| 50. | खुड़खुड़ा | श्री किशन सिंह | 1-9-81 | ,, | 390.32 | 24.10 प्रति केन्द्र |
| 51. | शंखवाल | नरपत सिंह | 25-1-81 | ,, | 511.29 | दी गई |

451

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | शंखावास | हुक्माराम | 15-8-81 | 30 | 459.50 | | 24.10 प्रति केन्द्र |
| 53. | गोलियासनी | विजयसिंह | 15-8-81 | ,, | 120.79 | | दी गई |
| 54. | ककड़ाय | भागीरथ | 21-12-81 | ,, | 685.50 | | |
| 55. | भदोरा | किशोरसिंह | 21-12-81 | ,, | 588.71 | | |
| 56. | कालियास | चन्द्र पाल सिंह | 21-12-81 | ,, | 516.43 | | |
| 57. | बुनरावता | घासीराम | 3 1-81 | ,, | 227.24 | | |
| 58. | जुजण्डा | निसार खां | 15-9-81 | ,, | 655.70 | | |
| 59. | इनाण | गोपाराम | 15-8-81 | ,, | 673.55 | | |
| 60. | शंखवास | चेनाराम | 15-8-81 | ,, | 635.04 | | |
| 61. | ,, | धन्नाराम | 15-9-81 | ,, | 568.31 | | |
| 62. | खेड़ाधावला | चेनसिंह | 1-1-81 | ,, | 300.00 | | |
| 63. | मूण्डवा | जवाहर लाल | 1-1-81 | ,, | 350.00 | | |
| 64. | भदोरा | चावडदान | 15-9-81 | ,, | 582.60 | | |
| 65. | ,, | भंवर कुवर | 15-9-81 | ,, | 619.45 | | |
| 66. | कंकडाया | चतुर्भज | 15-9-81 | ,, | 519.32 | | |
| 67. | थिरोद | गुलाब सिंह | 15-8-81 | ,, | 99.71 | | |
| 68. | खड़खड़ा | रामचन्द्र | 1-9-81 | ,, | 217.74 | | |
| 69. | शंखावास | गुलाब देवी | 2-12-81 | ,, | 507.74 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70. | पालड़ीपी | मदनलाल | 21-12-81 | ,, | 616.13 |
| 71. | कड़लू | नरपत सिंह | 1-6-81 | ,, | 290.00 |
| 72. | नोलियाना | मुकनसिंह | 15-8-81 | ,, | 327.42 |
| 73. | ,, | रामेश्वर | 15-8-81 | ,, | 277.42 |
| 74. | मूण्डवा | मुन्ना देवी | 15-8-81 | ,, | 327.39 |
| 75. | ,, | राधेश्याम | 15-8-81 | ,, | 327.42 |
| 76. | खारड़ा | हुक्माराम | 1-8-81 | ,, | 200.00 |
| 77. | शंखवास | मैनाराम | 15-8-81 | ,, | 277.42 |
| 78. | मून्डवा | लक्ष्मीनारायण | 9-9-81 | ,, | 277.42 |
| 79. | खारड़ा | हरीसिंह | 21-12-81 | ,, | 117.74 |
| 80. | मोलियाना | पुष्पलता | 21-12-81 | ,, | 117.74 |
| 81. | जुजण्डा | ओमप्रकाश | 21 12-81 | ,, | 117.74 |
| 82. | खटोड़ा | रामेश्वरलाल | 1-2-81 | ,, | 216.13 |
| 83. | काटियागांव | खेतमल गौड | 1-2-81 | ,, | 150.00 |
| 84. | चोतीणा | प्रतापसिंह | 1-1-81 | ,, | 188.69 |
| 85. | ताडावास | मनोहरलाल | 1–2–81 | ,, | 250.00 |
| 86. | खोड़वा | डूंगरराम | 1–1–81 | ,, | 250.00 |
| 87. | भावण्डा | घेवर राम | 1–1–81 | ,, | 200.00 |
| 88. | बलाया | मानसिंह | 1–2–81 | ,, | 150.00 |
| 89. | विनरानी | रावतसिंह | 1–2–81 | ,, | 450.00 |
| 90. | फिडोद | शैतान राम | 1–2–81 | ,, | 450.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | फिड़ोद | हरीराम | 1-2-81 | 30 | 325.00 | | 24.10 प्रति केन्द्र दी गई |
| 92. | बेराथल | इलमसिंह | 1-2-81 | ,, | 150.00 | | |
| 93. | गोवाबडी | हुक्माराम | 1-2-81 | ,, | 270.50 | | |
| 94. | मेडास | भंवरलाल | 1-10-81 | ,, | 100.00 | | |
| 95. | पांचलासिद्धा | रिडमल राम | 1-12-81 | ,, | 198.10 | | |
| 96. | ,, | आनन्दसिंह | 1-1-81 | ,, | 179.03 | | |
| 97. | ,, | हेमराज | 1-1-81 | ,, | 97.93 | | |
| 98. | खीवसर | श्री सत्यनारायण | 1-2-81 | ,, | 255.70 | | |
| 99. | ,, | रामदयाल | 1-1-81 | ,, | 110.43 | | |
| 100. | ,, | राजेन्द्र प्रसाद | 1-1-81 | ,, | 141.67 | | |
| 101. | गोवाबडी | पूनाराम | 1-11-81 | ,, | 88.33 | | |
| 102. | पांचला सिद्धा | नेनाराम | 1-9-81 | ,, | 46.78 | | |
| 103. | खीवसर | लीलाधर | 1-9-81 | ,, | 176.67 | | |
| 104. | ,, | जय कुमारी | 1-10-81 | ,, | 150.00 | | |
| 105. | ,, | मदनसिंह | 1-9-81 | ,, | 176.66 | | |
| 106. | ,, | विमला देवी | 1-9-81 | ,, | 176.66 | | |
| 107. | ,, | गंगा देवी | 1-10-81 | ,, | 150.00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 108. | ,, | ज्ञाना राम | 1-1-81 ,, | 402.42 |
| 109. | भाकरोद | राजेन्द्र प्रसाद | 1-10-81 ,, | 100.00 |

कार्यालय परियोजना अधिकारी, प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम, नागौर

पंचायत समिति मूण्डवा–प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का विवरण सत्र 1982–83

| क्र.सं. | अनुदेशक का नाम | नाम ग्राम | केन्द्र प्रारम्भ की तिथि | प्रौढ़ों की निर्धारित संख्या | मदवार व्यय विवरण 82–83 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | मानदेय | कंटीजेन्सी | पाठ्य सामग्री |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | श्रीमती चांदकंवर | मूण्डवा | 15-8-81 | 30 | 173.35 | | 355.55 |
| 2. | श्री राधाकिशन | खेरां | 1-12-82 | ,, | 427.40 | | प्रति केन्द्र |
| 3. | ,, मनमोहन सिंह | सोलियाणा | 15-8-82 | ,, | 400.75 | | ,, |
| 4. | ,, सूरजसिंह | आमेडाढाणी | 1-12-82 | ,, | 481.70 | | ,, |
| 5. | ,, निसार खां | जुजन्डा | 15-8-82 | ,, | 500.00 | | ,, |
| 6. | ,, गोपा राम | इनाणा | 15-8-82 | ,, | 449.15 | | ,, |
| 7. | ,, चेनाराम | मूण्डवा | 15-8-82 | ,, | 170.12 | | ,, |
| 8. | ,, गुलाबसिंह | थिरोद | 15-8-82 | ,, | 173.35 | | 355.55 |
| 9. | ,, मदनलाल | पालडीचिच | 1-12-82 | ,, | 425.60 | | प्रति केन्द्र |

455

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | ,, मुकनसिंह | सोल्याणा | 15-8-82 | 30 | 173 35 | | 355.55 |
| 11. | ,, रामेश्वरसिंह | सोल्याणा | 15-3-82 | ,, | 450.75 | | प्रति केन्द्र |
| 12. | श्रीमती मुन्नादेवी | मूण्डवा | 15-3-81 | ,, | 112.60 | | ,, |
| 13. | श्री राधेश्याम | मूण्डवा | 15-3-82 | ,, | 350.75 | 19.50 | ,, |
| 14. | ,, हरिसिंह | खारडा | 21-12-81 | ,, | 373.90 | | ,, |
| 15 | कु. पुष्पलता | सोल्याणा | 1-12-82 | ,, | 432.25 | | ,, |
| 16. | श्री ओमप्रकाश | जुजण्डा | 1-12-82 | ,, | 432.25 | | ,, |
| 17. | ,, हुक्मा राम | खारड़ा | 15-8-82 | ,, | 496.75 | | ,, |
| 18. | ,, लक्ष्मीनारायण | मूण्डवा | 9-9-81 | ,, | 198.40 | | ,, |
| 19. | श्रीमती मिश्रीदेवी | इनाणा | 15-8-82 | ,, | 277.40 | | ,, |
| 20. | ,, मीरादेवी | खारडा | 15-8-82 | ,, | 277.40 | | ,, |
| 21. | ,, रामकिशोर | चिरोट | 15-8-82 | ,, | 277.40 | | ,, |
| 22. | ,, मेहराम | आमंडाढाणी | 15-8-82 | ,, | 277.40 | | ,, |
| 23. | ,, मोहनराम | मूण्डवा | 15-8-82 | ,, | 225.30 | | ,, |
| 24. | ,, गंगाराम | ,, | 15-8-82 | ,, | 275.75 | | ,, |
| 25. | श्री सत्यनारायण | ,, | 15-8-82 | ,, | 125.80 | | ,, |
| 26. | ,, रामपाल कड़ेल | ,, | 15-8-82 | ,, | 269.15 | | ,, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. श्री सत्यनारायण | मूण्डवा | 15-3-82 | 30 | 197.40 | 355.55 प्रति केन्द्र |
| 28. ,, रामूराम | जूजडा | 15-3-82 | ,, | 277.40 | ,, |
| 29. ,, पेमरराम | वोठवाल | 15-8-82 | ,, | 271.80 | ,, |
| 30. ,, मुकनसिंह | सोल्याणा | 15-8-82 | ,, | 275.80 | ,, |
| 31. ,, बचनाराम | थिरोद | 15-8-82 | ,, | 277.40 | ,, |
| 32. श्रीमती शांतीदेवी | मूण्डवा | 15-8-82 | ,, | 196.20 | ,, |
| 33. श्रीमती भंवरीदेवी | थिरोद | 15-8-82 | ,, | 277.40 | ,, |
| 34. श्री रूपाराम | वोंठवाल | 15-8-82 | ,, | 277.40 | ,, |
| 35. ,, किशनाराम | मूण्डवा | 15-8-82 | ,, | 277.40 | ,, |
| 36. ,, मगलाराम | खारडा | 1-10-82 | ,, | 200.00 | ,, |
| 37. ,, शैतानराम | ,, | 1-12-82 | ,, | 100.00 | ,, |
| 38. ,, धन्नाराम | शंखवास | 15-9-81 | ,, | 268.21 | ,, |
| 39. श्रीमती गुलाब देवी | ,, | 21-12-81 | ,, | 382.68 | ,, |
| 40. श्री नेतूराम | ,, | 1-3-82 | ,, | 229.88 | ,, |
| 41. श्री चन्द्रपालसिंह | कालियास | | 30 | 382.25 | ,, |
| 42. ,, भागीरथ शर्मा | कंकडाय | 15-12-82 | ,, | 509.65 | ,, |
| 43. ,, नेतुभुंज | ,, | 15-12-82 | ,, | 548.38 | ,, |
| 44. ,, चावडदान | भदोरा | 15-12-82 | ,, | 546.13 | ,, |
| 45. श्री किशोरसिंह | भदोरा | 15-12-82 | ,, | 477.40 | ,, |
| 46. श्रीमती भंवरकंवर | ,, | 15-12-82 | ,, | 545.15 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | श्री रामचन्द्र | खुड़खुडा खुर्द | 15-12-82 | 30 | 477.40 | | 355.55 |
| 48. | ,, गायड़मल | धावा | | ,, | 498.33 | | प्रति केन्द्र |
| 49. | ,, हनुमानराम | सेनणी | | ,, | 500.00 | | ,, |
| 50. | श्रीमती चुकादेवी | ,, | | ,, | 500 00 | | ,, |
| 51. | श्री केशाराम | हिलोडी | 1-3-82 | ,, | 500.00 | | ,, |
| 52. | ,, उगमाराम | सेनणी | 15-8-82 | ,, | 277.42 | | ,, |
| 53. | ,, रामनिवास | हिलोड़ी | 15-8-32 | ,, | 277.40 | | ,, |
| 54. | श्रीमती प्रेमलता | कुशंखवास | 15-8-82 | ,, | 257.42 | | ,, |
| 55. | श्री पूनमचन्द | शंखवास | 15-8-82 | ,, | 275.82 | | ,, |
| 56. | ,, नाथूराम | भटनोख | 15-8-82 | ,, | 452.42 | | ,, |
| 57. | श्रीमती शशिबाला | शंखवास | 15-8-82 | ,, | 277.42 | | ,, |
| 58. | श्री रामपाल | गवालू | 15-8-82 | ,, | 277.42 | | ,, |
| 59. | ,, हंसराज | ,, | 1-8-82 | ,, | 200 00 | | ,, |
| 60. | ,, दुर्गाराम | ,, | 1-8-82 | ,, | 200.00 | | ,, |
| 61. | ,, झूमर राम | गोल्यासनी | 15-8-82 | ,, | 277.42 | | ,, |
| 62. | ,, सत्यनारायण | मोडी | 15-8-82 | ,, | 240 35 | | ,, |
| 63. | ,, होला राम | कंकडाय | 15-8-82 | ,, | 275.80 | | ,, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. श्री हुक्माराम | शंखवास | 15-8-82 | ,, | 274.20 | | ,, |
| 65. श्रीमती किशनप्यारी | शंखवास | 15-8-82 | ,, | 275.80 | | ,, |
| 66. श्री तुलसीराम | गवालू | 15-8-82 | ,, | 277.40 | | ,, |
| 67. ,, श्रीराम | गवालू | 15-8-82 | ,, | 277.40 | | ,, |
| 68. श्रीमती निर्मलाकुमारी | कडलू | 15-8-82 | ,, | 94.15 | | ,, |
| | | | | | | ,, |
| 69. श्री राजेन्द्रकुमार | शंखवास | 15-8-82 | ,, | 77.40 | | ,, |
| 70. श्रीमती सायरकंवर | भदोरा | 15-8-82 | ,, | 277.40 | | ,, |
| 71. श्री शिवदानराम | गवालू | 15-8-82 | ,, | 77.40 | | ,, |
| 72. श्रीमती सरलादेवी | बलाया | 15-8-82 | ,, | 77.40 | | ,, |
| 73. श्री सांवताराम | इन्दोकला | 1-3-82 | ,, | 500.00 | | ,, |
| 74. श्रीमती कंचन कुमारी | कुचेरा | 15-8-82 | ,, | 400.75 | | ,, |
| 75. श्रीमती शकुन्तलादेवी | खाजवाना | 1-3-82 | ,, | 170.95 | 60.00 | ,, |
| 76. श्रीमती शिमलादेवी | पालडी जोधा | 5–9–82 | ,, | 360.70 | | ,, |
| 77. श्री सुरजाराम | छीलराकीढाणी | 1–3–82 | ,, | 450.00 | | ,, |
| 78. कु. इन्दुशर्मा | रुण | 1–3–82 | ,, | 88.70 | | ,, |
| 79. श्रीमती सिरेकंवर | भडाणा | 1–3–82 | ,, | 175.00 | | ,, |
| 80. श्री किशोरीरमण | खजवाना | 1–3–82 | ,, | 150.00 | 28.75 | ,, |
| 81. ,, गंगाराम | कुचेरा | 15–8–82 | ,, | 300.75 | | ,, |
| 82. श्री सुरजकरण | वासनीखलील | 1–3–82 | ,, | 313.35 | | ,, |
| 83. श्री उगराराम | रुण | 15–8–81 | ,, | 23.35 | | ,, |

459

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. | श्री भोमसिंह | रुण | 15–8–81 | 30 | 23.35 | 19.30 | 355.55 |
| 85. | श्रीमती दुर्गादेवी | कुचेरा | 1–3–82 | ,, | 300.00 | | प्रति केन्द्र |
| 86. | श्री तख़तसिंह | गोठडा | 1–3–83 | ,, | 500.00 | | ,, |
| 87. | ,, नानूराम | फिरोजपुरा | 15–8–82 | ,, | 227.40 | | ,, |
| 88. | श्री मोतीराम | गाजू | 15–8–82 | ,, | 227.40 | 7.50 | ,, |
| 89. | श्री नेमीचन्द | पालडीजोधा | 15–8–82 | ,, | 227.40 | | ,, |
| 90. | श्री शफी मोहम्मद | ,, | 1–3–82 | ,, | 500.00 | | ,, |
| 91. | श्री हरिराम | फिरोजपुरा | 15–8–82 | ,, | 399.15 | | ,, |
| 92. | श्रीमती प्रेमलता | खजवाना | 15–8–82 | ,, | 227.40 | | ,, |
| 93. | श्रीमती मीराबाई | खजवाना | ,, | ,, | 227.40 | | ,, |
| 94. | श्री श्यामलाल | कुचेरा | ,, | ,, | 227.40 | | ,, |
| 95. | ,, काशिमअली | ,, | ,, | ,, | 227.40 | | ,, |
| 96. | ,, मुन्नापुरी | पालडीजोधा | 5–9–82 | ,, | 193.33 | | ,, |
| 97 | ,, हरिराम | छीलराकी ढाणी | 15–8–82 | ,, | 227.40 | | ,, |
| 98 | ,, मोहनराम | ढाढरिया खुर्द | ,, | ,, | 227.40 | | ,, |
| 99. | ,, शांतिलाल | पालडीजोधा | ,, | ,, | 400.75 | | ,, |
| 100 | श्रीमती निर्मला देवी | ,, | ,, | ,, | 227.40 | | ,, |
| 101. | श्री रामनिवास | ,, | 5–9–82 | ,, | 143.35 | | ,, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | श्री संग्रामसिंह | कुचेरा | ,, | ,, | 192.35 | | ,, |
| 103. | ,, गुलामकादर | छीलराढाणी | ,, | ,, | 193.35 | | ,, |
| 104. | ,, नथूराम | भकाणा | 20–11–82 | ,, | 68.35 | 38.60 | ,, |
| 105. | ,, कन्हैयालाल | वासनीखखोल | 1–12–82 | ,, | 50.00 | | ,, |
| 106. | ,, हरिराम | खींवसर | 15–8–82 | ,, | 374.15 | | ,, |
| 107. | ,, श्याम सुन्दर | ,, | ,, | ,, | 360.15 | | ,, |
| 108. | ,, पुनमसिंह | ,, | ,, | ,, | 293.50 | | ,, |
| 109. | ,, बीजाराम | पांचलासिद्धा | ,, | ,, | 277.40 | | ,, |
| 110. | ,, चम्पालाल | ,, | ,, | ,, | 327.40 | | ,, |
| 111. | ,, आनन्दसिंह | ,, | ,, | ,, | 277.40 | | ,, |
| 112. | ,, गंगासिंह | बिरलोका | ,, | ,, | 327.40 | | ,, |
| 113. | ,, जगदीश प्रसाद | ,, | 15-8-82 | ,, | 327.40 | | ,, |
| 114. | ,, भंवर लाल | ,, | 15-8-82 | ,, | 327.40 | | ,, |
| 115 | ,, मोहन लाल | ,, | 25-8-82 | ,, | 275.80 | | ,, |
| 116. | ,, मनोहरलाल | लाडावास | 15-8-82 | ,, | 327.40 | | ,, |
| 117. | ,, गजेन्द्रप्रसाद | भाकरोद | 15-8-82 | ,, | 265.20 | | ,, |
| 118. | ,, रामेश्वर लाल | खटोडा | 15-8-82 | ,, | 54.05 | | ,, |
| 119. | ,, चन्द्राराम | डारु | 15-8-82 | ,, | 327.40 | | ,, |
| 120. | ,, भूमर राम | खींवसर | 5-9-82 | ,, | 291.75 | | ,, |
| 121. | ,, दयाराम | तारवाकला | 5-9-82 | ,, | 286.65 | | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 355.55 |
| 122. | ,, कानाराम | कांटिया | 5-9-82 | ,, | 240.00 | | प्रति केन्द्र |
| 123. | ,, रेंवतराम | विरलोका | 5-9-82 | ,, | 283.35 | | ,, |
| 124. | श्रीमती [illegible]यकुमारी | खींवसर | 5-9-82 | ,, | 293.35 | | ,, |
| 125. | ,, सरला देवी | बलाया | 27-7-82 | ,, | 250.00 | | ,, |
| 126. | ,, जशोदा शर्मा | खींवसर | 23-12-82 | ,, | 114.50 | | ,, |
| 127. | श्री रामनिवास | झांकला | 15-8-82 | ,, | 327.40 | | ,, |
| 128 | ,, लूणकरण | गुडीया | 15-8-82 | ,, | 215 85 | | ,, |
| 129. | ,, गणपतलाल | जोरावरपुरा | 5-9-32 | ,, | 173.40 | | ,, |

# परिशिष्ट 24

## अतारांकित प्रश्न संख्या 888 की सूची

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड,
जनजाति विकास भवन, प्रतापनगर, उदयपुर

जयसमन्द मत्स्य सहकारी समितियां वर्षवार हानि—लाभ तालिका

| क. सं. | नाम समिति | 76–77 | 77–78 | 78–79 | 79–80 | 80–81 | 81–82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अम्बिका म. उ. सह. स. नामला | – | – | – | (+)4213.89 | (+)3386.60 | (+)1670.90 |
| 2. | मत्स्य उत्पादक सह. स. वीरपुरा | – | (–)893.72 | (–) 58.70 | (–) 64.65 | (–)2333.01 | (+)3677.67 |
| 3. | मत्स्य उत्पादक सह. स. सराड़ी | – | (–) 10.00 | (–) 271.08 | (+) 51.57 | (+)2865.25 | (+)1619.15 |
| 4. | मत्स्य उत्पादक सह. स. घाटी | – | (–) 40.00 | (–) 336.25 | (–) 186.35 | (+)3084.04 | (+)2133.68 |
| 5. | मत्स्य उत्पादक सह. स. गामड़ी | – | (–)135.70 | (–) 28.50 | (–) 164.20 | (–) 454.55 | (+) 421.10 |
| 6. | मत्स्य उत्पादक सह. स. मिथूड़ी | – | (–) 42.00 | – | – | (+)3771.30 | (+)1452.25 |

# परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 289 की सूची

प्रतापगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा जनवरी 83 में ऋण अनुदान राशि एक साथ वितरण की सूची

| क्र.सं. | नाम सदस्य | गांव | उद्देश्य | ऋण | अनुदान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री बंकटलाल | प्रतापगढ़ | नलकूप तीसरी किश्त | 1275.00 | 425.00 |
| 2. | श्री वरदीचन्द कुमावत | अवलेखर | ,, | 3500.00 | 1500.00 |
| 3. | श्री रामचन्द्र/हारजी मीणा | रामपुरिया | नलकूप | 3500.00 | 3500.00 |
| 4. | श्री हजारी/राम भील | मरवीड़ी | नलकूप तीसरी किश्त | 1250.00 | 1250.00 |
| 5. | श्रीराम/देवा मीणा | सनोटी | डी.पी.एस. | 3000.00 | 3000.00 |
| 6. | श्री मोती/बरदिया मीणा | आमलाखेड़ी | ,, | 2250.00 | 2250.00 |
| 7. | श्री रामा/बरदा कुमावत | जाजली | ,, | 3150.00 | 1050.00 |
| 8. | श्री कनीराम/प्यारा मीणा | प्रतापपुरा | नलकूप तीसरी किश्त | 900.00 | 900.00 |
| 9. | श्री भैरा/मानाधोबी | प्रतापगढ़ | ,, | 900.00 | 900.00 |
| 10. | श्री कुना/सुलाल मीणा | कुलथाना | डी.पी.एस. | 3000.00 | 3000.00 |
| 11. | श्री नाथू/भैरा मीणा | बरखेड़ी | ,, | 3000.00 | 3000.00 |
| 12. | श्री नगजी/प्यारा मीणा | केरवास | ,, | 3000.00 | 3000.00 |
| 13. | श्रीलाल/कवरीया मीणा | जहाजपुर | ,, | 3000.00 | 3000.00 |
| 14 | श्री कचरल/नगजी मीणा | सोमली | ,, | 3000.00 | 3000.00 |
| 15 | श्री नारायण/भैरा मीणा | भारखेड़ी | ,, | 3000.00 | 3000.00 |
| | | | | 37725.00 | 32775.00 |

# परिशिष्ट 26

अतारांकित प्रश्न संख्या 890 की तालिका

| क्र.सं. | नाम जिला | श्रमिक संख्या दिनांक 16-2-83 | श्रमिक संख्या दिनांक 15-3-83 |
|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 10947 | 20948 |
| 2. | अलवर | – | 100 |
| 3. | बांसवाड़ा | 14885 | 20456 |
| 4. | बाड़मेर | 29116 | 45118 |
| 5. | भीलवाड़ा | 19993 | 30896 |
| 6. | बीकानेर | – | 1134 |
| 7. | बूंदी | 541 | 1716 |
| 8. | चित्तौड़गढ़ | 11049 | 19634 |
| 9. | चूरू | – | 2651 |
| 10. | धौलपुर | – | 436 |
| 11. | डूंगरपुर | 5561 | 12759 |
| 12. | जयपुर | 1156 | 2308 |
| 13. | जैसलमेर | 1919 | 2018 |
| 14. | जालौर | 3510 | 5307 |
| 15. | झालावाड़ | – | 1836 |
| 16. | जोधपुर | 16301 | 35394 |
| 17. | कोटा | – | 55 |
| 18. | नागौर | 23 | 1183 |
| 19. | पाली | 11989 | 26228 |
| 20. | सीकर | – | 967 |
| 21. | सिरोही | 3957 | 8659 |
| 22. | टोंक | 312 | 932 |
| 23. | उदयपुर | 30013 | 38599 |
| 24. | झुंझुनू | – | 253 |
| | योग :– | 161272 | 279587 |

# परिशिष्ट 27

## अतारांकित प्रश्न संख्या 891 की तालिका 'ए'

### तालिका-1

| क्र. सं. | नाम जिला | ग्रामों की संख्या | | प्रभावित क्षेत्र की | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल | घोषित | जनसंख्या (लाखों में) | मवेशी संख्या (लाखों में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अजमेर | 976 | 950 | 8.06 | 11.75 |
| 2. | अलवर | 1902 | 842 | 5.83 | 6.89 |
| 3. | बांसवाड़ा | 1464 | 1220 | 6.92 | 7.69 |
| 4. | बाड़मेर | 865 | 830 | 10.03 | 27.20 |
| 5. | भरतपुर | 1462 | – | – | – |
| 6. | भीलवाड़ा | 1584 | 1548 | 11.00 | 10.31 |
| 7. | बीकानेर | 680 | 498 | 4.01 | 3.93 |
| 8. | बून्दी | 746 | 364 | 2.83 | 4.24 |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | 2365 | 2111 | 9.34 | 24.82 |
| 10. | चूरू | 908 | 245 | 2.23 | 4.79 |
| 11. | डूंगरपुर | 843 | 834 | 6.32 | 8.83 |
| 12. | गंगानगर | 4545 | 193 | 1.89 | 1.57 |
| 13. | जयपुर | 2929 | 2227 | 16.97 | 18.72 |
| 14. | जैसलमेर | 515 | 395 | 1.75 | 10.42 |
| 15. | जालोर | 615 | 611 | 8.28 | 4.58 |
| 16. | झालावाड़ | 1604 | 1544 | 6.67 | 9.06 |
| 17. | झुन्झुनू | 698 | 440 | 5.95 | 3.44 |
| 18. | जोधपुर | 725 | 725 | 10.88 | 19.84 |
| 19. | कोटा | 2188 | 966 | 4.13 | 6.38 |
| 20. | नागौर | 1266 | 294 | 2.56 | 5.32 |
| 21. | पाली | 852 | 849 | 10.39 | 16.90 |
| 22. | सवाई माधोपुर | 1670 | 26 | 0.15 | 0.33 |
| 23. | सीकर | 840 | 423 | 5.37 | 7.30 |
| 24. | सिरोही | 458 | 453 | 4.40 | 7.65 |
| 25. | टोंक | 1089 | 698 | 3.95 | 4.63 |
| 26. | उदयपुर | 3180 | 3110 | 19.34 | 32.56 |
| 27. | धौलपुर | 562 | 176 | 1.50 | 1.32 |
| | योग:- | 37531 | 22572 | 170.75 | 260.47 |

तालिका–2

| क्र. सं. | नाम जिला | कार्यों की संख्या | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 396 | 257.24 |
| 2. | अलवर | 68 | 715.31 |
| 3. | बांसवाड़ा | 147 | 117.95 |
| 4. | बाड़मेर | 490 | 214.76 |
| 5. | भीलवाड़ा | 456 | 509.98 |
| 6. | बीकानेर | 34 | 10.60 |
| 7. | बून्दी | 65 | 61.50 |
| 8. | चित्तौड़गढ़ | 258 | 405.26 |
| 9. | चूरू | 23 | 36.60 |
| 10. | डूंगरपुर | 190 | 160.38 |
| 11. | जयपुर | 320 | 100.11 |
| 12. | जैसलमेर | 43 | 15.84 |
| 13. | जालोर | 153 | 130.51 |
| 14. | झालावाड़ | 70 | 24.07 |
| 15. | झुंझुनू | 47 | 29.31 |
| 16. | जोधपुर | 619 | 313.60 |
| 17. | कोटा | 11 | 6.97 |
| 18. | नागौर | 48 | 41.90 |
| 19. | पाली | 470 | 362.85 |
| 20. | सीकर | 28 | 23.00 |
| 21. | सिरोही | 140 | 154.09 |
| 22. | टोंक | 26 | 14.04 |
| 23. | उदयपुर | 436 | 650.76 |
| 24. | धौलपुर | 51 | 3.11 |
| | योग– | 4589 | 3715.74 |

(468)



# परिशिष्ट 28

## अतारांकित प्रश्न संख्या 894 सूचियां

क्र. सं. 1992 सूची "अ"

### जिला भीलवाड़ा में 1981-82 व 1982-83 में विद्युतिकृत गांवों की सूची

| क्र.सं. | गांव का नाम | कोड सं. | विद्युतिकृत होने की तिथि | स्कीम का नाम | खम्बों की संख्या | खम्बों में बिछाई गई लाईन (कि.मी. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | श्रीपुरा | 19/10/121 | जून, 81 | एसपीए कोटडी | – | 5.896 |
| 2. | दीवनी | 116 | जुलाई, 81 | ,, | – | 5.661 |
| 3. | बनकरी | 103 | नवम्बर, 81 | ,, | – | 1.943 |
| 4. | भाकिया | 111 | ,, | ,, | – | 0.994 |
| 5. | मदसीपुरा | 112 | ,, | ,, | – | 1.854 |
| 6. | रेन | 97 | 30/12/81 | ,, | – | 2.613 |
| 7. | जोतिया | 109 | 30/1/82 | ,, | – | 0.465 |
| 8. | सूठेया | 105 | 25/12/81 | ,, | – | 1.585 |
| 9. | चोधरियास | 106 | ,, | ,, | – | 0.402 |
| 10. | उदलियास | 104 | 27/12/81 | ,, | – | – |
| 11. | बीरा मियास | 102 | 30/10/82 | ,, | – | 1.206 |
| 12. | कालियास | 100 | ,, | ,, | – | 1.876 |
| 13. | चौधरियास | 127 | ,, | ,, | – | – |
| 14. | गपेसरा | 123 | ,, | ,, | – | – |
| 15. | दांतड़ा | 124 | ,, | ,, | – | – |
| 16. | किशनगढ़ | 125 | ,, | ,, | – | 2.245 |
| 17. | पारोली मण्टा | 120 | ,, | ,, | – | 3.912 |
| 18. | देवली | 85 | ,, | ,, | – | 0.520 |
| 19. | बोरखेड़ा | 86 | 30/1/82 | ,, | – | 0.585 |
| 20. | सोपुरिया | 122 | ,, | ,, | – | 2.664 |
| 21. | हाजीवास | 3 | 30/12/81 | आर. ई. प्रोग्राम | – | 0.701 |
| 22. | ओंकारपुरा | 39 | 31/1/82 | ,, | – | – |
| 23. | गहूली | 50 | ,, | ,, | – | – |
| 24. | नयानगर | 19/11/208 | 30/1/82 | ओ. बी. माण्डलगढ़ | – | 2.613 |

469

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | केकरिया | 197 | 30/1/82 | ओ.बी. माण्डलगढ़ | | — | 0.597 |
| 26. | बरला | 86 | ,, | ,, | | — | 73 |
| 27. | मेरीवाडा | 19/1/155 | 31/3/82 | ,, | | — | — |
| 28. | रघुनाथपुरा | 65 | ,, | ,, | | — | — |
| 29. | लालरी | 19/5/117 | 30/12/81 | ,, | माण्डल | — | — |
| 30. | रूपपुरा | 114 | ,, | ,, | ,, | — | — |
| 31. | नाहरगढ़ | 126 | 31/12/81 | ,, | ,, | — | — |
| 32. | दोलतपुरा | 127 | ,, | ,, | ,, | — | — |
| 33. | भेरूखेडा | 129 | 31/1/82 | ,, | ,, | — | — |
| 34. | बेरा | 130 | 25/1/82 | ,, | ,, | — | — |
| 35. | गेगास | 113 | ,, | ,, | ,, | — | — |
| 36. | बरोरी | 105 | 31/1/82 | ,, | ,, | — | — |
| 37. | दांता लुहारिया | 111 | 25/1/82 | ,, | ,, | — | 0.268 |
| 38. | थाबोला | 109 | 31/1/82 | ,, | ,, | — | — |
| 39. | भारी खेड़ा | 110 | ,, | ,, | ,, | — | — |
| 40. | हरीपुरा | 92 | 31/3/82 | ,, | ,, | — | 1.273 |
| 41. | सोरास | 75 | ,, | ,, | ,, | — | — |
| 42. | हाथीपुरा | 19/5/76 | 31/3/82 | ओ. बी. माण्डल | | — | — |
| 43. | गरजिया | 74 | ,, | ,, | | — | — |
| 44. | जालरिया आसीन्द | 19/1/60 | ,, | ,, | | — | — |
| 45. | जीन्दरास | 161 | ,, | ,, | | — | — |
| 46. | जोरावरपुरा | 162 | ,, | ,, | | — | — |
| 47. | कवराडिया | 19/5/77 | ,, | ,, | | — | — |
| 48. | किशनपुरिया | 78 | ,, | ,, | | — | — |
| 49. | गुरजपुरा | 88 | ,, | ,, | | — | — |
| 50. | भीमडियास | 89 | ,, | ,, | | — | — |
| 51. | गणेशपुरा | 94 | ,, | ,, | | — | — |
| 52. | लछमीपुरा | 90 | ,, | ,, | | — | — |
| 53. | सेरियास | 93 | ,, | ,, | | — | 0.335 |
| 54. | सज्जनपुरा | 91 | ,, | ,, | | — | — |
| 55. | देवीपुरा | 71 | ,, | ,, | | — | — |
| 56. | सेसरपुरा | 35 | ,, | ,, | | — | — |
| 57. | मालास | 34 | ,, | ,, | | — | — |
| 58. | आमदाना | 32 | ,, | ,, | | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | जालमपुरा | 70 | 31/3/82 | ओ.वो. माण्डल | — | — |
| 60. | दहीमाता | 36 | ,, | ,, | . | — |
| 61. | देवथरी | 33 | ,, | ,, | — | — |
| 62. | खेमरीमापी | 37 | ,, | ,, | — | — |
| 63. | अजीतपुरा | 38 | ,, | ,, | — | — |
| 64. | रावतखेडा | 19/4/67 | 20/12/81 | ओ. बी. जहाजपुर | — | 0.871 |
| 65. | रेह | 19/5/39 | 31/3/82 | ओ. बी. माण्डल | — | 0.268 |
| 66. | देवपुरा | 19/4/78 | 24/12/81 | ओ. बी. जहाजपुर | — | 0.469 |
| 67. | पेचनपुरा | 80 | 30/12/81 | ,, | — | 5.144 |
| 68. | रामगढ | 81 | 31/1/82 | ,, | — | 3.126 |
| 69. | रोजारी | 79 | ,, | ,, | — | — |
| 70. | गुरहा | 96 | फरवरी 82 | ,, | — | 0.950 |
| 71. | फतेहपुरा | 94 | 31/1/82 | ,, | — | 1.139 |
| 72. | बगवासा | 95 | फरवरी 82 | ,, | — | 0.461 |
| 73. | तरहीया खेडा | 82 | 31/1/82 | ,, | — | 1.684 |
| 74. | रामपुरा | 66 | फरवरी 82 | ,, | — | 1.253 |
| 75. | ओडिया खेडा | 61 | ,, | ,, | — | — |
| 76. | अमरगढ़ | 153 | 31/3/82 | ,, | — | 2.689 |
| 77. | सागर चोवरी | 98 | फरवरी 82 | ,, | — | 0.330 |
| 78. | चेतीयान | 97 | ,,, | ,, | — | — |
| 79. | सबलपुरा | 101 | 31/3/82 | ,, | — | — |
| 80. | बेई | 102 | ,, | ,, | — | — |
| 81. | भोजगढ़ | 158 | ,, | ,, | — | — |
| 82. | मेवासा | 157 | ,, | ,, | — | — |
| 83. | टोप का खेडा | 19/5/108 | ,, | ओ. बो माण्डल | — | — |
| 84. | लक्ष्मणपुरा | 19/5/146 | ,, | ,, | — | — |
| 85. | लालरी | 19/11/217 | ,, | ,, | — | — |
| 86. | गुलामगढ़ | 216 | ,, | ,, | — | — |
| | | | योग | 937 पोल | 58.592 | 878880 |

(471)

"सूची"

जिला भीलवाड़ा में 1982-83 में विद्युतिकृत गांवों की सूची

| क्र.सं. | गांव का नाम | कोड संख्या | विद्युतिकृत होने की तिथि | खम्बों की संख्या | खम्बों पे बिछाई गई लाईन (कि.मी.में) | लाइनों की कीमत (लगभग) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आशासरा | 19/10/26 | 31-10-82 | – | – | |
| 2. | पुरोहितों का खेड़ा | 19/11/146 | ,, | – | – | |
| 3. | गिरधरपुरा | 19/11/232 | ,, | – | – | |
| 4. | खुरचन का खेड़ा | 19/1/170 | 31-10-82 | – | – | |
| 5. | बोरा का खेड़ा | 169 | 28-2-83 | – | – | |
| 6. | बगमाली | 168 | 31-12-82 | – | – | |
| 7. | भनाल | 152 | 29-9-82 | – | – | |
| 8. | नगारिया | 121 | जनवरी, 83 | – | – | |
| 9. | नेकलियास | 120 | ,, | – | – | |
| 10. | भवता का खेड़ा | 153 | 28-2-83 | – | – | |
| 11. | जालरा | 119 | ,, | – | – | |
| 12. | बर नगर | 109 | ,, | – | – | |
| 13. | सकर का बारिया | 118 | ,, | – | – | |
| 14. | नुवालिगा | 131 | ,, | – | – | |
| 15. | नाथेसर का खेड़ा | 133 | ,, | – | – | |
| 16. | मोरा का खेड़ा | 130 | 31-12-82 | – | – | |
| 17. | बरेथपुरा | 122 | 28-2-83 | – | – | |
| 18. | खोखला का खेड़ा | 123 | 28-2-83 | – | – | |
| 19. | गोरडिया | 56 | 30-11-82 | 11 | 0.730 | |
| 20. | बोजून्दा | 54 | 30.11-82 | – | – | |
| 21. | गयलों का खेड़ा | 53 | 30-11-82 | – | – | |
| 22. | किशनपुरा रटारडी | 58 | 28-2-83 | – | – | |
| 23. | काली खोल | 19/11/191 | 28-2-83 | – | – | |
| 24. | रावतों का खेड़ा | 19/4/135 | 29-9-82 | 15 | 0.938 | |
| 25. | जिकरी | 157 | 29-9-82 | | – | |
| 26. | सोमनिया | 19/5/68 | जनवरी, 83 | | – | |
| 27. | जराना | 67 | 30-11-82 | | – | |
| 28. | गोपालपुरा | 72 | ,, | | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | सोजी का खेड़ा | 119 | 23-12-82 | – | | |
| 30. | चेना का खेड़ा | 124 | 21-12-82 | – | | |
| 31. | सराय (एन पी) | 19/5/123 | 21-12-82 | – | | |
| | | | योग | 26 | 1.668 | 25000.00 |

473

## परिशिष्ट-29

**अतारांकित प्रश्न संख्या 895 की सूची**

राजस्थान की विभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त संभावित ऊर्जा उपलब्धि (मिलियन यूनिट में)

| | | वर्ष 1983-84 | वर्ष 1984-85 |
|---|---|---|---|
| 1. कोटा तापीय विद्युत् गृह (इकाई 1 व इकाई 2) | | 500 | 840 |
| 2. सिगरोली उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि | | | |
| इकाई-3 मई 83 | | 41.25 | 69.75 |
| इकाई-4 नवम्बर 83 | | 36.45 | 109.37 |
| इकाई-5 जून 84 | | - | 75.00 |
| | कुल | 575.70 | 1094.12 |

## परिशिष्ट–30

अतारांकित प्रश्न संख्या 474 की सूची व जानकारी

दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर की चल एवं अचल सम्पत्ति की सूची

(अ) चल सम्पत्ति जो दरगाह प्रशासन की तहवील में है :–

1. सोना 0– 41–550 कीमत तकरीबन रुपये 6,000/–
2. चांदी 1–370–060 कीमत तकरीबन रुपये 3,000/–
3. फर्नीचर ,, ,, रुपये 30,000/–
4. चान्दी की बल्लियां जो लकड़ी पर मंडी है।
5. चान्दी की झाड़ 9 बत्तियों वाला। इन दोनों का वजन व मूल्य मालूम नहीं है। क्योंकि यह लकड़ी व लाख पर बनी हुई है।
6. झाड़-फनूस वगैरह-इनका सही मूल्य नहीं लगाया जा सकता है
7. तांबे के सामावार, बर्तन आदि रुपये 40,000/–
8. बिजली का सामान जेनेरेटर, मोटर पम्प इत्यादि। रुपये 1,50,000/–
9. अन्य। रुपये 10,000/–

(ब) चल सम्पत्ति जो दरगाह प्रशासन/दरगाह ख्वाजा साहब की है परन्तु काफी समय से बराहे रास्ते उसकी तहवील में नहीं है :–

1. गुम्बद शरीफ का कलश गोल्ड प्लेटेड-जिसकी कीमत मालूम नहीं।
2. गुम्बद शरीफ के अन्दर मजार शरीफ के चारों ओर दो कटहरे चांदी के लगे हुए।
   अ–बाहर का कटहरा जिसको 1979–80 में नया बनाया गया था।
   ब–अन्दर का कटहरा भी चान्दी का है–वजन व कीमत मालूम नहीं।
   स–गुम्बद शरीफ के दरवाजे, खिड़कियों पर भी चान्दी मंडी हुई है कीमत मालूम नहीं।
   ड–चान्दी के कई गोले अन्दरून गुम्बद-वजन व कीमत मालूम नहीं।
   ई–गुम्बद शरीफ के सोने का गोला-वजन 414 ग्राम।
3. तोषा खाना :—इस तोषे खाने में सोने की दो चौबे, चान्दी की अगर दानी, चौकी, लोटा, कुरान शरीफ रखने की एक बक्स (जिस पर चान्दी चढ़ी हुई है) मजार शरीफ की खिदमत के बाद तब्दील किये जाने वाले गिलाफ व बीमें भी यही रखे रहते हैं। इस तोषे खाने की चाबी बारीदार के पास रहती है। सोने की चौबे नाजिम के लिखे आदेश से चौबदारान महफिल के लिए लाते हैं और महफिल के बाद वापस दे आते हैं।

4. मुख्य तोषाखाना :—इस तोषाखाना में मुगल सम्राटों की भेंटकर्दा बहुमूल्य वस्तुएँ जैसे गिलाफ इत्यादि शामिल हैं रखे हुये हैं। इस तोषाखाने के सात खानदानों के सात ताले लगे हुए हैं इस खानदान को हफ्त बारीदारान कहते है। इस तोषा खाने में रखी हुई वस्तुओं की कोई फहरिस्त नहीं है और न ही कोई रिकार्ड।

(स) अचल सम्पति का विवरण :—

| | स्थान | विवरण | लगभग कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | दरगाह शरीफ | – | – |
| 2. | गली लंगरखाना पेश जीना अम्बार अकबरी मस्जिद | 62 दुकान 2 मकान | 5,00,000/– |
| 3. | वक्फ अफीफुननिसा | 85 मकान-दुकान | 4,50,000/– |
| 4. | ईदगाह | 89 प्लाट्स | 3,00,000/– |
| 5. | नया बाजार | 2 मकान | 1,50,000/– |
| 6. | बंगला | बंगला | 2,00,000/– |
| 7. | खरीद करदा | 4 मंजिला मकान | 50,000/– |
| 8. | जायदाद चिल्ला कुतुबसाहब | 7 क्वार्टर्स | 50,000/– |
| 9. | वक्फ बाबू फकरूद्दीन | 3 दुकान, 16 कमरे | 1,00,000/– |
| 10. | सराय चिश्ती चमन | 45 दुकान, 50 कमरे | 9,00,000/– |
| 11. | मौकूफा हवेली दीवानसा. | – | 3,00,000/– |
| 12. | जायदाद सोला खम्बाव खानकाह | 4 दुकान, 4 कमरा | 25,000/– |
| 13. | दरगाह गेस्ट हाउस | – | 30,00,000/– |

नोट :—उक्त जायदादों का मूल्य बहुत समय पहले का है।

(176)



दरगाह शरीफ की अचल सम्पति पर अतिक्रमण की सूचना

(क) दरगाह शरीफ के उजरों व दालान व सेहन पर कब्जे :--

| | |
|---|---|
| 1. श्री सैयद वजीर अली | मजार बीबी साहिबा के पास |
| 2. श्री सैयद अहमद चिश्ती | दालान हमीद साहब |
| 3. श्री गनी उर्फ गम्भा | ,, |
| 4. श्री अजीमिया | शर्की गेट के पास |
| 5. श्री बुद्दु नाना | हुजरा नं. 57 |
| 6. श्री गुलाम मुईनुद्दीन | हुजरा नं. 73-74 |
| 7. श्री सैयद वाले मुस्तफा | हुजरा नं. 78 |
| 8. श्री सैयद मोहम्मद नूर | हुजरा नं. 100 |
| 9. श्री सैयद मोहम्मद ईस्माईल | मजार बीबी साहिबा |
| 10. श्री सैयद मोहम्मद खलील | पायंती दरवाजे के पास |
| 11. श्री बुद्दू नाना | मजार शेख यादगार साहब के पास |
| 12. श्री सैयद अली रसूल | मुसाफिर खाने में |
| 13. श्री सैयद जहीर अहमद नियाजी | दालान लट्टी खाना |
| 14. श्री सैयद आफाक अहमद | मुसाफिर खाना में कटहरा |

नोट:--क्रम संख्या 10 से 14 तक पर कोर्ट केसेज कर रखे हैं। शेष पर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) चिल्ला कुतुब साहब पर :-

1. पुरातत्व विभाग
2. एक हरिजन